राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 9

मंगलवार,

22 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 123

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं +++ मंत्री से इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरे मंत्री से अगर आप जवाब दिलाते हैं, ये जब से दिल्ली गये हुए हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराज जाइये। विराज जाइये। जवाब ये ही देंगे सुनना हो तो। जवाब मंत्रीजी ही देंगे, अगर आपको नहीं सुनना हो तो विराज जाइये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): न तो इनका डिपार्टमेंट में अंकुश है। (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी धानका।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): एक मिनट अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं। आपको जवाब सुनना है कि नहीं? आपको जवाब सुनना है?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ये +++ मंत्री है, न इनका डिपार्टमेंट पर कोई अंकुश है, न इनकी कोई मानता है उस डिपार्टमेंट में।

श्री अध्यक्ष: यह अंकित नहीं हो। व्यर्थ की चर्चा है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री अध्यक्ष: यही बात होगी। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं चलाएंगे। (व्यवधान) मैं चलाऊंगा। अनर्गल बात प्रश्नकाल में नहीं सुनूंगा, बैठ जाइये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य...(व्यवधान) आप बनाओगे मंत्रिमण्डल।

श्री अध्यक्ष: आपको मानता कौन है लीडर? आप बातें करते थे सब असत्य निकली हैं। बैठ जाइये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, आपका रवैया... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: है यह रवैया। आपने मुझे हिटलर कह दिया...(व्यवधान) आपने मुझे सब तरह की गालियां दे दीं, आपने मुझे धमकियां दे दीं और आपके साथ ये सीनियर लोग जो बैठे हैं, कोई नहीं आया तो आपको पकड़कर वहां से लाकर आपके मुंह में मेरे खिलाफ नारे लगाने की भाषा डाली गयी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम आपके खिलाफ ऐसा नहीं करना चाह रहे। हम आपका पूरा मान-सम्मान...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं किया। मान तो कर लिया ना कल आपने। हाउस को डा. किरोड़ी और बेनीवाल चला रहे हैं। (व्यवधान) हाउस को डा. किरोड़ी और बेनीवाल चला रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने कल शाम को वहां प्रेस में जाकर मान-सम्मान किया अध्यक्ष महोदय का।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम आपको पूरा सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष: बुला-बुलाकर लाकर यहां पहलवानी कर रहे हैं। मेरे ऊपर तीन बार आये, आपने किरोड़ी को रोका?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपको शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष: मुझे शोभा देगा क्योंकि मुझे हाउस चलाना है। हाउस नियमों में चलाना है। मुझ पर पक्षपात के आरोप लगाये गये। (व्यवधान) बैठ जाइये। (व्यवधान) मैं अपना एक्सप्रेशन दे रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप कोई दूसरे मंत्री से जवाब दिलाना चाहो।

श्री अध्यक्ष: नहीं दिलाऊंगा। नहीं दिलाऊंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम आज सुनें, न कल सुनें। हम वाकआउट करते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: पधारिये। (व्यवधान) आप तो बैठे रहिए, कहां इनके चक्कर में हैं? श्रीमती अंजू देवी धानका।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं कर सकते क्या?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न आया ही नहीं तो पूरक प्रश्न कैसे आयेगा?

बस्सी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

124. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में दिनांक 1 जनवरी, 2008 से मई, 2014 तक प्रधान मंत्री/मुख्य मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़क का निर्माण एवं विस्तारीकरण, कितनी दूरी तक, कहां-कहां व कितनी राशि से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्मित सड़कों में अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें अपने निर्धारित समय से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों के निर्धारित अवधि में क्षतिग्रस्त होने के लिये कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बस्सी से तूंगा तक सड़क का निर्माण प्रत्येक वर्ष कराया जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में दिनांक 1 जनवरी, 2008 से मई, 2014 तक प्रधान मंत्री/मुख्य मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित निर्माण/विस्तारीकरण (अपग्रेडेशन) की गयी सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में उक्त निर्मित सड़कों की लम्बाई 125.67 कि.मी. में से 1 सड़क ही आंशिक क्षतिग्रस्त है तथा जिसकी लम्बाई 3.00 कि.मी. है। यह सड़क दोनों तरफ खेतों की मेड़ बनाने से जल निकासी अवरुद्ध होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा इस सड़क की मरम्मत शीघ्र ही संवेदक के द्वारा करवा दी जावेगी। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त 39 सड़कों में से 1 सड़क पानी निकासी की समुचित

(श्री युनुस खान)

व्यवस्था न होने के कारण आंशिक क्षतिग्रस्त है, इसके लिये कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

(4) जी नहीं। बस्सी से तूंगा सड़क पर गत वर्षों में किये गये नवीनीकरण के कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में सभी सड़कों का क्षतिग्रस्त न होना बताया गया है। जबकि उसमें से लगभग सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और मैं आपको बाइहैण्ड लिस्ट पूरी दे सकती हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं 2010-11 में रोजवाड़ी से गुमानपुरा वाया माधोगढ़ 1300 मीटर रोड बनी थी, लागत आयी 14 लाख 12 हजार। इसमें जवाब में संतोषजनक टिप्पणी की गयी है। इसके ठेकेदार हैं रमेश कुमार बंसल। 2010-11 में जो सड़क बनी थी उसी सड़क को 2011-12 में दुबारा बनाया गया है जिसमें 32 लाख की लागत आयी है। हालांकि वह दो किलोमीटर एक्स्ट्रा थी, लेकिन उसको दुबारा जीरो किलोमीटर से शुरू किया गया है। तो उसको जीरो किलोमीटर से दुबारा क्यों शुरू किया गया जबकि उसी साल में पहले वह बन चुकी है, 2010-11 में, फिर 2011-12 में उसी सड़क को जीरो किलोमीटर से दुबारा लिया जा रहा है। इससे सरकार को 14 लाख 12 हजार का नुकसान हुआ है।

दूसरा प्रश्न है बस्सी से तूंगा बार-बार सड़क बन रही है। इसमें जवाब है, नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि आपके अधिकारियों ने लिखकर दिया है कि 2007-08 में नवीनीकरण बस्सी से तूंगा सड़क 16 किलोमीटर 1 करोड़ 60 लाख की लागत आयी। इसी तरह से 2007-08 के बाद, फिर 2007-08 में यह वाइंडिंग और स्ट्रेंथनिंग, बस्सी से तूंगा, फिर 2009-10 में नवीनीकरण किया गया, फिर 2011-12 में दुबारा नवीनीकरण हुआ है। इसमें 5 करोड़ 76 लाख की लागत आयी थी, लेकिन टिल डेट आज तक वह सड़क उसी स्थिति में है जैसी वह 2007-08 में थी। यानी 2007-08 से लगातार हर साल वह सड़क बन रही है। इतना पैसा गवर्नमेंट का लग चुका है 5 करोड़ 76 लाख, लेकिन उसका कोई फायदा अब तक जनता को नहीं मिला है। सड़क की स्थिति आज भी वैसी है।

तीसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: तीन-तीन एक साथ नहीं। जवाब आ जाय फिर एक पूरक प्रश्न और कर लेना आप।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाली माननीय सदस्य ने जो अपना मूल प्रश्न पूछा था उसमें इन्होंने यह पूछा है कि प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत। उसका जवाब उसी अंदाज में दे दिया। चूंकि जहां तक बाकी सड़कों की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में इस योजना के अलावा दूसरी जो डीएलपी में, हमारा डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है उसमें इसके अलावा भी 15.45 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त और हैं। लेकिन डीएलपी के अलावा भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो इनके क्षेत्र में लगभग 93.5 किलोमीटर सड़कें और हैं जो क्षतिग्रस्त हैं। जो हमारी नयी योजना ओपीआरसी में, उनको रिपेयर करने के लिये इस जिले की उन सड़कों को हमने लिया हुआ है।

जहां तक माननीय सदस्य ने तूंगा-बस्सी सड़क की बात कही, यह बात सही है कि उसमें बार-बार अलग-अलग समय में पैसा खर्च हुआ है, लेकिन वह 2007 से लेकर 2012 तक जैसे-जैसे सड़क क्षतिग्रस्त हुई वैसे-वैसे उसका निर्माण होता रहा। यह सड़क आगे जाती है। यह हमारा स्टेट हाइवे है। इस पर बहुत ज्यादा ओवरलोडेड व्हीकल चलते हैं। जब पेचवर्क कराते हैं या छोटा-मोटा एक-दो किलोमीटर का नवीनीकरण कराते हैं तो सड़क की लम्बाई भी ज्यादा है। जो राशि स्वीकृत होती हैं उसमें उतना निर्माण नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इसलिये हैवी व्हीकल्स की वजह से वह बार-बार टूट जाती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा जो 20 हजार किलोमीटर सड़कें हमने ली हैं उसमें हमारा पैकेज नं. 16 में यह जो 53 किलोमीटर की सड़क है बस्सी से तूंगा लालसोट होते हुए, इसको हमने नये सिरे से लिया है।

आपने दूसरी सड़क की चर्चा की, आपका दूसरा सवाल यह था कि इन्होंने 2011-12 में एआर रोजवाड़ी से गुमानपुरा वाया माधोगढ़ सड़क की बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी रूरल रोड्स के लिये अलग-अलग समय पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डवलपमेंट फण्ड में पैसा आता रहता है। जैसे-जैसे सड़कों का कई बार चौड़ाईकरण करना होता है, कई बार स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, कई बार वाइंडिंग करनी होती है। तो अलग-अलग हैड में पैसा खर्च होता है। यह नहीं कि उस सड़क को उसी तरीके से किया जाता है। इसलिये इन्होंने जितनी बातें बतायी हैं उनका मैंने विस्तारपूर्वक इसमें बता दिया।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, जो मैंने माधोगढ़ वाला पूछा था उसमें जीरो किलोमीटर से दुबारा स्टार्ट की है जबकि उसी साल में 6 महीने पहले ही वह जीरो किलोमीटर से शुरू की थी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, इसका जवाब आ जाता है। इसके बाद आप। (व्यवधान) धानकाजी आपका जवाब। दूसरा सवाल है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि सड़क की गुणवत्ता का आधार क्या है? वहां की जनसंख्या है या फिर वहां का जो ट्रैफिक लोड, हैवी या लाइट व्हीकल लोड है वह होता है? आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष: अब विराज जाइये आप। इस प्रश्न का जवाब आ जाए फिर आप।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क की आपने चर्चा की है, मैंने अभी बताया है कि अलग-अलग योजनाओं में जैसे-जैसे राशि आती है तो पहली बार जो सड़क बनी होगी तो उसके बाद में उसकी बाइंडिंग, स्ट्रेंथनिंग और हुई है और उसी में वह पैसा खर्च हुआ है। उसके अलावा भी आपने अपने स्पेशियली जीरो किलोमीटर से लेकर क्यों हुआ वह पूछा है तो कारण आपके कार्यालय में हम व्यक्तिश: उसको देखकर भिजवा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुणवत्ता की बात है, आप और सब जानते हैं कि....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अंजूजी, बैठिये। अब नहीं, अब बैठिये आप। आपके दो पूरक प्रश्न हो गये। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सड़क अच्छी किस्म की बननी चाहिए और उसके बाकायदा रोड, कांग्रेस द्वारा नार्म्स डिसाइड किये हुए हैं उसके अनुसार सड़क का निर्माण होता है और उसी के अनुसार उसका रख-रखाव होता है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, अब नहीं। दो पूरक प्रश्न हो गये। मैं नियमों से ही चलूंगा अब। आप उठिये, माननीय विधायक। नहीं, मैं नियमों से ही चलूंगा। उठिये आप। पक्षपात के आरोप नहीं लगेंगे मेरे पर, जो नियम हैं उसी हिसाब से चलूंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की

(श्री नरेन्द्र कुमार)

सड़कों की मरम्मत तो अच्छी गुणवत्ता से कराई ही जाए, साथ में वर्ष में एक-दो बार सड़कों की साइड के जंगल को क्लियर करवाया जाए जिससे सड़कों पर पेड़-पौधे इस तरह से आ जाते हैं कि आगे की सड़क दिखाई भी नहीं देती है और दुर्घटना की भी सम्भावना बनी रहती है। मेरा निवेदन है कि इसको प्रस्ताव में रखें क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है। एक दूसरा और है।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। एक ही पूरक प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय। विराजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सड़कों पर बारहमासी लोग काम करते थे, आजकल यह प्रथा तो खतम हो गई। इसलिये इसका निर्माण ठेकेदार ही करवाते हैं और ठेकेदार की ही जिम्मेदारी है सड़क बनाने की। जहां पेड़ बड़े हैं, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से उन पेड़ों की कटाई-छंटाई बिना अनुमति के हो नहीं सकती तो इसके लिये भी जहां सड़कों पर इस तरीके के पेड़ आच्छादित हो जाते हैं उनके लिये विभाग विचार करेगा और इस समस्या का जो भी समाधान हो सकता है उसको निकालने के लिये हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी। पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसी सड़कें हैं जैसे पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्दर हैं, उनके अन्दर जैसे पांच-छह साल हो गये और छह साल के बाद में वो सड़कें जर्जर अवस्था में पहुंच गईं और जो ठेकेदार होता है उसका गारंटी का टाइम पीरियड भी चला गया और वे सड़कें टूटी हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पाटौदी से नवातला सड़क बिलकुल जर्जर अवस्था में है। इसी तरह से माडपुरा से पतासर है। ऐसी सड़कें हैं उनकी मरम्मत आज दिन तक नहीं हो रही है इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जो सड़कें हैं उनके लिये आपका क्या विचार है? यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो गारंटी पीरियड में सड़कें होती हैं उनकी रिपेयर तो संवेदक करवा देता है लेकिन उसके बाद में वह सड़क टूटी हुई रह जाती है। जिस तरीके की लम्बाई राजस्थान में सड़कों की है, मैंने मांग की चर्चा में भी बताया था कि बहुत ज्यादा लम्बी है और राज्य सरकार के साधन सीमित होते

(श्री युनुस खान)
हैं तो उन सड़कों का वापस पुनर्निर्माण भी नहीं हो पाता है, पुनरोद्धार भी नहीं हो पाता है और वो टूटी की टूटी ही रह जाती है। ऐसी स्थिति में पूरे राजस्थान में लगभग 12 हजार किलोमीटर सड़कें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया है जो वास्तव में बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गईं, मोटरेबल नहीं हैं उन सड़कों को इस वर्ष हम प्राथमिकता पर लेकर के जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में आउटपुट परफार्मेंस बेस रोड कांट्रेक्ट की बात कही, उस प्रोजेक्ट में हमने लिया है और प्रत्येक जिले की जितनी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं जो ज्यादा हैं उनको पहली वरीयता में लिया है और उसके बाद में जो उससे थोड़ी कम टूटी हैं उनको दूसरी वरीयता में लिया है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जैसा कहा है कि अगले पांच वर्षों में लगभग 32 हजार करोड़ रुपये खर्च करके प्रत्येक जिले को इस तरह से OPRC में लेकर उसका निर्माण करायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यद्दा ध्यान देगी और ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें ज्यादा टूटी हुई हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका एक कारण भी है जो मैं सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो सड़कें हैं उनकी चौड़ाई तो कम है लेकिन आप जानते हैं कि आजकल बजरी, मार्बल या अन्य की जहां माइंस हैं तो उनके ट्रक निकलकर रूरल रोड पर आ जाते हैं और उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है जिससे क्षतिग्रस्त होती हैं। उनकी कैपेसिटी इतनी क्षमता की नहीं होने के कारण और सड़कों की चौड़ाई भी कम होती है और ओवरलोडेड व्हीकल की वजह से वे सड़कें टूट जाती हैं तो उसकी भी हम योजना बना रहे हैं और वह योजना भी शीघ्र हम लेकर आयेंगे कि कम से कम सड़क की इतनी चौड़ाई हो कि दो व्हीकल अगर आमने-सामने मिलें तो आपस में वे जब एक-दूसरे को क्रास करें तो सड़क के किनारे पर टायर से जो सड़क टूटती है वह नहीं टूटे। यह विचार भी राज्य सरकार के पास में है। मैं इतना कह सकता हूं, इतना विश्वास दिला सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र हमारी प्राथमिकता में है और इस तरह की टूटी हुई सड़कों का हम शीघ्र निर्माण करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। उनके बाद में धर्मपालजी चौधरी फिर अगला सवाल लिया जाएगा। चार पूरक प्रश्न हो जाएंगे। मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 का जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि उक्त सड़क पर पानी का अक्सर भराव रहता है इस

(श्री मदन राठौड़)

कारण से टूट गई और इसके निर्माण करने में कोई दोषी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे समझ में नहीं आई कि जब पानी का भराव रहता है तो तकमीना बनाने वाले अधिकारी दोषी क्यों नहीं हैं? वहां पर सी.सी. रोड बनानी चाहिए थी, उसको ऊंचा उठाना चाहिए था ताकि यह सड़क टूटे नहीं। वहां पर नाली भी बनानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें, उनको बोलने दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वे दोषी कैसे नहीं हुए यह मंत्रीजी कृपया जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: चार सवाल हो जाएंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी उत्तर आता है वह उस प्रश्न के सन्दर्भ में ही आता है। जहां तक दोष की बात है...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): खण्ड 3 में आपने जवाब दिया उसी का मैं पूछ रहा हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह मैंने दे दिया, मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़क बनती है उस पर आपने नाली की भी चर्चा की और उसके प्रोपर ड्रेनेज की भी बात की। यह बात सही है कि प्रोपर ड्रेनेज होना चाहिए, नालियां भी बननी चाहिए और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गौरव पथ की चर्चा की है उसमें बाकायदा जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में सी.सी. रोड बनाना, उसका प्रोपर ड्रेनेज करना, नाली बनाना, इसको लिया है। अब हम जो नये नियम कायदे लेकर आ रहे हैं वह ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके के लेकर आ रहे हैं कि उस पर पानी नहीं आये। क्योंकि आपको पता है कि बिटुमिन और पानी में दुश्मनी है, थोड़ा सा पानी आ जाता है तो सड़क टूट जाती है। आमतौर में ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग अपने घरों का, अपने बाथरूम की नाली...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप यह मत घुमाओ।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आ रहा हूं, एक मिनट रुको, मैं उसी पर आ रहा हूं। आ रहा हूं मैं, आप विराजो तो सही, आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं। आपने दो सवाल पूछे। आपने जवाब के बाद में संतुष्ट नहीं हों तो पूछना।

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दीजिये। जवाब देने दीजिये उनको, बीच में इंटरवीन नहीं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नाली और इस तरह से पानी को बार-बार छोड़ना और कूड़ा-करकट डाल कर रोड पर अतिक्रम करना, इन सब विषयों को लेकर हम अलग से एक्ट भी लेकर आयेंगे। माननीय सदस्य ने जो बात कही कि इसमें इंजीनियरिंग की कमी रही है इसलिये पानी रुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कई बार होता है और जहां पानी रुक रहा है उसको तो मैं और दिखवा लूंगा लेकिन इसमें यह है कि कई लोग अपने घरों की ऊंचाई के लिये या ढाबा बना कर जो सड़क बनी होती है.... (व्यवधान) मैं आ रहा हूं, आप थोड़ा संतोष तो रखो। विराजो तो सही।

श्री अध्यक्ष: आप तो संक्षेप में जवाब दीजिये, 20 मिनट हो चुके हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस सवाल के जवाब में तो जो खण्ड संख्या 3 में जो दिया है वह सही है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब ये कह रहे हैं कि इस पाइंट पर पानी क्यों आ रहा है तो इसको और दिखवा लेंगे। और इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग में कमी रही तो उसको भी दिखवा लेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने पानी का नहीं पूछा कि पानी क्यों आ रहा है। (व्यवधान) यह मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल है कि तकमीना बनाने वाले ने तकमीना बनाते समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा कि यहां अक्सर पानी आता है तो इस सड़क को ऊंचा उठाना चाहिए। केवल इस बात का जवाब दो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं उनकी बात का जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब तकमीना बनता है तो जरूरी नहीं कि 6 महीने बाद या 12 महीने बाद सड़क शुरू हो तो उस जमीन का लेवल वही रहे। कई बार वहां से मिट्टी उठा भी ली जाती है और कई बार उस पर मिट्टी डाल भी दी जाती है इसलिये इस पाइंट जिसकी इन्होंने चर्चा की है उसको दिखवा लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री धर्मपाल चौधरी। इसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा। यह पांचवां पूरक प्रश्न है। 20 मिनट लग गये हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिन सड़कों का गारंटी पीरियड बाकी है उन सड़कों के लिये इन्होंने कह दिया कि पेचवर्क खराब लगते हैं। पेचवर्क लगेगा नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं तो क्या उनकी गारंटी राशि को आप जब्त करने की इच्छा रखते हैं?

दूसरा, जो सड़कें दो साल में ही टूट गईं और ऐसी सड़कें जो बनी हुई हैं, हमने नियम 295 के माध्यम से और विभाग की मांग के बारे में बोलते हुए भी कहा था कि जो सड़कें इतनी घटिया सामग्री से बनी हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं? और ऐसे अधिकारी जो उस सड़क को बनाने के काम में लग रहे थे, जिन्होंने उन सड़कों का काम एक्स.ईएन. जे.ईएन. ने, जिन्होंने भी करवाया, तो उस ठेकेदार और उन अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं? यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये। संक्षिप्त में जवाब दे दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी घटिया सामग्री प्रयोग में ली हुई सड़क की या उसका निर्माण घटिया हुआ है, कोई शिकायत आयेगी और कोई भी लिखित में या मौखिक रूप से, जो उस पर शीघ्र कार्यवाही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक।

प्रश्न संख्या-125

श्री राजकुमार शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

घुमक्कड़ जातियों को बीपीएल सूची में जोड़ने की योजना

126. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार के परिपत्र क्रमांक 59401 दिनांक 10 मई, 2011 एवं मुख्य सचिव के परिपत्र 18 नवम्बर, 2010 की पालना में कालबेलिया, गाडुलिया लुहार, बागरिया, राईका आदि समाज को बीपीएल में जोड़ने का आदेश पारित किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी पालना की गई है? यदि हां, तो कब से व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): जी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हां। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 59401 दिनांक 10.5.2011, यह गलती से अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहते हुए, यह डेट लिखने में गलती हो गई, 10.8.2011 है, एवं मुख्य सचिव के पत्र 18.11.2010 की पालना की जा रही है। आदेशों की पालना में अपील अधिकारी द्वारा जाति कालबेलिया, गाडुलिया लुहार, बागरिया, राईका आदि समाज को निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार उनका नाम बीपीएल सूची में जोड़ा जा रहा है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 18.11.2010 की पालना पर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 59401 दिनांक 10.8.2011 के आदेश उपरान्त भी अभी तक पालना क्यों नहीं की? कारण स्पष्ट करें।

दूसरा, समय पर पालना नहीं करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? कारण स्पष्ट करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव के पत्र और बाकी पत्रों की पालना की गई। राजस्थान में इस पालना के तहत ही 18.11.2010 की 1,239 परिवारों को बीपीएल सूची में जोड़ा गया है। यद्यपि यह संख्या सम्पूर्ण राजस्थान के जिलों के हिसाब से निश्चित रूप से कम लगती है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन जिस प्रक्रिया के कारण से ये नाम जोड़े जाते हैं, उसमें विलम्ब होता है और उसके कारण से, यह बात सही है कि अभी भी 1,239 परिवार ही इसमें जोड़े गये हैं और इसके साथ ही कई बार इस बारे में आदेश और निकले हैं। नई जनगणना के आधार पर 2011 में जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, उसमें अब जो नया बीपीएल का सारा कुछ बनेगा, वह उसके आधार पर बनेगा। यह 2002 के आधार पर बीपीएल परिवार में 2005-2006 में इसमें सूचीबद्ध हुआ। उसके बाद यह परिवर्तन है। अब जो नया सर्वे हुआ है उस सर्वे में इस समस्या का बहुत कुछ निदान हो जायेगा और इस सर्वे में भी हमारे विभाग ने और इसके बारे में इनको विशेष सुविधा मिले, इसके बारे में कई निर्देश दिये हैं। जैसे विभक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, आवासविहीन परिवारों की जनगणना के सम्बन्ध में प्रत्येक जिला कलक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं के जिले में निवास करने वाले घुमन्तु जाति, आवासविहीन परिवार एवं इस श्रेणी के अन्य लोगों की सूचना जनगणना कार्य के दौरान आवश्यक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रूप से दर्ज करें। इसके लिये यह आवश्यक है कि जनगणना के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान सावधानी से उपरोक्त श्रेणी के समस्त परिवारों की सूचना दर्ज की जाये।

इसके अलावा एहतियात के तौर पर जिले के समस्त जनगणना कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् एक बार पुन: तीन दिन से पांच दिवस का अभियान चलाया जाये, जिससे कि उपरोक्त वर्णित श्रेणी के परिवार में से कहीं किन्हीं कारणों से सूचना दर्ज करने से वंचित न रह जाये। यह एक आदेश इसको दिया। दूसरा और आदेश दिया है ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं, वे किसी कारण से रह नहीं जायें।

एक दूसरा पत्र फिर 2.1.2011 को फिर यहां से गया है। उसमें भी हमने यह जिला कलक्टर को लिखा है और हमारे यहां के परियोजना निदेशक ने आवासविहीन परिवारों पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उन्हें जनगणना में शामिल किया जाये। इसमें यह अपेक्षा है कि प्रत्येक गणक ब्लाक में आठ दिवसीय प्रगणन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा शेष बचे दो दिन अंतिम जिलों में घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त और आवासविहीन परिवारों की जनगणना के लिये विशेष तौर पर अभियान चला कर इन्हें जनगणना कार्य में शामिल किया जाये। फिर इस आदेश में लिखा गया है कि इस अभियान में सार्थक परिणाम के लिये आवश्यक है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किये गये जिलेवार विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर, उनके समाज के लोगों से भी सम्पर्क कर उनको भी इसकी व्यापक जानकारी दी जाये एवं उनका सहयोग लिया जाये।

इसके अलावा प्रत्येक गणक ब्लाक में स्थान चिह्नित कर लिया जाये। जहां ऐसे परिवार इकट्ठे हो सके एवं उनके नाम प्रगणक द्वारा सुचारू रूप से दर्ज किये जायें। बार-बार यह डाइरेक्शन जारी किये हैं। उसके लिये कलक्टर को यह निर्देशित किया है कि स्पेशल उनके लिये तीन दिन अलग से जनगणना करके उनके लोगों को सूचना देकर, उनको किसी एक स्थान पर एकत्रित किया जाये और उनको 100 पर्सेंट इसमें जोड़ा जाये। इसके लिये हमने एक नहीं, दो-दो आदेश निकाल कर, मन की इच्छा यह है कि इस प्रकार के लोग एक स्थान पर नहीं रहने के कारण से कई बार जनगणना के अन्दर आने से वंचित रह जाते हैं और उसके कारण से उनके जो भी हक-हकूक हैं, उनको मिलने चाहिए, वह नहीं मिल पाते हैं और इस कारण से अब की बार इस 2011

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की जनगणना में बार-बार यह डाइरेक्शन दिये हैं, जिसके कारण से यह जो घुमन्तु जातियां हैं, जो इन सब लाभों से वंचित रह जाती हैं, उनको किसी प्रकार से हम जोड़ सकें।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार उक्त वर्णित समाजों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु स्थाई रूप से आवास और बच्चों के लिये स्कूल एवं अन्य योजनाएं बना कर उनको स्थाई रूप से रखने का विचार रखती है? कारण स्पष्ट करें। यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य की जो भावना है, वह हम सबकी भावना है। इन लोगों को इतने वर्षों के बाद भी अभी तक न इनका कहीं स्थाई निवास है, न इनके बच्चों की ठीक प्रकार से शिक्षा-दीक्षा हो रही है और इसलिये गाडुलिया लुहार को तो मैक्सिमम कहीं न कहीं आश्रय देने का हमने काफी कुछ कर लिया है लेकिन कालबेलिया और कुछ जातियां ऐसी हैं, जिनका व्यवसाय इस प्रकार का है कि वह एक जगह पर नहीं रहते, उनको भी हम आइडेंटिफाई करके, जिन गांवों में भी उनका ज्यादा रहने का काम पड़ता है, वहां उनको जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, बीपीएल परिवार की भी, उनको पट्टे भी, उनको बसाने के लिये भी, उनको इन्दिरा आवास या मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत मैक्सिमम लाभ पहुंचायेंगे। हम निश्चित रूप से उनके लिये कटिबद्ध हैं कि हम उनका सहयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर। पूरक प्रश्न।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि बीपीएल सूची में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपील के द्वारा चयन किया जाता है और आन-लाइन का जो काम होता है, वह जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि अपील में जिस नाम का चयन होता है, क्या जिला परिषद उसकी समय सीमा तय करेगी कि कितने दिनों में इसको आन-लाइन कर दिया जायेगा? या फिर जिला परिषद पर ज्यादा भार होता है तो सरकार इस बीपीएल सूची में आन-लाइन का काम पंचायत समिति स्तर पर सौंपने का विचार रखती है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीपीएल सूची में 2002 में जोड़ने का अभियान और उसमें एक सूची बनी थी, वह 2006 में जाकर प्रकाशित हुई। लेकिन अब सौभाग्य से 2011 की जनगणना हो गई है और उसमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधार को ही बनाकर नया सर्वे किया गया है। मैं सोचता हूं, इस सर्वे की पूर्णतया जानकारी आ जाने के बाद और इसमें जो आब्जेक्शन का समय है, उसके बाद निश्चित रूप से यह सारे के सारे लोग उसमें कवर हो जायेंगे। उसके बाद भी अगर कोई रह गया तो उनको अपनी बात कहकर नाम जुड़ाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत भी वह आ सकते हैं। उनको लाभ मिले, यह सरकार की मंशा है।

श्री अध्यक्ष: श्री बालू राम चौधरी।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन जातियों के लोग सरकारी जमीन पर आलरेडी बसे हुए हैं, उनको बार-बार अवैध निर्माण के नाम से हटाया जाता है। क्या उनको पंचायत के माध्यम से पट्टा देकर रेगुलराइज करने की मंशा है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हां मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अगर वह बसे हुए हैं तो उनको पट्टे देने में भी पंचायत प्राथमिकता देगी और उसके अगर डायरेक्शन और कहीं हैं तो हमारे यहां से जारी होंगे। जो इस प्रकार की जातियां हैं जिनको आज भी कोई आश्चर्य नहीं है, वे जहां बसे हुए हैं। अगर वह जमीन ऐसी नहीं हो जो कानून के तहत वहां उनको पट्टा देना सम्भव नहीं हो। उस जगह को छोड़ कर के बाकी सब जगह उनको पट्टे देकर के निश्चित रूप से उनको आश्रय देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री कंवर लाल।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अकलेरा में गाड़िया लोहार को पट्टा भी दिया है पर पट्टा देने के बाद उनको उस उचित स्थान पर बसाया नहीं गया। उसमें प्रभावशाली लोगों ने मकान बना लिये हैं और वे गाड़िया लोहार अभी भी दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। कागजों में उनको पट्टे दे दिए गए हैं लेकिन फिजिकल उनको बसाया नहीं गया है। कृपया इसमें बसाने की कार्यवाही करने की इच्छा रखते हैं मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एकदम अलग जगह का था तो उसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा उनकी भावना को ध्यान में रखकर के मैं इसको दुबारा दिखवा दूंगा। अगर वास्तव में ठीक प्रकार से पट्टा उनको दिया गया है और उस जगह किसी प्रकार का किसी दूसरे ने अतिक्रमण किया है तो जो भी कानून के तहत रहते हुए कार्यवाही की जा सकती है वह करेंगे और अगर मान लो उसमें कोई अड़चन भी आएगी तो उनको अन्यत्र देकर भी सुविधा देने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारीलाल सिंघल।

बारावियर से जयसमन्द (अलवर) में पानी के रास्ते पर अतिक्रमण

127. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारावियर से जयसमन्द (अलवर) आने वाले पानी के रास्ते में अतिक्रमण हो रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पूर्व में उक्त अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अमल में लाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बारावियर से जयसमन्द (अलवर) में पानी के रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को शीघ्र हटाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) वर्तमान में बारावियर से जयसमन्द (अलवर) आने वाले पानी के रास्ते में कोई अतिक्रमण नहीं है।

(2) पूर्व में उक्त रास्ते पर ग्राम माचड़ी के पास सड़क की पुलिया के पांच पाइप रोक कर पानी निकलने में व्यवधान उत्पन्न किया हुआ था। इस व्यवधान को हटवा दिया गया है।

(3) बारावियर से जयसमन्द (अलवर) तक पानी लाने की फीडर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो तीन खण्ड हैं, मेरे प्रश्न के, इसमें पहले में उत्तर दिया गया है कि इसमें कोई अतिक्रमण नहीं है। दूसरे खण्ड में बताया गया है कि पांच लोगों ने पाइप डालकर पानी रोक कर पानी निकलने में व्यवधान उत्पन्न किया हुआ था, दोनों विरोधाभासी हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं दूसरे खण्ड का उत्तर माननीय मंत्रीजी से यदि आपने अतिक्रमण हटवाया जो कि आज वर्तमान में नहीं है तो कब हटवाया दिनांक सहित बता दें। पिछले पांच वर्ष में हटवाया हो, इस वर्ष में हटवाया हो और इसके अतिरिक्त दूसरी मेरी बात है, मेरी मांग है यह कि आपके विभाग के अधिकारियों को इस बारावियर का, उस दिन भी जब अनिताजी का प्रश्न था, पिछले पांच दिन पहले इसी संदर्भ में तो आपके द्वारा विभाग के अधिकारियों ने यही बताया कि पानी तो आ रहा है और अलवर और भरतपुर का अनुपात भी बताया। अलवर 1 है और भरतपुर का 1.234 है किन्तु यह नहीं बताया कि वह पानी जा कहां रहा है? ना अलवर को जा रहा है और ना ही भरतपुर को जा रहा है, तो आखिर कहां जा रहा है? मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि यह हमारे लिये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारा जयसमन्द बांध जो हज़ारों बीघा का है वह बिलकुल खाली है पिछले लगभग सात-आठ वर्षों से, तो यह पानी कहां जा रहा है? इसके लिये मेरी मांग यह है कि आप अलवर और भरतपुर के पांच-छह विधायकों की एक कमेटी बना कर अपने विभागीय अधिकारियों को साथ लगा दो। ऐसा पिछली बार हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन में एक बार काम हुआ है, पिछली सरकार के समय हुआ है। आपके निर्देशन में हमने मांग की थी तत्कालीन सरकार से मेवात आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण में सरकार यह नहीं मान रही थी कि इनका उपयोग सही हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी जो वर्तमान हैं इनके दखल से यह तय हुआ, तत्कालीन सरकार ने कमेटी गठित की। जिसमें अलवर और भरतपुर के सभी विधायकों को लिया, सम्भागीय आयुक्त को हमारे साथ लगाया और हम लोगों ने जाकर के वहां वस्तु स्थिति की जांच करा कर के उसको सरकार से मनवाया। तो मेरी आपसे यह मांग है कि यह विभागीय अधिकारियों को न नजर आ रहा है और न आएगा। क्योंकि अतिक्रमण पक्के हैं और हो सकता है इन अधिकारियों की भी कहीं-न-कहीं किसी कोई किसी प्रकार की मिलीभगत हो। इसीलिये नहीं दिख रहा हो, तो मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि एक कमेटी आप अलवर भरतपुर के पांच, छह, सात, आठ जो भी विधायक लगाना चाहें, जो इस पानी से प्रभावित हैं उनकी एक कमेटी बना दें और उसके साथ अधिकारियों को लगा दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, अच्छा सुझाव है। माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया अभी कि एक जगह पर पाइप रोक कर पानी निकालने से व्यवधान किया हुआ था उसको हटा दिया, उसकी सही तारीख कब हटाया, अभी मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूंगा। इसके अलावा, यह निश्चित रूप से बहुत पुरानी वियर है और बीस वर्ष से लगातार यह सिल्ट जमा हो रही है। इसमें सफाई की व्यवस्था नहीं होने से कुछ पानी के अन्दर व्यवधान हो सकता है और यहां पर 10 किलोमीटर लम्बी जो फीडर चैनल है बारावियर से जयसमन्द बांध तक इसमें भी सिल्ट जमा है और इसके लिये टैण्डर भी हमने किया है। एक बार तो टैण्डर आये, पर किसी ने वर्क आर्डर लिया नहीं। दूसरी बार नान-रेस्पोंसिव में टैण्डर होने की वजह से काम नहीं दिया जा सका। अब मैं माननीय सदस्य को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि यह जो सफाई की व्यवस्था है, यह जल्दी से जल्दी टैण्डर की शर्तों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो अधिकारियों की कमेटी बना कर करेंगे। पर टैण्डर रेस्पोंसिव हो और यह काम उठ जाए और काम होने के बाद में सफाई की व्यवस्था पुख्ता करवा दूंगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अगर किसी प्रकार से फिर भी टैण्डर में कोई ठेकेदार नहीं आये तो कोई न कोई सरकारी व्यवस्था करा कर के हम मशीनें मंगाकर के और यह काम करवा देंगे।

इसके अलावा, माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक एमएलए का ग्रुप बनाकर के तीन मैम्बर्स का और इस नहर के बारे में पूरा अवलोकन करके जो भी रिपोर्ट माननीय सदस्य देंगे उसके आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: आ गया आपका जवाब, आ गया है। श्रीमती अनीता, पूरक प्रश्न।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो चाह रही थी वह मंत्री महोदय ने कह दिया है। इसलिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष: सुरेश धाकड़, पूरक प्रश्न।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चंबल भीलवाड़ा जो परियोजना बनी है। उसमें हम वहीं से पानी ले रहे हैं। उसके 86 गांव एण्डायड विलेज हैं उनको इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि जो पाइप लाइन है वे वहीं

(श्री सुरेश धाकड़)

निकलने वाली है। उसमें एक मेरा निवेदन है क्योंकि वहां स्थिति ऐसी है हम लोग जाते हैं तो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ आदमी हमसे पानी मांगता है और नीचे पानी भरा हुआ है। पिछली सरकार ने राजनीतिक द्वेषतावश ऐसा नहीं किया है तो ऐसा सम्भव हो सकता है और प्रैक्टिकल में होना भी चाहिए। क्योंकि जहां से पाइप लाइन होकर के निकलने वाली है सम्भावित है तो उन लोगों को पानी मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पर्टिकूलर सवाल था और माननीय सदस्य का अलग सवाल है। यह आएंगे मैं इनको इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ की गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कें

128. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के क्रमश: 1. भदेसर चौराहा से बड़ी सादडी, 2. नाहरगढ़ चौराहे से शम्भुरा, 3. बोजुन्दा से सावा, 4. बस्सी से बिजयपुर, 5. विजयपुर से अभयपुरा, 6. चित्तौड़गढ़ से गिलुण्ड एवं 7. सतपुड़ा से नेतावल-नारेला सड़क मार्ग का निर्माण कब एवं किस फर्म द्वारा कराया गया एवं उक्त मार्गों के निर्माण कार्य में कितनी राशि व्यय किस-किस मद से किया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क मार्गों के निर्माण के पश्चात् इनके नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार पेचवर्क के कार्य में कब-कब किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़क मार्गों के निर्माण के पश्चात इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी व कितने समय सीमा के लिये निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सभी मार्ग गत पांच वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का वर्षा ऋतु से पहले नवीनीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में प्रश्न में वर्णित सड़कों का निर्माण वर्ष, निर्माण करने वाले फ़र्म का नाम एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों पर किए गए नवीनीकरण/जीर्णोद्धार एवं पेच कार्य पर व्यय की गई राशि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 एवं 3 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त सड़कों की निर्माण/नवीनीकरण की जिम्मेदारी संवेदक की प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एवं सी.आर.एफ. मद कार्यों के लिये पांच वर्ष तक है एवं अन्य योजनाओं में तीन वर्ष निर्धारित है। गारंटी अवधि वाली सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 के कालम संख्या 11 एवं 12 में अंकित है।

(4) जी नहीं। उक्त सड़कों की कुल लम्बाई 147.85 किलोमीटर में से 45.50 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का रखरखाव गारंटी अवधि में किया गया है तथा शेष 102.05 किलोमीटर लम्बाई में पेच मरम्मत कार्य किया गया है। इन सड़कों पर नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाहरगढ़ चौराहे से शम्भुरा इस रोड को 60 दिन की योजना में भी लिया गया। किन्तु इसका मुख्य नवीनीकरण नहीं हुआ। क्या सरकार इसका नवीनीकरण का विचार रखती है? भदेसर चौराहे से बड़ी सादड़ी यह रोड गारंटी पीरियड में फरवरी महीने तक और उससे पहले गारंटी पीरियड में भी यह रिपेयर नहीं हुआ और यह बहुत बड़ा एसडीएम हैडक्वार्टर को जोड़ता है। बड़ी सादड़ी को जोड़ता है, भदेसर को जोड़ता है और पांच वर्षों से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। जिससे इसकी दुर्दशा ने भयंकर रूप ले लिया है क्या सरकार इसका पुनर्निर्माण कराने की मंशा रखकर फण्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है? इसमें गारंटी पीरियड में कांग्रेस के बड़े ठेकेदार का ठेका था और एक महीने में टूटने के बाद में पांच साल कांग्रेस राज में बिलकुल ही इस रोड की रिपेयर भी नहीं हुई है। उनको कोई कहने वाला नहीं मिला है तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें रिपेयर नहीं हुआ और पूरी टूट गई इसकी गुणवत्ता के बारे में आप थोड़ा ध्यान दें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री युनुस खान)

माननीय सदस्य ने दो पूरक प्रश्न पूछे हैं एक भदेसर चौराहे से बड़ी सादड़ी रोड की बात कही है और दूसरी नाहरगढ़ चौराहे से शम्भुरा रोड की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भदेसर चौराहे से बड़ी सादड़ी की जो रोड है वह हमारी विलेज रोड है। और इस रोड में पिछले पांच वर्षों में लगभग 43.25 किलोमीटर में या तो नवीनीकरण हुआ है या सुदृढ़ीकरण हुआ है या इसकी मरम्मत हुई है। उसमें लगभग 13 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च हुए हैं। एक जो चेनेज है 14 से 22.50 को लेकर के बाकी जितने भी चेनेज हैं इस सड़क में वो वास्तव में गारंटी पीरियड में हैं और उस गारंटी पीरियड में अगर माननीय सदस्य की शिकायत है और वहां अभी-भी पैच वर्क करने के बाद में या उसके द्वारा मरम्मत करने के बाद में उसकी सड़क की स्थिति ठीक नहीं है तो उसको दिखवा करके हम ठीक करवा लेंगे। दूसरा माननीय सदस्य ने शम्भूपुरा से नाहरगढ़ की सड़क की बात कही जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है उस पर भी अलग-अलग चेनेज में अलग-अलग हैड में अलग-अलग समय में काम हुआ है और उसकी आपने शिकायत की है कि वो ठेकेदार जो भी है प्रभावशाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक द्वेष से कोई भी काम सरकार नहीं करती है चूंकि सड़क एक ऐसी चीज है जो अच्छी होनी चाहिए। उस पर कांग्रेस के लोग भी चलते हैं, बीजेपी के चलते हैं, हर जाति और धर्म के लोग चलते हैं। सड़क का निर्माण अच्छा होना चाहिए। संवेदक चाहे कितना ही प्रभावशाली हो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो माननीय सदस्य की इसमें शिकायत है इन दोनों सड़कों को दिखा भी लेंगे और अगर घटिया निर्माण हुआ है तो उसकी जांच भी करवा लेंगे और कार्यवाही की जरूरत पड़ी तो वो भी सख्ती से राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरा सवाल आ गया आपका। पूरक प्रश्न श्री बंशीधर बाजिया।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो ग्रामीण सड़कें तीन मीटर की चौड़ाई में बनाते हैं उनको 3.75 मीटर की चौड़ाई बनायें तो इन सड़कों के टूटने का आधा काम पूरा हो जाएगा। सैकिंड, एक बात और इसी के साथ ही, जो ठेकेदार द्वारा बर्म्स बनाई जाती हैं उसमें सही मैटेरियल नहीं डालने के कारण बर्म्स टूट जाती हैं और बर्म्स टूटने के कारण सड़क जल्दी टूटती है। (व्यवधान) इसका करने का विचार है क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, ये बात सही है अभी बस्सी से आने वाली माननीय सदस्या के पूरक सवाल के उत्तर में भी दिया था कि आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भी माइनिंग का काम या अन्य कामों की वजह से ओवरलोडेड व्हिकल चलते हैं और उनकी वजह से ये जो कम चौड़ाई की सड़कें हैं वे टूट जाती हैं और जो आपने बर्म की बात कही तो मैं आपको सदन के माध्यम से यह बताना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक विजन है कि राजस्थान सड़कों में माडल स्टेट बने इसीलिये ये जो बीस हजार किलोमीटर की सड़कें हैं इन्होंने उसमें न्यूनतम सात मीटर चौड़ाई और अधिकतम दस मीटर चौड़ाई करने की बात कही है। उसके अलावा भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विभाग को निर्देश दिया है कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली सड़कें हैं उनकी चौड़ाई भी ज्यादा रखी जाए साढ़े तीन मीटर से ज्यादा हो। इवन माननीय मुख्य मंत्रीजी की तो ये सोच है कि पहले फेज में हम ये बीस हजार किलोमीटर कर लें फिर हमारी जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं ओपीआरसी का काम है उसको कर लें और उसके बाद में अब जो नयी सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में बनें उनकी चौड़ाई भी हम वहां पर गुजरने वाले वाहनों की संख्या को देखते हुए अब एक पालिसी डिसीजन कर रहे हैं कि न्यूनतम कितनी होगी। जहां पर ट्रैफिक की संख्या दो हजार तक है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। दो हजार से पांच हजार व्हिकल चलते हैं उसकी कितनी होगी और उससे अबोव है तो कितनी होगी वह भी हम नीति निर्धारण शीघ्र ही करके घोषणा कर रहे हैं इसलिये ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है उसको बहुत गम्भीरता से सरकार ले रही है और उनका समाधान करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी सेम ऐसा ही है 141 नम्बर पर इसलिये मंत्रीजी उसका भी जवाब दे दें। सेम है और पिछले सत्र में भी इस पर आश्वासन था लेकिन एक इंच सड़क की रिपयेर नहीं हुई है और इसमें जो उत्तर दिया गया है चार सड़कों के बारे में और ये कर रहे हैं कि सड़कों की मरम्मत समय पर हो रही है? जी हां, कहा है इन्होंने जबकि नहीं हुई है दो साल में एक भी इंच रिपेयर नहीं हुई है आप देख लें साथ चल कर देख लें भले ही और अब जब प्रश्न लगा है तब जाकर के इन्होंने दीवारें गिराने की जो बात की है। तीसरी बात यह है कि जो परिशिष्ट

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

आपने दिया है उसमें 41 नम्बर, 42 नम्बर, 43 नम्बर और 63 नम्बर ये सड़कें आपने सही बताई हैं जबकि पूर्णतया क्षतिग्रस्त हैं और 22 नम्बर और 14 नम्बर के ऐसे रोड्स हैं जो कम्पलीट ही नहीं हुए हैं। ये धार्मिक सड़कें हैं लेकिन कम्पलीट नहीं हुई हैं दोनों सड़कें। इसी प्रकार से 9 नम्बर की जो सड़क है नगरपालिका शाहपुरा से जसवन्तपुरा ये भी पूर्ण नहीं हुई हैं जबकि इसमें सही दिखाया गया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये अब जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछले सत्र में भी इन सड़कों से जुड़े हुए सवाल किये थे और मैंने आश्वस्त भी किया था कि जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं उनका हम दुरुस्तीकरण करवाएंगे। आपने जो अपना सवाल है मूल रूप से 1594 नम्बर जो कि इसी से जुड़ा हुआ था आपने पूछ लिया तो मैं यह निवदेन करूंगा कि इन्होंने पूरी सड़कों की एक-एक की हिस्ट्री पूछी है उससे भी हमने आपको अवगत करा दिया कि कौन सी सड़क का कब निर्माण हुआ, कौन उसका संवेदक है और कब तक उसका गारंटी पीरियड है। आपने मुझे व्यक्तिशः भी मिल करके माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा है, उन सड़कों के बारे में शिकायत की है कि वे सड़कें गारंटी पीरियड में होने के बाद में भी उन लोगों ने न तो उसकी मरम्मत की और उन्होंने लिख करके भी दिया है तो शीघ्र ही उन सड़कों को उच्च अधिकारियों को भेज करके दिखवा लेंगे और इनकी शिकायत बार-बार नहीं आए, उसका पुख्ता इंतजाम कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिये सवाल महिला विधायक।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोजत विधान सभा क्षेत्र की स्थिति के बारे में माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: ये सोजत का अलग सवाल हो गया।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इसी से सम्बन्धित सवाल है।

श्री अध्यक्ष: क्या मंत्रीजी जवाब देंगे सोजत के बारे में?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, दे देंगे।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): मेरा निवेदन है कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में गांव-गांव और ढाणियों के बीच से जो रास्ते निकलते हैं चूंकि अभी बारिश का समय है और उन रास्तों के बीच में जो रपट बनाई गई है

(श्रीमती संजना आगरी)

क्योंकि जो छोटी-बड़ी नदियां भी निकलती हैं बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां बड़े-बड़े नाले हैं और उन नालों का बहाव बारिश के दिनों में बहुत ही तेज गति से चलता है तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जिन सड़कों का निर्माण हुआ है वहां पर अण्डर पाइप नहीं लगा कर इन सड़कों पर रपटें बना दी गई हैं जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि सहबास से बीजागुढा हम जाते हैं तो मेरे एरिया में बहुत बड़ा एक नाला आता है वहां बारिश के दिनों में लोग पैदल भी नहीं चल सकते वहां उस रपट के ऊपर काई जम जाती है जिससे आवागमन बाधित रहता है और कम से कम बीस से पच्चीस गांवों का आवागमन उस रास्ते से होता है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे रास्ते जहां पर बड़े नाले बने हुए हैं पानी के बहाव के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। तीन पुलिया ऐसी हैं कि वहां पर अण्डर पाइप लगा कर आप सही करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अब आपका निवेदन उन्होंने नोट कर लिया है। बैठिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): एक मेरा और निवेदन है माननीय मंत्रीजी, मैंने आपको अवगत कराया था कि हमारी गत सरकार में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेट हाइवे जो सोजत शहर से होते हुए रूपावास राजोला से जोधपुर तक बन रहा है उसको पिछले पांच वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने चूंकि यह हमारी सरकार के समय में स्वीकृत हुआ था इसलिये उसको अभी भी उसी हालत में छोड़ रखा है जहां पर कम से कम पचास एक्सीडेंट आज की तारीख में उस हाइवे पर हो गये हैं लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उस पर एक पत्थर तक नहीं लगाया। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि उस स्टेट हाइवे को आप बजट दिला कर पूर्ण करावें।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये। जवाब आ रहा है। आप विराज जाइये। जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। हां माननीय मंत्रीजी। इसके बाद एक सवाल और होगा कन्हैया लालजी का उसके बाद अगला प्रश्न लूंगा। पांच पूरक प्रश्न हो गये तीन के बजाय। जवाब आ रहा है उनका फिर आपका पूरक प्रश्न लेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत से आने वाली माननीय सदस्या ने बरसात के अन्दर नालों में रुकावट और जो चर्चा की है रपट की। ये बात सही है कि बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी आ जाता है, नाले छोटे होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, रपट भी आगे चली जाती है कई बार बहाव की वजह से। मैं तो पहले प्रार्थना यह करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि सड़क तो हम बना लेंगे, सड़क तो इतना बड़ा

(श्री युनुस खान)

विषय नहीं है हम भगवान से, अल्लाह से यह प्रार्थना करें कि एक बार जोरदार बारिश तो आए जिससे राजस्थान में जो अकाल की स्थिति बन रही है वह तो कम से कम नहीं हो इसलिये आपने जो विषय उठाया है बारिश आ जाए और इनकी समस्या का समाधान आपने दो दिन पहले इस विषय को मेरे को बताया भी है और मैंने एस ई को कहा कि यह देख करके रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दें।

दूसरा सवाल, इन्होंने सोजत से रूपावास और जोधपुर की बात कही उसमें मैं जरूर बोलना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़क वह सड़क है जो पूर्व मुख्य मंत्री जो 2008 से 2013 रहे उन्होंने इस सड़क की बार-बार घोषणा की ईवन बजट में भी घोषणा की और अगर अख़बारों की कतरनें हम विभाग की देखते हैं तो उन्होंने उसमें कहा है कि हम इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनायेंगे और इसको बड़ा बनायेंगे, चौड़ा बनायेंगे। ये सोजत का भी दुर्भाग्य रहा और जोधपुर का भी दुर्भाग्य रहा कि एक प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बार-बार घोषणा करने के बाद में और केन्द्र को लिखने के बाद में, इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था और इसका खामियाजा खाली सोजत और जोधपुर ने ही नहीं भुगता माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका खामियाजा पूरे राजस्थान ने भुगता। राजस्थान ने इसलिये भुगता कि दोनों, केन्द्र में जो इस विभाग के मंत्री थे वे और मुख्य मंत्री दोनों एक ही राजनीतिक दल से थे। उन दोनों के बीच में क्या राजनीतिक मतभेद रहे इसमें मैं नहीं जाना चाहता। आपको जैसा कि मेरी मांग में मैंने बताया कि केन्द्र में 33 सड़कें स्वीकृत की थीं उनमें 19 का आज तक काम शुरू नहीं हुआ। उनमें माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा भेजी हुई यह सड़क भी है लेकिन मैं सोजत की माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि अब सब कुछ परिवर्तन हो गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी प्राथमिकता में सड़कें हैं, विकास की दृष्टि से इस सड़क को हम प्राथमिकता पर लेकर इसका निर्माण करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: कन्हैयालालजी। इसके बाद नहीं, यह पांचवां पूरक प्रश्न है। नहीं अभी नहीं।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्षजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र बनास नदी से सबसे ज्यादा बजरी का खनन हो रहा है। जितनी भी ओवरलोड गाड़िया हैं, हाइवे पर हैं, दस गुणा टोल लेते हैं और वह सारी गाड़ियां मेरे ग्रामीण क्षेत्र की रोड है उनसे निकलती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री कन्हैयालाल)

करता हूं कि जिस तरह से दस गुणा टोल प्राइवेट सैक्टर वाले लेते हैं उन रोड्स पर अपन कितना ही पैसा लगाएंगे तो वह ठीक नहीं होगी तो इनके लिये अपने डिपार्टमेंट से, आपके विभाग से भी उनको कानूनन रोकने का कोई अधिकार देने का अपन विचार रखते हैं जिससे वह गाड़ियां...

श्री अध्यक्ष: आ गया विषय। विषय आ गया है, जवाब...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विभाग का काम....

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष: अलग से चर्चा कर लेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): छोटा सा निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष: आप अलग से चर्चा, नहीं, पांच पूरक प्रश्न आ गए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, पांच पूरक प्रश्न आ गए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इसमें हमको नीति बदलने की जरूरत है। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब भी मैं दे ही देता हूं। इनका जवाब भी दे ही देता हूं।

श्री अध्यक्ष: दे दीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर सवाल है। नेशनल हाइवेज की सड़कें जिस नोर्म्स से बनाई जाती हैं उसी भार का वाहन डिस्ट्रिक्ट की ओडीआर, एमडीआर सड़कों में निकलता है। हमारे पास उससे टोल वसूली की कोई पोलिसी नहीं है, इतना वज़न ढोने की कैपेसिटी उन सड़कों की नहीं है। उसका प्रभाव आम आदमी पर, गांव के आदमी पर पड़ता है, कि भारी वाहन माइनिंग से निकलता है गांव की ओडीआर, एमडीआर पर, नुकसान करता हुआ जाता है। हम उससे कोई टोल नहीं वसूलते। जैसे ही वह हाइवे पर आएगा तो उससे टोल वसूली हो जाएगी। नुकसान गांव के आदमी को भुगतना पड़ता है, इस बारे में गम्भीर विचार करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से व कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो विषय और विषय की गम्भीरता को उठाया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम सड़क निर्माण करना है। उस पर जो ओवरलोडेड व्हीकल चलते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने जो मोटर व्हिकल एक्ट 1988 बनाया उसमें उस समय की सड़कों में और आज की सड़कों में बहुत फर्क है। हमारे व्हीकल्स हैं उनकी बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत सुदृढ़ हो गई। सड़कें भी ठीक हुई हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई कम है और ट्रकों की चौड़ाई ज्यादा है, सामने अगर कोई व्हीकल मिलता है। तो यह जो माइनिंग से निकल कर ओवरलोडेड व्हीकल आते हैं वह सड़क को वास्तव में तोड़ देते हैं, यह बात सही है, यह शिकायत व्यावहारिक रूप से भी हमने देखी है । ग्रामीण क्षेत्र में आजकल छोटी-छोटी जगह पर या तो बजरी निकल रही है या कोई रोड़ी का प्लांट लगा हुआ है, या कई जगह ऐसी हैं जहां छोटे-छोटे माइनिंग में मार्बल भी निकल रहा है। तो वह व्हीकल ओवरलोडेड आते हैं जिसकी कैपेसिटी 9 टन होनी चाहिए वह 20-20 टन ले जा रहा है। जिसकी 18 टन होनी चाहिए वह 40 टन ले जा रहे हैं, तो उस सड़क की क्षमता भी उतनी नहीं है, वास्तव में टूट जाती है। ग्रामीण जनों की यह शिकायत रहती है कि माइनिंग तो अपनी जगह है लेकिन हम जिस सड़क को काम में लेते हैं वह टूट गई। इसलिये राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जहां-जहां भी माइनिंग हो रही है उनको हमने चिन्हिकरण कर लिया, पिछले तीन महीनों में विभाग ने एक्सरसाइज करके मंगवा ली है और जहां माइनिंग ज्यादा हो रहा है उन सड़कों पर हम नई टोल नीति बना कर उस सड़क का निर्माण चौड़ा करेंगे और जहां सीसी की जरूरत होगी, वहां सीसी करेंगे। पीपीपी माडल पर उन सड़कों का अलग चिन्हिकरण कर, चाहे वह 9 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है, छोटे-छोटे टुकड़े भी इस तरह से निर्माण करेंगे। मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि सरकार शीघ्र ही, मैंने मेरे जवाब में भी इसकी घोषणा की थी कि हम माइनिंग के लिये जो छोटे स्टेजेज हैं उनकी नई नीति बना रहे हैं, उसको शीघ्र ला रहे हैं। उसमें थोड़ा टोल हैवी जरूर होगा लेकिन वह सड़कें टूटें नहीं और ग्रामीणों को असुविधा नहीं हो उसकी व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा में निर्मित सार्वजनिक भवन

129. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र (पं.स. बिलाड़ा लूणी/मण्डोर) में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक/सार्वजनिक सभा भवन, दुकानें कियोस्क, विश्राम भवन, धर्मशालाएं/प्याऊ/हाल मय बरामदा, किसान भवन अम्बेडकर भवन, वृद्धाश्रम भवन बनाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कब-कब व इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई, योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन सार्वजनिक सरकारी भूमि पर ही बने हैं? यदि हां, तो उनके सरकारी भूमि पर होने का प्रमाण एवं पट्टा किस आधार पर बनाया गया, मय पट्टा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्मित भवनों का आधिपत्य/कब्जा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के पास है? यदि हां, तो उक्त भवनों को किस प्रयोग में लिया जा रहा है एवं नहीं तो क्यों, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक एवं कितनी राशि मरम्मत पर व्यय की जाएगी व नहीं तो क्यों, विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी हां। गत 5 वर्षों में जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र (पंचायत समिति बिलाड़ा/पंचायत समिति लूणी/पंचायत समिति मण्डोर) में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्य करवाये गये हैं। पंचायत समिति बिलाड़ा में 56 निर्माण कार्य, पंचायत समिति लूणी में 7 निर्माण कार्य एवं पंचायत समिति मण्डोर में 14 निर्माण कार्य करवाये गये हैं, जिनका विवरण क्रमश: परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त निर्माण सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर हुए हैं तथा वर्तमान में इन भवनों का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। निर्मित भवनों पर आधिपत्य/कब्जा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के पास है तथा निर्मित परिसम्पत्तियां ग्राम पंचायत के परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पंचायत समिति मण्डोर की ग्राम पंचायत जालेली फौजदारा में निर्मित राजकीय महाविद्यालय जालेली अहिचा में हाल मय बरामदा का कब्जा माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास है। इस भवन का उपयोग शैक्षिक कार्य हेतु किया जा रहा है। विवरण पंचायत समिति, मण्डोर से सम्बन्धित परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) प्रश्न के क्रम संख्या 1 पर उक्त वर्णित कोई भी भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने जो मुझे सूची दी है इस सूची में एक तो भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्र की बिलकुल ही, परिसम्पत्तियों में कहीं दर्ज नाम नहीं दिया है। इससे सम्बन्धित जो भी निर्माण हुए हैं कहीं पर तालाब की पाल पर हो गया, कहीं गोचर में हो गया, कहीं ओरण में हो गया, आगोर में हो गया तो उनके पट्टे बनाने का अधिकार भी उनके पास नहीं था। एक तो वह निर्माण हो गया उसकी सूची आपने मेरे को इसमें उपलब्ध नहीं कराई। इसी के साथ आरआईडीएफ में आपने सूची दी है इसके अन्दर क्रम संख्या 45 से 53 तक, इसमें जो किसान सेवा केन्द्र बनाए गए थे उसके पट्टे या उसके आधिपत्य का मेरे पास, इसमें आपने पट्टे या जमाबंदी की नकल संलग्न नहीं की और उसमें लिख दिया कि जहां राजीव गांधी केन्द्र बने हुए हैं उनके पास ही हमने किसान केन्द्र बनाए हैं। तो उनके पट्टे देने का या आधिपत्य का कोई सबूत भी पेश नहीं किया है। यह जान बूझकर रोका गया है क्योंकि वह सारे भवन जो बने हुए हैं वह प्रतिबंधित भूमियों पर बने हुए हैं। जान बूझकर इसको रोका गया है। दूसरा, मेरे को एक सूची दी है इसमें क्रम संख्या 25 पर ग्राम पंचायत हरियाड़ा में आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण का कार्य था वह अब पूर्ण भी है, उसके अन्दर उसकी भूमि की जमाबंदी दी गई है, तो उस जमाबंदी में यह लिखा गया है कि यह बारानी भूमि पर बनाया गया है। तो बारानी भूमि तो पंचायत की हो ही नहीं सकती। तीसरा, जेडीए के अन्दर, मेरे यह 13 पंचायत आई हुई हैं, इनके अन्दर गत 5 सालों में जो भी काम हुए हैं, क्योंकि वह जेडीए की भूमि थी, ...(व्यवधान) वह जेडीए की भूमि

(श्री अर्जुन लाल)

थी उस जेडीए की भूमि में पट्टा बनाने का सरपंच को कोई अधिकार नहीं था, फिर वह निर्माण कैसे हुए। इन तीन सवालों के जवाब दे दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी, मैंने प्रत्येक काम को, उसकी स्वीकृति की तारीख, पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, पूर्ण हुआ, पूरी सूची का एक पूरा, एक-एक काम के सहित उसकी डेट और उसका जो भी खर्चा हुआ वह भी मैंने उनको सम्मिलित किया। इनके विधान सभा क्षेत्र में 75 काम हुए हैं, उसमें से विधायक फण्ड से 40, सांसद फण्ड से 20 और अन्य योजना में 15 है। बिलाड़ा में 56 कार्य थे इनमें से सभा भवन 18 हैं, किसान सेवा केन्द्र 12, विश्राम गृह 7, कक्षा कक्ष 12, पुस्तकालय 3, दुकानें 3, प्याऊ 1 है। मण्डोर में जो कार्य इनके क्षेत्र में हुए हैं उसमें विधायक मद से 7, सासंद से 5 और अन्य से 12 हैं।

उसमें भी सबका, सभा भवन नौ, कक्षा कक्ष दो और चारा गोदाम एक। लूणी में जो काम हुए हैं, उसका भी मैंने इनको दिया है, विधायक मद से पांच, सांसद मद से दो। इन सात कार्यों में क्या-क्या हुआ। पांच सभा भवन बने हैं और दो कक्षा कक्ष बने हैं। मेरे रिकार्ड के अनुसार, जितना भी...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। आप विराजिये।

(12.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी अनुमति है?

श्री अध्यक्ष: पूरी अनुमति है।

अनुरोध एवं मांग

प्रतिपक्ष की बात पूरी सुने जाने का अनुरोध

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं। कल यहां पर विधान सभा के अन्दर प्रश्नकाल के दौरान कृषि और पशुपालन मंत्रीजी चारे के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। आपने व्यवस्था दी, मैंने प्रश्न किया। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया। सांगानेर से आने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्व के अन्दर गायों के चारे के लिये, गौशालाओं को अनुदान दिया। काफी सवाल आये। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपने कहा कि 12 प्रश्न आ गये हैं और मैं इसके ऊपर आगे प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा। पूर्व में महत्वपूर्ण प्रश्नों के मामले में इसी सदन के अन्दर, इसी विधान सभा के अन्दर मुझे याद है 40-40, 50-50 मिनट तक, एक ही प्रश्न के ऊपर मंत्रियों ने सप्लीमैंट्रीज के जवाब दिये हैं । मैं स्वयं 80-85 के बीच में सिंचाई मंत्री था। स्वर्गीय भैरोंसिंहजी का प्रश्न था, नाथपा झाकरी के बारे में। पूरे 59 मिनट लगे। मैंने जवाब दिया था। स्वर्गीय परसरामजी मदेरणा उधर से तब मंत्री नहीं थे। उन्होने भी नाथपा झाकरी के बारे में बहुत सप्लीमेंट्री किये। It was a pin drop silence. न कहीं बाधा, न व्यवधान, क्योंकि दो इतने बड़े नेता प्रश्न पूछ रहे थे तो मैंने पूरे 59 मिनट तक उस प्रश्न का जवाब दिया था। कल का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्योंकि मंत्री महोदय ने जब यह फरमाया कि 60 और 64 के नियमों के तहत जब तक गिरदावरी नहीं हो जाएगी, तब तक गौशालाओं के लिये गायों के चारे के लिये अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं है। इस पर मैम्बर्स का इरिटेटेड होना, उधर के मैम्बर्स भी एजिटेटेड थे, इधर के मैम्बर्स भी एजिटेटेड थे। जब इधर से प्रश्न किये गये तो आपने यह व्यवस्था दी कि 'अंकित नहीं होगा', 'किसी का अंकित नहीं होगा'। इसी दौरान नेता, प्रतिपक्ष कुछ अपनी बात कहने के लिये खड़े हुए। उसी बीच में लालसोट से आने वाले सदस्य ने एक मुद्दा और उठा दिया। दोनों मुद्दे मिल गये। जब नेता, प्रतिपक्ष को एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ता है। जब वह कुछ कहने लगे, आपने उनको भी बैठा दिया। इसके ऊपर हमारे मैम्बर्स का एजिटेटेड होना बहुत स्वाभाविक था।

मेरा आपसे निवेदन है कि अंकित न हो, अंकित न हो, पूरी बात सुन लें। यह आपका अधिकार है। आपको नियमों से सदन चलाना है। आप उसको अंकित नहीं करने देंगे और हमको अपने इस कमजोर विपक्ष को, मैं कहता हूं, हमारा संख्या बल कम है। अगर आप हमको अपनी बात कहने का, यह सुखरामजी हैं, सांचौर का मामला है। इतनी बड़ी, यह एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है। उसके बारे में कोई बात कहना चाहते थे। वह भी खड़े हुए। उसी के बारे में जब आपने उनको अलाउ नहीं किया तो नेता, प्रतिपक्ष अपनी बात कहना चाहते थे। आपने उनको भी अलाउ नहीं किया। अब नेता, प्रतिपक्ष का एक सम्मानजनक स्थान है। अगर आप दो मिनट अपनी बात कह लेने देते, स्वीकार करना, न करना, वह आपके हाथ में है। अगर आप वह बात कह लेने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

देते तो शायद इतना कल यहां पर इतना सदन में गतिरोध उत्पन्न नहीं होता। इसलिये भविष्य के लिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रश्न, बात सुन लें, उसके बाद आप उलाउ करें, डिस-अलाउ करें। आप बैठ जाइये, अंकित न हो, अंकित न हो, इससे सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और सदन के अन्दर अव्यवस्था होना स्वाभाविक भी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य के अन्दर आप हमारी बात को पूरी सुन लें, विपक्ष की बात को। उसके बाद जो भी आप निर्णय लेंगे, शिरोधार्य होगा। यही मेरा आपसे निवेदन करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया कि कल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। उस पर और अधिक चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 49 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। नियमों का नियम 49 यह कहता है कि अध्यक्ष आधा घण्टा ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिये नियत करेंगे जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त नियम है। इन नियमों के अन्दर अगर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कोई बात उठाएं तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपका ध्यान नियमों और प्रक्रिया के नियम 272 (10) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पालनीय नियम, अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है कि अध्यक्ष को हटाने के मूल प्रस्ताव के माध्यम को छोड़ कर उसके आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा। कल जिस प्रकार का आचरण प्रतिपक्ष कर रहा था। मैंने पहली बार देखा, अध्यक्ष महोदय, मैं भी लगातार छठी बार विधान सभा में आया हूं। अध्यक्ष को इंगित करके, अध्यक्ष की मनमानी नहीं चलेगी, आसन पर सीधा आक्षेप लगाना, मैं समझता हूं, यह नियम और प्रक्रिया हमारे दोनों के लिये है। हम एक लक्ष्मण रेखा में बंधे हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का। वह लक्ष्मण रेखा खींचने का काम, अध्यक्ष महोदय, आप करेंगे। मैंने दोनों नियमों का हवाला दिया है। एक नियम के अनुसार आपके आचरण पर आक्षेप नहीं हो सकता। दूसरे नियम के अनुसार, अगर इनको किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो आधे घण्टे की चर्चा में आयें। तीसरा विषय मैंने यह निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय कि जब आसन को ही पक्षपातद्रोही मान लिया गया और इस प्रकार की बात कहें, यह बात भी नहीं हो। यह मेरा निवेदन है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था दें। अध्यक्ष महोदय, जब ऐसी सप्लीमेंट्रीज ज्यादा आती हैं तो कई बार आसन स्वयं कह देता है कि इसके ऊपर आधे घण्टे की चर्चा मैं अलाउ कर दूंगा, आप आ जाइये। कई दफा हुआ है इस सदन में, आप निकाल लीजिए कि अध्यक्ष की स्वयं की व्यवस्था हो जाती है कि आधे घण्टे की चर्चा में इस पर अलाउ कर दूंगा। लोग आम तौर से बात को स्वीकार कर लेते हैं। कल यहां पर जो हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आपने उसको अंकित नहीं करने की बात की। मैं उन बातों को दोहराना भी नहीं चाहता हूं। आपने स्वयं ने प्रोसीडिंग से सारी बात निकाल दी थी। उन बातों को दोहराने से फिर रिकार्ड के ऊपर आएंगी। मैं इसलिये उन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन भविष्य के अन्दर इन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो मैं आपसे यह चाहता हूं कि आसन को उदारतापूर्वक एक-दो सप्लीमेंट्रीज विपक्ष अगर पूछता है दो-चार तो आप अगर वह भी अलाउ कर दें तो वह उससे बेहतर होगा कि अंकित न हो, अंकित न हो। आप दो की जगह एक को कर दें, तीन को कर दें। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न, कोई साधारण प्रश्न हो, जिसका महत्व पूरे राजस्थान से नहीं जुड़ा हो, तब तो बात समझ में भी आती है कि आपके इलाके का मामला नहीं है, स्पेसिफिक एक इलाके का मामला है। आप काहे के लिये इसमें पंचायती कर रहे हैं। जहां पूरे स्टेट की बात हो, पूरे राज्य की बात हो तो पक्ष और विपक्ष, दोनों के सदस्य, उस पर प्रश्न पूछना चाहेंगे, सप्लीमेंट्रीज प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य के अन्दर इन चीजों की पुनरावृत्ति न हो। यही मेरा आपसे अनुरोध है। इसके बारे में आप जो भी व्यवस्था देंगे, हम स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आभारी हूं कि राजाखेड़ा के माननीय विधायक ने एक महत्वपूर्ण विषय आज उठा लिया। कल यहां जोर-जोर से नारे लगे, पक्षपात है, पक्षपात है, हिटलर है, तानाशाही है। न मालूम क्या-क्या यहां पर कहा गया। एक विधायक तो यहां से वहां तक सारे प्रांगण में इस तरह चल रहे थे, जैसे कोई कुश्ती करना हो और कोई किसी तरह का...। मैं यह बात शुरू में कहना चाहता हूं, माननीय विधायक आपने भी मेरे से इजाजत चाही थी कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। अगर मैं आपको बोलने की इजाजत देता, प्रतिपक्ष के नेता ने भी चाही थी इजाजत कि ये कुछ बोलना चाहते हैं। उस वातावरण में आप बोलते तो क्या आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती। जो वातावरण खड़ा किया आपके विधायकों, कांग्रेसी सदस्यों ने, उस वातावरण में अगर प्रतिपक्ष के नेता को मैं बोलने देता तो क्या इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती। हाउस आर्डर

(श्री अध्यक्ष)

में नहीं था। हंगामा हो रहा था, हुड़दंग मच रहा था। आपने रोकने की कोशिश की। मैं आपकी तारीफ करता हूं। लेकिन आपको जबरदस्ती पार्टी अनुशासन के मामले में यहां लाकर खड़ा कर दिया गया। आप नहीं गये, नारायणसिंहजी भी नहीं गये। कुछ और विधायक भी नहीं गये। प्रतिपक्ष के नेता को भी पकड़ कर लाकर इनके मुंह में नारे डाले गये। मैं यहां बैठा-बैठा देख रहा था। क्या आप इस सारे कंडक्ट को ठीक समझते हैं। मैं आज माफी चाहता हूं। मेरे पर पक्षपात का आरोप लगा। मैंने पक्षपात किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये। मैंने पक्षपात किया है। कहां-कहां किया है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सारे सदन को मालूम होना चाहिए कि आज तक मैंने पक्षपात किया है। आइन्दा मैं पक्षपात नहीं करुंगा। लेकिन मालूम होना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता, आप पधारे थे मेरे यहां राज्यपाल के अभिभाषण से पहले। मैंने कहा था कि दो भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक भाषण सदन के नेता का और एक भाषण प्रतिपक्ष के नेता का। और मैंने आपसे यह वादा भी लिया था कि सत्ता पक्ष आपके भाषण में, दो घंटे तक आप बोलें, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। राजेन्द्रजी राठौड़ से और हमारे मुख्य सचेतक से मैंने यह चर्चा कर ली थी कि अपने सदस्यों को प्रतिपक्ष के नेता का साथ देना चाहिए, जिस समय वे बोलें।

एक वादा आप करके गये थे कि सदन की नेता बोलेंगी तो उस समय कोई नहीं बोलेगा आपके पक्ष का आदमी। किसी ने मानी आपकी बात? अपने आपको नेता कहते हो, यह वादा आपने मेरा साथ किया कि नहीं? यह पक्षपात था मेरा कि मैंने यह बात कही।

दूसरा पक्षपात, मैंने जब समय का निर्धारण किया था, उस समय साफ कहा था इस पक्ष के विधायकों को कि भाई, देखिए, इतना ही बोलिये जितना आपके विधायकों का अधिकार है और जितना ये यहां पर जो है, समय निर्धारित किया गया है, यह यहां पर ही नहीं, सारे देश की विधान सभाओं में, लोक सभा में यह प्रणाली है कि विधायकों की संख्या के हिसाब से उनका समय निर्धारित कर दिया जाए और मैंने साफ तौर से उस समय चेतावनी भी दी थी लेकिन प्रतिपक्ष के विधायक अपने निर्धारित समय से कई गुणा ज्यादा बोल लिये और प्रतिपक्ष के नेता के बोलने का कोई अधिकार नहीं था। इनका

(श्री अध्यक्ष)

समय खतम हो चुका था। मैंने पक्षपात किया कि प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे और 55 मिनट तक बोले यह और दूसरे विधायक भी बोले। पक्षपात किया न मैंने? मैंने पक्षपात किया है? वह कहां है आज? किराड़ीलालजी नहीं आये थे, तीन दिन पहले? कल तो शेर की तरह यहां पर यूं-यूं खिल रहे थे। तीन दिन पहले मेरे चैम्बर में आये। चैम्बर में आकर कहा कि मैं एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं। मैंने कहा बोलिये। कि आज आप बेनीवालजी को बोलने का मौका दीजिए। मैंने कहा नहीं दूंगा। निर्दलीय सदस्य हैं। जितना दूसरे निर्दलीय सदस्य को दूंगा, तो मैं आपके भी, तो जो किराड़ी लालजी यहां पर शेर की तरह थे, उनका एक्शन देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं। दस मिनट दे दो। मैंने कहा कि मैं दस मिनट इस शर्त पर दूंगा कि आपका विधायक सीमा में बोले और कोई अतिक्रमण नहीं करे, यह आप वादा करके आये थे मेरे से। लेकिन यहां पर न तो वह दस मिनट की सीमा रही। मैंने पक्षपात किया था न? उनका समय नहीं था। किरोड़ीलालजी के कहने से, जो यहां पर कई तरह के मेरे पर आरोप लगा रहे थे और इसलिये अब मैंने कसम खाई है, शपथ ली है, न्यायोचित कार्य करूंगा और इस न्यायोचित व्यवस्था देता हूं क्योंकि इतना पक्षपात मैंने किया जिसके नारे यहां पर लग गये। यह नारे तो मैं 60 साल से लगा रहा हूं और 60 साल से लगाता हुआ मैं यहां पर पहुंचा हूं। नारों से मुझे डराया नहीं जा सकता। इसीलिये और किसी कारण से नहीं डराया जा सकता। आपकी जो कार्यवाही करनी हो, वह कराया जाता है। एक मामला, नान इश्यू को यहां पर बार-बार उठाया जाता है। यह कैसे बोलेंगे? यह कैसे बोलेंगे? मैंने मान्यता दी है, मंत्री हैं। आपको यह अधिकार दिए हैं कि मेरी मान्यता को कोई रोक सके?

इसलिये माननीय सदस्यगण, आज मैं बिलकुल निष्पक्ष होने की घोषणा करता हूं और 100 मिनट में जो बहस होगी उस 100 मिनट में 8 सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोलेंगे, आज के बाद एक विधायक कांग्रेस की ओर से बोलेगा और एक विधायक सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष-कांग्रेस, इनके बाद जो बचते हैं उनमें से बोलेगा। यही रिपीट किया जाता रहेगा। यह मेरी पक्षपात-रहित कार्यवाही होगी और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बड़ी शालीनता से मेरे पर आरोप लगा दिए। आप कितने साल से जानते हैं मुझे? मैं गुंडा हूं? यहां पर मेरे खिलाफ नारे लगाये गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): किसने गुंडा कहा है साहब, आपको?

श्री अध्यक्ष: यहां कहा है। सरासर कहा है। आपने नहीं सुना होगा, उस शोर में। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि यह मुझे, आपने लगाया नारा। मैं तानाशाह हूं? तानाशाह यह है। आपको कह देना चाहता हूं सबको, सुन लीजिए एक के बाद एक कि इसके अन्दर जो है वह अधिकार है। वह अधिकार अगर तानाशाह के हैं तो आपने ही दिए हैं। वह अधिकार यदि हिटलरशाही के हैं तो आपने दिए हैं। जब तक यह अधिकार मेरे पास हैं, इन अधिकारों का प्रयोग करूंगा और करता रहूंगा। मैं डरता नहीं हूं। आज साफ कह देना चाहता हूं आप सबसे कि यहां जो +++ लोग यहां आकर बैठ गए। नारे लगाने लग गये। आपने रोका, रुके? आपने रोका, रुके? नारायण सिंहजी ने रोका, रुके? है क्या आपका? इस पार्टी में हैसियत क्या है आपकी? वरिष्ठ सदस्य हैं आप। आपका कहना, हाथ खड़े करते ही सबको चले जाना चाहिए। ये नेता हैं, इनके हाथ यूं करते ही चले जाना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप विराजिए, साहब।

श्री अध्यक्ष: मैं विराजूंगा नहीं, अब आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा, आप बोल चुके।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात है क्या, आसन से यह फरमाने की बात शोभा देती है क्या, +++ बोलना? यह बिलकुल गलत बात है।

श्री अध्यक्ष: हां, दे दी है मैंने रूलिंग। नहीं मानना हो तो जाओ। क्या मतलब है? +++ लोग यहां पर नारे लगा रहे थे कि हिटलर है, तानाशाह है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप तो अनुशासनहीन हो गये हो। आप आपके नेता की बात नहीं मानते हो। आपकी पार्टी की बात नहीं मानते हो। आप नेता से विहीन हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको कोई नेता मानता है क्या?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप किस रेफरेंस में बोलते हो, आपमें अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपको कोई नेता मानता है क्या? तीन-चार बार ऐसी बातें हो चुकी हैं। आपने दस बार कहा है इनको कि चले जाओ। मैं देख रहा था कि एक ने आपकी कोई बात नहीं मानी। फिर उलटा आपको उठा कर लाकर आपके मुंह में नारे दे रहे थे कि यह लागाओ। यह लगाओ। यह तो हालत है आपकी। क्या मजाक है?

(श्री अध्यक्ष)

मैं इस विधान सभा को विधान सभा की तरह चलाऊंगा, मछली-बाजार नहीं बनने दूंगा और यहां पर सब्जी मार्केट नहीं बनने दूंगा। गुंडा तो गुंडों की तरह ही, यहां पर यूं-यूं करने वाले, तीन बार आपके वह आया, ये, ये, ये ...(व्यवधान) मैंने कहा ये जो तीन दिन पहले तो यूं कर रहा था और आज वाह रे पहलवानी क्या चमकी? इसलिये मैं कार्यवाही चलाऊंगा। अब किसी को ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब क्या बोलेंगे आप?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अनुमति दें आप। आज आप क्रोध में तो सुनना ही नहीं चाहते। आप विराजिए। कृपया आप विराजिए। मैं आपसे, आप सुनेंगे तो आप प्रसन्न होंगे। आप विराजिए।

श्री अध्यक्ष: मैं प्रसन्न होऊंगा?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, निश्चित।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, तब तो बोलो। मुझे प्रसन्न करने के लिये बोल रहे हैं, मेरी न्यायपूर्वक दी गई रूलिंग के ऊपर बोल रहे हैं, बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रूलिंग पर नहीं। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके लिये खुदा भी आसमां से जब जमीं पर देखता होगा, कैलाश मेघवाल को किसने बनाया सोचता होगा।

श्री अध्यक्ष: वैरी गुड। हां, अब आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी आपका यह रौद्र-रूप, आसन का नहीं देखा। मैं जानता हूं कि आपकी भावना आहत हुई। यह जो आप किताब का हवाला दे रहे हैं इसमें कभी रिलेक्सेशन का भी एक अधिकार अध्यक्ष को है। अब आप सुनें। आप आराम से बैठें। अब आप यूं आराम से विराजें। हां। अब आप आराम से विराजें। आपका ब्लड-प्रेशर ऊपर-नीचे हो रहा होगा।

श्री अध्यक्ष: मेरे स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल है। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आपका ब्लड-प्रेशर ऊंचा, मैं इसको नीचा लाना चाहता हूं, बहुत ऊंचा चला गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जब खुदा ही नहीं समझ पाया तो आप क्या समझोगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक रिलेक्सेशन का अधिकार भी है। है न?

श्री अध्यक्ष: रिलेक्सेशन के जो पात्र हों, उनको रिलेक्सेशन दिया जाता है। कुपात्रों को नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, सुनिए। आज तो आप बहुत ही, हम आपसे कहते हैं कि आपको रिलेक्सेशन का अधिकार है इसके अन्दर। बहुत से ऐसे मौके आये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके जैसे नेता बोलेंगे तो मैं एक घंटा दे सकता हूं। आप साफ बोलते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप इतना बोल लिये, थोड़ी देर आराम तो करें आप। आसन को आराम की आवश्यकता भी है। ऐसा थोड़े ही है कि आसन को आराम की आवश्यकता नहीं है। आप इतना बोल लिये। मैं आपसे निवेदन करूं कि इसमें रिलेक्सेशन के पावर भी हैं आपको। इसीलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप लीजिए। यह किताब आपकी है। आप लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, हां, हमारी किताब है। बिलकुल किताब है। इन नियमों से सदन चलेगा और उसमें रिलेक्सेशन का भी अधिकार है अध्यक्ष को, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं पार्लियामैंट्री अफेयर मिनिस्टर से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनका बहुत अनुभव है विधान सभा का। यह रूल जो कोट कर रहे थे, इनमें भी रिलेक्सेशन है। मैंने आपसे कहा था कि जब आसन को ऐसा महसूस होता है कि इस पर सफिशिएंट डिस्कशन नहीं हो सकता क्वेश्चन के माध्यम से, आप आधे घंटे की चर्चा अलाउ कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदस्य भी मांग कर सकता है, यह भी बोलिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सुन लें, साहब, आप। आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष: साथ में यह भी बोलिये कि सदस्य भी मांग कर सकता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज समस्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज समस्या ही यह हो रही है कि आप बिना सुने ही किसी बात को 'अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, बैठ जाइए,' इससे सारी समस्या है। अगर मैंने आपसे कई बार निवेदन किया कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दो बार अंकित कीजिए इनका। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आसन को यह कहने का अधिकार नहीं है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप समझते नहीं हो। नहीं, मेरा यह निवेदन है। मैं क्षमा चाहूंगा। आसन सर्वोपरि है। यह अधिकार नहीं है। आसन सिर्फ आपका ही नहीं, हमारा सबका है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं माफी चाहूंगा। मैंने कहा न कि मैं विद्-ड्रा कर रहा हूं न। मैं विद्ड्रा कर रहा हूं न। निकल गया होगा कोई मुंह से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विद्-ड्रा कीजिए। हां।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी कोई दुर्भावना नहीं है आसन के प्रति। आप प्रोवोक करके यह जताना चाहते हैं कि मेरी कोई दुर्भावना है। ऐसी मेरी कोई दुर्भावना किसी के लिये नहीं है। आसन के लिये ही नहीं, किसी के लिये भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपके बारे में मेरा भी ऐसा विचार नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो फिर आप कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको रिलेक्सेशन का अधिकार है। यह बात भी निश्चित है कि हमारी पार्टी का समय समाप्त होने के उपरांत भी आपने नेता, प्रतिपक्ष को अवसर दिया। उस पद की गरिमा को देखते हुए आपने उनको बोलने का मौका दिया। पूर्व में भी हुआ है कि आप निर्दलीय सदस्य हैं, या अन्य छोटे दलों के सदस्य हैं, उनकी समय सीमा पांच मिनट-दस मिनट होती है, आसन उदारतापूर्वक उनको ज्यादा बोलने का अवसर दे देता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने पक्षपात नहीं किया बल्कि आपने उदारता का परिचय दिया है। आप जो बार-बार कहते हैं कि मैंने पक्षपात किया। आपने उदारता का परिचय दिया है और आसन को उदार होना भी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आरोप लगाया है इन्होंने। माननीय विधायक ने कहा पक्षपात किया है, तो क्या पक्षपात किया?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बात को सुन लीजिये। मेरा निवेदन सुन लें। अगर आप सुन लिया करें तो यह नौबत ही नहीं आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फिर आक्षेप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जारी रखिये, जारी रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फिर आक्षेप। मैं कहूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री, आप विराज जाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इनको बिठा दिया मैंने, आप जारी रखिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं बोल रहा हूं, आप बीच में खड़े हो गये। अब आप एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, माननीय। मैं अब आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने उदारता का परिचय दिया। आपने एक बात और कह डाली यहां पर कि सदन की नेता बोल रही थीं, पीसफुल भाषण था। एकाध सवाल पूछने की चेष्टा की, बाकी किसी ने नहीं पूछा।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल के भाषण पर रिकार्ड नहीं किया जाए, बायकाट किया था आपने। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरे समझ में नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल के समय का रिकार्ड देख लिया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप मेरी बात सुन लें। मेरा जहां तक खयाल है मुझे ध्यान है, नहीं किया। मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस गुस्से को आप अलग छोड़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष: पी जाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पी लीजिये और जैसे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने आदेश किया, पी गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप जैसे पूर्व में आसन को हमेशा प्रतिपक्ष के प्रति उदार रहना पड़ेगा और आपका काफी, आप हंसे हैं आज पहली दफा। आज पहली दफा जीरो आवर में आप हंसे हैं, तो आप ऐसे ही हंसते रहिये और हमारी बात सुनते रहिये और आपसे एक ही निवेदन है मेरा कि आप जो बार-बार, आप बात सुने बिना अंकित नहीं होगा, बैठ जाइये। अंकित नहीं होगा बैठ जाइये। अंकित नहीं होगा बैठ जाइये। इस अंकित शब्द को आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी श्रीमान्, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आगे का बिजनस लिया जाये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीने की बात कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि गुस्सा पी गया। थोड़ा-थोड़ा पीया करें, एक साथ ज्यादा मत पी लेना आप।

श्री अध्यक्ष: यह खुराफाती भाषण है आपका। आप बोलिये। आपने खुराफाती भाषण दिया है, मैं समझ गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की तरफ से वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जो बात रखी, उसमें आपने जो जवाब दिया, हम संतुष्ट हैं। हमारी तरफ से सदन का पूरा मान-सम्मान रखकर अपन सदन को चला सकते हैं और आसन की गरिमा है। उस गरिमा को हम भी जानते हैं। हमें गरिमा को बनाये रखना है और हम बनायेंगे तभी यह सदन चलेगा। आपने जिस तरीके से गुस्सा किया, हमारा छोटा दल है, आपको उदारता रखनी चाहिये। आपने पहले जो हमें बताया कि जब गवर्नर के अभिभाषण पर जो चर्चा चली, नेता सदन के पहले मैं बोला, आपने पूरी उदारता दिखाई, सहृदय हम सब बैठ कर जिस तरह से आपके प्रति हमने चर्चा की, आपने निष्पक्ष होकर उस वक्त में सदन चलाया। हम इस चीज को मानते हैं। आज यदि सदन के अन्दर प्रतिपक्ष नहीं होगा और कहीं सरकार यह तो नहीं है, कोई ऐसा आदमी तो भगवान ने नहीं गढ़ा कि वह ठीक ही ठीक काम करेगा। सरकार से भी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को प्रतिपक्ष नहीं उठायेगा तो फिर सरकार को भी पता नहीं लगेगा। प्रतिपक्ष का एक अहम रोल है और उसमें आपने इस चीज को पहले माना था, लेकिन उसके बाद में जब बजट पर चर्चा हो रही थी। बहुत ही अच्छी सोच के साथ बजट की चर्चा हुई। उस बजट की चर्चा में आपने सभी पार्टियों का समय तय कर दिया। हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारे जितने सदस्य हैं, हमारा जितना दल है, उतना हमें समय मिला। समय मिलने के बाद में, मैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आपने मुझे उदारता दिखाकर, कि आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया, आपको हम बोलने का मौका देंगे, लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ दस मिनट आपसे निवेदन कर रहा था कि दस मिनट का मुझे समय दो, उसमें कई ऐसे इश्यूज थे, उनके बारे में चर्चा करना जरूरी थी, क्योंकि वे जनता के हित में थे। आपने समय नहीं दिया, मैं बैठ गया। बैठने के बाद में जिस तरह से कल जो बात हुई, उसमें हमने यह निवेदन किया था क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से 12 माननीय सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे, हमने आराम से सुना। हमारी तरफ से एक गम्भीर जो समस्या है, जो पथमेड़ा गौशाला की थी और गायों की बात चल रही थी और गायों के बारे में हम सब चिन्तित हैं और उस समय हमने यह निवेदन किया। मैंने आपसे

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

समय मांगा और कहा कि एक मिनट का समय माननीय सदस्य को दिला दें। आपने यह भी स्वीकार किया कि मैंने पक्ष किया है, तो यह कहां का न्याय है? यदि सदन में आसन यह कहे कि हमने पक्ष किया है तो यह तो अच्छी बात नहीं है। आपका हम आदर-सत्कार करते हैं। यह सबका आसन है। मतलब खाली कोई सत्ता पक्ष का नहीं, पूरे सदन का आसन है और उस आसन के द्वारा यह कहा जाये कि मैंने पक्ष किया है तो यह हमें थोड़ा-सा चुभती हुई बात है।

श्री अध्यक्ष: आरोप लगाया पक्षपात का।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो हुआ। हम इस चीज को अच्छा नहीं मानते। हम इसको बिलकुल अच्छा नहीं मानते।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) कल प्रश्न काल के बाद इतनी लम्बी-चौड़ी डिमाण्ड पर बहस हुई, आप उसमें कुछ बोलते, पधारते। आपने बहिष्कार कर दिया, उसके बाद तो आते। आपने पूरे दिन आकर आपने कोई भाग ही नहीं लिया इस चर्चा में।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका तो पूरा समय है। सारा कुछ आपको करना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय, कृपया शांत रहिये। प्रतिपक्ष के नेता को सुनिये, कृपया शांत रहिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने भी उस वक्त में हम वहां बैठे थे, आप यहां बैठे थे। उस वक्त में भी बात चली थी। आसन पर आपने भी अंगुली उठाई थी। उठाई थी, प्रोसिडिंग को देख लो। उसमें आपने भी उठाई थी। यहां रात और दिन धरना लगा था। सारा कुछ हुआ था। लेकिन उस हिसाब से आपके द्वारा, आसन के द्वारा हम यह कभी उम्मीद नहीं करते थे कि हमें +++ के रूप में बताया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह सब आसन के लायक नहीं है। इसलिये हम निवेदन करेंगे कि प्रोसिडिंग में इस बात को जो +++ शब्द है, उसको निकाला जाए। हम छोटे रूप में जरूर आए हैं। हमारा छोटा दल है। जनता का मेन्डेट है। राजस्थान की जनता ने मेन्डेट दिया है। आप 163 के अन्दर आये, लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिये कि राजस्थान की जनता के कहीं हित की बात हो, उसमें सदन को एक रहना चाहिए। उसमें कई गलतियां आपसे भी होती हैं। उन गलतियों को छिपाने के लिये उसमें कई और

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
गलतियां होती हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमें प्रोटेक्शन कौन देगा? कौन देगा हमें? प्रोटेक्शन आप देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रोटेक्शन यह किताब देगी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसी के तहत सारे बंधे हुए हैं। इसी संविधान के तहत पूरा सदन बंधा हुआ है। इसके बाहर अपन जा नहीं सकते। हम भी छोटी-मोटी क्लास में पढ़े हैं। इस संविधान को जानते हैं। इस संविधान के अन्दर रह कर और काम करते हैं। प्रजांतत्र राज में अपनी बात कहने का अधिकार हर माननीय सदस्य को है। जनता ने हमें चुन कर भेजा है और जनता के हित की बात करना हमारा अधिकार है। इसलिये आप मेरा, अध्यक्ष महोदय, विशेष निवेदन है कि आप गुस्सा नहीं करें। हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने अच्छी बात कही। लेकिन आप गुस्सा आने के बाद आपको भी पता नहीं लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गुस्से में ऐसा ही होता है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप बहुत शालीन विचारों के हैं। मैं आपके साथ रह चुका हूं छोटे भाई की हैसियत से। आपने हमेशा हमारे पर प्रेम रखा, लेकिन अब आपकी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब सद्भावना के साथ इस सदन की कार्यवाही चालू करते हैं। अब अगला बिजनस चालू करते हैं। सम्पूर्ण सद्भावना, विधान सभा के सारे सदस्यों की सद्भावना के साथ इतने अच्छे विचार आपने रखे, उनका स्वागत करते हुए अपन इस सदन की कार्यवाही आगे बढ़ायें। धन्यवाद।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : +++ शब्द वापस निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: मैं इसको देख लूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): +++ शब्द आ गया है इसमें। +++ कह दिया।

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया? किसके लिये?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): प्रतिपक्ष के लिये +++ कह दिया। सबके लिये कह दिया, आपके लिये भी कह दिया। माननीय सदस्यों के लिये कह दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, बिना पूछे मत खड़े होइये। बैठ जाइये। (व्यवधान) अभी तो इतने उपदेश दे दिये और तुम्हारे लिये उस किरोड़ी लाल ने यूं किया है यूं मेरे सामने। देखिये, बार-बार उठ रहे हैं वे विधायक ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अब आगे इस बात को अपने को, आपने बड़ी शालीनता से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उसका नेतृत्व मत मानो। मैं आपसे कह रहा हूं आप नेतृत्वविहीन हो रहे हो, इन दो आदमियों के कहने से, एक डाक्टर किरोड़ी और एक बेनीवाल, यहां आकर आपके इनके कान में चट डाल कर यह नारा लगायेंगे, यही नारा लगाओ। डाक्टर किरोड़ी ने कई दिन पहले कह दिया था, कैलाश मुरदाबाद का नारा लगाना है। ऐसा यहां भेजा है उसने। हैं? (व्यवधान) ठीक है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वह शब्द आया है, उसको देख लें, कृपया।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द कहा है वह सारी मेरे पास भेज दो उसको, अच्छा ड्राप कर दो, अपन विशाल हृदय रखते हैं। +++ शब्द ड्राप कर दो। चलो, रिकार्ड से बाहर कर दिया है +++ शब्द, आपको बुरा लगा हो तो। बढ़िया शब्द यूज करो इनके लिये। क्या कहा जाए, अच्छे विद्वान प्रतिपक्ष के नेता, अच्छे विचारों वाले। ठीक?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से उपनिवेशन तहसील, कोलायत नम्बर एक, दो व तीन का विलय राजस्व में करने से पूर्व उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों की लम्बित समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री भंवर सिंह को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जिला जालौर के उपखण्ड सांचौर में स्वीकृत महाविद्यालय शीघ्र शुरू करने के सम्बन्ध में।

(2) डा. मंजू बाघमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर की तहसील जायल की पेयजल समस्या का समाधान करने तथा इसे नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(3) श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति के कार्मिकों की लम्बित मांगों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती कमसा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की तिवरी मथानिया पेयजल योजना का कार्य अत्यन्त धीमा होने से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में एस.एम.जी. नहर की 245 आरडी से बनी मूल एवं रिवाइज पेयजल स्कीमों में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाजवूद भी गांवों में पेयजल नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रमेश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के उपखण्ड मण्डरायल को नवीन पंचायत समिति बनाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खटकड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से सीमावर्ती एवं अभावग्रस्त जिला बाड़मेर की पेयजल की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में मानसी वाकल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(11) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में सड़कों के दोनों किनारों पर केबल, पेजयल और सीवर की लाइन बड़े पाइप डाल कर बिछा कर चैम्बर बनाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य की ओर से गौण मण्डी छोटी सादड़ी को स्वतंत्र रूप से कृषि उपज मण्डी समिति छोटी सादड़ी के रूप में मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

चिट के द्वारा, श्री धर्मपाल चौधरी, कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में। निवेदन है कि जब वे बोलें कानून व्यवस्था के बारे में बोलें, किसी भी प्रकरण के बारे में यहां रेफरेंस नहीं दें। यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल, कोटा में हाई कोर्ट की बैंच खोले जाने के सम्बन्ध में।

श्री निर्मल कुमावत, जयपुर अजमेर मार्ग पर बगरू के पास स्थित टोल पर व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

श्री गिर्राज सिंह, धौलपुर पुलिस द्वारा मुकदमा नम्बर 447/2012 में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। मैं इस पर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, कुछ जानकारियां लेने के बाद इस पर अपना निर्णय दूंगा।

श्री भंवर सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कोलायत उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों की लम्बित समस्याओं का समाधान

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर और जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण के समय वहां की भूमि उपनिवेशन के हिसाब से और सीलिंग सीमा के हिसाब से निर्धारित करने के लिये उपनिवेशन विभाग का आज से करीब तीस साल पहले गठन किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में कोलायत विधान सभा क्षेत्र के तहत उपनिवेशन विभाग की तीन तहसीलें हैं, उपनिवेशन तहसील नम्बर एक, दो व तीन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उपनिवेशन की इन तीनों तहसीलों का पिछले ढाई-तीन सालों से राज्य सरकार के द्वारा राजस्व में विलय करने के बार-बार आदेश निकाले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उपनिवेशन क्षेत्र में जिस उद्देश्य से उपनिवेशन विभाग का गठन किया गया था और जो जो कार्य उपनिवेशन विभाग के माध्यम से प्रस्तावित थे उनमें से आज भी सैकड़ों प्रकार के कार्य वहां के उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों के बकाया चल रहे हैं।

(श्री भंवरसिंह)

अध्यक्ष महोदय, हालांकि पिछले ढाई सालों में बार-बार उपनिवेशन का राजस्व में विलय करने की तिथियां बढ़ाई गयी हैं लेकिन अधिकारियों के पद रिक्त होने की वजह से और नीचे के स्तर पर पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पदों के रिक्त होने की वजह से उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों के ये काम आज भी लम्बित चल रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने 30 सितम्बर, 2014 को उपनिवेशन की इन तहसीलों का राजस्व में विलय करने की अंतिम तिथि घोषित कर दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी कोलायत की इन तीनों तहसीलों में भूमिहीन आबंटन के हजारों आवेदन लम्बित हैं और इसके लिये रकबा भी उपनिवेशन विभाग के द्वारा इन भूमिहीन किसानों के लिये आरक्षित किया हुआ है। वहीं विशेष आबंटन के, टी सी से पुख्ता आबंटन के, नियमन के, विनिमय के, स्माल फेज और मीडियम फेज के हजारों आवेदन लम्बित चल रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि इन सभी प्रकार के कार्यों का पूरी तरह से निस्तारण करने के बाद में उपनिवेशन की इन तहसीलों का राजस्व में विलय किया जाय। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को अनुरोध रहेगा कि जो 30 सितम्बर, 2014 की तिथि उपनिवेशन की राजस्व में विलय करने की घोषित की है उसको तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों के सभी प्रकार के लम्बित कार्य पूरे नहीं कर दिये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत वार शिविर लगा कर के उपनिवेशन क्षेत्र के इन सभी कामों को सूचीबद्ध कर के कार्य करवाने के लिये सरकार एक कार्यक्रम घोषित करे और उसमें ग्राम पंचायतवार सभी कार्य पूरे होने के बाद में यदि उपनिवेशन का राजस्व में विलय किया जाता है तो निश्चित रूप से यह किसानों के हित में रहेगा।

मैं उपनिवेशन क्षेत्र की कुछ मांगें और आपके सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के समय ...

श्री अध्यक्ष: आपने जो स्थगन दिया है उस तक सीमित रहिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, बोलिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इन्दिरा गांधी नहर परियोजना निर्माण के समय ओड जाति के लोगों ने इस नहर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया

(श्री भंवरसिंह)

था और इन्दिरा गांधी नहर निर्माण के समय से ही उपनिवेशन क्षेत्र में हजारों हैक्टेयर जमीन इन ओड जाति के परिवारों को आबंटित करने के लिये आरक्षित की हुई है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले लम्बे समय से ओड जाति के परिवारों के आवेदन उपनिवेशन विभाग में लम्बित हैं लेकिन इन भूमिहीन मजदूर ओड जाति के लोगों के लिये आज तक उपनिवेशन विभाग के द्वारा आबंटन की कार्यवाही नहीं की गयी है। मेरा निवेदन रहेगा कि नहर निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ओड जाति के लोगों को उपनिवेशन विभाग में आबंटन किया जाए।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाक विस्थापितों की उपनिवेशन में एक भारी समस्या है। 1980 में जब यह पाक विस्थापित लोग बीकानेर और जैसलमेर जिलों में आए थे उस समय इनके परिवार के मुखिया को एक मुरब्बा जमीन आबंटित की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाक विस्थापित परिवारों के मुखिया को एक मुरब्बा जमीन 1980 में आबंटित की गयी थी। आज इनके परिवार के सदस्यों की संख्या 15 से लेकर 20 तक हो गयी है। पाक विस्थापितों की स्थिति निश्चित रूप से स्थिति दयनीय है। इनके परिवार के भरण-पोषण के लिये मेरा निवेदन रहेगा कि उपनिवेशन क्षेत्र में एक बार पुन: पाक विस्थापितों के जो भूमिहीन परिवार हैं, उनको भूमि आबंटित की जाए।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसके अलावा, मेरा निवेदन रहेगा कि राज्य सरकार ने 2001 से उपनिवेशन क्षेत्र के जो आबंटी हैं, उन आबंटियों को ब्याज माफी की लगातार सुविधा दी जा रही है। अभी यह ब्याज माफी पिछले दिनों 30 जून को बंद कर दी गयी है। बीकानेर और जैसलमेर जिले में अकाल और सूखे के हालात बन रहे हैं। मूंगफली की सरकारी खरीद का पैसा भी अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये। आप विषय से बहुत अलग हो चुके हैं। स्थान ग्रहण कीजिये। विषय जो दिया है उससे बहुत अलग हो चुके हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ब्याज माफी की अवधि एक बार 31 मार्च,

(श्री भंवरसिंह)

2015 तक बढ़ाने की कृपा करें। मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं। श्री सुखराम विश्नोई। 295 की सुखरामजी। जो दिया है लिखित में आप वही पढ़ेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां जी, वही पढूंगा। कल जो आपने टोका वह तो बोलने दो आप पूरा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, कल की बात आज नहीं। कल की बातें कल खतम हो गयीं।

सांचौर में स्वीकृत महाविद्यालय शीघ्र शुरू करने के सम्बन्ध में

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि जिला जालौर के उपखण्ड सांचौर में अगस्त, 2013 को तत्कालीन सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की गयी थी। उसी क्रम में सितम्बर, 2013 को 14 पदों की स्वीकृति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गयी थी। इस हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांचौर में राजकीय महाविद्यालय संचालन हेतु नव कक्षा कक्ष आबंटित कर दी गयी थी। इसी क्रम में अक्टूबर, 2013 को भीनमाल से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में श्री भैंरुसिंह दहिया को जालौर से सांचौर पदस्थापित किया गया। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने भी सांचौर ज्वाइन कर लिया गया। किन्तु आम चुनावों के पश्चात् सरकार परिवर्तन होने पर राजनैतिक द्वेषता के कारण उक्त महाविद्यालय का संचालन रोक दिया गया है एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तत्समय में उक्त महाविद्यालय के साथ-साथ लगभग 15 की संख्या में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये गये थे एवं सितम्बर, 2013 को ही राजकीय महाविद्यालय, सांचौर के साथ में ही इनके कार्मिक पद भी स्वीकृत कर लिये गये व वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से जानकारी चाहता हूं कि एक ही

(श्री सुखराम विश्नोई)

सूची में स्वीकृति व पद स्वीकृति जारी होने के उपरांत उस सूची में एक महाविद्यालय को रोका जाता है एवं दूसरे को संचालित किया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। यह भी बताएं कि मंत्रिमण्डल की समीक्षा केवल एक महाविद्यालय की होनी थी या सूची में सम्मिलित सभी महाविद्यालयों की होनी चाहिये थी। सरकार के उक्त निर्णय से सरकार की द्वेषतापूर्ण भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिसमें सांचौर के छात्र-छात्राओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि सरकार जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर स्थित उपखण्ड सांचौर जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, के छात्र बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इनके भविष्य के साथ राजनीतिक कुठाराघात ना करें एवं तत्काल इसी सत्र के अन्दर सांचौर महाविद्यालय प्रारम्भ करके अपनी निष्पक्षता का परिचय दें।

श्री अध्यक्ष: डा. मंजू बाघमार।

जायल की पेयजल समस्या के समाधान हेतु नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना से जोड़ने के सम्बन्ध में

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नागौर जिले के जायल तहसील में मातासुख लिग्नाइट प्लांट से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय जल परियोजना जो जायल क्षेत्र के गांव मातासुख कसनाऊ खनन क्षेत्र में लिग्नाइट खनन के दौरान बड़ी मात्रा में निकलने वाले खारे पानी को उपयोग में लेने के लिये योजना बनाई गई। जिसके तहत खारे पानी को साफ करके जायल तहसील के समस्याग्रस्त 120 गांवों में वितरित किया जाना प्रस्तावित हुआ। इस योजना के अन्तर्गत RSMML द्वारा 20 एमएलडी क्षमता का एक आरओ प्लांट निर्माण कर 13 एमएलडी साफ पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करवाया जाना एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 120 गांवों को वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी 2,04,466 एवं वर्तमान आबादी 2,61,700 को वितरण का प्रावधान लिया गया।

वर्तमान में आरओ प्लांट से 2-3 एमएलडी उत्पादन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जायल तहसील के 120 ग्रामों में से सिर्फ 97 गांवों को ही पेयजल वितरण किया जा रहा है।

(डा. मंजू बाघमार)

इस मातासुख आरओ प्लांट से उत्पादित डिसलिनेटेड वाटर के टीडीएस की 1100 पीपीएम उच्च स्तर की है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से पीने योग्य नहीं है। यहां तक की पशुओं के पीने योग्य भी नहीं है। इस कारण गांव में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। जायल की जनता फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। बांकापट्टी का अधिकतर इलाका मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही आता है।

इस योजना के अन्तर्गत पानी की लागत 42.41 रुपये प्रति किलोलीटर खर्च आ रहा है जिसकी कि प्रतिमाह डेढ़ करोड़ रुपये के लगभग राशि सरकार द्वारा भुगतान की जा रही है जो कि बहुत ही महंगी है एवं इससे सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अत: अस्थाई तौर से नागौर नहर लिफ्ट परियोजना से नागौर के वल्लभ चौराहे से फरलोड तक 35 किलोमीटर पाइप लाइन द्वारा अगर जोड़ दिया जाये, इसमें लगभग 2-3 करोड़ तक का ही खर्चा आयेगा और लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीने से मुक्ति मिल जायेगी। जिस तरह से जोधपुर के पीपाड़ शहर और नागौर जिले के बासनी गांव को जोड़ा गया है उसी तरह जायल को भी जोड़ा जाये क्योंकि नागौर नहर परियोजना गोगेलाव हैडवर्क्स में 74 एमएलडी पानी उपलब्ध है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गयी घोषणा पूर्ण हो जायेगी एवं इस सरकार की उपलब्धि पूरी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति के कार्मिकों की लम्बित मांगें

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के 5673 ग्राम सेवा सहकारी साख समितियां एवं मिनी बैंकों में गांव-गांव एवं ढाणी-ढाणी तक कार्यरत लगभग 10,800 व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सैल्समैन व सहायक कर्मचारी सम्पूर्ण अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे में कृषि ऋण वितरण एवं वसूली करने, सरकार की ग्रामीण विकास फ्लेगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री बीपीएल अन्न सुरक्षा व आवास योजना, सरकार आपके द्वार अभियान एवं नरेगा एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का संचालन जैसी जन कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाओं का

(श्री संजीव कुमार)

लाभ एवं राज्य सरकार का संदेश गांव-गांव व ढाणी-ढाणी आम जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका व भागीदारी निभा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर की गयी घोषणाओं को ग्रामीण व जमीनी स्तर पर अमलीजामा इन्हीं कर्मचारियों द्वारा पहनाया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के सहकारी साख आंदोलन में दिन-रात निष्ठा से सरकार के साथ कदम मिला कर काम कर रहे सहकारी समितियों के कर्मचारी आजादी के साढ़े 6 दशक बाद भी उचित वेतनमान, महंगाई भत्ता, सुरक्षित सेवा शर्तें एवं सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी, पीएफ एवं पेंशन के बिना उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

अत: समिति कर्मियों को राज्य सरकार या बैंक कर्मचारी बनाया जाए। समिति कर्मियों के वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान 9, 18, 27 का परिलाभ व महंगाई भत्ता दिया जाए। समिति में कार्यरत सहायक व्यवस्थापक, सैल्समैन एवं सहायक कर्मचारियों के नियमित वेतनमान राज्य कर्मचारियों के अनुसार निर्धारित किये जाएं। समिति कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी, पीएफ व पेंशन भुगतान राज्य कर्मियों के समान सुनिश्चित किया जाए। समिति कर्मियों के उपार्जित अवकाश 300 एवं चिकित्सा सुविधा व सुरक्षित सेवा शर्तें राज्य कर्मियों के समान सुनिश्चित किया जाए एवं उपार्जित अवकाश का भुगतान राज्य कर्मचारियों के अनुसार वर्ष के अंत में नकद भुगतान सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल।

भोपालगढ़ की तिवरी मथानिया पेयजल योजना का कार्य धीमा होने से हो रही परेशानी

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तिवरी मथानिया पेयजल योजना में जो गत 5 वर्षों से धीमी गति से निर्माण हो रहा है, उक्त कार्य राम की कंपनी द्वारा हो रहा है। कम्पनी और विभाग की लापरवाही की वजह से समय पर योजना पूरी नहीं हो रही है। क्षेत्रवासियों को मीठा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जिस कारण कई गांवों को खारा पानी फ्लोराइडयुक्त पीना पड़ रहा है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त योजना शीघ्र पूरी की जाए जिसका लाभ क्षेत्रवासियों को मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह।

जैसलमेर में एसएमजी नहर की 245 आरडी पेयजल स्कीम की विफलता एवं भ्रष्टाचार

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं विशेष उल्लेख में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले की 245 आरडी एसएमजी में ग्राम पंचायत रामगढ़, सोनू, मोकला, खुईवाला व गांव जोगा में वर्ष 2003 में 10 गांवों व 24 ढाणियों को जोड़ने हेतु लगभग 5 करोड़ की पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना पर विगत सरकार के समय 565 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद भी नाममात्र के गांव भी पेयजल योजना में नहीं जोड़े जा सके। इस परियोजना में मौके पर कार्य के नाम पर मात्र खानापूर्ति हुई, कार्य में घटिया पाइप लाइन का इस्तेमाल किया गया और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि अधिकारियों व कर्मचारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये डकार लिये।

मेरे द्वारा इस प्रकरण को विधान सभा में प्रश्न, नियम 295, नियम 131 व अन्य कई तरीकों द्वारा उठाया गया परन्तु सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टे सरकार के अधिकारियों द्वारा विधान सभा में गलत उत्तर दिये जिनके प्रकरण आज भी विधान सभा में चल रहे हैं। सरकार द्वारा मामले पर लीपापोती करते हुए और मूल दोषियों को छोड़ते हुए दो-तीन छोटे कर्मचारियों को विभागीय जांच थमा कर मामले को रफा-दफा कर दिया जबकि इस भ्रष्टाचार में कई पूर्व अधिशासी अभियंता व अधीक्षण अभियंता तक शामिल थे जिनके बाद में बड़े पदों पर पहुंच जाने के कारण उनका भारी दबाव था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा अधिक दबाव डालने पर विगत सरकार द्वारा पूर्व अधिकारियों व ठेकेदारों का बचाव करते हुए मूल स्कीम का ढाई गुणा, लगभग 9 करोड़ रुपये की रिवाइज स्कीम जारी कर दी। इस सबके बावजूद भी आज तक उक्त सभी 10 गांवों व 24 ढाणियों में से एक-दो ढाणी को छोड़ कर कहीं भी पानी नहीं पहुंच पाया है। रिवाइज स्कीम मार्च, 2013 में स्वीकृत की गई थी जिसे दिसम्बर, 2013 में पूर्ण किया जाना था। परन्तु दु:ख की बात है कि आज तक न तो कार्य पूर्ण हुआ है और न ही अधिकारी उक्त कार्य की मानिटरिंग कर पा रहे हैं। अधिकारी व कर्मचारी ठेकेदार के साथ मिलकर संशोधित स्कीम का पैसा भी डकारे जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध

(श्री छोटू सिंह)

है कि जिले से बाहर के अधिकारी से तथा सरकार से अनुमोदित प्रामाणिक गैर सरकारी कम्पनी से पूर्व की मूल स्कीम की पाइप लाइन की गुणवत्ता व प्रदेश की जांच कराई जाकर जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जाए तथा स्कीम में किये गये भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए उनसे डकारी गई राशि वसूल की जाए एवं संशोधित स्कीम के कार्य को तुरन्त प्रभाव से पूर्ण करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम कोली।

रेवदर के सरकारी विद्यालयों के रिक्त पद

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र जिला सिरोही के डार्क जोन में आया हुआ है। वहां रेवदर उप खण्ड स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 16 पद स्वीकृत हैं जिनमें से मात्र 2 पद भरे हुए हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 8 ही पद खाली हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डार में फर्स्ट ग्रेड के 9 में से 5 पद खाली हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दांतराई में फर्स्ट ग्रेड के 6 में से 4 पद खाली हैं, सैकण्ड ग्रेड के 7 में से 5 पद खाली हैं। वरिष्ठ लिपिक व पीटीआई के सभी विद्यालयों में पद रिक्त हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि इन सभी रिक्त पदों को भरवाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सेठ मंगल चन्द चौधरी महाविद्यालय, आबूरोड, आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले छात्र-छात्राओं की शिक्षा के प्रति चिंता करने की आवश्यकता है। यहां पर साइन्स में 20 व कामर्स में 20 सीटें बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्र के छात्र-छात्रा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप मेरी इन मांगों को पूरी करवाने का कष्ट कराएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश। (अनुपस्थित)।

श्री अशोक डोगरा।

बूंदी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड़ का क्रमोन्नयन

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं विशेष उल्लेख में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड़ में संचालित है। ग्राम पंचायत खटकड़, लालपुरा, रायथल, अजेता, रिहाणा, ख्यावदा, भैरूंपुरा ओझा, नया गांव, जावटी कलां, माटून्दा, बम्बोरी पंचायत समिति, बूंदी के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनजर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करना नितान्त आवश्यक है। इन 11 पंचायतों की जनसंख्या सहित अन्य सभी मानदण्ड पूरे होने के बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत नहीं किया गया है जबकि पिछली सरकार द्वारा प्रश्न के जवाब में उक्त केन्द्र को क्रमोन्नत करने का भरोसा दिलाया था।

यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाता है तो सामान्य बीमारियों के अतिरिक्त डिलीवरी केस, भर्ती आदि के लिये लोगों को जिला मुख्यालय बूंदी अथवा कोटा नहीं जाना पड़ेगा। यह इस क्षेत्र की अति आवश्यक मांग है तथा विधान सभा चुनाव में क्षेत्र की जनता को किया गया वादा है जो पूरा होने पर सरकार के प्रति लोगों की भावना बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में पेयजल स्थिति में सुधार

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं विशेष उल्लेख में निवेदन करना चाहता हूं कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर वर्षों से सूखे एवं पेयजल की मार झेलता आ रहा है। दूर-दूर में छितरी ढाणियों में पेयजल की भारी किल्लत हमेशा रहती है। विशेषकर गर्मियों के वक्त यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार के समय बाड़मेर में पेयजल को लेकर सरकार ने विशेष प्रयास किये। इसके लिये मोहनगढ़ से नहर का मीठा पानी बाड़मेर लाया गया। साथ ही, नर्मदा के पानी को भी बाड़मेर में सिंचाई के लिये लाया गया। लेकिन क्षेत्रफल की विशालता के कारण अभी तक इस समस्या का कोई खास हल नहीं निकल पाया है।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएचईडी में तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारी की भारी कमी के कारण सुदूर इलाकों में पानी पहुंचाना बहुत ही कठिन कार्य है। स्थिति यह है कि जिले में सैकड़ों जीएलआर बिलकुल क्षतिग्रस्त पड़े हैं जिनकी मरम्मत के लिये कई बार विभाग से मांग की गई लेकिन अभी तक इन जीएलआर की मरम्मत के लिये कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। कुछ ऐसा ही हाल हैण्ड पम्पों का है जो वर्षों से खराब पड़े हैं, इनके अगेंस्ट में नए हैण्ड पम्प खुदवाने की महत्ती आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय बाड़मेर लिफ्ट कैनाल से बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में चरणबद्ध रूप से पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिसमें कुछ को चुनाव पूर्व कार्यादेश दे दिये गये थे, उनका भी कार्य द्रुत गति से नहीं हो रहा है। इसी प्रकार द्वितीय चरण के पार्टस में बाड़मेर के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत हुई थी जिसके टेण्डर अभी तक नहीं लगे हैं। इस बजट में बाड़मेर वासियों को सरकार से उम्मीद थी कि उक्त चरण के लिये राशि का प्रावधान रखेंगे लेकिन इस बजट में इसका प्रावधान नहीं रखा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई गांव, रावतसर, चवा, आदर्श चवा, सरणू, मूलवा, जहां पेयजल आए कई वर्ष हो गये। चूंकि गर्मियों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की खानापूर्ति की जाती है लेकिन यह भी केवल कागजी कार्य ही किये जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक बहुल गांव मलवा जिसके लिये स्कीम स्वीकृत हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है। इसके लिये ट्यूबवैल खुद गया है लेकिन अभी तक पाइप लाइन एवं जीएलआर नहीं बनाये जा रहे हैं जिससे इस गांव में पेयजल की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बाड़मेर जिला जो हमेशा से ही अभावग्रस्त रहा है। पेयजल की वहां विशेष किल्लत रही है इसलिये बाड़मेर के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पेयजल के लिये बाड़मेर को विशेष बजट जारी करें, तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को तुरन्त भरें एवं जो जीएलआर टूट चुके हैं उनकी जगह नये जीएलआर बनाने का कष्ट करें एवं लिफ्ट कैनाल के द्वितीय चरण के भाग 'स' के लिये अति शीघ्र बजट का प्रावधान कराएं।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर के ग्राम नाई को मानसी-वाकल योजना से जलापूर्ति

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में मानसी वाकल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में देवास से पानी लिफ्ट करके आ रहा है। वह उदयपुर शहर व जिंक स्मैल्टर भरतपुर में पानी सप्लाई हो रहा है, परन्तु जहां फिल्टर प्लांट लगा रखा है वहां ग्रामीण विधान सभा के गांव नाई के एरिया में होने के बावजूद भी पीने के पानी से वंचित रखा गया है। यह उचित नहीं है। फिल्टर प्लांट लगा था उस समय जो भी सरकार रही उन्होंने मात्र गांव वालों को प्रलोभन देकर प्लांट बनाने की स्वीकृति ले ली और उनको यह कहा कि आपको भी फिल्टर पानी मिलेगा और उस समय पानी भी उपलब्ध करवाया, लेकिन इसको रिकार्ड में नहीं लिया गया और फिर उस पानी की सप्लाई बंद कर दी गई तथा आज भी वह गांव प्रदूषित पानी पीने पर मजबूर है। देवास योजना का जो पानी पहाड़ों की गुफाओं के मार्फत पहाड़ काटकर सप्लाई किया जा रहा है। इस कारण पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी का लेवल काफी नीचे जाने से पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हैण्डपम्प एवं नलकूप सूख गये हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त पहाड़ी क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई ऐसी पेयजल योजना लागू करने की व्यवस्था करावें ताकि आम जनता को पानी उपलब्ध हो सके। देवास द्वितीय योजना में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में 379 करोड़ 19 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए उक्त योजना को चालू करने की घोषणा की है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उदयपुर शहर व जिंक स्मैल्टर को पानी मिल रहा है तो गांव नाई को पानी क्यों नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है? माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणानुसार उदयपुर की झीलों को भरने व पीने का पानी उपलब्ध करने के साथ ही पर्यटन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस उदयपुर सम्भाग को रोजगार का अवसर मिल जाएगा। इसके साथ-साथ, उदयपुर शहर की सुन्दरता में चार चांद लग जाएंगे। उदयपुर शहर झीलों की नगरी ही नहीं बल्कि राजस्थान का कश्मीर भी कहलाता है।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पारीक।

सड़कों पर विभिन्न प्रकार की केबल/लाइन डालने हेतु स्थायी व्यवस्था

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत है। जयपुर शहर में पिछले काफी समय से विभिन्न कार्यों हेतु सड़कों की खुदाई की जा रही है। कभी बिजली, टेलीफोन या अन्य कार्यों हेतु केबल डालने के लिये, कभी सीवर पेयजल की लाइन डालने के लिये बार-बार सड़कों को खोदा जाता है और उन्हें पुन: पूर्व की भांति नहीं बनाया जाता। केवल पैचवर्क के समान कार्य किया जाता है जिससे सड़कें वर्षा का पानी लगते ही उखड़ जाती हैं। इसके अलावा जिन स्थानों पर सड़क के किनारे खुदाई की जाती है वे भी कुछ समय बाद बैठ जाती हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। कभी-कभी तो वाहन चालकों की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि इस समस्या का कोई स्थायी हल निकाला जाय। इसका मुख्य कारण विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव भी है, अन्यथा नवनिर्मित सड़क को कुछ ही दिन बाद खोदे जाने से रोका जा सकता है और वह कार्य सड़क बनने से पहले भी हो सकता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि पूरे जयपुर शहर में सड़कों के दोनों किनारों पर केबल, पेयजल और सीवर की लाइनें बड़े पाइप डाल कर बिछायी जाएं एवं उन पर चैम्बर बना दिये जाएं ताकि बार-बार खुदाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। खुदाई के समय पेयजल और सीवर की लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से होने वाली क्षति से भी बचा जा सकेगा। यदि पाइप डाल कर चैम्बर बना दिये जाएं तो केवल चैम्बर का ढक्कन हटा कर नयी लाइन डाली जा सकेगी। इस कार्य की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम या जयपुर विकास प्राधिकरण को दी जा सकती है जो इसके लिये निश्चित राशि वसूल करें। इससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी और आमजन को बार-बार होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचंद कृपलानी।

(अनुपस्थित)।

श्री धर्मपाल चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अलवर जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जब इस चुनाव से पहले पूरे राजस्थान में सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से यात्रा की उस समय पूरे राजस्थान के अन्दर जिस तरह का माहौल था, कानून-व्यवस्था नाम की चीज इस राजस्थान के अन्दर नहीं थी। साम्प्रदायिक सद्‌भाव को बिगाड़ने का काम कांग्रेस ने वोट के लिये हमेशा किया और अन्य अपराधों में भी हमारा राजस्थान चाहे महिला उत्पीड़न में हो, चाहे अन्य अपराधों में हो राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में अव्वल रहा था। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारा राज आने के बाद हम कानून-व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। इस सात महीने में जिस तरह से कानून-व्यवस्था पर कंट्रोल किया है वह बहुत सराहनीय है।

मैं अलवर जिले के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो अपराध थे वे राजस्थान के पूरे जिलों में नम्बर एक पर थे। हमारे अलवर जिले में भिवाड़ी, तिजारा और अलवर आने में रात के समय कोई भी व्यक्ति सड़क पर चल नहीं सकता। तिजारा में बहुत बड़ा जैन मंदिर है, उस मंदिर में जितने भी लोग आते थे उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनकी बहन-बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। वहां सड़क पर चलने वाला आदमी सुरक्षित नहीं था। उसको रोकने का काम हुआ है। आज किसी भी समय रोड पर जाएं तो कोई आदमी को परेशानी नहीं हो सकती।

इसी तरह अवैध शराब, टटलू का काम, जिस तरह सोने की नकली ईंट का धंधा था वह धंधा भी बहुत बड़ी ठगी के रूप में अलवर जिले में नम्बर वन पर था। उसके बाद भरतपुर था। इन जिलों में जो काम होता था उसको रोकने का काम किया। चेन स्नेचिंग के मामले थे, उसमें भी अलवर जिले का नाम कभी-कभार आता होगा, कभी मामूली अपराध हुआ हो तो हुआ होगा। इसके अलावा, मोटरसाइकिल चोरी, ट्रैक्टर चोरी और जीप, किसी भी व्यक्ति की पांच मिनट में मोटरसाइकिल सूनी खड़ी मिल गयी या कोई ट्रैक्टर मिल गया या और साधन मिल गया उन साधनों की चोरी का बहुत बड़ा धंधा था। यह सारा कंट्रोल हमारी सरकार ने आने के बाद किया।

अभी अलवर जिले में इतवार को कुछ माननीय सदस्य, लगभग 4 सदस्य गये और वहां का जो साम्प्रदायिक सद्‌भाव है उसको खराब करने का काम किया। आज अपराधी की कोई जाति नहीं होती, न अपराधी का कोई धर्म

(श्री धर्मपाल चौधरी)

है। ये लोग वोट के खातिर वहां पर जाकर अलवर जिले को दौसा, करौली व सवाई माधोपुर जैसा माहौल अलवर जिले में करना चाहते हैं। ऐसे में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में लोग जाकर वहां भड़काएं, अगर समय रहते ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कानून-व्यवस्था जिस तरह से और जिलों में खराब है वहां पर भी साम्प्रदायिक सद् भाव बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। नीमराना और शाहजहांपुर में बंग्लादेशी हैं, बहुत से लोग बाहर से आये हुये हैं अपराधी हैं, उनको भी चिह्नित करना चाहिए और चिह्नित करके उन पर कार्यवाही समय रहते नहीं की तो आने वाले समय में वे लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि वहां पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा, खनन माफिया, भू माफिया और जिस तरह के अवैध काम हैं उन पर भी सरकार और ध्यान देगी और सरकार ध्यान देकर अलवर जिले के अमन-चैन को बनाये रखें, यही आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल। आप रेस्पोंड कर रहे हैं? प्रहलादजी, विराजिए थोड़ा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान में कानून-व्यवस्था के बारे में बहुत लम्बा सवाल उठाया, यह तो जब पुलिस डिमाण्ड होगी तो उसमें बहुत डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं। पर मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अपराध में बहुत कमी आई है। यह एक सुखद विषय है। मैं इन सब को आंकड़ों के साथ भी दे सकता हूं लेकिन अभी इतना कुछ ज्यादा देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। अनुसूचित जाति अत्याचार में प्रदेश में 2014 में 2012 की तुलना में 61 प्रतिशत की कमी आई है और 2013 की तुलना में 50 प्रतिशत की तुलना आई है अनुसूचित जाति अत्याचार में। एस.सी., एस.टी. एक्ट में भी 2012 से अभी 27 प्रतिशत की कमी आई है और 2013 की तुलना में 35 प्रतिशत की कमी आई है पूरे प्रदेश में। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार की दृष्टि से भी 21 प्रतिशत 2013 से अभी कमी आई है। साम्प्रदायिक तनाव की दृष्टि से भी बहुत कमी आई है और केवल एक घटना हुई है। बाकी डिटेल तो फिर और कभी दूंगा। माननीय सदस्य ने जो कहा वह अलवर से सम्बन्धित था। यह सुखद विषय है कि जो अलवर जिला राजस्थान का क्राइम की दृष्टि से नम्बर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वन जिला बन गया था, इस बार के आंकड़ों से राजस्थान में सबसे कम अपराध वाले जिले की गिनती में आ रहा है जो एक बहुत ही सुखद विषय है जिसके बारे में मैं सबको अवगत कराना चाहता हूं।

अलवर में सभी अपराधों में कमी आई है। पिछले वर्ष जून तक के अपराधों से अभी जून, 2014 तक डकैती में, लूट के मुकदमों में कमी आई है, हत्या में, बलात्कार में कमी आई है। और भी अन्य तरह के अपराध हैं उनमें महिला अत्याचार की दृष्टि से अलवर जिले में ऐसे अपराध जून, 2013 में 268 थे और इस बार 209 हैं यानी अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अपराध कम दर्ज हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति में भी 2013 में 64 थे और इस बार केवल 40 मुकदमे हैं। कुल मिला कर यह संतोष का विषय है कि अलवर जो अपराधों का एक गढ़ बन गया था और जहां हर प्रकार की घटना-दुर्घटना होती थी, वहां से जितने व्हीकल चोरी होते हैं, मैं यह कह सकता हूं कि जिस दिन होम की डिमांड होगी उस दिन बताऊंगा कि आस-पास के क्षेत्र में भी जितनी चोरियां व्हीकल की होती थीं, इन पिछले महीनों की अगर चोरी निकालेंगे तो चोरी के अपराधों में कमी हुई है। इसका मतलब जो गिरोह हमेशा इस प्रकार के काम में लगा रहता था, एस.पी. और उसकी टीम की मानीटरिंग और मजबूती के कारण से अपराधियों में भय पैदा हुआ और अपराध घटे हैं। यह मैं अपने नहीं, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। केवल एक घटना को मोड़-तोड़कर एक अपराधी को बचाने के लिये सारा का सारा षड्यंत्र तैयार कर पुलिस का मनोबल गिराने का जो प्रयास किया, यह निन्दनीय है। अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहन दें। पुलिस भी गलती कर सकती है, मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा, अगर वो गलती करेंगे तो उनको भी दण्डित करेंगे लेकिन हमेशा उन्हीं को दण्डित करने का मानस बना कर इस सदन का उपयोग करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

कोटा में उच्च न्यायालय पीठ स्थापित करने की मांग

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोटा सम्भाग की एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण मांग की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 10-15 सालों से कोटा में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना को लेकर वहां का आम आदमी और अधिवक्ता वर्ग आंदोलित रहता है और पिछले 10 सालों से

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लगातार कोटा में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना हो, पूरे डिवीजन का अधिवक्ता शनिवार के रोज न्यायिक कार्य का बहिष्कार करता है।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012-13 में कोटा में हाई कोर्ट की मांग को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि लगभग चार महीने तक पूरे सम्भाग का न्यायिक कार्य ठप्प हो गया। न केवल सम्भाग का, कोटा के साथ जब उदयपुर में हाई कोर्ट की मांग की आवाज उठी तो आधे से ज्यादा राजस्थान का न्यायिक कार्य ठप्प हो गया। वकील सड़कों पर आ गये, आम आदमी सड़कों पर आ गये। कोटा और उदयपुर में हजारों-हजारों लोग सड़कों पर आये सस्ता और सुलभ न्याय मांगने के लिये। तब अधिवक्ता संघ राज्य के मुख्य मंत्री से आकर मिला, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राज्य के मुख्य मंत्री जो आज विपक्ष में बैठे हैं, उनको इस बात का अनुभव भी नहीं था कि हाई कोर्ट कौन खोलेगा, वकीलों से कहा कि हम हाई कोर्ट से राय-मशविरा करेंगे, हमारी जानकारी में नहीं है लेकिन यह मान कर चलना कि अभी हाई कोर्ट खोलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जब आंदोलित अधिवक्ता राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले तो माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि यह राज्य सरकार और केन्द्र के कानून मंत्रालय के बीच का मामला है। अगर राजस्थान की सरकार कोई प्रस्ताव देती है, कोई राय मांगती है तो राजस्थान उच्च न्यायालय अपनी अनुशंसा के साथ भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेजने के लिये तैयार है। आंदोलित अधिवक्ता जब भारत सरकार के तत्समय के कानून मंत्री अश्विनी कुमार से जाकर मिले तो साफ शब्दों में भारत के कानून मंत्रीजी ने कहा कि राज्य सरकार अगर आवश्यक संसाधन बिल्डिंग, कर्मचारी और पैसा जुटाने के लिये तैयार है तो हम कोटा में हाई कोर्ट की बैंच खोलने के लिये तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट में जितने मुकदमे चल रहे हैं, कोटा डिवीजन राजस्थान हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है और एक मोटे आंकड़े के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट के चालीस प्रतिशत मुकदमे कोटा सम्भाग से आते हैं। उस कोटा सम्भाग का व्यक्ति जब बारां जिले शाहबाद, छबड़ा, छीपाबड़ौद से चलकर हाई कोर्ट आता है और झालावाड़ के डग, मनोहरथाना, अकलेरा, पिड़ावा से चलकर आता है तो सस्ते न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। 400-500 किलोमीटर का पूरा सफर करके वह न्याय मांगने के लिये जयपुर में आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारे विषय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पर ला कमीशन आफ इण्डिया ने, जो 18वां लॉ कमीशन है, भारत सरकार को अपनी 2009 में 230वीं रिपोर्ट दी है उसके में कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पैरा नम्बर 1(7) "Increase in number of Judges and creation of new Benches. In almost every High Court, there is huge pendency of cases and the present strength of the Judges can hardly be said to be sufficient to cope with the alarming situation. The institution of cases is much more than the disposal and it adds to arrears of cases. The litigating citizens have a fundamental right of life i.e. a tension free life through speedy justice delivery system. Now it has become essential that the present strength of the Judges should be increased manifold according to the pendency, present and probable.'' यानी साफ तौर पर ला कमीशन ने कह दिया अपनी 230वीं रिपोर्ट में कि देश के प्रत्येक हाई कोर्ट में मुकदमों की पेंडेंसी ज्यादा है इसलिये नागरिकों को त्वरित न्याय के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन जीने के मौलिक अधिकार की पूर्ति नहीं हो पा रही है इसलिये इसके लिये आवश्यक है कि उच्च न्यायालय की बैंचों की स्थापना हो। इसके आगे पैरा नम्बर 1.8, इसमें कहा है "It is also necessary that the work of the High Courts is decentralized i.e. more Benches are established in all States. If there is manifold increase in the strength of the Judges and the staff, all can not be housed in one campus. Therefore, the establishment of new Benches is necessary. It is also in the interest of the litigants. The Benches should be so established that a litigant is not required to travel long." साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। न्याय के लिये उसको लम्बी यात्रा नहीं कराई जानी चाहिए। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ला कमीशन की रिपोर्ट भी सामने है, मांगें भी सामने हैं, निर्णय राजस्थान की सरकार को करना है। जब ये कोटा के वकील लगातार 100 दिन से आंदोलित थे तब राज्य की वर्तमान मुख्य मंत्रीजी सुराज संकल्प का रथ लेकर कोटा में आई थीं और लगातार 100 दिन से जो न्यायिक कार्य ठप्प चल रहा था तो मैंने उनके सामने यह मांग रखी थी। मुख्य मंत्रीजी ने आश्चर्य व्यक्त किया। तत्समय प्रतिपक्ष की नेता थीं कि 100 दिन से न्यायिक कार्य ठप्प है और सरकार सो रही है, निश्चित रूप से पिछली सरकार कुंभकरण की नींद में सो रही थी और राजस्थान में अराजकता के हालात थे। लोग न्याय के लिये गुहार कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। इसीलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान सरकार सभी को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने की भावना के अनुरूप कोटा में उच्च न्यायालय की स्थापना के गम्भीर प्रयास करे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री निर्मल कुमावत।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को गम्भीरता से लें, यह हम आब्जेक्शन करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के वकील इसके पूर्ण रूप से खिलाफ हैं, कतई मंजूर नहीं है। जो जयपुर में हाई कोर्ट खुला है, 1975 से आंदोलन कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह बहस का विषय नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी है। श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। पूरा जोधपुर सम्भाग इसका विरोध करता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं गुंजलजी के वक्तव्य पर। अभी देता हूं मैं टाइम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कोटा में और उदयपुर में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना कही। संविधान में व्यवस्था सारी स्पष्ट हैं। स्टेट री-आर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956, इसकी धारा 51 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब कभी भी नये हाई कोर्ट की मुख्य बैंच या अन्य बैंच की स्थापना की बात होगी, उसका निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी सम्बन्धित राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्य न्यायाधीश, इनकी सलाह से निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जब कोटा में यह आन्दोलन हुआ था तो 12.12.2013 को रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को कोटा अभिभाषक परिषद का एक ज्ञापन भेजा गया था। अभी तक उसका उत्तर वापस मिला नहीं है। इसलिये यह सारा प्रकरण संवैधानिक दृष्टि से, इसमें राज्य सरकार का नहीं है। यह निर्णय करेंगे महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति महोदय के।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री निर्मल कुमावत।

जयपुर-अजमेर मार्ग पर स्थित टोल नाकों पर अव्यवस्था व जाम की स्थिति

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री निर्मल कुमावत)

माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सरकार के और माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जयपुर से किशनगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 है। यह पश्चिमी राजस्थान को राजधानी से जोड़ने के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इसमें किशनगढ़ में और बगरू में दो टोल टैक्स नाके स्थित हैं। मैं बताना चाहूंगा कि शाम के समय माननीय मंत्रीजी या माननीय सदस्य इस क्षेत्र से काफी दूर से पधारते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीन घंटे पहले अगर टोल टैक्स आप क्रोस कर लें। अजमेर से जयपुर आने का समय दो घंटे लगता है जबकि टोल टैक्स क्रास करने का अकेला समय तीन घंटे है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 2012 में, 21.9.2012 को तेरहवीं विधान सभा में यह तारांकित प्रश्न लगाया था तो सरकार ने मुझे जवाब दिया था कि सामान्यत: बगरू टोल पर यातायात की जाम की स्थिति नहीं बनती है लेकिन कभी-कभी व्यस्ततम यातायात के दबाव के कारण जाम की स्थिति बनती है। इस बाबत परियोजना के तत्काल अतिरिक्त टोलकर्मी लगाकर जाम की स्थिति को यथासम्भव दूर किया जाता है और हस्तचलित टोल मशीन, पूर्ण स्वचालित क्रेन सुविधा इत्यादि का कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा बिन्दु जो पूछा था कि आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस होती हैं या अति विशिष्ट लोग हों या कोई आवश्यक काम हों, कोई प्राकृतिक आपदा हो तो इसमें जवाब दिया गया कि साढ़े चार मीटर चौड़ी लेन की व्यवस्था की गई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह प्रश्न लगने के बाद और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद वह काम आज अभी निर्माणाधीन है, मगर दो साल बाद में। मैं बताना चाहूंगा कि लगातार हर महीने, आप आंकडे उठायें, केवल और केवल टोल पर मृत्यु दर कितनी है? एम्बुलेंस वहां खड़ी रहती है क्रोस होने के लिये और वह टोल क्रोस करने के स्थान पर ही कितने लोग मर जाते हैं क्योंकि पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोग चिकित्सा सुविधा हेतु या जो रैफरल मरीज होते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग होते हैं, वे आते हैं। आप यदि पधारेंगे, माननीय मंत्रीजी पधारेंगे, माननीय सदस्य भी हो सकता है कि प्रोटोकोल से पधारेंगे तो हमें शायद व्यवस्था मिल जायेंगी परन्तु आम व्यक्ति को कोई व्यवस्था नहीं मिलती और विशेष तौर से जो यात्री गाड़ियां हैं, रोडवेज की बसें हैं, महिलाएं उसमें आती हैं, बच्चे उसमें आते हैं। तीन-तीन घंटे तक वहां रुकना पड़ता है। न वहां कोई पीने के पानी की व्यवस्था है, न कोई शौचालय की व्यवस्था है और यह रोजाना का काम है। कोई प्राकृतिक

(श्री निर्मल कुमावत)

आपदा हो, कोई बरसात हो, तब तो समझ में आये कि यह महीने में एक-आध बार ऐसा हो गया, मगर रोजाना का ही यह काम है तो मैं माननीय मंत्रीजी से इस विषय पर वक्तव्य चाहूंगा और राज्य सरकार इसमें कठोर निर्णय लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लगातार मौतें हो रही हैं। वहां एक्सीडेंटल मौतें हो रही हैं। हाइवेज पर एक्सीडेंट्स होते है और एम्बुलेंस में ही आदमी मर जाता है, जयपुर पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। माननीय मंत्रीजी से जवाब चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप रेस्पोंड करेंगे माननीय मंत्री महोदय? (व्यवधान) विराजिये आप। आप बोल चुके।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): हम इसका समर्थन करते हैं अध्यक्ष महोदय। यह सही है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है। यह विषय वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है और यह जो सड़क है एनएच-8, इस पर जयपुर से किशनगढ़ के बीच में जैसाकि माननीय सदस्य स्वयं ने कहा कि दो टोल हैं और विशेष रूप से ठीकरिया वाला टोल है बगरू के पास में, उस पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। कुछ पीक आवर्स ऐसे हैं, उसमें यह रात भर ट्रक वाले रैस्ट करके एक साथ रवाना होते हैं और 50-50, 60-60 ट्रकों का काफिला एक साथ रवाना होता है। उस समय जब इनकी संख्या बढ़ जाती है और कुछ आफिस आवर्स में भी संख्या बढ़ जाती है। उस समय वहां बहुत लम्बा जाम लग जाता है और देर रात में कई बार लम्बा जाम लग जाता है। चूंकि इस मार्ग से मैं स्वयं भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाता हूं तो इसी मार्ग से जाता हूं और मैंने आंखों से भी कई बार देखा है। मैंने स्वयं ने जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी हैं, उनके साथ वहीं पर मौके पर ही बैठक की और उनको सुझाव दिये कि अगर आप लोग यह अव्यवस्था नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं हो, इन सबके लिये अगर आप इस तरीके से व्यवस्था कर लें तो ठीक रहेगा। जो पहले इनकी 6-6 लेन थी, उसमें एक-एक लेन और बढ़ाने का काम जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, काम चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको कहा कि यह भी सफिशिएंट नहीं है तो अभी उन्होंने राज्य सरकार के पास में और भूमि अधिग्रहण करने के लिये प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और भेजेंगे। हम शीघ्र नई भूमि का अधिग्रहण भी करेंगे, अधिग्रहण करके उनको देंगे और जो अभी 6

(श्री युनुस खान)
लेन एक तरफ और 6 लेन एक तरफ है, उनको बढ़ाकर अभी 7-7 लेन हो जायेंगे। उसके बावजूद भी उसमें आवश्यकता और है तो उसके लिये भूमि अधिग्रहीत कर देंगे।

दूसरा, जो इमरजेंसी व्हीकल्स जाते हैं, उनकी समस्या भी आपने बताई। मैं आपको यह कह सकता हूं कि राज्य सरकार तो अपने टोल की समीक्षा कर ही रही है, हम नई नीति बना रहे हैं जिसमें गांवों में असुविधा नहीं हो। वहां स्थानीय लोगों को असुविधा न हो, वह तो करेंगे ही करेंगे लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ में भी एक बैठक शीघ्र ही विधान सभा सत्र खतम होते ही करके, उस क्षेत्र की जो समस्या आ रही है, उनका समाधान करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, नहीं, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसमें सवाल-जवाब नहीं होता। आप बोल लिये। नहीं दूंगा, बिलकुल नहीं। यह बहस का विषय नहीं हो सकता। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। विशेषाधिकार आ रहा है। हां, विशेषाधिकार।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

डा. किरोड़ीलाल मीणा, विधायक द्वारा श्री ओमप्रकाश, विधायक को जान से मारने की धमकी

श्री ओमप्रकाश (महुवा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं से जुडे कार्य पर मैंने कल यहां कुछ बोलने की कोशिश की। मैं राजस्थान विधान सभा में पहली बार विधायक चुनकर आया और एक बेटी की अपहरण की बात मैंने कही और उस अपहरण की बात को लेकर विधान सभा परिसर में मेरे साथ जो वाकया हुआ, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार पर बोलने के लिये मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बोलिये बोलिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 7 करोड़ जनसंख्या है जिसमें से 4 करोड़ के आसपास मतदाता हैं और यह राजस्थान की 7 करोड़ की जनसंख्या हम 200 विधायकों को अपने मन से, अपनी भावना से चुन कर भेजती है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करें, उनके लिये अच्छे से अच्छा, बेहतर कानून बना सकें और कार्यपालिका के द्वारा उनका पालन करवा सकें।

महोदय, हमारा फर्ज बनता है कि हम गरीब, दीन, दुखियों की बात को राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत जो राजस्थान की विधान सभा है, उसमें रखें। हमारा फर्ज यह नहीं बनता कि जो व्यक्ति आम सड़क पर अपराध करके आता है और हम उनको संरक्षण दें। यह बड़े शर्म की बात है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 21 जुलाई, 2014 को राजस्थान की विधान सभा सदन में एक गरीब लड़की के अपहरण के बारे में मैंने अवगत कराना चाहा तो कुछ लोगों ने हो-हल्ला कर दिया और बात को नहीं सुना। परन्तु जब मैं आपके आसन की तरफ बढ़ा तो लालसोट से आने वाले विधायक महोदय ने मुझे देख लेने की बात कही उसी बात को लेकर के विधान सभा परिसर के पश्चिमी गेट पर जहां पर प्रेस कान्फ्रेंस होती है। वहां पर आदरणीय विधायक महोदय ने जो बात कही, मैं उनके शब्दों में ही आपसे कहना चाहूंगा। वहां पर डाक्टर किरोडी लाल मीनाजी मेरी तरफ दौड़ कर आये और कहा ''तू चींटी है, साले तुझे काट दूंगा, जान से मार दूंगा, तुझे वसुंधरा कब तक बचाएगी, मैं तुझे मरवा दूंगा'' इस प्रकार का कथन कह कर के मुझे मारने के लिये लपके तो मेरे साथी विधायक कंवर लाल मीना ने बीच-बचाव किया और डाक्टर किरोडी लाल मीना ने कहा, विधान सभा में मेरे विरुद्ध एक भी शब्द बोला तो तेरा जीवन खतम कर दूंगा। (व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, केवल हुडलाजी का वक्तव्य आप नोट करें। यह आज अति स्थिति आ गई, न तो इधर से कोई शब्द आएगा, केवल हुड़लाजी का अंकित होगा। उनको मैंने परमिशन दी है।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री ओमप्रकाश (महुवा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से आने वाली विधायक जो हैं, आदरणीय गोलमाजी को मैं मां समान मानता हूं और मैंने कल भी जब इन्होंने मेरे साथ कुत्ता और गाली-

(श्री ओमप्रकाश)

गलौज करने की बात कही तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका आदर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं और आप मुझे चप्पल भी मारेंगी तो मैं चप्पल भी खाने को तैयार हूं।

लेकिन इसके बाद, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह का कार्य हम जन प्रतिनिधि और विधायक महोदय करेंगे तो यह आम जनता का विश्वास उठ जाएगा। जिस तरह से मुझे मारने की धमकी दी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर किरोड़ी लाल मीना पिछले 15 साल में जितने भी चुनाव लड़े हैं। बूथ कैप्चर के दम पर इस विधान सभा में पहुंचे हैं। चाहे लोक सभा की बात हो, चाहे विधान सभा की बात हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पिछला लोक सभा चुनाव का...

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री ओमप्रकाश (महुवा): अध्यक्ष महोदय, पिछले चुनावों को आप देख लीजिए जिन पोलिंगों पर 90 परसेंट से अधिक पोलिंग हुआ है लोक सभा में, उन सारे पोलिंगों पर और महुवा विधान सभा क्षेत्र की बात करें तो इस चुनाव में भी 32 पोलिंग ऐसे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 88 परसेंट से ज्यादा पोलिंग हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप विशेषाधिकार पर बोलिये। (व्यवधान) आप तो विशेषाधिकार पर बोलिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक लड़की है अभागी जिसकी उम्र 17 साल और 11 महीने है। उस लड़की को सिकराय निवासी हंसराज भगाकर के 6-7 जून की रात्रि को ले गया। सिकराय, जयपुर, दिल्ली, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, दौसा घुमाता हुआ सुबह सात बजे हंसराज उस लड़की को लेकर के, हंसराज, जलसिंह, लेखराज, पूरण मीना जो कि किशनगढ़ में हैड कांस्टेबल की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में काम करता है और हंसराज का बहनोई रामप्रसाद जो बैंक में मैनेजर है, चेतराम मीणा और हंसराज का ससुर डाक्टर किरोड़ी लाल मीना के निवास पर लेकर पहुंच गए।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री ओमप्रकाश (महुवा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लड़की ने 164 का बयान दिया। इन सारे लोगों ने हंसराज के पक्ष में लड़की पर बयान देने का दबाव बनाया।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, नहीं, आप बैठिये।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश (महुवा): यह पूरा विषय सदन पटल पर रखना चाहता हूं।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

डा. किरोड़ीलाल, विधायक द्वारा श्री ओमप्रकाश, विधायक को जान से मारने की धमकी देने सम्बन्धी विशेषाधिकार हनन प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट

श्री अध्यक्ष: मैं जो यह एक प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव पर मैं अपनी व्यवस्था देता हूं कि श्री ओम प्रकाश, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रक्रिया के नियम-157 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2014 को शून्यकाल के दौरान थाना टहला जिला अलवर में दर्ज एफआईआर संख्या-118/2014 एवं इसी सम्बन्ध में थाना सिरोही में दर्ज एक अन्य एफआईआर संख्या-161/2014 के सम्बन्ध में मैंने विचार किए थे। विधान सभा में मेरे द्वारा सदन में शून्यकाल के दौरान प्रकट किए गए विचारों से डाक्टर किरोडी लाल उत्तेजित हो गए। उसके उपरांत उसी दिन जब मैं विधान सभा के पश्चिमी द्वार के बाहर खड़ा था, यहां डाक्टर किरोड़ी लाल दौड़कर मेरे नजदीक आये और मुझे अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। यह मामला अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। इसके साथ ही माननीय सदस्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है। मैं इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को प्रक्रिया के नियम-162 के अंतर्गत जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं तथा राज्य सरकार से भी यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश की सुरक्षा के सम्बन्ध आवश्यक कदम उठाये। विशेषाधिकार समिति अगली विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने के पहले दिन में अपना प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत करेगी। अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

आप कुछ कहना चाह रहे थे माननीय नरपतसिंहजी।

सूचना

चित्तौड़गढ़ में वितरित सोयाबीन के बीजों में अंकुरण नहीं

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सूचना मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा था। चित्तौड़गढ़ ज़िले में अभी जितना भी बीज वितरण हुआ कृषि विभाग के द्वारा, सोयाबीन का, वह अंकुरित नहीं हुआ है। वहां पर आंदोलन चालू किया है, गांव-गांव में इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि सारा यह जितना भी बीज वहां वितरित किया है। वह नीमच और मध्य प्रदेश की मण्डियों से खरीद कर वहां पर वितरित किया है। सब्स्टैण्डर्ड है, यह दूसरी बार ऐसी घटना इन पिछले चार-पांच वर्षों में हुई, इसकी जांच होनी चाहिए यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां वल्लभनगर में भी जितना बीज हुआ उसका अंकुरण नहीं हुआ कहीं पर भी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आपने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री जोगाराम।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले तो आप ध्यान आकर्षित ही करो, उसके बाद मंत्री बोलेंगे, उसके बाद आप बोलो।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

लूणी की ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आबंटन का अधिकार

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विषय रखा है उसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षण करता हूं। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-131 के तहत मैंने एक पूरा लिखकर के दिया है जिस पर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर रेस्पोंस करे।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का गठन वर्ष अगस्त, 2008 के अध्यादेश के माध्यम से किया गया। तत्पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 प्रस्थापित किया गया। अधिनियम की धारा-2 (क) खण्ड-8 में जोधपुर रीजन परिभाषित किया गया। इसके अन्तर्गत कुल 235 राजस्व गांव सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र के बाहर का ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया। नियमानुसार अधिसूचित जोधपुर रीजन का समस्त क्षेत्र, समेकित नियोजित विकास की दृष्टि से नगरीय क्षेत्र माना गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त राजकीय भूमि प्राधिकरण में निहित होने का प्रावधान है। तदनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में होने से भूमि आबंटन आदि की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत की सहमति की आवश्यकता नहीं है। जोधपुर रीजन में सम्मिलित समस्त राजस्व गांवों की भूमि आबंटन नियमन आदि की जिम्मेदारी के साथ-साथ इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाने की जिम्मेदारी भी विकास प्राधिकरण की है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के गठन से अब तक प्राधिकरण द्वारा लूणी विधान सभा क्षेत्र में 237 विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। जिनमें से 198 विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जोधपुर रीजन के विभिन्न सामुदायिक सुविधा के लिये भूमि आबंटन हेतु लूणी विधान सभा क्षेत्र में जी.एस.एस. स्थापित किए जाने हेतु कुल 12 प्रस्ताव जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं इनमें से छह प्रकरण गांव नागड़ाकलां, कुडाला, जानादेसर, दहीकलां, मोड़ी और जोशियान व पालासिंग जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर जोधपुर को प्रेषित किये गये हैं। प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में जीएसएस हेतु आबंटन के चार प्रकरण गांव डांगियावास, खाराबेरा, जोलियाली और नरबा के प्रस्ताव में सम्मिलित भूमि की किस्म गोचर होने के कारण राज्य सरकार के मार्गदर्शन चाहा गया था जिन पर राज्य सरकार द्वारा आबंटन हेतु मार्गदर्शन हाल ही में दिया जा चुका है। शेष दो प्रकरण ग्राम लोहिचाकलां और जेलेली दहीकलां से सम्बन्धित है। इनमें स्थान और क्षेत्रफल स्पष्ट नहीं होने के कारण अधिशासी अभियंता जोधपुर डिस्काम को सूचना चाही गयी है। सूचना प्राप्त होने पर आबंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जानी सम्भव होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ग्राम पंचायत को सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आबंटन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का अधिकार दिया जाना और आबादी क्षेत्र से पांच सौ मीटर की परिधि में आबादी विस्तार हेतु भूमि आबंटन करने हेतु अधिकृत कर आबादी के पट्टे जारी किये जाने के अधिकार दिये जाने का उल्लेख किया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण का उद्देश्य जोधपुर रीजन में नियोजित विकास करना है जिसके लिये मास्टर प्लान तैयार किया जाकर सभी क्षेत्रों में समुचित विकास किया जा सके। जोधपुर क्षेत्र की परिधि में व्यवस्थित एवं समुचित नगर विकास को सुनियोजित करने के उद्देश्य से परिधि क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस परिधि क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधा के साथ आबादी विस्तार के अतिरिक्त दुग्ध शाला, फलोद्यान, पौधशाला, फार्म हाउस, रिसोर्ट, मोटल, ईंट भट्टे, कृषि आधारित उद्योग, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम आदि स्वीकृत किये जा सकते हैं। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूर्ण विकास हो सके। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान अवधि के लिये ग्राम पंचायतों को आबादी क्षेत्र से ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांवों के लिये पांच सौ मीटर और अन्य गांवों के लिये दो सौ मीटर की परिधि में पट्टे आदि प्रदान करने के लिये शक्तियां दी थीं। परन्तु उक्त आदेश वर्तमान में प्रभावी नहीं है। उक्त शक्तियां केवल अभियान अवधि के लिये ही प्रदान की गई थीं। प्रस्तावानुसार आबादी विस्तार हेतु भूमि आबंटन करने तथा आबादी के पट्टे पंचायत स्तर पर दिये जाने के अधिकार दिया जाना प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित विकास की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आबंटन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जाती है। अत: उक्त अधिकार परिधि क्षेत्र में गांवों, पंचायतों में दिये जाने का प्रस्ताव विचार योग्य नहीं है। सार्वजनिक सुविधा हेतु भूमि उपलब्ध हो सके, नियोजित विकास भी अवरुद्ध न हो इस हेतु प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: स्पष्टीकरण हेतु आपको कोई सवाल करना है तो यह सामान्य चर्चा का विषय नहीं होगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन रहेगा मेरा। दो स्वतंत्र निकाय हैं एक ग्राम पंचायत है जो सन् 1973 के संशोधन के उपरांत एक स्वतंत्र निकाय है एक आटोनोमस बाडी है और इसी तरह जोधपुर विकास प्राधिकरण भी एक स्वतंत्र निकाय है। अब प्रश्न यह है कि रोजाना आम नागरिक जो भुगतता है वह यह है कि पंचायत क्षेत्र में जो

(श्री जोगाराम पटेल)

भूमि है वह धारा-50 के अनुसार पंचायत के अधिकार की है उसकी जूरिस्डिक्शन है और धारा 67 जो है वह जेडीए एक्ट का है वह यह कहता है भले ही जेडीए है या नहीं है कोई भी परिस्थिति में जेडीए उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है तो क्या जेडीए ग्राम पंचायत के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही करके जेडीए की धारा 67 की जो लैंग्वेज है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उसमें इतने अधिक पावर दे दिये हैं कि वह किसी के भी विरुद्ध यह मानते हुए कि जमीन उनकी है उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा जो सम्भव नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय सरकार से कि धारा 67 जेडीए एक्ट और धारा 50 पंचायत एक्ट और लोक भूमि जो पब्लिक लैंड कहते हैं इन दोनों का जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा, दो स्वतंत्र निकायों का आपस में विवाद हमेशा ही रहेगा। धारा 67 में लिखा है, Public Land. "Whoever make any encroachment in any land or space, not being a private property whether such land or space belonging to or vest in the authority or not, except step or overdrawn by the public estate, shall on conviction be punished with a simply imprisonment which shall not be less than one month which may extend into two years."

और धारा 50 में यह लिखा पंचायत एक्ट में कि इसकी सारी जो पब्लिक लैण्ड है जो धारा 2(20) में परिभाषित है जिसमें नाले, नदी, आगोर, गोचर ये सब लिखे हैं ये सब पंचायत के क्षेत्राधिकार में है और पंचायत लोक भूमि या सामान्य भूमि ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के अनन्य कब्जे में उपयोग में नहीं है किन्तु सामान्यत: किसी स्थानीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपयोग में ली जाती है और धारा 50 में इसके रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी पंचायत को दी गई है। अब पंचायत अगर उसका मैनेजमेंट करती है रखरखाव करती है तो जेडीए कहता है कि नहीं आप नहीं कर सकते। हम आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। तो इन दो स्वतंत्र निकायों की दो धाराओं में जो अस्पष्टीकरण है या एम्बीग्यूटी है या कंट्रोवर्सी है या कोन्ट्राडिक्शन है इसको ठीक किया जाए।

श्री अध्यक्ष: आ गया आपका। विराजिये। माननीय मंत्रीजी, इसका स्पष्टीकरण कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जेडीए एक्ट के आ जाने के बाद वह अपने आप में सुपर एक्ट के रूप में आता है और उसके पेरीफेरी में जो गांव आते हैं, उनका

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विकास ढंग से हो, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता न हो जाए और उसके कारण से जेडीए एक्ट के तहत 9 में ही इन सारे 235 गांवों की जमीन को या उसके एरिया को इसमें समाहित किया है। यहां जो पंचायत एक्ट है वह प्रभावहीन हो गया और जेडीए एक्ट अपने आप में एक तरह स्थापित हो गया इसके कारण से। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य आपकी बात से मैं थोड़ा सा सहमत इसलिये हूं कि जो सार्वजनिक उपयोग के लिये कोई आवश्यकता अगर उस गांव की है, वहां चाहे स्कूल खुले चाहे आंगनबाड़ी खुले चाहे और कोई ऐसा काम हो जिससे सार्वजनिक उपयोग हो उसमें अगर कभी कोई एप्लाई करता है तो समय पर निस्तारण हो इसमें समय में विलम्ब हुआ है इसमें कोई दोराय नहीं। कुछ तो इस कारण से हुआ कि वह क्षेत्राधिकार में ही नहीं था जेडीए का वह था कलक्टर का और यहां आकर के, लेकिन हमारे यहां आये हुए एप्लीकेशन को तुरन्त हमको कलक्टर को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। ये सारी प्रक्रिया इस प्रश्न के आने के बाद और पिछले दो महीनों में हुई, इसमें जरूर लगता है कि कहीं न कहीं ढिलाई रही है। भविष्य में ढिलाई नहीं रहेगी सार्वजनिक कामों के लिये जो भी अधिकार जेडीए को प्राप्त है, उसके अनुसार उसको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधी लाइन You permit me. माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि जेडीए एक्ट प्रभाव में आने से ये पंचायत एक्ट स्वत: ही निष्प्रभावी हो गया। कानूनी स्थिति यह नहीं है। जब तक पंचायत एक्ट में प्रोविजन बना कर के या जेडीए एक्ट में सुपरवेटरी प्रोविजन बना कर के यह नहीं किया जाएगा, स्वत: ही नहीं होगा। इसलिये मेरा पुन: निवेदन है मंत्री महोदय कि या तो पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए या जेडीए एक्ट में ऐसा प्रोविजन बनाया जाए कि जेडीए एक्ट प्रभाव में आने से ही पंचायत एक्ट स्वत: ही निष्प्रभावी हो गया। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दे दीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये एक्ट बनाया उस समय इस बात को ध्यान में रख करके ही बनाया और उसकी भावना को नये एक्ट में डालने के बाद ही अधिकार जेडीए ने लिये हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 व 2013-14

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री सुरेन्द्र पारीक।

याचिका

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

जयसिंहपुरा खोर ग्राम में बीसलपुर परियोजना से पानी सप्लाई करने बाबत

(1) विधान सभा क्षेत्र हवामहल (जयपुर) के वार्ड संख्या 76 के ग्राम जयसिंहपुरा खोर में बीसलपुर परियोजना से पानी सप्लाई करने बाबत।

हवामहल (जयपुर) के वार्ड सं. 76 के ग्राम जयसिंहपुरा खोर में सड़क निर्माण कराये जाने बाबत

(2) विधान सभा क्षेत्र हवामहल (जयपुर) के वार्ड सं. 76 के ग्राम जयसिंहपुरा खोर में रामगढ़ मोड़ स्थित नाई की थड़ी होते हुए कुण्ड रोड पर सड़क निर्माण कराये जाने बाबत।

हवामहल (जयपुर) के वार्ड सं. 76 के ग्राम जयसिंहपुरा खोर में गंदे नाले की सफाई एवं नाला ढकने बाबत

(3) विधान सभा क्षेत्र हवामहल (जयपुर) के वार्ड सं. 76 के ग्राम जयसिंहपुरा खोर में गंदे नाले की सफाई एवं नाले को ढकने बाबत् याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

अरांई (अजमेर) पर जिला उद्योग उप केन्द्र की स्थापना कराने की स्वीकृति बाबत

(1) तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) पर जिला उद्योग उप केन्द्र की स्थापना कराने की स्वीकृति बाबत् ।

किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित राजकीय सिटी डिस्पेंसरी को सैटेलाइट हास्पिटल में क्रमोन्नत कर आवश्यक स्टाफ सृजित करने बाबत

(2) उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित राजकीय सिटी डिस्पेंसरी को सैटेलाइट हास्पिटल में क्रमोन्नत कर आवश्यक स्टाफ के पदों को सृजित करने बाबत् याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बालूराम चौधरी।

रजनी विहार कालोनी, जयपुर में सड़क निर्माण से वंचित शेष गलियों में सड़क निर्माण बाबत

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर स्थित रजनी विहार कालोनी में सड़क निर्माण से वंचित रही शेष गलियों में सड़क निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं इंतजार ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मेरी गलती हो गई।

ब्यावर में मेडिकल कालेज बाबत

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नहीं, नहीं साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ब्यावर में मेडिकल कालेज बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हो गया, वैरी गुड।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: क्या दूसरा कुछ है क्या? अच्छा, भैरारामजी चौधरी ने भी दी है। भैरारामजी चौधरी।

ओसियां में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपकी

(श्री भैराराम चौधरी)

अनुमति से मेरी विधान सभा क्षेत्र ओसियां के उपखण्ड मुख्यालय ओसियां में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत कीजिए।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 193,72,23,85,000/- (एक सौ तिरानवे अरब बहत्तर करोड़ तेईस लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिये परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: आज की बहस का प्रारम्भ करेंगे श्री वासुदेव देवनानी।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक शब्द नहीं है बल्कि मंत्र है। जिसने भी शिक्षा के मंत्र को पा लिया वह रंक से राजा हो जाता है और जो इसको ठुकरा देता है उसे राजा से रंक बनने में भी देर नहीं लगती। समाज भी यदि इस मंत्र को पा लेता है तो संस्कारित समाज की रचना होती है। इसी प्रकार यह देश और राष्ट्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। वही राष्ट्र आगे बढ़ता है जिसका समाज शिक्षित व संस्कारित होता है और यह मंत्र के आधार पर हमारी सरकार में, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इस बजट में शिक्षा को प्रमुखता दी है। यह सकारात्मक सोच केवल इस बजट में नहीं लेकिन 2003 से 2008 के दौरान इसी सकारात्मक सोच के आधार पर बजट प्रस्तुत किया और पांच वर्ष तक हमने शिक्षा के प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, तकनीकी एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा में बजट के आधार पर, नये सोच के आधार पर हम राजस्थान में आगे बढ़ते गए और उसी का कारण था राज्य शिक्षा क्षेत्र में दूसरे नम्बर

(श्री वासुदेव देवनानी)

पर आ गया। यदि हम 2008 के बाद पुनरावलोकन करें तो गत 5 वर्षों के अन्दर पूरे शिक्षा जगत में अराजकता, अव्यवस्था व अकर्मण्यता का एक चिंताजनक वातावरण चारों और दिखाई देने लगा। उसी के फलस्वरूप राजस्थान जो दूसरे नम्बर पर था वह दूसरे नम्बर से पीछे गिरते-गिरते 12वें नम्बर पर पहुंच गया। यह केवल पिछले 5 वर्षों के दौरान हुआ, पिछली सरकार की जो नीतियां थी, शिक्षा के प्रति उपेक्षा और उदासीनता पूर्वक रवैया था जिसने इसको यहां तक धकेल दिया। इस सारी परिस्थितियों से निकलने के लिये हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ मुद्दों पर मैं सरकार का आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी स्कूलों में गिरता हुआ नामांकन है। आज योग्य शिक्षकों के होने के बावजूद बोर्ड के परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं रहते। मैरिट सूची में कहीं न कहीं सरकारी स्कूल का नाम हमको ढूंढना पड़ता है, आखिर यह स्थिति क्यों बनी, जबकि हमारे पास 50961 प्राइमरी स्कूल हैं, 23108 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, 8837 सैकण्डरी स्कूल हैं, 4418 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है। लाखों अध्यापक हमारे पास हैं। सर्वशिक्षा अभियान का हमने पैसा लगाया है लेकिन फिर भी आज जो गिरता हुआ नामांकन है, गत पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में नामांकन गिरा है। स्थिति यहां तक पहुंची कि जो पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थी होते हैं उसमें से 10वीं, 12वीं तक पहुंचते-पहुंचते उनकी संख्या 27 रह जाती है और कालेजों में वह संख्या भी 11-12 हो जाती है। तो यह राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है। यह जो दृश्य उपस्थित हुआ, यह गत 5 वर्षों में शिक्षा जगत के अन्दर जो किए गए काम थे, करम थे, उसका परिणाम है।

(13.55 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

पिछली सरकार के हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने समानीकरण की बात कही। उन्होंने समानीकरण के आधार पर मनमानीकरण किया, जिसका परिणाम निकला कि आज 142 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं होने के बावजूद वहां पर 252 अध्यापक हैं। कई स्कूलों में 15 और 30 विद्यार्थी होने के बावजूद वहां पर हजारों अध्यापक हैं, यह समानीकरण के नाम पर केवल मनमानीकरण उन्होंने किया। हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को ठीक करने का विचार किया है लेकिन उसमें मैं सरकार से और माननीय शिक्षा

(श्री वासुदेव देवनानी)

मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि किसी सरकारी अधिकारी के आधार पर हम पूरे राजस्थान को एक ही लाठी से नहीं हांकें। एक ही आधार पर एकीकरण और समानीकरण की बात नहीं कहें। हमको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का भी विचार करना पड़ेगा। आज जैसलमेर है वह एक ढाणी होगी, उस ढाणी में विद्यार्थी कम भी होंगे। कई दूर-दराज के गांव होंगे, वहां भी कम होंगे और साथ में कुछ कच्ची बस्तियां होंगी, कुछ अल्पभाषी विद्यालय होंगे, कुछ सिंधी भाषा के विद्यालय होंगे, कुछ गुजराती भाषा के विद्यालय होंगे, कुछ उर्दू भाषा के विद्यालय होंगे। उन भाषाओं को भी बाकी की तरह हम एक ही नियम के आधार पर यदि एकीकरण और समानीकरण की बात कहेंगे तो निश्चित रूप से उससे कठिनाइयां खड़ी होंगी। इसलिये मेरा सुझाव है जहां छात्र कम हैं, वहां पद कम कर दिए जाए और जहां पर एक ही स्कूल के अन्दर एक ही भवन के अन्दर दो-दो, तीन-तीन स्कूल चल रहे हैं एक ही बिल्डिंग के अन्दर प्राइमरी भी चल रहा है, अपर प्राइमरी भी चल रहा है, सैकण्डरी भी, उनको आप एक करिये। देखिये, एक ही वार्ड के अन्दर एक ही क्षेत्र के अन्दर यदि हम उनका एकीकरण के आधार पर एक बिल्डिंग या एक प्रशासन के अन्तर्गत लाएंगे तो न तो उस बिल्डिंग में इतनी व्यवस्था होगी, न इतने कमरे हैं, न इतने अध्यापक हैं, यदि हम एक ही प्रिंसिपल से चलाना चाहेंगे तो प्रशासन भी उसको कन्ट्रोल नहीं कर पाएगा। अत: मेरा सुझाव है कि आप जिलाश: जनप्रतिनिधियों और शिक्षा अधिकारियों की एक कमेटी बनाये, उस जिले के जो स्कूल हैं उसके एकीकरण का जो प्रस्ताव है उसमें मेरे जनप्रतिनिधियों की बात भी सुनी जाए। वह अपनी बात कह सके, अपने सुझाव दे सके, नहीं तो उनको पता ही नहीं है। मालूम पड़ जाएगा कि उनके दो स्कूल, एक ही स्कूल में समायोजित हो गए और वहां स्कूल बंद हो गया। इस प्रकार की धारणाओं से निश्चित रूप से कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

दूसरा, मेरा यह है कि यदि आप शिक्षक के कार्यभार की गणना करते हैं तो केवल उसको पीरियड से मत आंकिए, वह छात्रवृति है, परीक्षा है, सहशैक्षणिक गतिविधियां हैं उसके अन्य कार्य भी हैं, उसको भी उसके साथ आप लेंगे तो आप सही न्याय कर पाएंगे। आप यदि गवर्नमेंट के स्कूलों का परिणाम अच्छा चाहते हैं तो प्रत्येक स्कूल में एनसीईटी के अनुसार प्रत्येक कक्षा संकाय एवं विषय के लिये तृतीय श्रेणी शिक्षकों से लेकर व्याख्याताओं तक की व्यवस्था करेंगे तो हम सरकारी स्कूलों से अच्छे परिणामों की अपेक्षा भी कर पाएंगे। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस एकीकरण के लिये जो कुछ

(श्री वासुदेव देवनानी)

नियम की चर्चाएं हैं उस आधार पर आप जनप्रतिनिधियों को शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठा कर उनको विश्वास में लें तो यह एकीकरण की योजना जो किसी हद तक, कहां विद्यार्थी कम हैं, उस आधार पर हम सही प्रकार से उसका पालन कर सकेंगे।

दूसरा सबसे बड़ा विषय विद्यार्थी मित्रों का है। विद्यार्थी मित्र हमारी सरकार ने ही लगाए थे। आज आंदोलन भी कर रहे हैं। आज सुबह भी सारे एमएलएज के घरों पर वे समूह में पहुंचे हैं। हम केवल एक ही वाक्य के आधार पर यदि निर्णय करेंगे कि साहब हाई कोर्ट का निर्णय है। यह सत्य है, हाई कोर्ट के निर्णय की पालना सरकार को करनी होती है। जो निर्णय है उसकी पालना अक्षरत: करें लेकिन समस्या है, उस समस्या के समाधान के कई दूसरे भी प्रकार हो सकते हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। आखिर नौ

(14.00 बजे)

वर्ष से वे सेवा कर रहे हैं। शिक्षा में उन्होंने बढ़ावा दिया है। आज रातों-रात एक ही आदेश से कह दें कि तुम कल से मत आना, तो यह कई हजारों मेरे शिक्षकों के साथ, उनके जीवन के साथ निश्चित रूप से एक खिलवाड़ होगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इनकी समस्या पर विचार करें और इसके लिये एक अलग कैडर बनाने की आवश्यकता हो तो अलग कैडर बनाएं। अलग कैडर बनाने में कहीं दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। यह हाई कोर्ट का निर्णय है। हम कई विषयों पर सुप्रीम कोर्ट में पहले गये हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच में गये हैं। इस मुद्दे पर भी, क्योंकि इसमें उनका दोष नहीं है। नियुक्तियां हमने दी थीं। हमने एडवरटाइज करके लोकल लेवल पर उनका अपाइंटमेंट किया है। इसलिये आज हम उनके बारे में निर्णय करते हैं तो कठिनाइयां होंगी।

तीसरा मुद्दा, गुणवत्ता के सुधार हेतु मेरे कुछ सुझाव हैं। आर.टी.ई. लागू हुआ 2009 में। खूब सराहना हुई, सारे राज्यों को लागू करना पड़ा। लेकिन आज हम आठवीं तक फैल नहीं करेंगे। यह जो उस आर.टी.ई. के अन्दर लिखा हुआ है, उसके आधार पर आज स्कूलों में सारी गुणवत्ता समाप्त हुई है। विद्यार्थी जानता है, मैं फैल होऊंगा नहीं, स्कूल आता नहीं है। अध्यापक भी प्रसन्न रहता है कि ठीक है, कुछ नहीं भी पढ़ाऊंगा तो अगली कक्षा में तो चढ़ जाएगा। लेकिन यह नवीं और दसवीं में आ करके जो परिणाम दिखते हैं, वह निश्चित रूप से इस कारण हैं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इस आर.टी.ई. के

(श्री वासुदेव देवनानी)

अन्दर संशोधन के लिये, चूंकि यह आर.टी.ई.ए. केन्द्र सरकार का है, इसलिये केन्द्र सरकार को लिखें। इसमें संशोधन करवाएं। साथ में एक संशोधन और करवाएं। यह गुणवत्ता क्या है, मैं भी एक स्कूल में गया। मैंने अध्ययन किया, जिस स्कूल का परिणाम पहले अच्छा आता था तो आज कमजोर कैसे हुआ। ध्यान आया कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश और विशेष शिक्षण के माध्यम से उस विद्यार्थी के स्तर को बढ़ाने का जो उसके अन्दर विषय है कि आप 12 साल के हैं तो आपको सीधा पांचवीं में प्रवेश दे देंगे। फिर आप नीचे का उसको अलग से पढ़ा करके पांचवीं के बराबर उसको ले आओ। यह सम्भव नहीं है। आज 14 वर्ष का है। आप सीधे उसको आठवीं में भर्ती कर दोगे? इन दोनों व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। तीसरा, जो आर.टी.ई. के अन्दर निजी शिक्षण संस्थाओं में 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये प्रवेश देने की जो उसमें कंडीशन है, उसका लाभ भी हुआ है। कई मेरे गरीब बच्चों ने वहां जाकर के प्रवेश भी लिया है। लेकिन आज भी कई प्राइवेट स्कूल हैं, जो इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। हम अभी तक अपनी प्रक्रियाओं को इतना मजबूत नहीं बना पाए हैं कि वह सारे स्कूल, चाहे वह मिशनरी स्कूल होंगे, चाहे बाकी स्कूल होंगे, 25 प्रतिशत मेरे गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वह प्रवेश दें। लेकिन उसमें निजी शिक्षण संस्थाओं की भी एक समस्या है। जिसको भी इस समय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उसका जो पुनर्भरण है वह सही समय पर सरकार नहीं करती। साल और दो साल बीत जाते हैं। उनके करोड़ों रुपये ड्यू हो जाते हैं। हमारी सरकार और हमारे अधिकारी उसका पुनर्भरण सही समय पर नहीं करते। सरकार से निवेदन करुंगा कि जहां एक ओर उन 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को वहां पर प्रवेश मिले। उस स्कूल में प्रवेश के लिये कितनी संख्या नियत है, वह पहले प्रचारित करे, घोषित करे, उसका 25 प्रतिशत निकाले। एप्लीकेशन इन्वाइट करे, उसकी लाटरी का सिस्टम है। कुछ इम्प्रूवमेंट पहले की तुलना में हमारी सरकार ने किये हैं। लेकिन वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में उन 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश मिले। साथ ही, निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर से भी उनका पुनर्भरण सही समय पर हो। चौथा मुद्दा, जो गुणवत्ता के आधार पर मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि डी.ई.ओ. के पद बढ़ाये जाएं। पहले एक डी.ई.ओ. रहता था। उसके पास केवल डेढ़ सौ से दो सौ स्कूल होते थे। लेकिन आज जो डी.ई.ओ. हैं, प्रत्येक डी.ई.ओ. के पास लगभग ढाई हजार स्कूल हैं। वह ढाई हजार स्कूलों की कैसे मानिटरिंग करेगा

(श्री वासुदेव देवनानी)

कैसे उनकी व्यवस्था करेगा? फिर भी हमारे कई डी.ई.ओ. तो पातेय वेतन पर चल रहे हैं। डी.ई.ओ. के नये पद सृजित करके उसको ठीक करें तो मोनिटरिंग ठीक होगी। पांचवां, डी.पी.सी., दो-दो वर्ष, तीन-तीन वर्ष नहीं होती। डी.पी.सी. के अनुसार हम पातेय वेतन पर प्रमोशन देते रहते हैं। पातेय वेतन पर कर्मचारी जब कुंठित होता है तो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। सही समय पर आप डी.पी.सी. चलाइये। इसमें एक मुद्दा, हमने जैसे पहले कहा कि आप एकीकरण के आधार पर कहते हैं कि सारे अध्यापक सृजित हो जाएंगे, नये पदों की शायद आवश्यकता नहीं होगी। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान में आज भी केन्द्र सरकार से हमको 65 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। फिर भी सरकार ने पद नहीं भरे। इसके कारण से केन्द्र का अनुदान आया ही नहीं। पहली बार साढ़े सात सौ करोड़ आया। फिर ढाई सौ करोड़ आया और तीसरी बार शून्य हो गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें भी केन्द्र से जो हमारा हिस्सा मिलने वाला है, उससे हमको हाथ धोना पड़े। इसीलिये हम स्कूलों में अध्यापक एकीकरण के साथ-साथ अध्यापकों की भर्ती भी करें, जिससे हजारों और लाखों अध्यापकों की भर्ती का श्रेय 2003 से 2008 तक हमारी मुख्य मंत्रीजी माननीय वसुंधराजी को मिला, वह श्रेय इस कार्यकाल में भी मिले, इसके लिये अध्यापकों की नियुक्ति के लिये एक सुझाव दूंगा कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, हम उन सब प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी स्कूलों में क्रमोन्नत कर दें। पांचवीं तक वहां पढ़ता है, आठवीं तक उसको दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। यदि हम सभी प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी में बदलेंगे और वहां 8 प्लस एक के फार्मूले से अध्यापकों की संख्या निकालेंगे तो आज भी अध्यापकों के पद हमको मिलेंगे और उसमें केन्द्र सरकार से हम अनुदान ला सकेंगे। यह शिक्षा के मेरे कुछ सुझाव उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिये हैं।

अब जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके कर्मचारियों को पिछली सरकार ने जल्दबाजी में सरकार में समायोजित कर दिया। कुछ ने उस समय सराहना की, कुछ ने माला पहनाईं, सब बातें हुईं लेकिन आज वे सारे शिक्षक और कर्मचारी बहुत दु:खी और परेशान हैं। उसमें यह था कि वे ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे। यह ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में तो रहेंगे क्योंकि ग्रामीण सेवा आपने विकल्प में भरा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनको अपने घर से सैकड़ों मील दूर जाकर के पटक दें और कह दें कि तुम जीवन भर वहीं रहोगे। उनकी समस्या को भी सुनना और उनके लिये भी वैसी कोई नीति बनाना कि जिसके

(श्री वासुदेव देवनानी)

आधार पर वे लोग अपने घर के नजदीक, जहां भी आप उस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रखिये, शहर में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा भले ही होगी, लेकिन नहीं आ सकते तो नहीं आएंगे। मैं उसका आग्रह नहीं करता हूं। लेकिन उन सब लोगों को अपने जिले के अन्दर तो कम से कम ले आइये। मैं एक अनुदानित तकनीकी शिक्षण संस्था, जिस विद्या भवन से जुड़ा रहा हूं, उसका उदाहरण दूंगा। उदयपुर के अन्दर निजी शिक्षण संस्था थी, एडेड थी। इन सारे के सारे लोगों को आपने वहां से ट्रांसफर कर नीमराणा भेज दिया। चपरासी है, चपरासी को पांच हजार, छह हजार रुपये मिलते हैं। वह उदयपुर से नीमराणा नौकरी कर रहा है। पिछले तीन साल से तड़प रहे हैं। उसकी बात पर पिछली सरकार ने तो कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करुंगा कि उनकी पीड़ा को भी सुनें। उसका कोई समाधान निकालें तो निश्चित रूप से उनको भी लाभ मिल पाएगा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक निवेदन करना चाहूंगा। पिछली सरकार के समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हालत खस्ता रही है। वहां का एफ.ओ. भ्रष्टाचार के अन्दर पकड़ा गया था। शायद अभी भी जेल में है। इसलिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिये जल्दी से जल्दी बोर्ड के चेयरमैन को लगाएंगे तो वहां की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी। नहीं तो एक डी.सी. के भरोसे, सरकारी अधिकारी के भरोसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक फोर्मल तो परीक्षा करवाना और इस तरह की गतिविधियां तो ठीक कर सकता है। लेकिन जो आज पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने चाहिए। पाठ्यक्रम समितियों का गठन होना चाहिए, वह सबका सब, आज जुलाई का महीना समाप्ति पर है, वह अभी तक सारा काम पेंडिंग है। मैं एक मुद्दा आपके सामने निवेदन करुंगा कि अपने यहां 9,178 पंचायतें हैं। सरकार ने घोषणा की है कि हर पंचायत समिति में हम चरणबद्ध रूप से सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलेंगे। यह बहुत स्वागत योग्य है, अभिनन्दनीय है। अभी भी जैसे 4900 पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं। इस मुद्दे पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि सीनियर सैकण्डरी स्कूल तो आप खोलें, लेकिन आज राजस्थान की एक बड़ी समस्या है, हमने विस्तार तो किया, कई इंजीनियरिंग कालेज भी खोल दिये। लेकिन आज इंजीनियरिंग कालेज में कोई एडमिशन लेने वाला नहीं है। कारण यह है कि जो फीडिंग सेंटर्स हैं, उन फीडिंग सेंटर्स में ही यदि साइंस विषय नहीं होगा तो इंजीनियरिंग कालेज में एडमिशन कहां से ले पाएंगे। इसीलिये आप अपने स्कूलों के अन्दर, सीनियर सैकण्डरी

(श्री वासुदेव देवनानी)

स्कूल जो आप खोलें या जो पुराने हैं, उनमें कम से कम चरणबद्ध रूप से साइंस फैकल्टी जरूर करें। क्योंकि आज राजस्थान के छात्रों में प्रतिभा है। कुछ परीक्षाओं में टाप किया है। अच्छे इंजीनियर और अच्छे डाक्टर्स तैयार हों। वह तब हो पाएंगे जब 12वीं के अन्दर साइंस मैथ्स और साइंस बायलोजी विषय होंगे। यदि यही नहीं होंगे तो केवल प्राइवेट स्कूल, जो शहर में हैं, जो अधिक फीस देकर के चल रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चे तो उससे महरूम रहेंगे। इसलिये उनको लाने के लिये अच्छा प्रयत्न किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि यदि आज ही सम्भव हो तो इसकी चरणबद्ध रूप से घोषणा करें कि हम जो स्कूल खोल रहे हैं, जो हमारी घोषणा है, या जो पुराने स्कूल हैं, जहां हमारी साइंस फैकल्टी नहीं है, कम से कम एक ऐसा मापदण्ड बना लें कि हम साइंस फैकल्टी धीरे-धीरे बढ़ाएं।

हम रीडिंग कैम्पेन चला रहे हैं, अच्छा है और जो REET का लगाया है, निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करता हूं, यह हमारा संकल्प यात्रा के अन्दर और उसके बाद भी हमारे घोषणा पत्र के अन्दर संकल्प था। इसके लिये मैं बधाई दूंगा माननीया वसुन्धराजी को और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कि उन्होंने इस टैट परीक्षा से हमारे लाखों छात्रों को रियायत दिलवायी है लेकिन गुणवत्ता धीरे-धीरे शिक्षा में लानी पड़ेगी क्योंकि आज जो दुर्दशा है, उसकी भी स्थिति आज बड़ी भयंकर खराब है कि आज बच्चे को अपना नाम लिखना नहीं आता है चौथी-पांचवी तक वाले को, कोई गणित का पहाड़ा नहीं आता। हम रीडिंग कैम्पेन तो चला रहे हैं लेकिन यह केवल रीडिंग कैम्पेन से नहीं होगा। यह वहां पर अध्यापकों की संख्या ठीक होगी, विद्यार्थियों की संख्या ठीक होगी, पढ़ाई का वातावरण होगा और उचित संसाधन यदि वहां पर उपलब्ध करा पाएंगे तो निश्चित रूप से हम राजस्थान को एक शैक्षिक दृष्टि से आगे ले जाएंगे।

अब मैं उच्च शिक्षा की ओर, हायर एजुकेशन की ओर दो-तीन अपने सुझाव रखूंगा। सरकार ने एक निर्णय अच्छा किया कि 11 जो महाविद्यालय हैं जिनमें साढ़े पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों की संख्या है उनकी फैकल्टी के आधार पर 15 नए महाविद्यालय खोलेगी। निश्चित रूप से किसी कालेज में साढ़े पांच हजार से ज्यादा है तो न तो उनके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रहता है और न पढ़ाई ढंग से हो पाती है। लेकिन इसमें एक चीज जोड़नी पड़ेगी कि अधिक विद्यार्थी या कालेजों का जब आप विभाजन की घोषणा करें तो उसका सार्थक परिणाम तब ही होगा जब कालेज विभाजन आदेश के साथ-साथ भूमि

(श्री वासुदेव देवनानी)

और भवन निर्माण में बजट का आबंटन हो, नहीं तो यह तो पिछली सरकार ने 42 कालेजों की जाते-जाते घोषणा कर दी और न भवन है। आज भी एक अख़बार में छपा है कि एक कालेज दो कमरों में चल रहा है। छात्रों ने एडमिशन ले लिया और हमको उनके कामों को ढोना पड़ रहा है। तो कम से कम यदि हम यह 15 नये महाविद्यालय खोल रहे हैं तो इसके बजट का आबंटन, भूमि का आबंटन और पदों का सृजन यह हम जरूर करें नहीं तो यह हालत पिछले उन 42 कालेजों की तरह होगी और यह निश्चित रूप से आज उचित नहीं है। हमने तीन नये जो विश्वविद्यालय पिछली सरकार के समय घोषणा की थी। सरकार पांच साल तक उस पर कुंडली मारे रही। एक पैसा नहीं दिया। नाम भी इधर गड़बड़ की और आज हमारी सरकार ने आते ही तीनों के लिये जो बजट का आबंटन किया है। चाहे वह भर्तृहरि विश्वविद्यालय हों, चाहे महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय हो, या दीनदयालजी के नाम का विश्वविद्यालय हो। तीनों को जो हमने बजट आबंटन किया है, निश्चित रूप से मैं इसके लिये माननीया मुख्य मंत्रीजी का अभिनन्दन करता हूं लेकिन मैं इसमें एक सुझाव दूंगा कि आप विश्वविद्यालय खोल रहे हैं लेकिन एक विश्वविद्यालय सम्पूर्ण विश्वविद्यालय बने, सम्पूर्ण विश्वविद्यालय तब बनता है जब उसके अन्दर कुछ विद्यार्थी हो, कुछ स्टाफ हो। इसके लिये मेरा सुझाव है कि उस स्थान का कोई गवर्नमेंट कालेज है, उसको वहां का संगठक महाविद्यालय यदि आप बनाएंगे तो स्टाफ भी उस विश्वविद्यालय को मिल जाएगा। उस विश्वविद्यालय को कैम्पस भी मिल जाएगा नहीं तो केवल जिस तरह से अजमेर और कोटा के कुछ विश्वविद्यालय हैं, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या केवल 800-900 है। वे विश्वविद्यालय नाम के हैं। यदि, वह वास्तव में विश्वविद्यालय बने तो निश्चित रूप से इसी आधार पर मैं कहूंगा कि इन तीन विश्वविद्यालयों के साथ वहां के स्थानीय महाविद्यालय संगठक महाविद्यालय घोषित करें लेकिन साथ में अजमेर, बीकानेर और कोटा तीनों विश्वविद्यालयों के साथ वहां के तीनों गवर्नमेंट कालेज यदि संगठक कालेज के रूप में आप जोड़ देंगे तो कालेज का स्टाफ उनको मिल जाएगा। कालेज के विद्यार्थी मिल जाएंगे। कैम्पस मिल जाएगा। आपके ऊपर अलग से कोई आर्थिक वज़न उसमें नहीं आएगा। आप उसके अन्दर कोई विकल्प मांग रहे हैं, कुछ करना है, जो सरकारी प्रक्रिया करनी है वह तो करनी ही पड़ेगी लेकिन सबसे अच्छा समाधान होगा। इसी प्रक्रिया के अन्दर जब अजमेर के अन्दर सावित्री कन्या महाविद्यालय को हमने ले लिया लेकिन आज भी उसकी परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। आज वहां पर छात्राओं

(श्री वासुदेव देवनानी)

की संख्या के अनुरूप पद सृजित नहीं हुए हैं। आज वह महाविद्यालय केवल चरमरा रहा है। छात्राएं पढ़ रही हैं। अध्यापक इधर-उधर से डेपुटेशन पर लगाये हुए हैं। कोई जी.सी. से लगाये हैं, कोई बाहर से लगाये हैं। पढ़ाई चल रही है लेकिन वह छात्राओं का कालेज एक अच्छे रूप में चले, इसके लिये वहां पर जो आवश्यक पद हैं वे सृजित किए जाएं। वहां पर प्राध्यापकों को भेजा जाए और वहां पर जो 18 लोग हैं जो उसमें अनुदानित में नहीं आते थे लेकिन 25-25 वर्ष से काम कर रहे थे। वह समस्या अभी तक आपके सामने है। अभी तक आपने उनको कंटीन्यू कर रखा है लेकिन उनको भी छह महीने से वेतन नहीं मिला लेकिन उनका भी कोई स्थाई समाधान आप निकाल सकें ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है और साथ में, आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उसका नाम राजकीय कन्या महाविद्यालय तो आपने रखा लेकिन सौ वर्ष से उसका नाम सावित्री के नाम से था, यदि उसका नाम आप सावित्री राजकीय कन्या महाविद्यालय रखेंगे तो निश्चित रूप से वह जो सौ वर्षों के साथ उसकी आइडेंटिटी है, सावित्री के साथ, वह जुड़ी रहेगी और उसके आधार पर अजमेर का मान और सम्मान भी उस कालेज का मेनटेन रहेगा।

एक बात के लिये मैं सरकार का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि जिन्होंने हायर एजुकेशन में कालेजों के अन्दर जो पद हैं, हमारी सरकार थी उस समय 913 पद खाली थे। हमने 457 पद भर दिए और 456 की प्रक्रिया शुरू कर दी। उस प्रक्रिया में इन्होंने पांच साल में हमारे द्वारा सृजित उन 456 पदों को भरा लेकिन इन्होंने एक भी पद की अभ्यर्थना आर.पी.एस.सी. को नहीं भेजी। जहां एक ओर हमारी सरकार ने आते ही 1118 पद जो इस समय रिक्त हैं, मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत बधाई दूंगा, अभिनन्दन करूंगा जिन्होंने फरवरी में ही 1118 पदों की तुरन्त अभ्यर्थना आर.पी.एस.सी. को भेज दी। इतना आज तक काम नहीं हुआ। यानी, पिछली सरकार में 913 भरने के बाद 1118 आपने भेजा, इसके लिये मैं आपका अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इस सरकार ने पद खाली होते ही आर.पी.एस.सी. को भेज दिया और मैं चाहूंगा कि वह भी जल्दी से जल्दी पद कालेजों में भरे जाएं तो निश्चित रूप से हमारी उच्च शिक्षा के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है वह पूरा होगा क्योंकि यदि कालेजों में पद नहीं होंगे तो नेट से एक्रीडेशन करवाना जो आज आवश्यक है वह नहीं हो पाता है। उसके कारण से यू.जी.सी. से कई बार अनुदान नहीं मिलता है। इसीलिये शोध की कमी और उपलब्ध संसाधनों की कमी के कारण हम कई बार यू.जी.सी. से जो अनुदान है, बाकी सारे विश्वविद्यालय अन्य प्रांत वाले ले

(श्री वासुदेव देवनानी)

जाते हैं और राजस्थान वाले इसमें पीछे रह जाते हैं। वे पद भरें। इसमें कहीं न कहीं एक कमी और है जो पिछले समय से हमारे पास विचाराधीन है कि कालेज के लेक्चरारों के पद नाम परिवर्तित किए जाएं। आज वहां भी यह यू.जी.सी. के मापदंड हैं कि कालेजों के अन्दर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद दीजिए। आपका एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। वह फाइल आपके पास विचाराधीन है। यदि हम उनके पद-नाम उनको दे सकेंगे तो यू.जी.सी. के मापदंडों को भी पूरा करेंगे। यू.जी.सी. से हम अच्छी ग्रांट भी ले पाएंगे और हमारा परीक्षा परिणाम भी अच्छा आएगा।

दूसरा, हमें पढ़ाने की तकनीक में परिवर्तन लाना चाहिए। नई तकनीक से पढ़ाने को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज वह जमाना लद गया जब ब्लैक-बोर्ड पर आप चाक और उससे पढ़ायें। अब आज नई टेक्नोलोजी आ गयी है। पावर-पाइंट से लेकर के सभी प्रकार से तो उस तरफ धीरे-धीरे हमको आगे बढ़ना चाहिए और यू.जी. और पी.जी. में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कौशल विकास हो, इसकी घोषणा बजट में की गयी है, निश्चित रूप से वह आगे बढ़ेगी और उसके आधार पर हमने स्किल यूनिवर्सिटी की भी जो घोषणा की है वह राजस्थान को निश्चित रूप से स्किल में आगे ले जाएगी और आगे बढ़ते-बढ़ते माननीय शिक्षा मंत्रीजी, पिछली बार भी मैंने बजट के समय भी कहा था, वह स्किल यूनिवर्सिटी आप अजमेर में बनाने की घोषणा करेंगे क्योंकि आपको बनानी तो है। यह तो तय हो गया। बनानी है तो उसके लिये चूंकि, अजमेर एक सम्भागीय केन्द्र ऐसा है कि जिसके आधार पर जहां केवल एक ही एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी है। आप कह देंगे कि साहब, वहां पर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिसाब-किताब अलग है। राजस्थान सरकार के बाकी जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, वे भी हर सम्भाग केन्द्र पर तीन-तीन, चार-चार हैं। वहां पर केवल मात्र एक है। इसलिये स्किल यूनिवर्सिटी वहां पर खोलें।

हायर एजुकेशन में एक बिन्दु पर और कहता हुआ आगे तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ूंगा कि ला-कालेजज की स्थिति खराब है। हमारी सरकार ने आते ही उनको कुछ भूमि, भवन और पैसा दिया है। अजमेर की ला-कालेज की बिल्डिंग बन गई है लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. के काम अधूरे पड़े हुए हैं और वर्षो से वहां पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। शिफ्ट न हो वह तो एक समस्या होगी ही लेकिन साथ में उनके एलएल.बी. के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। बार काउंसिल उनको मान्यता नहीं दे रही है तो राज्य के जो 15 ला-कालेज हैं उन सबको

(श्री वासुदेव देवनानी)

समय पर मान्यता मिले, कहीं फाइन नहीं देना पड़ेगा। पिछली बार अजमेर के कालेज को लाखों रुपए विश्वविद्यालय और बाकी बार काउंसिल को एक पेनल्टी के रूप में देना पडा है। वह स्थिति नहीं हो इसलिये 15 अपने जो ला-कालेज हैं, वे सब हों और अजमेर का ला-कालेज नए भवन में जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो इस प्रकार की आप व्यवस्था करें।

जोधपुर, जयनारायण विश्वविद्यालय, पिछली सरकार के समय में वहां पर भर्तियों में जिस प्रकार की अनियमितताएं हुईं इसी सदन के अन्दर हमने उसको कहा लेकिन उसकी जांच कितनी आगे बढ़ पाई, मुझे पता नहीं लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसकी तुरन्त जांच करायें और दोषी लोगों को निश्चित रूप से वहां पर सज़ा दिलायें। और इसके बाद भी इस विश्वविद्यालय के वर्तमान, उसको मैं कहूंगा भ्रष्ट कुलपति, जिसने भ्रष्टाचार किया, उसको फिर भी पी.टी.ई.टी. और बी.एस.टी.सी. की परीक्षा करवाने का जो काम मिला, चाहे वह पिछली सरकार के समय में मिला हो, लेकिन उसके बाद तो उन परीक्षाओं में भी धांधलेबाजी ही होगी। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम भविष्य में इस कुलपति के रहते हुए उस विश्वविद्यालय को किसी भी ऐसी परीक्षा कराने की अनुमति न दें, जिसके ऊपर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप हों और उसकी पूरी जांच करवा कर आगे बढ़ें।

अब थोड़ा टैक्नीकल एजुकेशन के बारे में निवेदन करूंगा। हमने तीन नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने की घोषणा की है। निश्चित रूप से अभिनन्दनीय है, क्योंकि टैक्नोलोजी बढ़ेगी। टैक्निकल लोग आयेंगे तो राजस्थान का विकास होगा। लेकिन वर्तमान में जो राज्य सरकार के अन्तर्गत चलने वाले इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, वहां प्रिंसिपल नहीं हैं। एक-एक प्रिंसिपल के पास दो-दो, तीन-तीन कालेजेज का चार्ज है। इसके साथ, उन प्रिंसिपल्स को शायद कोई पूछने वाला पिछली सरकार में नहीं था कि वह कैसे नियुक्तियां कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा इस सदन में आपके माध्यम से, इनके पिछले तीन वर्षों में या पांच वर्षों में की हुई नियुक्तियों की, आप किसी कमेटी के द्वारा जांच करवायेंगे तो पूरा का पूरा उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरा भ्रष्टाचार आपके सामने आ जाएगा और आज भी वही लोग सक्रिय हैं, जो पिछली सरकार के टैक्निकल मंत्री के कार्यकाल के दौरान सक्रिय थे। आज भी वहां लोग चक्कर काट रहे हैं और हमारी वर्किंग को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां एक ओर अच्छे प्रिंसिपल्स की भर्ती हो,

(श्री वासुदेव देवनानी)

इंजीनियरिंग कालेज से अच्छे विद्यार्थी निकलें। कुछ नियमों के अन्तर्गत करें। उनकी अनियमितताओं की यदि चर्चा करूंगा तो शायद समय, मैं देख रहा हूं सभापतिजी की तरफ, समय की कमी के कारण मैं अनियमितताओं की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उनकी अनियमितताओं का जो पूरा का पूरा पुलन्दा है, जो नीतियों से लेकर, जो मन चाहा जिसको ग्रेड दे दिया, जो मन चाहा उसको आपने नियुक्त कर दिया और अभी नियुक्ति हुई नहीं, उसको डेपुटेशन पर कहीं भेज दिया। पद है रजिस्ट्रार का, रजिस्ट्रार का काम नहीं करा, कहीं और घूम रहा है। इस तरह की अनियमितताएं आज इन सारे महाविद्यालयों में हो रही है।

आज पालिटैक्निक की भी यह हालत है। 170 पालिटैक्निक कालेज यह खोलते गये। कहीं देखा नहीं कि उसके पास भवन भी है कि नहीं है, कहीं देखा नहीं कि उसके पास फैकेल्टीज है भी कि नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप एक कमेटी बना कर जो 170 पालिटैक्निक प्राइवेट कालेज हैं, 28-30 सरकारी को छोड़ दें, उन सबकी भी जांच करवायेंगे। हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं और उनके पास फैकल्टीज नहीं हैं, भवन नहीं हैं। वह कालेज दो-दो, चार-चार कमरों में चल रहे हैं। पिछली सरकार ने वह हालत कर दी। जिस प्रकार पहले कभी कर्नाटक और हम सुना करते थे तमिलनाडु में कि दो-दो कमरों में वहां इंजीनियरिंग कालेज चलते हैं। यहां पर यह देते गये। उस पर पुन: निरीक्षण की आवश्यकता है और आज उसका परिणाम था कि पालिटैक्निक की परीक्षाएं, जो मई में होने वाली थीं, 7 जुलाई को हुई हैं। अच्छा प्रयत्न किया कि उनके सेंटर्स हटाये, सेंटर्स हटा कर दूसरी जगह किये, ताकि परीक्षाएं अच्छे ढंग से हों। कुछ प्रयत्न किये हैं शुरू, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है और जांच की आवश्यकता है।

आई.टी.आई. खोलते जा रहे हैं। लेकिन आई.टी.आई. की परीक्षा के नियत्रंण का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपने पालिटैक्निक और इंजीनियरिंग कालेज के लिये तो कर रखा है, एक कमेटी है जो निर्धारण करती है, उससे वह ज्यादा फीस नहीं ले सकते। लेकिन आई.टी.आई. के लिये इस प्रकार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से, कि आई.टी.आई. के लिये भी परीक्षा नियंत्रण का कुछ विचार करें और इन सबके पाठ्यक्रमों में आप परिवर्तन लाएं। आज की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको बनाएं। यह मेरा टैक्निकल एजुकेशन के लिये कहना था।

संस्कृत शिक्षा में हमारी सरकार के समय सेवा नियम बने हुए थे और

(श्री वासुदेव देवनानी)
आज तक उनके सेवा नियम नहीं बने। कोई स्कूल का अध्यापक ही किसी हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बन जाता है। इस तरह की कुछ अनियमितताएं लगातार हो रही हैं। इसलिये उनके आप नियम बनाएं तो निश्चित रूप से संस्कृत शिक्षा के साथ भी न्याय होगा।

अब मैं अंत में, आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि शिक्षा के ये मंदिर संस्कार के केन्द्र बनें। व्यवस्थाएं गठजोड़ के अड्डे नहीं बनें, यह मेरा आपसे निवेदन है। इसलिये संस्थाओं की मान्यता के लिये मापदण्डों की कठोरता से पालना करवायें, ताकि सारी चीजें, चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह कालेज हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, और इसके लिये चाहिये दृढ़ इच्छा शक्ति, काम के प्रति समर्पण और डा. हेडगेवार का यह उद्घोष –'याची देहि, याची डोला' इस शरीर और आंखों से स्वप्न को पूरा होते हुए देखने का संकल्प, यदि यह तीन बातें हम यदि अपने वर्किंग में, कार्य प्रणाली में ले आयेंगे तो निश्चित रूप से जो कुछ भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान को नम्बर वन पर लाने का जो एक स्वप्न देखा है, सोच बनाया है, उसके सकारात्मक परिणाम भी आयेंगे। इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो बजट में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बजट का अधिकतम उपयोग हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और गत पांच वर्षों की जड़ता को हम समाप्त करें और इसके लिये करना पड़ेगा। चाणक्य की नीति अपनानी पड़ेगी। हम अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कार दें और अपरिणामकारी कार्य के लिये दण्ड का प्रावधान हो। दो चीजें होंगी। इसलिये शिक्षा के केन्द्रों को हमें व्यवसाय के केन्द्रों में बदलने से रोकना होगा। सरकारी शिक्षा केन्द्र को असरकारी बनाना होगा, क्योंकि सरकारी में 'अ' जोड़ देंगे, वह असर करने वाली यदि शिक्षण संस्थाएं स्कूल, कालेज और टैक्निकल एजुकेशन बनेंगे तो निश्चित रूप से होगा। यह मुश्किल तो है, पर असम्भव नहीं है। 'कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों' तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री मोहनलालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, बजट, शिक्षा और हमारे शिक्षा मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी ने एक महती जिम्मेदारी इनको दी है। बजट भी दिया है, अधिकार भी दिये हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान के लोगों की है। जहां करोड़ों विद्यार्थी हैं, लाखों शिक्षक हैं और करोड़ों

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

अभिभावक हैं। जो यह देख रहे हैं कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रही है। बहुत आशाएं हैं शिक्षा मंत्रीजी से और, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का प्रति छात्र 25 हजार रुपया खर्चा हो रहा है। 25 हजार प्रति छात्र खर्च हो रहा है और उससे गुणवत्ता क्या है? यह देखने की आवश्यकता है कि हमारा स्कूल में जाने वाला, कालेज में पढ़ने वाला छात्र जितनी हमारे अपेक्षाएं हैं, वह पूरी कर पा रहा है?

शिक्षा विभाग का जो अमला है, वह हमारी जो कम से कम मिनिमम आवश्यकताएं हैं साक्षरता की, क्या उसको भी पूरा कर पा रहा है? अभी हमारी महिला साक्षरता दर 52 प्रतिशत, आल इंडिया एवरेज 80 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 79 प्रतिशत, आल इंडिया का एवरेज 80 प्रतिशत है। कुल साक्षरता का दर राजस्थान का 66 प्रतिशत है और आल इंडिया का 73 प्रतिशत है। मिनिमम साक्षरता, उसको भी राजस्थान अचीव नहीं कर पाया है। आल इंडिया एवरेज को भी पूरा नहीं कर पाया है। अभी बहुत लम्बा रास्ता है, बहुत लम्बी दूरियां हैं, जहां तक हमको पहुचंना है। लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन कठिन नहीं है। ऐसे हमारे योग्य और कर्मठ शिक्षा मंत्रीजी लग जायेंगे तो निश्चित रूप से यह लक्ष्य पूरा होगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आज यदि कोई बच्चा पढ़ कर बाहर निकलता है तो उसका उद्देश्य क्या है? वह बच्चा जब बाहर निकलता है तो रोजगार की तरफ जाता है। रोजगार की तरफ जाना ही चाहिये लेकिन साथ ही साथ उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, उसके राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी है, उसके परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है, उसका अहसास का बोध होता है उसे? आते ही फटाफट नौकरी की तरफ जाता है। आते ही फटाफट नौकरी की तरफ जाता है और यदि बाहर विदेश में नौकरी मिलती है तो तुरन्त भागता है। पैसा हमारा, पैसा परिवार का, तकलीफ परिवार ने भुगती, अन्य लोगों ने टैक्स के रूप में भुगती, डाक्टर को बनाने में इतना रुपया खर्च हुआ और यदि वह विदेश में पढ़ता है तो बहुत ज्यादा पैसा उसकी शिक्षा पर खर्च हो जाता है। डाक्टर बनते ही विदेश, इन्जीनियर बनते ही विदेश तो क्या हम उसको यह नैतिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं कि, भाई, देश की सेवा करने के लिये पांच साल यहां रहो, गांव में भी जाओ।

एक टीचर गांव में जाना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अच्छी शिक्षा यदि गांवों में हो, गुणवत्ता के स्कूल गांवों में हों तो टीचर भी गांव में जाएगा, डाक्टर भी गांव में जाएगा। ट्रांसफर की प्राब्लम नहीं रहेगी।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आज प्राब्लम यह है कि टीचर कहता है कि मैं अपने बच्चे को इस गांव में कहां पढ़ाऊं? डाक्टर कहता है कि अच्छी शिक्षा नहीं है, मैं अपने बच्चों को कहां पढ़ाऊं? आजकल गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है और महिलाओं में विशेष रुचि बढ़ी है, वे चाहती हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, लिखे, योग्य बने। उसके लिये कर्ज भी लेने को तैयार है लेकिन वे चाहती है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। अब अच्छे स्कूल कहां हैं? गांव में जब टीचर ही नहीं हैं तो अच्छे स्कूल कहां से मिलेंगे? मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है वह ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान है। यह शिक्षा उसको दी जानी चाहिए कि तू ज्ञान तो प्राप्त करेगा लेकिन जब स्कूल से, कालेज से जाएगा तो सेवा के लिये जाएगा, परिवार की सेवा के लिये, देश की सेवा के लिये यहां से प्रस्थान करेगा। इस प्रकार की शिक्षा क्या हम देते हैं? क्या हम योग्य छात्र बनाते हैं? क्या हम उस छात्र को ए बी सी डी सिखाते हैं?

शिक्षा मंत्रीजी, ए बी सी डी जो है इसका मतलब ए फोर एप्पल नहीं है, बी फोर बुक नहीं है, सी फोर कैट नहीं है और डी फोर डाग नहीं है ए बी सी डी का मतलब है ए फोर एबिलिटी, बी फोर बिहेवियर, सी फोर करैक्टर एण्ड डी फोर डिसिप्लेन।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप ध्यान दीजिए डी फोर डिसिप्लेन।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ए फोर एबिलिटी का मतलब यह है, उस बच्चे को सिखाया जाए कि हम योग्य बनेंगे। ए फोर एबिलिटी सिखाइये, टीचर्स को कहिये कि ए फोर एबिलिटी होती है एप्पल नहीं होता है। योग्य बनना है, अच्छे नागरिक बनना है, पढ़ाई में अव्वल रहना है। बी फोर बिहेवियर, अपना व्यवहार अच्छा रखना है, गुरु जनों का आदर करना है, सत्कार करना है, बड़ों का आदर करना है सत्कार करना है, इस देश की सेवा करनी है, अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। सी फोर करैक्टर है, उत्तम चरित्र। उत्तम चरित्र यदि उस बच्चे का नहीं होगा, बच्चे की मां ही उसको चोर बनाती है, उसका गुरु ही उसको चोर बनाता है, उसका गुरु ही उसको अच्छा वैज्ञानिक, इन्जीनियर, डाक्टर, अच्छा नागरिक, संगीतज्ञ बनाता है, उसका चरित्र अच्छा हो, अच्छा खिलाड़ी बने, इस बात के लिये हमें प्रेरणा देनी पड़ेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एम.एल.ए. भी अच्छा बने।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बच्चा अच्छा होगा तो एम.एल.ए. भी अच्छा बनेगा, मंत्री भी अच्छा बनेगा।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

बच्चे की मूल पढ़ाई यदि ठीक होगी, उसका दृष्टिकोण ठीक होगा तो निश्चित रूप से वह आगे बढ़ेगा। और डी फोर डिसिप्लेन, अनुशासन। यह सब पाठ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाये जाएंगे और टीचर्स को यदि हम यह कहेंगे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये प्रमोशन, ये लगा दिया, प्रबोधक लगा दिया, टीचर्स को यह तो कहो आप गुरु हो, गुरु की इस महती जिम्मेदारी को पूरा करो, यह बच्चे तुम्हारे खुद के बच्चे हैं। उनमें भावना जगाइये। मोदीजी ने यह कहा है, प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर देश प्रेम की भावना, जिम्मेदारी की भावना, कर्तव्य की भावना जगायेंगे तो देश का विकास होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौन से मोदीजी ने?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नरेन्द्रजी मोदी ने।

एक माननीय सदस्य: आप कौन से समझ गये?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत हैं हमारे लक्ष्मणगढ़ में मोदीजी।

एक माननीय सदस्य: हमारे पास तो एक ही मोदीजी हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इसलिये इन टीचर्स में, इनके शिक्षक सम्मेलनों में जहां इनके मांग पत्र आते हैं वहां यह भी कहना चाहिए कि आपकी ड्यूटी गुरुजन के नाते, देश के अच्छे नागरिक के नाते एक ड्यूटी है उसको भी आप पूरा कीजिए। मैं भी शिक्षक सम्मेलनों में जाता हूं वहां भी केवल मांग पत्र ही दिये जाते हैं, हमारी ड्यूटी इधर लगा दी, हमारी वहां लगा दी, हमारी यहां लगा दी। अभी पूछा कि आपके परिणाम कैसे कम आये? साहब, हम को चुनाव में लगा दिया, साहब, हम को यहां लगा दिया, साहब, हम को वहां लगा दिया। सब को सब काम मिलते हैं लेकिन आपकी प्राइमरी ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाना, उसको विकसित करना, उसको पास करवाना, उसको अच्छी शिक्षा देना। यह शिक्षकों की जिम्मेदारी है इसलिये, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां भी आप शिक्षक सम्मेलन में जाएं, उनसे भी कहें कि ए बी सी डी सीख लो, सिखाओ और साथ ही साथ अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिये भी एक प्रतिज्ञा करो। सरकार आपको दे रही है, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा दे रही है उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों से कम रिजल्ट है। आखिर कारण क्या है? क्यों रिजल्ट कम है?

आपने कहा था कि बोर्ड की परीक्षा में 35 फीसदी से कम परिणाम

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

रहने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये थे, क्या हुआ? अभी भी कुछ स्कूलों पर आपने कार्यवाही की और कुछ स्कूल ऐसे रह गये, उनको आपने छोड़ दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहाड़गंज, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिंदायका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हसनपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोमेश्वरपुरी, मानसरोवर, बाजोरिया, वन विहार। इन स्कूलों को छोड़ दिया और आपने कहा था कि इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो आखिर केवल 35 परसेंट का लक्ष्य दिया था वह 35 परसेंट का लक्ष्य भी कुछ स्कूल पूरा नहीं कर पाये तो आखिर हमारी शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा विभाग का क्या नियंत्रण है और शिक्षा विभाग किस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहता है, यह देखने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी एक सेमिनार बुलायी थी, उनकी भी चिंता है, हमारी सब की भी चिंता है कि स्कूलों में जो बच्चा जाए वो अच्छा नागरिक बन कर निकले, अच्छी पढ़ाई कर के निकले, कालेज में जो जाए वह अच्छा नागरिक बन कर निकले, पढ़ाई अच्छी कर के निकले लेकिन हो क्या रहा है, वह बेरोजगार बन कर निकल रहा है। वह जब घर के बाहर जाता है स्कूल छोड़ कर के कालेज छोड़ कर के तो वह अंधकार में रहता है कि अब मैं क्या करूं? नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार मुझे मिल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? तो गांव की दुकान पर बैठ कर के, चाय की चौपाल पर बैठ कर के उद्दण्डता करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। इसलिये हमारी यह महती जिम्मेदारी है कि हम रोगारोन्मुखी शिक्षा भी दें। आज बहुत तरह के कोर्सेज चलने लग गये, बहुत तरह के कोर्सेज हैं हमारे कालेजेज में।

एक स्टैडी बता रही है कि प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कालेजेज में जो पढ़ रहे हैं, कोटा में जो छात्र पढ़ रहे हैं और आई.आई.टी. में कोटा के लोग और प्राइवेट कोचिंग में पढ़ने वाले लोग देश में जो सौ लोग पढ़ते हैं, सौ लोग पास होते हैं उनमें से 30 लोग कोटा वाले हैं, राजस्थान वाले हैं। तो आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात है? उनमें क्या खास बात है? हमारे कालेजज में से क्यों नहीं निकल रहे हैं? हमारे आई.आई.टीज में से क्यों नहीं निकल रहे हैं? हमारे यहां इन्जीनियरिंग की सीटें क्यों खाली हैं? हमारे इन्जीनियरिंग की सीटें खाली हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे यहां इन इन्जीनियरिंग की सीटें खाली हैं? करीब-करीब 40-45 हजार सीटें खाली हैं। क्यों? इतनी सीटें यदि खाली रहें तो फिर क्या होगा उनका? इतने इंजीनियरिंग कालेज खुल गये, और

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

खुलने जा रहे हैं। 68 हजार जो सीटें हैं उसमें से केवल 20 हजार लोग ही इंजीनियर बनने के तैयार हैं। बाकी सीटें खाली हैं। आखिर इसका क्या कारण है? यह हम सबको देखना पड़ेगा। इन कालेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको देखना पड़ेगा और इनमें नये-नये कोर्सेज चालू हों, इसको भी देखना पड़ेगा। इन सबकी आप मीटिंग लीजिये। उनमें नये-नये कोर्सेज की मान्यता दिलाइये। बहुत सारे कोर्सेज हैं।

सभापति महोदय, इंजीनियरिंग का आज इतना बड़ा स्कोप है, सेवा क्षेत्र का, कि जे.ईएन. नहीं मिलते हैं। जे.ईएन. यानी कंस्ट्रक्शन काम से ही सम्बन्धित नहीं है। इलेक्ट्रिक काम से ही सम्बन्धित नहीं है। मैकेनिकल काम से ही सम्बन्धित नहीं है। कम्प्यूटर के काम से ही सम्बन्धित नहीं है। बहुत से काम हैं, आपने चश्मा लगा रखा है शिक्षा मंत्रीजी, चश्मे सुधारने वाले इंजीनियर भी चाहिए। ऐसे भी कोर्सेज होते हैं अच्छे-अच्छे। पैन सुधारने वाले भी चाहिए। अच्छे-अच्छे पैन बनें। आज जापान का बना हुआ पैन कैसा अच्छा लगता है। क्या हमारे यहां पैन अच्छा बनता है? कापियां अच्छी बनती हैं? वैट करने वाले यंत्र भी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिनको हम अपने कालेजेज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्नीचर किस प्रकार से बन सकता है? मोल्डेड फर्नीचर किस प्रकार से बन सकता है? ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको हम इन कालेजेज में इंट्रोड्यूस करके, बायोटेक्निक के हैं, एग्रीकल्चर पर हम किस प्रकार से रिसर्च कर सकते हैं, उनमें किस प्रकार से अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसी चीजों को बढ़ावा देकर यह जो खाली सीटें रही हैं इनको भरने का प्रयास करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज कर्नाटक में, तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कालेजों की सीटें खाली नहीं हैं। हमारे यहां बेतरतीब तरीके से सीटें बढ़ गयीं। लेकिन इन सीटों का यदि रचनात्मक उपयोग करेंगे तो निश्चित रुप से हम उनको भर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज बच्चे की पढ़ाई हो रही है। वह स्कूल में जा रहा है। टीचर उसके पास आ रहा है। वह किताब निकालता है, घंटी बजती है, आधा घंटे बाद में घंटी बजने के बाद दूसरा टीचर आ जाता है, फिर तीसरा टीचर आ जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ स्कूलों में यदि हम प्रोजेक्टर के माध्यम से, अच्छे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, अच्छे सिलेबस के

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आधार पर, कम्प्यूटर के आधार पर बेसिक शिक्षा यदि हम दिलवायें तो निश्चित रुप से व्यक्ति आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, प्री-स्कूलिंग भी होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र हमारे चल रहे हैं। जीरो से तीन साल तक के बच्चे वहां पढ़ाते हैं। यह क्या है? यह प्री-स्कूलिंग ही है। इन बच्चों को किस प्रकार से हम एजुकेट कर सकें। छोट-छोटे बच्चों का हम किस प्रकार से विकास कर सकें। उनको अच्छी शिक्षा दे सकें टायज के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के टायज होते हैं जिनके माध्यम से आज बच्चे सीख सकते हैं।

जब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और प्री-स्कूलों में जाते हैं तो वहां यही फर्क है। वहां प्री स्कूल में पहले भेजते हैं फिर बाद में बड़ी स्कूल में भेजते हैं और उसके बाद उससे बड़ी स्कूल में भेजते हैं। इन प्री-स्कूलों में, आंगनबाड़ी केन्द्रों में निश्चित रुप से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो कि टायज के माध्यम से बच्चा खेल-खेल में सीखे। खेल-खेल में ही एजुकेशन को सीखे। खेल -खेल में जीवन को भी सीखे।

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों में और कालेजों में यदि तीन सुधार कर दिये जायें तो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। नम्बर एक, कम्प्यूटर के जरिये प्रोजेक्टर से पढ़ाई। जहां-जहां सम्भव हो, इन माडल स्कूलों में तो कर सकते हैं। आपने 66 माडल स्कूल बनाने की घोषणा की है। इन माडल स्कूलों में तो कम्प्यूटर के जरिये प्रोजेक्टर पर पढ़ाई करा सकते हैं। कई प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। मैंने वहां जाकर के देखा है।

स्टडी मैटेरियल को पढ़ाने का तरीका, नया पैटर्न हो। आज क्या चल रहा है। स्टडी मैटेरियल ठीक ढंग से होना चाहिए। हमारा सिलेबस ठीक ढंग से होना चाहिए। इन बच्चों को क्या पढ़ायें? किस प्रकार की शिक्षा दें और पिछले अनुभवों के आधार पर अच्छे, योग्य, अनुभवी, विद्वान स्टडी मैटेरियल तैयार करने वाले लोगों का चयन करके अच्छा स्टडी मैटेरियल दें। कम्प्यूटर एजुकेशन, प्रोजेक्टर पर पढ़ाई और स्टडी मैटेरियल और नया पैटर्न, इसको अपनाना होगा।

माननीय सभापति महोदय, कई प्रयोग हो रहे हैं शिक्षा में। हमारी यह सवाई माधोपुर से आने वाली माननीय सदस्या हैं इनका भी स्कूल चलता है। आप लोगों में से भी कई लोगों के स्कूल चलते होंगे। नये पैटर्न पर चला रही हैं स्कूल। अच्छी बात है।

श्री सभापति: आप डिफाइन करो ना आधुनिक पैटर्न को। what do you mean आधुनिक पैटर्न, new pattern.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यदि आप समय देंगे तो मैं बहुत लम्बा बोल सकता हूं। धन्यवाद। बच्चों पर स्कूल का बोझ कम हो। नया पैटर्न यह भी है। डे बोर्डिंग स्कूल हो, यह भी नया पैटर्न है। टायज के द्वारा खेल-खेल में सीखें, यह भी नया पैटर्न है।

माननीय सभापति महोदय, नये पैटर्न की जो प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं, उनकी भी स्टडी की जाए। एक अध्ययन दल बनाया जाए वह स्कूलों में जाए और वह यह देखे कि आजकल शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या नये प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे कौन-कौनसे स्कूल चल रहे हैं उनमें जाकर स्टडी करके, सरकारी स्कूलों में, कालेजों में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे नये-नये कोर्सेज आ गये। हम अपनी कालेजेज में और यूनिवर्सिटीज में किस प्रकार से उनको इंट्रोड्यूस करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। स्कूल में लाइब्रेरी हो ढंग की। वहां बच्चे पढ़ सकें, कम्प्यूटर हो।

उसी के साथ-साथ, खेल के मैदान बहुत आवश्यक हैं। बहुत सारे स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं। मैं विशेषकर शहरों के बारे में बोलना चाहूंगा कि वहां खेल के मैदान खतम हो गये। प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको सी बी एस सी की मान्यता नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास खेल के मैदान नहीं हैं। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सुझाव है कि स्कूल के आसपास एक किलोमीटर के क्षेत्र में यदि कोई गार्डन है, कोई मैदान है तो वह भी खेल का मैदान उस स्कूल के लिये माना जाए और उसमें बच्चों को खेल की शिक्षा दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, क्या होता है कि कालोनी के जो लोग हैं वह स्कूल के बच्चों को वहां अलाउ नहीं करते हैं। इसलिये उनको लीगली इस बात के लिये बाउंड किया जाए कि प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो यदि उसके पास खेल का मैदान नहीं है तो वह पास के पार्क में बच्चों को खेलने के लिये ले जा सकते हैं। उनको इसकी एजुकेशन दे सकते हैं। यह मेरा सुझाव है और प्रेक्टिकल बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि स्कूलों में जिस प्रकार से सोशल वर्क के लिये बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, कई स्कूलों में जाता हूं, एस डब्ल्यू प्रोग्राम होते हैं। उन प्रोग्रामों को नियमित रुप से किया जाए। उनके

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माध्यम से बच्चों में स्काउटिंग, एनसीसी और सेवा भावना को जागृत किया जाए। बहुत सारे बच्चे यहां देखते हैं कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी करते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए कि वह केवल सरकारी बाबू बनने का ही प्रयत्न नहीं करें। वह अच्छे बच्चे, अच्छे नागरिक के कर्तव्य भी सीखें। घर से कचरा बाहर फेंकना, यह भी गंदा काम है। ट्रैफिक का उल्लंघन करना यह भी ठीक काम नहीं है। इस प्रकार के छोटे-छोटे कामों को यदि हम सिखायें इन बच्चों को तो बच्चे ही हमारे देश के नागरिक हैं। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना यह हमारा दायित्व है। इस दायित्व के नाते हम इस काम को पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, गरीब, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, चाय की दुकानों पर जो काम करते हैं। कहीं पर नौकरी करते हैं। कहीं पर काम-धंधा करते हैं। ऐसे बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता इत्यादि की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन सब बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है। वे लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उनके लिये भी काम के समय के अलावा अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें, यही मैं कहना चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने एक बात तो निवेदन किया, 'एबीसीडी' की तो आपने व्याख्या की, 'कखग' की भी कर देते व्याख्या तनिक तो ठीक रहता।

श्रीमान् प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, कला, संस्कृति की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं शिक्षाविद् रहे हैं और किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य सारा सदन जानता है कि विद्वान हैं। काफी गम्भीर चर्चा माननीय सदस्यों ने सदन में की है शिक्षा के विषय पर और उनका अपना गम्भीर चिंतन भी सदन के सामने आया है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा बहुत संवेदनशील विषय है, आज के परिप्रेक्ष्य में। हम दुनिया में प्रचलित एक कहावत को सुनते हैं, समझते हैं, जहां-जहां भी लोक तंत्र है, शिक्षा उसका मूल मंत्र है। दुनिया में साम्राज्यवाद

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और अराजकता को अगर खतम किया है तो उसके पीछे शिक्षा एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक करने वाला आधार बना है। यह सम्भव है, यह भी सच है कि शिक्षा के बिना विकास की अवधारणा पूरी नहीं की जा सकती। देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक आविष्कारों से लेकर राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय विकास के जितने आयाम स्थापित हुए हैं, शिक्षा ही उसका आधार रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं। अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य 'एबीसीडी' का अर्थ बता रहे थे और माननीय सभापति महोदय, आपने स्वयं ने भी पूछा कि आपने 'एबीसीडी' का तो बता दिया लेकिन 'कखग' का भी बता दो। माननीय सभापति महोदय, हम अर्थ 'कखग' का निकालें चाहे 'एबीसीडी' का निकालें, शिक्षा के व्यापक संदर्भों में चर्चा करें या सीमित संदर्भों में चर्चा करें, हमारा आधार व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास है। व्यक्ति राष्ट्र की ऐसी बेशकीमती सम्पदा है, वह अमूल्य संसाधन है और आज जरूरत इस बात की है कि उस बेशकीमती सम्पदा और अमूल्य संसाधन का जो सृजन है, उसकी जो परवरिश है, वह गतिशील, संवेदनशील और सावधानीपूर्वक तरीके से की जानी चाहिये। हर व्यक्ति में एक विशिष्ट प्रतिभा होती है। जरूरत इस बात की होती है कि पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसकी परवरिश, उसकी शैक्षणिक परवरिश इस रूप में खड़ी की जाए कि आगे चल कर वह देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और उसे एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में तैयार करने के बाद हम गर्व से कह सकें कि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा शिक्षा का स्ट्रक्चर था, जिससे हमने इस प्रकार के लोगों का सृजन किया, निर्माण किया। यह सिलसिला सदियों से चल रहा है। कोई नया अवसर पैदा नहीं करना, माननीय सभापति महोदय, हर राष्ट्र अपनी एक शिक्षा प्रणाली, विशिष्ट शिक्षा प्रणाली पैदा करता है, अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराओं को पोषित करने के लिये, समय की चुनौतियों से लड़ने के लिये लेकिन कभी-कभी ऐसा अवसर आता है कि अनवरत रूप से समाज में, देश में व्याप्त तमाम विधियां और मुद्दतों से चले आ रहे सिलसिले में एक व्यापक बदलाव होने की आवश्यकता महसूस होती है और आज वह समय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा पर बहस में 2003 से 2008 और आज इस 2014-15 के सेशन में भाग ले रहा हूं। हर बार बजट में यह भी आता है, चाहे केन्द्र का हो या राज्य का हो, विजन 2020 और अगर हम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इससे आगे बढ़े और एक-दो दशकों का विजन और आगे का बतायें कि इस देश की स्वतंत्रता के सौ साल पूरे हो जाएंगे, और जब हम गम्भीर आत्म चिंतन के दो राहे, चौराहे पर आकर खड़े होंगे और तब भी हम अगर सदन में यह चर्चा करेंगे कि राज्य की और हिन्दुस्तान की लिटरेसी क्या है, उसकी औसत दर क्या है, हमने कितने लोगों को शिक्षित किया, कितने लोगों को हमने स्किल्ड एजुकेशन देकर रोजगार के अवसर सृजित किये और शिक्षित समाज के बिना विकसित समाज की कल्पना अधूरी है। सौ साल बाद हम जब हम आत्म चिंतन करेंगे तो इस अपराध बोध से ग्रसित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इस बजट में राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चिंता व्यक्त की है, कई सारे प्रोग्राम शिक्षा मंत्रीजी लेकर आ रहे हैं। समानीकरण, एकीकरण। मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ अपने आप को जोड़ूंगा लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का राजनीतिक सरकारों ने शिक्षा के पैटर्न को अपने अनुकूल बदला। राइट टू एजुकेशन एक्ट पर चर्चा कर रहे थे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य। क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट की भावना पवित्र हो सकती है। गरीब आदमी को शिक्षा का अधिकार मिले। उसके सामने हम सारे अवसर संयोजित करें लेकिन उस राइट टू एजुकेशन में जिस प्रकार की व्यवस्था आपने कर दी कि हम हिन्दुस्तान के, राजस्थान के पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थी को अनवरत रूप से कक्षा में आगे बढ़ाते चले जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में शिक्षा की क्या व्यवस्था है देखने आप कोटा आइये। हम बिना पढ़े लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि सब्जेक्ट विज्ञान खोला जाना चाहिये, स्कूल खोले जाने चाहिये, हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों से हमारी एजुकेशन स्किल का मुकाबला होना चाहिए, स्टैण्डर्ड का मुकाबला होना चाहिए, आज शिक्षा का पैटर्न उससे एक गुना आगे बढ़ गया। पूरे हिन्दुस्तान से कोटा में एक से दो लाख विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, और वह नवी क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक का विद्यार्थी होता है। मैं आज सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, वह एक से डेढ़ लाख, दो लाख विद्यार्थी केवल स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, एक्सपर्टीज से पढ़ने की लालसा और कैरियर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के प्रति उसका समर्पण, एक्सपर्टीज से, उनसे पढ़ने की लालसा। उसने स्कूल का दरवाजा देखना बंद कर दिया है, केवल एडमिशन स्कूल में लेता है और सोलह-सोलह घण्टे जाकर कोचिंगों में पढ़ता है। आज एक नई व्यवस्था पनप गई जिसमें आप सरकारी स्कूल की बात छोड़िये, प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चा केवल एडमीशन लेता है और वह जाता है कोचिंग की एक्सपर्टीज के पास और उनकी ब्रांचें आज राजस्थान और कोटा ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के कोने-कोने में खुल गई हैं। हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की चुनौतियां जो हमारे शिक्षा जगत के सामने निजी क्षेत्र के कारण पैदा हो गई, आत्म चिंतन का गम्भीर विषय है माननीय सभापति महोदय, कि हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को व्यक्ति निर्माण की मजबूत पाठशाला के रूप में कैसे खड़ी करें, किस प्रकार से खड़ी करें कि तमाम प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने वाली शिक्षा और कोचिंग की संस्थाओं का मुकाबला हमारा बच्चा कर सके। माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर बात है और आत्म चिंतन का विषय है कि लगातार हमारे शैक्षणिक स्ट्रक्चर में इतनी गिरावट कैसे आती।

(15.00 बजे)

जब हायर सैकण्डरी का मल्टी परपज स्कूल का विद्यार्थी हुआ करता था, लगभग आज से 30 साल पहले तब उस विद्यालय में 4-5 हजार विद्यार्थी पढ़ा करते थे। अब मैं कोटा शहर से एमएलए बन गया, गांव से आता हूं, अब मैं उस विद्यालय में जाता हूं तो 300 विद्यार्थी नहीं हैं। आबादी बढ़ी है, संसाधन बढ़े हैं, स्कूल बढे हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार इस तरह से गिरती हुई चली गयी जो या तो हमारी शिक्षा पद्धति का दोष है या उसमें कोई खामियां हैं। आज इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक तरीके से पुनर्विचार और आत्म चिंतन करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आखिर हम ऐसा विकल्प, ऐसा ढांचा, ऐसे संसाधन, ऐसा अवसर क्यों उपस्थित नहीं कर पाये पढ़ने वाले विद्यार्थी के सामने, जिनको लगे कि मेरे सामने सम्पूर्ण प्रकार के अवसर उपस्थित हैं, सम्पूर्ण संसाधन हैं। आज इन सारी परिस्थितियों के बाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने चिन्ता व्यक्त की है और शिक्षा पर 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह भी तय किया कि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जो पंचायतें रह गयीं, 4900 पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे, स्वागत योग्य कदम है। देर आयद दुरुस्त आयद। हम राजस्थान के ग्रामीण अंचल से आने वाले विद्यार्थी के सामने शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैंने बजट में भी कहा था और यह चिन्ता अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यक्त की कि विषय संकाय खोलो। मैंने सुझाव दिया था कि आप तीन पंचायतों का क्लस्टर बनाइए और क्लस्टर बनाकर अनिवार्य रूप से तय करिए, जो बीच का सेंटर हो, उसमें विज्ञान का विषय खोला जाएगा। विज्ञान में आज लोगों को भविष्य दिखता है, साइंस में, बायलाजी में, मैथेमेटिक्स के अन्दर। यह व्यवस्था आपको कायम करनी पड़ेगी। हम तो यह मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान चाहता हूं आपने तय कर दिया कि नये स्कूल जो खोलेंगे जिनमें 160 से ज्यादा बच्चे ग्यारहवीं, बारहवीं में उनमें हम विषय व्याख्याता लगाएंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं अभी बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, कितने विद्यालयों में कितने बच्चे हैं और कितनी जर्जर स्थिति है संख्यात्मक दृष्टि से विद्यालयों की। आप बताएं सदन को कि नये विद्यालयों में कैसे 160 विद्यार्थी आ जाएंगे? बाड़मेर, जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में किस प्रकार आप कल्पना कर सकते हो कि 160 विद्यार्थी आ जाएंगे। मैं आज आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि राजस्थान के मौजूदा स्ट्रक्चर में 4900 वर्तमान में सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें आज 160 की संख्या में ग्यारहवीं, बारहवीं क्लास में विद्यार्थी हैं। आपने तय कर दिया कि ग्यारहवीं और बारहवीं क्लास में जहां 160 विद्यार्थी नहीं होंगे हम वहां विषयाध्यापक नहीं देंगे। मैं अभी कह रहा था कि एक्सपर्टीज से पढ़ने की ललक ने स्कूल खाली कर दिये। स्कूल नामांकन दर्ज करने का एक आधार बन गया। लोग कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। हम उस ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी को जो शहरों में आकर पढ़ नहीं सकता, माननीय सभापति महोदय, आज कोटा में अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने की कल्पना करता है तो जिस प्रकार से देश भर के लाखों बच्चे वहां कोटा में आते हैं। वहां कोटा में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिये कम से कम 10 हजार रुपया महीना कमरे का किराया चाहिए और उसके अलावा 10 हजार और चाहिए। जो परिवार 2, 5 हजार महीने में अपना गुजारा चलाते हैं वे अपने बच्चे को साइंस पढ़ाने के लिये, एक्सपर्टीज से पढ़ाने के लिये किस प्रकार से कोटा में आकर अपने बच्चे की शिक्षा को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पूरा करेंगे? 80 प्रतिशत विद्यालयों में विषय व्याख्याता खतम हो जाएंगे और मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा गलत निर्णय होगा। आप क्लस्टर बना दीजिए। तय करिए आप। हमें विज्ञान पढ़ानी है, एक्सपर्टीज से पढ़ाना है, कामर्स पढ़ानी है, आर्टस पढ़ानी है। इसलिये मैं माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं इस व्यवस्था से शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा। विद्यार्थियों के सामने सरकारी स्कूलों में अवसर समाप्त होंगे।

यह विषय आज का नहीं है। माननीय शेखावत साहब जब इस सदन के नेता हुआ करते थे, मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने मंगल बिहारी समिति बनायी विषय व्याख्याताओं के बारे में, अध्यापन के बारे में चिन्ता करें, लेकिन उस समिति की रिपोर्ट के बाद राजस्थान के जननायक इस बात पर पहुंचे कि हमारे ग्रामीण अंचल से आने वाले व्यक्ति को विषय अध्यापकों से पढ़ाना राजनैतिक प्रतिबद्धता है। हम इसको संख्यात्मक आंकड़ों में उलझाकर ब्यूरोक्रेसी के भ्रमजाल में फंसकर किसी भी कीमत पर यह जन विरोधी फैसला लागू नहीं कर सकते। यह भैरोंसिंहजी का निर्णय था। हम कहां ले जाना चाहते हैं? लगातार गिरावट के बाद हमारा चिन्तन यह होना चाहिए कि आखिर यह स्थिति क्यों है? हम व्याख्याता हटा रहे हैं। व्याख्याता मौजूद हैं, एक स्केल के व्याख्याता, एक लिटरेट व्याख्याता, उसके बाद हम स्कूलों में बच्चों को नहीं रोक पा रहे हैं। आज इस पर व्यापक चिन्तन करने की आवश्यकता है। प्राइवेट स्कूलों के पास आपके बराबर के, स्टैण्डर्ड के व्याख्याता नहीं हैं। उसके बावजूद आज प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों की भरमार है। यह चिन्ता करनी पड़ेगी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हमारी शिक्षा का स्तर गिरने के पीछे सख्त मानिटरिंग का अभाव है। आपने 40-50-60 साल में स्कूल खोल दिये, अध्यापक लगा दिये, लेकिन आज से 40 साल से पहले जो मानिटरिंग करने वाली आफिसर विंग एजुकेशन में थी उसमें आपने एक प्रतिशत बढ़ोतरी नहीं की। आपने कितने शिक्षाधिकारी के पद बढ़ा दिये? केवल शिक्षाधिकारी के पद बढ़ाने मात्र से काम नहीं चलेगा। आज तहसीलदार अपने क्षेत्र में भ्रमण करने जाता है, मानिटरिंग करने जाता है, उसके पास जीप होती है। इलाके का थानेदार अपराध पर नियंत्रण करने के लिये इलाके में जाता है उसके पास संसाधन होते हैं। सम्पूर्ण जिले में एक शिक्षाधिकारी होता है और मानिटरिंग के लिये उसके पास, कितने जिले ऐसे हैं जिनमें आपने राजस्थान के शिक्षाधिकारियों को सख्त मानिटरिंग और प्रभावी व निरन्तर मानिटरिंग के लिये आवश्यक संसाधन सृजित कर रखे हैं? कमाल है। हम उन विषयों पर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जाना ही नहीं चाहते जो हमारी नींव को कमजोर कर रहे हैं, जो बेसिक थीम को कमजोर करते चले जा रहे हैं। हमारी मानिटरिंग बिलकुल सख्त होनी चाहिए। आज मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। ऐसा गुणात्मक सुधार जो संस्कृति का संक्रमण पैदा करता है, राष्ट्रवाद का प्रवाह बढ़ाता है। आज गुणात्मक शिक्षा का अभाव है, सदन में कई बार चिन्ता व्यक्त की जाती है अनैतिक अनाचार बढ़ रहा है। छोटे -छोटे बच्चे अपराध कर रहे हैं। उम्रदराज लोग मर्यादा पार कर रहे हैं। यह गुणात्मक शिक्षा का अभाव है। मैं इसके लिये कहना चाहूंगा 200 सालों से भारत की शिक्षा पद्धति पर मैकाले का असर नजर आ रहा है, उसको मानता हूं। इस देश का दुर्भाग्य है जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो लोगों ने सवाल किया कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और उसके प्रचार-प्रसार के लिये हमारी एक निजी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, लेकिन फासिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोगों ने इस देश की शिक्षा पद्धति को, बदलाव को साम्प्रदायिककरण का आधार बताकर बदलने से रोक दिया कि हम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। उस मैकाले ने 1855 में कहा था "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellects." उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में हम ऐसी शिक्षा पद्धति दे देंगे कि हिन्दुस्तानी विद्यार्थी रंग-रूप, खून, शरीर से भारतीय होंगे विचार, आचरण, मान्यता और आत्मा से अंग्रेज बन जाएंगे। यह शिक्षा पद्धति चल रही है।

मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। हमको यह पढ़ाया गया, माननीय सभापति महोदय, हमारे पूर्वजों के चरित्र को, हमारे शहीदों के चरित्र को, जिनके प्रति हमारे मन में नफरत के भाव पैदा हो जाएं। हमारे आत्मसम्मान और नैतिक चरित्र को अप करने वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउण्ड्स हैं हमको उससे वंचित रख दिया। हमें सांस्कृतिक रूप से तैयार करने वाले जो कुछ उदाहरण थे, मैं सवाल करना चाहता हूं कहां हैं आज? नैतिक शिक्षा की हम बात करते हैं। कहां पढ़ाया जा रहा है मीरां, रैदास, संत कबीर? कहां है रहमान एजुकेशन में? कौन पढ़ा रहा है गुरु द्रोणाचार्य और समर्थ गुरु रामदास को? आज महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महापुरुष इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन गये, शिक्षा के पाठ्यक्रम से सिमट गये। कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को? इसी प्रकार से हम हमारी विरासतकालीन इतिहास, सभ्यता, संस्कृति से जुडे बगैर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्वाभिमान और आत्म-सम्मान के भाव को मारते चले जाएंगे तो, माननीय सभापति महोदय, कितना ही चिंतन कर लें, हम एक मशीन जरूर बना सकते हैं जो प्रोडक्शन पैदा करेगी आई.आई.टीयन की और अमेरिका के बाजार में जाकर बिकेगा। माननीय सभापति महोदय, हमको वह प्रोडक्शन चाहिए शिक्षा से, एक व्यक्ति अपने फ्यूचर की कल्पना करता है कि मैं आई.ए.एस. बन जाऊंगा। उसके बाद उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, आई.ए.एस. से बड़ी हिन्दुस्तान की कोई कम्पीटिटिव एग्जाम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस हिन्दुस्तान के चरित्र में हमने यह भी देखा है कि हिन्दुस्तान का सबसे पहला आई.सी.एस. और 22 महीनों की नौकरी के बाद इस पशोपेश में था कि मेरा राष्ट्रीय चरित्र खतम हो रहा है अन्दर से, इज्जत है, ओहदा है, सम्मान है, नौकरी है, तनख्वाह है, पैसा है लेकिन मैं राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में अपने आपको उन चुनौतियों से लड़ने के लिये स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहा हूं और सुभाष चन्द्र बोस, इस हिन्दुस्तान के पहले आई.सी.एस., नौकरी को ठोकर मार कर इस हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के लिये लड़ने के आ गये। यह भाव जाग्रत करने वाली शिक्षा हम कब पैदा करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता, एक-दो बात और करूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमको आज यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। शिक्षा में हमको मोरेलिटी कायम करने जैसे पाठ्यक्रम स्थापित करने पड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, जब यह होगा तो निश्चित रूप से हम यह मानकर चलेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर बनेगी। उसके विचार इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने वाले विचार होंगे और इसके लिये केवल स्कूल खोल दें, इससे काम नहीं चलेगा। स्कूलों को तक्षशिला, नालन्दा की तरह और जो ऋषिकाल में पाठशालाएं होती थीं उनके रूप में सृजित करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, प्रभावी मानिटरिंग हमको करनी पड़ेगी और यह बंदोबस्त हमको करने पड़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन विषय शिक्षा मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं। टैट की जगह रीट, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का वादा था सुराज संकल्प यात्रा में। माननीय सभापति महोदय, मैं गांव से आता हूं, मैं स्वागत करता हूं टैट की जगह रीट का। जनता से किया वादा पूरा कर दिया लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, इस टैट के बाद जो रीट के नार्म्स अधिकारी तैयार कर रहे हैं, उनका या तो इस राजस्थान और हिन्दुस्तान की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ग्रामीण पृष्ठभूमि से उनका साक्षात्कार नहीं हुआ, माननीय सभापति महोदय, आप पिछले 20 सालों की इस राजस्थान की मैरिट उठाइये तो पता चलेगा कि एक प्रतिशत बच्चा ग्रामीण अंचल का मैरिट में नहीं आ पाता। आप परसेंटेज का स्केल देखिये कि सीबीएसई और शहरों की प्राइवेट स्कूलों का बच्चा 85-90 प्रतिशत की प्रतिस्पर्धा में शुमार हो गया और गांव का बच्चा डिस्टिंक्शन की स्थिति में आने तक ही उसे पूरी ताकत लगानी पड़ जाती है और आप रीट के साथ तय कर रहे हैं कि 10वीं के एग्जाम के नम्बर भी हम तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप 12वीं के भी करेंगे, आप तय कर रहे हैं कि स्नातक के अंक भी करेंगे और बी.एड. के भी करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जो 95 प्रतिशत से जम्मू कश्मीर से बी.एड. करके आये हैं। मैं आपको ऐसे उदहारण दे सकता हूं जो मध्य प्रदेश से 90-95 प्रतिशत में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी करके आये हैं। हमारा मूल अभ्यर्थी इस राजस्थान के शिक्षा पाठ्यक्रम में भरोसा रखता है, ग्रामीण अंचल में रहता है, सीमित संसाधनों में जीवन की चुनौतियों से लड़ रहा है, पढ़ रहा है पर उसको ठीक प्रकार के अवसर उसके सामने उपस्थित हो पाएं इस बारे में नीतिगत निर्णय करने से पहले बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि हम एक ऐसा सिस्टम डवलप करें कि केवल उसकी प्रतिभा के आधार पर उसको अवसर मिले। इस बारे में नियम बनाने से पहले एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, दो छोटे-छोटे विषय रखूंगा। बाधित बाल विकास केन्द्र, कोटा, माननीय सभापति महोदय, 1975 से संचालित है। बधिर एवं दृष्टिहीन विद्यार्थी एन.जी.ओ. के माध्यम से संचालित इस विद्यालय में पढ़ते हैं। अनुदानित विद्यालय है। प्रतिनियुक्ति पर सरकार ने 12 पद स्वीकृत कर रखे हैं, 8 व्याख्याता लगे हुए थे कई वर्षों से लेकिन पिछली सरकार ने उन पदों को समाप्त कर दिया। एक तरफ तो हम एक-एक व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते हैं, उसका स्किल डवलप करना चाहते हैं लेकिन समाज का वह तबका जो न सुनता है, न देख पाता है, कौन सुनेगा उसकी? कौन देखेगा उसकी तरफ? उसकी अनदेखी शिक्षा के मंत्र का मजाक हो रहा है। इसलिये मैं आज आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सवाल कोटा का नहीं है, राजस्थान के तमाम जिलों में यदि कहीं मूक-बधिर विद्यालय चल रहे हैं तो उन विद्यालयों में जो अनुदानित संस्थाओं में सरकार के प्रतिनियुक्ति पर अध्यापक चल रहे थे उन तमाम अध्यापकों को वहां पर पुन: लगाया जाना

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चाहिए। इस फैसले पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करके, मैं समझता हूं कि आज सदन में इसकी घोषणा करनी चाहिए।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में प्लेसमेंट एजेंसियों से हमने कई सालों से बी एस टी सी डिप्लोमा धारक टीचर लगा रखे हैं विकलांगों के लिये, असमर्थ लोगों के लिये। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब पिछली बार राज्य में भाजपा की सरकार थी और वसुंधराजी मुख्य मंत्री थीं तो इन समावेशी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया था। पिछले पांच सालों में कोई झांका तक नहीं, किसी ने विचार तक नहीं किया कि जो विकलांग हैं, बेसहारा हैं उनका सहारा बन कर जो सरकार की तरफ से पढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है उसके बारे में किसी ने चिंतन नहीं किया। या तो उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए या फिर उनको रेगुलराइज करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से एक बार आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये व्यवस्थाएं हमने ईमानदारी से विचार करके ठीक तरह से दुरुस्त नहीं कीं तो गांव से आने वाला बच्चा प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा। उसकी तादाद 80 प्रतिशत है और अगर हम उस 80 प्रतिशत तबके को हमारे एजुकेशनल ढांचे में विसंगतियां पैदा करके प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देंगे तो आने वाला समय अराजकता का संकेत देता है। हमारी शिक्षा पद्धति इस पर आगे बढ़नी चाहिए। आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे शिक्षा की इस मांग पर अपना वक्तव्य देने का अवसर दिया है। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से लक्ष्मी और सरस्वती का अस्तित्व आया है। लक्ष्मी पुत्र भी बढ़ रहे हैं, बहुत अधिक बढ़े हैं पर धीरे-धीरे सरस्वती पुत्र कम होते जा रहे हैं, उनका महत्व भी कम होता जा रहा है।

आज का विषय या जिस पर मांग रखी गई है वह इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि हिन्दुस्तान विश्व गुरु था, हमारे यहां के शिक्षक, हमारे यहां के विद्यार्थी तत्कालीन विश्व में अपना स्थान रखते थे वह वो धीरे-धीरे कम होता गया और आज उसकी जो स्थिति हुई है वह अत्यन्त ही चिंताजनक है। अजमेर से और कोटा से आने वाले माननीय विधायकगण ने जिस ओर ध्यान इंगित किया है उस ओर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। हम हमारी

(श्री जोगाराम पटेल)

शिक्षा पद्धति को, हम हमारे विद्यालयों को, हम हमारे अध्यापकों को किस ओर ले जा रहे हैं और शहर और ग्रामीण के विद्यार्थियों और शिक्षकों में दिनों-दिन कितना अन्तर आता जा रहा है, इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक तरफ तो हमारी स्थानीय भाषा में दुकानें कहते हैं या मनी अर्निंग इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो शिक्षा का स्तर है वह दिनों-दिन गिरता जा रहा है। उन विद्यालयों में अध्यापकों और विद्यार्थियों, दोनों की संख्या दिनों-दिन कम होती जा रही है। आप अनुमान लगायें हमारी शिक्षा का कि पिछले कुछ महीनों में मेडिकल और हैल्थ डिपार्टमेंट तथा सहकारिता डिपार्टमेंट ने पांचवीं पास विद्यार्थियों के आवेदन आमंत्रित किये थे अंतिम अधिकारी के रूप में और जब आवेदन आमंत्रित हुए तो 50-60 की पोस्ट थीं और उन पोस्ट के लिये एम.ए., बी.एड., एम.टेक., उन लोगों ने एप्लाई किया तो हम समझ सकते हैं कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर क्या है और अन-एम्प्लायमेंट कितना है। इसलिये मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं, इससे पहले कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय रखा, उस पर गम्भीरता से विचार करना है कि हमारे विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कितना हो रहा है। डिग्री प्राप्त करना अलग विषय है, चरित्र निर्माण करना अलग विषय है, राष्ट्रीयता पैदा करना अलग विषय है और डिग्री और मनी प्राप्त करना अलग विषय है। इसीलिये शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा की जो महत्ता है, हम सबका दायित्व है, उस ओर ध्यान देना जरूरी है।

मैं आज आपके मार्फत माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अवश्य निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा में गुणवत्ता की ओर अधिक ध्यान दें। शिक्षा के विस्तार की ओर ध्यान न देकर उसकी गुणवत्ता की ओर ध्यान दें और जितनी गुणवत्ता बढ़ेगी, उतना ही हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, अनेकों-अनेक विद्यालय खोले जा रहे हैं, हम मांग भी कर रहे हैं लेकिन एक ही विद्यालय ऐसा नहीं हुआ और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा एक भी विद्यालय नहीं हुआ, जिसने सर्वपल्ली डाक्टर राधाकृष्णन जैसे विद्यार्थी पैदा किये हों। इसलिये मेरा आज आपके मार्फत निवेदन है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने वाले उन विषयों को समाहित करें, जिन विषयों में प्रारम्भिक स्तर पर भी वह पढ़ें और उसमें वह विचार और भाव पैदा हों। सिर्फ पढ़ाना जरूरी नहीं है, उसमें वह विचार और भाव पैदा होना भी जरूरी है। उस विचार और भाव के आधार पर वह आगे बढ़ेगा, अपने देश के प्रति आगे बढ़ेगा, अपने समाज के

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रति आगे बढ़ेगा, अपने माता-पिता के प्रति उसका जो भाव पैदा होगा, तब हम कहेंगे कि वास्तव में उसने शिक्षा प्राप्त की है। कोई बी.ए., एम.ए. की डिग्री लेने से, अधिक शिक्षा वाला हो गया, यह मैं नहीं मानता क्योंकि शिक्षा के लिये यह भी मानते हैं, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि दिल्ली के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में कट-आफ मार्क्स 100 प्रतिशत रखे गये हैं तो इससे हमारा पता लग सकता है कि हम किस स्तर पर और कहां तक पहुंच गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैकाले की शिक्षा पद्धति जो अंग्रेज यहां छोड़ कर गये, जिसको हम दिनों-दिन अपना रहे हैं, शायद कोटा हो या जोधपुर हो या राजस्थान का कोई शहर हो, हम दिनों-दिन उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमको चाहिए कि हम उसकी ओर नहीं बढ़ें। हमारी भारतीय संस्कृति की जो शिक्षा थी, हम भारतीय संस्कृति के आधार पर जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, उसको अपना कर अपने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का महत्व हो, वहीं से प्रारम्भ करें। अपने प्रारम्भिक स्तर से प्रारम्भ करें। अपने देश के प्रति उसका भाव पैदा करें। हमारे अभिभावकों के प्रति उसका भाव पैदा करें और अभिभावक भी यह शिक्षा दें कि हमारा देश के प्रति पहला कर्त्तव्य है।

मैं इस स्थान पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हूं। मैं भी उसी विद्यालय में पढ़ा हूं जहां आठवीं क्लास में पहली ए बी सी डी सिखाई जाती थी और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं सदन में, कि वह राजस्थान है और राजस्थान का भी पश्चिमी राजस्थान है जिसने आईआईटी में टाप किया आज के कुछ साल पहले और जब उसने आईआईटी में टाप किया, जब उसका रिजल्ट आया तब वह बकरियां चराता हुआ खेजड़ी के ऊपर बैठा था। हमारा वही राजस्थान है। पिछले दो-तीन सालों में आईएएस में जिसने टाप किया है या आईएएस में जिसने अपना स्थान बनाया है, वह भी हमारे राजस्थान के हैं। पिछले लम्बे समय से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वह आरएएस की परीक्षा हो चाहे आईएएस की परीक्षा हो या चाहे कोई अन्य कोई काम्पीटिटिव एग्जाम हो, वह हमारे राजस्थान के हैं और वे हमारी सरकारी विद्यालयों से निकले हैं, इसलिये सरकारी विद्यालयों की महता कम नहीं है पर हम सबने एक विचार बना लिया है कि हमारे सरकारी विद्यालयों की महत्ता कम है और जो टाई लगाकर, बढ़िया-बढ़िया शर्ट पहन कर, अच्छी नैकर पहन कर और बच्चे का जो वैट है, उससे तीन गुना उसका बस्ता है, जिसको वह पीछे लटका कर जाता है, तब यह

(श्री जोगाराम पटेल)

मानते हैं कि नहीं, यह विद्यालय बहुत अच्छा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन यह है कि भले ही उसको एक पाटी ही मिले, भले ही उसको एक पेंसिल ही मिले और वह आई ए एस में टाप आता है तो यह मान सकते हैं कि नहीं, वह हमारा सरकारी विद्यालय है, उसकी अपनी महत्ता है।

इसी तरह से, हमारे जो शिक्षकगण हैं, उनका भी अपना महत्व है। हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हैं। बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छी शिक्षा भी देते हैं, पूरे मनोयोग से पढ़ाते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हमें उनको वहां विद्यालय का पूरा वातावरण मिले परन्तु एक चीज की हमारे यहां कमी है और वह यह है कि एक शिक्षक जो जैसलमेर के किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है और एक जयपुर के किशनपोल के किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है, उसको समान लाभ दिया जाता है, तब उसके मन में अवश्य आता है कि मैं भी कभी शहर में जाऊं, मेरा बच्चा भी कभी शहर में जाए, मेरा परिवार भी कभी शहर में रहे। लेकिन उसको भी अगर वह लाभ दिया जाए कि अगर उसको लगे कि जैसलमेर में या बाड़मेर में या झुंझुनूं में या बांसवाड़ा या डूंगरपुर के किसी भी विद्यालय में पढ़ाऊंगा, मुझे मेरा हक मिलेगा, मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा मिलेगी और समानान्तर मिल जाएगा तो वह कभी शहर में आने का विचार नहीं करेगा। हमको इस बारे में विचार करना पड़ेगा। जो हमारे शिक्षकगण दूरदराज के विद्यालयों में पढ़ाते हैं, लम्बे समय से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको ऐसा कोई लाभ दें, वह चाहे आर्थिक भी नहीं हो, और कोई लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ भी हो सकता है, ताकि उसके मन में यह नहीं आये कि नहीं, मैं मेरे गांव में ही पढ़ाऊंगा, मेरे गांव के विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा, शहर में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन आज की तारीख में जो फर्क दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, शहर के विद्यालय का, शहर के शिक्षक का, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय का, विद्यार्थी का और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक का, वह फर्क ही हमारे यहां यह शिक्षकों की कमी का वातावरण पैदा कर रहा है, स्कूलों के वातावरण में फर्क पैदा कर रहा है, इसलिये मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा अध्ययन से लम्बे समय से लगे हुए उन सब शिक्षकों को कोई ग्रामीण भत्ता जैसी कोई चीज उन्हें भी दें और उन्हें यह कहें कि नहीं, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहोगे तो जो शहर में रहते हुए, शहर के निवासी हैं और वह जो भत्ता उठा रहे हैं, ऐसा कोई भत्ता आपको भी यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहोगे, ग्रामीण क्षेत्र में आप पढ़ाओगे, वहां अगर

(श्री जोगाराम पटेल)

आप विद्याध्ययन कराओगे तो आपको भी मिलेगा तो वह आराम से वहां रहेगा, कभी वह शहर में आने की मांग नहीं करेगा।

मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे जो शहर के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में दिनोंदिन बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, उनमें दिनोंदिन बिल्डिंग्स उतनी नहीं बढ़ रही हैं। आज भी अनेक विद्यालय हैं, जिसमें स्कूल रूम्स की कमी है, क्लास रूम्स की कमी है, छोटे-छोटे कमरों में पढ़ाते हैं। न वहां बिजली है, न वहां पानी है, न ऊपर पंखा है। ऐसी स्थिति में, हमको इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि हमारे विद्यालयों का जो टोटल स्ट्रक्चर है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में कोई थोड़ी प्राथमिकता दी जाए ताकि वहां भी वह स्ट्रक्चर खड़ा हो, उनमें भी पंखा लगे, उनमें भी कक्षा-कक्ष हो, उनमें भी बैठने की अच्छी जगह हो, उनमें भी टाट-पट्टी हो, उनमें भी टेबल हो, उनमें भी कुर्सी हो तो हमारे बच्चे आकर्षित होंगे कि नहीं, शहर में और ग्राम में कोई फर्क नहीं है, मैं मेरे गांव में ही पढ़ूंगा। ऐसी यह जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वह विद्यालय से सम्बन्धित है, चाहे वह विद्यार्थी से सम्बन्धित है या विद्याध्ययन कराने वाले से सम्बन्धित है, अगर इन बातों की ओर हम ध्यान देंगे तो अवश्य ही हम पाएंगे कि धीरे-धीरे-धीरे हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यालय है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलें हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी और शिक्षक हैं, वे भी शहर के विद्यार्थियों के बराबर होंगे।

इतना ही नहीं, अन्य बड़े-बड़े जो प्रदेश हैं, जैसे कर्नाटक है, केरल है, जहां शिक्षा का स्तर हमसे थोड़ा बेहतर है। उनके कम्पीटिशन में हमको आना पड़ेगा, उनसे हमको सीखना पड़ेगा। उनके यहां जो अच्छी-अच्छी होती हैं, उनको हमको लेना पड़ेगा। जब भी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में जाते हैं तो वहां छोटे-छोटे गांवों में बड़े-बड़े महाविद्यालय हैं। ऐसी स्थिति में हम भी हमारे क्षेत्र में कोशिश करें कि जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलें, उनको प्राथमिकता दें कि वह ग्रामीण क्षेत्र में भी कभी हो। आज तक हमने कभी यह विचार ही नहीं किया कि हमारे विद्यालय या महाविद्यालय कभी गांव में भी कहीं खुलें। ज्यादातर शहर में अन्दर हैं।

मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां पांच विश्वविद्यालय हैं। जोधपुर में पांच विश्वविद्यालय हैं और पांचों के पांचों शहर में हैं। दो निजी विश्वविद्यालय हैं, वे भी शहर में हैं। महाविद्यालय हैं, वे भी शहर में हैं। इसीलिये हम यह चाहेंगे कि ऐसे हमारे बड़े-बड़े शहर भी हैं, हमारे बड़े-बड़े गांव भी हैं और

(श्री जोगाराम पटेल)

किन्हीं क्लस्टर जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय विधायक ने बताया, किन्हीं गांवों के क्लस्टर के बीच में जाकर अगर हम विद्यालय, महाविद्यालय खोलें, अपना वहां का विशेष क्षेत्र हो जाएगा।

कर्नाटक में तुमकुर नाम का छोटा सा गांव हुआ करता था, आज तो वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर है, लेकिन वहां धीरे-धीरे प्राइवेट सैक्टर में वहां के मठाधीश ने दो महाविद्यालय खोले, आज वहां पांच विश्वविद्यालय हैं और वह जो पहले छोटा सा गांव था, पिछले 15 सालों में वह बहुत बड़ा शहर हो गया। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस बारे में भी विचार करें कि हमारे जो विद्यालय, महाविद्यालय हैं, हो सके तो उतने हम ग्रामीण क्षेत्र में भी खोलें। ये विशेष रूप से जो इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित मेरा निवेदन था आपसे।

मेरा दूसरा निवेदन यह भी है कि सरकारी विद्यालयों में भी वह सब सुविधाएं जिन सुविधाओं का अभाव रहता है, वह हम दें। आज की तारीख में मैं पुन: निवेदन करता हूं रिपीटिशन के नाम पर कि हमारे विद्यालयों में आज भी जाने-आने के कोई साधन नहीं हैं। बच्चा पैदल जायेगा, पैदल जायेगा तो पानी वहां नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, आने में वह अपने आप वापिस आएगा, उसका ड्रेस कोड भी वही रहेगा। तो हम इस बारे में भी विचार करें कि क्यों न हम हमारे विद्यार्थियों को भी आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करायें? क्यों नहीं, हम हमारा ड्रेस कोड भी बदले? क्यों नहीं, हम उस विद्यालय में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध करायें जिससे आकर्षित हो सके और काम्पीटिशन में प्राइवेट विद्यालयों से भी आगे जा सके। ऐसी स्थिति में, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को जो हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। मूलभूत सुविधाएं अगर हम उपलब्ध कराएंगे तो वह अवश्य और पढ़ेगा, और अधिक नम्बर लाएगा। हम आपसे यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हम आंकड़ों की ओर जाएं और हम यह देखें तो धीरे-धीरे जो प्रारम्भिक शिक्षा था और जो हमारी प्रारम्भिक शिक्षा है उसका स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा है। कई ऐसे विद्यालय हैं जिनका जिक्र बजट भाषण में भी हुआ, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने भी चिंता जाहिर की। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने भी चिंता जाहिर की और आंकड़ों से बताया कि इतने विद्यालय ऐसे हैं जिसमें जीरो परसेंट है और उसमें इतने अध्यापक कार्यरत हैं। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के आंकड़े निकलवाए तो माननीय सभापति महोदय, आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि उसमें छात्र थे दो, अध्यापक थे तीन। ऐसे बीस विद्यालय निकलवाएं जिनमें दस

(श्री जोगाराम पटेल)

से कम छात्र थे और उनमें शिक्षकों की संख्या पांच से ज्यादा थी। ऐसे तीन विद्यालय निकले जिसमें पन्द्रह से तीस तक विद्यार्थी थे और शिक्षक उसमें सात, आठ इस तरह से थे। तो यह क्यों हो रहा है? हम इसकी ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं और हम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, हम क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि नहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र तो जितने विद्यार्थी हैं उसके अनुपात में भी शिक्षक लगेंगे। डेपुटेशन नाम की चीज हम खतम करेंगे, शिक्षण व्यवस्था नाम की चीज हम खतम करेंगे। जब तक डेपुटेशन और शिक्षण व्यवस्था के नाम पर अपनी मर्जी के अनुसार लगाते रहेंगे तब तक यह अन्तर बना रहेगा। इसलिये शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक है कि हम इस ओर भी ध्यान दें। आज की तारीख में राजस्थान भी शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ नहीं है। हां, अन्य प्रदेशों के कुछ प्रदेशों से पीछे अवश्य हैं। हमारे यहां भी 1 हजार 516 महाविद्यालय हैं, 170 राजकीय महाविद्यालय हैं, 15 राजकीय विधि विश्वविद्यालय हैं, 1331 निजी महाविद्यालय हैं, 232 विश्वविद्यालय हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे यहां शिक्षा का स्तर ठीक है। पिछले काफी समय से धीरे-धीरे इसमें गुणात्मक सुधार भी आ रहा है। परन्तु उसके बावजूद भी हमें यह चाहिए कि हम इस ओर और आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर इसमें अपना योगदान दें। इस बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो गुणवत्ता सुधार के साथ ही साथ बजट एलोकेशन में भी थोड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जो बजट का एलोकेशन हो रहा है और शिक्षा में जो बजट एलोकेशन हो रहा है उसमें काफी फर्क है। इसलिये बजट एलोकेशन को हम ठीक करें और बजट एलोकेशन अगर पूरा-पूरा करें और धीरे-धीरे देखेंगे तो इसका रिजल्ट दो-चार सालों में बहुत ही अच्छा आएगा। राजस्थान में उच्च शिक्षा के प्रति भी ठीक हो रहा है और उच्च शिक्षा में भी बहुत प्रगति हो रही है। राजस्थान में उच्च शिक्षा में तीव्र गति से हुए प्रचार के फलस्वरूप हमारे विद्यालय एवं महाविद्यालय, विधि विद्यालय अनेक बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो अनेक जगह विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, महाविद्यालय खुल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस ओर भी धीरे-धीरे राजस्थान प्रोग्रेस कर रहा है। मैं आभारी हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री का कि उन्होंने यह भी ध्यान दिया है कि हमारी कौन-कौनसी पंचायतों में किस-किस स्तर के विद्यालय हैं। और जिन विद्यालयों में पिछली सरकार ने जो विद्यालय खोलने की घोषणा की थी परन्तु इसके बावजूद भी वे नहीं खोल पाए थे और ऐसे जो 66 रह गए थे। उनको

(श्री जोगाराम पटेल)

आगे बढ़ाने की जो बात कही है और जैसा कि अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया भारत सरकार की योजना के अनुसार आदर्श विद्यालय खोलना, 186 पंचायत समितियों में माडल स्कूल खोलने का विचार था। परन्तु पूर्ववर्ती सरकार में मात्र 71 ही प्रारम्भ कर सके और 66 जो शेष रह गए थे उनके लिये 4 हजार करोड़ 900 रुपये की जो व्यवस्था कर जो 66 माडल स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, उसके लिये भी मैं आभारी हूं। और जिन पंचायतों में सीनियर हायर सैकण्डरी नहीं थी, उन समस्त पंचायतों में सीनियर हायर सैकण्डरी खोलने की घोषणा की गई है। उसके लिये भी बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन सुझाव आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। एक तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में अत्यधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में 618 पद हैं, जिसमें से 72 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर 951 स्वीकृत पद हैं जिसमें 205 खाली हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सैकण्ड ग्रेड में 218 पद स्वीकृत हैं जिसमें 67 खाली हैं। व्याख्याता के 62 पद खाली हैं और इस तरह से बहुत पद खाली हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये पद शीघ्र से शीघ्र भरे जाएं।

आखिर में, दो-तीन सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला यह कि शिक्षा विभाग में वैकेंसी जो है उसकी पूर्ति की जाए और दूसरा राजस्थान लेवल पर एक ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं पर जिला खाली नहीं रहे। चाहे राजस्थान लेवल हो, चाहे जिला लेवल हो, इतना ही नहीं विद्यालय खोलना, क्रमोन्नत करना, सब्जेक्ट टीचर लगाना, यह तीनों एक साथ ही होना चाहिए। उसका बजट एलोकेशन, टीचर की व्यवस्था और भवन निर्माण यह एक साथ होने चाहिए। दूसरा, समय-समय पर निरीक्षण होना चाहिए। जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय विधायक ने बताया कि निरीक्षण नहीं होने की वजह से दो बातें हो रही हैं। एक तो फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन की वजह से जो उसमें लीकेजेज हो रहे हैं उसमें बहुत ही गबड़बड़ियां हो रही हैं और पढ़ाई का स्तर क्या है, कौन स्कूल आ रहा है, नहीं जा रहा है पता ही नहीं है। इसलिये समय-समय निरीक्षण होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ, ट्रांसफर की पालिसी होनी चाहिए। ट्रांसफर की पालिसी नहीं होने की वजह से भी मैं इधर आ गया, उधर लग गया। कई विभागों में ट्रांसफर पालिसी हैं पुलिस में ट्रांसफर पालिसी है, ज्युडिशियरी में ट्रांसफर पालिसी है, पंचायतीराज में अभी जैसा हमने सुना ट्रांसफर पालिसी ला रहे हैं। अगर शिक्षा में भी ट्रांसफर पालिसी हो, सभी को पता है कि मुझे कब जाना और कहां जाना है। साथ ही साथ, परीक्षा परिणाम

(श्री जोगाराम पटेल)

भी खोलना आवश्यक है। स्कूल में खेल का मैदान, स्कूल को क्रमोन्नत करना, अध्यापक लगाना, बिल्डिंग बनाना यह सारे ही एक निश्चित पालिसी के तहत होगा तो इसमें सुविधा रहेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां मैंने लिखित में निवेदन किया है माननीय मंत्रीजी को, नए विद्यालय खोलना, क्रमोन्नत करवाना, शिक्षक लगाना, उसकी ओर ध्यान देकर के उसकी पूर्ति की जाए। आपने मुझे समय दिया उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग के ऊपर चर्चा हो रही है। आज जो शिक्षा की स्थिति माननीय सभापति महोदय, वह मोटी-मोटी इस प्रकार से है कि 12 हजार करोड़ रुपया सालाना हम शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। हमारे पास में 84 हजार 661 सरकारी स्कूल हैं और माननीय सभापति महोदय, 85.54 लाख विद्यार्थी इनमें पढ़ते हैं। 4.04 लाख शिक्षक काम करते हैं और 3.29 लाख शिक्षक ही अभी तक कार्यरत हैं और 4.04 की आवश्यकता है। कहने का मतलब आज भी 75 हजार शिक्षकों की रिक्त स्थान हमारे पास में है। हमारे पास हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिये शिक्षक नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, 7 हजार 216 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें बच्चे तो हैं लेकिन एक-एक शिक्षक कार्यरत है। हमारे पास में 2 हजार 727 ऐसे विद्यालय हैं जहां भवन नहीं है, 15 हजार 277 कक्षा कक्ष की हमारे कमी है, 3 हजार 985 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और 19 हजार 560 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अभी भी चारदीवारी नहीं है। आज जो स्थिति है, छह महीने सरकार को बने हो गए, थर्ड ग्रेड के अध्यापकों का कोई रिजल्ट नहीं, सैकण्ड ग्रेड के अध्यापकों का कोई रिजल्ट नहीं और जो तैयारी सरकार ने कर रखी है उसका नमूना माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय तो नहीं हैं लेकिन हो सकता है उन तक बात पहुंच जाए, करना-धरना तो कुछ नहीं है लेकिन बात अपनी पहुंचा रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इसी सदन में 16 जुलाई को एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि 1 से 30 बच्चों वाले ऐसे विद्यालय 28013 हैं जिनमें 57056 अध्यापकों की कमी है। फिर उसी दिन हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य घनश्यामजी के एक प्रश्न के उत्तर में जो शिक्षा के समानीकरण और एकीकरण

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

का था, उसमें इन्होंने कहा कि 1 से 30 बच्चों वाले विद्यालय 27924 हैं और उनमें 56815 ऐसे अध्यापक कार्यरत हैं और माननीय सभापति महोदय, हमारे सदन की नेता जिन्होंने शिक्षा पर इतनी चिन्ता की है प्रजेंटेशन भी विभाग का लिया है, मंत्रीजी भी काफी व्यस्त हैं और इतने व्यस्त हैं कि जब सदन में सवाल का जवाब आया कि कमेटी की रिपोर्ट, बोले आ तो गई लेकिन मैंने पढ़ी नहीं क्योंकि वे व्यस्त थे इस शिक्षा के ढांचे को सुधारने में। माननीय सदन की नेता ने अपने 18 जुलाई के उद्‌बोधन में कहा कि 31024 ऐसे स्कूल हैं जहां 62902 अध्यापक कार्यरत हैं जिनमें 1 से 30 संख्या के बच्चे पढ़ रहे हैं यानी 16 जुलाई का मंत्री का दो दफा बयान एक प्रतिनियुक्ति के सवाल पर और एक समानीकरण और एकीकरण के सवाल पर। दोनों में विद्यालयों की संख्या, वही 1 से 30 बच्चे वाला विद्यालय और अध्यापकों की संख्या दोनों में भिन्न थी और 18 जुलाई को जब सदन की नेता आई तो उन्होंने तीसरी बार कहने का काम किया। एक दूसरी और बात है सात महीने से सिर्फ हमें कोस रहे हैं हमारी सरकार ने क्या किया। आपने कौन सा तीर मार लिया, ये तो बताइये सात महीने में? रिक्त स्थान की जो संख्या बता रहे हैं उनकी संख्या

माननीय सदस्यों को जो प्रगति प्रतिवेदन दिया जाता है उसमें थर्ड ग्रेड के 34994 और हमारे शिक्षा मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं प्रतिनियुक्ति के सवाल पर 39718 और सैकण्ड ग्रेड प्रगति प्रतिवेदन यह कहता है सरकार का कि 10341 और माननीय मंत्री महोदय सदन में कहते हैं कि 30298 सैकण्ड ग्रेड के स्वीकृत हैं और 11492 पद रिक्त हैं। इस सरकार की शिक्षा के ऊपर सोच का नमूना है माननीय सभापति महोदय, ये क्या करने जा रहे हैं। आज की तारीख तक सात महीनों में यह यह तय नहीं कर पाए कि हमारे पास थर्ड ग्रेड के कितने खाली हैं हमारे पास सैकण्ड ग्रेड के कितने खाली हैं, हमारे 1 से 30 के बच्चों के विद्यालय कितने हैं, ये इनका थोड़ा सा नमूना है। दूसरा सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये वे विद्यार्थी मित्र जो 24 हजार से अधिक विद्यार्थी मित्र हैं 30 हजार बच्चों को पढाते थे। इनकी सरकार लेकर के आयी थी और आज ये कहते थे हम नियमित करेंगे। इन्होंने अपने सुराज संकल्प में जो शिक्षा का कालम लिखा है, जो घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था उन बच्चों से, उसके शिक्षा के कालम में 10 नंबर पर राज्य में कार्यरत विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, शिक्षामित्र, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, अंशकालीन शिक्षा, प्रबोधक इत्यादि प्रकार से कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये घोषणा पत्र है, माननीय सभापति महोदय, और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

घोषणा पत्र की धज्जियां, उद्योग मैदान में तीस हजार, पच्चीस हजार विद्यार्थी मित्र इस सरकार को रो रहे हैं। उनको दूर कर दिया गया। उनकी समस्याओं का समाधान तो छोड़िये उनको यह कह दिया गया और शिक्षा मंत्रीजी जवाब क्या देते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया अक्टूबर-सितम्बर में और इनको असंवैधानिक मान लिया। आप सो रहे थे क्या सात महीने तक? क्या कर रहे थे आप सात महीने तक? जब आपको लोक सभा में वोट लेने थे जब विधान सभा में वोट लेने थे तो आपने वादा कर दिया। जब लोक सभा में इन विद्यार्थी मित्रों के वोट लेने थे तो आपने इनको हटाया नहीं और जब अपने दोनों काम हो गये तो इन विद्यार्थी मित्रों के साथ अन्याय करने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बच्चे जाएं कहां? स्कूल में कोई पढ़ाने वाला नहीं है। इन विद्यार्थी मित्रों को आप चाहे नाम कुछ भी दे दीजिये लेकिन आपकी पैदा की हुई समस्या है। आप इनको नौकरी दीजिये, इनको नियमित कीजिये और कल से ही तत्काल इनको विद्यालय में पढ़ाने का मौका दीजिये जिससे आपकी शिक्षा का स्तर सुधरे क्योंकि आपसे रिजल्ट तो थर्ड ग्रेड का आना नहीं है।

तीसरा सभापति महोदय, टैट को खतम कर देंगे, सुराज संकल्प यात्रा में कहा। कर दी क्या टैट को खतम? ये टैट खतम नहीं कर दी, आने वाले बीस साल तक आपकी दुबारा सरकार नहीं आएगी ये इस प्रकार की व्यवस्था आपने कर दी है। 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, सभापति महोदय, और आज शिक्षा मंत्री शहर के और केवल शहर के बच्चों को अन्दर लाने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दसवीं, बारहवीं, बीएड, एसटीसी में नंबर किसके ज्यादा आते हैं? मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वह गांव का बच्चा जो झोंपड़ी में एक लालटेन से, एक दीये से, एक मोमबत्ती से पढ़ कर के आता है उसके दसवीं, बारहवीं और बीए में नंबर नहीं आते। जब वो होश सम्भालता है बड़ा होता है उसके बाद में सभापति महोदय, वह तैयारी करके कम्पीटिशन देकर के टीचर बनता है और अपने मां-बाप का पेट पालन करता है अपने परिवार का पेट पालन करता है। आज उनसे आपने छीन लिया सब कुछ। साठ परसेंट इसके कर देंगे वह तो जब टैट में अनिवार्यता है तो आपको करना ही पड़ेगा, एग्जाम तो करानी ही पड़ेगी और उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी गाढ़ी कमाई लाकर के बच्चे तैयार कर रहे थे वे बच्चे आज अनाथ हो गये। उनके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पास कोई विकल्प नहीं है, वे कह रहे हैं मैं, दसवीं में गांव में पढ़ता था सरकारी स्कूल में तो मेरे चालीस परसेंट आये हैं, मेरे पैंतालीस आये हैं, मेरे साठ आये हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनोरिटी ये जो वर्ग हैं ये गरीब वर्ग गांवों में रहते हैं। आज कोई नहीं बोल रहा है इसके ऊपर, सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। हो सकता है सत्ता पक्ष के लोगों को मंत्री बनना हो, लेकिन हमें मंत्री नहीं बनना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस टैट के माध्यम से हमारी सरकार ने माननीय सभापति महोदय, एससी, एसटी, ओबीसी को...(व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): आज चिन्ता जताई क्या, पांच सालों बाद में आज ग़रीबों के दर्द को सुना तो है, समझा है आपने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारी सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को पन्द्रह परसेंट छूट दी थी इसमें। हमारी सरकार ने नि:शक्तजनों को बीस परसेंट छूट दी थी। ये कह रहे हैं कि हम छूट नहीं दे सकते हाई कोर्ट का फैसला आ गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी थी जो आज हमारा मामला सुन रहे हैं वे ही जजेज वहां सुन रहे थे। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी और सरकार को कि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो इन एससी, एसटी, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को छूट दे सकती है लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है ये इस वर्ग को किसी भी तरह से सुविधा देने के पक्ष में, माननीय सभापति महोदय, नहीं हैं। आज ग्रामीण परिवेश का बच्चा बिलकुल इस रीट के नाम से नफरत करने लगा है, वह अपने आपको इस व्यवस्था से कटा हुआ महसूस कर रहा है। उसको यह लग रहा है मेरी कोई सुनने वाला नहीं है।

तीसरा सभापति महोदय, एकीकरण, एकीकरण, एकीकरण, हम तो सात महीने से एक बात ही सुन रहे हैं, दूसरी तो बात ही नहीं है। क्या कर रहे हो इस एकीकरण में जब आपकी प्रारम्भिक शिक्षा का कैडर अलग, आपकी माध्यमिक शिक्षा का कैडर अलग। आप एक सीनियर सेकण्डरी में सब पांच स्कूलों को इकट्ठा करके और एक में डाल कर के लड़के और लड़कियों को सबको एक साथ और उस एक प्रिंसिपल को बना करके उन बाकी स्कूलों के भवनों को खाली कर दोगे और प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का क्या

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कैडर खतम कर दोगे आप? आपने सोचा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार ने लेवल फर्स्ट और सैकण्ड में विषय अध्यापकों की भर्ती की थी। आज ये एकीकरण के नाम से सबको एक कर देंगे उसके बाद में हिन्दी वाला क्या अंग्रेजी पढ़ायेगा? क्या गणित पढ़ा देगा? जब विषय अध्यापकों की आपको आवश्यकता ही नहीं है तो क्या करने जा रहे हैं सभापति महोदय? आज मेरे यहां लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र से जो प्रस्ताव आये हैं उसका एक नमूना देना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को। 94-95 विद्यालय मर्ज करके उनको बंद करने की योजना, ये सरकार कह रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। 94-95, मेरे पास वह प्रस्ताव की कापी है। ग्राम पंचायत कालम संख्या 4 में वर्णित माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक मर्ज होने वाले वियालयों के नाम, यह 94-95 विद्यालय हैं। अगर समानीकरण, एकीकरण आपने कर दिया तो प्रदेश में 40 हजार शिक्षक आज की तारीख में सरप्लस हो जाएंगे जबकि 75 हजार अध्यापकों की आज आपको आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं एकीकरण के नाम से 35 हजार स्कूल बंद करके आप क्या करना चाहते हो? आपके कोई नियम नहीं है, केवल एक लाइन का बजट में आया है कि हम एकीकरण करके व्यवस्था को सुधार देंगे। सुधारने का नमूना, इनके जो आंकड़े हैं, कितने खाली, कितने स्कूल, कितने बच्चे, विद्यालय में क्या स्ट्रेन्थ हैं उसका नमूना मैंने आपसे निवेदन किया है। इन्होंने हमारे बच्चों से वादा किया था कि जो प्रतिबंधित जिले हैं उनसे हम स्थानान्तरण करेंगे। सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी का एक बयान भी आया था कि सब काम चुटकी देते हुए, पेट पर हाथ फेरते हुए कहा था कि गर्मियों की छुट्टी में सबके स्थानान्तरण कर दूंगा। गई ना अब गर्मियों की छुट्टियां, क्या हुआ इसका? एक टीचर को, सबसे असत्य वादे किए थे, उनको नहीं किया है, न इनकी स्थानान्तरण नीति बनी है। जो कमेटियां बनाईं उनका पता ही नहीं। संविदाकर्मियों के लिये अलग कमेटियां बनाईं, शिक्षा सहयोगियों के लिये अलग कमेटियां बनाईं। यह कह रहे हैं एसएलपी वापस ले लेंगे, सभापति महोदय, इसमें भी चाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर एसएलपी वापस ले ली तो 25 हजार सरकारी अध्यापक जो आज सरकारी नौकरी में हैं वापस बाहर का रास्ता उनको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने एसएलपी ले ली तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विधवा, विकलांग, उनको नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उनके 60 परसेंट हैं ही नहीं तो फिर कहां से इस रिजल्ट में, जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रिजल्ट आने वाला है, उससे वह बाहर हो जाएंगे। इसलिये यह एसएलपी लेने वाला है इसमें पहले आप छूट का प्रावधान कीजिए और उसके बाद में बात कीजिए। इन्होंने अपने घोषणा-पत्र में वादा किया था कि हम परीवीक्षाधीन कर्मचारियों का परीवीक्षाकाल एक वर्ष कर देंगे। इनके इसी संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, मैं कोई अलग से नहीं लाया हूं। कालम नम्बर-9 राज्य में सरकारी सेवा में परिवीक्षाधीन नियुक्त कर्मचारियों की अवधि एक वर्ष होगी, हो गई क्या एक वर्ष, नहीं हुई। सभापति महोदय, इनकी कथनी-करनी में फर्क है। जब बेरोजगार शिक्षक बीजेपी के कार्यालय में धरना, प्रदर्शन को गए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डण्डे लेकर उन विद्यार्थियों पर, बेरोजगारों पर डण्डे बरसाने का काम किया, यह है इनकी शिक्षा की नीति।

निश्चित रूप से सैकण्ड ग्रेड के जो अध्यापक हैं, उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं। 5500 से 6500 का जो वेतनमान है उसमें संशोधन करके मूल वेतन 16290 किया जाए। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। 2003-2008 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 10वीं और 12वीं की मैरिट आती थी तो आदर्श विद्या मंदिर स्कूलें हैं उनके ही बच्चे अधिकतर मैरिट में आते थे। पांच साल 8 से 13 तक नहीं आए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आए हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं आए, अनुपात में नहीं आए। एक-दो की मैं नहीं कहता। आप विराज जाएं। अब दुबारा इस साल मैरिट आई है तो दुबारा वही आदर्श विद्या मंदिर, और कह रहे हैं कि हम इतनी पारदर्शिता से शिक्षा का काम करेंगे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं न इनकी नीयत ठीक है, न इनको काम करना आता है। इंजीनियरिंग कालेज खोलने की बात कर रहे हैं। जो इंजीनियरिंग कालेज पहले से खुले पड़े हैं उनमें स्टूडेंट नहीं हैं और वाहवाही लूट रहे हैं, मेजें थपथपा रहे हैं, तीन इंजीनियरिंग कालेज खोल रहे हैं। अभी सदन की नेता ने यहां कहा था इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की और वोटों के लिये अगस्त, सितम्बर में 42 राजकीय महाविद्यालय खोलने का फैसला किया, वह गलत फैसला था, क्योंकि अगस्त में कोई एडमीशन नहीं होता है। आपने क्या किया, अभी कल ही चार महाविद्यालयों की घोषणा की है, यह कौनसा महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, जब आदेश जारी होंगे तो अगस्त, सितम्बर, वही हमारे वाला ही महीना आ

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जाएगा। आप राजनैतिक द्वेषता से क्यों काम करते हो? इन बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 42 राजकीय महाविद्यालय हमारी सरकार ने खोले थे उनमें से 13, 17,18 जो भी चालू नहीं किए हैं उनको चालू किया जाए। बेरोजगारों को जो भत्ता मिलता था उसको भी आपने बंद कर दिया। राजस्थान विश्वघिलाय की बात मैं एक मिनट करना चाहूंगा कि हमने पढ़ा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाएं, उनमें कचोरी और समोसे बांधे जा रहे हैं, यह इस सरकार का नमूना है। विश्वविद्यालय का नमूना ले लीजिए, महाविद्यालय का मैंने बताया, जो बच्चों के साथ करने जा रहे हैं वह बताया। अभी प्रबोधकों की भर्ती का मामला था, मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि हमने सब प्रबोधकों को जो हाई कोर्ट ने या कोर्ट ने कहा उनको सबको नियुक्ति दे दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मंत्री महोदय जब शाम को मांग पर जवाब दें तो बताएं कि आपकी सरकार ने सात महीने में ऐसे कितने प्रबोधकों को नियुक्ति दी, सभापति महोदय, एक प्रबोधक को नियुक्ति नहीं दी। चाहे राजसमंद का मामला हो, चाहे कहीं का हो, वहां पर चिट्ठी पहुंच रही हैं, हमें क्या करना है। यह कह रहे हैं आप हमें टिप्पणी भेजो हम क्या कर सकते हैं, वह कह रहे हैं आप हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं, अरे भई करेगा कौन, यह तो बता दो। यह कर रहे हैं, वह नमूना भी मैं बताना चाहता हूं। एक मिनिट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपके काल का बता दो आप तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी बता रहा हूं। 60 के साथ-साथ 7 का भी बता दूं तो आपके ज्ञानवर्द्धन के लिये ठीक रहेगा। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्रीजी हैं उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत को 7.7.2012 को एक चिट्ठी लिखी। अभी अजमेर से देवयानीजी भी कह रहे थे। उन्होंने लिखा कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य एमएम शर्मा मंत्री व प्रमुख शासन सचिव राजीव महर्षि स्वरूप का दलाल है, इसको हटाया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, देवयानी नहीं हैं, देवनानीजी हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): देवनानीजी, माननीय देवनानीजी। अब इसके बाद में इन्हीं मंत्री महोदय ने अभियांत्रिकी महाविद्यालय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भरतपुर का उसको अतिरिक्त चार्ज दिया है और तीन वर्ष की कार्यवधि जून 2014 में पूरी हो रही थी उसको तीन साल के लिये उसी प्रिंसिपल को जिनके लिये चिट्ठी लिखी थी, उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, यह है इस सरकार का नमूना और हमारे शिक्षा मंत्री का नमूना। आप कहो तो मैं टेबल कर सकता हूं, उनकी चिट्ठी मेरे पास है। जो इन्होंने बढ़ाया उसका आर्डर मेरे पास है। आपकी क्या कथनी और करनी, न कोई कथनी है और न करनी है। शिक्षा के ढांचे को डुबाना चाहते हैं, इन बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहते। आज इतनी मानसिक प्रताड़ना में यह शिक्षक है, सभापति महोदय। हमें तो गाहे-ब गाहे कहते भी रहते हैं कि आपकी थोड़ी-बहुत कोई माननीय सदन की नेता मानती हों तो शिक्षा मंत्रालय चेंज करा दो, बाकी सब चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे लोग हैं, जो बेरोजगार हैं उनको शंका है कि शिक्षा मंत्री शहरी होने के कारण से हम लोगों को कोई नौकरी नहीं देंगे। (व्यवधान) आप विराजो ना माननीय सदस्य। अपनी तो सेटिंग है, आप मेरे लिये नहीं बोलेंगे, मैं आपके लिये नहीं बोलूंगा, काहे के लिये कर रहे हो? इसलिये माननीय सभापति महोदय, बातें तो बहुत हैं लेकिन हमारे दल के शेष माननीय सदस्य भी बोलेंगे इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी, जो मैंने बातें उठाई है, इस प्राचार्य वाली का भी जवाब दे दें कि क्या कारण रहे आपके पास, क्या प्रेशर आया, क्या सेटिंग आपकी हुई और जो भिन्नता आपके आंकड़ों में, सदन की नेता में और आपने हर प्रश्नों में जो भिन्नता दी है उसका भी आप क्लियरिफिकेशन करें। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबू सिंहजी।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला व संस्कृति पर चर्चा हो रही है, मैं आपने आपको इसमें शामिल कर रहा हूं। शिक्षा हमारा मेरूदण्ड है। हम ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कितनी भी बुनियादी पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, फ्लेगशिप योजनाएं, बजट में होने वाली घोषणाएं, उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, लेकिन शिक्षा के बगैर हम अधूरे हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा अन्तर है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस बार जिस प्रकार का बजट आया है, इस बार हम शिक्षा में नई क्रांति लाएंगे। शिक्षा में नई नीति लाएंगे और बरसों से जो

(श्री बाबू सिंह)

ग्रामीण इलाका, इस हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत आबादी वहां रहती है, उसके लिये विशेष आयाम स्थापित करते हुए व्यवस्था करेंगे।

रोशनी अगर मिले अंधेरे को, आदमी तरसे नहीं सवेरे को
मजबूर न रहे राजस्थान में कोई, आओ रोशन करें हर सवेरे को।

(16.00 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

हमें विश्वास है कि इस बार, इस पांच साल के कार्यकाल में आमूलचूल परिवर्तन होगा। क्योंकि शिक्षा की नीति के तहत वह आठवीं तक पास करने का, कोई फेल नहीं हो आठवीं तक, ऐसा निर्णय कर, जिस प्रकार का शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, इसको हम सब जानते हैं। आज उस शिक्षा की बात हम कर रहे हैं तो दुनिया के जो शीर्ष सौ विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी हमारे भारत का स्थान नहीं होना, यह हिन्दुस्तान के लिये त्रासदी है। यह दुर्भाग्य की बात है। अगर इस सारी स्थिति की बात करें तो इसमें शिक्षकों की कमी है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है। संकायों की भी कमी है। जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं, निर्धन हैं, कमजोर हैं। वे बच्चे मेधावी होने के बाद भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग सात सौ विश्वविद्यालय और चालीस हजार कालेज हैं। आने वाले 2030 में करीबन 14 करोड़ छात्र संख्या हो जाएगी। यह सारी स्थिति हमारे सामने है। उच्च शिक्षा की बात करें तो इंडियन हायर एजुकेशन के अनुसार 9.6 बच्चे ही उच्च शिक्षा के लिये पहुंच रहे हैं। अभी बजट के पैरा 156 में भी जैसे घोषणा की गई है कि काम्पीटीशन करेंगे बच्चों का और उसमें जो सौ बच्चे होंगे, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिये ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए भी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। लेकिन उच्च शिक्षा तक ये बच्चे कैसे पहुंचेंगे जब यह आंकड़ा 9.6 बता रहा है। अभी प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है। इसमें स्त्री साक्षरता दर भारत में 2001 में 54.46 और राजस्थान में 44.34, 2011 में 65.96 व राजस्थान में 52.56 है। इसमें 13 का बड़ा अंतर है। तो विद्यालय में नामांकन, शिक्षकों का जो विद्यार्थी अनुपात इस प्रगति प्रतिवेदन में बताया गया है, इसके अनुसार 2009-10 में नामांकित छात्र 54 लाख 24 थे, शिक्षकों की संख्या 1.68 थी। इसका अनुपात 32 बैठता है। उसी प्रकार 2010-11 में 51.51 लाख, 1.61 शिक्षक, 32 का अनुपात। 2011-12 में 51.27 और 1.54 शिक्षक, 33 का अनुपात। 2012-13 में 48.67, 2013-14 में 45, तो यह

(श्री बाबू सिंह)

नामांकन भी लगातार हमारे सरकारी विद्यालयों में घट रहा है। वैसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी 2010-11 में 19.66 लाख थे, 2011-12 में 19.83, 2012-13 में 20.90, 2013-14 में 20.66, 2014-15 में 20.38, इस प्रकार से यह हमारा नामांकन सरकारी विद्यालयों में लगातार घट रहा है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा था। आज जो हमारा यह सर्वोच्च सदन यहां बैठा है। हम सब कह सकते हैं कि इसमें से 90 प्रतिशत माननीय सदस्यों के बालक, बच्चे और परिवार के बच्चे, सभी निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में कोई नहीं पढ़ रहा है। न कोई सरकारी कर्मचारियों के, न कोई अधिकारियों के, यहां तक कि हमसे जो शिक्षक मिलने के लिये आते हैं, वह भी हमसे डिजायर कराते हैं कि हमें शहर में लगा दो। हम उनसे पूछते हैं कि आप ग्रामीण परिवेश से हो, गांव में रहने वाले हो, गांव में आपकी ढाणी है। आप शहर क्यों जाना चाहते हैं। तो, हमने वहां प्लाट ले लिया, मकान बना लिया। हमने अपने बच्चे को वहां एडमिशन दिला दिया, वहां पढ़ाना चाहते हैं। तो जो सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों में उनको भी विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ कर, उसके भविष्य का निर्माण होगा, उसके चरित्र का निर्माण होगा। इस प्रकार की स्थिति है।

गांवों में और शहरों में यह अंतर है कि शहर की 50 किलोमीटर की परिधि में जो स्कूल आ रहे हैं, उन स्कूलों के अन्दर 1:5 का अनुपात है। 5 बच्चे हैं, एक अध्यापक है। कहीं 1:10 का अनुपात है। इस प्रकार पचास किलोमीटर की परिधि में तो यह स्थिति है। लेकिन 50 किलोमीटर से अधिक दूर-दराज मरुस्थलीय ढाणियों में जहां स्कूल खुले हैं और जहां निजी विद्यालय नहीं हैं, वहां दो सौ से ढाई सौ बच्चे हैं और एक अध्यापक है। केवल मात्र चार घण्टे रोकने का काम वह अध्यापक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति गांवों में बनी हुई है, जब से हम यह देख रहे हैं। मुझे भी इस बात की खुशी हुई थी, जब 2003 में मैं विधायक बन कर आया था और पहली बार आदरणीय वसुंधराजी ने यहां पर घोषणा की कि हम राजस्थान के अन्दर दो हजार स्कूल खोलेंगे। मेरे वहां भी सवा सौ स्कूल खुले। पांच साल बहुत व्यवस्थित तरीके से उस स्कूल के अन्दर भवन बना, चारदीवारी बनी और जाकर के इतना बढ़िया कार्यक्रम करके, उद्‌घाटन कर उसके उद्‌घाटन का शिलालेख लगा। आज वह शोभायमान है लेकिन स्कूल वीरान है। वहां कोई नहीं है। वह स्कूल जंगल बन गया है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने कहा कि जो अनार्थिक स्कूल है, वह

(श्री बाबू सिंह)

अनार्थिक स्कूल हम बंद करेंगे। हम भी समानीकरण करेंगे, एकीकरण करेंगे। सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। 2009-10 के अन्दर आपने एक लाख 70 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात कही। माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने उस समय कहा कि प्रति वर्ष दस हजार शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार जो सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे, उनको भी लेंगे और उप खण्ड मुख्यालय पर बड़े जो स्कूल हैं, वहां पर हम विज्ञान संकाय खोलेंगे, वाणिज्य संकाय खोलेंगे। 500 ऐसे संकाय खोलने की घोषणा की। जब बी.जे.पी. का शासन था, उस समय 3108 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खोले गये थे। साथ ही, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें भी बांटी गई थीं। नि:शुल्क साइकिलें बांटने का काम हुआ था। काफी आमूलचूल परिवर्तन हुए। लेकिन कांग्रेस का शासन आने के बाद मैं कह सकता हूं कि भा.ज.पा. के शासन में एक लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती हुए थे। लेकिन कांग्रेस के शासन में कितने शिक्षक भर्ती हुए वे आंकड़े बताते हैं। एक लाख 70 हजार की घोषणा, प्रतिवर्ष 10 हजार शिक्षक रिटायर होंगे, उनको भर्ती करेंगे। वह भी नहीं हुए। 1900 स्कूल इन्होंने भी क्रमोन्नत किये। जहां चुनाव से छह महीने पहले सभाएं कीं, वहां 12वीं के स्कूल की घोषणा कर दी, 10वीं की कर दी। स्कूल क्रमोन्नत कर दिये, संकाय खोल दिये। लेकिन आज भी जो उस समय 3108 स्कूल क्रमोन्नत हुए थे, उसके बाद इन्होंने 1900 किये थे, वह सारे विद्यालय आज भी प्रधानाध्यापक के लिए और स्कूलों में शिक्षकों के लिए तरस रहे हैं। ऐसे 10वीं के स्कूल जो पी.टी.आई. के भरोसे चल रहे हैं, ऐसे 10वीं और 12वीं के स्कूल, जो एक या दो टीचर के भरोसे चल रहे हैं, और वह विज्ञान संकाय में तो कोई है ही नहीं। अब हमारे यहां कृषि विश्वविद्यालय खुल गया। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हमारे यहां कई स्कूलों में हैं। लेकिन वहां पिछले दस सालों से एग्रीकल्चर के व्याख्याता नहीं होने की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिलता तो वह वहां पढ़ करके कैसे कृषि विश्वविद्यालय तक पहुंच पाएंगे? यह सारी स्थिति है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे जो हालात गांवों में हैं, अब इस बार का जो बजट आया है, उसमें हमें यह उम्मीद जगी है कि इस बजट के माध्यम से वास्तव में शिक्षा में नई क्रान्ति आ सकती है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिये कुल बजट में से 26417.51 करोड़, 40.70 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 8179.30 करोड़ का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिये 4882.12 करोड़ का प्रावधान, माध्यमिक शिक्षा के लिये 2776.15 करोड़ का

(श्री बाबू सिंह)

प्रावधान, विश्वविद्यालय एवं उच्च विश्वविद्यालय के लिये 155.46 करोड़ का प्रावधान, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के लिये 95.22 करोड़, कला एवं संस्कृति के लिये 48.25 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिये 96.96 करोड़, खेल एवं युवा कल्याण के लिये 96.36 करोड़, इस प्रकार यह सारा बजट लाया गया है। बजट इसलिए लाया गया कि बजट से पूर्व हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर सेमिनार रखी और चिंता की कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। उन दो दिनों की सेमिनार में लगातार बैठ करके, सारे सुझाव लेकर के, अब शिक्षा में कैसे सुधार हो, उसके लिए चिंता की है, चिंता करते हुए इन्होंने अभी इस बजट में घोषणा की कि वर्तमान में कुल 9176 पंचायतें हैं। उनमें से 838 पंचायतों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। उसको कम करें तो 8339 पंचायतें बचती हैं। 3439 पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहले से हैं। अब 4900 ग्राम पंचायतों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचायतों में बनेंगे। यह हमारे लिये बहुत खुशी की बात है, बधाई की बात है कि जो 838 पंचायतों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, उनको भी किया जाए और अब नई पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। नई पंचायतें जो बन रही हैं, वहां भी अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा तो गांव में अच्छी शिक्षा होगी और पैरा 152 में एकीकरण की घोषणा की गई है। एकीकरण, समानीकरण, यह तो हमेशा घोषणा होती है। हमारे जो 2003 से 2008 की सरकार थी, उस समय भी घोषणा थी। पांच साल में, यहां पूर्व मंत्री भंवरलालजी थे, उन्होंने भी खूब बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं। यहां रैलियां, जुलूस निकले। अब जब हमारी सरकार आई तो सरकार आते ही मंत्री महोदय ने भी कहा कि एकीकरण करके इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे गांव में यह जो अनार्थिक विद्यालय हुए हैं, यह अनार्थिक विद्यालय होने का कारण शिक्षक नहीं है। वहां पर एक शिक्षक 15 दिन छुट्टी चला जाए तो अब 15 दिन के लिये स्कूल बंद। फिर वापस आये तो इस प्रकार से कौन अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिये भेजेगा। तो आप अगर सर्वे करवायें तो जहां पर यह अनार्थिक विद्यालय है, उस दो किलोमीटर की परिधि के अन्दर कितने बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या किसी अन्य विद्यालय में चले गये हैं तो अनार्थिक होने का कारण शिक्षकों का अभाव है और मैं कह सकता हूं कि आज पश्चिमी राजस्थान के अन्दर 8 जिले तो प्रतिबंधित हैं और हमारे यहां पर जो रिक्त पद हैं उसमें जो बी.जे.पी.

(श्री बाबू सिंह)

शासन में एक लाख की भर्तियां हुई थीं उसमें शिक्षक लगे और शिक्षक लगने के बाद में जब कांग्रेस की सरकार आयी तो इन्होंने तबादला उद्योग खोला। उस उद्योग का लाभ उठा कर वे अपने-अपने जिलों में वापस चले गये। हम तो वहां के वहां ढाक के तीन पात रह गये।

वहां पर आज भी 1500, अकेले शेरगढ के अन्दर शिक्षा विभाग में 1500 पद रिक्त हैं। अब कैसे व्यवस्था हो? ऐसी व्यवस्था ठीक करने के लिये वहां पर पैराटीचर लगाएं। पैराटीचर लगेगा तो दूरदराज की ढाणी में वहीं का निवासी, वहीं का रहने वाला, वहीं का जाया-जन्मा, वहां पर रह कर पढ़ा सकेगा। अब उस पैराटीचर को लगाया। पैराटीचर को लगे हुए करीबन सात-आठ साल हो गये। भाजपा के शासन में वह पैराटीचर लगा था और जब वह पैराटीचर लगा तो अभी चुनाव में जब घोषणा-पत्र निकला तो हमने घोषणा पत्र में भी यह लिखा कि जनता जल योजनाकर्मी प्रेरक, विद्यार्थी मित्र, वन मित्र, कृषि मित्र, पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, लोक-जुम्बिश कर्मचारी, एन.आर.एच.एम. कर्मी, नरेगा-कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका-साथी, आशा सहयोगिनी, चिकित्साकर्मी, कम्प्यूटर आपरेटर, प्रशिक्षक, सी.सी.डी.ओ. आदि को नियमित करने के लिये नीति बनाने हेतु एक उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति बनाई जाएगी। इनको नियमित करने के लिये और इन सबमें विद्यार्थी मित्रों को एकदम आदेश जारी कर निकाला जा रहा है। तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आज अब यह आदेश निकला है तो विद्यार्थी मित्रों के भरोसे तो करीबन 1200 स्कूल बंद हो गये हैं जो कि एक विद्यार्थी या दो विद्यार्थी मित्रों के भरोसे चल रहे थे। 1200 स्कूल तो बंद हो ही गये हैं। मेरे वहां पर भी 50 से ज्यादा स्कूल बंद हो गये हैं। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज दस हजार पैराटीचर यहां पर बैठे हैं।

अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि वे आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात सरकार को सुननी चाहिए तो यह इनके समय में तो जब यह विद्यार्थी मित्र सिर्फ अपनी अनुदान की मांग को बढ़ाने को लेकर यहां आये थे तो इन्होंने तो इनके ऊपर डंडे बरसाये थे। विद्यार्थी मित्रों के ऊपर डंडे बरसाने का काम आपने किया था इसलिये हम यह मांग करते हैं कि जो पैराटीचर भाजपा के शासन में लगे और शैक्षणिक व्यवस्था के लिये लगाये गये थे, उनके साथ सम्मानजनक समझौता करके कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए, यह मैं आपसे खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री बाबू सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस सुझाव हैं कुछ। अब यह एकीकरण का जो काम हो रहा है, मैं इसमें एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भारती फाउंडेशन, सती भारती ने करीबन 25 स्कूलें खोलीं, 25 स्कूल, उसको जमीन हमने दी, भवन उन्होंने बनाये, संसाधन उन्होंने जुटाये। जब वे स्कूलें खुलीं तो उन स्कूलों के लिये उन्होंने ढाई सौ की संख्या बच्चों की रखी, ढाई सौ बच्चे उनके पूरे हो गये। आज उनकी ड्रेस कोड है, उसमें मिड डे मील भी है। उनको कपड़े, ड्रेस भी वह स्कूल दे रही है। पढ़ाई भी करवा रही है। उनकी प्रेक्टिस देखिये, उनकी व्यवस्था देखिए कि वास्तव में पांच हजार से पन्द्रह हजार तक की सैलेरी शिक्षकों को दी जा रही है और जो वह सत्य भारती का स्कूल खुला है, गांव के अन्दर उसके तीन किलोमीटर, पांच किलोमीटर की परिधि में जो सरकारी स्कूल थे, वह सारा नामांकन उस स्कूल के अन्दर आ गया। ऐसी शानदार स्कूल चल रही है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से जब एकीकरण करें तो एकीकरण वाले जो स्कूल हैं या अनार्थिक स्कूल हैं उसमें निजी सहभागिता से, पी.पी.पी. माडल से क्यों नहीं उन स्कूलों को ऐसे सत्य भारती जैसे एन.जी.ओ. को या स्वयं सेवी संस्थाओं को या पी.पी.पी. माडल पर गांवों में जो हमारा एस.टी.सी. है, बी.एड. बच्चा है या जिसने ग्रेजुएशन किया है या जिसने पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है, वह सारे स्कूल जो हमारे इतने संसाधन हैं, उनको दिया जाए और जब वे स्कूल खोलेंगे तो उसके अन्दर 25 परसेंट तो आर.टी.ई. के तहत, उसकी फीस का पुनर्निर्धारण होगा और मध्य प्रदेश की तरह, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक घोषणा कर रखी है कि अगर हमारा सरकारी स्कूल सही नहीं चल रहा है या आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो आप निजी विद्यालय में भी एडमिशन लेंगे तो फीस सरकार भरेगी। क्यों नहीं, राजस्थान में भी इस प्रकार से और 25 प्रतिशत को उस विद्यालय के अन्दर पढ़ाने का जिम्मा सरकार उठाये और 50 प्रतिशत की व्यवस्था वह करे। इस प्रकार से उन स्कूलों को गोद देकर या निजी सहभागिता से चला कर गांवों का विकास किया जा सकता है।

मैं कह सकता हूं कि सरकारी स्कूल नाकामयाब है, यह बात नहीं है। सरकारी स्कूल भी बढ़िया है। मेरे परिवार में मेरे काका-सा का, अंकल का लड़का जो आठवीं तक तो सरकारी स्कूल में पढ़ा और जब वह बहुत बढ़िया पढ़ रहा था तो हमने उसको शहर भेजा और पिछले साल पूरे राजस्थान के अन्दर साइंस में उसने टाप किया है। तो सरकारी स्कूलें भी हमारी ऐसी हैं जो

(श्री बाबू सिंह)

बढ़िया है और पढ़ने के लिये भी ठीक है। आज केन्द्रीय विद्यालय, जो सैनिक बहुल इलाके हैं उनके अन्दर हमारी कड़ी से कड़ी जुड़ गयी। यहां राजस्थान में सरकार है। केन्द्र में सरकार है। सैनिक बहुल स्कूलों के अन्दर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएं तो वहां पर पढ़ाई हो सकती है। सैनिक स्कूल है, महाराष्ट्र के अन्दर एकलव्य विद्यालय चल रहा है। यहां पर यह नवोदय विद्यालय चल रहे हैं और इस प्रकार से स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय खोल दिए जाएं तो व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं।

अब बच्चों के खेलकूद के लिये गांवों में खेल मैदान नहीं हैं, वे करने चाहिए। अगर खेल मैदान कर सके तो ठीक नहीं तो ब्लाक स्तर पर एक बहुत बड़ा खेल मैदान और स्टेडियम बनाया जाए जिससे वहां पर कम्पीटिशन हो सके। अब यह माडल स्कूल बन रहे हैं। मेरे यहां पर भी बन रहे हैं बालेसर और शेरगढ़ में। उसका कार्य अपूर्ण है। इस प्रकार के माडल स्कूल जहां पर आवासीय होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे। एक ब्लाक में एक नहीं होकर और आधे-आधे इलाके करके दो करने चाहिए। इसी प्रकार से अब गांवों में भी शिक्षा का आमूल-चूल परिवर्तन हो इसके लिये जो उपखण्ड मुख्यालय है, कम से कम एक राजकीय महाविद्यालय वहां पर हो। पोलोटेक्निकल कालेज हो। वहां पर पहले से जो स्कूल चल रहे हैं उनको क्रमोन्नत किया जाए। इस प्रकार से यह सारा काम होना चाहिए और मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि जो मिड डे मील है, इस मिड डे मील में कई विसंगतियां थीं, भ्रष्टाचार थे, घोटाले थे। पिछली सरकार के समय तो बहुत घोटाले हुए और जब अखबारों के अन्दर आया तो उसकी जांच हुई तो 9 लाख बच्चों का नामांकन वहां से खारिज किया गया। वहां पर कैंसिल किया गया क्योंकि वह मिड डे मील के बच्चे पोषाहार आंगनबाड़ी से भी ले रहे थे और स्कूलों में नाम तो सरकारी स्कूल में था और निजी विद्यालय में भी वह स्कूलों का नाम था और वहां पर मिड डे मील उठ रहा था। तो इस प्रकार से यह जो तीन बड़ी योजनाएं हमारी हैं। मिड डे मील, आंगनबाड़ी का पोषाहार और नरेगा, इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसको चैक करने की जरूरत है और फिर से यह नया राजस्थान बनाने के लिये यह शिक्षा में नई क्रांति लाएंगे, नई सोच के साथ और हमारे ग्रामीण बच्चे जो प्रकृति की गोद में खेल कर प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है।

मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी कोई सुराई नहीं है कि जिसको भरा जाए। विद्यार्थी को तो चमकाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं शिक्षा मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य डा. जसवन्त सिंह यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर आपने बोलने का जो मौका दिया मैं पहले ही आपको धन्यवाद दे रहा हूं जिससे कि मुझे जितना समय चाहिए, उतना दे सकें।

यह बजट इस सरकार का पहला बजट है और इस बजट को पढ़ने के बाद वह हमारी मुख्य मंत्री हैं इसलिये नहीं है, मुख्य मंत्री तो पूरे राजस्थान की हैं। हमारी पार्टी से है। इस बजट में जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट को जो शिक्षा के लिये समर्पित किया है, इस बात के लिये माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहेंगे।

पहले बजट में ही सात मेडिकल कालेज खोल देना, पहले बजट में ही तीन इंजीनियरिंग कालेज खोल देना, पहले बजट में ही स्किल यूनिवर्सिटी खोल देना, पहले बजट में ही पंचायत समिति हैडक्वार्टर के ऊपर आई.टी.आई. खोल देना, पहले बजट में ही सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोलना यह अपने आप में एक अनूठा है। जितना माननीया मुख्य मंत्रीजी को क्योंकि उन्होंने ही इस चीज को समझा है कि शिक्षा ही राजस्थान को आगे ले जा सकती है, शिक्षा ही समाज को बढ़ा सकती है। शिक्षा ही देश को आगे ले जा सकती है। जो उनका विजन है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कालीचरणजी का भी प्रयत्न है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कालीचरणजी तो शिक्षा मंत्री हैं। जो मुख्य मंत्रीजी ने एक विजन देखा, एक सपना देखा, उस सपने को साकार करने की जिम्मेदार कालीचरणजी की है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कर्मचारी है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कर्मचारियों की ही नहीं, उसके शिक्षा मंत्री हैं। अब आप चाहे जो कहें, पर उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी इनकी है। अभी हमारे कांग्रेस के लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डोटासराजी बोल रहे थे। मुझे भी याद आ रहा है कि हम तो उस वक्त मंत्री भी नहीं थे। पर पिछली बार जब हम जीत कर आये, हमारी सरकार गई तो पहले बजट में हमें बोलने में दिक्कत हो रही थी कि जनता ने इस लायक नहीं समझा कि हम सरकार में आ सकें। अब इनकी इतनी दुर्दशा जनता ने की, इससे शायद ज्यादा दुर्दशा किसी की हो नहीं सकती।

आपकी नीतियां गलत थीं, आपके कर्म गलत थे, आपका काम गलत था तो जनता ने तभी तो आपको बुरी तरह से हरा कर भेजा तो कम से कम

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

बोलने में थोड़ी तो हिचक आनी चाहिये। अभी तो एक ही बजट है। अगला बजट आए, तब कुछ बात कहते। अभी तो बजट ही पहला है और इस पहले बजट में आप बोल रहे हो तो या तो सारी शर्म-लिहाज अपने घर ही रख आए आप उठा कर कि जो कुछ भी थी, कि हमें तो बोलना है। बोलने में थोड़ा सोचा करो कि आपके सारे कर्मों का फल तो जनता भुगत रही है। एक स्कूल मेरे विधान सभा की बात करता हूं। सारे राजस्थान की तो मुझे नालेज नहीं है, वह तो कालीचरणजी को है। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण हो। जहां स्कूल है, किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं हैं, किसी स्कूल में सब्जैक्ट टीचर नहीं है, किसी स्कूल के अन्दर लैब नहीं है तो किसी में टैक्निशियन नहीं है, किसी में चपरासी नहीं है तो किसी में स्वीपर नहीं है, तो किसी में बिल्डिंग नहीं है, किसी में बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो किसी में चार-दीवारी नहीं है।

जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं विपक्ष में, उनमें से एक तो खड़ा होकर बता दें कि साहब, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतने स्कूल परिपूर्ण हैं, जो पांच साल की हमारी उपलब्धि है। कहीं प्रिंसिपल नहीं, कहीं सब्जैक्ट अध्यापक नहीं, फिर हम कहते हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करता हूं कि अब सरकार ने तो माना है, सरकार ने तो इस बात को महसूस भी किया है कि 146 पंचायत समितियों के अन्दर शिक्षा के अन्दर हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इसको बढ़ाना है इसीलिये इतनी स्कालरशिप की घोषणाएं हुईं। इसी तरह टेलेंट रिसर्च की घोषणाएं हुईं। हर क्षेत्र में कोई न कोई माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कोशिश की है किसी भी तरह से शिक्षा का स्तर बढ़े। लोग शिक्षा की तरफ प्रभावित हों, बच्चे आगे बढ़ें और उनको हर तरह की सहूलियतें हों।

मुझे कहना नहीं चाहिए गांव के अन्दर बच्चे पढ़ रहे हैं और वह आई आई टी में कैसे जाएंगे, उनके पास सब्जैक्ट टीचर नहीं हैं। अगर फिजिक्स का टीचर नहीं है तो कैसे फिजिक्स में नम्बर लाएंगे? कैमिस्ट्री का टीचर नहीं है तो कैसे कैमिस्ट्री में नम्बर लाएंगे? मैथ का टीचर नहीं है तो उसमें नम्बर कैसे लाएंगे? आज गांवों की कितनी स्कूलों के अन्दर विज्ञान संकाय है, कितनों के अन्दर कामर्स है, कितनों के अन्दर ज्योग्राफी है? हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर यह कहते हैं कि हमारे इतने स्कूलों के अन्दर एडमिशन जीरो रहा। जीरो तो होगा ही। कौन अपने बच्चे का भविष्य खराब करेगा। मां-बाप सब कुछ सहन कर सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ कुर्बान करके भी अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहता हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी, तारीफ है

(डा. जसवन्त सिंह यादव)
इस बजट की, माननीय मुख्य मंत्रीजी की, पर आपसे मेरा निवेदन है कि अभी तो आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपका जीरो ही नहीं, टोटल स्कूल बंद हो जाएंगे, अगर इसी तरह आपके सब्जैक्ट टीचर कम रहे, स्कूलों के अन्दर इसी तरह आपके प्रिंसिपल नहीं रहे, इसी तरह आपके स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं रहा, चपरासी नहीं रहे, स्वीपर नहीं रहा, लैब नहीं मिली, तो कौन अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिये आपके यहां आएगा? कोई भी नहीं आएगा। मुझे तो आज भी याद है एजुकेशन का मैं जानता हूं। हम अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए जो वह चाहता था, जिस तरह की सुविधा चाहता था, वह समर्पित किया और उसका रिजल्ट यह निकला कि आज हमको बच्चे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पहली बार में ही वह आई.आई.टी. को पास किया, पहली बार के अन्दर यूनिवर्सिटी आफ शिकागो की स्कूल में फाइनेंस के अन्दर एडमिशन मिल गया। इसी तरह उसको हावर्ड में एडमिशन मिल गया और आज वह आगे भाग रहा है, नौकरियां उसके पीछे दौड़ती हैं। वह सब इसीलिए मिला कि हमने उसको हर सुविधा दी। हर अच्छे से अच्छे स्कूल के अन्दर उसकी पढ़ाई कराई और अच्छा स्कूल कोई बिल्डिंग तो होता नहीं है। अब आपके सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है, इनमें कोई भी आदमी, किसी का बस चलेगा तो कभी भी अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराएगा। पहले तो आप डिसिप्लीन पर कंट्रोल करिए। आपके स्कूलों के अन्दर टीचर्स का ही डिसिप्लीन नहीं है। फिर चाहे जो कटौती करिये, आप जैसे चाहे वैसे अपना बजट बढ़ाइये। आप स्कूल के अन्दर प्रिंसिपल से लेकर चपरासी, स्वीपर तक टोटल ही स्टाफ पूरा करिये। फिर उसकी बिल्डिंग का रख-रखाव ठीक कराइये। उसके अन्दर विद्युत कनेक्शन कराइये और उसके अन्दर हर सब्जैक्ट खोलिए।

आपने कैसे सोच लिया कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है मैथ या बायोलाजी तो आप चाहे जहां एडमिशन दिला सकते हैं, आपका बच्चा तो वहीं एडमिशन लेगा। अब वह एडमिशन ले केवल ग्वाला बनने के लिये, क्योंकि ना उसमें कामर्स है, ना उसमें ज्योग्राफी है, ना उसके अन्दर और कोई सब्जैक्ट है। इस चीज पर एक तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह पिछली सरकारों से हट कर करना पड़ेगा। पांच साल हम यह कहें कि आपने यह कर दिया, आपने यह कर दिया तो इससे क्या मतलब? जनता ने आपसे, वसुन्धराजी से एक्सपेक्ट किया है तभी 163 सीटें दी हैं तो इसके अन्दर कुछ हट कर मेहनत करनी पड़ेगी, इसका बजट बढ़ाना पड़ेगा और इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आपसे मेरा आग्रह है कि आपका जो एकीकरण और समानीकरण, यह कुछ ही लोग कह रहे हैं, राजनीतिक लोग कह रहे हैं पर गांव का हर आदमी यह कह रहा है कि सुधार तो तभी आएगा। आज मास्टरों को भी यह पता चलेगा कि अगर अच्छी पढ़ाई नहीं कराई और बच्चे नहीं आए तो आगे आपके स्कूल को भी बंद होना पड़ेगा। उससे तो निश्चित रूप से सुधार आएगा। यह समानीकरण, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम तो अपने वोट के चक्कर में सड़क के किनारे पर आ जाते हैं। दस दबाव देते हैं, दबाव देकर एक-एक स्कूल के अन्दर, जहां दस बच्चे होते हैं, वहां बीस-बीस मास्टरों को लगवा देते हैं, क्योंकि आज हमें उनसे वोट चाहिए। इन चीजों की राजनीति से दूर हट कर इस पर आप दृढ़तापूर्वक काम करें, यह निश्चित रूप से होगा।

सच्चाई यह है कि साधन नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में साधन नहीं हैं सरकार को जब पता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है तो आपको फाइनेंशियल एड ज्यादा देनी पड़ेगी, बढ़ावा देना पड़ेगा। आज पी.टी.आई. जैसी पोस्ट है। दुनिया स्पोर्टस में जा रही है, नाम कर रही है। हमारे बच्चे कहां से कर लेंगे? टूर्नामेंट होते हैं, वह बेचारे गांव वालों के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमको कुछ रुपये दे दो टूर्नामेंट करा लें, क्योंकि सरकार ने तो आप पर डाल दिया तो टूर्नामेंट तो कराने पड़ेंगे पर आपने कभी देखा है शिक्षा मंत्रीजी, उनके पास बजट है कि नहीं है? आप उनसे भीख और मंगवाते हैं। या तो इन टूर्नामेंट्स को बंद करो, या उनको बजट देते। जब आपको जरूरत ही नहीं है गांव वालों से मांगने की। आप बजट दे रहे हैं तो दोनों चीजों पर ऐसा मत करिए। मिड-डे-मील आ गया तो सब्जी खरीद करके ला रहा है, तो सोचो तो सही न आखिर एजुकेशन ही सब कुछ है। एजुकेशन से ही भविष्य बनेगा तो इसमें निश्चित रूप से सुधार करेंगे।

अभी माननीय गुंजलजी ने बोला, हकीकत है कि बी.ई.ओ. कहीं जाएगा तो बेचारा बस से बैठ कर जाता है। वह कितने स्कूल चैक कर लेगा, उस बी.ई.ओ. के पास साधन नहीं है। इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा। रही बात आपसे मेरा तो आग्रह है कि मेरे यहां पर भी गवर्नमेंट कालेज है। अब गवर्नमेंट कालेज के अन्दर वह बच्चे बहरोड़ से कहीं दूर तो जा नहीं सकते। मैं पिछले पांच साल तक चिल्लाता रहा कि उसमें विज्ञान संकाय चालू कर दो। स्व-पोषित चल रहा है। शहर में पढ़ने वाला तो गवर्नमेंट के खर्चे पर साइंस पढ़ सकता है। गांव में पढ़ने वाला गरीब बाप का बेटा वह अपने खर्चे पर पढ़ेगा। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? पांच साल तो पिछली

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सरकार में रोया, पर किसी ने नहीं सुना। अब आपसे मेरा आग्रह है कि जब स्व-पोषित के अन्दर लैब है, कमरे हैं, भवन है, सब कुछ है, आपको टीचर और टैक्निशियन ही तो लगाने हैं। इससे कितने ही बच्चों का भविष्य बनेगा। कितने ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा।

माननीय, निवेदन है कि इस ओर ध्यान देना आप भी, नहीं तो आगे हमारी भी यह हालत होगी। पिछली बार तो हमारा निकल गया कि हम विपक्ष में हैं, नहीं खुलवा पाये। अब हम जाकर क्या कहेंगे, हमारी यह समझ में नहीं आ रहा है। सब्जैक्ट टीचर सबसे पहले लगाना शुरू करो और विद्यार्थी मित्रों वाली बात है, आप बहाना मत लो हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, पर वह विद्यार्थी मित्र, हमारे भी मित्र रहे हैं। उनके लिए रास्ता निकालो कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करके, अतिशीघ्र तरह से कोई रास्ता निकाल कर उनके एडजस्टमेंट की प्रक्रिया करो। उनको उम्मीद है आपसे। आज जितने भी लोग थे चाहे प्रबोधक हों, विद्यार्थी मित्र हों, वसुन्धराजी जिस दिन आएगी, उस दिन हमारा भविष्य बन जाएगा। अब माननीय मुख्य मंत्रीजी से उन्हें इतनी उम्मीद है, तो शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप कोई भी रास्ता निकालें, जिससे हाई कोर्ट भी संतुष्ट हो जाए। पर यह पल्ला मत झाड़िये कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया इसलिए अब हमारा कोई लेना-देना नहीं है। उन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आप मेहनत करिए। उनको निश्चित रूप से आप एडजस्ट करिए। हमारी सरकार का एक दायित्व है और उनसे प्रोमिस किया हुआ है। मैं दुबारा से एक ही बात कहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे यहां तो मेडिकल कालेज दे दिया।

हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं, आपको भी धन्यवाद, मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद और, कालीचरणजी, आपने जो स्कूलों की घोषणाएं की हैं, जो इतना आपने किया है इस बात के लिये धन्यवाद।

आपसे फिर निवेदन करता हूं कि सबसे पहले स्वीपर से लेकर, आज किसी गवर्नमेंट कालेज के, स्कूल के टायलेट में जाओ, टायलेट में आप जा नहीं सकते, उनकी इतनी दुर्दशा है क्योंकि उनको कौन साफ करे, इस बात की ओर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। आज स्कूलों के अन्दर झाड़ू नहीं लगती। कोई वहां के टीचर झाड़ू लगायेंगे? वहां पर चपरासी की पोस्ट नहीं, स्वीपर की पोस्ट नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, क्लर्क स्टाफ पूरा नहीं, वे बेचारे सारे काम खुद ही

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

करते हैं और फिर हम कहते हैं कि, साहब, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। भाई, मैरिट में रिजल्ट कहां से आएगा जब आपका विषय टीचर ही नहीं तो। यह तो एक कामन सेंस की बात है। तो आप परिपूर्ण स्कूल बनाएं गांव को आगे बढ़ाने के लिये। जनता ने माननीय मुख्यमंत्रीजी से जो अपेक्षा की है, आपका दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि उस पर खरा उतरे और एजुकेशन को इतना आगे लेकर जाएं कि हिन्दुस्तान में राजस्थान पहले नम्बर पर आ जाए। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डा. फूलचन्दजी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापतिजी, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया था कि कौन सा तीर मारा है। मैं सबसे पहले तीर मारने की बात ही करूंगा।

साक्षरता में हमारा स्थान है, यह पत्र है, इस पत्र में पांडेचेरी, लक्ष्यद्वीप सब मिला कर के 35 इकाइयां हैं उसमें राजस्थान का नम्बर 33वां हैं और महिला शिक्षा में आखिरी है 35वां।

यह यात्रा शुरू होती है 1951 से। 1951 में जब कांग्रेस का शासन था 8.95 परसेंट साक्षरता थी, 1961 में इनका ही मुख्य मंत्री था 18 परसेंट हुई, 1971 में भी इनका ही मुख्य मंत्री था 22 परसेंट हुई, 981 में भी इनका ही था 30 परसेंट साक्षरता हुई और 1991 में जब हमने इनसे सत्ता ली थी उस समय 38 थी लेकिन माननीय भैरोंसिंहजी के टाइम में यह एकदम जम्प लगा, 61 परसेंट, हिसाब लगाओ, 61 परसेंट। 38 से 61 परसेंट शिक्षा हमने की और उसमें हमने महिलाओं की शिक्षा को 24 परसेंट का जम्प दिया। 22 का दिया था समग्र में और इसमें 24 परसेंट का दिया था। यह तीर हमने मारा था। वे कहां चले गये?

इतना ही नहीं जो दशकों की साक्षरता है उसमें हम राजस्थान में बारहवें नम्बर पर आ गये थे, वापस हम पच्चीसवें नम्बर पर चले गये, इस पाप के भागीदार भी आप ही हैं। उसका कारण मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, एक भी बालिका विद्यालय इन्होंने नहीं खोला और 1993 से लेकर 1998 तक प्रत्येक पंचायत समिति में एक दसवीं का एक बारहवीं का लड़कियों का स्कूल और लड़कों का स्कूल साथ-साथ खोला। जोधपुर में दस साल तक मुख्य मंत्री रहे, उस जोधपुर का स्थान आपको निवेदन करूं कि जोधपुर की क्या स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है जोधपुर की, जोधपुर का स्थान है एक लाख

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

5076 विद्यार्थियों की जनसंख्या पर एक कालेज है और बांसवाड़ा में क्योंकि वहां भैरोंसिंहजी ने केवल-मात्र स्कूलें नहीं खोलीं, पांच के स्थान पर आठ पंचायत समिति भी की, 1978 में इस कारण से वहां 16 खुलती गयी। आठ के स्थान पर 16 स्कूलें खुलती रहीं। पांच साल तक 80 स्कूल खुलीं। कालेज की स्थिति में केवल 44 हजार पर एक कालेज है बांसवाड़ा में और जोधपुर में एक लाख पर है।

इतना ही नहीं, मैं और आगे चलूं तो बाड़मेर में एक लाख 62 हजार पर कालेज, जालौर में एक लाख 66 पर कालेज, जैसलमेर में एक लाख 68 हजार पर कालेज और राजसमन्द में एक लाख 5 हजार पर कालेज और ऐसे 21 जिलों में जो राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं लेकिन वे जिले जिनमें जयपुर संभाग आता है जिसको विश्वविद्यालय देने के लिये भी इन्होंने एड़ी से चोटी तक जोर लगाया कि विश्वविद्यालय नहीं खुले सीकर में, अलवर में नहीं खुले। उनकी जो स्थिति है वह 22 हजार है। सभापति जी, 22 हजार पर एक कालेज है और वहां सारा प्राइवेट सैक्टर ने किया है। इस कारण से यह कहते हैं तीर मारा और वहीं से वे आते हैं।

अब इन्होंने कहीं सुना कह दिया, पारदर्शिता की बात करते हैं, आदर्श विद्या मन्दिर के बच्चे मैरिट में कैसे आ गये, दस उनके स्कूल हैं। पिछली बार 46 आये थे अब के 42 आये हैं। पिछली बार तो आप ही थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। वे उठ कर कहां चले गये, मैं उनको ढूंढ रहा हूं। वे तीर मारने की बात करते हैं। ऐसी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए, बिना तर्क की बात नहीं करनी चाहिए। यह सदन पवित्र सदन है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की स्थिति है उसमें जो अराजकता है उसके लिये पूर्णतया कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। हमने पांच बार इस अराजकता को ठीक करने का प्रयास किया। सबसे पहले 1978 में किया, जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने तीन हजार की आबादी पर, चाहे वह जनता पार्टी का एम.एल.ए. था चाहे कांग्रेस का एम.एल.ए. था, सब के यहां तीन हजार की आबादी पर स्कूल खोल दिया। एक ही आदेश में खोल दिया। दोबारा जब भैरोंसिंहजी आये तो उन्होंने फिर 1994 में प्रत्येक पंचायत में एक मिडल स्कूल खोल दिया और एक ऐसी थी जो कांग्रेस का विधायक था, 60 मिडल स्कूल खुल गयीं उसके यहां। यह प्रमाण हमारा है कि किस प्रकार की न्यायोचित बात है। तीसरा बार जब भैरोंसिंहजी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

थे, उच्च शिक्षा में हमने कहा कि प्रत्येक जिले में महाविद्यालय खोलेंगे, हमने खोला। दो बचे थे जो अब इन्होंने स्ववित्त पोषित में खोला है। लड़कियों से फीस लेकर इन्होंने महाविद्यालय खोले हैं। यह राजस्थान का विकास करेंगे?

इसी प्रकार से अराजकता की भी पराकाष्ठा है। पिछले वर्ष इन्होंने दसवीं के स्कूल खोले, मेरे यहां एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें तीन कमरे हैं, छठी क्लास ही थी, नौवीं खोल दी वहां वोट लेने के लिये। तीन ही कमरे तीन ही बालक हैं। मैंने प्रश्न लगाया, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि, माननीय सदस्य, आपके यहां आठ विद्यालय ऐसे रह गये जो कमरे ज्यादा हैं, जनसंख्या ज्यादा है, छात्र संख्या ज्यादा है। कितनी बेशर्मी से जवाब दिया इस सदन में। ऐसी अन्याय करने वाली यह सरकार चली गयी, अच्छा हुआ वरना शिक्षा का तो भट्ठा ही बैठ जाता, और भी आगे भट्ठा बैठा देते यह।

इनसे पूछें कि भैरोंसिंहजी के टाइम में भी पहले भी और मुख्य मंत्री थे उस समय पांच परसेंट संस्कृत के विद्यालय खुला करते थे, इनसे पूछो कितने खोले पिछले पांच साल में, एक भी नहीं खोला। इतना ही नहीं अभी तो प्रधानाचार्य, प्राध्यापक, व्याख्याता उनके नियम ही नहीं बनाये इन्होंने। प्रमोशन नहीं संस्कृत में। चपरासी की डी.पी.सी. का तो अता पता ही नहीं है। इस प्रकार की अराजकता आपने पैदा की।

ऐसे ही यह कालेजों के लिये कह रहे हैं। इनसे पूछिये कि आजादी से अब तक तो इन्होंने केवल 44 कालेज खोले पूरे 53 साल के शासन काल में कांग्रेस ने और, पिछले वर्ष वोट लेने के लिये 42 खोल दिये। कहां खोले? कांग्रेस, बी.जे.पी. के आधार पर खोले या जनसंख्या के आधार पर खोले या आवश्यकता के आधार पर खोले? मैं पूछना चाहता हूं कि बांसवाड़ा ट्रायबल एरिया है, सबसे ज्यादा ट्रायबल, 80 परसेंट वहां रहता है, इनसे पूछो, कितने महाविद्यालय खोले इन्होंने 42 में से। अन्याय करने का और जो राष्ट्रीय सम्पदा है, पैसा राष्ट्रीय सम्पदा है, जनसंख्या भी राष्ट्रीय सम्पदा है, उसका दुरुपयोग करने का, पक्षपात करने का आपको संविधान ने अधिकार नहीं दिया।

दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि व्यष्टि के नाते जब विचार करेंगे तो किस तरह से करेंगे, शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है और जब समष्टि के रूप में विचार करेंगे तो समाज है, शिक्षा है, संविधान है और धर्म है। यह राष्ट्रीय थाती है। आप लोगों को इस चीज को पढ़ना चाहिए कि शिक्षा का क्या महत्व है, किस रूप में है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

विवेकानन्द जी ने कहा शिक्षा का अर्थ क्या है, उन्होंने कहा शिक्षा का अर्थ यह है कि जो आदमी पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है उसके अन्दर निहित जो गुण हैं उनको प्रकट करने का आधार शिक्षा है लेकिन वह कब प्राप्त होता है, जब बच्चा गुरु के प्रति समर्पण रखे और गुरु के प्रति समर्पण कब होता है जब गुरु में श्रद्धा हो और श्रद्धा कब होती है जब योग्यता हो। पिछले 60 साल में कांग्रेस ने यह तीनों चीजें खतम कर दीं। समर्पण खतम कर दिया, श्रद्धा खतम कर दी और योग्यता खतम कर दी।

आपने लगाये थे न, अभी वे प्रबोधक की बात उठा रहे थे। प्रबोधक तो सरपंचों के बेटों को इन्होंने लगाये थे मैट्रिक पास, ग्यारहवीं पास, बारहवीं पास। इस कारण से कि शिक्षा में अव्यवस्था नहीं हो, इस कारण से दूसरा कैडर हमने यह निर्माण किया। इसका श्रेय हमें है, आपको नहीं है। आप तो अराजकता फैला कर गये थे और उसके बाद में रोजगार साइड भी आप अराजकता फैला कर गये जिसको अब ठीक करना है। इस कारण से जितनी अराजकताएं हैं वे आपके द्वारा पैदा की हुई हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति: थोड़ा शार्ट करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं पहले ही कह रहा था कि अब सभापतिजी बदल गये इसलिये मुझे टोकाटाकी निश्चित होगी।

श्री सभापति: नहीं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पहले तीन-तीस मिनट बोल रहे थे इसलिये मैं ज्यादा मैटर ले आया।

श्री सभापति: बिलकुल, बिलकुल। लेकिन थोड़ा संक्षेप में। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ठीक है। आपकी भावना आ गयी समझ में।

माननीय सभापति महोदय, मेरा पहला सुझाव यह है, शिक्षा मंत्रीजी को इंगित करके कह रहा हूं कि यह जो समानीकरण है, इसका नाम बदलकर आप व्यवस्था करें। समानीकरण नहीं होगा। समानीकरण का मतलब होगा बराबरी। बराबरी नहीं हो सकती है। होगी भी नहीं। कभी हुई भी नहीं है। 3-3 शिक्षा मंत्री चले गये समानीकरण में। जाना ही पड़ा उनको, लेकिन कर नहीं पाये थे

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वह। व्यवस्था करें। व्यवस्थाकरण करिये। व्यवस्थाकरण में मैं निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह शिक्षा में 23 परसेंट जो दिया उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में स्वर्ण युग कब आया 1995 में। जब मिडल स्कूलों में 46 सौ मिडल स्कूल एक साथ खुली और 8 में से 1 अध्यापक लगाया गया। उस कारण से आज जिन्दा हैं शिक्षण संस्थाएं। यह इस समानीकरण से नहीं होगा।

आज आप गरीब के बच्चे को, पांचवीं क्लास के बच्चे को भी पहाड़े सिखाओगे और पहली क्लास के बच्चे को भी पहाड़े सिखाओगे तो संख्या के आधार पर अध्यापक होंगे क्या? अध्यापक संख्या के आधार पर नहीं होंगे, कक्षाओं के आधार पर होंगे। अगर राजस्थान की शिक्षा को और गरीब को आप समर्थ बनाना चाहते हो तो यह आवश्यक है। यह किसी रुप में स्वीकार्य नहीं है। गरीब का पांचवीं क्लास का बच्चा कैसे पढ़ेगा? पहली से बारहवीं तक एक साथ कैसे पढ़ेंगे?

मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, यहां घनश्यामजी चले गये अभी, आप भी उस समय सांसद थीं, सर्व शिक्षा अभियान में इनके मुख्य मंत्री थे, इनके शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने कहा कि 12 सौ रुपये देंगे लेकिन राजीव गांधी के नाम पर देंगे। कुछ नहीं मिला हमें। जब घनश्यामजी शिक्षा मंत्री बने, वसुंधरा जी मुख्य मंत्री बनीं तो हमने चैक किया कि इनके द्वारा जो पत्र दिया गया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय होंगे, सी.पी. जोशी साहब ने दिया वह, एफेडेविट दिया केन्द्र को। तब 4 सौ करोड़ रुपये पहली साल मिले। जब सत्ता छोड़ी माननीय वसुंधराजी ने तब 16 सौ करोड़ का बजट था सर्व शिक्षा का और अब कितना बढ़ा है 5 साल में 1935 करोड़। केवल 335 करोड़ रुपये बढ़ाये इन्होंने। कहां से शिक्षा आएगी? वह कह रहे थे, तीर मारने की बात कह रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने 5 साल में 25 हजार 727 स्कूल खोले और इन्होंने खोले, गत साल कोई अध्यापक नहीं लगाया, न कुछ किया, उसको मिला कर के 5 हजार 338, पिछली साल के 2 हजार 500 स्कूल इसमें शामिल हैं। इन्होंने पूरे 5 साल में 5 हजार 338 और हमने खोले 25 हजार 727 और 1 लाख से ज्यादा टीचर लगाये तब शिक्षा सुधरी है। इन्होंने शिक्षा को बिगाड़ा है। भट्टा बैठा दिया शिक्षा का ...(व्यवधान) अब मैं सुझाव देना चाहता हूं, कुछ सुझाव।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको बोलने के लिये मौका नहीं दिया गया ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सुनाई नहीं दे रहा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। इनके सुझाव सुनें, आप बैठें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सुनाई दे तो सुनें हम इनकी। (व्यवधान) इतनी बढ़िया बहस चल रही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में डिस्टर्ब न करें कोई भी ...(व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि एक तो जो विद्यार्थी मित्र हैं, यह भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये लगाये थे। अपने-अपने विद्यालय में वह श्रेष्ठ लोग हैं। मेरिट बनी थी, स्कूल वाइज मेरिट बनी थी। जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति थी। इसको कहते हैं स्टेट्यूयरी सलेक्शन, वह 8 साल तक पढ़ाते रहे। अगर कोर्ट ने तकनीकी आधार पर, आपने आल इंडिया विज्ञापन नहीं निकाला इस आधार पर अगर रिजेक्ट किया है, अवैध किया है तो यह कोई कारण नहीं कि वह अध्यापक अवैध थे। क्या असंवैधानिक थे? वह वैध थे और उन्होंने 8 साल तक पढ़ाया। पढ़ाते रहे और बार-बार एक्सटेंशन तब मिलता है जब हैड मास्टर कहता है कि अच्छा पढ़ा रहा था। इस कारण से उनको रखा गया है। उनको रखा जाना चाहिए। जैसे भी उनको परमानेंट करें। उनकी कैसे भी व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वह ऐसे युवक हैं जो 8 साल तक इंतजार करते रहे। अच्छी सरकार का इंतजार करते रहे ...(व्यवधान)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): सब तैयार हैं ...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सब तैयार हैं, सब तैयार हैं। इस कारण से उनको रखा जाना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं। पहले भी राजस्थान में यह हुआ है। उदाहरण देना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार बदली जनता पार्टी की, 1973 में यूजीसी स्केल आया, 1978 में लागू हुआ, उसके कारण से जो योग्यता थी उच्च शिक्षा की वह बदल गयी। उस कारण से उनको हटाने की बात आयी। हटाने की बात आयी तो यह तय किया कि हटायेंगे नहीं, इनको दो चांस दिलायेंगे, कैसे भी। नियमों में परिवर्तन करके दो चांस दिलाये और उनमें से 99 परसेंट परमानेंट हो गये। अभी नौकरी कर रहे हैं उच्च शिक्षा में। ऐसी ही स्थिति यूनिवर्सिटी की थी। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रबोधक

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हमने किये। अभी जो रोजगार सहायकों को बाबू बनाया गया, यह क्या है? यह सारा सिस्टम चलने वाला है। हम ज्यादा लिटिगेशन में फंसते चले जाएंगे। इस कारण से मैं सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए निवेदन कर रहा हूं कि विद्यार्थी मित्रों को रखा जाना चाहिए। उनको ससम्मान रखा जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अब आवश्यकता हो गयी है, राजस्थान का तो नाक कटा हुआ है। 35 वें नम्बर पर है हमारी महिला शिक्षा। मेरी प्रार्थना है कि प्रत्येक राजस्व गांव में मिडल स्कूल खोला जाए। पंचायत हैडक्वार्टर पर तो कर दिया उन्होंने बारहवीं का स्कूल, सभापति महोदय, आप महिला हैं, इस कारण से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी राजस्व गांव की बालिका जो 10 साल की हो गयी, प्राइमरी पढ़ ली हो, छठी क्लास में वह पगडंडी से दूसरे गांव में नहीं जा सकती। वह सुरक्षित नहीं है। इस कारण से प्रत्येक राजस्व गांव में मिडल स्कूल किया जाए। इस कारण से 6 से 14 साल की जो अनिवार्यता है वह अनिवार्यता पूरी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि यह करें 9 से 12 तक, मानिटरिंग का सिस्टम करें। लेकिन 1 से 8 तक अलग अध्यापकों का कैडर हो। उसका दूसरा बना दें। इसमें मुझे एतराज नहीं है। समानीकरण करें, व्यवस्थाकरण करें। लेकिन 1 से 8 तक को मजबूत करें और 9 से 12 को अलग करें। उसके सिस्टम को अलग करें तो निश्चित रुप से शिक्षा सुधरेगी वरना नहीं सुधरेगी।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी ही मुझे एक आशंका लगती है इस एकीकरण में कि 1 से 8 तक का है, उसमें लिखा हुआ है कि 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिये...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, देखिये आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं लेकिन समय की अपनी सीमा है। बहुत सारे सदस्यों को बोलना है। करीब 31 सदस्य और शेष हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति महोदय, ज्यादा नहीं बोलूंगा केवल सुझाव दे रहा हूं।

श्री सभापति: आप सुझाव को भी संक्षिप्त में दीजिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): संक्षिप्त में ही कर रहा हूं।

श्री सभापति: सुझाव को इलेबेरेट मत करिये, ज्यादा उसको मत बढ़ाइये। सुझाव दीजिये वह सुझाव नोट कर रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं केवल पढ़ दूंगा। आपकी आज्ञा से अब पढ़ दूंगा।

श्री सभापति: बिलकुल। अब आप 2 मिनट में समअप करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): केवल सुझाव दूंगा मैं। एक निरीक्षण की व्यवस्था प्रभावी बनायी जाए। स्कूलों का निरीक्षण अगर समय पर होगा तो व्यवस्थित विद्यालय चलेंगे। सभी पद भरे जाएं। डी पी सी अप्रैल, मई और जून में हो जाए तो निश्चित रुप से जो आशंका रहती है, क्योंकि एडमिशन के कारण से एडमिशन के समय जुलाई में अपडेट स्टाफ चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, हैड मास्टर चाहिए, इस कारण से मई और जून में होकर के जिसका भी प्रमोशन हो, जिसका भी ट्रांसफर हो, वह हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, निजी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, चाहे महाविद्यालय हैं उनमें मान्यता की कठोरता की जाए। निरीक्षण जो करने जाता है, ऐसे उदाहरण आने लग गये कि पैसे लेकर 8 बाई 8 के कमरे की मान्यता दे देते हैं। जबकि इनके नार्म्स बने हुए हैं। उसमें एक सी.डी. बनवाते हैं। सी.डी. को कभी देखते ही नहीं हैं इंस्पेक्टर, सी.डी. को कभी डायरेक्टर देखते हैं क्या? माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक ऐसा महाविद्यालय है, स्थाई मान्यता है, उसमें एक कमरा 20 बाई 12 का है, बाकी 8 बाई 6 के कमरे हैं। उसकी स्थाई मान्यता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पटेलजी ने एक विषय रखा था, आपके क्षेत्र का मामला है। ट्राइबल के नाम से बड़े खुश हुए हम लोग कि ट्राइबल को विश्वविद्यालय दे दिया इन्होंने। हैडक्वार्टर कहां हुआ? हैडक्वार्टर हुआ उदयपुर में। उदयपुर में इससे पहले नहीं हैं क्या? एग्रीकल्चर का भी वहीं है। टेक्निकल का भी वहीं है। सुखाड़िया भी वहीं है और ट्राइबल का भी वहीं होगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर बना देते तो विकास होता। अच्छा लगता। ट्राइबल के बच्चों को इतनी दूर आना नहीं पड़ता। कमरे नहीं लेने पड़ते। इस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि इसको ठीक किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से उच्च शिक्षा में जो प्रशासनिक पद हैं, कमिश्नर है, डायरेक्टर है। इसमें से एक पद शिक्षकों से भी भरा जाए। दोनों पद आरएएस, आईएएस को दे दिये गये, शिक्षक को नहीं। इसका दुष्परिणाम यह आया कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में हम असहाय हैं। वह शिक्षक नहीं है वाइस चांसलर। यूजीसी ने बदला केवल। हमारे एक्ट में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)
नहीं है। हमारे एक्ट में तो शिक्षक होना चाहिए। यूजीसी के एक्ट में हो गया कि शिक्षक नहीं होगा तो वाइस चांसलर कैसे होगा? उदाहरण दे रहा हूं आपको संविधान की पालना में।

माननीय सभापति महोदय, एफिलिटैड कालेज होते हैं गवर्नमेंट कालेज हों चाहे प्राइवेट हों, उसमें कहा 60 ही बच्चे होंगे एफिलियेटेड प्राइवेट कालेजों में और गवर्नमेंट में 80 होंगे। आज शिक्षा मंत्रीजी शायद घोषणा करेंगे कि 100 होंगे। लेकिन प्राइवेट में 60 ही होंगे। शिक्षा को हम रोकना चाहते हैं या विस्तार करना चाहते हैं? चूंकि वह शिक्षक नहीं रहे इस प्रकार के वाइस चांसलर बनने लग गये। इस कारण से मेरा यह निवेदन है कि एक प्रशासनिक पद पर कम से कम शिक्षक बैठे।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से जितने भी सरकारी महाविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं इनमें एक्ट में लिखा हुआ है कांस्टिट्यूएंट कालेज, महारानी और महाराजा की तरह तो सभी जो हमारे संभाग केन्द्र हैं जहां विश्वविद्यालय हैं वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जाये। कांस्टिट्यूएंट कालेज बनने चाहिए। जिस कारण से समान प्रकार से विस्तार हो।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विशेष कार्य योजना बनानी चाहिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 4 घंटे के लिए और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 4 घंटे के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 4 घंटे के लिये बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं विराटनगर से विधायक आया हूं। विराटनगर में हैडक्वार्टर पर सरकारी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

महाविद्यालय नहीं है इस कारण से बालिका महाविद्यालय खोला जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। इसी प्रकार से दस साल से लेकर चालीस साल पुराने जो सैकण्डरी स्कूल हैं, सब नहीं मांग रहा हूं, दस साल से चालीस साल तक भी प्रमोट नहीं हुए हैं उनको माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे दस विद्यालय प्रमोट करें, बालिका विद्यालय खोलें।

श्री सभापति: बाकी के आपके जो भी पोइण्ट्स हैं, वह लिख कर दे दीजिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, वही कर रहा हूं।

श्री सभापति: बाकी बहुत सारे पोइण्ट्स हैं आपके। मुझे पता है आपको शिक्षा की बहुत जबर्दस्त जानकारी है। आप शिक्षा मंत्रीजी को लिखित में अपने सारे प्रस्ताव दे दीजिये और अब आप विराजें।

अगले सदस्य, माननीय पुष्पेन्द्र सिंह।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और। दो मिनट, दो मिनट।

श्री सभापति: आप प्लीज। आपको बीस मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। दस मिनट हर सदस्य को बोलना है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ज्यादा नहीं बोलूंगा।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के एक भी कालेज में पीजी एग्रीकल्चर कालेज में नहीं है। एग्रीकल्चर के चार महाविद्यालय हैं जिनमें संकाय है। आई सी ए आर एक संगठन है जो पूरा फाइनेंस करता है, उसका एक पैसा हमको नहीं मिलता है। इस कारण से चिमनपुरा और सवाई माधोपुर, दो ऐसे कालेज हैं जिनमें पिछले 35 साल से एग्रीकल्चर फैकल्टी है और वहां 13-13 शिक्षक लगे हुए हैं और एक भी पद खाली नहीं है। वहां अगर सीनियर आदमी को प्रिंसीपल बना दिया जाए तो पीजी भी खुल जाएगा और आई सी ए आर का हमें वहां से अनुदान भी मिल जाएगा।

इसी प्रकार से, जितने सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाएं, वहां वाणिज्य खोलेंगे तो तीन व्याख्याता और देने पड़ेंगे, आर्टस खोलेंगे तब भी तीन व्याख्याता देने पड़ेंगे, दो तो कम्पलसरी है, अंग्रेजी और हिन्दी तो। इस कारण से उसके साथ कम से कम दो फैकल्टी एक साथ खोली जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समअप करें। अब आप समअप करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसी प्रकार से प्राइवेट विश्वविद्यालयों के नियंत्रण के लिये कोई न कोई नियामक आयोग बनना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

एक आखिरी और निवेदन कर रहा हूं, बाकी सब छोड़ रहा हूं। सरकारी विश्वविद्यालयों में किसी तकनीकी आधार पर जो पेंशनधारी हैं, शिक्षक हैं, जिन्होंने आप्शन भरा है कि उनको पांच महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। जो पेंशन लेता है और उसकी पेंशन रुक जाती है उसकी क्या हालत होती है? इस कारण से आपको कहूंगा कि तुरन्त उनकी ग्रांट रिलीज की जाये जिस कारण से उनको रिलीफ मिल सके और उनके बच्चों का भी हित हो सके। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर आपने मुझे बोलना का मौका दिया इसलिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जहां तक समझता हूं कि कोई भी देश या प्रदेश अगर उसको एक विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश की सूची में प्रविष्ट करना है तो शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज सदन में मैं चौथी बार आया हूं तो जहां तक मैं समझता हूं हमारे पहले जो वक्ता बोल रहे थे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने यह बताया कि आपने पिछले सात महीने में क्या किया? मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि आज मैं यदि तीन बार लगातार, चौथी बार जीत कर आया हूं तो 2003 से 2008 में जो भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के राज में शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो काम किया है, जो स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की थी और उन पांच साल में हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, मैं यह कह सकता हूं कि पूरे देश में राजस्थान की एक अलग ही पहचान बनाई थी। लगभग जितने भी इनके कार्यकाल में खोले गये राजीव गांधी स्कूल थे, वहां उन्होंने पंचायतों के सरपंच के माध्यम से पैरा टीचर लगाये, 1300 रुपये में उनको नौकरी दी और उनको यह आश्वासन देकर रखा, उनको यह कहा कि हम आपको आने वाले चार साल के बाद में नियमित कर देंगे। वह राजीव गांधी स्कूल पूरे प्रदेश में लगभग 30 हजार से ज्यादा थीं। बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूलों में पैराटीचर थे, कहीं एक था, कहीं दो थे, कुछ स्कूलों में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

भवन बन गये, कुछ में भवन नहीं थे, कोई मकान में चलता था, उन सभी स्कूलों को हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे जो प्रदेश के उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन सभी स्कूलों को उन्होंने प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्नत करके और उस समय लगे हुए जितने भी हमारे पैराटीचर्स थे या लोक जुम्बिश में कार्यरत हमारे जितने भी टीचर्स थे या शिक्षा कर्मी थे, जो माननीय भैरोंसिंहजी के टाइम से जो शिक्षक योजना लागू की थी उसमें जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जो पढ़ा लिखा लड़का था, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का एक बहुत बड़ी मेहनत करके जो आदिवासी क्षेत्र में लोग शिक्षा के प्रति रूझान नहीं था, उन्होंने काम करके, उन विद्यार्थियों ने स्कूल में लोगों को प्रवेश दिलाया और स्कूलें चलने लगीं। ऐसे जितने भी एसटीसी और बीएड किए हुए हमारे जो लड़के थे उनको हमने प्रबोधक की भर्ती करके उनको हमने नियमित किया।

इसके बाद में मैं आपको यह बता सकता हूं कि एक किलोमीटर की दूरी से जितनी भी हमारी स्कूल थीं, जो हमारे छोटे बच्चे एक किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते थे उनके लिए हमने प्राइमरी स्कूल्स खोलीं। मैं यह भी कह सकता हूं दावे से कि उस समय प्रत्येक राजस्व ग्राम में उनके कार्यकाल में हमने एक यूपीएस, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल खोली और जहां भी बालिका प्राथमिक विद्यालय थे वहां बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले और विद्यालय खोलने के उपरान्त हमने सर्वशिक्षा के माध्यम से वहां भवन निर्माण किये, पेयजल व्यवस्था के लिए हमने हैण्डपम्प लगाये, चार दीवारी बनाई और सुचारू रूप से हमने शिक्षा को बढ़ावा दिया।

2008 में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने शिक्षा को आगे चलाते हुए प्रत्येक पंचायत में एक माध्यमिक स्कूल खोलने की उन्होंने बजट में घोषणा की और हमने 2008 में लगभग प्रत्येक पंचायत में हमने माध्यमिक स्कूल खोले। इसके अलावा उन्होंने अपने बजट भाषण में हमेशा आप देखिये तो बत्तीसों जिलों में जहां पालिटेक्निक कालेज नहीं थी वहां पालिटेक्निक कालेज खोली। जहां आई टी आई नहीं थी वहां आई टी आई खोली। जहां इन्जीनियरिंग कालेज नहीं थे वहां इन्जीनियरिंग कालेज खोले। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बच्चियां जो भी नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं में पढ़ने दूर दराज पढ़ने जाती थीं उनको साइकिल उपलब्ध करवाई। मैं यह कह सकता हूं कि आप देखें, हमारी 1991 तक जो औसत साक्षरता 38.55 परसेंट था उसको बढ़ा कर 2011 में 67 परसेंट हमारा साक्षरता का औसत है जो हम देश में फिर भी पीछे हैं, परन्तु इसके द्वारा मैं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आपको यह बताना चाहूंगा कि 1991 से लेकर 1998 तक शासन माननीय भैंरोंसिंहजी का रहा और 2003 से 2008 तक हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी का राज रहा। इन 13-14 साल में शिक्षा के क्षेत्र में जो वास्तव में काम हुआ है। उससे आज 38 परसेंट से लेकर 68 परसेंट तक हम पहुंचे हैं इसका बहुत बड़ा कारण यह रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि यू पी ए सरकार ने आर टी ई, राइट टू एजुकेशन जो लागू किया है, मैं यह कह सकता हूं कि पहली से आठवीं में पढ़ने वाला जो बच्चा है अगर उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर उसका बेस ही कमजोर होगा, अगर उसको परीक्षा में अपीयर होने नहीं देंगे और शिक्षा में अगर किसी को अगर फेल ही करना है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले टाइम में आधुनिक स्तर की जो शिक्षा है वह धीरे-धीरे बिगड़ती जाएगी और आज जो हम देख रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में आज प्रवेश ज्यादा है, उच्च प्राथमिक में घट रही है और उच्च माध्यमिक स्तर तक जाते-जाते 25 परसेंट, 27 परसेंट आ जाती है। इसका परिणाम आगे आने वाले समय में और नजदीक से दिखेगा क्योंकि अभी शुरूआत हुई है, दो-तीन साल ही हुए हैं, अगर हम इसमें कम्पलसरी एजुकेशन कर दें, हर व्यक्ति, आज जो नौजवान बच्चा है जो चार-पांच साल का है, उनके लिये हम कम्पलसरी एजुकेशन करें, नहीं तो जो भी सरकारी फायदा है उनको बंद हो जाए। मतलब हम उनके अभिभावकों को प्रेरित करें कि शिक्षा अनिवार्य है, बनिस्बत इसके आठवीं तक हम उनके बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करें कि उनके कोई एक्जाम कण्डक्ट नहीं कर सकते। इससे हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है। आज जो हम देख रहे हैं, हकीकत बात बताना चाहूंगा कि प्राइमरी एजुकेशन आज गांवों में लगभग एक फेल्योर है।

(17.00 बजे)

हमने कई जगह देखा है आठवीं के बच्चों को 8 की टेबल नहीं आती है। उनको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। हमारी प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षक हैं उनकी भी कोई जवाबदारी नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कम्पलसरी एजुकेशन दें, कम्पलसरी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें।

दूसरा मेरा अनुरोध है कि आज भी हमारे कार्यकाल के पैराटीचर्स और लोक जुम्बिश के शिक्षक रह गये हैं। हमारी मंशा थी उन सबको प्रबोधक के टाइम भर्ती किया जाए। आपने हमको सीटें दीं, लेकिन हमारे कई लोग उसमें

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

रह गये हैं इनका भी प्रबोधक भर्ती में आप कोई न कोई सोचेंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

आज इस मौके पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप लगभग प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक स्तर की 4900 स्कूल खोलने जा रहे हैं। यह आने वाले टाइम में राजस्थान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। मैं इसके लिये आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आज भी हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं और आज भी गांव में जो व्यक्ति पढ़ता है, आठवीं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल है, जब वह आठवीं पास करने के बाद नवीं में लड़की को एडमिशन दिलाता है तो वह ब्वायज स्कूल होता है। आज भी अभिभावक व लड़कियां उन ब्वायज स्कूल में जाना पसंद करती नहीं हैं और वे अपनी पढ़ाई वहीं छोड़ देते हैं। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां भी पंचायत में उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल हैं उनको आप माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करें ताकि बालिका शिक्षा की तरफ भी हम थोड़ा ध्यान दें और उनको आने वाले टाइम में हम आगे से आगे पढ़ा सकें। जब तक बालिका शिक्षित नहीं होगी तब तक इस प्रदेश के विकास को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, यह मेरी आपको राय है।

इसके अलावा, आज जो मैं देख रहा हूं, मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो प्राइमरी व अपर प्राइमरी में सर्व शिक्षा के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार का भी हम देख लें तो हमने थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती की कोई कमी नहीं रखी। उसके बाद प्रबोधक भी लिये। तत्कालीन सरकार ने जो भी 25-30 हजार लोगों की भर्ती की वह भी थर्ड ग्रेड टीचर्स जिला परिषद् के माध्यम से हैं। आज गांवों में यह हालत है कि प्राथमिक स्कूल पर और उच्च प्राथमिक में, मैं मेरे एरिया की बात करूं, मेरे मगरा बैल्ट को छोड़ दें तो अधिकांश नीचे वाले गांवों में यह पोजिशन है कि टीचर्स आज भी वहां हैं। सबसे कठिन परिस्थिति जो अभी चल रही है वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में है। वहां आज आपके पास लैक्चरर्स नहीं हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, मंत्रीजी, सहवाड़ी बाली पंचायत समिति का बहुत बड़ा गांव है। 1950 में वहां उच्च माध्यमिक स्कूल खुला था। वहां आज की तारीख में विज्ञान भी है, कामर्स भी है और आर्टस भी है। लगभग वहां 12 लैक्चरर्स की पोस्ट हैं। ग्रामीण अंचल का सबसे पुराना स्कूल है। आज वहां हालत यह है कि मात्र एक लैक्चरर है, 11 लेक्चरर्स की पोस्ट वहां खाली पड़ी हैं। सबसे पुराना स्कूल मैं बता रहा हूं। मैं यह कह

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सकता हूं कि हमारा जो मारवाड़ क्षेत्र है इसमें अधिकांश लेक्चरर्स की पोस्ट, अधिकांश सैकण्ड ग्रेड टीचर्स की पोस्ट, हैडमास्टर्स की पोस्ट, प्रिंसिपल्स की पोस्ट आपको खाली मिलेगी।

मैं मेरे गांव की बात करूं तो कामर्स विषय में एक भी सब्जेक्ट टीचर पिछले 4 चार साल से नहीं है। हमने पूर्ववर्ती सरकार के समय विज्ञान विषय खोला, वहां आज एक भी टीचर नहीं लगा। पुरानी स्कूल है उसमें अगर लेक्चरर्स की भर्ती नहीं करेंगे, सैकण्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो सरकारी स्कूल आप खोलने जा रहे हैं धीरे-धीरे बच्चे सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा जाने लग गये हैं और सरकारी स्कूल में दिनोंदिन संख्या घट रही है और निजी स्कूल में बढ़ रही है। आज हालत यह है कि कोई भी छोटा-मोटा कस्बा है वहां निजी स्कूल है उन्होंने अपनी बसें लगा दी हैं। वे बसें 20-20, 30-30 किलोमीटर जाकर बच्चों को लेकर आती हैं। गवर्नमेंट में सब फैसेलिटी है, पाठ्यक्रम फ्री है, हमारे पास बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली टीचर्स की कमी के कारण बच्चे सरकारी स्कूल से बाहर निकलकर प्राइवेट स्कूल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जहां उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उनके पास अच्छे क्वालीफाई टीचर भी नहीं हैं फिर भी उन प्राइवेट स्कूल में जाकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं।

दूसरा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मिड डे मील में रसोइया काम कर रही हैं इसके लिये आप उनको हजार रुपया दे रहे हैं। वे सुबह लगभग आठ बजे से काम पर लगती हैं जो दो-तीन बजे तक स्कूल में सबको खाना खिला कर घर जाती है। उसका मानदेय कम से कम इस महंगाई को देखते हुए हजार रुपये से दो हजार रुपये किया जाए जिससे उनको भी फायदा मिले। वे हमारे बच्चों को खाना खिलाती हैं। लगभग एक रसोइये के नीचे 200-250 बच्चे आते हैं तो इनका मानदेय बढ़ाया जाए।

दूसरा, मेरे क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका दुर्घटना बीमा है, उनके पैसे लम्बे समय से अटके पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप तुरन्त प्रभाव से जिनकी दुर्घटना हुई है उनके परिवार के सदस्यों को बीमा की राशि दिलाएं।

मैं आज एक बात और निवेदन करूंगा। यूपीए सरकार ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल जो लगातार क्रमोन्नत हो रही है, रमसा के तहत कक्षाकक्ष बनाने के लिये, कई माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में 25 लाख, 30 लाख रुपये दिये हैं। कई जगह 4 कमरे बन रहे हैं, कई जगह साइंस की

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

लैब बन रही है, कहीं पर लाइब्रेरी बन रही है। मेरे यहां लगभग 10 ऐसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, लगभग 4 साल पहले उनका बजट आबंटन हुआ, उसके ठेके भी हो गये। ठेके होने के उपरांत भी चार साल तक हमारे मंत्रीजी ने उन ठेकेदारों को काम करने की परमिशन नहीं दी। अब मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह रमसा का काम है, कक्षाकक्षों के निर्माण का काम शुरू हो गया है, लेकिन चार साल पहले जो बी एस आर रेट थी और आज जो बी एस आर रेट है, उसमें बहुत फर्क है। जिस ठेकेदार को ठेका मिला, उसको काम करने में काफी परेशानी है। यदि हम अच्छे कमरे, अच्छे कक्षाकक्षों का निर्माण कराना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि जो पुराने ठेके हो रखे हैं जिनको अभी वर्क आर्डर दिये हैं। कम से कम आज की बी एस आर से उनका काम कराएं ताकि हम मजबूत कक्षाकक्ष खड़ा करें। आने वाले समय में हमारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे। नहीं तो ठेकेदार जो चार साल पुरानी बी एस आर रेट है उससे काम करेगा तो मैं समझता हूं कि जो क्लासरूम हम बनाने जा रहे हैं वे अच्छे नहीं बनेंगे।

दूसरा, मेरा आपसे अनुरोध है कि बाली में जाते-जाते सरकार ने, जैसा अभी बताया कि 42 महाविद्यालय खोले हैं। उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक महाविद्यालय खुला है। पहले साल में लगभग 165 छात्र-छात्राओं का एडमिशन हुआ। इस साल सैकण्ड ईयर है इसमें लगभग 175 छात्र-छात्राओं का एडमिशन हुआ है। मंत्रीजी, बताना चाहूंगा वह प्राथमिक स्कूल में चल रहा है। उसमें मात्र 5 कमरे हैं। इस कालेज के लिये हमने जमीन भी आबंटित करा ली है। इस कालेज को बनाने के लिये आप कोई न कोई बजट की घोषणा करें ताकि हम एक सुन्दर कालेज बना सकें। मैं चाहूंगा कि बाली का जो महाविद्यालय खुला है वह 5 पंचायत समिति के ऊपर एक महाविद्यालय है। सुमेरपुर में महाविद्यालय नहीं है, देसूरी में नहीं है, मारवाड़ में नहीं है, रानी में नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में एक शासकीय महाविद्यालय है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां कोई कालेज में साइंस पढ़ना चाहता है तो उसको या तो पाली जाना पड़ता है या सिरोही जाना पड़ता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि साइंस और कामर्स विषय को इस राजकीय महाविद्यालय में खोला जाए ताकि हमारे बच्चों को इसका काफी फायदा हो सके।

(17.10 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें फालना एक इण्डस्ट्रियल टाउन के नाम से पहचाना जाता है। वहां प्रतिदिन लगभग 10 से 15 हजार लोग फैक्ट्रियों में जाकर काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि एक पोलीटेक्निक कालेज, चाहे वह पीपीपी मोड से हो या सरकार के द्वारा हो एक पोलीटेक्टिन कालेज खोला जाए जिससे वहां के युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। फालना में जो आई टी आई कालेज है उसमें इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट नहीं है उसमें इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट भी खोला जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

एक मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि आज मेरे क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया है, बहुत मुश्किल से तो वहां पर टीचर्स आते हैं, या तो आर.पी.एस.सी. के माध्यम से सैकण्ड ग्रेड के आते हैं या जिला परिषदों के माध्यम से थर्ड ग्रेड आते हैं। हालत यह है कि गांवों में जब हम जाते हैं तो उस टीचर की पोस्टिंग तो वहां पर बोलती है और वह टीचर डेपुटेशन कराकर नागौर, चूरू, सीकर चला जाता है या दौसा, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों से ज्यादातर टीचर आते हैं तो वहां चले जाते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी का डेपुटेशन करें भी तो स्थानीय जन प्रतिनिधि को पूछ कर करें क्योंकि वहां हमें जनता को फेस करना पड़ता है। आज भी जब हम स्कूल में जाते हैं तो गांव वालों को हमें जवाब देना पड़ता है। आपके द्वारा एक आदमी को डेपुटेशन करने से जवाबदारी हमारी बन जाती है। पोस्टिंग तो उसकी वहां बोल रही है, आन डेपुटेशन पर वह काम करता है चार-पांच जिले छोड़ कर दूसरे जिलों में तो आप डेपुटेशन करें तो कम से कम उस लोकल जन प्रतिनिधि को पूछ कर करें ताकि हम गांव वालों को उसका जवाब दे सकें। यह मैं आपसे अनुरोध करूंगा।

एक बात और मैं अनुरोध करूंगा कि आपके पास ब्लाक शिक्षा अधिकारी लगभग हर पंचायत समिति पर है। हर ब्लाक पर प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल लगभग 250-300 हो गई हैं तो मैं चाहूंगा कि व्यवस्था के रूप में वहां पर कोई न कोई एक गाड़ी की व्यवस्था की जाए, उनको गाड़ी दी जाए ताकि वह दूरदराज के गांवों में जाकर देखें कि वहां वास्तव में टीचर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, यह जाकर देख पाये, यह मेरा सुझाव है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्या श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्रीजी को समस्या बताना चाह रही हूं। रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में 83 ग्राम पंचायतें हैं और उन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय केवल 20 हैं, प्रिंसिपल केवल 5 हैं, लैक्चरर, हैडमास्टर, सैकण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर नाम मात्र के हैं। रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं उनमें से 10 स्कूल में एक भी टीचर नहीं है और वर्तमान में 13 स्कूलों के लाक लग चुका है। ऐसी स्थिति रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में शिक्षा की है। मैंने शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत कराया था और उन्होंने मुझे संतुष्ट किया है कि जहां पर रिक्त पद हैं वहां पर सुविधानुसार टीचर की भर्ती दी जाएगी। मैं इस बात से संतुष्ट हूं और धन्यवाद करती हूं मंत्री महोदय का कि इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज एक भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुकलावा में पहले से ही एक उच्च माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है, वह बहुत बड़ा विद्यालय है, बहुत सारी जगह है, मैं चाहती हूं कि उसको कन्या महाविद्यालय घोषित कर दिया जाए क्योंकि वहां पर आलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है, जगह भी है, सुविधा भी है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगी।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में एक प्राइवेट कालेज भगत सिंह के नाम से चल रहा है जिसको अब गवर्नमेंट कालेज कर दिया गया है पर उसके नाम में से भगत सिंह नाम काट दिया गया है। यह कौनसी राजनीति है? माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस भगत सिंह कालेज को ओनली गवर्नमेंट कालेज नाम न देकर इसको भगत सिंह गवर्नमेंट कालेज किया जाए। इसके साथ-साथ इस कालेज को गवर्नमेंट कालेज तो बना दिया गया है पर अभी भी प्राइवेट कोलेज के अकोर्डिंग इसकी फीस ली जा रही है। मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इस कालेज की फीस गवर्नमेंट कालेज के अकोर्डिंग ली जाए, ऐसा मैं चाहती हूं।

कला और संस्कृति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि पंजाबी शिक्षा को प्राथमिकता में लिया जाए क्योंकि बहुत से बच्चे एम.ए., बी.ए.

(श्रीमती सोना देवी)

पंजाबी में किये हुए हैं पर वेकेंसी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है इसलिये मेरा निवेदन है कि पंजाबी शिक्षा को वैकेंसी क्षेत्र में लिया जाए, उसमें भी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, पंजाबी शिक्षा में रोजगार में नियुक्त किया जाए।

संस्कृति क्षेत्र में भी मैं चाहती हूं कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय संस्कृति में पंजाबी को महत्व दिया जाए। गीत और नाट्य में पंजाबी को प्राथमिकता दी जाए।

इसके साथ-साथ, मैं कला के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में प्रेक्टिकल सब्जेक्ट ड्राइंग तो दिया जा रहा है परन्तु उस ड्राइंग सब्जैक्ट की आगे वैकेंसी क्षेत्र में कोई भी मान्यता नहीं है तो फिर यह सब्जैक्ट क्यों? पंजाबी सब्जैक्ट क्यों, ड्राइंग सब्जैक्ट क्यों जब कि आगे कोई वैकेंसी नहीं, आगे कोई रोजगार ही नहीं है तो फिर इनको पढ़ने का क्या तुक हुआ? इसलिये मैं सरकार से चाहती हूं, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से चाहती हूं कि इन सब्जेक्ट को महत्व देते हुए आगे कोई वैकेंसी क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई न कोई इसकी स्थायी सुविधा की जाए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अगर सरकार घोषणा करती है कि प्रत्येक पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे तो मैं चाहती हूं कि अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं तो सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि वहां पर सब्जैक्ट के अकोर्डिंग टीचर हो। इसके साथ-साथ, वहां पर सफाई कर्मचारी भी हो, वहां पीने के लिये पानी भी हो और उस स्कूल में तमाम सुख-सुविधाएं हों। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यही कहना है।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाह रही हूं कि 24 हजार विद्यार्थी मित्र हैं जिनके सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है और सरकार हाई कोर्ट का हवाला देकर उनको घर भेजने की बात करती है। सरकार को चाहिए कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान सदन के नेता ने विद्यार्थी मित्रों को पैरा टीचर्स, प्रबोधकों की भांति समायोजित कर स्थायी करने की बात भी कही थी तथा बाद में लोक सभा चुनावों में इन विद्यार्थी मित्रों को नौकरियां देने की बात भी कही थी। लोक सभा चुनाव में नमो-नमो नाम से इतनी संख्या तो आ गई लेकिन अब विद्यार्थी मित्र सड़क पर बैठे हैं और उनको कहते हैं कि नमो का उल्टा मौन-मौन-मौन। विपक्ष के हम जब उनके लिये बोलते हैं, विद्यार्थी मित्रों के लिये बोलते हैं या किसी रोजगार के लिये बोलते हैं तो हमें भी मौन-मौन-

(श्रीमती सोना देवी)

मौन, अंकित नहीं किया जाएगा। यह कौनसी राजनीति है? मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं। पांच साल की बात करते हैं, 66 साल तो हो गये, देख लिया। विपक्ष को भी देख लिया, पक्ष को भी देख लिया। भारत को आजाद हुए 66 वर्ष हो गये और 67 वर्ष होने को आये हैं लेकिन मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में तो न तो विपक्ष ने कुछ किया और न पक्ष ने कुछ किया। बोर्डर एरिया है, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है.... (व्यवधान) सुनिये जरा। आपके क्षेत्र की भी समस्या है, शिक्षा कोई अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या नहीं है, पक्ष में बैठे हो तो क्या हुआ, आपके क्षेत्र में भी तो समस्याएं हैं और जब से आये तो तब से सुना ही तो रहे हो। आप भी तो सुना रहे हो कि हमारे क्षेत्र में यह नहीं, वह नहीं है, सब्जैक्ट के अकोर्डिंग टीचर नहीं हैं। नहीं कह रहे हैं क्या? मौन रहिये, नमो का उल्टा मौन रहिये। मैं यह कहना चाह रही हूं कि रायसिंहनगर क्षेत्र बोर्डर एरिया है, सीमावर्ती क्षेत्र है, अगर कोई टीचर लगा भी देते हैं तो वह टीचर वहां पर स्थायी रूप से नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? सीमावर्ती क्षेत्र में न कोई सड़क है, न कोई स्कूलों में बिजली की व्यवस्था है और न कोई पीने के पानी की सुविधा है और इसलिये वहां पर टीचर टिक कर नहीं रहता है। या तो मिलीभगत होकर स्थानांतरित हो जाता है या फिर डेपुट हो जाता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह चाहती हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र में अगर आप स्टाफ की पूर्ति करें तो कम से कम पांच साल आपको टिक कर यहां पढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ में, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मजबूरन हो सकता है, किसी स्टाफ को स्थानान्तरित करना पड़े क्योंकि कोई विकलांग भी होता है। कोई महिला होती है वह प्रेग्नेंट भी होती है। उनको स्थानान्तरित करना पड़ता है, यह तो मजबूरी है। इसको तो चाहे रूल के अन्दर मत लीजिये लेकिन उनको तो रूल के अन्दर लीजिये जिनकी दोनों आंखें भली-भांति हैं, दोनों हाथ हैं, टांगें हैं, उनको तो कहिये ना पांच साल टिक कर यहां सीमावर्ती क्षेत्र में पढ़ाइये।

मैं यह भी चाहती हूं शिक्षा मंत्रीजी से कि बोर्डर एरिया में जो भी स्कूल हैं, वहां पर उस स्कूल के अन्दर, बाहर मत व्यवस्था कीजिये चाहे सड़क की, जैसे-तैसे करके बच्चे आ जाएंगे, पर उस स्कूल में कम से कम पीने के पानी की तो सुविधा हो, कम से कम वहां पर बिजली की सुविधा हो और बच्चों को बैठने के लिये स्थाई सुविधा के लिये भवन, छाया के लिये व्यवस्था की जाए। इतना मैं अनुरोध करते हुए धन्यवाद करती हूं कि सभापति महोदयजी आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकरजी अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-24, शिक्षा, कला और संस्कृति पर बहस चल रही है। यह देश प्राचीनतम देश है और इसकी संस्कृति महानतम रही है। इसकी संस्कृति को विकृत करने के लिये कई विदेशियों ने प्रयास किये, आक्रमण किये लेकिन इसकी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाये, इसका एक मात्र कारण था कि हम शिक्षा में बहुत आगे थे। उस वक्त कहा जाता था आदमी के लिये, कि अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो साक्षात् पशु पूंछ विशाखहीन है। आदमी के लिये कहा जाता था कि बिना पढ़ा आदमी, बिना सींग और पूंछ का जानवर है। ऐसी शिक्षा पद्धति जब उस पुराने जमाने में थी। आज आजादी के बाद इस शिक्षा पद्धति की दुर्गति हुई है कि आओ, मिड-डे मील खाओ और बिना पढ़े पास हो जाओ। यह हालात हमारे अगर चलते रहे तो न यह देश बचेगा, न यह संस्कृति बचेगी और हम आंकड़ों के लिये शिक्षा को चलाते रहे कि हम पहले नम्बर पर हैं, ये दूसरे नम्बर पर हैं, ये तीसरे नम्बर पर हैं, इससे शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ सकता।

हमने अरबों रुपये साक्षरता के नाम पर बर्बाद किये हैं। उस साक्षरता के नाम पर जिसमें केवल साइन करना सीख गये तो उसको साक्षर मान लिया। द: रामलाल। इतना सा लिखा, उस व्यक्ति को हमने साक्षर माना है। (व्यवधान) वह आप अंदाज लगाना। ऐसी शिक्षा के लिये हमारे देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शिक्षा वह होती है, जो सबसे बड़ा धन कहलाती है। शास्त्र कहता है, ''न चोर चोर्यम् न चराज आर्यम्, न भ्रातृ भ्राज्यम्, न च भारकारि: व्ययकृते वरदति एव तस्य, विद्या धनम् सर्व धनम् प्रधानम्'' जिस पैसे के लिये आज हम पढ़ाना चाहते हैं कि हम पेट भरने के लिये पढ़ाई कराना चाहते हैं। हमारे शास्त्र और हमारे ऋषियों ने कहा है कि यह ऐसा स्वयं अपने आप में धन है जिसकी चोरी नहीं हो सकती, जिसका भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता, जिसका राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता और न जिसको कोई चोरी करके ले जा सकता है। इसलिये सबसे बड़ा धन अपने आप में शिक्षा है।

सभापति महोदय, आज जैसा संस्कार दिया जाएगा, वैसा ही व्यक्ति हमारे देश में तैयार होगा। हमने केवल कैरियर बेस्ड शिक्षा पद्धति को अपनाया है। मनुष्य निर्माण की शिक्षा पद्धति को हम भूलते जा रहे हैं और इसी कारण से आज इस देश में भ्रष्टाचार, अनैतिकता का बोलबाला है। आप सब विद्वान

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

माननीय सदस्य विराजमान हैं। जब तक संस्कार सही नहीं होगा, निश्चित रूप से शिक्षा भी विकृत रहेगी और शिक्षा अगर विकृत रही तो व्यक्ति वैसा तैयार होगा, जो न देश के लिये काम आएगा, न परिवार के काम आएगा, न समाज के काम आएगा। वह केवल अपना पेट भरने के लिये काम करेगा। समय कम है, समय की सीमा मुझे पता है सभापति महोदय, लेकिन दो बात मैं कहना चाहता हूं।

विद्यार्थी मित्रों के लिये हमारे कांग्रेसी मित्रों ने पिछले राज में यह कहा था कि ये बीजेपी की नाजायज औलाद हैं। इतना अपमान विद्यार्थी मित्रों का इस कांग्रेस ने किया है। मैं शिक्षा मंत्रीजी को सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इन विद्यार्थी मित्रों का भला होना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन के छह-सात महत्वपूर्ण वर्ष शिक्षा के लिये दिये हैं और इतने कम पैसों में दिये हैं, जिसमें नरेगा में काम करने की मजदूरी मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को इस तरह से बेरोजगार करके छोड़ना उचित नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी से और यहां तक कि मुख्य मंत्रीजी से भी, कि इन विद्यार्थी मित्रों की समस्या का उचित समाधान निकाला जाए।

आज अध्यापकों की कमी की बात तो पूरा सदन कर रहा है लेकिन अध्यापक जो आज उपस्थित हैं, इस राज्य में, प्रदेश में जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी गैर शैक्षणिक कार्य इतनी मात्रा में कराया जाता है कि जो बचे हुए अध्यापक हैं, वे भी बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। कभी उनको जनगणना में लगाया जाता है, कभी उनको पशुगणना में लगाया जाता है, कभी उनको बी एल ओ बनाया जाता है, कभी उनको मिड-डे मील के लिये उनकी पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, कभी डाक ले जाने वाला कर्मचारी बनाया जाता है और इस कारण से शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है, वह प्रभावित होती है। मेरा निवेदन है कि कम से कम अब यह समय आ गया है कि जो काम शिक्षा का है, वह काम उस शिक्षक को करना चाहिए।

आज शिक्षा के नाम पर 50-50 लाख रुपये मेडिकल कालेज में या इंजीनियरिंग कालेज, जो अच्छे स्तर के होते हैं, वहां डोनेशन देकर प्रवेश दिया जाता है। जब व्यक्ति 50 लाख रुपया देकर एडमिशन लेगा तो वह जब निकलेगा, पढ़-लिख कर तैयार होगा तो फिर उसका संस्कार भी केवल यही होगा कि मैं 50 लाख रुपये देकर डाक्टर बना हूं या इंजीनियर बना हूं या

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

कलक्टर बना हूं या एस.पी. बना हूं तो निश्चित रूप से वह उसकी भरपाई करने में लगेगा। वह फिर हमारे काम का नहीं है। न समाज के काम का है, न देश के काम का है। नैतिकता इसी कारण से गिर रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन सब चीजों पर गौर करने का अब समय आ गया है और अगर हम अब टाइम रहते नहीं चेते तो इस शिक्षा का भट्ठा बैठा है, वह बैठता जाएगा और आखिर में शिक्षा में जो अराजकता है, उससे देश में अराजकता फैलेगी। यही मुझे आपसे निवेदन करना था। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा पर अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जिस समाज में संस्कार और संस्कृति नष्ट हो जाती है, वह समाज तथा देश का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। भारतीय संस्कृति की गौरवमय विरासत हमारी गौरवमयी धरोहर है। मैं आज इस गौरवमयी इतिहास गांव आहूआ जो हमारी संस्कृति धरोहर का संजोया हुआ है, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हूं।

हमारी संस्कृति विरासत जो हमारे पूर्वज हमारे लिये छोड़ कर गये हैं। अगर हम उस संस्कृति और संस्कार को भूल गये तो निश्चित रूप से हमारा यह देश एक अंधकारमय युग की तरफ अग्रणी हो जाएगा। 1620 ईस्वी में जब मुगल शासनकाल में जोधपुर की रियासत पर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के समय वहां के ठाकुर साहब उदयसिंहजी ने उनकी जो रानियां थीं। उन रानियों को वहां से निकाल कर सिवाणा की तरफ बैल गाड़ियों में भेज दिया। मुगल शासकों का आक्रमण इतना खतरनाक था उसका अंदेशा देख कर के उन्होंने उन रानियों को बैल गाड़ियां में बिठा कर भेज दिया। रास्ते में एक बैल गाड़ी खराब हो गयी और बैल बैठ गया। तो वहां पर पास में एक चारण का कुआ था और उस कुएं पर रहट चल रहा था। एक ही आदमी था तो वहां से दो बैल उठा कर के लाये और उस गाड़ी में लगाकर आगे रवाना कर दिया। मगर जब इस बात का पता उस चारण को लगा तो वह पीछे गए और पीछे जाकर के उस गाडी से बैलों को छुड़ा कर लेकर आ गये और गाड़ी को उलटा धकेल दिया जिससे रानी साहिबा का हाथ टूट गया। जब यह बात आई गई हो गई, भूल गए लोग और इस बात को जब बीस साल बाद में जोधपुर राजा

(श्री केसाराम चौधरी)

उदयसिंह से माता ने आग्रह किया कि बेटा मेरा जो चारण ने हाथ तोड़ा है उन चारणों की जागीर छीन लो। उसके आदेश से महाराजा ने चारणों की जागीरी छीन ली। उस जागीरी के छीन लेने के कारण से वे सभी चारण लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सत्याग्रह किया और उस सत्याग्रह पर उदयसिंह ने उनको देश निकाला दिया। फिर सत्याग्रह करने के लिये कहा कि जगह कौन देगा? उस जगह को अगर किसी ने दिया तो महाराजा गोपाल दासजी चंपावत ने आहुवा के अन्दर उन चारणों को सत्याग्रह करने के लिये जगह दी। चारण आऊवा के कामेश्वर महादेव मंदिर के पास इकट्ठे हुए और सभी शाम को सोए, शीरा पुड़ी बनाकर के खाएं और सुबह उनके साथ जो गोविन्द दमामी था। उस दमामी को कहा कि तू मंदिर के ऊपर चढ़ और इस नगाड़े पर डाका लगाना। जैसे ही तू डाका लगाएगा हम सभी लोग कटारी खाकर अपने आपको आत्म दाह कर देंगे। ऐसी सूरत में दमामी ने सुबह देखा कि मैं कटारी खाकर मर जाऊंगा और ये मेरे वारिसदार हैं, यह मेरे रक्षक हैं उनके पीछे क्या होगा? तो पहले उसने अपने खुद को कटारी खाई और धड़ाम से नीचे गिरा तो नीचे खड़े सभी चारणों ने कटारी खाकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उस बात का जब पता चला तो गोपाल दासजी की जागीरी छीन ली गई और जोधपुर दरबार द्वारा इस बात के लिये सज़ा भुगतनी पड़ी। ऐसी आऊवा की जो धरोहर हमारी।

उसकी दूसरी कहानी है कि 1857 में जब ऐरनपुरा छावनी और पालनपुर की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया और विद्रोह करके जब वे सैनिक अपने आबू के अन्दर जो अंग्रेज रहते थे। उनको गोलियों से मार करके उनकी सम्पत्ति लूट करके आ गए और वे लोग दिल्ली की तरफ कूच करने के लिये बढ़े। दिल्ली चलो का नारा दिया, 1857 में और वे चलते-चलते आऊवा पहुंचे। आऊवा के ठाकुर कुशाल सिंहजी ने उनको शरण दी और शरण देने के बाद आऊवा ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिक एक हजार पैदल और छह सौ घुड़सवारों के साथ अपनी फौज को सम्मिलित करते हुए अशोक गुलर, आलनियावास के भी ठाकुर अपनी फौजें लेकर आऊवा पहुंचे। इसके साथ जोधपुर राज्य के लांबिया, भीमालिया, रढावास तथा मेवाड़ के सलूम्बर रूपनगर और लसाणी आदि के सरदार शामिल होकर छह हजार की सेना बना कर के अंग्रेजों के सामने 1857 की क्रांति जो देश में एक चिंगारी के रूप में उठी। वह चिंगारी उठी आऊवा के उस गढ़ से, इस बात की खबर अजमेर के चीफ कमिश्नर बिग्रेडियर जनरल पैट्रिक लारेंस को पता चला। तो लोगों ने लारेंस से जोधपुर से फौजें मांगी। जोधपुर महाराज तख्तसिंह ने अपने किलेदार

(श्री केसाराम चौधरी)

अनाड़सिंह व राजमल लोढ़ा को एक हजार सैनिकों के साथ आऊवा पर हमला करने के लिये भेज दिया। आऊवा के बिठोड़ा के पास में युद्ध हुआ और उसमें अनाड़सिंह और राजमल लोढ़ा की मौतें हुईं और आज भी उनकी छतरियां बिठोड़ा कलां और भगवानपुरा के पास बनी हुई हैं। आज एक इतिहास के धरोहर के रूप में हमारी संस्कृति विरासत के रूप में जो आऊवा के सरदारों ने उस समय संघर्ष करके उनको हराया और वह आज भी हमारी संस्कृति की याद दिलाती है। उस रणबांकुरे बहादुर लोगों की याद दिलाती है कि 1857 में जिस तरह से आऊवा ठाकुर साहब ने अपनी क्रांति का बिगुल बजाया था। अगर पूरे देश में बिगुल बज गया होता तो 1857 में ही देश आजाद हो गया होता। ऐसे ठाकुर जब उनसे युद्ध हुआ और उसमें उस अंग्रेज सेना की हार हुई तो जब इस बात की खबर अजमेर लारेंस को मिली। तो लारेंस ने जोधपुर पोलिटिकल एजेंट कैप्टन मैक मैशन गौरो की नई सेना लेकर आऊवा 18 सितम्बर को पहुंचे और घमासान युद्ध हुआ। जिसमें कैप्ब्न मैक मैशन का सिर कलम करके उसका सिर आऊवा के दरवाजे पर अगर किसी ने लटकाया था तो माननीय ठाकुर साहब कुशाल सिंहजी ने लटकाया था। ऐसे ठाकुर कुशाल सिंहजी जब इस बात का पता लग गया, सेना की हार हो गई, तो फिर अजमेर से बहुत बड़ी फौज आई। उसके सामने ठाकुर कुशाल सिंहजी उस संघर्ष को झेल नहीं पाये और बुरी तरह से हार हुई। उस हार में उन्होंने मेवाड़ जाकर के शरण ली और उसके बाद उस आऊवा के किले का दरवाजा खोल दिया गया और वहां पर लगी सुकाली माता की मूर्ति जो 54 हाथ और दस सिर वाली मूर्ति है। जिसमें एक मुंह तो औरत का है और दूसरे नौ मुंह सभी पशुओं के हैं। ऐसी मूर्ति जिसके गले में मुण्ड माला है और ऐसी मूर्ति को यह अंग्रेज लोग वहां से उठा कर आबू ले गए। वह मूर्ति आज की तारीख में पाली के म्यूजियम में खंडित होकर पड़ी है। इसलिये ऐसी सांस्कृतिक धरोहर हमारी विरासत जो आऊवा ने संजोये रखी है। आज भी लोग होली के पर्व पर खुशी का इजहार लोक गीतों से करते हैं- ढोल बाजे, थाली बाजे और बाजे बांक्यों, अंजट ने मारने दरवाजे टाकियों, जूंझे आऊवो। है वो जूंझे आऊवो, आऊवो मुल्कों में चावहो हो, जूंझे आऊवो। इस तरह के लोक गीत और हमारी संस्कृति की धरोहर आज की तारीख में आऊवा में जिस तरह से धूल धूसरित हो रही है। मैं इस आऊवा के लिये जिस तरह से 1857 में धूल धूसरित करके बिलकुल तहस नहस आऊवा को कर दिया था। उसके बाद में सुगाली माता जिसके दस सिर एवं चौवन हाथ, दो फुट पांच इंच लंबी काले संगमरमर की मूर्ति उठा कर ले गए।

(श्री केसाराम चौधरी)

मैं मांग करता हूं कि वह मूर्ति जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और आऊवा गांव जिसको पूरा का पूरा नष्ट करने के बाद दूसरी जगह पर बसना पड़ा, ऐसे आऊवा गांव को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित किया जाए तथा मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी शिक्षा भी दी जाए जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोये रखे। स्मृति का जीवन गीतों ओर भींतों पर ही आधारित होता है इसलिये मैं मांग करता हूं कि आऊवा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षण दिया जाए और पूरे गांव को विकसित करके आज ऐसा लगे कि ये 1857 का अग्रणी गांव जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर है उसको संजोना बहुत जरूरी है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि ऐसी सांस्कृतिक धरोहर वाले गांव को पर्यटक स्थल घोषित करके उसका विकास किया जाए।

इसके साथ ही, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ स्कूलों के बारे में दो मांग रखना चाह रहा हूं। मैं मांग करता हूं शिक्षा मंत्रीजी से कि मारवाड़ जंक्शन में सरकारी एक भी महाविद्यालय नहीं है और एक सौ पच्चीस किलोमीटर लम्बा विधान सभा क्षेत्र है। मारवाड़ जंक्शन पर एस डी ओ हैडक्वार्टर भी है उस पर बालिका महाविद्यालय और एस डी ओ हैडक्वार्टर रानी में महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। इसके साथ आज ये जो शिक्षा दी जा रही है इस शिक्षा में आने वाले समय में भारत की क्या हालत होगी इसके लिये हम सबको मिल कर के चिन्तन करना है। हम जयपुर में बैठे हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी जो अपनी आंखों के नीचे यहां चलती है अगर उस यूनिवर्सिटी में सिंगल पीरियड भी लग जाता हो, हम लाखों रुपये उस लैक्चरर और प्रोफेसर को पैसे देते हैं और उसके बावजूद भी न तो क्लासेज लगती हैं और न बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं ऐसे में इससे बैटर तो प्राइवेट कालेज कर दिये जाएं तो ठीक रहेगा। हमारी नाक के नीचे जो ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं उसको ठीक करने की मांग करता हूं। मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका तहेदिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: राजकुमारी दिया कुमारी।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र की स्थिति के बारे माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगी और शिक्षा सम्बन्धी भी मेरे कुछ विचार हैं, कुछ सुझाव हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र जैसा कि सब जानते हैं

(राजकुमारी दियाकुमारी)

कि अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे जितने भी विद्यालय हैं, उनके जो परिसर हैं, एक तो सबसे पहले उनके परिसर ही ठीक नहीं हैं। हमारे ज्यादातर जितने भी विद्यालय हैं वहां उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वे भी देख लीजिये, बाहर जो ग्राउंड्स हैं वह देख लीजिये, उनकी हालत बिलकुल ही बिगड़ी हुई है। कोई भी व्यवस्था सही नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। बिजली के कनेक्शन नहीं हैं कई जगहों पर और अगर बिजली है तो पंखें नहीं हैं, लाइटें नहीं हैं, कोई भी सुविधा पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। अगर स्कूल में बच्चे हैं तो फिर अध्यापक नहीं हैं तो उसकी भी पूर्ति करना अति आवश्यक है। पिछली सरकार ने शिक्षा पर ध्यान इतना नहीं दिया, ऐसी कोई शिक्षा नीति नहीं बनाई। स्कूल तो बहुत खोल दिये पर स्कूलों को ठीक से एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया। कोई प्रोपर इस तरह का नहीं बनाया कि कोई पालिसी हो, या कोई इस तरह का मानीटरिंग सिस्टम हो, या कोई वहां पर कोई समय-समय पर अधिकारी जाकर के चैकिंग करे कि पढ़ाई भी हो रही है या नहीं हो रही है। कितने बच्चे आ रहे हैं। कितने टीचर्स प्रजेंट हैं या नहीं हैं। इन चीजों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में टीचर्स की कमी है, उनके भी पद रिक्त बहुत हैं तो उनको भी जरा जल्दी से जल्दी भरा जाए।

एक चीज की ओर मैं आपका इस माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि राजस्थान का स्तर, जितनी भी बालिकाएं हैं एडमिशंस एण्ड एनरोलमेंट तो फुल हो रहे हैं, उनके नम्बर्स तो अच्छे हैं लेकिन बहुत चौंकाने वाली बात ये है कि एक स्टैण्डर्ड के बाद ज्यादातर ड्राप आउट रेट गर्ल्स की हमारे प्रदेश की हाइयेस्ट है। ये तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसके बारे में कुछ कदम उठाये जाएं जिससे गर्ल्स स्कूल में रहें और आगे तक कम से कम अपनी एजुकेशन तो कम्पलीट करें। उसके लिये भी अगर गवर्नमेंट कोई पालिसी बनाये या कोई उनको मोटीवेट किया जाए ताकि वे स्कूलों में कम से कम अपनी एजुकेशन तो पूरी कर सकें। हायर सेकेण्डरी तक तो शिक्षा उनको मिले और उसके लिये सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि जो परिवार वाले हैं, लड़कियों के जो परिजन हैं, वे आठवीं के बाद स्कूल भेजते नहीं हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे पहुंचेंगी कैसे? तो यातायात के लिये भी, अगर ट्रांसपोर्ट फैसेलिटी के बारे में भी सोचा जाए और उसको भी इम्प्रूव किया जाए तो ये भी मैं आपको सुझाव देना चाहूंगी।

दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जिस तरह से होती है

(राजकुमारी दियाकुमारी)

उसके बारे में भी एक नये तरीके से उसे देखा जाए। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई करायी जाती है। आजकल कई न्यू टीचिंग एड्स आ गये हैं, कम्प्यूटर एजुकेशन भी हो गयी है। अब आजकल ये व्हाइट बोर्डस हैं, स्मार्ट बोर्डस हैं अलग तरीके की आजकल पढ़ाई हो रही है। बहुत आजकल नये मैथड्स हो गये हैं एजुकेशन में तो ऐसी टैक्निक्स, ऐसे मैथड्स भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर अपनाये जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, मंत्रीजी। इसके अलावा, सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं थोड़ा ओवर आल डवलपमेंट बच्चों का उस पर भी ध्यान रखा जाए जैसे कि एक्स्ट्रा करीकूलम एक्टीविटीज हैं या स्पोर्टस हैं। स्पोर्टस में आप देखिये जितने भी वियालयों में मैं गई हूं उनके जो ग्राउंड्स हैं वहां तो कुछ भी नहीं हैं, पेड़ उग रहे हैं, बिलकुल इस तरह का बहुत ही बुरा हाल है तो उस पर भी अगर ध्यान दिया जाए और जैसा कि सवाई माधोपुर में हायर एजुकेशन के लिये अभी तक किसी ने भी सोचा नहीं तो उस पर भी अगर आप थोड़ा ध्यान दें और हमें भी कुछ अगर इस बार मिल जाए।

न तो हमारे यहां कोई यूनिवर्सिटी है न कोई इंजीनियरिग कालेज न कोई मेडिकल कालेज तो अब जैसी एग्रीकल्चर भी हमारी बहुत बड़ी इकोनोमी है वहां की, उसके लिये भी सोचा जाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई है तो हमारे लिये भी उसके बारे में सोचा जाए। हमारा जिला बहुत बड़ा है और एग्रीकल्चर वहां की मैन इन्कम भी है या फिर जैसे स्किल डवलपमेंट के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत घोषणा की है, यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की है तो उसमें भी अगर हमारे बारे में थोड़ा सोचा जाए क्योंकि हमारे एरिया में अनएम्प्लोयमेंट बहुत ज्यादा है तो स्किल डवलपमेंट का मतलब है कि जाब्स आसानी से मिल सके। क्योंकि ये वही चीज सिखाते हैं जिससे कि आपको नौकरी मिल सकती है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो आपको नौकरी ही नहीं दिला सके। अगर हमें भी स्किल्स डवलपमेंट जो यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है उसके बारे में भी मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को अनुरोध करना चाहूंगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन में आजकल हो रही हैं तो उन माडर्न मैथड्स को हम लोग अगर अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनायें किसी तरह से भी तो मैं उसके लिये आपकी बहुत आभारी रहूंगी और मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपको मैंने जैसे माडल स्कूल्स की जो घोषणा हुई है तो उस तरह के हमारे एरिया में भी अगर माडल स्कूल्स घोषित किये जाएं और उनको माडल स्कूल्स की तरह अगर बनाया जाए तो बहुत

(राजकुमारी दियाकुमारी)

अच्छा रहेगा। जब सरकार आपके द्वार आयी थी भरतपुर संभाग में जो मेरा संभाग है। वहां आप लोगों ने तो देखा ही था कि क्या हालत थी विद्यालयों की। हम चाहते हैं कि अब हमारी सरकार आयी है तो इस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा और ये जो पिछले इतने सालों तक ध्यान नहीं दिया गया है शिक्षा को बिलकुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है इस बार दिया जाएगा और आप इसके बारे में एक नयी सोच लेकर आएंगे और हमारी जो मुख्य मंत्री साहिबा हैं उनका तो वैसे ही विजन एजुकेशन के लिये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है तो जरूर-जरूर हमारे जो ये हालात बिगड़े हुए हैं इतने सालों से वे सुधरेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, वैसे तो हमारे शिक्षा मंत्रीजी ज्यादातर एक्स्ट्रा करीकूलम एक्टीविटीज में ही भाग लेते रहते हैं।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र कुमार।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के ऊपर बोलना चाहता हूं। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा का जीवन में बड़ा ही महत्व है। शिक्षा के बिना स्वयं का समाज का और देश का विकास असम्भव है। जहां तक सरकारी शिक्षा का, स्कूलों का सवाल है सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। अभी बहुत से सदस्यों ने बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में जाकर संख्या बहुत कम हो जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि जब तक हम प्रारम्भिक शिक्षा पर जोर नहीं देंगे तब तक उच्च शिक्षा भी अच्छी नहीं हो सकती। कोई भी चीज हो उसकी नींव जब तक मजबूत नहीं होती तब तक उस पर मंजिल अच्छी तरह से खड़ी नहीं हो सकती। नींव मजबूत होगी तो निश्चित रूप से उसकी मंजिल भी अच्छी तरह से हो सकती है। प्रारम्भिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाए। सरकार चाहे एकीकरण करे, चाहे किसी तरह का भी नियम लगाए लेकिन अभिभावक, गार्जियन या जनता यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई हो। जब तक पढ़ाई नहीं होगी जब तक जो विद्यार्थियों की संख्या है या स्कूलों का स्तर है वह किसी भी तरह से नहीं सुधर सकता। प्रारम्भिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। मैं छोटी-छोटी चीजों के बारे में बताऊं, छोटी-छोटी चीजें हैं वह भी सबसे ज्यादा बड़ी घर कर रही हैं शिक्षा का स्तर सुधारने में। सबसे पहले विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को गार्जियन तैयार करके

(श्री नरेन्द्र कुमार)

भेजते हैं, आजकल तो प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छे पानी की सुविधा है फिर भी बोतल लेकर जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पानी की टंकियां तक भी साफ नहीं होती हैं। स्कूल में जब विद्यार्थी ड्रैस पहनकर जाता है उसको जाते ही, प्राइमरी स्कूलों में तो झाड़ू निकालने के लिये लगा दिया जाता है, तो दूसरे दिन गार्जियन वहां किस तरह से भेजेंगे।

मेरा यह कहना है कि प्रारम्भिक शिक्षा में प्राइमरी स्कूलों में चपरासी सबसे पहले अनिवार्य है, वहां पर चपरासियों की भर्ती की जाए। पीटीआई की व्यवस्था है, यह सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में लगाए जाते हैं जबकि यह प्राइमरी स्कूलों में लगने चाहिए क्योंकि वह एक तरह से नींव है। बच्चा जब शुरू में खेलना शुरू करेगा तब ही बड़ी कक्षाओं में जाकर वह खेलेगा, हम बाद में उसको सुधारना चाहें तो किसी भी स्थिति में वह खिलाड़ी नहीं बन सकता। कहते हैं कि प्राइमरी शिक्षा में इसको पढ़ना नहीं आता, पहाड़ा नहीं आता, तो 8वीं के बाद पहाड़े और पढ़ना नहीं सीख सकता। पहले बीजेपी सरकार में वसुंधराजी मुख्य मंत्री थीं उस समय तो प्राइमरी में 5वीं, 8वीं में बोर्ड किया गया था। कांग्रेस सरकार आने के बाद 8वीं का बोर्ड भी हटा दिया और 5वीं का बोर्ड भी हटा दिया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 5वीं और 8वीं का बोर्ड वापिस किया जाए जिससे शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो। जब तक हम शिक्षा में सख्ती नहीं करेंगे, किसी भी चीज में हो, चाहे शिक्षा का विभाग हो, सबसे बड़ा विभाग है। शिक्षा का स्तर जब तक नहीं सुधरेगा, तो दूसरे विभाग हैं वे भी किसी भी दशा में नहीं सुधर सकते ।

कुछ बजट पर बोल रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि इतने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। पहले से निजी विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था है कि जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को भर्ती कराया जाता है उनकी दयनीय स्थिति है। सच तो यह कि विद्यार्थियों का प्रवेश हो गया, विद्यार्थी घर पर रहता है और उसका प्रवेश आवासीय विद्यालय में है। सरकारी आधे पैसे उस अभिभावक को दिए जाते हैं, आधे पैसे संस्था खुद रखती है क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जाता है उनका आवासीय विद्यालयों में मन नहीं लगता। उनका नाम हटाते नहीं हैं। उनको कह देते हैं कि आधे पैसे आप रख लो। उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। निजी विद्यालयों में इस तरह की आवासीय व्यवस्था कर रखी है उनमें यदि जांच करवाई जाए तो 50 प्रतिशत बच्चियों का प्रवेश सही

(श्री नरेन्द्र कुमार)

नहीं पाया जाएगा। घर जाकर आधी फीस अभिभावक को देते हैं, आधी फीस, अन्य विद्यालय कितने भी खोलें यदि उनका सख्ती से, अच्छी तरह से देखभाल नहीं होगी तो शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया जाए और अनुसूचित जाति, जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनको जो भी सुविधा दी जाए उनका निरीक्षण अच्छी तरह से हो जिससे वह आगे बढ़ सके।

जब बजट पास किया गया था उसमें 161 नम्बर पर कृषि विज्ञान विषय लेने वाली छात्राओं को कालेज स्तर पर 10 हजार से 12 हजार की छात्रवृति कर दी गई। मेरा यह कहना है कि कृषि विज्ञान पहले 11वीं और 12वीं से शुरू होता है। जब 11वीं, 12वीं में छात्रा प्रवेश लेगी तो ही वह कालेज में जाएगी। तो क्यों न 5 हजार की राशि 11वीं, 12वीं में छात्रवृति की दी जाती है, उनको 10 हजार भी दी जाती है, 10 हजार वाली 12 हजार कर दी तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि 5 हजार की कृषि विषय में छात्राओं को छात्रवृति दी जाती है वह भी बढ़ाई जाए । वह 11वीं, 12वीं में प्रवेश लेंगे तो ही कालेज स्तर पर बढ़ेंगे। केन्द्र सरकार ने अब तो कृषि विश्वविद्यालय भी दिया है। अपने जो कृषि महाविद्यालय चलते हैं उनमें भी छात्र और छात्राओं की संख्या पूरी नहीं होती है।

दूसरा, कृषि विषय में यह भी बताना चाहता हूं कि और अन्य विषयों में तीन आप्शनल चलते हैं जबकि 11वी, 12वीं कृषि विज्ञान विषय में 5 आप्शनल चलते हैं, तीन तो कृषि के और एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान। जब जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान विद्यार्थी को पढ़नी पड़ती है तो वह कृषि विज्ञान विषय में कम से कम जाना चाहते हैं, वह यह सोचते हैं कि मैथ्स या बायोलोजी ही ले लें। वह दोनों सब्जेक्ट उसमें से हटा कर कृषि के तीनों विषय हैं उनको और विस्तार से बढ़ा दिया जाए। दसूरा, कृषि विज्ञान विषय कम लेने का एक कारण और है कि बीएससी की, बीए, डिग्री तीन वर्ष से मिलती है और कृषि विज्ञान विषय की डिग्री चार साल से मिलती है, तो मेरा यह अनुरोध है कि तीन वर्ष में कृषि विज्ञान विषय में डिग्री मिलनी चाहिए जिससे कृषि की तरफ विद्यार्थियों का रूझान और ज्यादा बढ़ेगा।

मैं झुन्झुनूं जिले के मण्डावा विधान सभा क्षेत्र से हूं। राजस्थान में शिक्षा में, मिलिट्री में, सैनिक में, फौज में, सिपाही में, सबमें झुन्झुनूं जिला सबसे आगे है। उसमें मण्डावा विधान सभा क्षेत्र सबसे आगे है। जितने भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, मिलिट्री में सबसे

(श्री नरेन्द्र कुमार)

ज्यादा जवान, नर्सिंग में, चिकित्सा में देख लो, सबसे ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के मिलेंगे। जहां तक शिक्षा का सवाल है एक भी सरकारी कालेज अभी तक मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। पूरे देश में, पूरे राज्य में, मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में पूरे में लगभग कांग्रेस का राज रहा है। अब की बार हम विपक्ष में बने हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकारी विद्यालय मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में होना चाहिए, लड़कियों का भी अलग से होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा में सबसे आगे मण्डावा विधान सभा क्षेत्र है। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि कृषि मल्सीसर, अल्सीसर तहसील में 20 हजार से ऊपर जनसंख्या है और उसमें अभी तक एक भी बालिका विद्यालय नहीं है। 8वीं तक का भी नहीं है, सीनियर की तो बात अलग है। मल्सीसर के अन्दर भी सीनियर बालिका स्कूल होना चाहिए। झुन्झुनूं जिले में कम से कम 150 से ऊपर कालेज हैं, तो झुन्झुनूं जिले में विश्वविद्यालय की अलग से स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि एक विश्वविद्यालय के नीचे 100-150 कालेज ही होती हैं, तो उसमें और ज्यादा अच्छी तरह से विकास होगा। एक शेखावाटी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है झुन्झुनूं जिले में, स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की। तो स्पोर्टस यूनिवर्सिटी के लिये न तो बजट में कोई प्रावधान किया गया है, जमीन भी अलाट की हुई है, उसके अधिकारी भी लगाए हुए हैं जबकि आगे बजट में भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। एक हमारे पोलिटेक्नीकल कालेज झुन्झुनूं में बनी हुई बिल्डिंग पडी है, पूरा भवन बना हुआ है उसको जल्दी से जल्दी शीघ्रताशीघ्र शुरू करवाया जाए। आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता।

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का दिया। शिक्षा स्वयं और दुनिया के प्रति समझ में समृद्ध करती है। शिक्षा लोगों में उत्पादकता और रचनात्मक वृद्धि करती है। इसलिये कहा गया है कि Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शुरू में जब शिक्षा शुरू की शिक्षा का आधार था क्योंकि हम आज नहीं कह सकते कि जब से देश आजाद हुआ तब से शिक्षा है, शिक्षा तो जब से है तब से मनुष्य ने जन्म लिया। शिक्षा का आधार शिक्षित होना था। शिक्षित होना, गुणवान होना, दुनियादारी की जानकारी होना, इस प्रकार की शिक्षा थी लेकिन धीरे-धीरे यह रोजगारोन्मुखी होने लगी कि जो शिक्षित होगा उसको

(श्रीमती अनीता)

रोजगार मिलेगा, उसका अच्छा जीवन यापन होगा। उसी ओर आर्थिक रूप से सम्पन्न होने के लिये हम सबने स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाना शुरू किया और उसी प्रकार से हम पढ़ाई करते जा रहे हैं। सबको यह पता है कि मैं यह पढ़ लूंगा, मेरा बच्चा यह पढ़ लेगा, वह यह बन जाएगा, डाक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, इस प्रकार हमने शिक्षा के महत्व को सीधे नौकरियों से जोड़ दिया। सभापति महोदय, मेरा आपसे यह कहना था कि हमें, राजस्थान को विरासत में एक बहुत कमजोर शिक्षा प्रणाली व्यवस्था प्राप्त हुई है। हम शुरू से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, आज हमारे प्रदेश को आजाद हुए 66 साल हो गए, हमने सब जगह स्कूलों का भी निर्माण किया है। हम इस बात को नहीं

(18.00 बजे)

कह सकते कि शिक्षा में कोई स्कूल के निर्माण ही नहीं हुए, गांव-गांव स्कूल भी खुले हैं। लेकिन उन सबके बाद हमारे गांव के अन्दर पढ़ाई का वातावरण, लोगों में जो जागरुकता होनी चाहिए शिक्षा के प्रति, आज वह जागरुकता तो है, लेकिन उस जागरुकता के बावजूद गांव में, ग्रामीण लोगों में, जो उनको शिक्षा का सरकार के द्वारा फायदा मिलना चाहिए था, वह फायदा हमारे ग्रामीण लोगों को नहीं मिला। हमारे यहां पढ़ाई का वातावरण, जो सरकारी स्कूल हैं, उसमें एक अलग तरीके का वातावरण हो गया। आप शिक्षकों से पूछो कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो तो उनके सौ तरीके के बहाने वे लगा देते हैं कि हमको तो कलक्टर ने इस काम पर लगा रखा है, हमको एस.डी.एम. ने यह काम बता रखा है। सौ तरीके के कामों पर हमको लगा रखा है। एक टीचर तो हर स्कूल में ऐसा होता है, जिसको डाक की भांति कागज को इधर-उधर करना पड़ता है तो वह शिक्षा छोड़ कर उसी काम में लगा रहता है। जब आप बात करो शिक्षा की गुणवत्ता की, उनके स्कूल के रिजल्ट्स की तो वे इन सारे कारणों को गिना देते हैं।

मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि बहुत ज्यादा फर्क, मैं हमेशा से यह मानती हूं और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक लगे हैं, चाहे वे प्राइमरी के हों, मिडल के हों, सीनियर के हों, कालेज के हों, वह सारे मैरिट से जो अच्छे से अच्छा शिक्षक, अपनी क्लास में अपने स्कूल में टाप किया है, वह सारे अच्छे से अच्छे शिक्षक हमारे सरकारी स्कूलों में हैं। उसके बाद भी रिजल्ट की बात हम करते हैं तो वह न्यूनतम की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं। वह शिक्षक

(श्रीमती अनीता)

जो सरकारी स्कूलों में नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, जो सैकण्ड और थर्ड डिविजन से पास हुए होते हैं, वह लोग जब प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो वह रिजल्ट बहुत अच्छा देने लगते हैं। यह एक बहुत सोचने का विषय है कि एक टीचर जब सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो रिजल्ट नहीं दे पाता है और दूसरा टीचर, निजी स्कूल में पढ़ाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगता है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि वह व्यवस्था, सुविधाएं तो हम सब देंगे। अच्छी बिल्डिंग भी बना देंगे, सब चीजें दे देंगे, कम्प्यूटर भी दे देंगे। लेकिन जो हमारा अध्यापक वर्ग है, उसको बेहतर शिक्षा वह अपने बच्चों को डिलीवर करे, अच्छे से अच्छा पढ़ाए, उनको अच्छा शिक्षित करे, उसके लिये हम लोगों को बहुत सोचने का विषय आज हमारे सामने खड़ा है। मैरिट वाले टीचर अच्छा रिजल्ट नहीं देते। यह बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही बताऊंगी आपको कि इस वर्ष जो रिजल्ट आया, बहुत सारे सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स में जीरो रिजल्ट गया। जो हमारे नगर का मैन स्कूल है, उस स्कूल के अन्दर नौ प्रतिशत रिजल्ट गया। मैंने सारे टीचर्स को बुलाया। उन लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, उन सबसे बात की कि हमारे नगर का सबसे बड़ा स्कूल है। आस-पास सब ग्रामीण बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं। आपका रिजल्ट इतना कम क्यों है? तो उन्होंने सौ कारण वह दिखा दिये कि साहब, प्रिंसिपल नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है।

मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब लोगों को शिक्षा के प्रति राजनीति से ऊपर उठ कर एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। हर शिक्षक को जिम्म्मेदारी देनी पड़ेगी कि उसको उसके सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। तभी उसकी महत्वपूर्णता हमारे और आपके बीच में सामने आएगी। जैसे हम शिक्षा में ऊपर बढ़ते जाते हैं। टैक्नीकल विद्यालयों का, बहुत सारे इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज अभी सरकार ने खोले हैं। निश्चित रूप से उनसे अच्छा होगा। लेकिन एक चीज और आ गई कि जो इंजीनियरिंग विषय है बी.टेक. का वह इतने हमारे प्राइवेट कालेज हम लोगों ने खोले, उसमें इतने सारे बच्चों ने बी.टेक. कर लिया कि अब वह बेरोजगार इधर से उधर घूम रहे हैं। उन सबसे पूछो तो कहीं भी आप जाओगे तो एक-दो-तीन-चार आपको हर रोज बी.टेक. करने वाले व्यक्ति आपके सामने खड़े होंगे कि हमको कहीं न कहीं नौकरी पर लगा दीजिए। यह जो शिक्षा को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम टैक्निकल रूप से भी बढ़ा रहे हैं और वैसे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनको

(श्रीमती अनीता)

खपाने की, इनकी नौकरियों की व्यवस्था हमको आपको सबको करनी चाहिए कि हमारी शिक्षा, शुरू से माध्यमिक स्तर से उसको रोजगारोन्मुखी बनाना चाहिए। उसमें स्किल्स डवलप के लिए हमको उनको शुरू से ही लेकर जाना चाहिए ताकि वह अपने-अपने रोजगारों की तरफ अच्छे से आ सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि "An investment in knowledge base is the best interest. यह बेंजामिन फ्रेंकलिन ने कहा है कि हम शिक्षा में जितना भी बजट दें, वह कम है। क्योंकि जितना बजट हम देंगे वह हमारे आने वाले भविष्य को, हमारी आने वाली जनरेशन को जितना अच्छा शिक्षित करेगी, उतना अच्छा हमारा समाज भविष्य में होगा। इसलिये इसके बजट के लिये जो दिया है, वह अच्छा प्रावधान किया है। शिक्षा जिस पायदान पर खड़ी है, उसमें निश्चित रूप से हमको करनी चाहिए।

एक चीज और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि यह जो प्राथमिक विद्यालय का नामांकन है सरकारी विद्यालयों का वह दिन-पर-दिन गिरता जा रहा है। वहां जो बच्चे हैं गांव के, वह सरकारी स्कूलों में जाने से कतरा रहे हैं, कम जा रहे हैं। आप यह देखिये कि हम उनको फ्री डेस देते हैं, फ्री किताबें देते हैं, मिड-डे मील का भोजन भी देते हैं। उसके बावजूद हमारे वहां पर प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन पूरे प्रदेश में कम होता जा रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है कि हम जनता को देना चाहते हैं कि हम आपके लिये अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये हम सब लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं बनानी होंगी। जिससे शिक्षक वहां पढ़ाएं और बच्चे पढ़ें। एक अच्छा वातावरण स्कूल में बने। ताकि मां-बाप को, जो अभिभावक हैं, उनको सबसे ज्यादा चिंता होती है भविष्य की, उनको रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए। बड़ा होकर अच्छी नौकरी मिले, अच्छा-अच्छा कमाए। मुझे प्रतिष्ठा भी मिले, धन भी मिले और सब चीजें मिले। इसलिये उनका जो ध्यान है, वह निजी स्कूल की ओर बढ़ता जा रहा है।

इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिससे लोगों का, जो ग्रामीण हैं, जो गरीब हैं वह भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने में शरमाएं नहीं। उनको यह नहीं महसूस हो कि मेरा बच्चा सरकारी में पढ़ता है और दूसरा बड़े गर्व से कहता है मेरा बच्चा

(श्रीमती अनीता)

तो उसमें पढ़ता है निजी विद्यालय में, बड़े-बड़े विद्यालयों का नाम लेता है। तो उसको लगता है कि इसका बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। मेरा ही सरकारी में पढ़ रहा है। तो वह भी ब्याज पर पैसा लेगा, किसी से उधार लेगा लेकिन अपने बच्चे को उसी परिपाटी पर डालना शुरू कर देता है। इसलिये हमको चाहिए कि हम अपने शुरू के, क्योंकि सबसे प्राथमिक जो विद्यालय हैं, सबसे पहले उन्हीं पर ध्यान दें ताकि वहां से निकलने वाली बात रहे। एक बच्चा जो शिक्षित नहीं होता वह उस तरीके से होता है, जैसे कोई पंछी हो जिसके पंख नहीं हो। हमारा शिक्षा का काम है कि उस बच्चे को हम ऐसे पंख दें कि वह पूरी दुनिया को समझ सके, देख सके, उनकी व्यवस्थाओं को जान सके। इस प्रकार से करें। सरकारी स्कूलों की जो प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, वह मेरे लिए चिंता का विषय है। मंत्रीजी उसमें ध्यान करेंगे। अभी ग्लोबल सर्वे भी हुआ है कई देशों का। उसमें 74 देशों का सर्वे किया और उस सर्वे के अन्दर हमारे हिन्दुस्तान का नम्बर ही 73वां आया। आप यह बताइये कि हमारे राजस्थान का नम्बर उसमें कहां जाएगा। अपने जो स्कूल्स हैं और उनका जो पढ़ाई का तरीका है उस तरीके के अन्दर हमको बदलाव लाने की बहुत जरुरत है। उनमें हम बदलाव लाएंगे तभी होगा।

आज हमारा विद्यार्थी को परखने का जो मीटर है वह यह परखते हैं कि इसके बोर्ड में कितने परसेंटेज आफ मार्क्स आये। या फिर उनको जो याद कराने का हमारा तरीका है, वह हम यह कहते हैं कि अपनी याददाशत करे, बार-बार रटे और रट-रट कर जिन चीजों को याद करे वह अच्छे से एक्जाम में लिख कर आये। अगर उसकी रटन्त विद्या अच्छी है और एक्जाम में अच्छा देकर आता है, अच्छा परसेंटेज लाता है तो हम कहते हैं कि यह बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। इन चीजों में भी बदलाव की आवश्यकता है। हमको प्रैक्टिकल उस शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए कि प्रैक्टिकल रूप से हम चलेंगे तो अच्छे से हम उसका कर पाएंगे कि अच्छे से रहेगा। क्योंकि हमारा जो देश है, उस देश में युवा 50 प्रतिशत से ज्यादा हैं तो आज प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके आधार पर भी आप जनसंख्यावार देखेंगे तो हमारा प्रदेश भी एक युवा प्रदेश है। इसमें भी 50 प्रतिशत से ज्यादा हमारे युवा लोग हैं। उनकी पोटेंशियल को निखारने के लिये, उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिये, सरकार को पहल करनी चाहिए कि प्रैक्टिकल नालेज पर ज्यादा फोकस करे और एजुकेशन सिर्फ एक सीमित किताबों तक नहीं रहें, उसके अलावा भी और बढ़े।

(श्रीमती अनीता)

क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सब एक्टिविटीज में जो है उन बातों में हो जाएगी कि यह स्पोर्टस में भी अच्छा है, यह संगीत में भी अच्छा है, यह कला में भी अच्छा है। उसमें जो भी प्रतिभा हो, उस प्रतिभा को निखारने के लिये हमको माध्यमिक विद्यालयों से ही आगे देना चाहिए। हमको फोकस करना चाहिए क्वालिटी पर, अफोर्डेबिलिटी पर और असेसरिलिटी पर, और इन सब स्किल्स को एजुकेशन से हमको माध्यमिक स्तर से ही जोड़ना चाहिए। जिससे हम ज्यादा से ज्यादा आगे कर सकें।

क्योंकि हम एक महिला हैं। निश्चित रूप से हम यह समझते हैं कि महिला शिक्षा हमारे प्रदेश के लिये कितना महत्व रखती है। इस महत्व को हम कहीं पीछे नहीं रख सकते। जैसा कि एक कहावत है कि एक पुरुष को अगर आप शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष शिक्षित होता है, और एक स्त्री को आप शिक्षित करते हैं तो एक पूरी पीढ़ी आपकी शिक्षित होती है। इसलिये महिलाओं के लिये, लड़कियों के लिये, शिक्षा के लिये हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और महिला शिक्षा के लिये हम सबको यह करना चाहिए कि हमारी बच्चियां जो प्राथमिक पढ़ती हैं तो वह शिक्षा गांव में ही हो जाती है लेकिन अगर उनको माध्यमिक के लिये, सीनियर के लिये, कालेज के लिये अगर बाहर जाना है तो उनकी एक सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए।

जैसा कि अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बाउचर्स का किया है कि ट्रांसपोर्ट के बाउचर्स मिलेंगे। लड़कियों को साइकिलें मिलेगी। बहुत सारी योजनाओं के अन्दर पढ़ने वाले बच्चों को स्कूटी भी मिल रही है तो एक सुरक्षा का वातावरण हो जिससे वह दूर जाकर भी अपनी पढ़ाई को करके सुरक्षित वापस आ जाए जिससे मां-बाप यह महसूस करें कि हमारी बच्ची जो पढ़ने जाएगी तो उनको कोई फिक्र नहीं होगी क्योंकि जिस प्रकार से वातावरण, शिक्षित होने में जितनी गुणवत्ता होनी चाहिए, जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे और कहीं ढर्रे पर जा रहा है तो मां-बाप सबको चिंता रहती है। वह चिंता हम यह समझते हैं कि हम अपनी बच्ची को भेज तो दें लेकिन सुरक्षित वापस आए इसकी भी व्यवस्था उन बच्चियों की सरकार की तरफ से होनी चाहिए।

यह जो कस्तूरबा छात्रावास बनाये हैं, बच्चियों के लिये यह बहुत अच्छी पहल है। जो ड्राप आउट बच्चियां हैं उनको भी इसमें सलेक्ट करते हैं और यह पंचायतवाइज है। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि यह जो कस्तूरबा विद्यालय है इसको हर ग्राम पंचायत में एक बनायें। अगर इतनी

(श्रीमती अनीता)

व्यवस्था नहीं है तो कम से कम तीन ग्राम पंचायत करके एक कस्तूरबा गांधी हास्टल बने जिसमें वहां की बच्चियों को पढ़ने के लिये अच्छी सुविधा मिल जाए। जिस स्कूल में क्योंकि को-एड में भी बच्चियां पढ़ती हैं और बहुत सारी लड़कियों के लिये भी विद्यालय खुले हैं उनकी व्यवस्था भी हमको यह देखनी चाहिए कि वहां पर जो शौचालय हैं, उनकी व्यवस्था पूरी हो। शौचालय में पानी की व्यवस्था हो। वहां पर सफाई की भी व्यवस्था हो। मैं बहुत सारे गांवों में जब दौरे पर जाती हूं और जब लड़कियों की स्कूल्स को देखती हूं तो वहां पर जो शौचालय हैं, उसकी स्थिति बहुत खराब है। वहां पर साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं होता और बिना साफ-सफाई की वजह से छह महीने, आठ महीने साल भर के अन्दर वह डम्प हो जाते हैं। उन शौचालयों का कोई भी उपयोग नहीं करता है।

मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको विद्यालयों में शौचालयों के लिये एक व्यक्ति निश्चित रूप से वहां पर रखना चाहिए जो स्कूल की भी सफाई करे और उन शौचालयों का ध्यान भी रखे। उनकी भी साफ-सफाई समय-समय पर होती रहे जिससे बच्चियों को कोई परेशानी नहीं हो।

एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने खड़ी है कि हमने इन 66 सालों में स्कूल्स तो बहुत खोले। मुझे खूब ध्यान है 2003 और 2008 में। मैं उस समय विधायक नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत सारे सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स सरकार ने हमारी अनुशंसा पर खोले थे। वह डेढ़-दो साल वह गये और पांच साल पूरे यह कांग्रेस का राज गया। कोई सीनियर सैकण्डरी स्कूल में आज तक एक भी विषय का अध्यापक नहीं लगा और जब विषय के अध्यापक नहीं हैं तो उन सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स में पढ़ाई की क्या अपेक्षा करेंगे? क्या पढ़ाई होगी? फिर उन लोगों को लगता है कि साहब, अगर कोई अपनी बच्ची को मैथ्स पढ़ाना चाहता है, साइंस पढ़ाना चाहता है और उस फैकल्टी का अगर उसको टीचर नहीं मिलता है तो हमारे नगर के पास अलवर पड़ता है, फिर वह अलवर भागने की कोशिश करता है और फिर वही कर्ज और वही निजी विद्यालय और उनमें उसको जाकर जूझना पड़ता है। जब हमने स्कूल खोले हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनायी है तो निश्चित रूप से विषय के अध्यापक हमको वहां पर मिलने चाहिए जिससे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले क्योंकि हम मेवात एरिए से आते हैं तो मेवात एरिया में सरकारी स्कूलों के साथ-साथ मदरसों का प्रचलन और है। जहां पर हमारे मेव समाज के बच्चे पढ़ते हैं। वहां की कोई मानीटरिंग नहीं है। हम मदरसों को निश्चित रूप से हर साल कम्प्यूटर

(श्रीमती अनीता)

और बहुत सारी एड देते रहते हैं। बहुत सारी एड देते हैं लेकिन वहां पर वे क्या पढ़ा रहे हैं यह न हमको पता है और न आपको पता है। वह जो ज्ञान हमको राजस्थान गवर्नमेंट के स्कूलों में मिलता है वह सब्जैक्ट्स, वह हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान वह सारे सब्जेक्ट वहां पर भी पढ़ाये जाएं। ऐसी व्यवस्था भी सरकार को मदरसों में करनी चाहिए ताकि वहां के भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी दर्जा तो हम दे देते हैं दसवीं का, बारहवीं का लेकिन उनको भी पढ़ाई का ज्ञान हो और जिस व्यसन में वे फंसे हुए हैं उनसे वह जीत कर निकले।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी शिक्षकों की कमी के बारे में कह रही थी। मुझे निश्चित पता है कि मंत्रीजी एकीकरण भी कर रहे हैं, समानीकरण भी कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं अध्यापकों का बहुत बड़ा सैटलमेंट भी होगा। कुछ ही स्कूल बचेंगे, कुछ ही जगह बचेगी जहां पर नहीं हो लेकिन इसका एक समय भी तय होना चाहिए कि जब हमारे स्कूल खुल गये जुलाई के अन्दर और हम समानीकरण और एकीकरण करेंगे अक्टूबर और नवम्बर तक जाकर तो यह जो तीन-चार महीने हैं, इन महीनों की जो पढ़ाई है, जो हमारा स्कोर है, जो हमको गोल करना था कि इतने महीने में हम यह पढ़ाई कर लेंगे, वह पढ़ाई भी बहुत ज्यादा, उसमें परेशानी होती है बच्चों को भी और उनके अभिभावकों को भी कि उसमें कैसे करके वे करेंगे?

एक चीज और कहना चाहती हूं कि जो स्कूल्स हैं उनमें पुस्तकालय की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने निश्चित रूप से स्कूलों में पुस्तकालय की बात कर रखी है, कालेजेज की भी कर रखी है लेकिन अगर फिजिकली तौर पर आप वहां पर जाएंगे तो पुस्तकें या तो कोई आधी जमाने की वहां पर पड़ी होंगी पुस्तकालय में, कोई नया उसमें एडिशन नहीं करते हैं। कोई नये तरीके की किताबें जो आज के युग की हैं उनको खरीदते नहीं हैं। वह एक पारम्परिक ढर्रा चला आ रहा है कि पुस्तकालय है लेकिन उस पुस्तकालय का यूज बच्चे ले सकें, आज के समय में ऐसी पुस्तकें वहां पर नहीं है इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि आप पुस्तकालय हमारे जो बने हुए हैं उनको और बढ़ाएं भी और जो पुस्तकालय हैं उनमें अच्छी पुस्तकों की व्यवस्था हो। इसके लिये भी आपकी ओर से विशेष फंडिंग होनी चाहिए क्योंकि नियम तो बहुत हैं लेकिन वे कितने पुस्तकालय को समृद्ध करते हैं, कितनी किताबों को वहां पर रखते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।

(श्रीमती अनीता)

मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि शिक्षा के विषय में हम बात कर रहे हैं और शिक्षा में हम सब चीजों को जान रहे हैं कि मेडिकल की भी है, इंजीनियरिंग की भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं के अलावा एक संस्कृत भाषा भी है जिस भाषा को हम मानते हैं कि वह देव-वाणी है और देवताओं की भाषा के रूप में जानी जाती है। यह केवल भारतीय संस्कृति का पोषक ही नहीं है बल्कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विश्व की प्राचीनतम भाषा है। शब्द गठन की इसमें अद्‌भुत क्षमता है, यह वैज्ञानिक भाषा है। ऐसा इसके बारे में जो पढ़ा और समझा जाता है, यह संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। इसके जो स्कूल्स हैं उनमें सब टीचर्स होने चाहिए क्योंकि इनको हमने ऐसे पटक रखा है बिलकुल अलग। संस्कृत भाषा में लोगों के मन में यह आ गयी कि संस्कृत भाषा में तो नौकरियां नहीं मिलेंगी, इसमें तो यह नहीं होगा या है तो लिमिटेशन है, इसकी रोजगार की लिमिटेशन है। इसमें इसको करके हमको संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। यह हमारे यहां की प्राचीनतम भाषा है।

इसके साथ-साथ, मैं मंत्रीजी को यह याद दिलाना चाहती हूं कि जब 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में आप आये थे तो आप मेरे साथ कई ग्राम पंचायतों में गये। उसमें एक खोह ग्राम पंचायत में गये थे। उन्होंने सीनियर सैकण्डरी की मांग आपसे की थी। आप हां भी करके आये थे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती थी कि उसमें आप सीनियर सैकण्डरी, आप स्वयं मंत्री हैं और आपने अभी घोषणा भी की है कि पंचायतों में एक-एक सीनियर सैकण्डरी होगा। उस पंचायत में कहीं भी कोई सीनियर सैकण्डरी नहीं है और बहुत टाइम से, कम से कम 25-30 साल पहले से वहां पर माध्यमिक हुआ है, वह नहीं हो पाया तो वहां पर भी सीनियर सैकण्डरी खुले।

एक चीज और, पढ़ाई के लिये हम बात कर रहे हैं। हम उन बच्चों की भी बात करें जो मूक और बधिर हैं। उन बच्चों की शिक्षा के प्रति भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उसके भी सैकण्ड और थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स हैं जो अभी खुले हुए हैं, उनमें नहीं है। उनके लिये भी स्पेशलाइजेशन हमको जरूर करना चाहिए कि वहां पर अच्छे से वे स्कूल में चले जाएं, उनकी पढ़ाई ठीक हो जाए और भी उनको जो जरूरत है, वह पूरी हो जाए।

मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी मैं समझती हूं कि बहुत प्रभावशाली हैं और इनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश की शिक्षा बहुत ऊंची बढ़ेगी, मैं ऐसी आशा करती हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति पर आज सदन में वर्ष 2014-15 के बजट पर बहस हो रही है। 2014-15 के बजट में, माननीय सभापति महोदय, करीब तीन हजार करोड़ रुपये का विनियोजन पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार द्वारा अधिक किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, तीन हजार करोड़ का, इस भारी राशि का विनियोजन शिक्षा, कला और संस्कृति में करने के लिये यह सरकार, इसके मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्रीजी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।

विनियोजन, मैं जो अर्ज कर रहा हूं तीन हजार करोड़, उसमें आयोजना भिन्न में आपका विनियोजन 1370 करोड़ अधिक है और आयोजना में आपका विनियोजन 1694 करोड़ अधिक है। मैं लाख और हजार की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि यह दोनों आकड़े मिलकर तीन हजार करोड़ से ऊपर हो जाते हैं।

शिक्षा मंत्रीजी, यह ठीक है कि हम से पहले पिछले पांच साल में कांग्रेस की सरकार रही और जो स्थिति शिक्षा में आज हम देख रहे हैं उसका बहुत कुछ जिम्मा, रिक्तियों का जिम्मा, सरकारी स्कूलों में अध्यापक न होना, प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक न होना, उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक न होना निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है ही लेकिन शिक्षा मंत्रीजी, अब हम उनकी जिम्मेदारियों को बताकर कब तक काम चला सकते हैं?

मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात और उसमें जो आंकड़ा आपने विधान सभा प्रश्न में मुझे दिया है, मैं उसी के आधार पर आपको निवेदन करता हूं कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं मेरे क्षेत्र में, शिक्षा मंत्रीजी, 343 की लिस्ट आपने दी है और उन 343 में जो 675 स्वीकृत पद प्राथमिक विद्यालय में हैं, उनमें 201 पद खाली हैं। 625 में से 200 पद खाली होना अब आप स्वयं ही अंदाज लगायें, मुझे उसके ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थिति यह है माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैंने एक-एक स्कूल का विश्लेषण किया है और उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 19 स्कूल ऐसे हैं जिनमें जितने पद हैं, वह पूरे के पूरे ही रिक्त हैं। 19 स्कूलों में सारे पद रिक्त हैं और उनमें पद तो शिक्षा मंत्रीजी एक-एक ही है। प्राथमिक विद्यालय में, एक पद है और वह रिक्त है। अब उन 19 स्कूलों का क्या हाल होगा, वह आप देख सकते हैं। और 13 स्कूल ऐसे हैं शिक्षा मंत्रीजी, जिनमें नये विद्यालयों की घोषणा की गयी है, और उनमें अभी तक कोई पद सृजित ही नहीं हुआ है तो 19 और 13, 32, विद्यालय 343 और 33 विद्यालय ऐसे हैं कि जिनमें कोई

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अध्यापक नहीं है। कुल मिला कर जहां अध्यापक नहीं हैं दूरदराज के स्कूल हैं, तो कुल-मिला कर वह बंद है। उनमें कोई छात्र पढ़ते नहीं हैं और छात्र हैं भी तो वह स्कूल जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला कोई है नहीं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं स्थितियां सिर्फ इतनी ही खराब नहीं है, एक स्कूल है जहां चार पद हैं शिक्षा मंत्रीजी, कहीं दो पद हैं तो दो के दो रिक्त हैं, चार के चार रिक्त हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर ये जो रिक्तियों का बड़ा भारी बोझ इस सरकार पर है, क्रमबद्ध तरीके से 2014-15 का समय आपको है, कि आप 2014-15 में इन रिक्तियों को पूरा करें। मेरे विधान सभा प्रश्न में आपने कहा राजस्थान में हैड मास्टर से लगाकर और चपरासी तक के, विभिन्न वर्गों के, अध्यापक भी उसमें है, उसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक भी हैं, कोई द्वितीय श्रेणी अध्यापक भी हैं, 70 हजार पद रिक्त हैं। आपको कोई रोड मैप बनाना होगा। यहां पंचायत राज मंत्रीजी विराज रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर 2015-16 तक, 2014-15 का साल है हमारे पास में, ठीक है सरकार बहुत व्यस्त थी पहले तो विधान सभा चुनाव के बाद आए, और फिर लोक सभा चुनावों में भी व्यस्तता रही अप्रैल-मई में, पर अब व्यस्तताओं के बीच में, चाहे आप उदयपुर संभाग का दौरा करें, चाहे आप अजमेर संभाग का दौरा करें, पर यह रोड मैप 70 हजार रिक्तियों का आपको बनाना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि 2015-16 तक तो लोग इन्तजार करेंगे और मैं भी इन्तजार ही कर रहा हूं, पर 2015-16 के बाद शायद कहने लगेंगे इस सरकार ने दो साल में भी कुछ 70 हजार में से 50 हजार पद नहीं भरे, तो निश्चित रूप से सरकार के पदों को भरने की जो गति है, और जो गतिशीलता होनी चाहिये, उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, राजस्थान में आप एकीकरण करें, समानीकरण करें। जिन स्कूलों में विद्यार्थी नहीं हैं, उनको तोड़ें और पदों के लिये भी समानीकरण करें। यह सब स्वागत योग्य कदम हैं। पर शिक्षा मंत्रीजी जहां बालिकाओं के लिये स्कूल अलग हैं, यह आपको ध्यान में लाना होगा कि बालिकाओं के स्कूलों को मर्ज करना, महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा के हित में नहीं होगा। बालिकाओं की जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों को मर्ज करने की बात सरकार न सोचे, ऐसा मेरा निवेदन है।

शिक्षा मंत्रीजी, कुछ मेरे जिले और संभाग की बात आपसे निवेदन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

करना चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा के मामले में सरकार ने बहुत शानदार कदम उठाये हैं। जो आयोजना व्यय 2012-13 में मात्र 14 करोड़ पिछली कांग्रेस सरकार का था और 2013-14 में मात्र 25 करोड़ था, आपने उस व्यय को इस वर्ष 46 करोड़ 49 लाख रुपये तक बढ़ाने का दिग्दर्शन बजट में किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने अभी यह जो प्रावधान बनाये हैं, आपने अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये राशियां दी हैं और इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर, जिसको शोर्ट में ई.सी.बी. कहते हैं और कालेज फार इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, यह दोनों ही जो सरकारी कालेज हैं, उनमें एक करोड़ 20 लाख रुपये परिसम्पत्तियां निर्माण करने के लिए आपने जो अनुदान दिया है, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, आपने भरतपुर के अभियांत्रिकी महाविद्यालय को एक करोड़ 20 लाख का पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए अनुदान दिया है, और महिला अभियांत्रिकी कालेज अजमेर को भी 2 करोड़ 30 लाख का अनुदान दिया है। अभियांत्रिकी कालेज झालावाड़ को आपने एक करोड़ 63 लाख का अनुदान दिया है। यह अनुदान अभियांत्रिकी राजकीय महाविद्यालयों को निश्चित रूप से हमारी तकनीकी शिक्षा के आधारों को बहुत मजबूत करेगा और इसकी गुणवत्ता में भी इन सारी सम्पत्तियों के निर्माण से, जिनमें मशीनरी भी शामिल है और लेबोरेट्री भी शामिल है, उन सबके सशक्तिकरण से निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा का आधार बहुत बढ़ेगा।

राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में माननीय, 12 महाविद्यालय तो सरकारी हैं, 119 महाविद्यालय निजी क्षेत्र में हैं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.बी.ए., उसमें भी 11 राजकीय महाविद्यालय हैं और 84 निजी क्षेत्र के हैं और स्नातकोत्तर जो एम.सी.ए. का पाठ्यक्रम है, उसमें 6 महाविद्यालय राजकीय और 40 विद्यालय निजी क्षेत्र में हैं और इन सबकी संख्या, माननीय सभापति महोदय, 272 होती है। 139 तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय, एम.बी.ए. के 95 महाविद्यालय, एम.सी.ए. के लिए 46 संस्थान, कुल मिला कर 272 संस्थान हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय निर्माण का जो प्रश्न है आपके सामने और आपके सामने ही नहीं, आपकी सब-कमेटी या कैबिनेट के सामने है, मैं निवेदन करना चाहता हूं यू.जी.सी. के नोर्म्स आपके ध्यान में हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एक मात्र ऐसा संगठन है जिससे यह सारे अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, एम.सी.ए, एम.बी.ए., सब महाविद्यालय उनसे सम्बद्ध हैं और यू.जी.सी. के नोर्म्स यह हैं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि 100 महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय के पास होना काफी है। आज 272 महाविद्यालय हैं, शिक्षा मंत्रीजी, मेरी समझ में नहीं आता कि इस बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ....(व्यवधान) कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। नहीं, कुछ टोकना चाहते हैं तो टोकें, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, आपके समझ में नहीं आया तो कालीचरणजी के समझ में कैसे आएगा?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं अर्ज करना चाहता हूं आपकी जो कैबिनेट कमेटी बनी हुई है और माननीय, जब तकनीकी विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा के आधारों को व्यापक करना है। बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय यदि बनता है, शिक्षा मंत्रीजी, सिरेमिक के क्षेत्र में जो हमारे सैकड़ों उद्योग हैं बीकानेर में, उन सिरेमिक के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिये सिरेमिक की पढ़ाई और सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिये सोलर एनर्जी की विशेष पढ़ाई और पैट्रोलियम सब्जैक्ट, रिफाइनरी आप बना रहे हैं।

40 हजार तकनीकी लोग उस रिफाइनरी के लिये, उसको चलाने के लिये चाहिए। अकेला कोटा विश्वविद्यालय उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। हम यह कर रहे हैं जबकि अन्य प्रांतों में, शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको लिस्ट दूंगा, कौनसा ऐसा प्रांत है, गुजरात में 10 हैं, मध्य प्रदेश में 9 हैं, कर्नाटक में 7-8 हैं, आन्ध्र प्रदेश में 7-8 तकनीकी विश्वविद्यालय हैं तो यह तकनीकी विश्वविद्यालय सिर्फ एक कोटा में ही हम केन्द्रित कर दें, यह उचित नहीं होगा। यह शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आखिर बीकानेर का लड़का, जैसलमेर का लड़का, बाड़मेर का लड़का 700-800 किलोमीटर कोटा पढ़ने के लिये कोटा जाता है, कितने मां-बाप ऐसे हैं जो 700-800 किलोमीटर दूर भेज कर उसको शिक्षा दिलाने में समर्थ हो सकते हैं?

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सिरेमिक उद्योग की दृष्टि से, सोलर एनर्जी की दृष्टि से, पैट्रोलियम के प्रशिक्षण की दृष्टि से वहां भी सब्जैक्ट खुलवाएं और खुला हुआ भी है पैट्रोलियम का सब्जैक्ट कोटा विश्वविद्यालय में और यह सब्जैक्ट्स खोल कर और दोनों महाविद्यालय जो हमारे हैं उनको उसका संघटक कालेज ही तो घोषित करना है, शिक्षा मंत्रीजी। 6 हजार विद्यार्थी बीकानेर में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में हैं, 30 करोड़ की रेवेन्यू, यह सीधे राजकीय नहीं है यह स्ववित्त पोषित हैं, 30 करोड़ की रेवेन्यू उनको हो रही है, 25 करोड़ रुपये का खर्चा दोनों अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के शैक्षणिक और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अशैक्षणिक कर्मचारियों का है, पांच करोड़ की फिर भी बचत है लेकिन तकनीकी विश्वविद्यालय के और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के ढांचे को मजबूत करने के लिये रुपये का नियोजन इतना तो उसमें निरन्तर होता ही रहता है। जब आपका बजट एक लाख 6 हजार करोड़ का है और आपका स्वयं का बजट एक खरब 43 अरब 27 करोड़ रुपये का है, मैं नहीं समझता ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कालीचरणजी खरबपति हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, साहब, खरबपति क्या 14 हजार 327 करोड़ हो गये। कहां दस करोड़ रुपये की आवश्यकता है तकनीकी विश्वविद्यालय की बिल्डिंग के लिये।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जैसे ही तकनीकी विश्वविद्यालय बनता है यू.जी.सी. ही बीस करोड़ रुपया प्रति वर्ष उसको देगा और यदि आप किसी प्रमाण के इन्तजार में हैं तो, शिक्षा मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह कमेटी के पास है शिक्षा मंत्रीजी के पास नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं नहीं, कमेटी आफ मिनिस्टर्स के पास है, साहब, मैं मंत्रिमण्डलीय कमेटी ही कह रहा हूं, मंत्रिमण्डलीय उप समिति ही कह रहा हूं।

मैं निवेदन करता हूं कि वेटेरिनरी विश्वविद्यालय, जो 2010-11 में स्थापित हुआ, वह स्थापित तो इसलिए हुआ था कि बीकानेर को सैंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस सरकार को देनी नहीं थी और हमारे आंसू पौंछने थे, चूंकि वेटेरिनरी कालेज का सारा इन्फ्रास्ट्रैक्चर इतना बड़ा था और इतना मजबूत था कि उन्होंने दस करोड़ रुपये की प्रथम किश्त के द्वारा 2010-11 में वेटेरिनरी विश्वविद्यालय को दस करोड़ रुपये दिये और, शिक्षा मंत्रीजी, उसके बाद 2011-12 में 25 करोड़ दिये, 2012-13 में उसी विश्वविद्यालय को 36 करोड़ दिये, 2013-14 में उन्होंने 46 करोड़ दिये और आपने इस बजट में उनको 53 करोड़ रुपये देने की बात लिखी है, अंकित की है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप यह देखें कि 2010-11 में बनने के बाद 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आर.के.वी.वाई. से उनको साढ़े 17 करोड़ रुपये मिले और इस वर्ष 2014-15 में उनको 53 करोड़ रुपये मिलने हैं।

कल माननीय कृषि मंत्रीजी का भाषण था, उन्होंने 11 करोड़ रुपये तो कोडमदेसर में हमारी राठी, थारपारकर, कांकरेज और अन्य जितनी देसी गायें हैं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उनके प्रजनन व उन्नयन करने के लिये 11 करोड़ की ग्रांट दी है और सिर्फ 11 करोड़ तो एक मद में दिये हैं, कुल मिला कर 23 करोड़ की ग्रांट विश्वविद्यालय को दी है ताकि अनेक गतिविधियों को राजस्थान में चला सकें।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 40 परसेंट मेरे वेटेरिनरी विश्वविद्यालय का खर्चा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आई.सी.ए.आर. से आ रहा है इस वर्ष 2013-14 में ...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, यह आपके डोमेन में आती है क्या वेटेरिनरी कालेजेज एण्ड दिस? आपके डोमेन में है, मंत्री महोदय, यह? मेरे ख्याल से यह शिक्षा मंत्री के डोमेन में नहीं है, जहां तक मेरी जनरल नालेज है, यह एग्रीकल्चरल के उसमें है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यह एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापतिजी, मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि चाहे तकनीकी विश्वविद्यालय हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो और चाहे वेटेरिनरी विश्वविद्यालय हो।

श्री सभापति: आप नोट कर लें, बिकाज हो सकता है कल आप नहीं बोल पाएं तो वेटेरिनरी कालेज की जो भी जानकारी वे आपको दे रहे हैं, आप नोट कर के और सम्बन्धित मंत्रीजी को इस बारे में जानकारी प्रदान करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने तो नोट करना सीखा ही नहीं है। केवल नोट गिनना सीखा है। यह बणिये के बेटे हैं, आप इनको कहां नोट करा रहे हो?

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य महोदय, हो सकता है कि उनकी स्मरण शक्ति इतनी ज्यादा तेज हो कि वे सारी चीज स्मरण ही कर पायें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): जो बात यहां कही जा रही है, सब का एक-एक का जवाब दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मुझे तो जवाब नहीं चाहिए मुझे तो तकनीकी विश्वविद्यालय में आपकी हां चाहिए। मुझे जवाब नहीं चाहिए। जवाब तो देने वाले विपक्ष में बैठ गये न। उन्होंने पांच साल जवाब ही दिया और किया ही क्या?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

और इस वर्ष वेटेरिनरी विश्वविद्यालय का 50 प्रतिशत बजट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आई.सी.ए.आर. से आएगा। उक्त विश्वविद्यालय ने प्रमुख शासन सचिव को लिख कर दिया है कि 20-21 पर मेरे पर पेंशन का भार 15 करोड़ है जिसमें से एक पाई राजस्थान सरकार को देने की जरूरत नहीं है, मेरी विश्वविद्यालय की आमदनी से मैं उस 15 करोड़ की पेंशन को चुकाऊंगा।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, तकनीकी विश्वविद्यालय भी आप खोलेंगे तो पेंशन का वज़न आप पर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सारे कर्मचारी, सारे प्रोफेसर वगैरह जो भी अभी तक रिक्रूटेड हैं अभियांत्रिकी महाविद्यालय में वे 2004 के बाद के हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि न तो पेंशन का भार पड़ना है, भारत सरकार अगले वर्ष से ही 20 करोड़ रुपया देने लगेगी और आप भी तकनीकी ज्ञान के बढ़ावे की दृष्टि से, अभी तो हम मनुहार कर रहे हैं, उसके बाद तो अपने आप स्व-प्रेरणा से सरकार उनको रुपये ग्रांट के बजट में देगी। मैंने वेटेरिनरी विश्वविद्यालय का उदाहरण इसी दृष्टि से दिया कि, साहब, वह तो एक बार शुरू करने की जरूरत है और उसके बाद तो रुपया आप अपने आप उनकी गतिविधियों को देख कर तकनीकी ज्ञान का जो प्रसार होगा उसको ध्यान में रखते हुए देंगे।

शिक्षा मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट तो फरवरी में आ गया था और यह आर्डिनेंस लैप्स हुआ है यह तो मार्च में हुआ है और आपके बजट में पेज 99 पर खण्ड 2 द के पेज 99 पर आपने खुद ने 07 हैडिंग में इसके संवेतन के लिये और इसके गैर-संवेतन के लिए, वेतन के लिए 50 लाख गैर-संवेतन के लिए 10 लाख और उसके भवन बनने के लिये करीब दो करोड़ 45 लाख का प्रावधान आपने बजट में कर रखा है। जब आपने प्रावधान ही कर रखा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रावधान को लैप्स क्यों करवाएं? रुपया उपलब्ध है, सरकार की नीयत फरवरी तक इस विश्वविद्यालय को बनाने की थी इसीलिये आपने प्रावधान किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सिर्फ इस कारण से कि इस विश्वविद्यालय पर कांग्रेस सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी कर दिया, शिक्षा मंत्रीजी, आप ध्यान करें यह आर्डिनेंस तो 21 सितम्बर को किया, घोषणा तो फरवरी में कर दी थी पूर्व मुख्य मंत्री ने और जान-बूझकर ही तो 21 सितम्बर को आर्डिनेंस जारी किया। वह तो लैप्स होना ही था, वह लैप्स हो गया। आपका प्रावधान मौजूद है

(श्री मानिक चन्द सुराना)

इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप सारी बातों को देखते हुए कि इसमें वित्तीय भार कम है और तकनीकी ज्ञान की गंगा बहेगी और पैट्रोलियम रिफाइनरी के लिये भी जो 40 हजार आदमी चाहियेंगे उनका प्रशिक्षण यहां हो जाएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करें, मैं बात को रिपीट नहीं करना चाहता, पूरे मंत्रिमण्डल से मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इसको आप कंसीडर करें।

सिर्फ कांग्रेस सरकार ने कर दिया और सन् 2008 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 4 विश्वविद्यालयों की घोषणा की और उस पर अशोक गहलोत 5 साल तक सो गये। सो गये तो सत्ता से बाहर हो गये। मेरा कहना यह है कि हम को उनके कदमों की नकल नहीं करनी है। आप तो जनता का इतना बड़ा मेन्डेट लेकर बैठे हैं। सारी जनता आपके साथ है। लोकसभा में तो तय हो गया कि 25 मे से 25 ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब सारी जनता की निगाह और उनकी आशा, आकांक्षा आपकी सरकार में है तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी मेरा निवेदन है, पूरे मंत्रिमंडल से, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण लोग यहां विराजे हैं कि इस तकनीकी विश्वविद्यालय पर कोई छोटी-मोटी जिद न रखें और बड़े दृष्टिकोण से बीकानेर को तकनीकी विश्वविद्यालय प्रदान करें।

शिक्षा मंत्रीजी, मेरे क्षेत्र की छोटी-मोटी बात आपसे कहना चाहता हूं। दसवीं से बारहवीं स्कूलों का क्रमोन्नत होना है और मेरे क्षेत्र में भी 8-10 गांव ऐसे हैं कि जिनको अब क्रमोन्नत होना चाहिए। मैं अर्ज करता हूं, जो स्कूल क्रमोन्नत होने चाहिए उनमे बड़े-बड़े गांव बोल रहा हूं, सोढावाली, मकड़ासर, गारबदेसर, रोजां, कांकडवाला, रामासर, राजासर उर्फ करणीसर और बीकानेर तहसील के तेजरासर और नोरंगदेसर। तेजरासर को तो मैं जब वित्त मंत्री था, तो मैंने उसको मिडल से हाई स्कूल में क्रमोन्नत किया था। 78 चला गया और 78 के बाद, पिछली सरकार के मंत्री के वैमनस्य के कारण न तो नोरंगदेसर क्रमोन्नत हो सका, ना तेजरासर क्रमोन्नत हुआ और वह जो भी यहां गृह मंत्री के रुप में बैठते थे, क्योंकि मैं उनको ही हरा कर आया हूं, इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इनको क्रमोन्नत करने पर विचार करें तो इन 10 गांवों पर अत्यधिक संवेदनशील तरीके से विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, लूणकरणसर में महाविद्यालय चल रहा है, मैं बजट को देख रहा था मगर मुझे वह आइटम नहीं मिला कि जिसमें आपने लूणकरणसर महाविद्यालय के लिये परिसम्पत्तियां निर्माण के लिये कोई योगदान

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दिया है। दिया तो अवश्य होगा क्योंकि अब दूसरे साल में प्रवेश करेगा यह स्कूल। अभी तक वह बिना भवन के है और वह एक प्राथमिक स्कूल में चलता था। जब शुरू हुआ तो प्राथमिक स्कूल में चलता था। इंदिरा गांधी नहर की जो प्राथमिक स्कूल थी उसमें चला दो छोटे-छोटे कमरों में, फिर भी 160 विद्यार्थी आ गये। अब 160 की जगह 320 हैं। एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं जिसने इम्तिहान नहीं दिया हो। पूरे 160 भर्ती हुए और 160 ने ही इम्तिहान दिया। कितनी ललक लोगों में महाविद्यालय में पढ़ने की है। इससे आप खुद भिज्ञ हैं। कम से कम आप वहां विज्ञान विषय और कामर्स विषय दें। माननीय मंत्री जी, क्योंकि क्षेत्र में एक ही महाविद्यालय है इसलिये विज्ञान और कामर्स का जो विषय है यह भी आप खोलने की कृपा करें।

मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में महाविद्यालय अभी बहुत कम हैं। रूटीन महाविद्यालय हैं ...(व्यवधान) मेरे यहां एक नोखा में महाविद्यालय है जो एक बड़े सेठ का बनाया हुआ है और वह 7-8 साल पहले बन गया था। मेरे यहां पिछले साल बना है, 2 यह गांव में हैं तहसील हैडक्वार्टरों पर और 3 महाविद्यालय ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, इसमें कोई टैक्निकल गड़बड़ हो गयी है। यह जो घंटी है वह आपको ही सुनाई देती है। यहां नहीं सुनाई देती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य आप बहुत वरिष्ठ हैं। लेकिन आधा घंटा हो गया है ...(व्यवधान) आप कनक्लूड करें। बाकी अभी आधी सूची ही हो पायी है ...(व्यवधान) आधी सूची बाकी पड़ी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं तो दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं। आप चार्ट देखें जो उच्च शिक्षा का चार्ट है और उसमें यह देखें कि जो और सम्भाग के मुख्यालय हैं उनके मुकाबले बीकानेर कहां खड़ा है। उसको ध्यान में रखते हुए खाजूवाला में महाविद्यालय बनायें, कोलायत में महाविद्यालय बनायें। खाजूवाला में तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बार कोलायत में कांग्रेस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिये यह दो जगह महाविद्यालय आप खोलेंगे तो निश्चित रुप से संख्या बढ़ेगी। ग्रामीण

(श्री मानिक चन्द सुराना)

छात्रों को उच्च शिक्षा का लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): भारत माता की जय हो। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा पर अनुदान की मांग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभार। शिक्षा मंत्री जा रहे हैं, मैं इनके कानों में एक बात डालना चाहता हूं कि,

'यह कैसे-कैसे मंजर सामने आने लगे हैं,
लगे थे जो नौकरी पर वह धरना देने बैठे हैं,
अब करे तो क्या करे राजस्थान का युवा,
अब तो कमल के फूल भी कांटे चुभाने लगे हैं'।

आज राजस्थान के अन्दर उद्योग मैदान गवाह बना हुआ है। कमल के फूल कांटे चुभा रहे हैं इसी बात का तो दुःख है।

माननीय सभापति महोदय, आज एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि विद्यार्थी मित्र भारतीय जनता पार्टी की नाजायज संतान हैं। हम यह नहीं कहते। हम तो यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पौधारोपण है। लेकिन हमने उस पौधे का पानी 5 साल तक नहीं रोका। उस पौधे को 5 साल बराबर पानी पिलाते रहे इस आस में कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तब इन विद्यार्थी मित्रों की जड़ों में खाद डालेगी। लेकिन आपने इनकी जड़ों में खाद डालने की जगह ऐसा जहरीला पदार्थ डाल दिया कि आज राजस्थान की धरती पर उस उद्योग मैदान में 25 हजार युवा आपके सामने झोली फैलाये बैठे हैं कि हमें नौकरी दे दीजिये। हमें हमारा अधिकार दे दीजिये। मात्र साढ़े 4 हजार रुपये के अन्दर नौकरी करने वाला वह युवा उसका सपना था कि मैं अगर लगातार नौकरी करता रहूंगा संविदा के ऊपर, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में कई लोग संविदा पर नौकरी में लगे और उसके बाद उनको स्थाई किया गया। लेकिन आज विद्यार्थी मित्रों के सामने कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर, जबकि कोर्ट के आदेश में यह लिखा हुआ है कि कोर्ट के आदेश को आधार बना कर इनके साथ इनके बेनिफिशरियों का गला नहीं घोटा जाए। इनके हितों पर कुठाराघात नहीं किया जाए।

सभापति महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी कि आप अपने मन के अन्दर अपने पुराने शब्दों को याद कीजिये जो आपने

(श्री धीरज गुर्जर)

जगह-जगह पर दोहराये थे और न केवल विद्यार्थी मित्र, पिछले 40 दिनों से कम्प्यूटर शिक्षक उद्योग मैदान के अन्दर धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्य मंत्री महिला हो और उसके राज के अन्दर महिलाएं तपती दोपहरी के अन्दर धरना देती हुई जाएं और बेहोश हो जाएं। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री के कान से मैल नहीं निकले तो यह राजस्थान के इतिहास में एक बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा।

(18.46 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के ऊपर बोल रहा हूं, बहुत से सदस्यों ने यह बात उठायी कि लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है। लेकिन शिक्षा में सुधार करने की जिम्मेदारी इस सदन में बैठने वाले हर सदस्य की होती है। आज राजस्थान के जो हालात हैं, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि स्कूलों के अन्दर छात्र नहीं हैं, उसके बाद भी अध्यापक लगे हुए हैं। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि उन अध्यापकों का सिर्फ वहां पर नाम लिखा हुआ है। नौकरी अपनी मनचाही जगहों पर कर रहे हैं। वह किसी अधिकारी की बीवी होगी तो जिला मुख्यालय पर नौकरी करेगी और अगर वह किसी गरीब आदमी की बीवी होगी तो 80 किलोमीटर दूर बस के अन्दर जाएगी और नौकरी करके आएगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप समानीकरण करें बिलकुल अच्छी बात है लेकिन जो अपने मूल पदों पर लगे हुए हैं उनके डेपुटेशन समाप्त करके उनको अपने मूल पदों पर पहुंचायें।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं साथ ही आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा दिया कि जहाजपुर के अन्दर एक भी प्रवेश नहीं हुआ। पिछली सरकार ने घोषणा कर दी। बजट का प्रावधान नहीं किया इसलिये हमने जहाजपुर के अन्दर कालेज बंद कर दी। लेकिन यह कहने से पहले अपने मुख्य मंत्रीजी की बात भूल गये, इससे पहले जब आप 2003 से 2008 तक सत्ता में थे, तब आपकी मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस जहाजपुर के अन्दर कालेज खोलेंगे।

पिछली गहलोत सरकार ने जहाजपुर में कालेज खोली और आपका दुराचार, आपका राजनैतिक कुठाराघात देखिये कि आप लोगों ने जहाजपुर के साथ खुलने वाली आसीन्द और रायपुर के अन्दर तो प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी और जहाजपुर में प्रवेश प्रक्रिया चालू नहीं की। प्रिंसिपल भगवान तो नहीं होता। प्रिंसिपल ने 3 बार चिट्ठी लिख कर भेज दी आपके विभाग के अन्दर कि हमें

(श्री धीरज गुर्जर)

प्रवेश प्रक्रिया चालू करने की इजाजत दीजिये। लेकिन आप लोगों ने उसको प्रवेश प्रक्रिया चालू करने की इजाजत नहीं दी। यह नहीं याद रखा आपने। यह तो याद रख लिया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गयी और कांग्रेस का विधायक जीत गया, इसलिये हमको कालेज बंद करनी है। अगर कालेज बंद करनी होती तो आप आसीन्द की बंद करते, रायपुर की बंद करते। जो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन वह जहाजपुर जो जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर है, जहां पर एसटी के छात्र 40 परसेंट है, ओबीसी और एससी के छात्र हैं, जो लोग मगरे और पहाड़ों के अन्दर रहते हैं और जो शहीदों की विधवाएं यह सोचती हैं कि हमारी सरकार ने हमारे यहां पर कालेज खोला है और हमारे बच्चों को यहां पर शिक्षा मिलेगी। मैं यह सदन के अन्दर कहता हूं कि यह धीरज गुर्जर आपसे वादा करता है कि मैंने सदन में यहां धरना दिया था, आपके फर्क नहीं पड़ा लेकिन इस विधान सभा सत्र के बाद बहुत जल्दी इस मांग को सड़कों के ऊपर उठायेंगे और तब भी आपको दया आ जाए तो आप जहाजपुर के अन्दर कालेज में प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दें क्योंकि आज भी वहां पर प्रिंसिपल काम कर रहा है। कालेज की मांग है, कोई मेरी व्यक्तिगत मांग नहीं है लेकिन मैं इस दर्द को समझता हूं क्योंकि गरीबी की बात करने से आदमी को गरीबी का अहसास नहीं होता है जिसने गरीबी देखी है वही गरीबी का दर्द जानता है। हमने हमारी गरीबी को दिल से महसूस किया है, अपने जीवन में महसूस किया है। मेरे पिताजी भीलवाड़ा में मील में मजदूरी करते थे लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि इस सदन में मैं आज आप लोगों के सामने अपनी बात रख पा रहा हूं। इसलिये मैं यह जानता हूं कि शिक्षा का दर्द क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर पैदा होता है उनके हितों पर जब कुठाराघात होता है उस कुठाराघात को हमें सदन में भूलना नहीं चाहिए। यहां भी आने वाले लोग शहरी क्षेत्र से कम और ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा आते हैं।

आज रिट के माध्यम से जो 60 परसेंट अंकों की बाध्यता डाल रहे हैं, उस बाध्यता के कारण ग्रामीण अंचल का लड़का जब जाएगा तो उसका नौकरी के अन्दर नम्बर नहीं आएगा, उसके सपने टूट जाएंगे क्योंकि गांव के अन्दर लोग समझते नहीं हैं कि पढ़ाई क्या होती है। कोई बच्चा बीए में आ जाता है, कालेज में तो उसके बाप का सीना गर्व से फूल जाता है कि मेरा लड़का तो कालेज में आ गया, मेरे लड़के ने तो पढ़ाई कर ली, अब नौकरी करने लग जाएगा। उसको यह पता नहीं होता है कि बीए करने से या एमए करने से

(श्री धीरज गुर्जर)

उसके बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी। वह तो न घर का रहता है न घाट का रहता है। गांवों के अन्दर जाए, उसने बीए कर ली, एमए कर ली तो न तो वह खेत में जा सकता, शर्म आती है उसको, लोग कहेंगे कि बीए कर ली और फिर भी भैंस चरा रहा है। न वह खेत में पाणत करता है, न गाय ढांढे चराता है और न उसकी नौकरी लग पाती है। हजार-डेढ़ हजार की नौकरी वह कर नहीं सकता और उसका जीवन बेरोजगारी के अंधकार के अन्दर चला जाता है।

बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने घोषणा की कि हम पन्द्रह लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन पन्द्रह लाख युवाओं के हाथ में आप गैंती-फावड़ा पकड़ायेंगे? क्या उनको मूर्ति ठीक करना सिखायेंगे? स्किल के नाम पर आप क्या करेंगे, हम सात लाख युवाओं को रोजगार लगा देंगे। ऐसी सदन के अन्दर बातें करने से, मैं नहीं कहता कि मैं आपकी बुराई करूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर हम खुश किस्मत हैं कि आज तक नक्सलवाद ने हमारे यहां पर पांव नहीं पसारा लेकिन हालात यदि आज के ही चलते रहे, शहरों और गांवों में खाई बढ़ती रही, पैसे वाला और पैसे वाला और गरीब और गरीब होता रहा तो राजस्थान के अन्दर भी वह दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद के अंधकार के अन्दर हम डूब जाएंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने आपको प्रचण्ड बहुमत दिया है, एक विशाल सेना के रूप में 163 सिपाही सदन के अन्दर बैठे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपक्ष की भूमिका की आप लोगों ने एक साहस किया कि विद्यार्थी मित्रों की आवाज आप लोगों ने सदन में उठाई, पूरा सदन यह बात मानता है कि विद्यार्थी मित्र आज दु:खी हैं, कम्प्यूटर शिक्षक दु:खी हैं, एनआईटी वाले दु:खी हैं, और अनेक जो थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा है, दस महीने हो गये, कई लोगों की शादियां रुकी हुई हैं कि बच्चे का मास्टरी में नम्बर आ जाएगा तो हमारे बेटे की शादी का मुहूर्त निकलवा लें। थर्ड ग्रेड टीचर परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है। यह सबसे बड़े दु:ख की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात भी करना चाहता हूं। इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने समय-समय पर आदेश निकाले कि जो स्कूलें हैं इनके ऊपर जो बिजली के तार लटके हुए हैं यह तार हट जाने चाहिये। आये दिन राजस्थान के अन्दर बिजली के लटके हुए तारों के

(श्री धीरज गुर्जर)

कारण दुर्घटनाएं होती हैं और कई ऐसी स्कूलें हैं, मैं मांग करता हूं सदन में, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी आपसे कि स्कूलों के ऊपर लटके हुए जो तार हैं बिजली के उन तारों को टाइट करवाइये या खम्भे साइड में करवाइये ताकि स्कूल के भवनों के ऊपर से बिजली के तार हट जाएं।

कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज राजस्थान की सभी स्कूलों के अन्दर छात्राओं के लिये शौचालय जैसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं जो प्राथमिक मूलभूत सुविधाएं हैं। वहां इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की ओर आपकी सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए। आज पीने का पानी स्कूलों में नहीं है। बच्चा स्कूल में फ्लोराइड का पानी व एक प्लास्टिक की बोतल भर कर स्कूल के बैग के अन्दर ले जाता है। हर स्कूल के अन्दर कम से कम यह नियत करना चाहिए कि पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो ताकि वह बच्चे पानी अच्छी तरह से पी सकें, यह उनका अधिकार है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपके पास फण्ड आ रहा है केन्द्र सरकार से तो हर स्कूल में वाटर कूलर लगवाइये आप। गरीब के बच्चे को पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, उसको कम से कम ठण्डा पानी स्कूल में मिलना चाहिए।

मिड डे मील की राजस्थान में बहुत हालत खराब हो रही है। चावल के अन्दर कीड़े निकल रहे हैं, दालों के अन्दर कीड़े निकल रहे हैं। अध्यापक अपने यहां सामान चुरा कर, मैं यह नहीं कहता कि हर अध्यापक चोर होता है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों से इसको घृणित बना देते हैं, मिड डे मील का सामान चुरा कर अपने घर ले जा रहे हैं। कैसे उनको बच्चे माफ कर पाएंगे?

मैं आपको यह बात भी कहना चाहता हूं जो बात अभी उठी थी कि शिक्षक आज हमारे पास वैसे ही कम हैं और जो हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी तो माननीय सभापति महोदय, छह मिनट ही नहीं हुए।

श्री सभापति: छह मिनट नहीं दस मिनट हो गये। बोलने वाले को पता नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): शिक्षक जो हमारे पास लगे हुए हैं उनकी हालत देख लीजिये आप। पोलियो की दवा भी वही पिलायेंगे, जनगणना भी वही करेंगे, पशुओं की गणना भी वही करेंगे, यह ऐसे-ऐसे कामों में उनको लगा दिया जाता है कि यह लोग अपना मूल कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं।

(श्री धीरज गुर्जर)

इसके साथ ही, मैं एक बहुत बड़ी मांग उठाना चाहता हूं जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं इनके अन्दर खेल की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे आज भी याद है, मेरी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है, 34-35 साल का हूं। हमारे समय के अन्दर भी रोज खेल का पीरियड हुआ करता था, उस खेल के पीरियड के अन्दर हम लोगों को खेल खिलवाया जाता था, कोई कुश्ती करता था, कोई वालीबाल खेलता था, हर बच्चा कबड्डी, कुश्ती, खो-खो, खेलता था और वह अलग-अलग खेल में निपुण होता था और वह राज्य स्तर पर जाते थे। आज राजस्थान के अन्दर यह जो सरकारी स्कूलों के टूर्नामेंट होते हैं, यह मजाक बन कर रह गये हैं। बारिश के दिनों में टूर्नामेंट होते हैं और टूर्नामेंटों के नाम पर फोर्मेलिटी की जाती है। गीले मैदानों के अन्दर बच्चे आते हैं और गांव के बच्चे, आप सब लोग फील्ड में जाते हैं, अगर जाते नहीं तो आप जीत कर नहीं आते, आप और हम सब फील्ड के अन्दर स्कूल के अन्दर उद्‌घाटन करने जाते हैं टूर्नामेंट के अन्दर तो अपनी आंखों से देखते हैं कि गीले मैदान के ऊपर, गीले स्थान के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, इनके खेल मैदान की व्यवस्था ठीक नहीं होने से वह खेल नहीं पा रहे हैं। इसलिये मैं मांग करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस तरह की व्यवस्थाएं आप लोग करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब घंटी बजायेंगे इसलिये मैं मेरे क्षेत्र की मांग पर आता हूं। आज जहाजपुर के अन्दर कालेज की मांग तो मैंने उठाई ही उठाई है, उसके साथ, हमारे आज बीईओ कार्यालय, पूरे राजस्थान में होना चाहिए, पर मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के मुख्यालय के अन्दर ब्लाक शिक्षा अधिकारी का खुद का कार्यालय भी नहीं बना हुआ है, वह एक स्कूल के अन्दर चल रहा है इसलिये बी ई ओ कार्यालय होना चाहिए। कार्यालय बना कर भी क्या करेंगे, जहाजपुर के अन्दर जब से आपकी सरकार आई है ब्लाक शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त पड़ा हुआ है, जेईओ को चार्ज दिया हुआ है। चार पदों के बदले में दो शिक्षक लगे हुए हैं, दो एस डी आई लगे हुए हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बनाया जाए, ब्लाक शिक्षा अधिकारी को लगाया जाए, एस डी आई के खाली पदों की पूर्ति की जाए। इसके साथ ही, जो स्कूलें क्रमोन्नत हो रही हैं उनमें प्राथमिकता से, कई ऐसी स्कूलें हैं जो प्राथमिकता के कारण छूट गई थीं। धन्यवाद है गहलोत सरकार को पिछले कार्यकाल के अन्दर अकेले जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दस स्कूलों को इन्होंने दसवीं किया था और दस स्कूलों को बारहवीं किया था।

(श्री धीरज गुर्जर)

लेकिन आज भी आमलदा, ठिठोडा जागीर, रासेड़, जामोली, सांखड़ा ऐसी स्कूलें हैं जिन्हें बारहवीं दसवीं से क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक है। मैं मांग करता हूं सदन के माध्यम से कि आप लोग जहाजपुर के अन्दर बारहवीं खोलिये। बड़े दु:ख की बात है, सरकार किसी की भी बने, विधायक सदन का सदस्य होता है, माडल स्कूलों के उद्‌घाटन तक नहीं करवाये गये हैं, माडल स्कूलें बन कर तैयार हो गई, उनमें प्रवेश प्रक्रिया चालू हो गई, पत्थर अगर किसी कांग्रेस के विधायक का लग जाएगा तो उसमें भाजपा का सम्मान नहीं घट जाएगा क्योंकि जब कभी कांग्रेसी काम अधूरे छूट जाते हैं तो भाजपा का विधायक उसमें जीत जाता है तो वह भी उसमें जाकर पत्थर लगाता है और फीता काटता है तो जो राजस्थान में माडल स्कूलें बन कर तैयार पड़ी हैं, आपसे विभाग वाले बार-बार पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आप इनका उद्‌घाटन करवाना चाहते हैं तो जहां पर कोई जीते हुए विधायक हैं, यह तो सभी का अधिकार है, आज हम विपक्ष में है, कल हम सत्ता में आ जाएंगे, आप विपक्ष में आ जाएंगे, जिसके कार्यकाल में जो कार्य पूरा होता है उसमें उसका पत्थर लगना चाहिए। कई जगह पर इसलिये उद्‌घाटन नहीं करवा रहे कि कहीं कांग्रेस के आदमी के नाम का पत्थर नहीं लग जाए इसलिये मैं इन मांगों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने घंटी नहीं बजाई, आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर बहस में मैं अपने आप को शामिल करते हुए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। माननीय वसुन्धराजी ने सत्ता सम्भालने के बाद पहला बजट 2014-15 का पेश किया। यह बजट जानदार, शानदार और अवाम के लिये, मजदूर, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं के लिये नई दिशा और दशा देने वाला बजट है। जब माननीय वसुन्धराजी ने 2003 में सत्ता सम्भाली आपके गहलोतजी से तो बहुत ही स्थिति खराब थी शिक्षा विभाग की। पहला काम जो लोग, जो युवा, एससी, एसटी, बीएड, पैराटीचर्स जो आपने मजदूरों की तरह रखे थे, उनको जिनकी आयु चली गई थी, एससी, एसटी, बीएड, बीपीएड की, उनको रोजगार दिया, पैराटीचर्स को रोजगार दिया।

(19.00 बजे)

वसुन्धराजी के शासनकाल में एक लाख युवाओं को रोजगार मिला।

(श्री हीरालाल)

जब यह बात आपके दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंहजी को मालूम पड़ी और उन्होंने देखा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पहली बार एक लाख लोगों को रोजगार दिया तो उन्होंने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की कि हिन्दुस्तान में पहला मौका है, माननीय वसुन्धराजी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक लाख युवाओं को रोजगार दिया। यह वह सरकार जो कहती है वह करती है। इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। माननीय वसुन्धराजी के शासन में युवाओं को यह तोहफा मिला। उस समय हमारे शिक्षा मंत्रीजी, जो सदन में विराजमान हैं, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी थे, जिनके मार्गदर्शन में इन युवाओं का विकास हुआ। एक लाख युवाओं के घरों में चिराग जला। यही नहीं, यूनेस्को ने माननीय घनश्यामजी को कंफ्युसियस पुरस्कार दिया। (व्यवधान) आपके क्या पुरस्कार हैं। जो आपकी पिछली 5 साल की स्थिति है सारी सरकार की और मंत्रियों की सब मालूम है। अब डिस्टर्बेंस मत करो, मेरा धाराप्रवाह टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस करके बोलिये, उनकी तरफ देखिए मत। माननीय सदस्य धीरजजी, आप डिस्टर्ब मत करें। आप जब बोल रहे थे तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। जब कोई और सदस्य बोलता है तो डिस्टर्ब मत करिए।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापतिजी, पिछली सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेज खोला। वहां न तो बिल्डिंग है, न लैक्चरार है। एक मिडल स्कूल के दो कमरों में कालेज खोल दिया। थोड़े से 10-5 लड़कों से खोल दिया, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्रीजी से सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निवाई उपखण्ड पर जो कालेज पूर्ववर्ती सरकार ने खोला है, उसकी बिल्डिंग बनायी जाए और वहां पर स्टाफ लगाया जाए ताकि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले।

मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र में शहीद रतनलाल जाट माध्यमिक विद्यालय है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्रमोन्नत हुआ। वह बिल्डिंग पिछली सरकार ने पता नहीं कैसे बनायी, उसकी सारी पट्टियां टूट गईं। आज बच्चे बाहर पढ़ने के लिये मजबूर हैं। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है, मैंने अपने विधायक मद से राशि देने की बात की, लेकिन वह मानदण्ड में नहीं आ रही है। मेरा निवेदन है कि रमसा से पैसा दिला कर शहीद रतनलाल जाट माध्यमिक विद्यालय के भवन की मरम्मत करायी जाए।

(श्री हीरालाल)

मेरे क्षेत्र में राहोली में 350 बच्चे हैं और 3 अध्यापक हैं। प्रिंसिपल भी नहीं है। इसी तरह चतुर्भुजपुरा में 300 बच्चे हैं, 3 थर्ड ग्रेड टीचर हैं, बिना प्रिंसिपल के वहां का शिक्षण कार्य होता है। (व्यवधान) सुन रहे हो ना। राहोली में तीन थर्ड ग्रेड टीचर सीनियर सैकण्डरी स्कूल को चला रहे हैं। इसी तरह पीपलू में केवल दो अध्यापक हैं सीनियर सैकण्डरी स्कूल में। पिछली सरकार ने जो कर्म किये हैं वह बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। (व्यवधान) अभी इन्तजार करो, अभी बहुत टाइम है आपके शिक्षा मंत्री बनने में। शिक्षा मंत्री बनने का ऐसे ही नहीं है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे यहां संस्कृत विद्यालय है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार विद्यालय हैं, चारों में टीचर्स के पद रिक्त हैं। राणोली, मुर्तबानगर, दतवास, करेड़ा में एक भी शिक्षक नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर वे स्कूल चला रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहां तुरन्त पद भरे जाएं।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी से प्रार्थना है कि मेरे यहां कुछ स्कूल भी क्रमोन्नत किये जाएं। मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राधाकिशनपुरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

अनवरनगर भूरावाली, राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। झिराना में नवीन राजकीय बालकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाय। मोहम्मद नगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें। खणदेवत राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय को राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने, निवाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त विज्ञान विषय खुलवाने, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, निवाई में अतिरिक्त विषय खुलवाने, राजकीय महाविद्यालय, निवाई में लोक प्रशासन विषय की स्वीकृति प्रदान करने, आकोडिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने, बारेड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने, गिरधारीपुरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने, ककराज खुर्द राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने, धतूरी राजकीय

(श्री हीरालाल)

उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

कला और संस्कृति के विषय में निवेदन करना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र निवाई एक पर्यटन स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से भी निवाई को पर्यटन से जोड़ा जाए।

भारतीय संस्कृति विश्व में अद्वितीय संस्कृति है। यहां पर मुगल आए, हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, लेकिन भारतीय संस्कृति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। भारतीय संस्कृति अपने आप में आत्मसात करने की ताकत रखती है, अमालगमेशन करने की ताकत रखती है और भारतीय संस्कृति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि निवाई को भी पर्यटन से जोड़ने की कृपा करें। आपने मुझे टाइम दिया, इसलिये सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी ने जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये करोड़ो रुपये हमारे प्रदेश को दिये, वहीं पिछली सरकार ने शिक्षा का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में पिछली सरकार ने कई स्कूल क्रमोन्नत किये और उनमें एक भी शिक्षक नहीं लगाया। उसके कारण से वहां पर आए दिन पिछले 6 सालों में लगातार हर सैशन में लगभग 10-20 विद्यालयों में वहां के गांवों के लोग ताला लगा देते हैं। उसके बाद भी प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगती।

67 साल देश को आजाद हुए हो गये हैं। हमारे खण्डार विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं है। हमेशा सरकार से हमारे खण्डार क्षेत्र के लोगों की मांग रही है कि हमें महाविद्यालय दिया जाए जिससे हमारे वहां के छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें। माननीय मंत्रीजी, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पिछली बार इस सरकार के मंत्री, जिनको मैं चुनाव हरा कर आया हूं, उन्होंने भी 5 साल में हमारे खण्डार विधान सभा क्षेत्र के लिये कभी महाविद्यालय की मांग नहीं की। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें बरावण्डाखुर्द, चौथ का बरवाड़ा महाविद्यालय, आथूण कलां, ये

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

वे विद्यालय हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर हैं। आए दिन वहां पर कोई न कोई एक्सीडेंट होता रहता है। कभी दीवार गिरती है, कभी छत गिरती है। ऐसी स्थिति में भी प्रशासन का और पिछली सरकार का उस ओर कभी ध्यान नहीं गया।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे इन चारों-पांचों विद्यालयों में बिल्डिंग निर्माण के लिये पैसा दिया जाए जिससे कि वहां के छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध हो सके। यहां तक कि एक विद्यालय धमूण कलां में तो स्कूल की बाउण्ड्रीवाल तक नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि एक सरकार में मंत्री वहां से विधायक हो और स्कूल की चारदीवारी नहीं हो। और तो और, कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे पिछली सरकार ने छात्रों से ज्यादा, छात्रों की संख्या देखते हुए इतने टीचर्स की कटौती की कि ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षा का विनाश करने की उन्होंने ठान ही ली थी।

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे खण्डार विधान सभा क्षेत्र में प्रधानाध्यापक के 22 पद खाली हैं जिनमें छात्रों के 16 और छात्राओं के 6 खाली हैं। हिन्दी के व्याख्याता के 15 पद खाली हैं जिनमें छात्रों के 12 और छात्राओं के 3 खाली हैं। अंग्रेजी के 7 पद खाली हैं जिनमें 4 छात्रों के और 3 छात्राओं के हैं, राजनीति विज्ञान के 10 पद खाली हैं जिनमें से 9 छात्रों के और 1 छात्राओं के हैं, इतिहास के 13 पद खाली हैं जिनमें 13 के 13 छात्राओं के हैं। भूगोल के 5 पद खाली हैं जिनमें से 4 छात्रों के और एक 1 छात्राओं का है। इसी तरह से संस्कृत के, वाणिज्य के, भौतिक विज्ञान के व्याख्याताओं के 75 पद मेरे विधान सभा क्षेत्र में खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के 128 पद, हैडमास्टर के 36, अध्यापकों के 127 पद खाली हैं। मैं मंत्रीजी को एक ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीट्युएंसी में 519 पद शिक्षा विभाग में रिक्त हैं। आप सोचें कि जिस विधान सभा क्षेत्र में 519 पद रिक्त हों वहां पर छात्रों को क्या शिक्षा मिलेगी, कैसे वे लोग पढ़ेंगे? क्या इस विनाश के लिये पिछली सरकार ने इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं? कई स्कूलों को हमारे क्षेत्रीय विधायक क्रमोन्नत कराते थे, उनका तो यह रोज का था कि अख़बार में एड लगाना कि आज यह हुआ, आज वह हुआ और शिक्षा की तरफ उन्होंने बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया।

मैं मंत्रीजी का ध्यान हमारे यहां के विद्यालयों में हर पंचायत में आदर्श

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

विद्यालय बने उसकी ओर ले जाना चाहता हूं कि हर पंचायत में आदर्श विद्यालय बने जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। माननीय मंत्रीजी, मेरा खण्डार विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिये आप कुछ चीजों और महाविद्यालय की घोषणा करें ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

शिक्षा मानव की एक तरह से शक्ति मानी जाती है। शिक्षा के माध्यम से हर इन्सान को हम गुणवान, संस्कृति के प्रति, परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। परन्तु शिक्षा का आज जो स्वरूप है वह बड़ा ही शोचनीय है। आज पूरे भारत वर्ष में, राजस्थान और विश्व में शिक्षा का स्तर देखें और उसमें अपनी स्थिति को पाएं तो पूरे विश्व में भारत को 57 नम्बर पर शिक्षा के क्षेत्र में अंक मिलते हैं। इसके बाद हम राजस्थान को भारतवर्ष में नापें तो राजस्थान का नम्बर 15वें स्थान पर आता हैं। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सबसे प्रथम केरल का नाम लिया जाता है। केरल की लिट्रेसी 91 प्रतिशत है और हमारे राजस्थान की 79 है। यहां तक कि इसमें महिला शिक्षा में पूरे भारतवर्ष के आधार पर देखें तो राजस्थान में जो महिला शिक्षा की स्थिति है वह बड़ी ही शोचनीय है। इस सदन में सब ने अपने-अपने तरीके से अपनी-अपनी बात रखी परन्तु पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में महिला शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने के लिये कुछ विशेष प्रावधान किये जाने चाहिए। इसी में, मैं आगे कहना चाहूंगा कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक शिक्षा में क्वांटिटी के आधार पर बच्चों को पास करने के लिये अधिक से अधिक सरल बना दिया है। परन्तु आपको क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी भी चाहिए और क्वालिटी चाहिए तो कहीं न कहीं हमें हमारे शिक्षकों और हमारी पद्धति में सुधार करना पड़ेगा।

आज स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन, संगीत, इंग्लिश, कैमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, ये ऐसे सब्जैक्ट हैं जिनके माध्यम से बच्चे को, विद्यार्थी को

(श्री ललित कुमार)

आगे बढ़ाया जा सकता है। आज फिजिकल एजुकेशन में हम देखें कि उसकी क्या स्थिति है स्कूली स्तर पर। ओलम्पिक में आप पूरे विश्व में हमारी स्थिति देख सकते हैं। आज राजस्थान में से निशानेबाजी में हमारे राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता था, लिम्बाराम जी का नाम तीरंदाजी में लिया जाता है, जेवेलिन थ्रो में हमारे कृष्णा पूनियां जी का नाम लिया जाता है तो कहीं न कहीं इन्होंने अपनी खुद की मेहनत से आज विश्व में अपना व राजस्थान का नाम कमाया है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कहना है कि फिजिकल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार एयर होस्टेज के कोर्सेज वगैरह चलाए जाएं जिससे ईजी-वे में रोजगार मिल सकता है। आज हमारा युवा एजुकेशन लेने के बाद बेरोजगार हो जाता है। अगर उसको टैक्निकल एजुकेशन मिले तो उससे वह कहीं न कहीं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। आज कोई एयर होस्टेज का 2 साल का, 3 साल का कोर्स करता है तो उसको कहीं न कहीं ईजीली जाब मिल जाता है। एवियेशन एकेडमी या कई इन नये कोर्सेज के माध्यम से हम हमारे युवा को, हमारे भाइयों को रोजगार जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिये अलग-अलग माध्यमों से दूसरे फील्ड में भेज सकते हैं।

इसी प्रकार से, संगीत के बारे में कहना चाहूंगा कि आज स्कूलों में कई जगह तो संगीत की कक्षाएं भी नहीं लगती हैं। आज आशा भोंसले, लता मंगेशकर जी अपने एफर्ट से वहां तक पहुंची हैं और उन्होंने अपना नाम कमाया है। इसी प्रकार, मैं आपको बताऊं कि स्कूलों में इंग्लिश की यह स्थिति है कि आज हमारे यहां के 12वीं क्लास के स्टूडेंट को साउथ में, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में भेज दें और जो उस स्टेट का 12वीं क्लास का स्टूडेंट है तो उसकी टाकिंग में अपने आप ही आपको डिफरेंस पता लगेगा। वहां पर हमको हमारे राजस्थान की एजुकेशन में परिवर्तन करने या सोचने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं, डिमांड हैं, उनकी तरफ आना चाहूंगा। मैं सबसे पहले अपने विधान सभा की भौगोलिक स्थिति को बताना चाहूंगा। हाड़ौती में बारां जिले का किशनगंज-शाहबाद सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। किशनगंज 18 किलोमीटर पड़ता है और शाहबाद 85 किलोमीटर पड़ता है। पूरा क्षेत्र जनजाति बहुल अति पिछड़े क्षेत्र में आता है और सहरिया जनजाति पूरे

(श्री ललित कुमार)

राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मेरे शाहबाद-किशनगंज में पायी जाती है। और हमारे जो सहरिया भाई हैं, उनके लिये मिड-डे मील अक्षयपात्र के माध्यम से स्कूलों में पोषाहार दिया जाता है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में पोषाहार का वितरण है, अन्य क्षेत्रों में अगर 100 ग्राम दिया जाता है तो वहां 200 ग्राम दिया जाता है, ज्यादा दिया जाता है परन्तु कहीं न कहीं पोषाहारों में भी स्कूलों के माध्यम से अनियमितता होती है तो मेरा माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन है कि इसकी मानिटरिंग के लिये विशेष व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं शार्ट में अपनी बात कहना चाहूंगा...

श्री सभापति: शार्ट में यानी बिलकुल पोइंट्स बता दीजिये आप।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा, मेरे किशनगंज क्षेत्र में एक से लेकर तीसरी क्लास तक के सहरिया बच्चे हैं, उनको 150 रुपये दिये जाते हैं और चौथी क्लास में पढ़ते हैं, उनको 250 रुपये, पांचवीं में पढ़ते हैं उनको 350 रुपये तथा छठी से लेकर आगे तक के बच्चों को 1,000 रुपये दिये जाते हैं। इसमें एससी एसटी के जो बच्चे हैं, उनके लिये भी कुछ न कुछ प्रावधान करके उनकी छात्रवृत्ति बढाई जाए। अभी उनको 75 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है।

इसके अलावा, मेरे किशनगंज में 232 स्कूल हैं और शाहबाद में 204 स्कूल हैं। इनमें से कई आवासीय और सहरिया आवासीय विद्यालय हैं जिनमें स्टाफ की और वार्डन की बहुत कमी है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको तुरन्त प्रभाव से भरते हुए उनकी व्यवस्था सुधारी जाए।

मेरे यहां हनुतिया आवासीय छात्रावास है केवल शाहबाद में। इसको एक और बढ़ाते हुए किशनगंज में भी खोला जाए और मेरे यहां माडल स्कूल केवल शाहबाद में खुला है अभी तक, जो अभी चालू नहीं हुआ और इसको अभी डेढ़ साल हो गया है। यह अभी तक रेगुलराइज नहीं हुआ है।

मेरा आपके माध्यम से कहना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रावधान किये हैं, पंचायत स्तर तक 9,177 ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था की है, इनको रेगुलराइज करते हुए मेरे यहां विद्यालय बढ़ाये जाएं।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि किशनगंज शाहबाद में केलवाड़ा कालेज 2008 में खुला था, उसमें बाउण्ड्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ है परन्तु फर्नीचर नहीं है। साथ ही, उसको यूजी से पीजी करने की आवश्यकता

(श्री ललित कुमार)

है। उसमें लेक्चरर्स की बहुत कमी है जो पिछले पांच साल में भी पूरी नहीं हो पाई है।

आपके माध्यम से मैं एक बहुत इम्पोर्टेन्ट मेरी मांग रखना चाहूंगा कि किशनगंज शाहबाद में अलग, अतिरिक्त जिला कलक्टर, एडीएम बैठता है। उसी प्रकार, मैं माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि बारां में जिला शिक्षा अधिकारी बैठता है। मेरे किशनगंज शाहबाद के लिये एक अलग से जिला शिक्षा अधिकारी की पोस्ट का सृजन किया जाए ताकि जो सहरिया आवास है, सहरिया स्कूल हैं, वे उचित तरीके से चल सकें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मेरे शाहबाद अंचल 85 किलोमीटर मुख्यालय से पड़ता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आईटीआई कालेज उन पिछड़े सहरिया भाइयों के लिये खुले ताकि उनका शिक्षा में अपने आप विस्तार हो सके।

शाहबाद में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। उनमें पाटन को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक किया जाए। चिनोद, बजरंगगढ़, बरौनी को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाए।

इसके अलावा, मैं आपके माध्यम से एक और बहुत...

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें। दो मिनट नहीं, काफी मिनट हो गया है।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): दो मिनट और। मैं एक और बात रखना चाहूंगा। मेरे यहां सहरिया भाई अकेला जो एमबीबीएस डाक्टर की पढ़ाई के लिये पहुंचा था। श्री सतीश पुत्र नाथूलाल, शाहबाद का निवासी था और यह एमबीबीएस कर रहा था गरडाराज कालेज, ग्वालियर से परन्तु ये तीन महीने पहले मार्च में लापता हो गया। अकेला सहरिया जो यह लापता हुआ और दो महीने पहले इसका कंकाल मिला महाराष्ट्र के पूना के जंगलों में लोनावाला थाने में। मैं यह कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमारा एक आदिवासी भाई जो एमबीबीएस के लिये वहां पहुंचा था, अभी तक पहला था, जिसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था। अभी तक इसकी जांच चल रही है कि क्या कारण थे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किये जाएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या श्रीमती गीता वर्मा।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या-24 पर बोलने के लिये आपने अनुमति दी, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे देश का भविष्य शिक्षा पर निर्भर है। यदि स्कूलों और कालेजों में शिक्षा का कुशल प्रबन्धन एवं अध्ययन की समुचित व्यवस्था न हो तो ऐसे हालातों में लोगों का सरकारी संस्थाओं पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदयजी से कहना चाहूंगी कि जिसके फलस्वरूप लोग अपने बच्चों को सरकारी संस्थाओं में भेजने की बजाय प्राइवेट संस्थाओं में भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर यही हाल रहा तो सरकारी संस्थाओं से हमारी जनता का विश्वास उठ जाएगा। अत: बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी स्कूलों में चाहे वह प्राथमिक हों, चाहे वह उच्च प्राथमिक हों, चाहे माध्यमिक हों, चाहे उच्च माध्यमिक हों, पर्याप्त अध्यापकों की व्यवस्था की जाए और शिक्षा का कुशल प्रबन्धन किया जाए ताकि बच्चों को स्कूल न छोड़ना पड़े क्योंकि पिछली सरकार ने कई स्कूल और कई कालेज खोले हैं और क्रमोन्नत भी किये हैं लेकिन न तो वहां पर बिल्डिंग की कोई व्यवस्था है, न ही वहां पर कोई पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था है।

सिकराय में पिछली सरकार ने एक कालेज खोला था लेकिन वहां पर आज भी सीनियर स्कूल में चल रहा है। वहां पर न तो अभी जमीन की कोई व्यवस्था की गई है, न कोई बिल्डिंग के लिये पर्याप्त बजट उन्होंने दिया है। बच्चे भी बहुत कम कालेजों में जाते हैं। न फैकल्टी की कोई व्यवस्था है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर बिल्डिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और वहां पर अध्यापकों की, व्याख्याताओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, ब्लाक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापकों को डेपुटेशन पर लगाया जाता है। वे अध्यापक न तो स्कूलों में जाते हैं और न ही लगाये हुए स्कूलों में जाते हैं। वे इधर-उधर घूमते रहते हैं और बच्चों की शिक्षा पर काफी गलत प्रभाव पड़ता है और वहां के लोग हमें आकर कहते हैं कि साहब, टीचर स्कूल में नहीं आ रहा है, बच्चों की यहां पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जितने भी अध्यापकों को डेपुटेशन पर लगाये, उसकी सूचना जन प्रतिनिधि को भी दें ताकि जन प्रतिनिधि लोगों को उसका जवाब दे सके।

(श्रीमती गीता वर्मा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो विद्यार्थी मित्रों का मामला सभी माननीय सदस्य उठा रहे हैं और उनके साथ सभी माननीय सदस्यों की हमदर्दी भी है। विद्यार्थी मित्र हमारे सदन की ओर और हमारी सरकार की ओर देख रहे हैं। उनके साथ न्याय किया जाए, उनके साथ कठोर रूख न अपनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कई तरीके के प्रयास कर रही है लेकिन बालिकाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिये दूर जाना पड़ता है और परिवार के लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस करने के कारण बच्चियों को दूर नहीं भेजते और उनकी पढाई वहीं छुड़ा देते हैं। मैं मंत्री महोदयजी से कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में तकनीकी शिक्षा के लिए एक महिला आईटीआई केन्द्र खोला जाए ताकि बच्चियां तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें और वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। आपने बोलने की मुझे अनुमति दी, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आज अध्यापकों की कमी है उसके बावजूद उनके द्वारा नए प्रभावी प्रयोग कर अच्छी शिक्षा के लिये जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह के भी वे परिवर्तन करने जा रहे हैं समानीकरण हो, एकीकरण हो, मेरा उनसे सुझाव है कि गांवों के लोगों को ज्यादा प्राब्लम नहीं आए। इस तरह के ही वे समानीकरण और एकीकरण में काम करें। मैं इसी के साथ, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगे हैं वह भी रखना चाहता हूं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एवं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ी सादड़ी में मुख्यालय में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। लगभग मुख्यालय से 70-70 किलोमीटर तक कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। वहां एक पुस्तकालय समिति बनी हुई है। अगर सरकार वहां राजकीय महाविद्यालय खोलती है तो वहां कि जो वह पुस्तकालय समिति 25 लाख रुपये देने को तैयार है और एक अन्य संस्था जो है जो निजी संस्था है एनजीओ का काम

(श्री गोतम कुमार)

करती थी। उस संस्था ने अपनी बिल्डिंग भी तैयार कर रखी है और लगभग 2 करोड़ से बनी हुई बिल्डिंग है। अगर सरकार वहां राजकीय महाविद्यालय की घोषणा करती है तो वह बिल्डिंग भी देने के लिये तैयार है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से विनम्र अनुरोध है कि जब अपना उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय खोलने का विचार है तो ऐसे में ऐसी जगह क्यों नहीं खोला जाए जहां दो-दो साल के लिये अपने को वैसे ही खर्चा देने को तैयार है और बिल्डिंग भी अपने को देने के लिये तैयार है। इसलिये मेरी इस बात पर गहनता से, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसी बजट में अगर घोषणा की जाएगी। मंत्रीजी भी विराजें हुए हैं मेरा एक बार पुन: उनसे बहुत विनम्र आग्रह है कि इसी बजट में अगर, क्योंकि जनता वहां चाह रही हैं। जब हम वहां जाते हैं तो पूछती है जब हम 25 लाख रुपये डोनेशन में भी देने को तैयार हैं आपको और बिल्डिंग भी देने को तैयार हैं तो क्यों नहीं खोला जा रहा है? तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से विनम्र आग्रह है कि वह आज ही जब आप रिप्लाई दें तो इसमें इस विद्यालय को जरूर लें और इस पर विचार करके इसका जरूर ध्यान लगावें। मेरा एक मंत्रीजी से आग्रह है कि जो विद्यार्थी मित्र आज जो उद्योग मैदान पर धरना दे रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पांच सौ ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी मित्र के रूप में सेवा दे रहे हैं। उनको लगभग आठ दस साल हो गए यह सेवा देते हुए और जिस प्रकार से उन्होंने सेवाएं दी हैं और जिस प्रकार से वे स्कूल चल रहे थे। मेरे हिसाब से हमारे वहां जो बाहर के टीचर आते हैं, कुछ बाहर से भरतपुर, जयपुर इन जगह से जो टीचर आते हैं। वह आधे दिन आते हैं और आधे दिन आते ही नहीं हैं। लेकिन ये विद्यार्थी मित्र चूंकि यह स्थानीय होते हैं और वे अपने मन से उस गांव की सेवा करते हैं और रिजल्ट दे रहे हैं तो जिस तरह से हमने एक प्रश्न लगाया था, मैंने तारांकित, उसमें यह बताया था कि ये असंवैधानिक हैं और इनको निकाला जा रहा है तो मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि लगभग 25 हजार की संख्या में यह विद्यार्थी मित्र हैं। जिस प्रकार से इन्होंने सेवाएं दी हैं इनको नहीं निकाल कर के इनको नियमित नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम ये आठ दस सालों से काम कर रहे हैं इनको बेरोजगार तो नहीं करें। इस पर आप गम्भीरता से विचार करके, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कम से कम उनको काम करने दें। सभी विधायकों की भी लगभग राय है तो इस पर अभी भी जब मैं बोल रहा हूं तो सब लोग इसके लिए कह रहे हैं, आप सभी इस पर बोलना चाह रहे हैं। तो मेरा मंत्रीजी से भी आग्रह है कि कैसे भी करेगा, इसका कोई न

(श्री गोतम कुमार)

कोई आप वकील से या किसी भी तरह से बैठ कर के इसका रास्ता निकालने का प्रयास करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो भी विद्यालय हैं। उनमें अधिकतर पद रिक्त चल रहे हैं तो अगर विद्यार्थी मित्र और भी निकाल दिए तो और गम्भीर समस्या हो जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि विद्यार्थी मित्र भी लगायें और भी जो अध्यापक समानीकरण में लगा रहे हैं तो उसमें अधिक से अधिक मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगाने का कष्ट करें। क्योंकि बहुत सारी पोस्टें मेरे विधान सभा क्षेत्र में खाली हैं। कुछ विद्यालयों में हमारे छात्रों की संख्या के अनुरूप कक्षा कक्ष भी नहीं है तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के क्रमोन्नत के कुछ प्रस्ताव मैंने आपको भिजवाये हैं। जिनमें प्राथमिक से उच्च प्राथमिक के लिये, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक के लिये और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक के लिये तो जो प्रस्ताव आपके पास भिजवाये हैं उन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, चूंकि हमारा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है। जहां एससी/एसटी के और गरीब किसान परिवार रहते हैं। उनके लिये विद्यालय अगर क्रमोन्नत नहीं हो और दूर जाना पड़े तो वह परिवहन का खर्चा वगैरह वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मेरे विधान सभा क्षेत्र के टीएसपी एरिया को देखते हुए अगर आप वहां विद्यालय क्रमोन्नत करके उनको सुविधा देंगे तो निश्चित रूप से वह आपको दुआ देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों के अधिकतर स्कूलों में बाउण्ड्री नहीं है। बाउण्ड्री नहीं होने से, वहां आसपास लोग, आज जिस तरह से माफिया पनप गए हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है उसमें बाउण्ड्रीवाल की और यह अपने जो सरकारी भवन हैं, सरकारी बिल्डिंग्स जो भी हैं उनकी सुरक्षा भी जरूरी हो गई है। तो ऐसे में रामसहाय योजना में जो आप कमरों के लिये तो पैसा दे रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि रामसहाय योजना में इस बाउण्ड्रीवाल को जुडवाने का कष्ट करे। जिससे कि स्कूलों की जो जमीन हैं वह सुरक्षित रह सके और इस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ अनुदानित विद्यालय थे। उनमें कुछ अध्यापकों का, कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का इनका तो समायोजन हो गया है लेकिन चार-पांच कर्मचारी हमारे अभी भी रह गए हैं। जो राजकीय स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा नियम-2010 में राजकीय विद्यालयों में समायोजन कर केवल अध्यापक ऐसे हैं जिनका समायोजन बाकी रह गया है। मैं उनका नाम भी ले लूं यशोदा जी सुखवाल, मोहनलाल दंतकार, हेमलता जी

(श्री गोतम कुमार)

वैरागी, बेबी कंवर यह सब नियुक्ति से शेष रह गए हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यह चूंकि 15-15, 20-20 सालों से उन विद्यालयों में काम कर रहे थे और अब वह अनुदान भी बंद हो गया है। तो ऐसे में उनका जीवनयापन करना बहुत दूभर हो गया है। उनका आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको नियुक्ति देने का आदेश कराएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ प्राथमिक विद्यालय हैं पूर्ववर्ती सरकार ने अनार्थिक कह करके बंद कर दिए थे। लेकिन वास्तविकता में वे बंद नहीं होने चाहिए थे। मैंने उनके प्रस्ताव आपको भिजवा रखे हैं अगर चालू करवा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वहां के लोग आपको बहुत-बहुत याद करेंगे, धन्यवाद देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बोयड़ा, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और एक मंगलवाड़ में उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं दोनों ही दस-दस हजार की आबादी के गांव हैं। अगर उन गांवों में जिस प्रकार की जनसंख्या है और बहुत सारे विद्यार्थी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जाकर के एडमिशन लेते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन दोनों स्कूलों में अगर वाणिज्य संकाय प्रारम्भ कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। मैं इतना ही कहते हुए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुश्री कीर्ति कुमारीजी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग 24 शिक्षा, कला और संस्कृति के विषय में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। शिक्षा बिना मानव का जीवन अधूरा है और हमारा देश तो विश्व गुरु रहा है। संतों का देश, मेरे को बहुत दुःख होता है आज बोलते हुए कि पिछले पांच साल में कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा की नीति को ऐसा तोड़ मरोड़कर के ऐसी जर्जर अवस्था में छोड़ा कि राजस्थान में सिर्फ शिक्षित बेरोज़गारों की भीड़ इकट्ठी की थी। सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम हमारे सदन की नेता यशस्वी मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा राजेजी सिंधिया जब प्रदेश में गईं और उनको प्रदेश को सच्चे हालात मालूम पड़े। उनको वास्तविक स्थिति से जब वह अवगत हुईं और जनादेश के बाद जब वे मुख्य मंत्री बनीं। जब पहला बजट उन्होंने सदन में रखा तो ऐसा लगा कि अंधेरा हटकर के अब उजाला आने वाला है। शिक्षा के लिये बजट में समुचित प्रबंधन किए गए हैं।

मैं सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगी कि बिना वित्तीय

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

प्रबन्धन के भी हम प्रदेश के छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। हमारे प्रदेश के स्कूल्स ग्रामीण क्षेत्र के जो बिल्डिंग्स हैं और जो खेल मैदान हैं उनके हालात बिलकुल अच्छे नहीं हैं। हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा जी का मैं आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने इस विषय को ध्यान में रख कर के बजट में समुचित व्यवस्था की। शिक्षा सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं हो राजस्थान प्रदेश आगे बढ़े, राजस्थान प्रदेश के लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा के माध्यम से हो ऐसा मैं चाहती हूं। मेरे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजौलिया उपखण्ड के ऊपर 5500 से ज्यादा छात्र बाहर कालेज शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाते हैं। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहती हूं कि बिल्डिंग की व्यवस्था बिजौलिया में भी उपलब्ध है और महाविद्यालय बिजौलिया में खोलने का आप जरूर ध्यान रखें। आज इस विषय पर स्थापत्य कला के लिये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी। माण्डलगढ़ का दुर्ग स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है दुर्ग पिछले सालों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी इसी क्षेत्र से रहे लेकिन उन्होंने दुर्ग जो हमारी मेवाड़ी आन-बान और शान का प्रतीक रहा उसकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की। महाराणा सांगा खानवा के युद्ध से जुड़ा हुआ माण्डलगढ़ का दुर्ग, मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगी कि पर्यटन को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा और माण्डलगढ़ कस्बा जो एक साम्प्रदायिक सौहार्द का कस्बा है शांत कस्बा है जहां पर कृषि के अलावा और कोई आजीविका की व्यवस्था नहीं। दुर्ग के रखरखाव के लिये जरूर व्यवस्था की जाए।

विद्यार्थी मित्रों के लिये मेरा भी विचार है कि सरकार हमारी उनको निराश नहीं करेगी। सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश वीरांगनाओं का प्रदेश है और जब आप आसन पर विराजते हैं तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूं। मुझे आज आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या ने मात्र तीन मिनट में अपनी बात कही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) गागर में सागर भर दिया। सभापति महोदय, इतनी विदुषी महिला हैं गागर में सागर भर दिया आपने।

श्री सभापति: सभी को यह देखना है। माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 के बारे में निवेदन है कि मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है। जिसमें श्रीनगर पंचायत समिति की पदमपुरा, वानखेड़ा, मानपुरा, नौलखा, गुड्डा, सिलोरा पंचायत समिति की ग्राम झूंपों की ढाणी, झाग, गिलावट, सिंगला, रोड़ावास, पीसांगन पंचायत समिति की सराधना, नन्दी फर्स्ट, नन्दी सैकण्ड में उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है। इसी तरह से सिलोरा पंचायत समिति की रघुनाथपुरा, पीसांगन पंचायत समिति की तिलोरा, खटूण्डी, भांवतां, नान्द के राजकीय महाविद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही, श्रीनगर पंचायत समिति की नम्बूकिया की ढाणी और पीसांगन पंचायत समिति की गोल्या विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ल्या गांव का विद्यालय भवन बड़ी जर्जर अवस्था में है उसका पुनर्निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही, भैंरोई माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षा हेतु ऊंची चारदीवारी की जाए। पीर के स्कूल के खेल मैदान की चारदीवारी का कार्य भी अति आवश्यक है। इसके अलावा, रामनेर की ढाणी के माध्यमिक विद्यालय में तथा रामगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा भवनों का निर्माण किया जाना और शौचालय का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की श्रीनगर पंचायत समिति में जाटली, सिलोरा पंचायत समिति में सिनोदिया, पिंगलोद तथा पीसांगन पंचायत समिति के ग्राम नंदी फर्स्ट में बालिका विद्यालय खोले जाने की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के कंचन नगर में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाए। पीसांगन पंचायत समिति के सोलमपुर के सात नंबर वार्ड में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाए।

माननीय सभापति महोदय, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में पुष्कर में पिछली सरकार ने महाविद्यालय खोलने की घोषणा की और महाविद्यालय खुला लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकार ने सिर्फ घोषणा ही की और भवन के लिये न तो कोई जगह का आबंटन किया और न ही कोई व्यवस्था की। अभी वर्तमान में जो महाविद्यालय चल रहा है वह मात्र दो कमरों में चल रहा है। उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से महाविद्यालय भवन का निर्माण हो ताकि विद्यार्थियों को बैठने की उचित व्यवस्था हो सके।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

हमारे स्कूलों में जो पोषाहार दिया जाता है उसमें मिलावट नहीं हो, उसकी गुणवत्ता बनी रहे इसके लिये हमें प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि यह बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अति गम्भीर संवेदनशील मामला है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करते हैं तो पाया जाता है कि दाल में इल्लियां पड़ी हुई हैं, गेहूं में फंगस लगी हुई है तो ऐसी कोई योजना बनाएं कि पोषाहार की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए और कोई दोषी अधिकारी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करके पुलिस में मुकदमा दर्ज कराएं ऐसी व्यवस्था हो ताकि वे डर से बच्चों के पोषाहार की गुणवत्ता का ध्यान रखे।

भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की व्यवस्था की। इस विश्वविद्यालय को खोलने का सबसे उपयुक्त स्थान अजमेर है। अजमेर सम्भाग में कृषि सम्बन्धी एक भी विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय नहीं है न ही कोई निजी संस्थान है जो कृषि के बारे में प्रशिक्षण दे सके। आपसे मेरी पुरजोर मांग है कि अजमेर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तीर्थराज पुष्कर के अन्तरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए पुष्कर में पर्यटन विश्वविद्यालय की स्थापना हो ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान संगीत, लोक कला, पेंटिंग, लोक गीत, लोक गाथाएं, योग आदि विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे राजस्थानी संस्कृति को जिन्दा रखा जा सके। पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में वैद्यनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है और वह बड़ी जर्जर अवस्था में है। तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि वहां पर्यटक भी काफी बड़ी तादाद में आते हैं अगर उस मंदिर का रखरखाव और जीर्णोद्धार होगा तो वहां पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये कालबेलिया जैसे नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर भव्य आयोजन किया जाएं जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा और हमारे राजस्थान दिवस को विश्व पर्यटन के दिवस के मानचित्र में लाया जा सकेगा। राज्य की विविधतापूर्ण गौरवमयी लोक संस्कृति को बचाने के लिये लोक कलाकारों को संरक्षण देने के साथ लोक भाषा की उन्नति के प्रयास करने व लोक संस्कृति को नयी पीढ़ी से परिचित करवाने के उद्देश्य से अजमेर में जयपुर जवाहर कला केन्द्र की भांति सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने की अति आवश्यकता है।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, कला एवं संस्कृति विभाग में सत्रह समितियां या बोर्ड बने हुए हैं उनमें से अभी कुछ का ही गठन हुआ है तो आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इन बोर्डों का गठन किया जाए ताकि हमारे कला और संस्कृति क्षेत्र के उत्तम कार्य हो सकें। पंचायत समिति स्तर पर एक माडल स्कूल बनाया जाए जिससे कि हम उस माडल स्कूल को देख कर बाकी भी स्कूलों का विकास कर सकें। सभापति महोदय, पुराने काल में हमारी शिक्षा पद्धति बहुत उन्नत थी। जिसका प्रमाण रामायण काल के रावण के पास पुष्पक विमान होना है महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने अंधे होने के बाद भी कौरव संजय से पूरी महाभारत का जीवंत चित्रण घर बैठे सुना था। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति इतनी समृद्ध व शक्तिशाली है कि दुनिया इसका अनुसरण करती है। भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिये अनेकों बार विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किये। कभी मोहम्मद गौरी ने, कभी सिकंदर महान ने, कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने लेकिन भारत की सांस्कृतिक धरोहर का बाल भी बांका नहीं कर सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की अनेकता में एकता की अद्‌भुत संस्कृति है। भांगड़ा से भरत नाट्‌यम तक हमारी सांस्कृतिक संस्कृति है। जम्मू के राजमा चावल से लेकर पंजाब के मक्के की रोटी, राजस्थान की दाल, बाटी, चूरमा से लेकर दक्षिण के इडली डोसा तक हमारे व्यजंनों के मिश्रण की संस्कृति है। अमरनाथ से रामेश्वर तक और हरिद्वार तक ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): सभापति महोदया, शिवभक्त अमरनाथ का जल रामेश्वर के पैर पखारता है, फिर तीर्थ राज पुष्कर आता है, यही हमारी संस्कृति की प्रताढ़ता का प्रमाण है। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या श्रीमती संजना जी आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। आज शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड पर चर्चा चल रही है। शैक्षणिक जीवन में शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की सबसे पहली सीढ़ी है। इसके लिये शिक्षा का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। हमारे साथी माननीय विधायकों को यह जानकारी होगी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस के विगत पांच वर्षों में पूरे

(श्रीमती संजना आगरी)

प्रदेश में शैक्षणिक अराजकता का माहौल बन गया, जिससे वर्तमान में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कई ऐसी थोथी घोषणाएं कीं जिसका खामियाजा हमारे प्रदेश के युवा नौजवान साथियों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने परिवर्तित बजट 2014-15 में तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समस्त वैधानिक कार्यवाही कर पारदर्शिता के साथ इन पदों को यथाशीघ्र भरेंगे यह बात यहां पर रखी। इसके साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस सरकार के शासन में जो गिरावट आई इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को छात्र-छात्राओं के हितों को मद्देनजर रखते हुए जो बजट पेश किया, उस बजट की मैं सराहना करती हूं। शैक्षणिक जीवन में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध हो सके इसके लिये पाली जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह वाकई हमारे पाली जिले का सौभाग्य है, इसके लिये भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। प्रदेश में युवा बेरोजगारों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए तृतीय श्रेणी की अध्यापक भर्ती परीक्षा थी, कि दोहरी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी जो आरईईटी के नाम से जानी जाएगी, इससे नौजवान बेरोजगार साथियों को काफी राहत मिलेगी। माननीय सभापति महोदय पैरा संख्या 153 में वर्तमान सरकार ने 3439 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जो 838 अन्य ग्राम पंचायतों में निजी महाविद्यालय हैं। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों व ढाणियों में रहने वाली छात्र-छात्राओं को अपने ही गांव में बहुत अच्छी शिक्षा, सुलभ शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी ने शेष बची 4900 ग्राम पंचायतों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों क्रमोन्नत में करने के साथ ही परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को, उनके परिवार वालों को आर्थिक फायदा भी होगा।

इनके साथ ही, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतें हैं जैसे चामण्डिया, गोदला, देवली कलां यहां पर आठवीं तक के विद्यालय हैं उनको आप क्रमोन्नत करवा कर टेंथ तक करेंगे। आज यहां पर निजी महाविद्यालयों का विषय चला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगी कि शैक्षणिक स्तर का ग्राफ निजी विद्यालयों के अन्दर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जबकि निजी

(श्रीमती संजना आगरी)

विद्यालयों के जो अध्यापक हैं वह बहुत ही कम वेतन के अन्दर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राइवेट निजी स्कूलों के अन्दर उपलब्ध करवाते हैं। यह वाकई बहुत चिंता का विषय है। स्कूली छात्र-छात्राओं का प्रतिशत अच्छा नहीं रहे, उनके बच्चे मैरिट में नहीं आएं या उनके स्कूल का नाम खराब हो जाए इस चिंता को लेकर निजी विद्यालयों के जो भी शिक्षक हैं वह अध्ययन करवाते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि सरकारी स्कूलों के जितने भी अध्यापक हैं, व्याख्याता है, हम लोग क्यों नहीं शिक्षा नीति के माध्यम से इनके चाहे पीए हैं, पियोन है, इन सबको आप पाबंद करें। निजी स्कूलों के अन्दर बहुत कम वेतन के अन्दर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। हमारे सरकारी स्कूल के जो भी व्याख्याता, पीए, पियोन हैं इनको बहुत ही अच्छा वेतन सरकार दे रही है और अच्छे वेतन के बावजूद भी आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा इन विद्यालयों के अन्दर उपलब्ध नहीं हो रही है जिससे सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या का ग्राफ घटा है, तो यह भी निवेदन करना चाहती हूं।

साथ ही, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में गुढाकलां पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में जो मगरा क्षेत्र में स्थित है 1953 में जन सहभागिता के माध्यम से योजनागत 10 कमरा सहित एक विद्यालय का निर्माण किया गया था। जबकि उसकी शुरूआत प्राथमिक विद्यालय से हुई थी, उसके बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलां वर्ग के सात में यह विद्यालय क्रमोन्नत हुआ। यह मगरा क्षेत्र के लगभग तीन या चार ग्राम पंचायतों के छात्र-छात्राएं इस विद्यालय में अध्ययन हेतु आते हैं। 1953 में जो जनसहभागिता के तहत जो विद्यालय बना उस विद्यालय में आज साढ़े चार सौ से पांच सौ की संख्या में छात्र-छात्राएं वहां पर आते हैं। आज भी वह विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय था, उसी विद्यालय के अन्दर सीनियर हायर सैकण्डरी का विद्यालय चल रहा है। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी गत सरकार में उस गुढाकलां ग्राम में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के लिए उन्होंने जमीन उपलब्ध करवाई, इसकी मैं सराहना करती हूं, धन्यवाद देती हूं। चूंकि अब हमारी सरकार है और मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस जमीन के अन्दर हमने हैंडपम्प भी खुदवाया, स्कूल की बाउण्ड्री भी बना रहे हैं। 1953 में जो स्कूल बना था वह भी जनसहभागिता के तहत बना था तो सरकार के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह गुढाकलां वह पंचायत है वहां पूरे मगरा क्षेत्र के छात्र-छात्रा पढ़ने के लिये आते हैं, क्यूं नहीं उनकी स्थिति को देखते हुए यहां पर

(श्रीमती संजना आगरी)

एक सीनियर स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाए, इसकी घोषणा आप करें।

मैं माननीय मंत्रीजी से बताना चाहूंगी कि इसी के साथ एक देवली कलां ग्राम पंचायत है वहां पर 1990 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बना था जिसमें 30 बाई 40 के 12 कक्षा कक्षों का निर्माण आज भी है। जहां पर्याप्त सुविधाएं हैं। उक्त बालिका महाविद्यालय में आसपास के गांवों की छात्राएं वहां पर पढ़ने के लिये आती हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले माता-पिता आज भी अपनी बच्चियों को बायज स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी, प्रदेश की महिलाओं और छात्राओं को शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों, इसके लिये संकल्पबद्ध है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस बालिका विद्यालय को आप क्रमोन्नत करवा कर छात्राओं को आप राहत प्रदान कराएंगे।

इसके साथ ही, मैं बताऊंगी, कुशालपुरा ग्राम पंचायत जहां 1990 में एक सैकण्डरी विद्यालय का भवन निर्मित हुआ था जिसमें लगभग 16 कमरे हैं। आज भी इस विद्यालय में सीनियर सैकण्डरी विद्यालय चल रहा है। आसपास के गांव के छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए आते हैं। इसके साथ ही, एक मरूधर केसरी जो जैन समाज की तरफ से गांव वालों को दिया गया था, छात्राओं के अध्ययन के लिये, वहां पर आज उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। इसके साथ ही, मैं पीपलियां ग्राम पंचायत जहां पर सीनियर सैकण्डरी विद्यालय जो वर्षों पुराना है, मंत्री महोदय जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि तीनों विद्यालय जो सीनियर हायर सैकण्डरी के चल रहे हैं यहां पर मैंने आंखों से देखा है कि पीपलिया ग्राम पंचायत में जो सीनियर का विद्यालय चल रहा है वहां पर पूरे रूम के अन्दर कम्प्यूटर रखे हुए हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि एक भी कम्प्यूटर वहां पर बारिश के दिनों में सुरक्षित नहीं रह सकता है। पूरा पोलीथिन का कवर लगाकर इनको सुरक्षित रखना पड़ता है। कुशालपुरा में मैंने देखा कि वहां पर बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है और छात्राएं कपड़े ऊपर लेकर पैरों पर बैठ कर वहां पढ़ाई करती हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त तीनों ग्राम पंचायतें जो मैंने आपको बहुत सीरियस कंडीशन थी, वह बताई, आप इसके लिये हमारे बजट की व्यवस्था करावें। इसके साथ ही, मैं निवेदन करना चाहती हूं, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि यहां पर हमारे राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी है।

(श्रीमती संजना आगरी)

(20.00 बजे)

हमारे चिकित्सा मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। साथ ही सांवरलालजी जाट जो पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी हैं, हमारे दो व्याख्याता तो आप लेकर गये हैं और एक व्याख्याता, हमारे लेक्चरर, जो हमारे चिकित्सा मंत्रीजी विराजे हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि हमारे चिकित्सा मंत्रीजी और मंत्रीजी अगर व्याख्याता हमारे यहां से लेकर गये हैं तो हमें बदले के अन्दर तीन की जगह छह वापस मिलने चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। इसके साथ ही, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि सोजत शहर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर दो स्कूल है। माननीय मंत्रीजी, वहां पर 40 छात्र-छात्राओं की संख्या है। इसके पास ही एक राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है। छात्र-छात्राओं की संख्या वहां पर डेढ सौ से लेकर दो सौ तक है। इस बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत करके आप इसको माध्यमिक विद्यालय कर दें। इसके साथ ही, नम्बर दो का जो विद्यालय है, उसमें मात्र 40 छात्र-छात्राएं हैं। इसको पास वाले इस बालिका विद्यालय के अन्दर मर्ज करके क्रमोन्नत कर दें। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के इस बढ़ते आधुनिक दौर में राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा छात्र-छात्राओं को प्राप्त हो सके। इसके लिए हमारी माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने महाविद्यालयों का संकायवार पुनर्गठन कर राज्य में 15 नये और महाविद्यालय बनाने की घोषणा की।

श्री सभापति: आपकी डिमाण्ड्स हो गयी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में रायपुर शहर है जो पूर्व में विधान सभा क्षेत्र भी रहा है और हमारे स्वर्गीय हीरासिंहजी वहां से विधायक बन कर आया करते थे और रायपुर शहर के आसपास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीनियर सैकण्डरी और छोटे-बड़े 15 से 20 विद्यालय संचालित हैं। परन्तु इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मजबूरन महाविद्यालय नहीं होने के कारण, अपने क्षेत्र से दूर 70 किलोमीटर ब्यावर या 60 से 70 किलोमीटर दूर पाली में महाविद्यालय शिक्षा के लिये आना पड़ता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): रायपुर शहर के आसपास के 30-40 गांवों में रहने वाले छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए मैं मंत्रीजी से

(श्रीमती संजना आगरी)

निवेदन करती हूं कि 15 महाविद्यालयों में एक महाविद्यालय हमारे सोजत को भी मिलेगा तो हमारी मेहंदी नगरी की रंगत है, उसमें और चार चांद लग जाएंगे। इसके साथ ही, मैं एक बात और रखना चाहूंगी। हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोजत में 2003-2008 में वहां पर कालेज के जमीन उपलब्ध करवाई थी और पी.पी.पी. मोड में वहां पर भामाशाह द्वारा महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया। उस महाविद्यालय बिल्डिंग का कार्य, चूंकि वह भारतीय जनता पार्टी के समय में स्वीकृत हुई थी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उसमें एक पैसा तक नहीं लगाया। मैंने बार-बार यहां सदन में हमेशा अवगत कराया। आज भी उस महाविद्यालय की बिल्डिंग में लैब, कालेज की बाउण्ड्रीवाल का कार्य अधूरा पड़ा है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आज इस रायपुर सोजत सिटी में जो महाविद्यालय हैं, यह पूरे सोजत विधान सभा क्षेत्र का मात्र एक महाविद्यालय है जो पी.पी.पी. मोड में बना था। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस महाविद्यालय के लिए आप कुछ बजट उपलब्ध करवाएंगे तो हमारे वहां पर छात्राओं को कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, एक-एक बार।

श्री सभापति: कितना एक-एक।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर आज सीनियर सैकण्डरी स्कूल के अन्दर प्रिंसिपल की, प्राचार्य की पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं चाहूंगी कि जिस विद्यालय के अन्दर प्राचार्य की कमी होती है, उन स्कूलों के अन्दर एक प्रतिशत भी व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं होती है। इसके साथ ही, मैं बताना चाहूंगी कि अभी आपने बताया था कि जो भी जनगणना का काम हो, चाहे सर्व शिक्षा का हो, चाहे कोई भी राशनकार्ड के अन्दर हो, तो इसके अन्दर आप शिक्षकों की ड्यूटी लगाते हैं। एग्जाम तो हर दो-तीन महीनों में होते हैं। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि आप जो शिक्षकों की ड्यूटी यह सर्वे और जनगणना के अन्दर लगाते हैं, इसके अन्दर यह शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाएं। इसके साथ ही, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे मगरा क्षेत्र के अन्दर बहुत सी ढाणियां ऐसी हैं, जहां पर आजादी के 65-66 सालों बाद में आज भी वहां पर विद्यालयों की कमी है। मैं

(श्रीमती संजना आगरी)
माननीय मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि मगरा क्षेत्र में ऐसी ढाणियां, वहां पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं और प्राथमिक विद्यालय नहीं तो एक बार सारी ढाणियों के अन्दर आंगनबाड़ी केन्द्र खोल कर उनको शिक्षा आप उपलब्ध करवाएं। यह मैं निवेदन करना चाहती हूं। अभी हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने बताया था।

श्री सभापति: अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): कि इस सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं और हमारी सरकार की तरफ से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने आपको भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार की नीयत भी ठीक है, नीति भी ठीक है। हमारी सरकार की जो नियति होगी, वह पांच साल में, चूंकि आपकी सरकार ने जाते-जाते सारी घोषणाएं कीं और हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी की नीयत और नीति सब साफ है। इसके लिए इन्होंने पहले ही अपने बजट के अन्दर पूरे राजस्थान में आमजन के हित का ध्यान रखा। मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: देखिये, अभी और 15 सदस्य शेष हैं, जो बोलने हैं। इसलिए मेरा आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर हम अपनी बात को संक्षेप में रख सकें। पांच मिनट में बिना किसी भूमिका के अगर हम अपनी डिमाण्ड्स को रखेंगे तो मुझे लगता है कि सभी सदस्य जो अपनी बात कहना चाहें, उसे पूरा अच्छी तरीके से अंकित करा सकेंगे। 15 सदस्य अभी और शेष बोलने हैं, फिर मंत्रीजी का जवाब आना है। इसलिये थोड़ा समय-सीमा है। अपने समय का ध्यान रखिये। पांच मिनट कहा है तो पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करें, बिना किसी भूमिका के। अगले सदस्य श्री कैलाशजी चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, शायद आपने नौ बजे मंत्री महोदय के जवाब के लिए समय तय किया है। आसन की व्यवस्था नौ बजे की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री कैलाशजी चौधरी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, समय बढ़वाएं। ऐसे नहीं करें कि पहले लोग आधा घण्टा बोल लिये और हमें पांच मिनट का समय मिले। यह तो फिर बात सही नहीं है।

श्री सभापति: हम बराबर सबको यही कहते रहे कि आप लोग समय-सीमा का ध्यान रखें। यह सभी सदस्यों को सबको...

श्री रमेश (सपोटरा): कांग्रेस की तरफ से दो कैंडिडेट बोले हैं अभी तक।

श्री सभापति: अभी बोलेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): दो-दो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): चार बोल लिये, भाई।

श्री रमेश (सपोटरा): दो, ओनली टू।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): महिलाओं को थोड़ा टाइम दे देते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, दो ही बोले हैं, दो ही सदस्य, इक्कीस में से मात्र दो।

श्री सभापति: और जो कैंडिडेट्स बोले हैं कांग्रेस के, वे 25-25 मिनट बोले हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप शकुंतलाजी को बुलाइये, ज्यादा टाइम दे देंगे।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24, शिक्षा, कला और संस्कृति पर जो बोलने का मुझे मौका दिया गया है, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे लम्बे समय से मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र की एक समस्या थी और एक कालेज की मांग थी और इसके लिए हमने आन्दोलन भी कई बार पूर्ववर्ती सरकार के समय में किये। उसके बावजूद, आन्दोलन के बावजूद भी हमें कालेज नसीब नहीं हुआ। लेकिन हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जैसा कि सुराज-संकल्प यात्रा के समय वादा किया और उस वादे के अनुसार आज हमें कालेज की जो घोषणा की उसके लिये मैं वसुंधरा राजेजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। पूरी बायतू विधान सभा क्षेत्र की तरफ से भी मैं बहुत-बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा, मेरे बाड़मेर जिले में मेडिकल कालेज की भी घोषणा की। उसके साथ में, प्रत्येक पंचायत में पंचायत मुख्यालय और पंचायत में एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल की घोषणा की। तो यह एक हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का विजन है शिक्षा के प्रति उनकी सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और हर राज्य के लिये, हर देश के लिये शिक्षा, हर व्यक्ति के लिये शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के क्षेत्र में एक समय था जब भारत विश्व गुरू था और विश्व गुरू होते हुए...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी डिमाण्ड्स रखिये, जो भी डिमाण्ड है। कोई भूमिका मत बनाइये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): भारत एक समय विश्व गुरू था।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनकी डिमाण्ड पूरी हो गई, कालेज खुल गया इनके।

श्री सभापति: फिर भी ये बोलने के लिये खड़े हुए हैं तो आप अपनी डिमाण्ड रखिये और भूमिका मत बनाइये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मेरा एक ही निवेदन है कि जैसा पूर्व में प्रतिपक्ष के लोग बोल रहे थे कि इस सरकार ने क्या किया। सरकार ने आते ही हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी की घोषणा की और कई जो वादे किये जो हमारे घोषणा पत्र में थे, वह सारे पूरे किये। दूसरा, मेरा एक ही निवेदन है कि जो मेरे क्षेत्र में जो मांग के बारे में कहा गया और पहला मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि पहली से लेकर आठवीं तक किसी भी छात्र को फेल नहीं करना, ऐसा जो एक नियम है, तो आज पहली से आठवीं तक कोई बच्चा अगर फेल नहीं होगा, और वह दसवीं या सीनियर या बी.ए. करने के बाद में जब वह अपने कम्पीटीशन में जाएगा तो उस समय वह कहीं पीछे रह जाएगा।

इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहली से लेकर आठवीं तक जो बच्चे की एक याददाश्त होती है, पहली से दसवीं तक जो एक छोटी उम्र के अन्दर जो याददाश्त होती है वह याददाश्त और आगे जाने पर कम हो जाती है इसलिये मेरा निवेदन है कि पहली से लेकर आठवीं तक का जो एक नियम है कि उसे फेल नहीं करना तो उसमें इस नियम में परिवर्तन होना चाहिए और पांचवी और आठवीं दोनों में इसका बोर्ड होना चाहिए।

दूसरा, आज प्राइवेट विद्यालय हैं और जो सरकारी विद्यालय हैं, उसमें हर छात्र के लिये हम सोचते हैं कि उसको प्राइवेट विद्यालय के अन्दर भर्ती करवाएं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का इससे जिस तरह से नुकसान हो रहा है और आज हम हर जगह देख रहे हैं कि प्राइवेट वियालय के अन्दर हमारे बच्चे को भर्ती करवाएं। आज शिक्षा के, चाहे अधिकारी हों, चाहे यहां पर जितने भी माननीय विधायक भी बैठे हैं या कोई भी हो, वह यही चाहता है कि मेरा बच्चा, जो शिक्षक है वह शिक्षक भी अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में भर्ती करवाना चाहते हैं और जो उनके अध्यापकों को वेतन देने का है तो उनकी तो चालीस-पचास हजार रुपये तक की तनख्वाह है और प्राइवेट विद्यालय में जो

(श्री कैलाश चौधरी)

शिक्षक हैं उनकी तो तनख्वाह भी मात्र पांच या दस हजार रुपये प्रति माह होती है और उसके बावजूद भी वे कम योग्यता वाले बच्चे हैं उनके परिणाम उन विद्यालयों के, प्राइवेट विद्यालयों के परिणाम अच्छे आ रहे हैं तो इसके लिये मेरा तो एक निवेदन सरकार से और माननीय मंत्रीजी से यह रहेगा कि ऐसे शिक्षक हैं जो वास्तव में उनके लड़के हैं, वे उनके खुद के सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ा कर प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनके अन्दर पढ़ा रहे हैं तो इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री से यही कहूंगा कि ऐसे अध्यापकों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। उनकी कटौती होनी चाहिए क्योंकि उनको खुद की शिक्षा पर ही भरोसा नहीं है इसलिये मेरा यही निवेदन है।

दूसरा, जैसा कि बताया गया कि हर विद्यालय के अन्दर पोषाहार दिया जाता है और पोषाहार के अन्दर जो बहनें हैं, और जो पोषाहार बनाती हैं उन बहनों को जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा और मांग भी की कि हर विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है तो उनको जैसा कि दस हजार रुपया प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाता है अगर उनका मानदेय बढ़ा कर उनको चतुर्थ श्रेणी के रूप में काम लें तो वहां जो छात्र हैं, वे वहां पर झाड़ू निकालते हुए कई बार देखा गया है, तो वह एक कमी भी दूर हो जाएगी और उनका मानदेय बढ़ा कर उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में भी काम में लिया जा सकता है।

दूसरा, एक विद्यार्थी मित्र की बात जैसा कि अपने घोषणा-पत्र में भी है और हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी बहुत ही इस तरफ संवेदनशील हैं और हमारे मंत्रीजी भी हैं। उनकी भी सोच बहुत ही पोजिटिव है और जो विद्यार्थी मित्र थे उन विद्यार्थी मित्रों ने, जब चुनाव से पहले हमने अपने घोषणा-पत्र में भी लिया था। उनकी आशा भी है। अब वे बेरोजगार हो गये हैं तो वे आज जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं तो मैं मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि विद्यार्थी मित्रों को अगर अपन इनको परमानेंट कर दें या इनको एक बार रेगुलाइज कर दें तो निश्चित रूप से एक अपनी घोषणा-पत्र में जो था, वह पूरा होगा।

दूसरा, हर विद्यालय के अन्दर जैसा पी.टी.आई. नहीं है। पर पी.टी.आई. की आज आवश्यकता है। मैदान हर जगह पर अपन देखते हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जिन विद्यालयों के अन्दर शारीरिक शिक्षक नहीं हैं तो शारीरिक शिक्षक भी, हर विद्यालय के अन्दर कम से कम एक शारीरिक शिक्षक हो और मेरे

(श्री कैलाश चौधरी)

बायतू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मैं जैसा कि मांग, हमारी मुख्य मांग कालेज थी तो हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी को तो मैं धन्यवाद दूंगा और मांग उसी से की जाती है जो देता है और जो देने वाला होता है, उसी से मांगा जाता है। तो मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र में बायतू के अन्दर एक आई.टी.आई. कालेज खोलें, यह मेरी मांग है।

दूसरा, मेरा आपसे यही निवेदन है कि पिछले बजट में जितनी भी घोषणाएं की हैं, और जो घोषणा-पत्र के अन्दर थीं, वे सब हमें मिली हैं और आगे इतना ही कह कर, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री अजीत सिंहजी।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने, 2014-15 के बजट पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

शिक्षा के गिरते हुए स्तर को, हमारी माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट के अन्दर जो प्रावधान किया है, जो योजनाएं दी हैं, चाहे माडर्न स्कूल की बात हो, हर पंचायत स्तर पर हाई सैकण्डरी स्कूल की बात हो, विद्यालयों के समानीकरण की बात हो, यह सब सराहनीय कदम उठाया है इसके लिये मैं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभिनन्दन करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, मैं स्थिति को समझता हूं इसलिये मैं अपनी बात को बहुत कम समय में कहूंगा। मेरे यहां टोंक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो विद्यालय क्रमोन्नत करने की मेरी मांग है मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी सूची माननीय मंत्रीजी को मैं उपलब्ध करवा दूंगा।

मेरे यहां पर राजकीय कन्या महाविद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोला जाए इसका मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और हमारे यहां पर गवर्नमेंट कालेज में एम.ए. इंग्लिश और एम.एससी. फिजिक्स की भी फैकल्टी खोली जाए इसके लिये भी मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

(20.15 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

हमारे यहां पर पालीटेक्निक कालेज की बिल्डिंग बन कर तैयार है।

(श्री अजीत सिंह)

अभी वह नीमराणा में चल रहा है तो मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उसको टोंक के अन्दर ही शिफ्ट करवाया जाए।

मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि अभी हमारे जिले के अन्दर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बहुत पद रिक्त हैं। प्रधानाचार्य के स्वीकृत पद 104 हैं और वहां पर कुल 50 ही हैं। प्रधानाध्यापक के 205 पद है जिसमें से 83 हैं। व्याख्याता के 687 हैं, जिसमें से 409 व्याख्याता हैं। द्वितीय श्रेणी के 1569 में से 504 हैं। तृतीय श्रेणी के 240 में से 130 हैं इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारा टोंक जिला पिछड़ा हुआ जिला है। इसके ऊपर ध्यान देंगे। आपने, हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर टोंक की शिक्षा को लेकर ध्यान नहीं रखा लेकिन हमारा उनसे निवेदन है कि आने वाले बजट में हमारा टोंक का निश्चित ध्यान रखें।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी मित्रों के लिये पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, ऐसा मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री दलीचन्द डांगी।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने कटौती प्रस्ताव, मांग संख्या-24 पर बोलने का मौका दिया, मैं पहली बार मावली विधान सभा क्षेत्र से आया हूं, मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन-चार लाख की जनसंख्या है, उसकी पढ़ाई के लिये स्कूलों का अभाव है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में समस्या है। वह समस्या यह है कि गांवों में स्कूल है उसमें पानी की दिक्कत है। वहां पास में हिन्दुस्तान केमिकल के सब प्लांट आ गये, दस-पन्द्रह पंचायतों में पानी खराब है। हैण्डपम्प लगाते हैं तो स्कूल में तो पानी खराब आता है। बच्चों के लिये बहुत ही दिक्कत होती है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उपखण्ड मुख्यालय पर एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। वहां पर मावली क्षेत्र के आस-पास से 45 किलोमीटर दूर है। निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए यहां पर सरकारी संस्थाओं से अध्ययन ही एक मात्र उपाय है। शिक्षा के हिसाब से मावली के 45 किलोमीटर परिधि में कोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय,

(श्री दलीचन्द डांगी)

राजकीय पालीटेक्निक विद्यालय नहीं है। अत: इस क्षेत्र में मावली, साठ ग्राम पंचायत हैं, 349 गांव हैं। जनसंख्या भी निवास करती है आस-पास में, बारहवीं पास करने के बाद में विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, रोजगार के साधन नहीं मिलते हैं, इसलिये आपके माध्यम से मंत्रीजी को अवगत करवाना चाहता हूं कि मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र में हिस्सा जरूर दें। राजस्थान में बड़े-बड़े कालेज दिये हैं। मावली विधान सभा क्षेत्र में हिन्दुस्तान जिंक का एक बहुत बड़ा, रीको इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है। मैं अधिकार मांगता हूं कि मावली क्षेत्र में किसान हैं, किसानों के भले के लिये आप विद्यालय जरूर दें जो भी उचित समझें, वह दें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आज बात चल रही है तो आज सभी ने, पक्ष और विपक्ष सभी ने एक ही बात दोहराई पूर्ववर्ती सरकार, पूर्ववर्ती सरकार। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय बोल रहे हैं, उनके बीच में आ गये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और कभी कांग्रेस की आएगी लेकिन आप एक दूसरे पर ढोलते रहेंगे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। आप-हम बदलते रहेंगे। नये आते रहेंगे, लेकिन जो प्रदेश में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यापक हैं, जो शिक्षण व्यवस्था है, वह कहीं आप इम्पोर्ट करके नहीं लाओगे, बाहर से नहीं लाओगे। जैसे आज हम नहीं आए हैं सत्ता में, तो हम यहां बैठे हैं। हमारे जो अध्यापक हैं, कहीं बाहर नहीं चले गये हैं। मेरा निवेदन है कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है कि इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इसको गुणात्मक, कैसे क्वालिटीवाइज इसको अच्छा किया जाए? इस पर सभी को सोचने की बात है और माननीय सदन की नेता ने जो बजट में घोषणा की है, अच्छी बात है। हम उनको अच्छा कहेंगे। उसके लिए हम धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने अच्छा किया है। लेकिन

(श्री रमेश)

जो आज का वातावरण है, आज प्रदेश में शिक्षा का जो माहौल है, उस पर हम कहां खड़े हैं? पहले ही शिक्षा का माहौल खराब था और उसमें भी सरकारों ने किसी ने गुरुजी को पोषाहार का सिस्टम सम्भला दिया, रमसा का सिस्टम सम्भला दिया, एस.एस.ए. का सिस्टम दे दिया, भवन निर्माण कीजिये आप, खरीद कीजिये और प्रतिनियुक्ति जैसी उसके हाथ में ये व्यवस्थाएं दे दीं। अब गुरूजी का मन शिक्षा में कैसे लगेगा? गुरूजी कैसे इस शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे तो मेरा निवेदन यह है कि आज, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत करके शिक्षा में जो अव्यवस्था है और टीचरों का आज जो वातावरण बना है कि स्कूल में ढंग से पढ़ाने नहीं जाते हैं। चार टीचर किसी स्कूल में हैं, तो एक आएगा, बाकी नहीं आएंगे और उनके पास ऐसी ताकत आ गई है कि वह सरकार को बदल देते हैं, तख्ता पलट देते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि हिम्मत करके ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू कीजिए, ऐसी नीति लाइए, जिससे लगाम लग सके। जो हमारी लम्बी-चौड़ी फौज एक टीचर से लेकर डायरेक्टर तक, जो इस लाबी में बैठे हैं, इन पर लगाम कसिये। शिक्षा का वातावरण ठीक करिये जिससे हम राजस्थान में आगे बढ़ सकें। हमारे राजस्थान का नाम शिक्षा की दृष्टि से अच्छे प्रदेशों की गिनती में होता था। कोई हम पर अंगुली नहीं उठाता था, लेकिन अब यह स्थिति हो गयी कि रोजाना पेपर आउट हो रहे हैं। कहीं क्या स्थिति हो रही है।

आज बहस चल रही है शिक्षा पर, तो उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आपको अभी बजट मिला है शिक्षा के लिए 8,179.30 करोड़, 8.53 प्रतिशत और जिसमें एलीमेंट्री के लिए मिला है 4,882.12 और 2776.15 सैकण्डरी के लिए और 96.86 तकनीकी शिक्षा के लिए, यह कम मिला है बजट। आज हमें जरूरत है टैक्निकल आदमी की, तो इसमें आप इसको बढ़ाएं। बजट आते हैं और पैसा खर्च होता है, लेकिन आज की स्थिति गांवों में यह है कि ऐसे स्कूल हैं प्राइमरी और मिडल, जिनके भवन नहीं है। हमें एस.एस.ए. से पैसा मिलता है, उसके बावजूद भी भवन नहीं बन पाते हैं। आज जिनके पास भवन नहीं हैं प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी संख्या है 2,426 और मिडल स्कूल है 299, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जितनी भी ये भवनहीन स्कूलें हैं, उनमें आप भवन बनवाएं और आज राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़ 86 लाख 21 हजार 12 है और आज हमारे प्रदेश की जो साक्षरता दर है वह है 67.06 और देश की है 74.04 और पुरुषों की साक्षरता

(श्री रमेश)

दर है 80.05 प्रतिशत और देश की है 82.14 और महिलाओं की साक्षरता उससे भी कम है 50.66 और देश की है 65.46, तो हम कहां खड़े हैं, वह हमें देखना होगा। आज हम कितने पीछे जा रहे हैं। राजस्थान की स्थिति क्या है और इस बार जो राजस्थान में शिक्षा की जो दुर्गति हुई है, वह आज तक कभी नहीं हुई।

इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का राजस्थान का जो रिजल्ट रहा, वह चौंकाने वाला रहा है। इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो परिणाम आए, वे शर्मनाक परिणाम हैं। जितनी बड़ी फौज शिक्षकों की शहरों में लगी हुई है और जो परिणाम आए हैं, वह एक शर्मनाक है। मैं जयपुर शहर की बात करता हूं जहां से हमारे शिक्षा मंत्रीजी भी आते हैं और अन्य मंत्री भी हैं, विधायक हैं। जो परिणाम जयपुर शहर के आए हैं महावतान स्कूल का परिणाम जीरो प्रतिशत और इसी तरह पोद्दार का नाम गिने-चुने स्कूलों में गिना जाता था, उसका प्रतिशत क्या रहा है, 17.46 प्रतिशत, जिसमें 63 विद्यार्थी थे, 63 ने एग्जाम दिये और मात्र पास हुए 11, और पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है? 60 से भी अधिक है। परसरामद्वारा स्कूल का परिणाम है 27 में से मात्र 4 पास हुए हैं। 14.08 प्रतिशत इसका रिजल्ट रहा है। माणक चौक का 27.15 और गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल गणगौरी बाजार का 27.15 और सांगानेर ब्वायज स्कूल का 33.85 प्रतिशत और कमला नेहरू स्कूल, जहां पर अध्यापक लगने के लिए बड़ी-बड़ी सिफारिशें लाते हैं आप लोगों के पास में, उस स्कूल का जो परिणाम है वह 38.5 प्रतिशत रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों में हजारों अध्यापकों की जो फौज और रिजल्ट आप देख रहे हैं, आपके सामने है और टीचर्स से कम स्टूडेण्ट होते हुए भी, अभी खेतड़ी गांव का एक टीचर मुझे मिला था, उससे पूछा कि सिमला गांव की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा हमारे यहां 6 टीचर्स हैं और 4 छात्राएं थीं और उसका रिजल्ट रहा जीरो। आज हम कहां पर स्टेंड कर रहे हैं? राजस्थान में आज दसवीं की मैरिट आई उसमें 15 स्थानों पर 108 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया और इनमें से सरकारी स्कूल का एक ही विद्यार्थी था तो इसी तरह बारहवीं विज्ञान का परिणाम आया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी मैरिट में कहीं भी सरकारी स्कूल का नाम नहीं था। वाणिज्य में एक और आर्टस में सिर्फ दो छात्राओं ने मैरिट में नाम दर्ज कराया तो इससे घटिया प्रदर्शन क्या हो सकता है? राज्य में टोटल 13,755 सरकारी स्कूल हैं,

(श्री रमेश)

जिनमें 8,837 सैकण्डरी स्कूल और 4,418 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं और इतनी बड़ी इन अध्यापकों की फौज लेक्चरार, थर्ड ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड, जिला शिक्षाधिकारी, डायरेक्टर तक दर्जनों और पढ़ाई का काम सबका एक ही है कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, शिक्षा में हम कैसे आगे बढ़ाएं, लेकिन सब बेकार है। आज हमारे जो निजी स्कूल हैं, उनमें हमसे कम योग्यता वाले जो अध्यापक हैं, उनके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है एम.ए., बी.एड., उनके रिजल्ट हमसे अच्छे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विचारणीय बिन्दु है और शिक्षा मंत्री हिम्मत करके एक ऐसी व्यवस्था करें कि शिक्षक भर्ती के दौरान नये ऊर्जावान युवाओं का सलेक्शन करें जिनके मन में यह भाव हो कि हमें पढ़ाना है और शिक्षा के वातावरण का बदलाव करना है। ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहिए और जो लोग बच्चे की शिक्षा पर लापरवाही करते हैं, सरकारी पैसे पर मैं समझता हूं वह डकैती डाल रहे हैं। गैर-जिम्मेदाराना शिक्षक व्यवस्था करोड़ों बच्चों की जिन्दगी को तबाह कर देती है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सदन में चर्चा कर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार, प्रजेंट सरकार, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे बजट में घोषणा की है आप लोगों ने, कि 142 स्कूलों में कोई भी स्टूडेण्ट नहीं है और 251 टीचर हैं तो आज आप एकीकरण की बात कर रहे हैं, आज आप समानीकरण की बात कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इस शिक्षा विभाग का समानीकरण, एकीकरण कौन से विभाग में करें, कोई पढ़ने ही नहीं आता इन सरकारी स्कूलों में। पहले एक जमाना ऐसा था रौब से कहता था कोई भी आदमी, कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और आज स्थिति यह हो गयी कि ठेले चलाने वाला, एक मजदूरी करने वाला भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता। चाहे वह कितनी भी परेशानी भुगत ले, वह सीधा प्राइवेट स्कूल में भेजता है, उन लोगों पर, उन अध्यापकों पर उसको विश्वास है जो भले ही दसवीं पास ही पढ़ा रहे हैं पर उसको भरोसा है कि अच्छी शिक्षा देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: 11 मिनट ले चुके हैं आप।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सालाना 12 हजार करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद राजस्थान की शिक्षा सुधर नहीं रही। शिक्षकों के पद हैं 75 हजार और 7216 स्कूलों में एक शिक्षक है। अभी मैंने आपको 142 का विवरण दिया, 8164 प्राइमरी और मिडल स्कूलों में छात्रों की संख्या एक से 50 तक है, जिन पर अध्यापक लगे हुए हैं 14655 और जिन

(श्री रमेश)

स्कूलों की संख्या 16 से 30 है उन स्कूलों की संख्या में 19707 और प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल में 42150 शिक्षक लगे हुए हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारी बालिका शिक्षा की स्थिति और भी, अति गम्भीर है। हम इसके प्रति कितनी अवेयरनैस रखते हैं, कितने लापरवाह हैं। हमारी जो नेशनल एवरेज है वह .87 है और राजस्थान की है .63 जबकि हमारे तमिलनाडु और केरल की 115 और 109 है। आज राज्य में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ड्राप आउट बच्चे हैं जिनमें हमारी बच्चियों की संख्या है वह 100 में से 12वीं तक पहुंचने में मात्र 27 ही रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): बस दो मिनट लूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: अच्छा दो मिनट, पूरे दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं कोई मांग नहीं रखूंगा, मैं बस मेरी बात को कह रहा हूं।

कक्षा फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक नेशनल एवरेज ड्राप आउट बच्चों का 67.78 परसेंट और नेशनल एवरेज है 80.07 परसेंट। आपके जो अन्य प्रदेश हैं, हिमाचल है, गुजरात है वह ड्राप आउट में हमसे पीछे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्रीजी एकीकरण की बात कर रहे थे तो मैं उनसे इस बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। जब रिप्लाई दें तब मुझे बता दें कि आप एकीकरण को कैसे करेंगे, कैसे समायोजन करेंगे? आपके अधिशेष शिक्षक, जो समायोजन के बाद नयी भर्ती में विभिन्न विषयों के 4010 व्याख्याता, 9 हजार पद सेकण्ड ग्रेड और अभी जो पाइप लाइन में हैं, 20 हजार जिला परिषद से आने वाले हैं आपके पास और आपकी एकीकरण की प्रक्रिया में 17 से 20 हजार प्राइमरी और मिडल में मर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा, आपके पास जो अधिशेष शिक्षक बचेंगे 30 से 35 हजार, थर्ड ग्रेड शिक्षक जो रहेंगे इन शिक्षकों को आप कैसे मर्ज करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। श्री भीमा भाई।

श्री रमेश (सपोटरा): साहब, एक मिनट। अब बोल दिया, आपकी मर्जी, चलो हटाओ।

मैं तो यह कहना चाहता था कि 23 हजार प्रबोधक हैं, उनको आप

(श्री रमेश)

अध्यापक मानेंगे या पद सहित मर्ज करेंगे? (व्यवधान) इसके अलावा इस एकीकरण की व्यवस्था में 30 करोड़ रुपये का जो आर्थिक खर्च आएगा उसके बारे में भी आप मुझे बताएं।

श्री अध्यक्ष: वे जवाब दे देंगे। माननीय भीमा भाई। अब विराजिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): एक सुझाव और रह गया था मेरा।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराज जाइये।

श्री रमेश (सपोटरा): मात्र एक।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): एक ही है। ज्यादा नहीं पूछूंगा, बस एक ही। एक ही कह पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक सवाल कर दीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): आप लोगों ने साइकल दी, हमने भी साइकल दी, ढ़ाई हजार रुपये भी दिये। आपने अच्छा किया, कोई बात नहीं है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश में इन्टीरियर में, आदिवासी इलाकों में जिनके पास पहनने को चप्पल नहीं हैं, बस्ते नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं उन लोगों को आप पुस्तकें दिला दें, थैले दिला दें, चप्पल दिलवा दें। साइकल दिलवाई तो वह भी ठीक बात है लेकिन इसकी भी व्यवस्था करें। कुछ ऐसा एरिया है जहां गरीबी के कारण ...

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): लेकिन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वे पढ़ना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 24 – शिक्षा पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत -बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरात की सीमा से लगते कुशलगढ़ विधान सभा से पहली मर्तबा राजस्थान विधान सभा में आया हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय लम्बे समय से चल रहा है जहां पर महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिये वहां के विद्यार्थी लम्बे समय

(श्री भीमा भाई)

से मांग करते आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि राजकीय महाविद्यालय, मामा बालेश्वर महाविद्यालय को पी.जी. कालेज में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि पिछले वर्ष महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के 600 विद्यार्थियों को एडमिशन दिया था लेकिन इस वर्ष घटा कर 480 कर दिया है तो पुन: 600 का एडमिशन दिलाया जाए।

इसके साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बालिका माध्यमिक विद्यालय की बहुत कमी हो रही है। मेरा क्षेत्र दूरदराज ग्रामीण इलाके का क्षेत्र है, बालिका महाविद्यालय की आवश्यकता है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चार बालिका माध्यमिक विद्यालय और खोले जाएं।

इसके साथ ही, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के 1407 अध्यापकों के अगेंस्ट में मात्र 557 रिक्त पद हैं, इसमें आप भी विचार करेंगे कि दूरदराज के इलाकों में इतने सारे रिक्त पद होने के बाद में विद्यालय कैसे चलते होंगे, तो अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि समय रहते उन विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का कष्ट करेंगे।

साथ ही, अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पहले ही बजट में हर पंचायत स्तर पर जो सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की है उसके लिये मैं मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके साथ ही, मिड-डे मिल में जिन मैडमों को, जिन बाइयों को लगा रखा है, जिनको मात्र एक हजार रुपया प्रति माह दिया जाता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम उनका वेतन बढ़ाया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बी.ई.ओ. कार्यालय हैं वहां पर बी.ई.ओ. कार्यालय में बैठने के लिये भवन नहीं है तथा बाबुओं की जो कमी है, उन बाबुओं की भर्ती की जाए। इसके साथ ही, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो रिक्त पद पड़े हैं, उनकी भी भर्ती की जाए।

साथ ही निवेदन है कि सदन के सभी माननीय सदस्य विद्यार्थी मित्र पर हर तरह से सब का मन है कि विद्यार्थी मित्रों को कोई न कोई रास्ता निकाल कर रेगुलराइज किया जाए, तो अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है शिक्षा मंत्री महोदय से कि हाई कोर्ट ने या माननीय न्यायालय ने जो उसमें कोई न

(श्री भीमा भाई)

कोई व्यवधान डाला है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई न कोई रास्ता निकाल कर के अगर सदन सब तरह से तैयार है और सदन की सहमति है तो या तो शिक्षा सहायक के नाम से या और कोई न कोई रास्ता निकाल कर के विद्यार्थी मित्रों को जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो तब तक उनको रेगुलराइज करने का कष्ट करें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री भंवर सिंह।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बोल चुके।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं बोल चुका, केवल एक वाक्य बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये, प्लीज। (व्यवधान) नहीं, नो नो, आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं। श्री भंवर सिंह।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पहले भंवर सिंह जी का भाषण होगा तब बोलने दूंगा आपको मैं। पहले भंवर सिंह जी का भाषण होने दीजिए। बैठिये। दस मिनट। दस मिनट से आगे नहीं जाना चाहिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के ऊपर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। एकीकरण की बात पिछले 3-4 महीने से लगातार चल रही है। प्रारम्भिक शिक्षा को समाप्त करने की या उसके अस्तित्व को खतरे में डालने की जो साजिश की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के बारे में जो प्रस्ताव बनाये गये हैं उसके बारे में मैं सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बीकानेर जिले में कुल 103 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनका एकीकरण किया जाना है। उसमें 77 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को और 94 प्रारम्भिक विद्यालयों को समायोजित करने के प्रस्ताव बनाये गये हैं। वहीं 192 माध्यमिक विद्यालयों में एकीकरण प्रस्तावित है, उनमें 21 उच्च प्रारम्भिक विद्यालयों को

(श्री भंवरसिंह)

मर्ज किया जाना है और प्रारम्भिक विद्यालयों की संख्या 234 है, यानी 255 उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा। 164 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा। कुल मिला कर बीकानेर जिले में 383 प्राथमिक विद्यालय इस एकीकरण से प्रभावित होंगे जो बंद कर दिये जाएंगे। वहीं उच्च प्राथमिक श्रेणी के 101 विद्यालय हैं जिनका अस्तित्व एकीकरण के बाद समाप्त कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एकीकरण से एकमात्र बीकानेर जिले में 484 ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, जिनको बंद करने की तैयारी सरकार ने कर रखी है। इस प्रकार का इतना बड़ा सैटअप जिसमे पिछले लम्बे समय की मेहनत और बजट से पूरे राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र की गांव और ढाणियों में स्कूल खोले गये थे। एक-एक विद्यालय के भवन की जो लागत आती है वह 30, 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की लागत के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि एकीकरण किया जाता है तो इन विद्यालयों की दुर्दशा क्या होने वाली है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकरण के बाद इन विद्यालयों को जो वैल सैटल्ड हैं, सुसज्जित हैं, पूरा फर्नीचर है, पूरा सैटअप है इन विद्यालयों में, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद गांव के एक बड़े विद्यालय में 1 हजार विद्यार्थियों को एक ही कैम्पस में जमा करके बाकी स्कूलों को बंद करने की जो योजना है, इस योजना पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहीं मैं कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के 24 हजार विद्यार्थी मित्र हैं जो कि पिछली 11 तारीख से उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय इन विद्यार्थी मित्रों को लगाया गया था। मात्र 27 सौ रुपये के मासिक मानदेय पर लगने वाले ये विद्यार्थी मित्र 7 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं और पिछले 5 सालों में इनका थोड़ा-थोड़ा मानदेय बढ़ा कर के 47 सौ, 48 सौ वार्षिक मानदेय इन विद्यार्थी मित्रों को दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके जीवन का स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड जो होता है, वह उन्होंने विद्यार्थी मित्र रहते हुए पूरा कर दिया है। आज इनके सामने इनकी पारिवारिक परिस्थितियां भी हैं। इनके परिवार के भरण-

(श्री भंवरसिंह)

पोषण की जिम्मेवारी भी है। ऐसी स्थिति में इन विद्यार्थी मित्रों को एक आदेश जारी करके घर का रास्ता दिखा दिया है, निश्चित रूप से यह पूरे राजस्थान के युवाओं के साथ, इन बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि आप इन विद्यार्थी मित्रों को चाहे आप स्थायी नहीं करें लेकिन इनकी कोई एक कार्य योजना बना कर के इन्हें स्कूलों में समायोजित करें। हमारे पास लाखों पद अभी भी शिक्षकों के ऐसे हैं जो हमारे विद्यालयों में प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त हैं। हम आने वाले समय में भी शायद शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में, इन विद्यार्थी मित्रों को इन विद्यालयों में समायोजित करके इन्हें काम करने का मौका दिया जाए। जिससे कि इन्हें अपने जीवन के आगे आने वाला जो समय है, उनके रोजगार का जो संकट खड़ा हो गया है, उस संकट से कम से कम इन्हें निजात मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुबह से ही शिक्षा के ऊपर माननीय विधायकगण ने जो बातें कही हैं, उन्हीं बातों को मैं मिलाते हुए कहना चाहूंगा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात करें, नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात करें, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये संकाय विज्ञान और गणित खोलने की बात हो, चाहे प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात हो, चाहे प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नये संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात हो, कई माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब लगे हुए हैं उनका सही उपयोग नहीं होने की बात हो, हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय खोलने की बात हो, चाहे खेलों को बढ़ावा देने के लिये सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान बनाये जाने की बात हो, चाहे हमारी बालिकाओं के लिये जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें अलग से शौचालय खोलने की बात हो, इन शौचालयों के रख-रखाव के लिये अलग से कोई प्रावधान करने की बात हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, मैं कहना चाहूंगा कि आर.ओ. के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की बात हमारे बजट में कही गयी है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और सारा सैट-अप है, उसमें कम

(श्री भंवरसिंह)

से कम हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके स्वास्थ्य के लिये प्रत्येक विद्यालय में आर.ओ. लगाने के लिये मैं अपनी तरफ से मांग करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, सभी सरकारी विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन करवाने की बात हमारे माननीय सदस्यों ने कही है। सभी सरकारी विद्यालयों में पंखे आदि लगा कर के हमारे विद्यार्थियों को शुद्ध हवा मिलने की बात हो। यह सभी मांगें लगभग सदन के सभी माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैं भी इनके साथ अपनी बात मिलाते हुए अपनी मांग करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बायतू से पधारने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो बात कही है, हमारी मुख्य मंत्री जी के लिये, निश्चित रुप से बायतू में सरकारी महाविद्यालय खोल दिया, वह स्वागत योग्य कदम है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत की बात करना चाहूंगा कि कोलायत में पिछले वर्ष सितम्बर में राजकीय महाविद्यालय खोला गया था, खाजूवाला में राजकीय महाविद्यालय खोला गया था, डूंगरगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोला गया था, सितम्बर में वह स्वीकृति निकली थी और तब तक एडमिशन बंद हो चुके थे। हमारे माननीय मंत्री महोदय कल फरमा रहे थे कि उन महाविद्यालयों में एडमिशन नहीं हुए इसलिये उन महाविद्यालयों को चालू नहीं कर पाये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी का जवाब आने और मांग पारित होने तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: मांग पूरी होने तक।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पारित होने तक।

श्री अध्यक्ष: मांग पारित होने तक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट ठहरो।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

अब आप बोलिये। आपका समय खतम हो गया और आपने सबके साथ अपने आपको जोड़ लिया। इतना विशाल हृदय है आपका तो अब आप स्थान ग्रहण कीजिये।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 2 मिनट का समय चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कोलायत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ विधान सभा क्षेत्र है। आगे पाकिस्तान की सीमा आती है। 200 किलोमीटर में कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोलायत के सरकारी महाविद्यालय में अभी जुलाई का महीना चल रहा है, आप उस महाविद्यालय में एडमिशन की छूट दीजिये। मैं दावा करता हूं कि 500 से भी ज्यादा एडमिशन इसी सत्र में कोलायत के सरकारी महाविद्यालय में हो सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार नये सरकारी महाविद्यालय नहीं खोलती तो हमारी कोई मांग नहीं थी लेकिन जो नये सरकारी महाविद्यालय खोल दिये गये और जो पुराने 13 सरकारी महाविद्यालय थे उनको नहीं खोला गया। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि उन सरकारी महाविद्यालयों को चालू किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। श्री नानालाल अहारी। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: सारी। आप बैठिये। मैंने कहा था। आप मिनट में बोल लीजिये, क्या बोलना है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, एक मिनट में। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर शिक्षा की बहुत पुरानी और बहुत बड़ी नगरी रही है। इस अजमेर शिक्षा की नगरी में शिक्षा से सम्बन्धित लगभग पन्द्रह से बीस

(श्रीमती अनिता भदेल)

कार्यालय, जिनके नाम मैं पढ़ना चाहूंगी। मण्डल पुस्तकालय, स्काउट गाइड का कार्यालय, उप निदेशक, कार्यालय प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्राथमिक, दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय माध्यमिक के फर्स्ट और सैकण्ड, दो विद्यालय, प्राइमरी और मिडल, एक कम्प्यूटर लैब, एक सर्व शिक्षा अभियान का कार्यालय, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा जिसको बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपने एक मिनट मांगा था।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक मिनट अभी हुआ नहीं है। मैं निवेदन करना चाह रही हूं कि यह पन्द्रह के लगभग कार्यालय और स्कूल उस परिसर में है। मैंने माननीय मंत्री महोदय को व्यक्तिगत मिलकर निवेदन किया था। इस सम्पूर्ण परिसर को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, शिक्षा संकुल के नाम से विकसित किया जाए क्योंकि यह संभाग स्तर का कार्यालय है। एक और धन्यवाद देना चाहूंगी मंत्री महोदय को क्योंकि मेरा जो तोपदड़ा स्कूल है...

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आए तब देना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह तोपदड़ा स्कूल जिस आर्किटेक्ट ने बनाया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा...

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी। (व्यवधान) बस वह धन्यवाद बाद में दे देना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पिछली सरकार के समय में, हमारी गत भाजपा सरकार के समय हमारे सामने यह प्रस्ताव था। वह आर्किटेक्ट, राष्ट्रपति भवन बनाया था, उस तोपदड़ा स्कूल से अतिक्रमण हटाने...(व्यवधान) स्कूल के विकास के लिए ...(व्यवधान) उसका लाभ मिलेगा अजमेर को।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इस परिसर को दीनदयाल उपाध्याय परिसर घोषित किया जाए, यह उस समय प्रक्रिया में था। अत: मैं मंत्रीजी से मांग करूंगा कि उसको अपने जवाब में घोषित कर अनुगृहीत करें ताकि अजमेर में शिक्षा का विकास हो सके, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

(श्री वासुदेव देवनानी)
ताकि पन्द्रह के पन्द्रह कार्यालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम आ जाए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मैंने नानालालजी का नाम पुकार लिया है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए मुझे आपसे निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मनुष्य जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा जीवन में आवश्यक है। ऐसी स्थिति को देखते हुए वसुन्धराजी ने हमारे इस प्रदेश को शिक्षा का जो बजट दिया है वह सराहनीय है मगर पूर्व में जब 2003-04 में मुख्य मंत्रीजी ने अपना कार्यभार सम्भाला था उस समय सारे राजीव गांधी विद्यालय को राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया था और पैरा टीचर्स को भर्ती किया था। प्रबोधकों को आज 6500 रुपये पर फिक्स कर नियुक्त किया है उसी तरह आज विद्यार्थी मित्र जो धरने पर बैठे हैं, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उन्हें भी कोई न कोई नीति बना कर विद्यालयों में लगाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी महाविद्यालय की घोषणा की और आज वहां 1200 से लेकर 1400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अगली सरकार ने आव देखा न ताव और जाते-जाते एक कन्या महाविद्यालय की भी घोषणा की है। वहां पर उन बालिकाओं के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, न कोई भवन है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खैरवाड़ा बालिका महाविद्यालय आपने खोला है वहां पर आप उसे कोई बजट देना चाहेंगे? अभी दूसरी बार इस महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर और सैकण्ड ईयर क्लास में बच्चियां बैठेंगी, अगले सत्र में 200 बच्चियां थीं, अब 400 बच्चियां हैं उनको बैठाने की बहुत बड़ी समस्या हो रही है इसलिए आप उनको बैठाने की व्यवस्था करें। आगामी सरकार के टाइम पर हमें केवल 9 यूपीएस और बीस पीएस स्कूलें मिली हैं, जबकि वसुन्धराजी के राज में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60 से 70 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपसी चर्चा नहीं। सदन को ठीक ढंग से चलने दें।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): 33 सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोले थे। मेरे खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों के जो परिणाम आए हैं उन परिणामों को अगर देखा जाए तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खानमीन में जो बच्चे हैं उनमें 32 बच्चे पास हुए हैं। भूधर सीनियर माध्यमिक विद्यालय में 112 बच्चे बैठे थे, 34 बच्चे पास हुए हैं 28 परसेंट रिजल्ट रहा है। उसी तरह से गोड़ी माध्यमिक विद्यालय में 89 बच्चे बैठे थे, 29 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, 33 प्रतिशत रिजल्ट रहा है। कई विद्यालयों के आंकड़े हैं, मैं नहीं बताना चाहता हूं। मगर कल्याणपुर सीनियर सैकण्डरी स्कूल में कुल 155 बच्चे बैठे थे वहां पर 17 बच्चे पास हुए हैं, यहां 11 प्रतिशत रिजल्ट रहा है। यह रिजल्ट वहां पर अधिकांश पद रिक्त होने की वजह से रहा है। अभिभावक या माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिये भेजते हैं उनका पूरा वर्ष मारा जाता है अध्यापकों की कमी के कारण यह होता है। उन्हें बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जिन विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं, उन्हें भरा जाए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र जनजाति का क्षेत्र है, 85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, जनजाति का क्षेत्र है, एसटी और ओबीसी के लोग हैं तो वहां पर जगह-जगह पर आप छात्रावास खोलेंगे और शिक्षा की कोई अच्छी नीति बनाएंगे तो प्रत्येक घर से किसी न किसी एक व्यक्ति को या एक बहन को शिक्षा देंगे तो उनकी जो गरीबी है उनको अगर नौकरी मिलेगी तो वह गरीबी हटेगी। वहां कस्तूरबा छात्रावास खोले जाएं। खैरवाड़ा में और ऋषभदेव में एस्टीमेट क्वार्टर हैं, खैरवाड़ा में बालकों का भी महाविद्यालय है, बालिकाओं का भी खोला है। ऋषभदेव जो एस्टीमेट क्वार्टर है वहां पर किसी प्रकार कालेज नहीं है, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऋषभदेव एस्टीमेट क्वार्टर पर बालिकाओं का महाविद्यालय खोला जाए और उदयपुर संभाग में एक अगली सरकार के टाइम पर जाते-जाते एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, केवल मात्र एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की नाम की घोषणा हुई है, न तो वहां पर बजट दिया है, न वहां पर भवन है ऐसी स्थिति में मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने इस बजट में उस उदयपुर संभाग की जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उसमें कितने रुपये का प्रावधान किया जाए उसमें भवन बनाया जाए और स्थायी भवन उपलब्ध कराया जाए। उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पटवारी, शिक्षक, पुलिस एएसआई की ट्रेनिंग भी कराई जाए और आज शिक्षकों की कमी आ रही है। हमारे क्षेत्र के जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ के कई अध्यापक राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, जहां

(श्री नाना लाल अहारी)

पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन अध्यापकों को अगर अपन खैरवाड़ा और आसपास के उदयपुर के जिले, उदयपुर सम्भाग में लगाएंगे तो आज यह पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट डाउन हो रहा है, अगर वह अध्यापक वहां लग जाएंगे तो वहां के बच्चों का परिणाम अच्छा रहेगा और मेरी जो मांगे हैं वह मंत्री से चाहूंगा कि वह ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो उदयपुर संभाग का मुख्य केन्द्र बिन्दु है उस पर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मान सिंह

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 पर अपना प्रस्ताव रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने जिस प्रकार से लास्ट का समय है, एक-दो मिनट ज्यादा भी हो जाएंगे पर मैं कोशिश करूंगा कि समअप जल्दी से जल्दी हो और कोई बात को रिपीट नहीं करूं।

श्री अध्यक्ष: पूरे दस मिनट बोलिये, इससे आगे नहीं।

(21.00 बजे)

श्री मान सिंह (गंगापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि शिक्षा जीवन का आधार है और बिना शिक्षा के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि न जीवन उच्च हो सकता है और न हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। मैं हमारी गुरूकुल की व्यवस्था की चर्चा नहीं करूंगा, हमारे भारत का विश्वगुरु होने का हम दंभ भरते हैं उन सब चीजों को छोड़ते हुए न मैं कोई एबीसीडी पर चर्चा करूंगा, मैं सीधे-सीधे हमारे स्कूलिंग सिस्टम के साथ-साथ यह सबसे पहले कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो अभी 67 हजार बच्चों का रिजल्ट खराब आया है उन 67 हजार बच्चों के लिए कांग्रेस की पिछली सरकार ने जिस प्रकार से आठवीं तक पास करने की नीति बनायी और वह बच्चे पास होकर गये और उन 67 हजार बच्चों का जीवन बर्बाद करने का काम इस पिछली सरकार ने किया।

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी, जरा देखिए कि हमारा जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है उसने किस प्रकार की चालाकी की है, एक ही साल, पिछले साल का आप रिकार्ड देखेंगे तो उन्होंने अपनी आठवीं क्लास के अन्दर 23 हजार बच्चों को रिपीट किया, फेल नहीं किया। मां-बाप से कह कर उसका फार्म भरवा लिया और जो कमजोर बच्चा

(श्री मान सिंह)

था, जो पास नहीं हो सकता था उसको रिपीट करके मजबूती देने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि कहां के स्तर पर गलती हो रही है, क्यों प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ रहे हैं इस चीज को हमको समझने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारी जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था पर आज हमारी सरकार जिस प्रकार के माडल स्कूल बनाने, एकीकरण-समानीकरण करने का विचार कर रही है उसी संदर्भ में शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो माडल स्कूल हैं इन माडल स्कूलों की अवधारणा को इतनी मजबूती देने का काम करें क्योंकि आज जिस प्रकार राजस्थान में वातावरण बना हुआ है और हर आदमी भयभीत है कि सरकारी स्कूलों का क्या होगा, सरकारी स्कूल चलेंगे या नहीं चलेंगे। यह सदन भी अपने आप में आश्वस्त नहीं है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या होगी? हम इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करें कि हम शिक्षा नीति के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन जो लेकर आ रहे हैं राजस्थान के भविष्य को, राजस्थान को मजबूती देने का काम करेंगे ऐसा मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा और उसमें संक्षिप्त सुझाव आपको देना चाहूंगा। मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारे जिस प्रकार आप माडल स्कूल करने जा रहे हो उसी प्रकार से हाई स्कूल लेवल पर दो प्रकार के स्कूल जिला स्तर पर खोलने का काम करें। एक नोर्मल हाई स्कूल हो, एक टेक्नीकल हाई स्कूल हो। टेक्नीकल हाई स्कूल में जाने वाले बच्चे को न आई टी आई करने की जरूरत पड़े, न पोलीटेक्निक का डिप्लोमा करने की जरूरत पड़े और उससे आपकी इंजीनियरिंग कालेजों के अन्दर जो सीटें खाली हैं, उनमें एक भी सीट खाली नहीं रहेगी। गरीब के बच्चे को एलन में कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी और हम उस टेक्निकल स्कूल के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास कर पाएंगे और वह हमारा टेक्निकल स्कूल एक आधार होगा। पूरे हिन्दुस्तान में एक नया माडल राजस्थान में हम देने का काम करें। शिक्षा मंत्रीजी, मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय को आप एग्जामिन कराने का काम करें। अगर आज आप घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं तो इसको एग्जामिन कराने का काम करें और इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने का काम करें।

आज मैं आपको कहना चाहूंगा चाहे दुनिया के बड़े से बड़े स्कूल को देख लीजिए, यूके, यूरोप को देख लीजिए, वर्ल्ड पैटर्न के किसी भी स्कूल को देख लीजिए उसके किंडरगार्डन के अन्दर कड़ाई होती है, गाढ़ी मिट्टी होती है उसमें पानी डालकर बच्चों को खिलौना बनाना सिखाते हैं। वह बड़े से बड़ा स्कूल

(श्री मान सिंह)
बेसिक नालेज देना चाहता है कि बच्चा कौनसी शिक्षा में जाना चाहता है, किस प्रकार का खिलौना बनाने की उसकी आदत है, उसकी नेचर को पहचानने का काम करता है। मेरे गांव का गरीब का बेटा और उस मां का क्या दोष है? जब गरीब का बच्चा अपनी मां से भूलवश यह पूछता है, अगर मां जब गर्भवती है तब वह पूछता है तो माँ उसे चुप करा देती है। न मां का दोष है, न बेटे का दोष है इसके लिये हम लोगों को समझना पड़ेगा और हमारा जीरो से चार वर्ष का बच्चा गांव में रहता है उसके लिये हमारी कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, जो हमारे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को जोड़ने का काम करें और शिक्षा से जोड़ कर उनको फनचाइल्ड का नाम देकर खेल-खेल में शिक्षा के सेंटर बनाएं जिससे हमारे गांव का बच्चा है जब स्कूल में आए तब उसे पता लगे कि मैं शिक्षा के लिये जा रहा हूं। उसको पकड़ कर मां नहीं लाए, भर्ती करा दे और वह दो दिन बाद छोड़ कर चला जाए, जो ड्राप आउट का सिस्टम होता है, ड्राप आउट जो ज्यादा होता है वह इसीलिये होता है कि उसका मन नहीं लगता है। उसके लिये जागरूक नहीं किया जाता है। इसलिये, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा जिस प्रकार से राजस्थान में जो बच्चों का ड्राप आउट होता है उसका भी यही कारण है कि हमारे स्कूलों की दूरी है उसमें आठवीं के बाद बच्चियों को दूर नहीं भेजते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में जितने भी गर्ल्स स्कूल हैं उनको कृपया समानीकरण से दूर रखने का काम करें। अगर एक जगह हो तो आप कर दें, लेकिन वह दूर है तो उसको अलग से रखने का काम करें।

जिस प्रकार से सदन में कई सदस्यों ने मांग की कि हमारे इन माडल स्कूलों के अन्दर ही नहीं, सारे सैकण्डरी स्कूलों में टायलेट की व्यवस्था हो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उनका फर्स्ट एड रूम गर्ल्स बच्चियों के लिये होना चाहिए।

अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा आज हमारी शिक्षा व्यवस्था को चैक कैसे करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो माडल स्कूल आप बनाना चाहते हो हायर सैकण्डरी स्कूलों पर, साल में तीन दिन उन स्कूलों के अन्दर ओपन दी डोर कार्यक्रम रखना होगा। उस तीन दिन के कार्यक्रम के अन्दर डीओ से लेकर आम आदमी, जन-प्रतिनिधि उसमें शामिल होगा और उन टीचर्स का प्रस्तुतीकरण होना चाहिए कि कौन स्कूल के अन्दर

(श्री मान सिंह)

वह टीचर है और उसका प्रस्तुतीकरण कैसा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मैंने सारे स्कूल चैक किये। मैं कहना चाहूंगा एक भी स्कूल के अन्दर मुझे वार्षिक प्रतिवेदन नहीं मिला। जो स्कूल अपना वार्षिक प्रतिवेदन नहीं बनाता है, जो अपनी व्यवस्था के ऊपर चर्चा नहीं कर सकता, उस स्कूल से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। टीचर्स के जंग लग रही है। केवल एक ही चिन्ता है कि मैं किस प्रकार से अपनी जगह पर बना रहूं, अपना ट्रांसफर करा लूं, अपनी पोस्टिंग करा लूं। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, निवेदन करूंगा इस व्यवस्था के अन्दर हमको इस प्रकार से इसको नीचे से लेकर ऊपर तक की व्यवस्था में जाना होगा।

मैं इसी के साथ-साथ शिक्षा मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी हायर एजुकेशन के अन्दर जो थ्री ईयर कोर्स है, कालेज एजुकेशन का, उसमें जिस प्रकार से देहली यूनिवर्सिटी ने जो विचार दिया है, मैं व्यक्तिगत तौर से अपने विचार उसमें सम्मिलित करते हुए कहना चाहूंगा कि यह कोर्स चार साल का होना चाहिए। आज दुनिया में अगर सबसे बढ़िया एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी में किसी का नम्बर आता है तो वह बेल्जियम का है। बेल्जियम का एजुकेशन सिस्टम और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आज वर्ल्ड में पहले नम्बर पर है। वहां भी इस प्रकार के थ्री ईयर डिग्री कोर्स के बजाय चार साल का कोर्स होता है। उस चार साल के कोर्स को वे डच के अन्दर बानाबा बोलते हैं, उस बानाबा कोर्स के अन्दर जो एक साल की डिग्री होती है वह बच्चा थ्री ईयर के बाद इंटर्नशिप करता है, चाहे वह एसडीएम कोर्ट में बैठता है, तहसील में बैठता है, उसको बाकायदा लिंक अप किया जाता है कि इतने बच्चे पंचायत समिति में बैठेंगे, इतने बच्चे नरेगा के अन्दर बैठेंगे। उनको सिखाया जाता है। हमारे यहां बीए करने के बाद में जिस प्रकार से कई माननीय साथियों ने कहा कि बीए करने के बाद वह न नौकरी लगता है, न वह घर जा सकता है, न वह मिट्टी उठा सकता है, न उसको मजदूरी मिलती है इसलिये इस शिक्षा व्यवस्था पर आमूल-चूल सोचने की आवश्यकता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी इस मामले में विचार करके राजस्थान की जनता को आश्वस्त करेंगे कि सरकारी स्कूल और सरकारी पैटर्न को हम मजबूत करेंगे। यही बात कह कर अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक मांग करूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पीजी कालेज है। माननीय भैरोंसिंहजी

(श्री मान सिंह)

शेखावत ने 1977 में गंगापुर की जनता को वह तोहफा दिया था। पिछली सरकार ने उस कालेज को पीजी जब किया तो उसमें दोनों संकाय चलती थीं आर्टस और कामर्स। आज उसमें कामर्स संकाय नहीं है। 55 किलोमीटर में करौली, लालसोट और हिण्डौन, इनके बीच में कहीं कामर्स का कालेज नहीं है। उस संकाय को बढ़ाने का माननीय मंत्रीजी काम करें। आर्टस के साथ कामर्स की संकाय उसमें चालू हो और जिन स्कूलों के अन्दर हमारे यहां अध्यापक नहीं हैं उनकी पूर्ति करने का काम करें। समानीकरण में जो आप स्कूलों को प्रमोट करें वह आप करें, जय हिंद, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री मास्टर मामन सिंह यादव।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र तिजारा की कुछ मांगें रखना चाहूंगा और उनसे विनती करूंगा कि मेरी ये सभी मांग पूरी करने की कोशिश करें। मेरे तिजारा विधान सभा क्षेत्र में भिवाड़ी, जो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, एक लाख से अधिक की आबादी वहां है और नगर परिषद भी वहां स्थापित है।

जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में पांच स्मार्ट सिटी खोले गये हैं वे भी भिवाड़ी, खुशकेड़ा में घोषित किये गये हैं। मेरी आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से विनती है कि भिवाड़ी में एक महाविद्यालय आवश्यक रूप से खोला जाए। मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, वक्ता की तरफ ध्यान दीजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): भिवाड़ी जो पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है जहां पर स्मार्ट सिटी भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुशकेड़ा में अभी घोषित किया है, वहां पर महाविद्यालय नहीं है। इसलिये कृपा करके वहां महाविद्यालय खोलें। वहां एक लाख से अधिक की आबादी है, नगर परिषद भी है पर आज तक वहां पर महाविद्यालय किसी सरकार द्वारा नहीं खोला गया है। वह हरियाणा बोर्डर भी है। इसलिये वहां पर महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। आपकी सुविधा के लिए मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि वहां जनता ने अपने जन सहयोग से पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार कर रखी है बाबा मोहन राम के नाम से और जन सहयोग से वो विद्यालय चल रहा है उसको कृपा करके बाबा मोहन राम के नाम से सरकारी महाविद्यालय बनाया जाए।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

दूसरी मेरी डिमांड है आजादी से पहले की, राजाओं के समय की, टपूकड़ा उप तहसील है, उस उप तहसील पर पूरा बहुत बड़ा मेवात क्षेत्र भी, हिन्दू क्षेत्र भी है और 80-90 गांवों का क्षेत्र है, वहां पर एक बालिका महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

तीसरा, पूर्व कांग्रेस सरकार ने क्योंकि वहां के बहुत प्रभावशाली दुर्रू मियां चिकित्सा मंत्री थे तो उन्होंने वोट के लालच में आनन-फानन में दो महीने पहले ही पिछली जनवरी में चुनाव से पहले तिजारा में महाविद्यालय खोल दिया कि मेरा नाम हो जाएगा और महाविद्यालय के कारण मुझे तिजारा से वोट मिल जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। वहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी व्याख्याता नहीं है। वहां पर भवन के कोई पैसे स्वीकृत नहीं किये गये और एक कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल है उसके अन्दर महाविद्यालय चल रहा है दो कमरों में। वहां पर 200 से अधिक छात्र-छात्राएं हैं और एक प्राचार्य की पोस्ट जरूर है बाकी कोई पोस्टिंग नहीं की गई। तो मेरा मंत्रीजी से अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन है कि वहां महाविद्यालय जो खोल दिया उसमें न स्टाफ है और न भवन का बजट है तो उस तिजारा महाविद्यालय के भवन का बजट दिया जाए और सबकी शिक्षक वगैरह की व्यवस्था करने की कृपा करें।

तिजारा में और भी बहुत से विद्यालय क्रमोन्नत किये गये थे। मिडल से सैकण्डरी, सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी, उनमें भी जितने भी किये गये उनमें प्रधानाध्यापक तक के पद खाली हैं। एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है। कोई इक्का-दुक्का है जो भी अपना ट्रांसफर करा कर कोई आ गया होगा वरना सब पद खाली हैं, न अध्यापक हैं। नाम के सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, मिडल स्कूल खोल दिये गये हैं तिजारा के अन्दर। आप सब आश्चर्य करेंगे कि वहां पर कांग्रेस का काबिना मंत्री होते हुए भी केवल लास्ट समय में विद्यालय खोल दिये गये बाकी कोई किसी तरह भवन और शिक्षक स्टाफ की पूर्ति नहीं की गई इसलिये उसकी पूर्ति करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मेरा मंत्रीजी से एक निवेदन है कि जिस तरह से हम सरकारी स्कूलों में पोषाहार देते हैं, हमारी सरकार, सभी सरकारें पोषाहार देती हैं तो यह सरकारी स्कूलों में भी हिन्दुस्तान के ही बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी हिन्दुस्तान के ही बच्चे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि सभी चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हों, सब में छोटे बच्चों को पोषाहार दिया जाए और सभी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाए, ऐसी मेरी विनती है।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

विद्यार्थी मित्रों के लिये सभी माननीय सदस्यों ने मांग रखी है कि इनका कोई समाधान हो। मेरी भी मंत्री महोदय से विनती है कि ये कई सालों से बेरोजगार विद्यार्थी मित्र हैं, इन्होंने इस आशा में कि हम पक्के हो जाएंगे, स्थायी नौकरी मिल जाएगी इसलिए और कहीं प्रयास नहीं किया और ये आज इस स्थिति में आ गये कि आज ये हड़ताल पर बैठे हैं और बेरोजगार हो गये हैं। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनकी समस्या का कोई न कोई समाधान निकाला जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सात जिले करीब 10-15 साल से प्रतिबन्धित हैं। ऐसे-ऐसे अध्यापक आए हैं जो 10 साल से वहीं पर हैं। उनकी कोई सीमा बनाई जाए जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल और उनमें स्थानान्तरण नीति ऐसी बनाई जाए कि जो भी अपने घर आने के इच्छुक हैं तो आ जाएं।

पिछली सरकार ने 2000 प्रधानाध्यापक, सैकण्डरी के लिए परीक्षा की और 2000 प्रधानाध्यापक लगाये गये। अलवर जिले में 200 पद सैकण्डरी के प्रधानाध्यापक के खाली थे लेकिन एक भी प्रधानाध्यापक उस सरकार ने नहीं लगाया। यह सौतेला व्यवहार अलवर के साथ हुआ। अलवर ही नहीं, 10 जिलों में, अलवर, जयपुर, भरतपुर ऐसे 10 जिलों में नहीं लगा कर केवल बाड़मेर, जैसलमेर में लगाये गये। उनमें लगायें क्योंकि वहां पर खाली जगह थी, लगाना चाहिए था लेकिन जहां 200 पद खाली थे तो वहां कम से कम 10 तो देने चाहिए थे और जिनकी मैरिट ज्यादा ऊंची थी उनको भी वहीं पर लगा दिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट का भी फैसला है कि ऊंची मेरिट वालों को संशोधित करके वापस उनके गृह जिलों में भेजा जाए इसलिये मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट के फैसले का मान रखते हुए जो इस तरह के केस हैं जिनकी ऊंची मेरिट है, 200-300-400 तक की ऊंची मेरिट है उनको उनके गृह जिले, इच्छित जिले में भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्दुस्तान, जय गौ माता।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात रह गई। अध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट की मेरी एक बात रह गई। मैं पहली बार आया हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, बिलकुल बोलिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, जो प्रमुख मांग थी वह पीछे के पन्ने पर रह गई थी। पिछली सरकार ने 750 करोड़ की आई टी आई, जो 16 ट्रेड हैं, उनकी तिजारा में खोली गई और केवल अल्पसंख्यकों के लिये खोली गई। इस देश के अन्दर एक विशेष जाति के लिये 750 करोड़ की आई टी आई, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिजारा में खोल दिया गया जिसका काम चल रहा है, बजट भी आ गया, वह अल्पसंख्यकों के लिये है। वहां तिजारा में 30-35 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं बाकी हिन्दू बहुल क्षेत्र है। उसके बावजूद भी पिछली सरकार ने यह खोला है इसको सामान्य किया जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी इस बारे में निवेदन कर चुका हूं और मंत्रीजी, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि इसको किसी भी हालत में सामान्य किया जाए क्योंकि जाति के नाम पर कोई स्कूल नहीं खुल सकता, कोई कालेज नहीं खुल सकता। यह नहीं खुलना चाहिए। यह गैर कानूनी भी है और सामाजिक और हर तरह से गलत है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने इस पर सहमति दी है और शायद आदेश भी होने वाले हैं तो आप थोड़ा सहारा लगा दो तो यह सबके लिए सामान्य के लिए हो जाएगा। सभी वर्गों के, सभी जातियों के बच्चे उसमें आई टी आई करेंगे। आपसे पुन: विनती है कि इसको सामान्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर। 10 मिनट।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर अपने विचार रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

शिक्षा व्यक्ति का एक गहना है। शिक्षा से ही प्रगति होती है और प्रगति का आधार भी यही है। शिक्षित व्यक्ति समाज में अच्छी नजरों से देखा जाता है। लेकिन आज की तारीख में मात्र शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यक्ति गुणवान नहीं बनेगा, उसके गुणों में ईमानदारी नहीं आएगी, देशभक्ति नहीं आएगी तब तक सामान्य रूप से शिक्षित होना और किताबी कीड़ा बनकर रह जाना शिक्षा का कोई आधार नहीं हो सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि शिक्षा के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तो हमारा प्रदेश, हमारा देश और यह भावी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, यह निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन आज देखा जाता है कि जितने पढ़े-लिखे लोग हैं उनके कई मुकदमे कोर्टों में चल रहे हैं और वे इसलिये चल रहे हैं कि उनके मन में लालच आ गया। गांवों के अन्दर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

पढ़े लिखे नहीं थे, संयुक्त परिवार में रहते थे पर कभी उनके मन में बेइमानी नहीं आई, कभी ईर्ष्या का भाव नहीं आया लेकिन जैसे-जैसे पढ़ाई आई है पर उनमें गुण नहीं आए, पढ़ने के बाद भी, तब ऐसा माहौल बना है। मैं हमारे इस प्रदेश में देशभक्ति के रूप में यह शिक्षा जाग्रत हो, यह निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा में गुणवत्ता आए, इसके लिये प्रयास होना चाहिए मंत्री महोदय के माध्यम से। मेरा यह निवेदन है, किसी भी भवन को बनाने के लिए उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए। जब नींव अच्छी नहीं होगी तो उस पर अच्छा भवन नहीं बन पायेगा। पिछली सरकार ने पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के बालकों को सीधा पास करने का एक आर्डर जारी कर दिया और शिक्षा की स्थिति ऐसी हो गई कि बच्चे पढ़े नहीं और अध्यापक पढ़ाये नहीं। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं और उनकी परीक्षा नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति के अन्दर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश में बनी है। आज नींव को मजबूत करने की आवश्यकता है। जब बच्चा आगे बढ़ेगा, आठवीं के बाद नवीं कक्षा में जाएगा तो नवीं में स्वत: ही पास नहीं होगा और उसके जीवन के सपने, उनके मां-बाप के जो सपने हैं, उन्होंने संजोये हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पायेगा और उसके सपने टूट जाएंगे और विद्यार्थी के मन में भी निराशा का भाव जगेगा।

मेरा निवेदन है कि इस शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकार से पिछली सरकार में जब हमारे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री शेखावत साहब थे, तब गुलाबजी कटारिया साहब हमारे शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये, बालिका शिक्षा को और मजबूत करने के लिये पहली से लेकर आठवीं तक की बच्चों और बच्चियों की पुस्तकें नि:शुल्क देना प्रारम्भ किया, तब जाकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला, उसको सम्बल मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कटारिया साहब को कि उन्होंने शिक्षा जगत में नये आयाम स्थापित किये।

पिछली सरकार ने तो अपने वोटों की रोटिया सेंकने के लिये कभी टेबलेट दिये। जो साइकिलें मिलती थीं, उन साइकिलों को देना बंद कर दिया और अंत में जाकर साइकिलें दीं और साइकिलें भी नहीं दीं, बल्कि उनको 2,500-2,500 रुपये दे दिया जिसमें वह साइकिल भी नहीं आती है।

मुझे जानकारी देते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि वसुन्धराजी ने बस्ते देने का काम किया था। उन बस्तों के ऊपर वसुन्धराजी का फोटो था।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

एक ठेकेदार मेरे पास आया जिला परिषद के अन्दर अपनी एप्लीकेशन लेकर, कि मेरे इन बस्तों का भुगतान करा दो। उस समय सरकार बदल गई थी। वे बस्ते इसलिये नहीं बंटवाये क्योंकि उनके ऊपर वसुन्धराजी की फोटो थी। इतना द्वेषतापूर्ण काम इस पिछली सरकार ने किया है और शिक्षा का बंटाधार कर दिया। इसलिये मैं चाहता हूं कि शिक्षा के अन्दर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

पिछली सरकार ने जो भी किया, सबके सामने है। एक समय ऐसा था कि इस देश के अन्दर शिक्षा का माहौल जोरदार बना हुआ था और अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के अन्दर विद्यार्थियों की एक परिषद में कहता है कि अमेरिकावासियों, पढ़ने लग जाओ, नहीं तो भारतवासी आ जाएंगे। ऐसा माहौल हिन्दुस्तान में था लेकिन वह माहौल धीरे-धीरे खतम हो गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षक जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जिनका रिजल्ट खराब है, उनको स्थानान्तरण का या अन्य कोई न कोई दोष लगा कर उनको अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए या उनको कोई नोटिस दिया जाए ताकि वह अपने अध्यापन का काम ठीक करा सके, यही निवेदन करना चाहता हूं।

सदन के माध्यम से यह भी चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, विद्यार्थी मित्र के लिये भी आन्दोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। हमारी सरकार ने उनको लगाया और वह लगे भी और आज उनको निकालने की परिस्थिति बनी है क्योंकि उनको लगाने का काम हमने किया। उसी प्रकार से किसी न किसी माध्यम से, यदि कोर्ट की अड़चन आ रही है तो उसको दूर किया जाए। उनको नया कैडर दिया जाए। उनको वापस विद्यालयों के अन्दर जा सके, अपनी रोजी-रोटी प्राप्त कर सके और ये विद्यार्थी मित्र जो भी हैं, वे हमारे 30-40 हजार रुपये के परमानेंट अध्यापकों से भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, यह मैं गारंटी देता हूं और वास्तविक स्थिति यही है। इसलिये इन विद्यार्थी मित्रों को मंत्री महोदय, आपसे करबद्ध प्रार्थना है और पूरे सदन की भावना है और आप भी मन में चाह रहे हैं लेकिन इसका समाधान आपको ही निकालना है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की भावना यही है और आप येन-केन-प्रकारेण कोई भी रास्ता निकाल कर ऐसा काम करें ताकि ये विद्यार्थी मित्र हमको मिल जाए। एक स्थाई शिक्षक को 30-40 हजार रुपये देते हैं, इनको मात्र 5-6 हजार रुपये देते हैं और ये अच्छा काम भी करते हैं। इसलिये इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

एक घोषणा बहुत अच्छी की है और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल होगा। यह परिपाटी गुलाबचन्दजी कटारिया साहब ने चलाई शेखावत साहब के टाइम में कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर मिडल स्कूल आपने खोली और आज ऐसा माहौल बना कि सीनियर माध्यमिक विद्यालय हो रहे हैं और आपने यह भी घोषणा की कि उपखण्ड मुख्यालयों पर एक कालेज भी होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आप सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, तीन स्कूलों का एक ऐसा संकुल बनायें, तीन ग्राम पंचायतों का एक संकुल बनायें। जिसमें एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान विषय हो, एक में कला विषय हो, एक में वाणिज्य विषय हो। जो विद्यार्थी जिसमें रूचि रखता है, वह वहां जाकर पढ़ ले। ऐसी व्यवस्था होगी तो बहुत अच्छा होगा। पुन: मेरा निवेदन है अंत में, क्षेत्र की मेरी कुछ मांगें भी हैं, वह भी मैं रखना चाहूंगा। पिछली सरकार ने कपासन विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय पर कालेज खोला, दो मिनट में ही खतम करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल, दो मिनट दिये आपको।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): और कालेज खोलने के बाद वह एक उधार के भवन में चल रहा है। बजट की कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ एक प्रिंसिपल भेजा गया। एडमिशन हुए लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में वहां पर 60 छात्र-छात्राओं को एडमिशन दिया गया है। मेरा निवेदन है कि वहां की सीटें बढ़ें और वहां वाणिज्य संकाय भी हो क्योंकि वहां पर पूरा कलस्टर है, वहां पर वाणिज्य विषय है। इसलिए मंत्री महोदय, वहां पर वाणिज्य विषय खोलें।

एक निवेदन है कि जब कालेज ही उधार के भवन में चले, इसलिए भवन के लिये पैसा आप देंगे, बजट देंगे तो बहुत अच्छा काम होगा और ये विद्यार्थी वहां अच्छे रूप से पढ़ सकेंगे।

यह मिड-डे मील है। जो मिड-डे मील बनाने वाले विद्यालयों में जाते हैं, उनको मानदेय एक हजार रुपये दिया जाता है। आपको अच्छी रोटी बना कर खिलाते हैं। इन विद्यार्थियों को एक हजार रुपये में कौन देगा। इसलिये इनका मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता है।

मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेल स्टेडियम बनने चाहिए। जितने भी उपखण्ड मुख्यालय हैं और जहां पर 5,000 से ज्यादा की आबादी के गांव हैं, जैसे बासोड़ा, मण्डफिया, कपासन,

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जासमा, भोपालसागर, राशमी, पावना, सिंहपुर, यहां पर खेल स्टेडियम बने तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

कुछ क्रमोन्नति के भी प्रस्ताव हैं जैसे माध्यमिक विद्यालय पटोलिया, माध्यमिक विद्यालय बानसेन, सिहाणा, पांडोली, आक्या। इनको आप सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करेंगे तो इन क्षेत्र के बालकों को लाभ मिलेगा।

नये संकाय खोलने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कपासन, राशमी, जासमा, बासोड़ा में विज्ञान विषय और वाणिज्य विषय खोले जाएं।

कुछ भवन बनाने की आवश्यकता है। कुछ रमसा के माध्यम से भवन बनें और कुछ सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से भवन बनेंगे और उन भवनों की चारदीवारी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा निवेदन है कि जब तक हम चारदीवारी नहीं बनायेंगे, तब तक यह अतिक्रमण की समस्या विद्यालयों में रहेगी और वह अतिक्रमण होते रहेंगे। इसलिये अतिक्रमणों को रोकने के लिए चारदीवारी हो। एक निवेदन और करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: वह कर दीजिये बस।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक ही। आपने प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर आई टी आई केन्द्र खोलने की घोषणा की है, वह सराहनीय है और इसी माध्यम से मैं चाहूंगा कि राशमी के अन्दर आई टी आई खुले और एक आई टी आई कपासन में है, उसमें सभी ब्रांचें खुलें और भोपालसागर में भी ऐसी व्यवस्था हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष: श्री रतन लाल जी जलधारी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक निवेदन और है मात्र। यह इसलिये करना चाहूंगा। आज निजी शिक्षण संस्थाएं जितनी भी हमने खोली हैं, निजी यूनिवर्सिटी हमने बना दीं लेकिन अंकुश लगाने का काम हमारे हाथ में नहीं रहा। जब तक अंकुश आपके हाथ में नहीं रहेगा, घोड़े पर तो आप सवार हो गये, लेकिन लगाम आपके हाथ में नहीं रहेगी तो कभी भी एक्सीडेंट होने की सम्भावना रहेगी। मैं, मंत्री महोदय, आपसे, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, ये लूट के केन्द्र बने हुए हैं, लूटपाट करते हैं, अपनी मनमर्जी से फीस वसूल करते हैं और कभी-कभी डोनेशन के नाम पर लाखों रुपये वसूल कर रहे हैं।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जिस प्रकार से एमबीबीएस में 30-40 लाख रुपया, यह तो उसकी डोनेशन है और फीस साढ़े आठ लाख रुपये से ज्यादा। एक निवेदन करना चाहूंगा कि गुजरात के जितने भी सेठिया हैं वे अपने बच्चों को एमबीबीएस कराना चाहते हैं। चाहे एक करोड़ रुपये का डोनेशन देंगे लेकिन राजस्थानवासी एक गरीब का बेटा अपनी फीस नहीं दे सकता है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उन पर फीस को किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल करने की शक्ति इस सदन में है और इस सदन के माध्यम से उनकी फीस को कंट्रोल करने का कोई न कोई कानून पास करें। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: रतन लाल जलधारी।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट 2014-15 की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज सदन में शिक्षा की मांग पर विचार रखे जा रहे हैं, उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। अब तो यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना भी नहीं चाहते। चाहे वह अभिभावक आर्थिक रूप से कितने भी कमजोर क्यों न हो। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हमें इस स्थिति पर गम्भीरता से विचार करना होगा। राजस्थान की जनता ने हमें चुन कर इसलिये यहां भेजा है ताकि हम जनहित में कुछ बेहतर काम कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना क्यों गिरा? इसके लिये भी हम सभी जिम्मेदार हैं। हम सभी ने अपनी ज़िम्मेदारियों एवं कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर को गिराने सबसे बड़ा कांग्रेसनीत सरकारों का है जिन्होंने शिक्षा के लिये ऐसे-ऐसे कानून बनाये जिनसे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया। जिसमें इन्होंने एक कानून बनाया राइट टू एजुकेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कानून में एक नियम यह है कि कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों का फेल नहीं किया जाना, क्या यह सही है? मैं समझता हूं कि जिस मकान की

(श्री रतन लाल जलधारी)

नींव ही कमजोर हो, उस मकान का भरभरा कर गिरना लाजिमी है। ठीक इसी तरह जब एक बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर हो और उसे आठवीं कक्षा तक फेल ही नहीं किया जाए तो वह आगे चल कर बोर्ड परीक्षाएं, डिग्री परीक्षाएं एवं प्रतियोगिता परीक्षाएं कैसे पास कर पाएगा? सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर में यह नियम भी एक बहुत बड़े सहायक का कार्य कर रहा है। मेरा मानना है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में सबसे छोटी कक्षाओं में जिन में नए एडमिशन दिए जाते हैं, उनकी कुल घोषित सीटों का 25 प्रतिशत एडमिशन गरीब छात्र-छात्राओं को दिया जाना आवश्यक है। यह एक अच्छा कदम है परन्तु अगर इसका भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए तो निजी विद्यालयों में अध्ययनरत सक्षम परिवारों के बच्चों एवं गरीब परिवारों के बच्चों के जीवन स्तर, रहन-सहन एवं खान-पान आदि में बहुत अधिक अन्तर होने के कारण गरीब बच्चों में हीन भावना आने लगती है जिससे ऐसे बच्चे साइक्लोजिकल रूप से बीमार हो जाते हैं।

इसके साथ-साथ, यह भी कटु सत्य है कि निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ का व्यवहार भी इन बच्चों के प्रति अच्छा नहीं होता है। इसलिए इसमें भी संशोधन करना आवश्यक है। इसके लिए समय-समय पर निजी विद्यालयों की जांच करना जरूरी है कि आर.टी.ई. के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों के प्रति उनके साथ पढ़ रहे अन्य बच्चों एवं शिक्षकों का व्यवहार कैसा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु जो सरकारी अध्यापकों से सम्बन्धित हैं, यह कहना चाहूंगा कि क्या निजी विद्यालयों के अध्यापक सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों से ज्यादा पढ़े-लिखे या ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं? क्या निजी विद्यालयों में भी सरकारी विद्यालयों की तरह प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करते-करते ही अध्यापकों की भर्ती की जाती है? नहीं, तो फिर जो अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा पास करके सरकारी अध्यापक बनता है वह निजी विद्यालयों के उस अध्यापक से प्रतिभा एवं ज्ञान में किस तरह से कम है, यह मेरी समझ से बाहर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि निजी विद्यालयों के अध्यापकों से सरकारी अध्यापक कहीं ज्यादा बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली होते हैं। परन्तु ट्यूशनखोरी के कारण वे विद्यालय में पढ़ाने के बजाय घर पर ट्यूशन अच्छा लेते हैं। इसलिये हमें सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर को सुधारना होगा। सरकारी विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों की तरह ही उत्तम शैक्षणिक वातावरण

(श्री रतन लाल जलधारी)

तैयार होगा। यह सभी व्यवस्थाएं सुधारनी होंगी। शिक्षा जैसे सेवा के कार्य को व्यवसाय बनाने से रोकना होगा तभी हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा और यदि बच्चों का भविष्य निर्माण होगा तो एक अच्छे राज्य और राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्रीजी इस गम्भीर विषय पर जरूर कुछ कड़े कदम उठाएंगे। जिससे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी आदरणीय वसुंधराजी ने अपने बजट भाषण 2014-15 में सरकारी स्कूलों को सुधारने, सरकारी स्कूलों में अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली बालिकाओं के आवास हेतु 25 शारदा बालिका छात्रावासों का निर्माण कराने, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल प्रदान करने तथा राज्य की प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से चयन कर उन्हें छात्रवृत्ति देने एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के 11 जिलों सीकर सहित कई महाविद्यालयों जिनमें 5 हजार 500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिये इन सभी महाविद्यालयों का संकायवार पुनर्गठन कर 15 और नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसलिये मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का मेरी तरफ से एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर की जनता की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालयों के पुनर्गठन की घोषणा के क्रम में मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर में कल्याण महाविद्यालय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल्याण महाविद्यालय, सीकर में वर्तमान में लगभग 15 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। परन्तु इतनी अधिक छात्र संख्या होने के बावजूद इस महाविद्यालय में पी.जी. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कल्याण महाविद्यालय, सीकर में इसी सत्र से जूलोजी, बोटनी, फिजिक्स, सोशियोलोजी में पी.जी. क्लासेज शुरू की जाएं और जियोग्राफी में एक ही सेक्शन है। जबकि तीन हजार से ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या है। इसलिए कल्याण महाविद्यालय, सीकर का संकायवार पुन: पुनर्गठन कर जियोग्राफी के चार नए सेक्शन और खोले जाएं एवं कालेज को

(श्री रतन लाल जलधारी)

स्नातकोत्तर पीजी में क्रमोन्नत किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने चुनावी साल 2013-14 में राजनीतिक लाभ लेने के लिये आनन-फानन में सीकर जिला मुख्यालय में गर्ल्स कालेज खोलने की घोषणा कर दी। परन्तु उसके लिए भवन की कोई व्यवस्था नहीं की और न ही कोई बजट पास किया। भवन के अभाव में गर्ल्स कालेज एक निजी भवन में चल रहा है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से राजकीय गर्ल्स कालेज, सीकर के लिए भवन निर्माण कराने के लिए बजट की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर में शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी आता है जिसमें कहीं-कहीं पर छितराई हुई आबादी है। लोग ढाणियों में दूर-दूर रहते हैं, ज्यादा घनी आबादी है, गांव कस्बे हैं इसलिए यहां ज्यादा आबादी है। वहां पर तो शिक्षा के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। परंतु जहां कम आबादी वाली छोटी-छोटी ढाणियां हैं वहां पर विद्यालयों का अभाव है। यदि कहीं पर विद्यालय हैं तो कहीं उसमें अध्यापकों का अभाव है और यदि विद्यालय और अध्यापक हैं तो भवन का अभाव है। ऐसी विकट परिस्थितियों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे अच्छी होगी? इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर के गुर्जर बाहुल्य ग्राम श्यामगढ़ में देव नारायण योजना के तहत बालिका विद्यालय एवं छात्रावास स्वीकृत करने, ग्राम चारण का बास, पुरोहित की ढाणी के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने, ग्राम दूल्हेपुरा व शोभ में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने, ग्राम रघुनाथगढ़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने और ग्राम पिपराली में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत करने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत मांगें कर दीं आपने। अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): इसके साथ-साथ ...(व्यवधान) उच्च प्राथमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल, हैड मास्टर एवं लैक्चरर, सैकण्ड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण 2014-15 में प्रत्येक गांव...

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। बस अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। इसे तो पढ़ा हुआ मान लिया है। श्री सुखरामजी। सारा ही पढ़ लिया, सब मांगें रख ली हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: जरूर कीजिये। दस मिनट।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, मैं तो पूरा कर दूंगा जल्दी ही।

श्री अध्यक्ष: अरे वाह, बहुत अच्छे विधायक हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आज आपका मूड ठीक है कुछ। मेरा आपसे निवेदन है कि ...(व्यवधान) वे मेरे क्षेत्र के हैं इसलिये बोल रहे हैं। (व्यवधान) ये जो शिक्षा है, माननीय अध्यक्षजी, शिक्षा के बलबूते पर ही आप इस आसन पर विराजमान हैं। अगर शिक्षा नहीं होती तो न जाने यहां अस्सी परसेंट विधायक क्या पता कहां होते। हो सकता था कि खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य और कटाराजी ये बिना शिक्षा फायदा उठा सकते थे परन्तु अपन जो अस्सी प्रतिशत विधायक यहां बैठे हैं केवल मात्र शिक्षा का प्रताप है कि आज आप आसन पर बिराजमान हैं, हम भी हमारी बात कर रहे हैं। शिक्षा जो विभाग है हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं इसमें भी सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा मैंने जो लिस्ट देखी है एक ही समाज के वैश्य वर्ग के हैं कालीचरणजी सर्राफ, एम.एस. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा, पी.के. गोयल, प्रमुख शासन सचिव, रवि जैन, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा इसमें सोशल इंजीनियरिंग हो और गांव से जो अधिकारी हैं एससी के, एसटी के, ओबीसी के, इनको इनके नीचे लगाया जाए या माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करेंगे कि इनको बदला जाए, इनको भी शहरी विभाग दिया जाए और बहुत सारे हमारे माननीय विधायक साथी बैठे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनको मौका दिया जाए। मेरा श्रीमान् अध्यक्षजी से निवेदन है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, 'शिक्षा मधुर सहकार करती सर्वथा कटु निम्ब को', नीम कितना खारा होता है मतलब इस तरह का इंसान होता है। शिक्षा ग्रहण करके एक मीठा और मधुर

(श्री सुखराम विश्नोई)

जिस तरह से आप अभी व्यवहार कर रहे हो। कल वाला नहीं आज वाला व्यवहार कर रहे हो। 'शिक्षा मधुर व्यवहार करती सर्वथा कटु निम्ब को, शिक्षा सहज ढालती, जड़ों में सेतन् है। हीरा बनाती कोयले को, हीरा बनाती कैलाश जी को धन्य शिक्षा धन्य है' तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए कहा गया है कि 'विद्यां ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्। पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तत: सुखम।।'

मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि मैं डिमाण्ड्स पर क्या बोलूं मैंने कालेज की मांग रखी तो मेरे वहां कालेज निरस्त कर दिया। मैं अगर हजार बार बोलूं या मैं उलटा भी हो जाऊं तो माननीय शिक्षा मंत्री मेरा कालेज वहां मंजूर नहीं करेंगे। ये खुली बात कह रहा हूं, मेरे तिजारा से आने वाले विधायक साथी कह रहे थे कि मेरे वहां कालेज खोला, निरस्त कर दिया। मैंने कहा आप सत्ता पक्ष में हो, मैं विपक्ष में हूं। मैं भी कालेज का रोना रो रहा हूं आप भी रोना रो रहे हो। इससे तो ये कपासन से आने वाले मेरे विधायक साथी बड़ी किस्मत वाले हैं ये जाते-जाते कम से कम कालेज तो खुला। ये खुलने वालों में और हमारे खोला और खोल कर प्रिंसिपल लगाया, जिस तरह तिजारा में प्रिंसिपल लगाया, मेरे वहां भी प्रिंसिपल लगाया और प्रिंसिपल लगा कर के उन्होंने दस-बारह वित्तीय सैंक्शन जारी की, तमाम अधिकारियों की पोस्टिंग जारी की परन्तु इस सत्र में पूछा उस प्रिंसिपल ने, यहां से उच्च शिक्षा महकमे से, तो कहा कि आप चुपचाप बैठे रहें, पन्द्रह कालेज बचे थे उनमें दो कालेज माननीय सदन की नेता उनके जिले में चालू कर दिये और हमारे को चुप कर दिया। जैसी हमारी किस्मत होगी वैसा आगे सोचा जाएगा। परन्तु मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन है कि शिक्षा में संस्कार की जरूरत है। जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा तब तक शिक्षा कोई काम की नहीं है। आज हमारे गांवों में जिस तरह की शिक्षा है आप लोग कल्पना करो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण पेश किया कि कुछ स्कूलों में मास्टर है ही नहीं परन्तु कुछ स्कूलों में दो कमरे ही हैं। एक कमरे में पोषाहार बनता है दूसरे कमरे में बच्चे बैठे रहते हैं और जब पोषाहार बनाने वाली औरत आती है तब लड़के उस कमरे में झांकते हैं कि कब पोषाहार बनेगा, कब खाना बनेगा। मैं तो यहां इस बात को कहने का पक्षधर हूं कि ये जो पोषाहार का कार्यक्रम है इसको बंद किया जाए। हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं उनको पीछे रखने का ये पोषाहार तरीका है। इसलिए तरीका है क्योंकि

(श्री सुखराम विश्नोई)

न तो बच्चे पढ़ पाते हैं, न अच्छे तरीके का खाना मिलता है। जो वहां स्कूल में खाना मिलता है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आलू की सब्जी बनाते हैं, टमाटर की सब्जी बनाते हैं उसमें 80 प्रतिशत, 50 प्रतिशत यूरिया होता है, दूसरी कोई सब्जी लाते नहीं हैं। न फ्रूट लाते हैं, न दूसरा खाना मतलब रोज जो डाइट चेंज करनी चाहिए लेकिन गांवों में कोई डाइट को चेंज नहीं करते हैं। एक कट्टा भर आलू ले आए और टमाटर ले आए, रोज आलू-टमाटर की सब्जी बनाई, यूरिया का गेहूं, मैं अभी पढ़ रहा था कि पंजाब एक हैक्टेयर के अन्दर तीन क्विंटल यूरिया डालते हैं वहां का गेहूं और मेरे गुजरात के अन्दर आलू पैदा होता है मेरे पड़ोस में गुजरात है। एक हैक्टेयर में इतनी तो पेस्टिसाइड दवाइयां डालते हैं, इतना यूरिया डालते हैं, केमिकलयुक्त खाना जो दिया जा रहा है बच्चों के लिये, वह उनके लिए बड़ा घातक है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इस पर विचार करें पूरा सदन और इसकी जगह उस गरीब बच्चे को उसके परिवार को या तो ड्रेस दे दी जाए या किसी और तरह से किस तरह से प्रेरित हो, वह व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सरकार ने बजट घोषणा में जो प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की उसमें से बजट में कहा गया कि 71 माडल चालू कर दी। 71 में से एक माडल स्कूल मेरे जिले जालौर में रानीवाड़ा में आई हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, वह स्कूल चालू कर दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ये 66 विद्यालयों को छठी से आठवीं तक 2014-15 में चालू करने के लिये कहा है, उन 66 स्कूलों में एक जालौर की रानीवाड़ा स्कूल भी है, वह स्कूल तैयार हो गई और प्रवेश दे दिया गया। बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी, बच्चे पढ़ रहे हैं रानीवाड़ा सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में। वहां एक प्रिंसिपल है, कोई इंगलिश टीचर नहीं है, उन बच्चों को माडल स्कूल के नाम पर पीछे किया जा रहा है, उनको बिलकुल पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब जवाब दें तो इस बात की घोषणा करें कि ये जो 66 माडल स्कूल हैं इन मॉडल स्कूल्स में जितने शिक्षकों की जरूरत है वह तमाम भर्ती की जाएगी। अगर भर्ती नहीं की जाएगी तो कोई स्कूल नहीं खोला जाएगा। जो होनहार बच्चे हैं सब गांव से एक इंटेलीजेंट बच्चा उस माडल स्कूल में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद में उसे पढ़ाई कहां मिलती है, उन्हीं सीनियर सैकण्डरी स्कूल के बच्चों के साथ में बैठा करके पढ़ाया जाता है, उससे तो उसका रेगुलर

(श्री सुखराम विश्नोई)

स्कूल में पढ़ाई करना बेहतर रहेगा। मेरा माननीय अध्यक्षजी से निवेदन है कि एकीकरण के नाम से हमारी पिछली सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने समानीकरण का रोना रोया। समानीकरण करेंगे और ये एकीकरण का बहाना लेकर आये। एकीकरण में मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिलकुल पक्षपात हो रहा है। जैसे मेरी स्कूल है उसमें दस लड़के हैं, साथ वाली स्कूल में 30 लड़के हैं परन्तु पक्षपात किया कि उन 30 लड़कों को दस वाली स्कूल में भेजा जा रहा है 30 वाली बंद कर रहे हैं, एक वाली को चालू किया जा रहा है। यह तरीका अपनाया जा रहा है। मेरा माननीय अध्यक्षजी से निवेदन है कि छात्रवृत्ति का मामला है, छात्रवृत्ति मेरे जालौर जिले में माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप पता लगा लें एससी/एसटी की पूरे दस साल की एक भी छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं दी गई और जो नान बीपीएल हैं उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और चालू कर दी है तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी घोषणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई में चालू है। बाकी हमने जो जानकारी प्राप्त की है उस अनुसार जो एपीएल परिवार के हैं उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। दो मिनट, मेरा माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि जो 779 बीएड कालेज हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, उनमें, माननीय अध्यक्ष जी, आप एक अचम्भा करोगे मेरे जिले में भी है आपके जिले में भी होंगे, कोई टीचर नहीं है बीएड स्कूल में। केवल मात्र रजिस्टर मेनटेन होता है। जो अभी मैंने नाम लिये हैं ये अधिकारीगण यहां बैठे हैं और इनके मातहत जो नीचे बैठे हैं, कोई बीएड कालेज को चैक नहीं करता है। अचानक चैक किया जाए तो न तो वहां लड़के मिलेंगे, न टीचर मिलेंगे, केवल नाम मात्र के ये 779 बीएड कालेज हैं, इनमें पूरा घपला चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा माननीय अध्यक्षजी से निवेदन है कि मैं सवेरे से बैठा हूं और अभी दस मिनट हुए नहीं हैं। अब आपकी मैंने इतनी तो प्रशंसा की और मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट हो गये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): या तो बोलने नहीं देते। देखो समय की जब घंटी बजती है न तो आदमी की घंटी बंद हो जाती है, बोलनी बंद हो जाती है, आप घण्टी बजाते हो तो मैं कैसे बोलूं। तो कम से कम, थोड़ा तो रूका करो। सवेरे-सवेरे आपका इन्तजार करूं, कब मेरा नंबर आएगा, पहले तो इन्होंने मेरा लास्ट में नंबर लिखा। कम से कम लास्ट में नंबर आए उनको तो दिल खोल

(श्री सुखराम विश्नोई)

कर बोलने दो ताकि हम बोल सकें। नये आदमी हैं, पहली बार जीतकर आए हैं। माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि इसके साथ-साथ ही विद्यार्थी मित्र की बात चल रही है। जितने भी मेरे विधायक साथी बैठे हैं सभी चाहते हैं मन से, विद्यार्थी मित्रों को नौकरी लगनी चाहिए परन्तु माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप एक दिन, मैं उद्योग मैदान में रहा था सात दिन, मैंने उद्योग मैदान में धरना दिया था। आप एक रात, माननीय अध्यक्षजी, शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहता हूं एक दिन, एक रात विद्यार्थी मित्रों के साथ सो जाओ, हम आपको कल कहेंगे विद्यार्थी मित्रों की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी मित्रों के साथ सोने वाले नहीं हैं। गांव का रहने वाला गरीब आदमी इस उद्योग मैदान में, इस बरसात में तड़प रहे हैं। न तो खाने की व्यवस्था है, न बाथरूम की व्यवस्था है। यह लोग बैठे हैं, यह आपकी पैदाइश है। पिछली सरकार ने रखा, यह सवेरे हमारे पुराने शिक्षा मंत्री थे देवयानीजी ...(व्यवधान) देवयानीजी की करामात है । मेरा निवेदन है, देवनानीजी...

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हम तो गांव के आदमी हैं नाम ऊंट-पटांग, आता नहीं है। जो यह उपज है ...(व्यवधान) मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है पूरे सदन की राय है, कानून देखो, कानून तो खुद बनावें, कुम्भाराव आर्य को कहा कलक्टर ने, कानून नहीं है। कलम लाकर कागज दे दो, यह कानून बनाते हैं, कानून बन गया। आप शिक्षा मंत्री हो। शासन में बैठो हो, कानून खुद बनाओ। यह कानून बन गया। हाई कोर्ट के अन्दर, जब सुप्रीम कोर्ट जाओ, जब वोट मांगने गए जब तो गरज अलग थी, आज बिलकुल बदल गए, रूखे हो गए, जवाब बिलकुल रूखा आ रहा है, पूरे विधायक कह रहे हैं परमानेंट विद्यार्थी होने चाहिए विद्यार्थी मित्र। आप कह रहे हैं नहीं होगा, नहीं होगा ...(व्यवधान) जैसे घर के पैसे देने पड़ रहे हैं। मैं मेरी बात करना चाहूंगा और अंत में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: चन्द्रभान आक्या।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): साहब मेरा निवेदन है

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय वोल्यूम कम करने का आपके पास होना चाहिए, किसी का वोल्यूम कर सको, किसी का ज्यादा कर सको ऐसा एक स्विच बनवाओ।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी मेरा निवेदन है, हम बैठते हैं तब तो आपकी गरज हो रही है, हम वोल्यूम कम कर देंगे आपको कोई नहीं पूछे, 163 आए हो, कोई नहीं पूछेगा। हम बोल रहे हैं तब ही आपकी पूछ है वरना हम बंद हो गए तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। कोई नहीं बात करेगा।

श्री अध्यक्ष: चन्द्रभान आक्या।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 70 ऐसे एमएलए हैं उनको माननीय मुख्य मंत्रीजी मिलने का समय नहीं दे रहीं।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो। मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगाधन्यवाद से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चन्द्रभान आक्या। (व्यवधान) हीरालालजी।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 पर बोलने की अनुमति देने पर आपको धन्यवाद देता हूं। गत कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के नाम पर विद्यार्थी को ठगा गया।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट से ज्यादा मत बोलना।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): शिक्षकों को ठगा गया। विद्यार्थियों को ठगा गया। कुल मिलाकर शिक्षा इनकी ठगी की दुकान बन कर जनता के सामने आई है। जनता ने जब तक जाना है उन्हें ठगा गया है। तो इन चुनावों में जनता ने इस सरकार को ठग लिया है, इनसे साम–दाम-दण्ड भेद से सभी प्रकार की युक्तियां लगाई लेकिन यह भूल गए जनता में शिक्षित लोग विलुप्त नहीं हुए हैं।

महोदय, मेंरे जिला चित्तौड़गढ़ में शिक्षा एक ज्वलन्त समस्या है। वर्तमान में शिक्षकों के 60 प्रतिशत पद विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण शिक्षा पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि तत्काल रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कर विद्यार्थियों को लाभन्वित करें।

कन्या महाविद्यालय चित्तौडगढ़ में तीनों संकायों में विज्ञान, वाणिज्य, कला में एक-एक सेक्शन बढ़ा कर सीटों का विस्तार किया जाए। कन्या महाविद्यालय में क्रमोन्नत कर पीजी कालेज के रूप में क्रमोन्नत करें, जिले का एक मात्र कन्या महाविद्यालय है।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

साथ ही, महाराणा प्रताप पीजी कालेज में सीटों की बढ़ोतरी करते हुए नये सेक्शन खोलने की मांग भी माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से करता हूं। क्योंकि वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ की जनसंख्या एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को देखते हुए चित्तौड़गढ़ के महाविद्यालय की सीटों की संख्या अनुकूल नहीं है जिस कारण काफी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इसके अलावा, उक्त कालेज में कला संकाय में भूगोल एवं संस्कृत के स्नातकोत्तर विषय, विज्ञान संकाय में बांटनी विषय, वाणिज्य संकाय में व्यवसायिक प्रबंधन विषय भी प्रारम्भ करने का मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

इसके अतिरिक्त, भदेसर उपखण्ड स्तर पर नवीन कालेज की स्थापना करने का आग्रह मैं सरकार से करता हूं।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के क्रमोन्नत होने के अभाव में छात्र-छात्राओं को लम्बी दूरी तय करके विद्या अर्जन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा, साधन के अभाव में शिक्षा से वंचित भी रह जाते हैं इसलिए मैं सुखवाड़ा के पंचदेवला माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में, सुखवाड़ा संचालित माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, गठयावली पंचायत में बालिका माध्यमिक विद्यालय को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में, गोसुण्डा बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का माननीय मंत्रीजी से आग्रह करता हूं।

मैं माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अन्तर्गत विगत शिक्षण सत्रों में कई निजी विद्यालयों को अभी तक पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण उनके मनोबल में कमी आई है और इसलिए कोई निजी विद्यालय शिक्षा के इस नियम पर मन से काम नहीं हो पा रहा है। अत: कृपा कर इन्हें तत्काल पुनर्भरण राशि का भुगतान करावें ताकि ये पूरी क्षमता से विद्यार्थियों को शिक्षित करने में सफल हो सकें। चित्तौड़गढ़ में कृषि महाविद्यालय खुलवाने की कृपा करावें।

सर्व शिक्षा अभियान में महाविद्यालयों में होने वाले नये निर्माण अथवा मरम्मत कार्य एसडीएमसी विद्यालय विकास समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है वह गलत है, या तो ग्राम पंचायत से करवायें या किसी निजी संस्था से करवायें।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

कला एवं संस्कृति के विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि यह बात विश्व विख्यात है कि गढ़ हो तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया अर्थात चित्तौडगढ का दुर्ग एक ऐतिहासिक दुर्ग है जिसकी विश्व पर्यटन में अपनी एक छवि है। यदि विश्व में कहीं भारत का जिक्र होता है तो सर्वप्रथम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का जिक्र अवश्य होता है और राजस्थान आने वाला पर्यटक एक बार यहां पर अवश्य आता है। किन्तु गत सरकार के कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ के पर्यटक स्थलों को पूरी तरह अनदेखा किया गया जिसके कारण वर्तमान में उक्त ऐतिहासिक दुर्ग अपनी छवि से धूमिल होता जा रहा है। अत: मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त दुर्ग को पुन: अपने अस्तित्व में लाने के लिये जिला चित्तौड़गढ़ को पर्यटन जिला घोषित करें, पर्यटकों को आकर्षित करने की विभिन्न योजनाएं यहां संचालित करें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला चित्तौड़गढ़ में ही दुर्ग के अतिरिक्त कई धार्मिक पर्यटक स्थल भी हैं जैसे प्रसिद्ध तीर्थधाम स्थल श्री सांवलिया सेठ का मंदिर, प्रसिद्ध शक्ति पीठ माता आवरा का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, सीता माता अभयारण्य जो वर्तमान में आधा चित्तौड़गढ़ में तथा आधा नवीन जिसे प्रतापगढ़ में आता है, निलिया महादेव मंदिर इत्यादि का सौन्दर्यीकरण कर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय आपने मुझे सदन के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया इसलिये बारम्बार आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कु. जगत सिंहजी।

कु. जगत सिंह (कामां): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के सामने हमारे मेवात क्षेत्र की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को मैं पेश करना चाहता हूं। अभियान जब चला था भरतपुर में, माननीय मंत्रीजी हमारे प्रभारी थे, हमारे कामां विधान सभा क्षेत्र के। उनके साथ काफी समय हमने दौरों पर बिताया। हमारी कामां की विभिन्न समस्याएं थीं, हमने उनके सामने पेश की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी भी हमारी मेवात की समस्याएं हैं दुर्भाग्य की बात है कि जब हम मेवात की बात करते हैं तो लोग टेढी नजरों से हमारी तरफ देखते हैं। उनके जबान पर मात्र एक ही बात आती है कि साहब आपके इलाके में अपराध बहुत होता है। अपराध को खतम करने के लिए, प्रगति मेवात में लाने के लिए हमें तो मेवात के लोगों को अपने गले से मिलाना पड़ेगा। यह तब हम कर पाएंगे जब हम

(कु. जगत सिंह)

वहां की जो गरीब जनता है चाहे वह मुसलमान हो, चाहे हिन्दू हो, हम उनको शिक्षा के साधन उपलब्ध कराएं। यह बड़े दुख की बात है कि आज की तारीख में एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं अपने विधान सभा क्षेत्र कामां के बारे में ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि हमारे 11 ऐसे विद्यालय हैं आज की तारीख में जहां एक भी अध्यापक नहीं है। हमारे 63 विद्यालय हैं जिसमें मात्र एक अध्यापक है। जब हम अपने स्कूलों की व्यवस्था देखते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं, जब हम देखते हैं कि वहां पेयजल की किल्लत है, बिजली की समस्या है, वहां स्कूल के प्रांगण की चारदीवारी नहीं हुई है, वहां स्पोर्टस की सुविधा नहीं है तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि हमारे बच्चे या तो मदरसे में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेन्द्र मोदीजी को, वसुधंरा राजे, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी जो बजट निकला है केन्द्र में, उसमें मोदीजी ने 300 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया है, हमारे मदरसों के तकनीकीकरण के लिये।

(22.00 बजे)

अब यह बहुत आवश्यक था। वहां आज की तारीख में जो शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, वह तो मात्र अरबी की है और धार्मिक शिक्षा उनको दी जा रही है। यह अच्छी बात है कि अपनी संस्कृति के बारे में मुसलमान भाइयों को शिक्षा दी जा रही है। पर साथ-साथ इक्कीसवीं सदी में अपने मुसलमान भाइयों को मेन-स्ट्रीम में हम लाना चाहें तो उनको साथ-साथ बाकी जो हमारे विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हम स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, वह भी शामिल होने चाहिए। अब यह तब होगा, और मदरसों से अपने मुसलमान भाइयों के बच्चों को हम तभी खींच पाएंगे और सरकारी विद्यालयों में हम उनकी भर्ती करा पाएंगे जब हम अपने सरकारी विद्यालयों को विकसित करेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि कामां और हमारे मेवात का जो क्षेत्र है, जिसमें हमारे लगभग आठ या नौ विधान सभा क्षेत्र आते हैं, दो हमारे जिले प्रभावित होते हैं, एक अलवर जिला है, एक भरतपुर जिला है, वहां शीघ्र ही सरकार बजट आबंटन करे, हमारे मेवात की शिक्षा के लिए। हमारे नौजवान साथी शिक्षित होंगे तो मैं मानता हूं कि हम अपने नौजवान साथियों को सही रास्ते पर ला पाएंगे। आज की तारीख में ताजमहल की वजह से हमारे भरतपुर जिले के अन्दर न तो हम प्रदूषण के कारखाने खोल सकते हैं और न ही हम भट्टे खोल सकते हैं। नगर और कामां दो ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां की

(कु. जगत सिंह)

जनता हमेशा खनन पर निर्भर रही है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश ऐसे निकले हैं कि आधी तो हमारी खानें बंद हो गई हैं। रोजी-रोटी के जो साधन हैं, वह तो लगभग सारे ठप हैं। हमारे क्रेशर भी लगभग सारे बंद पड़े हैं और जब और कोई रास्ता और चारा नहीं मिलेगा हमारे नौजवानों को तो वह गलत रास्ते पर निश्चित तौर से उतरेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन नौजवान साथियों की पीड़ा को समझ कर वहां विश्वविद्यालय खोलें। जैसे पहाड़ी में हमारा एक महाविद्यालय है। मुझे जानकारी मिली है कि वहां के जो प्राचार्य हैं वह पिछले एक साल से एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वहां न तो कोई बिल्डिंग आबंटित की गई है, न वहां कोई प्रांगण है, न वहां कोई भर्ती हो रही है। यह पिछली सरकार की देन थी, बड़ी अजीब देन थी। आपने घोषणा तो कर दी, पर महाविद्यालय के नाम पर आज एक ईंट भी नहीं है पहाड़ी में। तो सरकार से अनुरोध है कि इस महाविद्यालय को शीघ्र ही चालू कराएं। ताकि वहां उस क्षेत्र के नौजवान साथियों को हायर एजुकेशन का मौका मिले।

हमारी एक और समस्या है, साहब। हमारा जो साक्षरता मिशन, जो हमारे भरतपुर में चलता है, उनके जो प्रेरक हैं वह सन् 1998 से लेकर आज तक अस्थाई रूप से चल रहे हैं। उनका वेतन भी मात्र 25 सौ रुपये है। यह वेतन भी उनको पंचायत द्वारा मिलता है वह भी इनको समय पर मिलता नहीं है। तीन-चार महीने का अन्तर बीच में हो जाता है। आज की तारीख में महानरेगा में भी किसी आम मजदूर को महीने के 2500 रुपये से ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपसे निवेदन है मंत्री महोदय कि आप इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। जैसे महानरेगा में जो अस्थाई रूप से चल रहे थे, उनको स्थाई अब बनाया है। जो हमारे रिक्त पद हैं, आपसे अनुरोध है, उनको आप भरें। जब अगली बार आपको मौका मिले, साहब, आपको भरतपुर आने का, आप जरा कष्ट करें। आप दुबारा हमारे मेवात क्षेत्र का दौरा करो, साहब, और हमारी समस्याओं का निराकरण करो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बारामजी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्षजी, आपने मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले, शिक्षा मंत्रीजी आपका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि तोपदड़ा जो ऐतिहासिक विद्यालय है, न सिर्फ अजमेर का

(श्री पब्बाराम)

ही, यह शिक्षा जगत का बहुत बड़ा विद्यालय है। उसकी बीस बीघा जमीन शहर के बीचों बीच शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण मुक्त करवा दी। मैं आपको बधाई देता हूं। इसके साथ, मैं आपसे आग्रह भी करता हूं कि उन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इस ऐतिहासिक विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त करवाया उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी विद्वान ने कहा है कि एक इंजीनियर की गलती उसके द्वारा बनाये गये पुल अथवा बिल्डिंग, उसके मलबे के नीचे दब जाती है। एक डाक्टर की गलती किसी मरीज की असामायिक मृत्यु के बाद में कुछ कालान्तर में भुला दी जाती है परन्तु एक शिक्षक की गलती राष्ट्र जीवन में परिलक्षित होती है। राष्ट्र के साथ में राष्ट्र के भविष्य पर दुष्प्रभाव डालती है, विनाशकारी प्रभाव डालती है। इसी प्रकार से, जिस महान व्यक्तित्व, जिस महान शिक्षक के नाम से हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णनजी, उनका एक कथन है कि शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देता है। ऐसे शिक्षक, इस प्रकार के शिक्षक, जिनकी भर्ती के अन्दर पिछले पांच वर्षो के अन्दर जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वह विवादों के घेरे में रही हैं। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में जिस प्रकार से आर.पी.एस.सी. के मार्फत शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की थी, उनको पुन: जिला परिषदों के अन्दर देकर इस प्रकार की परिस्थिति बना दी कि सब जगह घपले ही घपले हुए। इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों की बात चली। पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उससे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में शिक्षकों को, पैराटीचर्स को 1200 रुपये प्रतिमाह देकर के उनका श्रम का शोषण किया गया, उनकी शिक्षा का शोषण किया गया। यानी उस समय नरेगा के लिये सौ रुपये प्रति दिन, अर्थात तीन हजार रुपये मिलते थे और उन शिक्षकों को 40 रुपये प्रति दिन, वैल क्वालिफाइड, उनको 40 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय वसुंधराजी ने परीक्षा लेकर उनको पक्की नौकरियां दीं। और उसके बाद में भी जो क्वालिफाइड लोग थे और बच गये थे उनको प्रबोधक नाम से वही वेतन श्रृंखला देकर सभी को लगाया गया। तो यह कांग्रेस सरकार में किये गये कुकृत्य को सही करके उन सभी नौजवानों को नौकरी पर लगाया गया। अब जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन विद्यार्थी मित्रों को लगाया गया था, पिछले पांच वर्ष में इस दुराग्रह के साथ में कि भारतीय जनता पार्टी

(श्री पब्बाराम)

के शासनकाल में यह लोग लगे हैं, इनके साथ में न्याय नहीं हुआ, इनकी कोई परीक्षा नहीं ली गई। साथ ही, इन पांच वर्षों में बहुत कम नई भर्तियां ली गईं। भर्तियां भी जितने लोग रिटायर हुए, उतनी ही ली गईं। नये विद्यालय और खोल दिये गये और उनके अन्दर शिक्षकों के पदों की व्यवस्था नहीं की गई। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र शिक्षा जगत और गरीबों के प्रति हुआ कि इस प्रकार से पदों को रिक्त रखा जाए, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई न हो और अभिभावकों का और छात्रों का सरकारी विद्यालयों से मोह भंग हो जाए, वह निजी विद्यालयों की तरफ चले जाएं। अब जो एकीकरण और समानीकरण की बात हो रही है, यह उसी पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यों के दुष्परिणामों के कारण ही आज परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि एकीकरण की स्थिति आ गई। उन विद्यालयों को एक किया जा रहा है। उन विद्यालयों के अन्दर शिक्षक तो बहुत मात्रा में है परन्तु ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय, मैं अंतिम वक्ता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अंतिम नहीं है। अभी तो दो बाकी हैं।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अच्छा-अच्छा। क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं और यह मेरा मूल विभाग है इसलिये पांच मिनट मेरे लिये, मेरा विशेषाधिकार है।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट में आप समाप्त कर दीजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन विद्यार्थी मित्रों को पांच साल और सात साल हो गये, कुछ लोग तो ओवर-एज हो गये। यह सिर्फ विपक्ष की ही मांग नहीं है, समस्त सदन की भावना है और माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप जब आगे की तरफ देख रहे थे तो पीछे से भी सभी ने हाथ खड़े करके यह भावना जताई थी कि इन विद्यार्थी मित्रों के बुझते हुए चूल्हे को पुन: प्रज्वलित करने का एक बहुत बड़ा कार्य कीजिए। आपको यह लोग दुआ देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, वे लोग, आप और सरकार कोई न कोई रास्ता निकालें। निश्चित तौर से हाई कोर्ट का कोई निर्णय है जो आपके आड़े आता है, परन्तु कोई न कोई रास्ता आपको जरूर निकालना चाहिए, उनके भविष्य का सवाल है, वे ओवर-एज हो गये। कहां जाए? दर-दर भटक रहे हैं। आपको इसके ऊपर अवश्य ही विचार करना चाहिए, यह सम्पूर्ण सदन की भावना है।

(श्री पब्बाराम)

मानानीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से रिक्त पद रखे गये उसी प्रकार से जब खाली पद थे तो गांवों के शिक्षक शहरों की तरफ चले गये और शहरों में जाकर लगने लगे। गांवों की स्कूलें खाली हो गईं। गांवों के अन्दर, यह तो नहर के उस टेल की तरह है कि जिस प्रकार से अंतिम छोर पर एक बूंद पानी नहीं आता है, उसी प्रकार से गांव में किसी भी विद्यालय में बहुत कम शिक्षक रहते हैं। इसका एक उदाहरण मेरी कांस्टीट्यूएंसी में है कि एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल था टेपू, उसके अन्दर विज्ञान संकाय और शिक्षक एक मात्र, वह भी पी.टी.आई. तो वहां पर एक कहावत चल पड़ी हमारे वहां पर कि 12वीं स्कूल और एक मास्टर और वह भी खीओ। यानी, खींवसिंह नाम था उसका। वह भी पी.टी.आई, सिर्फ हाथ में डंडा। जानता कुछ नहीं पढ़ाने के लिए, सिर्फ शारीरिक शिक्षा जानता था। तो यह परिस्थितियां इस कारण से पैदा हुई कि पांच साल में कोई शिक्षक भर्ती नहीं की गई। मैं आपसे मांग करता हूं कि गांवों में शिक्षक टिके इसके लिये 'सुराज संकल्प पत्र' में भी अपना वादा है कि शिक्षकों को और अन्य कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिया जाए। शहरों के अन्दर 15 परसेंट आपको मकान किराया भत्ता मिलता है और गांवों के अन्दर 5 परसेंट। शहर में जाने से वेतन भी अधिक मिलता है और सुविधाएं भी अधिक मिलती हैं। क्यों गांव की तरफ कर्मचारी जाएगा? यह उनकी परिस्थिति है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि ग्रामीण भत्ता इनको दिया जाए। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र फलौदी की कुछ मांगें हैं, दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, जल्दी रखिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): हमारे फलौदी के अन्दर 1979 से लेकर 1989 तक एक कार्यालय हुआ करता था अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जोधपुर में हुआ करता था। परन्तु जिस समय में क्रमोन्नत होकर यह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बना तो जोधपुर में आ गया। अब दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं। एक तो प्रारम्भिक का, दो ही हैं प्रारम्भिक और माध्यमिक के, जो दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, उसके अन्दर हमारे वाला क्षेत्र है फलौदी, बाप, लोहावट वह ही क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र है, हमारा फलौदी 150 किलोमीटर जोधपुर से दूर है और हमारा कुछ क्षेत्र तो ऐसा है जो ढाई सौ किलोमीटर दूर है। क्यों न उस जिला शिक्षा अधिकारी एक-एक को स्थानांतरित करके जोधपुर से भेजा जाए?

(श्री पब्बाराम)

फलौदी में भेजा जाए क्योंकि फलौदी के अन्दर सभी जिला स्तरीय कार्यालय खुल चुके हैं। ए.डी.एम. कार्यालय वहां पर है। एडिशनल एस.पी. का कार्यालय वहां पर है। डी.टी.ओ. कार्यालय वहां पर है। जिला उद्योग केन्द्र वहां पर है। एस.डी.एम. के दो कार्यालय वहां पर हैं। इसी प्रकार से उप तहसील है, तहसीलें है। इतना बड़ा क्षेत्र है और वहां के लोग, उस क्षेत्र के लोग सारे के सारे जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर में आते हैं। इसी प्रकार से हमारे वहां पर एक और मांग है। मेरे जो महाविद्यालय है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): महाविद्यालय की बात रख कर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बस।

श्री पब्बाराम (फलौदी): महाविद्यालय में हमने सीट वृद्धि के लिए निवेदन किया था। वहां पर 150, 200, 250 किलोमीटर, पोकरण का क्षेत्र, जालूवाला और वहां से भी विद्यार्थी आते हैं, थार के रेगिस्तान से आते हैं, कोलायत क्षेत्र के भी विद्यार्थी वहां पर आते हैं और हमारे फलौदी क्षेत्र के भी होते हैं, देचू क्षेत्र के भी होते हैं, लोहावट क्षेत्र के भी होते हैं। इतने ज्यादा विद्यार्थी हैं और मात्र एक महाविद्यालय है। वहां पर 400 सीट्स हैं। साढ़े छह सौ वहां पर एनरोलमेंट हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, शिक्षा मंत्रीजी, सीटों में वृद्धि की जाए और वह भी 25 प्रतिशत वृद्धि की जाए।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। श्रीमती शकुन्तला रावत। बस, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्रीमती शकुन्तला रावत और इसके बाद डा. मंजू बाघमार और उसके बाद मंत्रीजी का वक्तव्य। अब विराज जाइए आप।

श्री पब्बाराम (फलौदी): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सबका प्रतिवेदन मैं शिक्षा मंत्रीजी को दे चुका हूं। इसके ऊपर विचार कीजिए और सेंक्शन दीजिए। धन्यवाद, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सूची-1, मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर अपनी बात कहना चाहूंगी।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

शिक्षा के विषय में मैं सबसे पहले पाइंट ही नोट करवा देती हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभी जगह, सभी विधान सभा क्षेत्रों में महिला आई.टी.आई. कालेज होना चाहिए जिससे कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी।

दूसरा, जो पंचायत समिति दूर-दराज, ऊबड़-खाबड़ इलाके में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो, वहां पर आवासीय विद्यालय जरूर होने चाहिए जिससे कि गरीब बालक-बालिकाएं शिक्षित हो सकें और उच्च शिक्षा में जिस-जिस विधान सभा क्षेत्र में कालेज नहीं है वहां पर भी कालेज खुलना चाहिए जिससे कि गरीब बच्चे पढ़ सकें जो कि प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं वहन कर सकते।

सुबह से ही सभी तरह की समस्याएं आ रही हैं लेकिन जो जहां पर टीचर नहीं है सबसे पहले वहीं पर, बी.ई.ओ. और डी.ई.ओ. से लिस्ट मंगवा ली जाए, वहां पर सबसे पहले व्यवस्था की जाए और सुबह से जो मांगें आ रही हैं, विद्यार्थी मित्रों की मांग के लिए, मैं भी उसी में अपना समर्थन करती हूं क्योंकि ये बेरोजगार हैं और अपने से एक गुहार मांग रहे हैं और हमने इनको भर्ती कर लिया था। कई ओवर-एज हो गये हैं, वे दूसरी नौकरी के लायक भी नहीं रहे हैं।

स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें छात्रवृत्ति समय पर मिले इसके लिये भी सभी विद्यालय, महाविद्यालयों को निर्देशित करना चाहिए और जो स्कूलें, उनमें जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे शौचालय हो, स्वीपर हो, भवन हो, बिजली हो, वहां पर भी यह सारी सुविधाएं जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाए और इसी के साथ, मैं दो ही लाइन बोलूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी कि आप और हम जितने भी इंसान हैं, अपने मन की शांति के लिए एक जगह पर एकत्रित होकर 36 कौम का आदमी जहां पर पूजा करता है, अपने मन की शांति के लिए उसे मंदिर कहते हैं और जिस जगह पर 36 कौम का बालक ज्ञान ग्रहण करता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, उस जगह को विद्यालय कहते हैं। विद्या का मंदिर होता है। तो आप, मंत्रीगण, सभी से मेरा यही अनुरोध है कि वहां पर जीती-जागती मूर्ति बच्चों के रूप में साक्षात् उपस्थित रहती है तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर नीति निर्धारित करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद आपको भी। श्रीमती मंजू बाघमार। इसके बारे मंत्रीजी का जवाब।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। सिर्फ मैं अपने क्षेत्र की दो, उच्च शिक्षा के बारे में दो-तीन बातें और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में दो-तीन बातों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

मेरे क्षेत्र जायल के अन्दर चूंकि, वह ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां पर जो आनन-फानन में 2013 के अन्दर जो महाविद्यालय खोला गया था उसमें शिक्षकों की कमी है और साथ ही साथ अभी तक वहां पर भूमि और भवन का आबंटन भी नहीं हो पाया है। वहां पर कम से कम 300 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक वहां पर एक ही संकाय खोला गया है और वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने की भी वहां पर जरूरत है।

इसके अलावा नागौर के अन्दर जो बालिका महाविद्यालय बना हुआ है, वहां पर पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन वहां पर अभी तक केवल कला संकाय है। वहां पर दूसरा संकाय भी खोला जाए।

इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की आई.टी.आई. नागौर मुख्यालय पर और पालिटेक्निक कालेज भी नागौर मुख्यालय पर शीघ्र ही खोला जाए, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन पूरे राजस्थान के अन्दर बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन अभी तक वह अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट पालिटेक्निक कालेज को भी अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए।

इसके अलावा अम्बेडकर ला यूनिवर्सिटी के अन्दर मुझे जो मैम्बर बनाया, उसके बारे में भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर उसका ज्यूरिस्डिक्शन अभी निर्धारित नहीं किया गया है। जबकि पूरे राजस्थान के ला कालेजेज उसके अंडर में आ रहे थे। केवल संगठक महाविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी के थे, वह उनके ज्युरिस्डिक्शन से बाहर रखे गये। शीघ्र ही वहां पर भूमि और भवन की व्यवस्था की जाए और उसका ज्युरिस्डिक्शन भी निर्धारित किया जाए।

जहां तक यूनिवर्सिटी की प्राब्लम्स की बात है, वहां पर सबसे ज्यादा फाइनेंस की प्राब्लम चल रही है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी में जो फाइनेंस की प्राब्लम है तो वहां पर स्टेट की जो ग्रांट

(डा. मंजू बाघमार)

मिलती है, उसे शीघ्रता से लागू किया जाए और वहां पर जो स्टाफ की कमी सबसे ज्यादा है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी के जो ला हैं, यूनिवर्सिटी के एक्ट में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए कि जैसे ही वहां पोस्ट वेकेंट हो, विदिन वन ईयर के अन्दर वहां की पोस्ट को भर दिया जाए।

इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, उनके रिटायरमेंट की जो आयु है, उसके लिए भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम उनकी आयु को 65 वर्ष किया जाए तो निश्चित रूप से उनके अनुभवों का लाभ विद्यार्थियों को मिल पाएगा।

जहां तक टेक्निकल एजुकेशन की बात है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि टेक्निकल एजुकेशन के अन्दर सिक्स्थ-पे कमीशन को लागू कर दिया गया है। लेकिन अभी तक वहां पर 2010 में जो रूल्स बनाये गये थे, उन रूल्स को लागू नहीं किया गया है, जिससे वेतन विसंगतियां बढ़ रही हैं और कोर्ट केस भी बढ़ रहे हैं। इस ओर भी ध्यान दिया जाए।

टेक्निकल एजुकेशन के अन्दर सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि वहां पर जो एच.ओ.डी. का पद लगाया गया है, उस पर 100 प्रतिशत ओपन सलेक्शन माना गया है, जबकि किसी भी डिपार्टमेंट के अन्दर यह नहीं है कि वहां पर 100 प्रतिशत ओपन सलेक्शन होता है। 50 प्रतिशत ओपन सलेक्शन होता है और 50 प्रतिशत डिपार्टमेंट के द्वारा प्रमोशन होता है तो इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

इसके अलावा, जो हम हायर एजुकेशन में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसके अन्दर टेक्निकल एजुकेशन में यह प्राब्लम है कि जब भी एम.फिल. या पीएच.डी. करने के लिए जब आई आई टी और एन आई टी वगैरह में जाते हैं तो वहां पर राजस्थान की जो सीट्स हैं, वह कम होती है और दूसरे स्टेट की सीट्स ज्यादा होने के कारण उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती, उनकी गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पाता है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि टेक्निकल एजुकेशन की टीचर्स की जो प्राब्लम है, इस ओर भी ध्यान दिया जाए।

इसके अलावा, मैं अपने क्षेत्र की एक-दो बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां पर मैं चाहूंगी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर

(डा. मंजू बाघमार)
पंचायत स्तर पर एक बालिका विद्यालय की स्थापना की जाए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, उन पदों को शीघ्र ही भरा जाए।

इसके अलावा ग्राम पंचायत, जो जोधियासी है, वहां पर वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोले जाएं एवं ग्राम पंचायत जालेवा में सीनियर सैकण्डरी के लिए एक बोर्ड बनाया जाए और शिक्षकों के क्षेत्र में प्रतिबन्धित जिलों के अन्दर जो शिक्षकों को लगा रखा है, उनके लिए भी हमें एक पालिसी बनानी चाहिए ताकि पांच साल या दस साल, जो जिस क्षेत्र में रह सके, उसके बाद वह अपने गृह जिले में आ सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक और लास्ट में बात कहना चाहूंगी कि हमारा जो शिक्षा का गिरता स्तर है, हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने के लिए हमें नैतिक शिक्षा की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा भारत जो पहले विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, हमारे सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को हम दुबारा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुन्दर लालजी।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से शिक्षा पर जिक्र चालू हुआ था और शिक्षा का सत्यानाश हुए छह वर्ष हो गये। आप क्यों जिक्र करते हो? बिना कारण ही आप जिक्र कर रहे हो। सरपंच बनता है वह मास्टरों को कहता है कि मेरा सपोर्ट करिये और प्रधान बने वह कहे मास्टरों को कि मेरी सपोर्ट करिये और मास्टर स्कूल में जाते नहीं हैं। पढ़े हुए बच्चों को कह देते हैं कि पढ़ाओ तुम मेरी स्कूल में। मैं मेरी स्कूल में गया एक बार, मैंने पूछा मास्टर कहां गया तो बोलता है मुझे आधी तनख्वाह देता है मैं पढ़ाता हूं। मैं आपको वहां चल कर दिखा दूंगा। शिक्षा दे दी बणिये को। बणिया तोलने का काम करता है या लिखने का काम करता है? शिक्षा चलती है डंडे से। इनको कोई खाता-बहियों का काम देते, वित्त मंत्री बनाते।

मैं आपसे कहना चाहता हूं शिक्षा जो राजनीति का गढ़ है वह मास्टर लोगों ने कर रखा है। सारे दिन राजनीति करते हैं। कोई स्कूल में जाते नहीं हैं। मेरे यहां एक स्कूल है गुवाड़ा में जिसमें 14 मास्टर हैं, और 14 के 14 बी.ए. और बी.एड. हैं और बच्चे 150 हैं। उसके पास में ही प्राइवेट स्कूल है उसमें बी.एड. किया हुआ एक टीचर है और उसमें बच्चे 1200 हैं। मैं आपको यह

(श्री सुन्दरलाल)

कहता हूं कि आप इन पढ़े हुओं को क्यों मास्टर बनाते हैं? ये कारण क्या है मुझे बताओ तो सही। जितनी भी स्कूल हैं, उनमें सब पढ़े हुए हैं। बाद में वह कहते हैं मेरा नौकर भी है वह भी कहता है कि मेरा बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ेगा। इन स्कूलों का होगा क्या? आप राज़ी हो रहे हैं शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा, काहे की शिक्षा है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप यह व्यवस्था करो जिले में जिले का मास्टर नहीं रहेगा, यह कर दो फैसला। अगर वह नहीं पढ़ाने लग जाएं तो। एक भी जिले का मास्टर जिले में नहीं रहेगा। मैंने जिले में आदेश करवा दिया था, 20 किलोमीटर से कोई भी मास्टर उस स्कूल में नहीं रहेगा। अब सारे दिन मेरी छाती छीलते हैं कि मुझे यहां लगवा दो। खाट के पास लगवा दें क्या आपको? इसलिये आप यह फैसला करें। 30 हजार मास्टर हैं, कहां लगाओगे? आप और खोलोगे तो खोल दो। इसलिए इसका होगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं इसके ऊपर सुधार करने की बड़ी जरूरत है। इस देश का सत्यानाश कर दिया। इन स्कूलों को सुधारो और दूसरी बात यह है कि हरियाणा के मास्टर लगा रखे हैं। अपन स्टेशन कहते हैं वह सटेशन कहते हैं। हरियाणा के मास्टर को स्टेशन कहलवा दो, सौ रुपये इनाम का। अपन स्टेज कहते हैं, वह सटेज कहता है। आधे से ज्यादा तो वह लगे हुए हैं। बिगाड़ दिया। बणिया बैठा-बैठा कहते हैं आपका भी कर दूंगा, आपका भी कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका सुधार करो। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: अब माननीय श्री कालीचरणजी सराफ, शिक्षा मंत्री, बहस का उत्तर देंगे।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। आप बैठ जाइए।

एक माननीय सदस्य: प्लीज पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। हो गया, बहुत हो गया। बैठिये। कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से सदन में मांग सख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों ने 339 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि तीन दिन के अन्दर-अन्दर सभी कटौती प्रस्तावों

(श्री कालीचरण सराफ)

के जवाब लिखित में भिजवा दिये जाएंगे। आज की चर्चा में 44 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। माननीय सदस्यों ने कई बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने-अपने तरीके से मेरा मार्गदर्शन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मेरी बात प्रारम्भ करुं, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधराजी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार जो उन्होंने बजट पेश किया है, जब उन्होंने बजट पेश किया तो मुझे लगा और सबको इस बात की जानकारी होगी कि इस बजट में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा के लिए उन्होंने दिया है, तो यह शिक्षा के प्रति समर्पित बजट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2003 से 2008 तक आदरणीय वसुंधराजी प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं और भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इतने कीर्तिमान स्थापित किये, उसका यह परिणाम था कि यूनेस्को द्वारा विश्व का प्रतिष्ठित कन्फ्यूशियस अवार्ड राजस्थान को मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद 2003 तक जितने स्कूल राजस्थान की धरती पर खोले गये या क्रमोन्नत किये गये, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 2003 से 2008 तक जब भारतीय जनता पार्टी का राज था राजस्थान में उससे ज्यादा स्कूल, 50767 स्कूल हमने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर एक किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, हर तीन प्राइमरी स्कूल पर एक मिडल स्कूल और हर ग्राम पंचायत में एक सैकण्डरी स्कूल, इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर हमने या तो स्कूल खोले या क्रमोन्नत किये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमने आर.पी.एस.सी. के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के एक लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति उस समय की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से 2008 में सत्ता का परिवर्तन हुआ और हमारे सामने बैठने वाले कांग्रेस के मित्र सत्ता में आए। होड़ा होड़ी जिसको कहते हैं न, हमने तो स्कूल खोले मापदण्ड के आधार पर, हर एक किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, हर तीन प्राइमरी स्कूल पर एक मिडल स्कूल, इन्होंने बिना आवश्यकता, बिना किसी मापदण्ड तीन साल तो कुछ नहीं किया और

(श्री कालीचरण सराफ)

लास्ट के दो साल में, क्योंकि चुनावों में जाना था, 2776 तो नये प्राथमिक स्कूल खोले और 2220 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया और माध्यमिक शिक्षा में 3877 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 1319 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया।

राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये इन्होंने स्कूल तो खोल दिये पर उनमें शिक्षकों की क्या व्यवस्था होगी, भवन होंगे कि नहीं होंगे, इसका इन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत भारत सरकार द्वारा 2392 विद्यालयों के लिये 504 करोड़ रुपये की लागत से 11293 निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी जिनको इन लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, उसका क्रियान्वयन नहीं किया और उसका परिणाम यह हुआ कि 504 करोड़ की लागत से जो निर्माण कार्य होने थे उनकी लागत 748 करोड़ रुपये हो गयी। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में स्वीकृत कार्यों को न कराने के कारण इस योजना के तहत 2012-13 में भी कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा 124.59 करोड़ रुपये की लागत से 355 कार्य स्वीकृत किये गये जिसका क्रियान्वयन भी पिछली सरकार नहीं करा पायी। इसके कारण भारत सरकार ने 2014-15 में कोई नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किया। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे 2392 विद्यालयों के निर्माण के लिये, जो राशि बढ़ गयी थी 244 करोड़ रुपये वो 244 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि उन्होंने उपलब्ध कराने की घोषणा की और अब इनसे 2014-15 में निर्माण कार्य करवाये जा सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा आरटेट के सम्बन्ध में गलत नीति के कारण विभिन्न न्यायालयों में तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती अटक गयी, उसका यह परिणाम हुआ कि विद्यालयों में अध्यापकों की कमी हो गयी। आज कई माननीय सदस्यों ने एक ही बात की चिंता व्यक्त की है कि हमारे यहां पर पद रिक्त हैं, हमारे यहां पर टीचर नहीं हैं, हमारे यहां पर पद रिक्त होने के कारण कई स्कूल बंद होने की नौबत पर आ गये हैं। सारी शिक्षण व्यवस्था को चौपट कर दिया। यानी उसका आप यह परिणाम देखिये कि पिछली सरकार के शैक्षणिक कु-प्रबन्धन के कारण वर्तमान में 142 प्राथमिक

(श्री कालीचरण सराफ)

विद्यालय तो ऐसे हैं कि जिनमें जीरो नामांकन है। नामांकन भी कम हो गया और वहां 251 अध्यापक कार्यरत हैं। इसी प्रकार से 8164 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक से 15 तक का नामांकन और 14655 अध्यापक वहां पर कार्यरत हैं और 16 से 30 नामांकन वाले 19707 विद्यालय हैं, उनमें 42150 अध्यापक कार्यरत हैं। इस प्रकार 30 से कम नामांकन वाले कुल 28013 विद्यालयों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, 57056 अध्यापक कार्यरत हैं। इसका परिणाम है कि इनकी जो गलत नीति थी उसके कारण जहां छात्र नहीं है वहां तो शिक्षक ज्यादा हैं और जहां पर छात्र हैं वहां पर शिक्षक नहीं हैं। और आज यह स्थिति हो गयी कि कई विद्यालय तालाबंदी का शिकार होने की कगार पर हैं।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर चिंता व्यक्त की है, 31 अगस्त तक जितने भी विद्यालय हैं, जहां पर अध्यापकों के पद रिक्त हैं, मैं यह तो नहीं कहता कि सारे पद भर दिये जाएंगे पर पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर के किसी भी विद्यालय को बंद नहीं होने दिया जाएगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं यहां यह घोषणा करना चाहता हूं कि हम एकीकरण की प्रक्रिया अपनाएंगे, समानीकरण करेंगे। अब यहां पर कई सदस्यों ने कहा कि, साहब, आप एकीकरण कर देंगे तो विद्यालयों को आप बंद कर देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कई स्कूल बंद हो जाएंगे पर मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो एक किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल का जो मापदण्ड आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत है उसका ध्यान रखा जाएगा और हर एक किलोमीटर पर निश्चित रूप से एक स्कूल प्राइमरी का होगा और हर तीन प्राइमरी स्कूल पर एक मिडल स्कूल होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमने इस बार यह तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में एक विद्यालय पहली से लेकर बारहवीं तक एकीकृत विद्यालय हम आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। उसमें एक भी अध्यापक की कमी नहीं रहेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये जो-जो चीजें आवश्यक हैं, यदि वहां पर पंखों की आवश्यकता है तो पंखे, रूम्स नहीं हैं तो रूम्स, बच्चों के लिये टायलेट्स नहीं हैं तो टायलेट्स, चारदीवारी नहीं है तो चारदीवारी, पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था, फर्नीचर नहीं

(श्री कालीचरण सराफ)

है तो फर्नीचर, हम सब प्रकार की व्यवस्था करके और हर ग्राम पंचायत में एक स्कूल इस प्रकार का विकसित करेंगे जो पहली से बारहवीं तक होगा। बच्चों को इधर से उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहां के टीचर्स होंगे, जो वहां का प्रिंसिपल होगा, जो वहां के अध्यापक होंगे उनकी भी जवाबदेही निश्चित होगी।

आज जब कोई बच्चा नाइन्थ में फेल हो जाता है और हम पूछते हैं कि, भई, यह क्या हुआ, तो कहते हैं, साहब, आठवीं तक बच्चों के कोई एग्जाम की व्यवस्था नहीं है, दूसरी स्कूल से बच्चा आया है, अब यह बच्चा बिलकुल ढपोल है, हम क्या करें? अब जब पहली से लेकर के बारहवीं तक एक ही विद्यालय में बच्चा पढ़ेगा वहां के प्रिंसिपल और वहां के अध्यापकों की जवाबदेही तय होगी कि यहां पर आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में ट्रांसफर के लिये कोई नीति नहीं थी और ट्रांसफर एक इंडस्ट्रीज के रूप में डवलप हो गया। ट्रांसफर उद्योग, भ्रष्टाचार चरम पर। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर हजारों लोगों को इन्होंने इधर से उधर किया। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले तो हम जो राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर, राजनीतिक कारणों से जिनका ट्रांसफर किया गया उसको दुरुस्त करेंगे और उसके बाद एक ट्रांसफर नीति के आधार पर पूरे प्रदेश में आगे के चार वर्षों में ट्रांसफर होंगे। इसके लिये हमने एक समिति बनायी है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे कई राज्यों की ट्रांसफर नीतियों को हमने मंगवाया है और उसका अध्ययन कर रहे हैं और हम जल्दी ही ट्रांसफर नीति बनाएंगे और आगे भविष्य में जितने भी ट्रांसफर होंगे वे ट्रांसफर नीति के आधार पर किये जाएंगे। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हम ट्रांसफर नीति बनाएंगे उसमें जो अच्छे टीचर होंगे, जो अच्छे परिणाम देने वाले टीचर्स होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और वो जहां कहेंगे, उनके इच्छित स्थान पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। जो टीचर लापरवाह होंगे, जिनका परिणाम ठीक नहीं रहेगा ऐसे टीचर्स को दंडित करने में भी सरकार हिचकिचाएगी नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने के लिये टीचर्स परफोर्मेन्स एप्रेजल की व्यवस्था भी की गयी है। जिसमें प्रत्येक तिमाही में अध्यापक को उसके द्वारा किये गये अध्यापन कार्य एवं

(श्री कालीचरण सराफ)

बच्चों के स्तर को बताना होगा। इससे अध्यापकों में जवाबदेही बढ़ेगी और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना सुनिश्चित होगा।

छात्रों में गणित व विज्ञान विषय के प्रति रूचि जागृत करने एवं प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कक्षा 3, 5, 7, 9 व 11 के बाद स्कालर परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी विद्यालयों के बारे में आए दिन यह खबरें छपती हैं कि निजी विद्यालय फीस के मामले में मनमानी करते हैं। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि हाई कोर्ट के निर्देश पर रिटायर्ड जज शिवकुमारजी के नेतृत्व में एक फीस निर्धारण कमेटी का गठन हुआ है। वह कमेटी काम कर रही है। कई विद्यालयों की तो उन्होंने फीस निर्धारित कर दी है और कई विद्यालयों के फीस निर्धारण का कार्य प्रक्रिया में है। किसी भी निजी विद्यालय में फीस के मामले में मनमानी नहीं करने दी जाएगी। फीस निर्धारण समिति जो फीस निर्धारित करेगी उसी के अनुरूप उनको फीस लेनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की पिछली सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिये कोई ठोस पहल नहीं की। शिक्षकों की भर्ती में जो पारदर्शी प्रक्रिया हमने शुरू की थी, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती का रास्ता खोल दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को पहले आरटेट और उसके बाद जिला परिषद दोहरी परीक्षा प्रणाली से गुजरना पड़ता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने सदन की भावना समझी, जनता की भावना समझी और जो सुराज संकल्प यात्रा के दौरान हमने वादा किया था कि एक ही परीक्षा होगी, हमने दोहरी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया। एक ही परीक्षा आयोजित करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में की। अब यह परीक्षा रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फोर टीचर्स के नाम से जानी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की अटकी हुई भर्तियों का रास्ता खोलने के लिए हमने यह निर्णय किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो विशेष अनुमति याचिका, एसएलपी, दायर की हुई है पिछली सरकार के द्वारा उसको हम विदड्रा करेंगे। अब जब यह विदड्रा करने की बात आयी तो कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि यह विदड्रा करेंगे तो एससी, एसटी और ओबीसी के हितों के साथ कुठाराघात होगा। मैं सदन को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एसएलपी

(श्री कालीचरण सराफ)

तो हम विद्ड्रा करेंगे पर किसी भी एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनके हितों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होगा। क्योंकि अभी जो आंकड़े हमने देखे 60 परसेंट से ऊपर के हमारे पास एससी के भी बच्चे उपलब्ध हैं, एसटी के बच्चे भी उपलब्ध हैं और ओबीसी के भी बच्चे उपलब्ध हैं। मान लीजिये यदि कहीं पर कोई कमी रही तो हम उन सीटों को जो जिस वर्ग के लिये आरक्षित है, उनको हम खाली छोड़ देंगे लेकिन किसी के अधिकार को हम मारेंगे नहीं ...(व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब हम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी, आप यील्ड कर रहे हैं, वह कुछ कहना चाहते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हां, आप बैठिये एक बार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जो 10 परसेंट, 15 परसेंट और 20 परसेंट की छूट हमारी पूर्व सरकार ने दी थी, क्या उसको जारी रखेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहिये। इनके लिये यील्ड किया है उन्होंने। आप चालू रखिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आपने जो छूट दी थी उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ आप एसएलपी में गये। दो साल से यह मामला अटका हुआ है। अभी भी कितना टाइम और लग जाए इसका पता नहीं। इसलिये हमने यह निर्णय किया है कि एसएलपी हम विद्ड्रा करेंगे और 60 परसेंट के आधार पर हमारे पास एससी के बच्चे भी उपलब्ध हैं, एसटी के बच्चे भी उपलब्ध हैं, ओबीसी के भी उपलब्ध हैं और जनरल भी उपलब्ध हैं, उनको हम नियुक्तियां देंगे। फिर भी मान लीजिये किसी वर्ग में 60 परसेंट से ऊपर के बच्चे नहीं मिले तो ऐसी सीटों को हम खाली रखेंगे। जब तक 60 परसेंट का बच्चा नहीं आएगा, तब तक वह सीट खाली रहेगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

उसके साथ-साथ, हमने यह भी निर्णय किया है कि जो पूर्व में 13 हजार अध्यापकों की नियुक्ति हो गयी लो परसेन्टेज वालों की, उनके लिये हम सुप्रीम कोर्ट में यह निवेदन करेंगे कि इनको यथावत् रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि जब-जब भारतीय

(श्री कालीचरण सराफ)

जनता पार्टी की सरकार आई, हमने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, जब भैरोंसिंहजी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो हमने एक साथ सभी ग्राम पंचायतों में मिडल स्कूल खोलने का आदेश दिया और जब पिछली बार वसुंधराजी राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं तो हमने सब ग्राम पंचायतों में सैकण्डरी स्कूल हो, इस प्रकार का आदेश दिया। चाहे वहां कांग्रेस का एमएलए था और चाहे बीजेपी का एमएलए था। उसका हमने यह नहीं किया कि बीजेपी का एमएलए है वहां तो स्कूल खोलेंगे और बाकी नहीं खोलेंगे। इस बार भी आदरणीय वसुंधराजी ने हर ग्राम पंचायत में सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो, इस बात की घोषणा बजट के अन्दर की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब तक हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खुलेगा, उसके निकटतम उच्च माध्यमिक विद्यालय तक आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर के माध्यम से भी परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने चूंकि चुनाव नजदीक थे, तो चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली 2 लाख 42 हजार बच्चियों को साइकिल नहीं दी, क्योंकि चुनाव थे, तो सबको ढाई-ढाई हजार रुपये दे दिए। ढाई हजार रुपये देने का परिणाम यह हुआ कि किसी ने भी साइकिल नहीं खरीदी।

एक माननीय सदस्य: वोट किसी ने नहीं दिया।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अब वोट दिया कि नहीं दिया, वह अलग चीज है। लेकिन हमने यह निर्णय किया है कि यह ढाई हजार रुपये नकद नहीं देंगे। नवीं में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को नकद राशि के स्थान पर साइकिल ही प्रदान की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस वैश्वीकरण के युग में हर बच्चे को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिये हमने यह भी तय किया है कि प्रथम चरण के रूप में प्रदेश के सभी ब्लाक स्तर पर कम से कम जहां 15 विद्यार्थी आवेदन करेंगे, ऐसे सभी स्थानों पर अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। इंग्लिश मीडियम के स्कूल वहां पर खोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकार ने आरटीई एक्ट के अन्तर्गत यह व्यवस्था की कि आठवीं तक किसी बच्चे को

(श्री कालीचरण सराफ)

फेल नहीं किया जाए। उसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा की गुणवत्ता बिलकुल निम्न स्तर पर आ गई। अभी हम लोग 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत भरतपुर गये थे और उसके बाद बीकानेर गये। वहां जब हमने नवीं क्लास के बच्चों को कहा कि हिन्दी पढ़ो तो बच्चों को हिन्दी पढ़ना नहीं आता। हमने कहा कि गिनती लिखो तो गिनती नहीं आती। यह बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे बच्चों की हो गई। मैं स्वयं दिल्ली गया था और केन्द्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानीजी से मैं मिला था और मैंने उनको यह अनुरोध किया है कि कम से कम इस कानून को वह वापस लें। क्योंकि हमारा यह मानना है कि जो बच्चे आठवीं तक पढ़ते हैं उनका एसेसमेंट हो इसके लिये उनकी परीक्षा निश्चित रुप से होनी चाहिए और जब तक यह कानून है, हमने यह तय किया है कि वैकल्पिक बोर्ड की स्थापना हमने की है। उस वैकल्पिक बोर्ड के माध्यम से हम जो बच्चा और बच्चे के पैरेंटस यह चाहेंगे कि हमारे बच्चों का एसेसमेंट हो, उनकी हम परीक्षा लेंगे।

मुझे खुशी है कि पहले साल में एक लाख बियासी हजार पेरेन्ट्स ने अपने बच्चों का असेसमेंट कराने के लिये आवेदन किया है और उनकी परीक्षा, मेरे ख्याल से 24 जुलाई से हम आयोजित कर रहे हैं उसमें यह पता चल जाएगा कि बच्चे का स्तर क्या है और उसका असेसमेंट करके हम उसके पेरेन्ट्स को बता देंगे कि उनका बच्चा कहां खड़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द, महाराणा प्रताप, मीरा आदि की प्रेरक जीवनियां पढ़ने को मिले ताकि वह शिक्षा के साथ अपने जीवन मूल्य प्राप्त कर सके, संस्कार प्राप्त कर सके इस हेतु हमने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में प्रार्थना के समय, मुझे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए, महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए तो हमने यह तय किया है कि प्रार्थना के साथ प्रति दिन दस मिनट ध्यान का अभ्यास कराया जाएगा और योगासन के माध्यम से एक आसन पूरे सप्ताह तक हम उसका अभ्यास हर बच्चे से करवाएंगे। यह भी हमने तय किया है और प्रत्येक शनिवार को जो प्रथम कालांश होगा यानी रोज तो 35 मिनट का एक पीरियड होगा और शनिवार को सब पीरियड 30-30 मिनट के होंगे। प्रथम कालांश जो होगा शनिवार को उसमें हम माह के प्रथम शनिवार को किसी महापुरुष के जीवन पर प्रेरक प्रसंग की जानकारी उस

(श्री कालीचरण सराफ)

कालांश में देंगे। माह के दूसरे शनिवार को शिक्षाप्रद प्रेरक कहानियां बच्चों को बताई जाएंगी। इसी प्रकार से माह के तीसरे शनिवार को राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों की समीक्षा एवं किसी न किसी महापुरुष, वहां के किसी संत महात्मा का उद्‌बोधन कराया जाएगा। माह के चौथे शनिवार को सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यदि माह में पांचवां शनिवार हुआ तो प्रेरक नाट्य का मंचन और राष्ट्र भक्ति गीत उन बच्चों में से ही करवाया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय हमने और लिया है कि प्रति वर्ष देश में और प्रदेश में नशे के कारण हजारों लोगों की मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में प्रति वर्ष 18 लाख लोग तम्बाकू और सिगरेट के सेवन से मर जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर नियंत्रण हो। इस हेतु हम शिक्षण संस्थाओं के जरिये विशेष जागरूकता अभियान भी चलाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है। भामाशाह जैसे दानवीर भी हमारी भूमि पर हुए हैं। मुझे खुशी है कि पिछले दिनों भामाशाह सम्मान समारोह यहां पर हुआ था तो मैंने वहां भामाशाहों से यह अपील की कि शिक्षा में भी आपका योगदान होना चाहिए और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कई लोगों ने वहां खड़े होकर घोषणा की कि हम दो स्कूल गोद लेते हैं, हम पांच स्कूल गोद लेते हैं ऐसे 68 स्कूलों को गोद लेने के बाद, जितने लोग थे उनमें होड़ लग गई। तो मैं सभी प्रवासी राजस्थानियों से और जो दानवीर भामाशाह हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि कम से कम एक-एक जो एकीकृत स्कूल जो हम बना रहे हैं, नौ हजार पंचायतों में, एक-एक स्कूल यदि गोद लें और वहां जितनी भी कमियां हैं आधारभूत ढांचे में जो कमियां हैं उनको पूरा करने का यदि एक-एक भामाशाह गोद लेता तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमें मिलेगा।

इसी प्रकार से हमने एक निर्णय और किया है कि प्रदेश के जो सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं ऐसे सभी शहीदों के नाम से उनके स्थानीय गांव का जो विद्यालय है उसका नामकरण उस शहीद के नाम से किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार का पाठ्यक्रम चल रहा है, उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। कई माननीय सदस्यों ने

(श्री कालीचरण सराफ)

कहा कि नैतिक शिक्षा भी पाठ्यक्रम में जुड़नी चाहिए इसके लिये हमने बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के जो पूर्व चेयरमैन थे, भरतरामजी कुम्हार, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया उस कमेटी रिपोर्ट आने के बाद पाठ्यक्रमों में किस प्रकार का परिवर्तन हम कर सकते हैं, उसको सुनिश्चित करेंगे और पाठ्यक्रम में परिवर्तन करेंगे।

संस्कृत शिक्षा

माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है। यह दुर्भाग्य है कि जिस भाषा ने हमें संस्कार दिये उसे सदा ही उपेक्षित किया जाता रहा है। हमारी सरकार संस्कृत शिक्षा के समग्र विकास के लिये कृत संकल्प है। हमने संस्कृत विद्यालयों में प्रथम कक्षा से ही संस्कृत पढ़ाने के निर्देश प्रदान किये हैं तथा पहले की तरह प्रवेशिका स्तर पर तीन, तथा वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर संस्कृत के दो-दो प्रश्न पत्र लागू करने का निर्णय भी हमने किया है। हमने यह भी निर्णय किया है कि संस्कृत शास्त्रों की सुलभता हेतु हम प्रदेश में अनौपचारिक शास्त्र शिक्षण केन्द्र स्थापित करेंगे। इन केन्द्रों में सुविधानुसार विद्यार्थी शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन कर सकेंगे।

संस्कृत एसटीसी प्रथम वर्ष में संस्कृत का प्रश्न पत्र निर्धारित कर सभी विषयों को संस्कृत माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। संस्कृत एसटीसी महापुरा को स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन ट्रेनिंग के रूप में विकसित किया जाएगा। संस्कृत के विभागीय शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए निदेशालय में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, इसे हम आधुनिक रूप से विकसित करेंगे।

संस्कृत में सम्भाषण प्रोत्साहन के लिए हमने यह भी तय किया है कि जुलाई माह को हमेशा संस्कृत संभाषण माह के रूप में आयोजित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2008 के पश्चात् संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती हेतु कोई विज्ञापन नहीं निकला है। संस्कृत शिक्षा के सभी पदों को भरने हेतु हम कृत संकल्प हैं। इस हेतु हमने आरपीएससी में अभ्यर्थना भिजवा दी है।

तकनीकी शिक्षा

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में तीन स्व-वित्त पोषित इन्जीनियरिंग कालेज खोलने की घोषणा की है। परन्तु मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि पिछली सरकार में 8 स्व-वित्त पोषित इन्जीनियरिंग कालेजों में

(श्री कालीचरण सराफ)

से 7 स्व-वित्त पोषित इन्जीनियरिंग कालेजों के प्राचार्य के पद रिक्त हैं जिसके कारण पूरी शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है। मैं घोषणा करता हूं कि सभी इन्जीनियरिंग कालेजों में प्राचार्य के रिक्त पदों को दो महीने के अन्दर-अन्दर हम लोग भर देंगे। राज्य के सभी स्व-वित्त पोषित इन्जीनियरिंग कालेजों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए केन्द्रीयकृत प्रक्रिया अपनाकर एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। आज क्या है कि अजमेर इन्जीनियरिंग कालेज में भर्ती करनी है तो वहां का प्रिंसीपल कर लेता है, भरतपुर में करनी है तो भरतपुर का प्रिंसीपल कर लेता है, कई इस प्रकार की शिकायतें आई थी तो हमने यह तय किया है कि जितनी भी वेकेंसीज होंगी उनके लिये केन्द्रीयकृत व्यवस्था करेंगे और एक विज्ञापन के माध्यम से जो सभी इन्जीनियरिंग कालेज हैं उनमें जो पद रिक्त हैं उनको भरने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

केन्द्र सरकार की स्किल मिशन योजना के अन्तर्गत राज्य के पन्द्रह जिलों, बारां, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झुन्झुनूं, जैसलमेर, जालौर, बूंदी, दौसा, बांसवाड़ा, बागीडोरा, टोंक, हुनमानगढ़, भीलवाड़ा, करौली एवं नागौर चिह्नित किए गए हैं जहां राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उक्त पन्द्रह पालिटेक्निक महाविद्यालयों में दौसा अपने नवनिर्मित भवन में ही संचालित हो रहा है। बागीडोरा एवं करौली के भवन निर्माणाधीन हैं, शेष 12 पालिटेक्निक महाविद्यालयों के भवन निर्माण पूरे हो चुके हैं। महाविद्यालय इसी सत्र 2014-15 में अपने नवनिर्मित भवनों से संचालित किये जाएंगे।

राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरपीएससी के माध्यम से कराई जाएगी। हमने इस वर्ष भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं सुधार के लिए प्राइवेट पालिटेक्निक कालेजों के परीक्षा केन्द्रों को बदल कर प्रदेश के इन्जीनियरिंग कालेज और राजकीय विद्यालयों में परीक्षा आयोजित की। अभी तक क्या होता था कि प्राइवेट पालिटेक्निक कालेज में वहीं पर परीक्षा होती थी जिससे कई शिकायतें आई कि सामूहिक नकल होती है, मिलीभगत से सब काम होता है, इस बार हमने यह तय किया कि जितनी भी प्राइवेट पालिटेक्निक कालेज हैं, उनकी परीक्षा दूसरे विद्यालयों में कराई जाएं और इन्जीनियरिंग कालेजों में कराई जाएं जिससे कहीं पर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका समाप्त हो गई।

(श्री कालीचरण सराफ)

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद आरपीएससी द्वारा कुल 192 अभ्यर्थियों को पालिटेक्निक कालजों में नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधीक्षकों के रिक्त पदों पर आरपीएससी के माध्यम से भर्ती की जाएगी।

(23.00 बजे)

इसके साथ ही अनुदेशकों के रिक्त पदों की विभागीय स्तर पर भर्ती की जाएगी। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलने वाले 6 माह के अनुपयोगी कोर्सेज को बंद कर उनके स्थान पर केन्द्र प्रवर्तित योजना, कौशल विकास पहल योजना के तहत रोजगारोन्मुखी कोर्सेज प्रारम्भ किये जाएंगे।

हायर एजुकेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राज्य के ऐसे 11 महाविद्यालय जिनमें 5500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, का संकायवार पुनर्गठन कर 15 और नये महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। मैं इस बात के लिये भी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गत कार्यकाल में तीन यूनिवर्सिटीज हमने खोली थीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, टेबल करा लो। पढ़ ही रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अलवर और शेखावाटी यूनिवर्सिटी और भरतपुर में जो यूनिवर्सिटी खोली थी उनके लिये बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार आने के बाद इस सत्र में हमने राजकीय क्षेत्र में बाड़ी में सह शिक्षा, धौलपुर तथा तारानगर में राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ किये और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने झाड़ोल, देवगढ़, बायतू और राजगढ़ में चार नवीन महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। मैं अनूपगढ़ में एक नवीन महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने यह भी निर्णय किया है कि राजस्थान में, मेरे खयाल से पूरे हिन्दुस्तान में कहीं पर भी डीफ, डम्ब एण्ड ब्लाइंड बच्चों के लिए हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। हमने यह निर्णय किया है कि जो जयपुर का गवर्नमेंट कालेज है उसमें जो दृष्टिबाधित मूक बधिर जैसे विशेष योग्यजन हैं उनके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था हमने की है।

(श्री कालीचरण सराफ)

इस बार मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रवेश प्रक्रिया में जो महाविद्यालय है उनमें भी हमने परिवर्तन किया है। अभी तक यह स्थिति थी कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेता था उसको एडमिशन लेना पड़ता था। फिर फर्स्ट ईयर से पास-आउट करता तो सैकण्ड ईयर में दुबारा एडमिशन लेना पड़ता था, फिर सैकण्ड ईयर पास-आउट करता तो थर्ड ईयर में दुबारा एडमिशन लेना पड़ता था। अब हमने यह व्यवस्था कर दी कि केवल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर में पास-आउट करने के बाद सैकण्ड ईयर में उसका आटोमैटिक एडमिशन हो जाएगा। सैकण्ड ईयर पास-आउट करने के बाद थर्ड ईयर में उसका आटोमैटिक एडमिशन हो जाएगा।

इसी प्रकार से मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने इस बार एडमिशन के लिए पर्सेंटाइल सिस्टम को अडाप्ट किया है। आज तक क्या होता था कि सीबीएसई के डेढ़ लाख बच्चे और बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के 7 लाख बच्चे पास-आउट करते थे तो यूनिवर्सिटी में 80 परसेंट सीबीएसई के बच्चों का और 20 परसेंट आरबीएसई के बच्चों का एडमिशन होता था। इस बार हमने पर्सेंटाइल सिस्टम लागू कर दिया, उसका यह परिणाम हुआ कि जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, इनके तो 80 परसेंट एडमिशन हुए हैं और सीबीएसई के केवल 20 परसेंट एडमिशन हुए हैं। हमारे बच्चों को इससे फायदा हुआ। इसे हमने इस वर्ष से लागू किया है।

इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर पिछली सरकार में भर्ती बिलकुल नहीं की गयी थी। इसके कारण राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा था। हमारी सरकार आने के बाद फरवरी, 2014 में जो लेक्चरर्स के 1118 पद रिक्त पड़े थे उनकी अभ्यर्थना हमने आरपीएससी को भेज दी है। 2013-14 और 2014-15 की उपाचार्य, प्राचार्य स्नातक व प्राचार्य स्नातकोत्तर की डीपीसी शीघ्र आयोजित की जा रही है जिससे राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं उपाचार्य के रिक्त पड़े 141 पदों को शीघ्र भरा जा सकेगा।

इस वर्ष आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में 47 नये महाविद्यालयों की वृद्धि की गयी है जिससे आनलाइन प्रवेश आवेदन स्वीकार करने वाले राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 110 हो गई है। साथ ही यह भी निर्णय किया गया है

(श्री कालीचरण सराफ)

कि इस वर्ष से राजकीय महाविद्यालयों में प्रोस्पेक्टस और प्रवेश फार्म नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने मुझसे सम्पर्क किया और यहां पर भी कहा है कि उनके यहां महाविद्यालयों में कई आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं। हमने राजस्थान के आंकड़े मंगाये तो हमें बताया गया कि एक लाख बच्चे इस प्रकार के हैं जिन्होंने महाविद्यालय में एडमिशन के लिए एप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। हमने यह तय किया है कि इस वर्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये जहां 80 से ज्यादा आवेदन-पत्र लम्बित होंगे वहां 25 परसेंट सीटें बढ़ाई जाएंगी आर्टस में, कामर्स में और विज्ञान में। ऐसे सभी महाविद्यालयों में ये सीटें बढ़ाई जाएंगी।

इसके अलावा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने के मामले में सरकार का क्या विचार है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डलीय उप समिति के पास यह मामला विचाराधीन है, समीक्षा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा, अभी तक इसको बंद करने का निर्णय सरकार ने नहीं किया है।

इसी प्रकार से अजमेर से माननीय विधायक हैं देवनानीजी और अनिताजी, उन्होंने कहा कि अजमेर स्थित तोपदड़ा शिक्षा परिसर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संकुल किया जाए। मैं यह घोषणा करता हूं कि तोपदड़ा शिक्षा परिसर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संकुल कर दिया जाएगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस क्षेत्र में लगभग 20 बीघा जमीन पर जो अतिक्रमण किया हुआ था, उसको भी हमने मुक्त करा लिया है।

कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में अपने-अपने क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने की मांग की है। मैं यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया था उसको हमने सरकारी दस्तावेज बना दिया है। अब गीता और बाइबल मान कर उसके आधार पर कार्य होगा। उसमें यह कहा गया है कि अगले 5 साल में सभी उपखण्डों पर, एसडीओ हैडक्वार्टर्स पर महाविद्यालय खोले जाएंगे। आपने जितनी भी जो मांगें की हैं उन सबको इकट्ठा करके समयबद्ध रूप से किस प्रकार से आपके महाविद्यालय खोले जाएं इसको सुनिश्चित किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाषण चल रहा है, विराजिए। (व्यवधान) बिलकुल नहीं। आप बैठिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हम राजनैतिक भेदभाव नहीं करेंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, नये महाविद्यालय खोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं। आप जारी रखिए। आप विराजिए। (व्यवधान) आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आप विराजिए। जवाब देने की जरूरत नहीं। आप विराजिए। (व्यवधान) बाधा मत डालिये। मंत्रीजी के भाषण में बाधा मत डालिये। (व्यवधान) मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं। आप बैठिए। मंत्रीजी के भाषण में आप बाधा मत डालिये। इतना सवेरे कहने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी का भाषण हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि वहां ला कालेज की बिल्डिंग तो बन चुकी है, कुछ कार्य वहां बाउण्ड्रीवाल का बाकी है। हमने पीडब्ल्यूडी को लिखा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां उसकी चारदीवारी बन जाए और उसको वह लॉ कालेज को हैण्डओवर कर दे।

इसी प्रकार से जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिन विद्यालयों के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं उनको हटाया जाए। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कल ही मैं आदेश जारी कर दूंगा और आपके महाविद्यालय में जितने भी तार बिजली के जा रहे हैं उनको हटवा दिया जाएगा।

विद्यार्थी मित्रों का जहां तक सवाल है...(व्यवधान) सुनिए। कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि विद्यार्थी मित्रों के बारे में कोई न कोई निर्णय किया जाए। सदन की भावना को ध्यान में रखकर, कोर्ट का निर्णय तो उनके खिलाफ है, पर हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी उनके प्रति बहुत संवेदनशील हैं इसलिए उन्होंने कहलवाया है कि मैं इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उचित निर्णय लूंगी। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा।

मैं यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि अजमेर में जो राजकीय महाविद्यालय है उसका नाम पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय और जो कन्या महाविद्यालय है उसका नाम सावित्री राजकीय कन्या महाविद्यालय किया जाएगा।

कई माननीय सदस्यों ने रिक्त पदों के बारे में यहां पर बताया तो

(श्री कालीचरण सराफ)

जैसा मैं पहले भी कह चुका कि 31 अगस्त के पहले-पहले सभी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब आप यह पूछेंगे कि कैसे करोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस.एल.पी. विदड्रा करने से 20 हजार शिक्षक तो हमें थर्ड ग्रेड के मिल जाएंगे, 9 हजार सैकण्ड ग्रेड टीचर्स के लिए जो आर.पी.एस.सी. का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट 5-7 दिन में आने वाला है और हमारा अनुमान है कि समानीकरण से 20 हजार शिक्षक सरप्लस होंगे इसलिए सब जगह शिक्षकों की व्यवस्था हो जाएगी और किसी भी विद्यालय को शिक्षकों के अभाव में बन्द नहीं होने दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: बाधा मत डालिये कृपया।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य श्री नानालालजी अहारी ने एक बात कही कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर के लिये बजट में प्रावधान किया जाए तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पांच करोड़ रुपये बजट में इस विश्वविद्यालय के लिये प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार से देवनानीजी ने यहां मांग रखी कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के जिन शिक्षकों को समाहित किया गया था उनको घर से बहुत दूर नियुक्ति दी गई है। मैं उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिनको दूर नियुक्ति दी गई है, अभी जो स्थानान्तरण होंगे उसमें उनको उनके जिले में, रहेंगे तो ग्रामीण में ही, क्योंकि उनका बाण्ड भरा हुआ है, पर उनको नजदीक के जिले में लाने का प्रयास होगा।

इसी प्रकार से, प्रहलाद गुंजलजी, जो कोटा से विधायक हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी मूक-बधिर विद्यालयों में अध्यापक पुन: लगाये जाएं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मूक-बधिर एवं मानसिक विमन्दित बच्चों का शिक्षण करवाने वाली संस्थाओं के कार्मिकों को सत्र 2014-15 में पुन: उन विद्यालयों में पदस्थापित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

इसी प्रकार सवाई माधोपुर से आने वाली माननीय सदस्या राजकुमारी दियाकुमारीजी ने पूछा कि सवाई माधोपुर में इंजीनियरिंग खोला जाए तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वहां तीन वर्षों से निजी जन-सहभागिता योजना के अन्तर्गत एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित है।

इसी प्रकार गोविन्द सिंहजी डोटासरा ने कहा कि अजमेर के प्राचार्य एम.एम. शर्मा को भरतपुर का भी अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है तो मैंने जैसे कहा कि 8 में, 7 में पद खाली हैं आपके कुकर्मों के कारण इसलिये हम इनको

(श्री कालीचरण सराफ)

जल्दी ही भरेंगे और कहीं पर भी किसी प्राचार्य के पास अतिरिक्त भार नहीं रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बेइमान प्राचार्य को हटा रहे हो या नहीं जिसके लिये आपने आरोप लगाये थे, हमारे मुख्य मंत्री को कहा था, उसको तीन साल का एक्स्टेंशन दिया था, उसको हटाओगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: आप बाधा मत डालिये, बिना अनुमति के मत बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आदरणीय देवनानीजी ने एक यह प्रश्न उठाया था कि परीक्षा नियंत्रण का प्रावधान नहीं है एवं पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने बताया कि परीक्षा नियंत्रण हेतु डी जी ई एन टी भारत सरकार द्वारा एन सी वी ई टी परीक्षाएं राजकीय अथवा अनुदानित विद्यालयों में ही आयोजित किये जाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। डी जी ई एन टी भारत सरकार द्वारा इस सत्र अगस्त, 2014 में पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जा चुका है जिसकी सूचना डी जी ई ए नटी भारत सरकार द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शाहबाद से जो माननीय सदस्य ललित मीणाजी आए हैं उन्होंने शाहबाद में आई टी आई खोलने की बात कही तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि शाहबाद के लिए आई टी आई पूर्व से ही स्वीकृत है। इसका भवन निर्माणाधीन है तथा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विगत तीन वर्षों से इसकी कक्षाएं निकटतम राजकीय आई टी आई केलवाड़ा में संचालित हो रही हैं। जैसे ही वह भवन बन जाएगा तो यह आई टी आई वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार से नवीन विद्यालयों के बारे में मैं बता ही चुका हूं। बाली से आने वाले माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने राजकीय महाविद्यालय, बाली के भवन निर्माण के सम्बन्ध में उन्होंने यहां मामला उठाया। हीरालालजी ने राजकीय महाविद्यालय, निवाई के भवन के मामले में यहां कहा, पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक श्री सुरेश सिंहजी रावत ने पुष्कर महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए बताया तो मैं यह बताना चाहता हूं कि गत सत्र में प्रारम्भ में सभी महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए आयोजना मद में बजट आबंटित कर दिया गया है, भूमि की व्यवस्था होते ही भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

इसी प्रकार से रायसिंहनगर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा

(श्री कालीचरण सराफ)

कि गत सत्र में शहीद भगत सिंह कालेज, रायसिंहनगर का गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया था उसका क्या हुआ तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यह मामला कैबिनेट सब-कमेटी के पास समीक्षा में है और जो भी वहां से निर्णय होगा उसके बाद बताया जाएगा।

इसी प्रकार से एकीकरण के लिए शंका प्रकट की गई कि कई विद्यालय बन्द हो रहे हैं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आरटीई एक्ट के अनुसार जो मापदण्ड हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी विद्यालय को बन्द नहीं कर रहे हैं, जिस विद्यालय में जहां पर्याप्त संख्या में छात्र नहीं हैं उनको पास के विद्यालय में मर्ज किया जाएगा, बन्द किसी भी विद्यालय को नहीं किया जाएगा। हमारे माननीय मोहन लालजी गुप्ता ने....

श्री अध्यक्ष: मानिकजी, आप स्थान ग्रहण कीजिये, भाषण होने दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैं बात कर लूं फिर बताइये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बांसवाड़ा अभियांत्रिकी महाविद्यालय के बारे में भी बता दें।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। अंकित नहीं होगा। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) मानिकजी, आप विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने जिस समय भाषण दिया उस समय रखते। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): उसके बारे में मैं जानकारी लेकर जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह निश्चित रूप से करूंगा।

किशनपोल से आने वाले माननीय विधायक ने न्यून परीक्षा परिणाम का बिन्दु उठाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इनकी बात से मैं सहमत हूं और प्रदेश के 960 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10 का तथा 560 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 12 का परिणाम 35 प्रतिशत से कम रहा है तो इन सभी विद्यालयों के संस्था प्रधानों का दायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया चल रही है और उन पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप आसन को सम्बोधित कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इसी प्रकार से बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने आई टी आई फालना में इलैक्ट्रिशियन व्यवसाय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में यहां मांग रखी तो मैं बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अपग्रेडेशन आफ 139 राजकीय आई टी आई के अन्तर्गत इलैक्ट्रिशियन व्यवसाय का नया व्यवसाय खोला जाना प्रस्तावित है।

मामन सिंहजी ने एक मामला उठाया कि उनके यहां जो तिजारा में आई टी आई स्थापित किया गया है वह केवल अल्पसंख्यकों के लिये है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने में विश्वास नहीं रखती इसलिए मैं यह घोषणा करता हूं कि अगस्त, 2014 से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित की गई समस्त आई टी आई में सामान्य आई टी आई की भांति ही प्रवेश किये जाएंगे।

एक माननीय सदस्य ने आरटीई के तहत जो बच्चों के एडमिशन होते हैं उनके बारे में प्रश्न उठाया था तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कुल 30151 स्कूल हमने निजी विद्यालय रजिस्टर्ड किये, 2 लाख 29 हजार 466 बच्चों के आवेदन आए, उनमें से 2 लाख 19 हजार 707 बच्चे एलिजिबल हुए उनकी 25 जुलाई को लाटरी निकाली जाएगी। पिछले साल करीब 82 करोड़ रुपये का पुनर्भरण हमने किया है। पिछले साल 2 लाख 27 हजार बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए थे। इस साल करीब 3 लाख 50 हजार बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे और 162 करोड़ रुपये के पुनर्भरण की सम्भावना है। सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाइन है और राजस्थान पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां आरटीई एडमिशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाइन है।

इसके अलावा मैं एक घोषणा और करना चाहता हूं कि जितने भी विद्यालय ऐतिहासिक भवनों में चल रहे हैं जैसे शार्दूल स्पोर्टस स्कूल बीकानेर, राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर, डाइट शाहपुरा (भीलवाड़ा), डाइट झालरापाटन (झालावाड़), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा, इनमें जितने भी जहां-जहां भी खेल के मैदान या स्कूल की जो जगह है, वहां लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, ऐसी सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, इसके लिये चीफ सेक्रेटरी की ओर से सब कलक्टर्स को हमने लैटर लिखवा दिया है और शीघ्र ही जहां-जहां भी अतिक्रमण हैं, उनमें से कई तो मुक्त करवा लिए और कई मुक्त करवा देंगे। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मांग पारित की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। (व्यवधान) विराजो आप। जो जवाब देना था, दे दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सदन की मानसिकता हो तो मैं, क्योंकि कला और संस्कृति की दृष्टि से राजस्थान का जो गौरव है, दुर्भाग्य यह है कि इस पर हम सब लोगों का ध्यान केन्द्रित कम से कम होता है। 339 कटमोशन्स आए, उनमें से मात्र 19 कटमोशन कला और संस्कृति पर आए जबकि राजस्थान हिन्दुस्तान में अपना एक अनोखा स्थान रखता है। अगर हिन्दुस्तान के इतिहास में से राजस्थान को निकाल दें तो हिन्दुस्तान खाली दिखाई देगा। इस राजस्थान की इतनी विशालता है और यह शूरवीरों की धरती है, यह समर्पित लोगों की धरती है, यह मीरा की धरती है, यह त्यागी महापुरुषों की धरती है लेकिन हमने उनको नजर अंदाज करके गर्त में डाल दिया और उसके कारण से राजस्थान की ओर दुनिया का...

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी, चर्चा मत कीजिये आपस में, ध्यान बंटता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जितना आकर्षण होना चाहिए, विशेषकर पर्यटन की दृष्टि से भी इन केन्द्रों को अगर हम विकसित करें तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान के लिए एक नया रास्ता और काम का रास्ता खुलेगा। यह जरूर है कि हमने हर समय यहां की कला और संस्कृति को बढ़ाने का प्रयत्न किया है लेकिन वह प्रयत्न जितना होना चाहिए, उसकी तुलना में कम है।

आपने देखा होगा कि हमारे यहां जिस प्रकार के गीत हैं, लोक नृत्य हैं। जिस प्रकार के हमारे यहां कला और एक तरह से लोगों में एक विशेषता है, वह दुनिया में जहां भी जाते हैं, अपनी छाप छोड़ कर आते हैं और उसके लिए हमने राजस्थान ललित कला अकादमी को बना रखा है। हमारा जवाहर कला केन्द्र काम कर रहा है। संगीत नाट्य अकादमी आदि संस्थाएं हमारी काम कर रही हैं। राजस्थान में विभिन्न भाषाओं के लोग यहां रहते हैं और राजस्थान ने अपनी विभिन्न भाषाओं को पुष्ट करने की दृष्टि से, इसको बनाने के लिए आपने देखा होगा कि हमने राजस्थानी भाषा की समिति बना रखी है। संस्कृत अकादमी बना रखी है। ब्रज भाषा अकादमी बना रखी है। सिंधी भाषा, उर्दू भाषा और पंजाबी भाषा की भी अकादमी बनाई लेकिन अभी तक वह कार्यरूप में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ठीक प्रकार से परिणत नहीं हो पाई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बार इन सारी की सारी अकादमियों को प्रभावी रूप से बनाने का प्रयास करेंगे।

मैं सोचता हूं कि धरोहर की सूची में यूनेस्को में भी हमारे यहां के जितने भी, जैसे आमेर का महल है, चित्तौड़ का दुर्ग है, गागरोन (झालावाड़) का किला है, कुम्भलगढ़ (राजसमन्द) का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, रणथम्भौर (सवाई माधोपुर) दुर्ग है, ये अपने आप में अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर खड़े हैं। इनको जितना आकर्षण का केन्द्र बना सकते हैं, उतना ही हम देश और विदेश के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं।

हमारे यहां दस्तावेजों को ठीक प्रकार से रखा जाए, उनका ठीक प्रकार से संरक्षण हो, इसके लिये भी राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में है और अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में है। हमने प्रयत्न किये हैं लेकिन इनमें और बहुत गुंजाइश है जिससे कि हम राजस्थान को और अधिक पुष्ट कर सकते हैं।

लोक कला की जैसे ललित कला अकादमी है, रवीन्द्र मंच है, जवाहर कला केन्द्र है, संगीत नाट्य अकादमी, जोधपुर है, लोक कला मण्डल, उदयपुर है। मतलब ऐसा है कि हमने प्रयत्न तो सारे किये हैं, लेकिन जितने प्रभावी ढंग से होना चाहिए, उतना नहीं हुआ।

मैं एक बार और आपको राजस्थान, शायद हिन्दुस्तान में पहला राज्य होगा, जिसने राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया है और इसमें श्री ओंकारसिंहजी लखावत को पिछली बार भी बनाया। उन्होंने अपने एक वर्ष के प्रयत्न से यानी भक्त शिरोमणि मीरा बाई का स्मारक मेड़ता में बनाया। आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि 2013-2014 के वर्ष में 1.20 लाख तीर्थयात्री इसमें शुल्क देकर इसको देखने के लिए अन्दर प्रवेश किये, जिससे कि आय भी प्राप्त हुई और उस स्थान को आगे बढ़ाने में भी प्रयास हुए।

राणा सांगा का स्मारक खानवा में है। वह उन्होंने बना कर, वहां मूर्ति स्थापित करके, उस खानवा को राणा सांगा के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया।

लोक देवता गोगामेड़ी के यहां स्मारक कम्पलीट बन गया है। अभी कुछ समय के बाद उसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

हाड़ा रानी का स्मारक सलूम्बर में है, मैं सोचता हूं, इतिहास में ऐसी घटना शायद कहीं मिली नहीं होगी कि अपने पति को मोह में देख कर, युद्धभूमि में जाते हुए वह हिचक रहा था तो निशानी के रूप में उसने अपना

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सिर काटकर अपने स्वामी को दिया और उसके बाद उसने रणभूमि में जिस ढंग से अपने इस मेवाड़ का गौरव बढ़ाया। उस स्थान पर भी स्मारक बना कर उसको महत्ता दी।

महाराजा सूरजमल का स्मारक बनाया। आपने देखा होगा कि लोक देवता तेजाजी का स्मारक बनाया करनाल में और बूढ़ा पुष्कर का संवर्द्धन किया लेकिन उसके बाद पांच साल तक किसी ने देखा नहीं और वह सारा का सारा अधूरा रहा।

यह जो साहवा सरोवर योजना है, वह उन्होंने पूर्ण की। नर्बदा की जो नहर आई है, वहां उन्होंने एक मंदिर बना कर उस पानी से स्वागत किया है।

गोविन्द गुरु का स्मारक, मैं सोचता हूं कि शायद हममें से कई लोग जानते नहीं होंगे कि अगर देश की आजादी की सबसे बड़ी प्रारम्भिक जंग अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने की तो गोविन्द गुरु ने की और जलियांवाला बाग़ से भी ज्यादा लोगों की अगर कहीं मृत्यु हुई तो वहां मानगढ़ के धाम पर हुई। उसको भी हमारी पार्टी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उस स्मारक को हमने बनाया।

इसी प्रकार यह जो धरोहर हैं, अपनी पहली बैठक में ही 47 परियोजनाओं को इसमें लेने की इन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। इससे 47 नये प्रोजेक्ट तैयार होंगे।

स्वतंत्रता आन्दोलन में आहूवा का जो महत्व है, अंग्रेजों के साथ 1857 की क्रांति के समय केवल यही एक ऐसा गांव है, जिसको उन्होंने गोला-बारूद फेंक कर सारा बरबाद कर दिया और वहां के लोगों ने इस आजादी की जंग को लड़ा था। मैं सोचता हूं कि उसका काम भी उन्होंने किया।

मैं बजट में जो कुछ भी इस बार आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने इन स्थानों के विकास के लिए जो पैसा दिया है, वह इस बात का द्योतक है कि हमारे मन में इच्छा है कि राजस्थान के इन सारे के सारे स्थानों को हम जितना अधिक प्रभावी बना सकते हैं, उतना ही हम राजस्थान को आगे और सब लोगों की निगाह में लाएंगे।

हम राजस्थान की सुन्दर ऐतिहासिक धरोहर, अमूल्य संस्कृति को सदैव सुरक्षित तथा संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर संस्कृति, सभ्यता, गौरवशाली इतिहास के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

संरक्षण तथा उसके विकास के लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के शासी बोर्ड का पुनर्गठन हमने कर लिया है।

पुरातत्व महत्व के भरतपुर के खानवा ग्राम में राणा सांगा स्मारक एवं पेनोरमा वैर में किला और सफेद महल तथा भरतपुर के संग्रहालय का विकास कार्य करवाया जाएगा। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

राजकीय संग्रहालय, माउंट आबू में 1.20 करोड़ रुपये तथा गांव धानक्या (जयपुर) में पंडित दीनदयाल स्मृति संग्रहालय, 1.91 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। इसकी स्वीकृति दी है।

झालावाड़ में प्राचीन अवशेष मऊबोरदा में 3.53 करोड़ रुपये से, दलहनपुर में 6.25 करोड़ रुपये की लागत से संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास के नवीन कार्य किये जाएंगे। रवीन्द्र मंच, जयपुर की कला, संस्कृति क्षेत्र में एक अनूठा स्थान है। रवीन्द्र मंच नवीनीकरण और सुधार कार्यों हेतु वर्ष 2014-2015 में 3.75 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है।

मैं सोचता हूं कि सरकार की मंशा है और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी अगर मेवाड़ काम्प्लेक्स को किसी ने जिंदा किया और महाराणा प्रताप के उन स्थानों को किसी ने जनता के बीच में लाने का प्रयास किया है तो आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत, 1977 में जब पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, तब मेवाड़ की उस महान् विभूति को प्रस्थापित करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार भी इसको महत्व देकर मेवाड़ के इन चारों स्थानों को जो महाराणा प्रताप के साथ जुड़े हुए हैं, उनको विकसित करने का प्रयास कर रही है।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का यह गौरवशाली इतिहास है, इसको जितना आगे बढ़ाने की क्षमता हमारे में है, उसका उपयोग करके हम जनता को समर्पित करेंगे। धन्यवाद।

मांग संख्या-24 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,372,23,85,000/- (एक सौ तिरानवे अरब बहत्तर करोड़ तेईस लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार दिनांक 23 जुलाई, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.30 बजे बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायती राज जन प्रतिनिधियों को देय मानदेय

125. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में पंचायती राज के निर्वाचित विभिन्न जन प्रतिनिधियों को वर्तमान में कितना मानदेय दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ951(19)(41)परावि/लेखा/नि.आ/बजट घोषणा/2012-13/2494 जयपुर दिनांक 01.04.2013 के अनुसरण में जिला प्रमुख, जिला परिषद 9000/-, प्रधान, पंचायत समिति 6000/-एवं सरपंच, ग्राम पंचायत 3500/- प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

(2) उक्त मानदेय में वृद्धि का प्रकरण विचाराधीन है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-130

(स्थगित)

सिरोही जिले में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद

131. श्री ओटाराम (सिरोही) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिरोही के किसानों की चने की उपज को खरीद के लिये नेफेड अधिकारियों, सहकारिता विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सिरोही/पाली तथा सहकारी समितियों के प्रशासक/प्रबन्धकों द्वारा खरीदने के प्रयास किये अथवा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो की गई कार्यवाही की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के किसानों की चने की उपज को जानबूझ कर सम्बन्धित सहकारिता विभाग द्वारा नहीं खरीदा गया? यदि हां, तो क्या सरकार सिरोही के किसानों को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए चना खरीद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2014-15 में समर्थन मूल्य पर चना खरीद का कार्य कृषि विभाग द्वारा कराया गया है। इस हेतु कृषि विभाग के द्वारा सिरोही जिले में कोई खरीद केन्द्र राज्य स्तरीय खरीद एजेन्सी राजफैड अथवा तिलमसंघ को आबंटित नहीं किया गया।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के शिवगंज (जिला सिरोही) क्षेत्र के किसानों का चना नजदीकी समर्थन मूल्य पर खरीद केन्द्र सुमेरपुर में खरीदने की जिला कलक्टर, सिरोही की अनुशंसा पर नेफेड के स्वीकृति बाबत पत्र दिनांक 09.06.2014 (परिशिष्ट एक) के क्रम में राजफैड के पत्र क्रमांक 2017-23 दिनांक 10.06.2014 के द्वारा शिवगंज (जिला सिरोही) क्षेत्र के किसानों का चना खरीद केन्द्र सुमेरपुर जिला पाली पर खरीद की व्यवस्था की गई। (परिशिष्ट दो)

नेफेड के द्वारा खरीद केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति के साथ यह शर्त लगाई गई कि चने की समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु हैण्डलिंग का कार्य कृषि उपज मण्डी समिति की निर्धारित दरों पर तथा परिवहन कार्य पीडीएस

(सहकारिता राज्य मंत्री)

की दरों पर ही कराया जावे। सुमेरपुर खरीद केन्द्र पर क्रय किये गये चने की हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरों को निर्धारित करने के लिये दिनांक 15.04.2014 एवं 22.04.2014 को निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं, जिनमें कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 30.04.2014 को तीसरी बार आमंत्रित की गई निविदाओं में हैण्डलिंग के लिये 15.70 रुपये प्रति कट्टा तथा परिवहन दर पीडीएस दरों से 12 प्रतिशत अधिक दर प्राप्त हुई। समिति को प्राप्त उक्त दरें नेफेड से प्राप्त निर्देशों से अधिक थी। चूंकि निविदा कमेटी में नेफेड का प्रतिनिधि उपस्थित था, अत: सुमेरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जो उक्त केन्द्र संचालित कर रही थी, के द्वारा इस मान्यता के साथ कि नेफेड द्वारा दिनांक 30.04.2014 को प्राप्त उक्त दरें स्वीकृत कर दी जायेंगी, चने की समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु नेफेड द्वारा इन दरों को स्वीकृत नहीं किया गया। दरों का पुन: नेगोसियेशन करने पर हैण्डलिंग की दरें 7 रुपये प्रति कट्टा प्राप्त हुई किन्तु नेफेड द्वारा यह दर भी स्वीकृत नहीं की गई। नेफेड द्वारा मात्र 3.15 रु. प्रति कट्टे की दर से हैण्डलिंग कार्य की स्वीकृति ही प्रदान की गई। हैण्डलिंग व परिवहन की दरों को लेकर आई समस्या के निराकरण के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार के स्तर से भी नेफेड मुख्यालय, नई दिल्ली से वार्ता की गई किन्तु इस सम्बन्ध में कोई सकारात्मक हल नहीं निकल सका। इस कारण सुमेरपुर केन्द्र पर खरीद कार्य दिनांक 16 जून, 2014 के बाद जारी नहीं रखा जा सका।

(2) जी नहीं। सहकारिता विभाग द्वारा खरीद केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी निर्णय नहीं लिये जाते हैं। कृषि विभाग द्वारा राजफैड अथवा तिलमसंघ को सिरोही जिले के लिये कोई भी केन्द्र आबंटन नहीं किये जाने के कारण एवं सुमेरपुर खरीद केन्द्र पर हैण्डलिंग एवं परिवहन दरें नेफेड द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने से ही उक्त जिले में राजफैड अथवा तिलमसंघ द्वारा खरीद नहीं की जा सकी है। वर्तमान में समर्थन मूल्य पर चना खरीद करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो चुकी है, अत: अब सिरोही जिले के किसानों से चना खरीद करने की कार्यवाही का कोई विचार नहीं है।

(3) जी नहीं। केन्द्र पर नेफेड द्वारा हैण्डलिंग एवं परिवहन दरों की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण क्षेत्र के किसानों की चना उपज क्रय नहीं की जा सकी है। सहकारी समिति के दोषी नहीं होने के कारण प्रकरण में जांच की आवश्यकता नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिवाना में संचालित जल प्रदाय योजनाएं

132. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में संचालित जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सभी गावों एवं ढाणियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल सुविधा से वंचित गावों एवं ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की उक्त वंचित गावों, ढाणियों एवं आबादियों को पेयजल उपलब्ध करवाने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्री एवं मेन पावर पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभिन्न प्रकार की 87 जल योजनाएं संचालित हैं तथा कोई भी योजना वर्तमान में बन्द नहीं है। उक्त क्षेत्र के समस्त 171 राजस्व ग्राम तथा चिन्हित 545 ढाणियों में से 332 ढाणियां विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित हैं।

वर्तमान में 118 ग्रामों एवं 242 ढाणियों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। शून्य जल सेवा स्तर के 53 ग्राम एवं 75 ढाणियों में वर्तमान में टैंकर परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष 15 ढाणियों के घरों के निवासी निजी स्रोत से पानी प्राप्त कर रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र के समस्त 171 ग्राम पेयजल सुविधा से लाभान्वित हैं। पेयजल योजनाओं से नहीं जुड़ी हुई 213 ढाणियों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु उक्त क्षेत्र के समस्त 171 ग्राम एवं इनकी ढाणियों की पेयजल मांग तीन स्वीकृत एवं प्रगतिरत वृहद् पेयजल परियोजनाओं क्रमश: (1) नर्मदा नहर आधारित परियोजना, (2) उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्ड एवं (3) पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना में सम्मिलित है। योजना से मुख्य गांवों तक पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ढाणियों को चरणबद्ध रूप से जोड़ा

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जायेगा। इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेयजल आपूर्ति हेतु संचालित की जा रही विभिन्न जल योजनाओं के रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्री विभाग में उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र में कार्यरत विभागीय तकनीकी कर्मचारियों के अतिरिक्त अनुबंध पर आवश्यकतानुसार योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।

(विवरण एवं सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ के सड़क सुविधा से वंचित गांव

133. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में 250 से अधिक आबादी के ऐसे कितने गांव हैं, जो सड़क सुविधा से वंचित हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी गांवों को सड़क से जोडने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 250 से अधिक आबादी के कुल 17 गांव हैं जो सड़क सुविधा से वंचित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त 17 गांवों में से 4 गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु कार्य प्रगतिरत है, 1 गांव की सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 8 गांवों का सड़क मार्ग वन जीव अभयारण्य से गुजरती है। अत: राज्य सरकार के निर्णयानुसार ग्रेवल सड़क का निर्माण ही किया जा सकता है तथा इनमें से 7 सड़कें पूर्व में ही ग्रेवल सड़क हैं तथा 1 सड़क पर ग्रेवल सड़क निर्माण हेतु वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य करवाया जा सकेगा। शेष रही सड़कों में से 4 गांवों का निर्माण भूमि विवाद से रूका हुआ है, जिनको भूमि विवाद के निस्तारण के उपरान्त कार्य करवाया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपलू (टोंक) को पंचायत समिति बनाने की योजना

134. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल)

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितनी पंचायत समिति हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नई पंचायत समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू में उपखण्ड कार्यालय, सीआई आफिस, तहसील कार्यालय होने के उपरान्त भी पंचायत समिति नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार पीपलू को पंचायत समिति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 248 पंचायत समिति कार्यालय हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ होने के पूर्व पुनर्गठन किये जाने का विचार रखती है।

(3) जी हां। पंचायत समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित मापदण्डानुसार इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू कस्बे में नवीन पंचायत समिति कार्यालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

किसानों की कर्जा माफी योजना में अनियमितता की जांच

135. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 में देश के करीबन 3 करोड़ से अधिक किसानों के लिये कर्ज माफी योजना लागू की थी? यदि हां, तो उक्त योजना से प्रदेश के कितने किसानों को लाभ मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि इस ऋणमाफी योजना में अनियमितताएं की गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कैग खुलासे के बाद सरकार द्वारा अनियमितताओं की जांच

(डा. किरोड़ी लाल)

नाबार्ड द्वारा कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें व यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? हां, तो किस एजेन्सी से?

(4) क्या यह सही है कि दौसा जिले के भूमि विकास बैंक एवं सहकारी बैंक तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आडिट कराई गई है? यदि हां, तो आडिट में दोषी पाये जाने वाली संस्था तथा सम्बन्धितों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के 1.11 लाख किसानों को 294.89 करोड़ रुपये की ऋण माफी एवं 0.54 लाख किसानों को 97.44 करोड़ रुपये की ऋण राहत मिली। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 3.80 लाख किसानों को राशि 573.43 करोड़ रुपये की माफी व 2.84 लाख किसानों को 380.07 करोड़ रुपये की राहत मिली।

(2) जी नहीं। कैग द्वारा राज्य के 5 जिलों के यथा अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, नागौर एवं श्रीगंगानगर के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों के अंकेक्षण में भ्रष्टाचार व गबन का कोई मामला नहीं पाया गया है। उक्त 5 सहकारी भूमि विकास बैकों में कुल 54 मामलों में राशि 26.71 लाख रुपये अपात्र प्राप्त करना पाया गया, जो नाबार्ड के माध्यम से भारत सरकार को लौटाये गये। राज्य के 5 केन्द्रीय सहकारी बैकों यथा अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, नागौर एवं श्रीगंगानगर की कुल 11 शाखाओं में अंकेक्षण में भ्रष्टाचार व गबन का कोई मामला नहीं पाया गया है। उक्त केन्द्रीय सहकारी बैकों की अंकेक्षण में अपात्रता के अन्तर्गत प्राप्त अधिक राशि 26.51 लाख रुपये नाबार्ड के माध्यम से भारत सरकार को लौटाये गये।

(3) कैग की रिपोर्ट की अनुपालना में नाबार्ड द्वारा राज्य के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों में ऋण माफी/ऋण राहत योजना 2008 के समस्त ऋण खातों की पुनर्सत्यापन कान्करेन्ट आडिटर/चार्टेड अकाउन्टेंट के माध्यम से करवाया गया। उक्त पुर्नसत्यापन में 611 प्रकरणों में 157.59 लाख रुपये अपात्र राशि प्राप्त करनी पायी गयी। जिसका भुगतान नाबार्ड के माध्यम से भारत सरकार को किया गया। इस जांच में 121 मामलों में 33.07 लाख रुपये का लाभ कम दिया जाना पाया गया व 3992 पात्र मामलों में राशि

(सहकारिता राज्य मंत्री)

689.71 लाख रुपये का लाभ नहीं दिया जाना पाया गया। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्सत्यापन कार्य में 13299 मामलों में राशि 18.48 करोड़ रुपये अपात्र राशि प्राप्त करनी पायी गयी, जो भारत सरकार को नाबार्ड के माध्यम से लौटायी गयी। पुनर्सत्यापन में 267 कृषकों को पात्रता से 20.36 लाख रुपये का लाभ कम दिया जाना पाया गया व 2044 मामलों में 193.27 लाख पात्र मामलों में लाभ नहीं दिया जाना पाया गया।

(4) जी हां। नाबार्ड से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार ऋण माफी/ऋण राहत योजना 2008 के खातों का पुनर्सत्यापन कार्य करवाया गया है। पुनर्सत्यापन कार्य में कोई दोषी नहीं पाया गया है।

भादरा क्षेत्र के अनकमांड क्षेत्र को सिद्धमुख वितरिका से जोड़ने की योजना

136. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिधमुख सिंचाई परियोजना में भादरा क्षेत्र के मौजाना डाबडी, रतनपुरा का अधिकतर कृषि क्षेत्र का रकबा समतल होने के उपरान्त प्रस्तावित शेरडा माइनर के निरस्त होने की वजह से सिंचाई से वंचित रह गया है? यदि हां, तो उक्त रकबे के अनकमांड रहने के क्या कारण रहे तथा किस-किस ग्राम का कितना-कितना रकबा वंचित रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों के सिंचाई से वंचित रकबे का पुन: सर्वे करवाकर सिधमुख वितरिका से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सिधमुख सिंचाई परियोजना की भादरा क्षेत्र के मौजाना डाबडी, रतनपुरा क्षेत्र हेतु शेरडा माइनर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं होने से शेरडा माइनर का निर्माण नहीं किया गया। इन गांवों हेतु शेरडा माइनर के बजाय रेजड़ी माइनर एवं बीबीपुर सबमाइनर का निर्माण किया गया है। इन गांवों का जो क्षेत्र तोड (फ्लो) से कमाण्ड योग्य था, उसे कमाण्ड में सम्मिलित किया गया है।

ग्राम रतनपुरा की 295.804 हैक्टेयर, मौजाना की 83.268 हैक्टेयर

(जल संसाधन मंत्री)

एवं डाबडी की 1140.070 हैक्टेयर भूमि जो कि माइनर एवं सबमाइनर के पूर्ण सप्लाई लेवल (FSL) से ऊंची थी, को अनकमाण्ड श्रेणी में रखा गया है।

(2) जी नहीं। सिद्धमुख नोहर परियोजना को आबंटित 0.47 एम.ए.एफ. पानी हेतु नहरों एवं खालों का निर्माण हो जाने के कारण पुन: सर्वे करवाया जाना विचाराधीन नहीं है।

फुलेरा के पचकोडिया से भादवा सड़क का सुदृढ़ीकरण

137. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पचकोढिया से भादवा तक की सड़क के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2010 से 2013 तक कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राशि स्वीकृत होने के उपरांत सरकार द्वारा वर्क आर्डर जारी कर दिया गया था? यदि हां, तो कब, किसको व कितनी राशि का? वर्क आर्डर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़क का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य कितने समय में पूर्ण करना था?

(4) क्या उक्त सड़क के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से और वर्तमान में कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त सड़क के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार कार्य में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध जांच कराकर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पचकोढिया से भादवा तक की सड़क के लिये जयपुर से नावां वाया जोबनेर पचकोढिया (एस.एच.-2सी) कि.मी. 50/0 से 68/0 तक स्टेट हाइवे प्लान में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिये दिनांक 06.09.2011 द्वारा राशि रुपये 450.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्वीकृति जारी की गई थी तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमश: रु. 10.64 लाख, रु. 109.21 लाख व्यय किये गये।

(2) जी हां। उक्त कार्य का कार्यादेश दिनांक 04.11.2011 को राशि रुपये 337.52 लाख का मैसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी डीडवाना संवेदक को दिया गया। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) इस सड़क के स्वीकृत सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य को आठ माह की अवधि में दिनांक 13.07.2012 को पूर्ण किया जाना था।

(4) जी हां। संवेदक द्वारा दिनांक 10.02.2012 को कार्य प्रारम्भ किया गया। संवेदक के द्वारा स्वीकृत 18 कि.मी. लम्बाई में से 826 मीटर लम्बाई में डामरीकरण का एवं 650 मीटर लम्बाई में सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट का कार्य किया गया था।

(5) जी हां। उक्त कार्य की धीमी गति का कारण संवेदक के स्तर पर शिथिलता रही।

(6) जी हां। उक्त कार्य संवेदक द्वारा धीमी गति से किये जाने एवं अपूर्ण छोड़ दिये जाने के कारण संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3सी के तहत कार्यवाही कर दिनांक 28.02.2013 को कार्य रिसाइण्ड किया गया है।

उक्त कार्य में बिलम्ब के लिये दोषी संवेदक के विरुद्ध अनुबन्धानुसार कार्यवाही कर राशि रुपये 3375164 की वसूली कर ली गई है तथा संवेदक के हर्जे-खर्चे पर कार्य कराने के लिये चार बार निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। प्रथम एवं द्वितीय बार निविदा आमंत्रित करने पर किसी भी संवेदक द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया। इसके उपरान्त तीसरी बार इस कार्य की पुन: निविदा संख्या 16/2013-14 आमंत्रित करने पर माह नवम्बर, 2013 में एकल निविदा प्राप्त हुई थी, विधान सभा चुनाव 2013 की आचार संहिता लगी होने से तत्काल समय निविदा मंजूर नहीं की जा सकी। चौथी बार आमंत्रित की गई निविदा दिनांक 01.08.2014 को प्राप्त की जानी है।

परिशिष्ट-1

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DISTRICT DIVISION PHULERA

No. : 4087 Dated : 04.11.2011

M/s. Om Construction Company,
'AA' Class PWD Contractor,
Near Railway Station
Deedwana Distt. Nagour.

Sub :- Strengthening & Renewal on Jaipur to Nawan via Jobner, Pachkodiya Road, SH-2C, Km. 50/0 to 68/0 in district Jaipur under SHW (Package No. RJ-16-06-SHW-Plan-2011-12)

Dear Sir,

Your lowest tender rate @ 13.13% Below on Schedule 'G' (*based on PWD BSR Rural Circle Jaipur effective 2011*) amounting to Rs. 3,37,51,644/- (*Rupees Three Crore Thirty Seven Lacs Fifty One Thousand Six Hundred Fourty Four Only*) without any condition for the above noted work has been approved by the Chief Engineer (Roads) PWD Rajasthan Jaipur vide letter No. F.7(1620)/Sec.-II/2011/D-287 dated 25.10.2011 on behalf of the Governor of the State of Rajasthan, Jaipur.

You are hereby directed to start the work at once under the instruction of the *Assistant Engineer PWD District Sub Division Jobner/Sambhar/ Kishangarh Renwal* and complete the same within 8 Months as mentioned in the NIT and tender papers. The dates of commencement & completion of the work will be as follows.

1. Stipulated date of commencement :- 14.11.2011
2. Stipulated date of completion :- 13.07.2012

This letter of acceptance together with the tender and Form No. PWD. MF. 100 embodying all the conditions there in constitutes the contract agreement *No. 101 of 2011-12* between you and the Governor of the State of Rajasthan for the aforesaid work. The work may be carried out as per sanctioned estimate. The Defect Liability Period of the above work will be Five year. The S.T.P. will be required before commencement of the work from the Mining Department.

You are requested to attend this office for executing the contract agreement alongwith Non Judicial Stamp of Rs. 5000/- only within a period of Seven days.

Yours faithfully,
Sd./-
Executive Engineer, PWD
District Division, Phulera

प्रदेश में पंचायती राज के अधीन विभाग

138. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में पंचायती राज के अधीन कौन-कौनसे विभाग कार्यरत हैं तथा कौन-कौनसे विभाग कब पंचायती राज को सुपुर्द किये गये? इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिये उक्त विभागों के साथ-साथ अन्य विभाग भी पंचायती राज के सुपुर्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को पंचायती राज से हटाकर पुन: शिक्षा विभाग के अधीन किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में पंचायती राज के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा कृषि विभाग कार्यरत है। ये पांचों विभाग दिनांक 2 अक्टूबर, 2010 को सुपुर्द किये गये। इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-क)

(2) 2 अक्टूबर, 2010 को सुपुर्द किये गये पांच विभागों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के उपरान्त ही अन्य कोई विभाग पंचायती राज के सुपुर्द करने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवनारायण योजना में छात्रवृत्ति से वंचित छात्र-छात्राएं

139. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में देवनारायण योजना में गत दो वर्षों में कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान व अन्य योजना (स्कूटी) से लाभान्वित किया गया तथा कितने छात्र-छात्राएं किन-किन कारणों से वंचित रहे? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार 60 प्रतिशत अंक लाने वाली प्रत्येक छात्रा को भी योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में देवनारायण योजनान्तर्गत पिछले दो वर्षों 2012-13 एवं 2013-14 में 1918 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। स्कूटी वितरण योजनान्तर्गत पिछले दो वर्षों 2012-13 एवं 2013-14 में 13 छात्राओं को स्कूटियों से लाभान्वित किया गया है। 14 छात्राएं स्कूटी योजना हेतु 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर निदेशक कालेज शिक्षा द्वारा बनाई गई वरीयता सूची में नहीं आने के कारण स्कूटी का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहीं।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अंक लाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। योजना के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली एवं राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली छात्राओं की वरीयता सूची में प्रथम एक हजार छात्राओं को पात्रतानुसार निदेशक कालेज शिक्षा द्वारा योजनान्तर्गत नि:शुल्क स्कूटियों का वितरण किया जाता है।

बच्छखेड़ा (भीलवाड़ा) ग्राम सेवा सहकारी समिति में अनियमितता की जांच

140. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बच्छखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जिला भीलवाड़ा के अध्यक्ष द्वारा किये गये आर्थिक अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व कई गबन घोटालों की शिकायतें लम्बे समय से की जा रही हैं? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति मय कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड भीलवाड़ा के अध्यक्ष, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सहायक अधिशासी अधिकारी के संरक्षण में इस समिति में अनियमितता की जा रही है?

(3) क्या उक्त समिति की आडिट कराई गई है? यदि हां, तो अब तक कराई गई आडिट रिपोर्ट की प्रतियां तथा आडिट आक्षेपों पर की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर,

(सहकारिता राज्य मंत्री)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां भीलवाड़ा, कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा में वर्तमान अध्यक्ष बच्छखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है-

(शिकायतों की प्रति परिशिष्ट 1 व परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।)

क्र. सं.	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही	कार्यवाही किस स्तर पर है
1	2	3	4
1 एवं 2	जिला कलक्टर भीलवाड़ा एवं सीधे बैंक को बच्छखेड़ा ग्रामवासियों की ओर से प्राप्त समान शिकायत	बैंक द्वारा आदेश क्रमांक ईओ/शिकायत/ जी-6/3021 दिनांक 03.06.2014 से जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई।	जांच प्रक्रियाधीन है।
3	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के पत्रांक 97 (5) सविरा/बैंक-3/2012-13/ जनसुनवाई दिनांक 01.07.2014 से श्री मूलसिंह सौडा, अध्यक्ष एवं निहालचन्द माहेश्वरी बीजेपी मण्डल शाहपुरा द्वारा की गई शिकायत प्राप्त हुई।	बैंक के आदेश क्रमांक ईओ/शिकायत/ बी6/5449/दिनांक 11.07.2014 से जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।	जांच प्रक्रियाधीन है।
परिशिष्ट-1 संलग्न है। (क्र.सं. 1 से 3)			

(सहकारिता राज्य मंत्री)

1	2	3	4
4	कायार्लय संयुक्त रजिस्ट्रार अजमेर खण्ड अजमेर के पत्रांक फा. सरअ/बैंकिंग/1486 दिनांक 23.06.2014 के साथ निहालचन्द जैन द्वारा की गई शिकायत।	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां भीलवाड़ा ने अपने पत्र क्रमांक फा.उरभी/2014/2472 दिनांक 09.07.14 के द्वारा अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी है।	1- संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर खण्ड अजमेर के पत्रांक फा. सरअ/न्याय धारा 55/2161-64 दिनांक 10.07.2014 के प्रकरण की बिन्दुवार जांच अधिनियम की धारा 55 में करने हेतु उप रजिस्ट्रार भीलवाड़ा को नियुक्त किया गया है। 2- संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड अजमेर के पत्रांक फा. सरअ/न्यायधारा 55/2166 दि. 10.07.2014 से बच्छखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. बच्छखेडा के संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 22.05.2014 को पारित प्रस्ताव विधि अनुकूल नहीं होने से शून्य मानकर कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

1	2	3	4
4			3- बैंक के पत्रांक प्र.का./2014/6131-35 दिनांक 16.07.2014 के द्वारा उपरोक्त निर्देश की पालना हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
परिशिष्ट-2 संलग्न है। (क्र.सं. 4)			

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा उक्त समिति के सम्बन्ध में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच कराने के आदेश जारी किये गये हैं। जांच में कोई अनियमितता पाई जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी हां। समिति का वर्ष 2012-13 तक का आडिट हो चुका है। वर्ष 2012-13 की आडिट रिपोर्ट परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। उक्त आडिट आक्षेप में प्रशासनिक और मिलान सम्बन्धी सामान्य लेखा प्रक्रिया सम्बन्धी आक्षेप है। जिस पर कोई कार्यवाही समिति के विरुद्ध अपेक्षित नहीं है। समिति द्वारा आक्षेपों की पूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

विराटनगर की क्षतिग्रस्त सड़कें

141. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में विगत पांच वर्षों में किस-किस योजना में कितनी सडकें स्वीकृत की गई व उक्त सड़कों में कितनी गारण्टी अवधि की सडकें हैं? क्या उक्त सड़कों की मरम्मत समय पर हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्यों में दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि विराट नगर में दो वर्ष से भी ज्यादा समय

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

की गारण्टी अवधि की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें तथा उनका मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में विगत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत सडकें मय गारण्टी अवधि के विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

जी हां। उक्त गारण्टी अवधि की 42 सड़कों में से 4 सड़कों के अलावा सभी 38 सड़कों पर मरम्मत समय पर हो रही है। उक्त 4 सड़कों में से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित एक सड़क पर अनुबन्धानुसार कार्यवाही उनके द्वारा की जा रही है तथा तीन सड़कों पर विभाग द्वारा अनुबन्धानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्यों में अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं। उक्त 4 सड़कों के वर्तमान में क्षतिग्रस्त स्थिति में होने के कारण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। गारण्टी अवधि में संवेदक द्वारा अनुबन्धानुसार आवश्यकता अनुसार मरम्मत की जा रही है। वर्तमान में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत शीघ्र ही अनुबन्धानुसार कार्यवाही कर किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पंचायतों का पुनर्गठन

142. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या नये मानदण्ड निर्धारित किये जायेंगे।

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रदेश के गांवों का मजबूत आधारभूत सुसंगठित विकास एवं निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या उसका मास्टर प्लान, वृक्षारोपण, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य की सुविधा नवभारत निर्माण की कल्पनाओं पर आधारित होगा?

उत्तर

(1) पंचायतों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन के प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 की कार्यवाही कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने हेतु सभी जिला कलक्टर्स को विभागीय पत्र क्रमांक 715 दिनांक 11.7.2014 के द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। प्रथम चरण में वर्ष 2017 तक तथा द्वितीय चरण में वर्ष 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

(3) जी हां। प्रदेश में गांवों का मजबूत आधारभूत सुसंगठित विकास एवं निर्माण करने के लिये पहले से ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की निम्न योजनाऐं चलाई जा रही हैं:-

1. नरेगा योजना (NREGA)
2. इन्दिरा आवास योजना
3. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
4. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
5. सीमान्त क्षेत्र विकास योजना
6. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (PURA)
7. क्षेत्रीय विकास योजना यथा डांग, मगरा, मेवात विकास योजना
8. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)
9. जिला नवाचार निधि (DIF)
10. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना (RGPSA)
11. तेरहवां वित्त आयोग (TFC)
12. राज्य वित्त आयोग चतुर्थ (SFC)
13. निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओं हेतु) (UTF)

इसके अलावा गांवों का मजबूत आधारभूत सुसंगठित विकास के लिये श्री योजना प्रारम्भ की गई है। जिसमें गांवों का मास्टर प्लान बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में 5 आधारभूत सुविधाएं निम्नलिखित हैं :-

1. ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण व तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन।
2. स्वास्थ्य व स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता।

(पंचायती राज मंत्री)

3. गांव की आन्तरिक सड़कें मय नाली निर्माण एवं अप्रोच रोड।

4. शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं।

5. ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था।

इनको शामिल करते हुए प्रत्येक गांव का चरणबद्ध विकास हेतु योजना निर्धारित की गई है। जिसकी कल्पना नवभारत पर ही आधारित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्य पिछड़े वर्ग के नर्सिंग छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति

143. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय कोटा में वर्ष 2012-13 बैच के अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि रुपये 6 लाख 30 हजार अब तक बकाया है? यदि हां, तो छात्रवृत्ति भुगतान में विलम्ब के कारण तथा अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त छात्रवृत्ति भुगतान किस तिथि से किया गया तथा विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? सम्पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा के अधीन संचालित राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, कोटा में वर्ष 2012-13 के अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 21 बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों की छात्रवृत्ति सीमित बजट उपलब्धता के कारण बकाया रही है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष के बकाया रहे आवेदन पत्रों को चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है। क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसलिये किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

अलवर जिले में सहकारी समितियों द्वारा वितरित ब्याज रहित ऋण

144. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति कहां-कहां गठित है व उक्त गठित समितियों में कितने-कितने सदस्य हैं? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कितने सदस्यों को कितना-कितना ब्याज रहित ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समितियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत दो वर्षों में कितने नये सदस्य बनाये गये व नये सदस्यों में से कितने सदस्यों को ब्याज रहित ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले की 14 पंचायत समितियों में कुल 307 ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित हैं, जिनमें कुल 172916 सदस्य हैं। पंचायत समितिवार गठित समितियों एवं समितिवार सदस्य संख्या की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की पंचायत समिति किशनगढ़ में 17 समितियां एवं पंचायत समिति कोटकासिम की 19 समितियों के कुल 13874 कृषकों को वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 7012.99 लाख का अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया है। समितिवार ऋण वितरण की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत दो वर्षों में 2560 नये सदस्य बनाये गये हैं। उक्त नये सदस्यों में से वर्ष 2012-13 में 642 नये सदस्यों को राशि रुपये 148.23 लाख व वर्ष 2013-14 में 420 नये सदस्यों को राशि रुपये 117.16 लाख का ब्याज रहित अल्पकालीन फसली ऋण राशि प्रदान की गई है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चौहटन में स्वजलधारा योजना में स्वीकृत कार्य

145. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में स्वजलधारा योजना में वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक कितनी पेयजल योजनायें स्वीकृत की गईं?

(2) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में स्वजलधारा योजना के तहत उक्त अवधि में कितना बजट आबंटित किया गया व कितनी राशि व्यय की गई व कितनी राशि बकाया है? उक्त स्वजलधारा योजना की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में अनियमितताओं की शिकायत पर कोई जांच की गई थी? यदि हां, तो इस योजना के भुगतान की स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में स्वजलधारा योजना में वर्ष 2005-06 से 2007-08 में कुल 5 पेयजल योजनाएं राशि रु. 596.23 लाख मात्र की स्वीकृत की गई हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में स्वजलधारा योजना के तहत उक्त अवधि में कुल 5 योजनाओं के पेटे 264.42 लाख रु. राशि आबंटित कर व्यय की गई है, कार्य पूर्ण होने पर बकाया राशि की मांग आने पर ही वास्तविक बकाया राशि से अवगत कराया जा सकेगा। उक्त स्वजलधारा योजनाओं की वर्तमान भौतिक स्थिति अनुसार मौके पर ट्यूबवैल स्थापित है, आगे का कार्य किया जाना बकाया है।

(3) उक्त योजनाओं में अनियमितता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय बाडमेर द्वारा जांच की गई थी। ब्यूरो द्वारा जांच को नस्तीबद्ध कर दिया गया है। योजनाओं में द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किया जाना शेष है।

चित्तौड़गढ़ जिले के जलदाय विभाग के कार्यालयों में रिक्त पद

146. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोतम कुमार)

(1) जिला चित्तौड़गढ के विभिन्न स्तर के कार्यालयों में वर्तमान में किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से किस-किस स्तर के कितने-कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों अन्तर्गत कुल स्वीकृत 312 पदों में से 174 पद वर्तमान में रिक्त हैं। कार्यालयवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल, यांत्रिकी एवं विद्युत) के 159 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आयोग के स्तर पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी।

कनिष्ठ अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति होने से विभाग में हुए रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

विभाग में तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिये प्राप्त आवेदनों के क्रम में वरीयता सूची तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त तद्नुसार भर्ती की चयन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

(विवरण प्रति पुस्तकालय में रखा गया)

सांगानेर में बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति

147. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की रामपुरा रोड एवं ढाणी कुमावतान स्थित कालोनियों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने हेतु निविदा जारी की गई थी? यदि हां, तो कब तथा यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(2) क्या उक्त निविदा के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या सरकार स्वीकृत पेयजल योजना के कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के वार्ड संख्या 31 में रामपुरा रोड एवं ढाणी कुमावतान स्थित कालोनियों को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने हेतु दिनांक 17.02.2014 को निविदा अपलोड की जाकर दिनांक 20.02.2014 को तकनीकी बिड एवं दिनांक 19.05.2014 को वित्तीय बिड खोली गई। उक्त प्रकरण में दरें अधिक होने पर कार्य की पुन: निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

(2) जी नहीं। उक्त प्रकरण में दरें अधिक होने पर कार्य की पुन: निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

(3) जी हां। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् तद्नुसार कार्यादेश सम्बन्धी निर्णय लिया जावेगा।

परबतसर की पेयजल योजनाएं

148. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार परबतसर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट से जूझ रहे कस्बों/ग्रामों/ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत विभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों के कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किन-किन कार्यालयों में कौन-कौन से पद रिक्त हैं और इन पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को कब तक पदस्थापित कर दिया जाएगा?

(3) क्या सरकार परबतसर विधान सभा क्षेत्र में परबतसर कस्बा, बागोट, भखरी, रिड, बाजवास, खोखर, मायापुर, विदियाद, नारायणपुरा, पलाड़ा, मण्डावरा, रूपपुरा-रसाल, किनसरिया, बड़ू, हरनावां व ग्राम पंचायत गुलर में पेयजल योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में सम्मिलित कस्बा परबतशहर, 156 राजस्व ग्राम तथा 251 ढाणियां विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित हैं तथा 8 ढाणियां पेयजल योजनाओं से जुडी हुई नहीं हैं। उक्त क्षेत्र के पेयजल की कमी वाले 17 ग्राम एवं 8 ढाणियों में वर्तमान में टैंकर परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु उक्त क्षेत्र के पेयजल समस्या से प्रभावित 21 ग्राम एवं 29 ढाणियों (पेयजल से वंचित 8 ढाणियों सहित) में से 6 ग्रामों की संवर्धन योजनाओं की स्वीकृति माह जून, 2014 में जारी हुई है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु विधान सभा क्षेत्र परबतसर के 22 ग्रामों को बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

क्षेत्र के शेष 134 ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली द्वारा नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आधारभूत संरचनाओं के कार्यो यथा जल शोधन संयंत्र, पम्पिंग स्टेशन एवं मुख्य पाइप लाइन की स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात् कलस्टर की निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विभिन्न संवर्गो अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत, पदस्थापित एवं रिक्त पदों का पदवार वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल, यांत्रिकी एवं विद्युत) के 159 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आयोग के स्तर पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी।

कनिष्ठ अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति होने से विभाग में हुए रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

विभाग में तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिये प्राप्त

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

आवेदनों के क्रम में वरीयता सूची तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त तद्नुसार भर्ती की चयन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम बड़ू की संवर्धन जल योजना की स्वीकृति माह जून, 2014 में राशि रुपये 17.24 लाख की जारी की जाकर इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 01.07.2014 को कार्यादेश जारी किया गया है। कस्बा परबतशहर तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय रिड, हरनावां एवं गुलर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु इनके संवर्धन/पुनर्गठन योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

8 ग्रामों की जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण जनता जल योजना अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भू-जल उपलब्धतानुरूप पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था वर्तमान में सुचारू है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु ग्राम नारायणपुरा, पलाड़ा एवं मण्डावरा बीसलपुर बांध से नावां तहसील के 72 ग्रामों की योजना में तथा कस्बा परबतसर एवं शेष वर्णित ग्राम नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में पेयजल समस्या हेतु प्रस्तावित योजनाएं

149. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में वर्ष 2008 से 2013 तक पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या-क्या योजना बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले में उक्त अवधि में कितने हैण्डपम्प सिंगल फेस, थ्रीफेस व टंकियां बनाई गईं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्तमान में पेयजल समस्या के लिये कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वर्णित अवधि में स्वीकृत कार्य/योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु सीकर जिले की तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ के क्रमश: 119 व 164, कुल 283 ग्राम तथा 3 शहर क्रमश: लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर व रामगढ़ को सतही जल स्रोत से लाभान्वित करने हेतु राशि रुपये 832.00 करोड़ की योजना की स्वीकृति माह अगस्त, 2012 में जारी की गई थी। इस योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

सीकर जिले की तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ तथा झुन्झुनूं जिले की तहसील झुन्झुनूं के चूरू-बिसाउ परियोजना में लाभान्वित 85 ग्राम तथा बूंगी-राजगढ़ परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित 13 ग्रामों को छोड़कर दोनों जिलों के कस्बों, ग्रामों एवं ढाणियों को चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना से बनाई गई एकीकृत तारानगर-झुन्झुनूं-सीकर-खेतड़ी वृहद् पेयजल परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रथम चरण के प्रथम पैकेज के रूप में साहवा लिफ्ट कैनाल, तारानगर से लेकर झुन्झुनूं तक ट्रांसमिशन प्रणाली मय आधारभूत संरचनात्मक कार्य तथा झुन्झुनूं जिले की झुन्झुनूं तहसील के 5 शहर एवं 173 ग्राम एवं खेतड़ी तहसील के 85 ग्राम को कलस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30 मई, 2013 को राशि रुपये 954.74 करोड़ जारी की गई। परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(2) सीकर जिले में उक्त वर्णित अवधि में विभिन्न जल योजनाओं अन्तर्गत 1322 हैण्डपम्प, 2546 सिंगल फेस नलकूप, 1219 थ्री-फेज नलकूप तथा पेयजल के उचित भण्डारण हेतु 376 टंकियों (भू-तल/स्वच्छ/उच्च जलाशयों) का निर्माण आवश्यकतानुसार पूर्ण किया गया। विधान सभा क्षेत्रवार वांछित विवरण परिशिष्ट-क में निहित है।

(3) पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान के लिये जिले में समय-समय पर जल योजनाओं का संवर्धन/पुनर्गठन का कार्य संसाधनों की उपलब्धतानुसार किया जा रहा है।

दीर्घकालीन समाधान के तहत सीकर जिले के शेष बचे हुए क्षेत्र के विभिन्न कस्बों/ग्रामों/ढाणियों को एकीकृत तारानगर-झुन्झुनूं-सीकर-खेतड़ी वृहद् पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण में लाभान्वित करने की योजना बनाई गई है जो अभी स्वीकृत नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में पेयजल आपूर्ति के समय का निर्धारण

150. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जलापूर्ति की समस्या के अस्थायी निदान हेतु विभाग द्वारा टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कहां-कहां पर यह व्यवस्था लागू है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर जिलों में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से अब तक कुल कितने एवं कहां-कहां, कब-कब टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की गयी है? टैंकरों से पानी आपूर्ति के क्या प्रावधान हैं? किन-किन क्षेत्रों में किन परिस्थितियों में टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रत्येक स्थान पर जलापूर्ति का समय निर्धारित नहीं किया गया है? क्या यह भी सही है कि मनमाने समय पर जलापूर्ति किये जाने के कारण अधिकांश जनता जलापूर्ति से वंचित रह जाती है? जलापूर्ति का समय निर्धारित किये जाने हेतु सरकार क्या कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या के अस्थाई निदान हेतु मांग एवं आवश्यकतानुसार टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है।

राज्य के 29 जिलों में विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा 55 कस्बों/शहरों में प्रतिदिन 3749 टैंकर ट्रिप तथा 4798 ग्राम/ढाणियों में प्रतिदिन 7957 टैंकर ट्रिपों द्वारा जल परिवहन किया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर के लिये प्रतिदिन एक रेल द्वारा 45 वैगन जल परिवहन किया जा रहा है। जिलेवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से वर्तमान तक अलवर शहर, राजगढ़ शहर, ग्राम आलमपुर (पंचायत समिति, रामगढ़) तथा ग्राम गोर पहाड़ी (पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़) में टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन किया जा रहा है। उक्त स्थानों पर तिथिवार टैंकरों से पेयजल परिवहन का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्रों में

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में जारी परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य में विभाग द्वारा संचालित जल योजनाओं पर निर्धारित समय पर जल वितरण किया जाता है। यदा-कदा विद्युत व्यवधान, पाइप लाइन के टूटने, पम्पसैट खराब हो जाने इत्यादि अन्य कई कारणों से जल उत्पादन में कमी होने पर समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाकर नियमित जलापूर्ति करने के प्रयास किये जाते हैं। इन परिस्थितियों में कुछ क्षेत्रों में पानी कम मात्रा में या कम दवाब से पहुंचने पर टैंकरों द्वारा भी जलापूर्ति की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

151. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल कितने अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत दिनों हुई पदोन्नति के पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी आई है? यदि हां, तो उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)

क्र. सं.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	1	1	-
2	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	6	6	-
3	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत)	1	1	-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1	2	3	4	5
4	सहायक अभियन्ता (सिविल)	27	26	1
5	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	1	-	1
6	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	4	3	1
7	सहायक अभियन्ता (सिविल) नरेगा	1	-	1
8	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	19	18	1
9	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	1	-	1
10	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	1	1	-
	योग	**62**	**56**	**6**

(2) विभाग में उक्त जिले के रिक्त पद अभियन्ताओं की उपलब्धता के आधार पर भर दिये जावेंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के समस्त पदों को सहायक अभियन्ता, सिविल में क्रमोन्नत कर विभाग में कार्यरत सभी कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कर विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल का केडर समाप्त कर दिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा विभाग में वर्ष 2012-13 में कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल के 568 पद पुन: सृजित हुए हैं, नवसृजित पदों पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं रखने के कारण विभाग द्वारा नवसृजित पदों पर कार्यरत किसी भी कनिष्ठ अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल की पदोन्नति से कोई भी पद रिक्त नहीं हुआ है।

जमवारामगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

152. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 500 की आबादी वाले ऐसे कितने गांव हैं, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(2) क्या सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त गांवों की सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 500 से अधिक की आबादी के सड़क से बिना जुड़े दो गांव हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। नायला-मानोता सड़क से कानरियावाला सड़क का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है। इस सड़क के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति हेतु अवार्ड जारी करने की कार्यवाही की जा रही है तथा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर सड़क का निर्माण किया जा सकेगा।

नीमला से डागोता सड़क के वन अभयारण्य क्षेत्र में स्थित होने से राज्य सरकार के निर्णयानुसार ग्रेवल सड़क का निर्माण ही किया जा सकता है तथा यह सड़क वर्तमान में ग्रेवल सड़क है।

(3) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कें जो कि रखरखाव अविध में हैं का संवेदक द्वारा रखरखाव किया जा रहा है एवं अन्य सड़कें जिनकी रखरखाव अवधि समाप्त हो गयी है, उनका रखरखाव राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार मरम्मत कार्य किया जाता है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सड़क से 500 आबादी के ग्राम जो सड़क सुविधा से वंचित का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	गांव का नाम	आबादी (जनगणना 2001 के अनुसार)	उक्त गांव किसी योजना में स्वीकृत तो स्वीकृति का विवरण			स्वीकृति कार्य की वर्तमान स्थिति (पूर्ण/ अपूर्ण)	यदि कार्य अपूर्ण तो पूर्ण करने की समाप्ति तिथि	विशेष विवरण
				योजना	लम्बाई (किमी.)	राशि (रु. लाख)			
1.	नीमला	डागोता	1422	आरआईडीएफ-10	4.00	32.80	—	—	सरिस्का वन्य जीव अभयारण क्षेत्र में होने के कारण सड़क बनाने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ-8(1206)सं.2/2004/डी-266 दिनांक 20.10.2008 द्वारा स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है।
2.	मानोता	कानरियावाला	631	पीएमजीएसवाई	0.78	12.32	—	—	राजस्व रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य नहीं हो सका। वर्तमान में भूमि अवाप्ति हेतु अवार्ड जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।
				योग	**4.78**	**45.12**			

प्रदेश में उन्नयन परियोजना के तहत सड़क निर्माण

153. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार ने 20 हजार कि.मी. सड़क उन्नयन हेतु योजना बनाई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क उन्नयन परियोजना पर कितनी राशि व्यय होगी तथा उसकी व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये जन सहभागिता (पी.पी.पी.) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप/ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन) पद्धति के तहत अगले 5 वर्षों में 20,000 कि.मी. राजमार्गों का विकास करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसमें से 8290 कि.मी. लम्बाई की योजना बनायी गई है व शेष प्रक्रियाधीन है।

(2) राजमार्गों के विकास के लिये अन्तरिम अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रुपये का आंकलन किया गया है।

लागत का 20% केन्द्र सरकार से एवं 20% राज्य सरकार से वी.जी.एफ. का हिस्सा होगा। Viability नहीं होने पर 10% तक राज्य सरकार अतिरिक्त राशि shadow Toll दिया जा सकेगा। शेष राशि Concessionaire द्वारा Invest की जावेगी।

बाड़ी में मिसिंग लिंक सड़क का
अनियमित भुगतान

154. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मिसिंग लिंक के तहत विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के लिये वर्ष 2013 में आठ सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया गया था?

(2) क्या उन स्वीकृत गांवों में सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हुए बिना ही ठेकेदार को पूरा भुगतान किया जा चुका है? यदि हां, तो ठेकेदार को कितने कार्य का भुगतान किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। मिसिंग लिंक योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के लिये वर्ष 2012-13 में दिनांक 20.07.2012 को 8 सड़क निर्माण कार्य राशि रुपये 200.00 लाख के स्वीकृत किये गये।

(2) जी नहीं। उक्त मिसिंग लिंक कार्य दिनांक 13.01.2013 को पूर्ण होने के पश्चात् अन्तिम भुगतान दिनांक 17.10.2013 को किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में वर्ष 2012-13 में स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	फर्म/संवेदक का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (रु. लाख)	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1.	सम्पर्क सड़क मह्आखेड़ा	मैसर्स राजस्थान कम्यूनिकेशन बसेड़ी धौलपुर	25.00	1.00	24.05	0.75	13.01.2013
2.	सम्पर्क सड़क खेरली		25.00	1.00	24.25	0.60	
3.	सम्पर्क सड़क जपावली		25.00	1.00	23.85	0.55	
4.	सम्पर्क सड़क पवेसुरा		25.00	1.00	23.95	0.65	
5.	सम्पर्क सड़क मावली का नंगला		25.00	1.00	23.65	0.50	
6.	सम्पर्क सड़क बहादुरपुर		25.00	1.00	24.00	0.60	
7.	सम्पर्क सड़क लहकपुर		25.00	1.00	23.50	0.55	
8.	सम्पर्क सड़क कोडपुरा		25.00	1.00	23.01	0.60	
	योग		**200.00**	**8.00**	**190.26**	**4.80**	

पचपदरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्व ग्रामों का डामरीकरण

155. श्री अमराराम (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में आज भी ऐसे राजस्व ग्राम हैं, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से डामरीकरण होने से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो कौन कौनसे? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब वित्तीय वर्ष 2014-15 में विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के सड़क योजना से वंचित रहे राजस्व ग्रामों को डामरीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग के सर्वे 2003 के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी के बसावट व ढाणियों (हैबीटेशन) एवं मरुस्थलीय व जनजाति क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी के बसावट व ढाणियों (हैबीटेशन) को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। वर्ष 2000-2009 तक बसावट/ढाणियों की अलग से चिन्हित सूची एवं उनकी जनसंख्या उपलब्ध नहीं थी। अत: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-I से फेज-IX तक राजस्व गांवों को ही बसावट मानकर डामर सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव बनाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत करवाये गये। अत: इस प्रकार पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर घोषित सभी राजस्व गांव जिनकी जनसंख्या 250 एवं इससे अधिक है को डामर सड़कों से जोड़ा जा चुका है, केवल एक राजस्व गांव भाखरी खेड़ा में भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया की कार्यवाही होने से डामरीकरण नहीं हो सका।

इसके उपरान्त पेयजल आपूर्ति विभाग के सर्वे 2003 को आधार मानकर 250 से अधिक आबादी की बसावटों को डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में 400 व इससे अधिक आबादी की सभी बसावटें डामर सड़क से जोड़ी जा चुकी हैं एवं 300-400 आबादी की 7 बसावटें/ढाणियों की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्राप्त होकर 4 कार्य प्रगति पर हैं एवं 3 कार्यों की निविदा प्राप्त कर निविदा स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

250 से 300 आबादी की 26 बसावट/ढाणियों के प्रस्ताव तैयार किये जाकर स्वीकृति प्राप्त करने के कार्यवाही की जा रही है। जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त वंचित राजस्व गांवों को वर्ष 2014-15 में डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं में स्वीकृत सडकें

156. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में गत पांच वर्षो मे कौन-कौनसी योजनाओं के तहत कौन-कौनसी सड़कें कितनी-कितनी दूरी की स्वीकृत की गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कौन-कौनसी सड़कों का कार्य पूर्ण नही हुआ व इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जिला झुंझुनूं में गत पांच वर्षों में किन-किन सडकों का पेचवर्क कराया गया है व कितनी-कितनी राशि इन सड़कों पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव ढाणियों व मजरों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जोड़ने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन ग्रामों की आबादी 10000 से अधिक है उन्हें ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत कब तक पंचायत समिति मुख्यालयों से जोड़ा जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में गत 5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत सड़क कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत सड़कों में से अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने की सम्भावित तिथि का विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या-11 में अंकित है।

(3) जिला झुन्झुनूं में गत 5 वर्षों में करवाये गये पेच कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में 350 तक आबादी वाले बसावट एवं ढाणियों की सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं तथा 349-300 तक 4 एवं 299-250 तक की 2 बसावट व ढाणियों की डी.पी.आर. प्रक्रियाधीन है, जिसकी पी.एम.जी.एस.वाई. में स्वीकृति प्राप्त करना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ठ-3 पर प्रस्तुत है।

(5) बजट घोषणा 2014-15 के अनुसार राज्य की 9 हजार से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 0.5 से 2 कि.मी. लम्बी सड़क का चयन कर आगामी 3 वर्षों में 1 हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से सी.सी. की सड़कें तथा नालियों का निर्माण कर इन्हें ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित किया जावेगा। उक्त घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चयन कर गौरव पथ का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर में क्षतिग्रस्त सड़कें

157. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की कौन-कौन सी सडकें क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें आवागमन में परेशानी पैदा हो रही है?

(2) क्या सरकार उक्त सडकों की मरम्मत एवं चौड़ाइकरण/सुदृढीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सड़कों की चौड़ाइकरण/सुदृढ़ीकरण करने के कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा अब कब तक उक्त सड़कों को दुरूस्त कर दिया जायेगा?

(4) उक्त सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने की स्वीकृतियां कब-कब जारी की गईं तथा कार्य कब तक पूर्ण होगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त 17 सड़कों में गारण्टी अवधि की 4 सड़कों पर मरम्मत अनुबन्धानुसार संवेदक द्वारा की जा रही हैं तथा शेष सड़कों पर पेच मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनानुसार किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सड़कों का चौड़ाइकरण/सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। उक्त सड़कों का चौड़ाइकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य यातायात गणना, राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(4) उक्त सड़कों की वर्तमान में सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं है। बजट घोषणा 2014-15 में राज्य के स्टेट हाइवे एवं एम.डी.आर. सड़कों का विकास पी.पी.पी. योजनान्तर्गत तथा ओ.डी.आर. व ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य आउटपुट एण्ड परफोरमेन्स बेस्ड रोड्स कन्स्ट्रक्शन (ओ.पी.आर.सी.) योजनान्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करणपुर जिला करौली की दोहरी बांध लघु सिंचाई परियोजना

158. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा करणपुर तहसील सपोटरा, जिला करौली में दोहरी बांध लघु सिंचाई परियोजना की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इसके क्रियान्वित नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार की उक्त प्रस्तावित परियोजना पर वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई, किन्तु सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा उक्त पर रोक लगा दी गई, जिससे परियोजना पर कार्य प्रारम्भ नही हो सका? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा सी.डब्ल्यू.सी. में आवश्यक प्रभावी पैरवी की गई? यदि हां, तो किस प्रकार एवं नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस परियोजना को आवश्यक अनुमति लेकर प्रारम्भ

(श्री रमेश)

कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दोहरी बांध लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का केलादेवी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में आने के कारण परियोजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के समक्ष स्वीकृति हेतु विचाराधीन होने से क्रियान्विति नहीं हो सकी।

(2) जी नहीं। उक्त प्रस्तावित परियोजना की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु अभिशंषा कर प्रस्ताव CEC को प्रस्तुत किये जा चुके है। प्रकरण CEC में विचाराधीन है। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) जी हां। सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

दोहरी बांध सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

दोहरी बांध लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का केलादेवी वन अभयारण्य क्षेत्र में आने के कारण परियोजना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। तदुपरान्त CEC द्वारा दिनांक 19.07.2012 को प्रथम सुनवाई कर कुछ आक्षेप लगाये गये थे। दिनांक 30.08.2012 को लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर भिजवा दिया गया। CEC में दोहरी सिंचाई परियोजना की एप्लीकेशन दाखिल की हुई थी जिसमें दिनांक 11.10.2012 को विभाग द्वारा एफिडेविट भी प्रस्तुत किया गया था। महाधिवक्ता से भी समय-समय पर सम्पर्क कर CEC को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं। प्रकरण में CEC द्वारा अभयारण्य क्षेत्र में पेड पौधे की किस्म की जानकारी चाही जाने पर उपवन संरक्षण एवं उपक्षेत्र निदेशक (द्वितीय) रणथम्भोर बांध परियोजना, करौली से दिनांक 12.03.2014 के द्वारा प्राप्त सूचना को दिनांक 30.03.2014 को चेयरमैन CEC नई दिल्ली को भिजवाई जा चुकी है। दोहरी लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में वृहत् व मध्यम तथा लघु परियोजना का संचालन

159. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कौन-कौनसी वृहत व मध्यम तथा लघु परियोजनाएं वर्तमान में संचालित हैं? उक्त परियोजनाएं कब स्वीकृत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2008 तक कितनी राशि व्यय हुई तथा उसके बाद अब तक कितना व्यय हुआ? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति के अनुसार कार्य किस दिनांक तक पूर्ण होना था? क्या सभी योजनाएं स्वीकृत समय अवधि में पूर्ण हो चुकी हैं? यदि नही तो महालेखाकार व विभागीय अंकेक्षण दलों ने समय-समय पर निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण नही करने पर विभिन्न संवेदकों के विरुद्ध कितनी-कितनी शास्ति आरोपित की? संवेदकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रस्तावित शास्तियां (पेनल्टी) के पेटे कितनी राशि सरकार द्वारा वसूल की जा चुकी है व कितनी राशि वसूल करना शेष है व शेष राशि वसूल नही हो पाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में संचालित वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियेाजनाओं का स्वीकृति सहित सम्भागवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2008 तक एवं उसके बाद अब तक हुए व्यय का योजनावार, सम्भागवार विवरण परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(3) उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण करने की दिनांक, वर्तमान स्थिति, महालेखाकार व विभागीय आडिट दलों ने समय-समय पर निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर विभिन्न संवेदकों के विरुद्ध आरोपित शास्ति का संवेदकवार, सम्भागवार विवरण परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(4) उक्त प्रस्तावित शास्तियां (पेनल्टी) के पेटे वसूल की गई राशि, शेष वसूल की जाने वाली राशि एवं शेष राशि का वसूली न होने के कारणों का सम्भागवार विवरण परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में भू-संरक्षण के कार्यों में अनियमितता

160. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले में गत पांच वर्षो में भू-संरक्षण के अन्तर्गत कहां-कहां कौन-कौन से कार्य किस-किस माध्यम से कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में सरकारी एजेन्सी द्वारा सम्पन्न कराये गये कार्यों की निरीक्षण करने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन के द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कार्यों में कोई अनियमितता पाई गई? यदि हां, तो कहां-कहां व क्या-क्या? क्या उन अनियमितता की कोई जांच की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले में पिछले 5 वर्षों में भू-संरक्षण के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिले में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों के निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछले पांच वर्षो में विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांकवार किए गए निरीक्षण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त कार्यों में कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई। उप समिति जलग्रहण डूंगरपुर ग्राम ढोलावास की धांध्यावाली ढाणी के ईपीए के कार्य में पेयजल टंकी कार्य के प्लेटफोर्म की सीमेन्ट कांकरीट उखड़ी हुई थी जिसे ठीक करवा ली गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में वर्षा के पानी को रोकने की कार्य योजना

161. श्री ओटाराम (सिरोही) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में भूमिगत जल स्तर बहुत ही अधिक गिरने से जिले में पेयजल की भारी समस्या हो गई है? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार भू-जल स्तर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में भू-जल स्तर बढ़ाने के लिये

(श्री ओटाराम)

वर्ष 2008 से पूर्व निजी फर्म द्वारा आबूरोड क्षेत्र में बत्तीसानाला में बरसात के पानी को रोकते हुये धान्ता बांध में लाने के सम्बन्ध में किसी योजना का एक सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो कब व किस प्रकार से और उसमें कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सिरोही में बारिश के दौरान जितना पानी बरसात का है, उसमें से अधिकांशतः पानी बहकर गुजरात चला जाता है, जबकि जिले में दिनोंदिन भारी पेयजल की समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा सिरोही जिले में बारिश के दौरान व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोकने हेतु माही बांध के ओवरफ्लो को सेई बांध में तथा सेई से ओवरफ्लो को बनास बांध धनारी में लाने तथा धनारी बांध के ओवरफ्लो को धान्ता बांध में तथा धान्ता के ओवरफ्लो को अणगोर बांध में जोड़ने की योजना पर सर्वे करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सिरोही जिले में वर्षा पूर्व 2013 एवं 2014 के जल स्तर सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जल संसाधन विभाग द्वारा निजी फर्म से बत्तीसानाला पर बांध बनाने हेतु सर्वे कार्य वर्ष 2008 में करवाया गया था। सर्वे कार्य हेतु फर्म को रुपये 508623/- के कार्यादेश के विरुद्ध मात्र रुपये 140369/- का भुगतान किया गया। संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड़ जाने के कारण अनुबंध की धाराओं के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

(3) जी नहीं। सिरोही जिले में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध पानी में से आधे से अधिक को विभिन्न बांधों, एनीकटों एवं गंवाई तालाबों द्वारा संग्रहित किया जा रहा है। वर्तमान में पानी के संग्रहण के लिये भेसासिंह, वासा एवं हड़मतिया लघु सिंचाई परियोजना प्रगतिरत है तथा शेष पानी के अधिकांश भाग के उपयोग हेतु फोरवाटर कान्सेप्ट के अन्तर्गत चैकडेम, एनीकट, सबसरफेस बेरियर्स आदि का निर्माण संसाधन उपलब्धतानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

जिले की अधिकांश पेयजल योजनाओं के जल स्रोत नदी, नालों के किनारे तथा बांध के डाउन स्ट्रीम में बने हुए हैं। कम वर्षा होने के कारण जल

(भू-जल मंत्री)

स्रोतों से जल उत्पादन में कमी होने पर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सामान्य एवं अधिक वर्षा होने पर नदी व नालों में पर्याप्त जल बहाव होने तथा बांधों में पर्याप्त जल एकत्रित होने से जिले में पेयजल समस्या नहीं रहती है।

(4) जी नहीं। ग्रेविटी फ्लो से माही बांध का ओवरफ्लो पानी सेई बांध में अपवर्तित नहीं किया जा सकता है। सेई बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने पश्चात् ओवरफ्लो पानी की मात्रा कम होने से धनारी बांध में अपवर्तन उपादेय नहीं होने से विचाराधीन नहीं है। धनारी बांध (पश्चिमी बनास बांध) से धान्ता बांध एवं धान्ता बांध से अणगौर बांध में ग्रेविटी फ्लो से पानी अपवर्तन नहीं किये जा सकने से विचाराधीन नहीं है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

गाड़िया लुहारों को महाराणा प्रताप आवास योजना की अनुदान सहायता में वृद्धि

162. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार महाराणा प्रताप आवास निर्माण योजना के अन्तर्गत गाड़िया लुहारों को मकान निर्माण हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि 70000/- को बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये करने व आवास निर्माण हेतु इन्दिरा आवास योजना के अनुरूप न्यूनतम 20 वर्गमीटर पिलन्थ को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बागारिया जाति अनुसूचित जाति/जनजाति कोटे में नहीं होने पर भी उनके समुदाय के लोगों को उक्त संवर्ग में मिलने वाली सहायताओं का लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को लाभ दिया गया और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में अनुदान सहायता राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप मकान निर्माण योजना के अन्तर्गत गाड़िया लौहारों को मकान निर्माण हेतु दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि 45000 रुपये को बढ़ाकर गत वर्ष 70000 रुपये विभाग के आदेश क्रमांक 68564 दिनांक 13.09.2013 से दिये जाने के

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

आदेश जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति संलग्न है एवं उक्त योजना में न्यूनतम 20 वर्ग मीटर पिलन्थ एरिया इन्दिरा आवास योजना के अनुरूप होने के फलस्वरूप न्यूनतम पिलन्थ एरिया बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। बागरिया जाति एस.सी., एस.टी. कोटे में नहीं होने पर उनके समुदाय के लोगों को उक्त संवर्ग में मिलने वाली किसी भी योजना में लाभान्वित नहीं किया जा रहा है।

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक: एफ7(4)() विकास/सान्याअवि/13/68564 जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2013

आदेश

विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(4)()विकास/सान्याअवि/09/64707 दिनांक 18.11.2009 द्वारा जारी महाराणा प्रताप मकान निर्माण हेतु सहायता नियम, 1997 (संशोधन-2009) के नियम-4 के उप नियम-1 में किये गये संशोधित आदेश क्रमांक एफ.7 (4) () विकास/सान्याअवि/11/91321 दिनांक 9.12.2011 के अनुसार गाड़िया लोहारों को मकान निर्माणहेतु दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि 45000/- रुपये को बढ़ाकर 70,000/- रुपये (अक्षरे सत्तर हजार) किये जाते है, तथा नियम-4 के उप नियम-4 में स्वीकृत अनुदान राशि तीन किश्तों में देय होगी-प्रथम किश्त 25,000/- रुपये, द्वितीय किश्त 25,000/- रुपये एवं तृतीय किश्त 20,000/- रुपये दी जावेगी। आवास निर्माण इंदिरा आवास योजना की अनुरूप न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर पिलन्थ क्षेत्र में किया जावेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161301125 दिनांक 24.07.2013 एवं आयोजना विभाग की आई.डी. क्रमांक 411/पी-5/2013 दिनांक 11.09.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

आयुक्त

जोधपुर किशोर बाल सुधार गृह में घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना

163. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में किशोर बाल सुधार गृह कहां-कहां पर स्थित है एवं वर्तमान में कितने-कितने बाल अपचारी रह रहे हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर स्थित राजकीय किशोर बाल सुधार गृह में वर्ष 2009 से मई, 2014 तक कितने बाल अपराधी फरार हुए एवं उनमें से कितने बाल अपचारी पकड़ में आ चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने अब तक बाल अपचारियों के फरार होने की घटनाओं के लिये किसी अधिकारी को दोषी ठहराते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है? यदि हां, तो किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब की गयी?

(4) क्या सरकार बाल सुधार गृहों में अपचारियों के फरार होने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध पुलिस केस दायर करने के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में जिला स्तर पर संचालित सम्प्रेक्षण गृहों की सूची एवं उनमें आवासरत विधि से संघर्षरत बच्चों की संख्या परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) राजकीय किशोर गृह, जोधपुर से वर्ष 2009-10 से मई, 2014 तक की अवधि में 4 विधि से संघर्षरत बच्चों द्वारा पलायन किया गया है। उनमें से चारों बच्चे गृह में पुन: प्रवेशित हो चुके हैं।

(3) बच्चों के पलायन के सम्बन्ध में गृह में नियुक्त सुरक्षा गार्ड की लापरवाही सामने आने पर उन्हें हटाया गया है पलायन की घटना में किसी अधिकारी की लापरवाही/मिली भगत प्रकट नहीं हुई है।

(4) गृहों से बालकों के पलायन में यदि किसी कार्मिक के मिलीभगत जांच के दौरान प्रकट होगी, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	संस्था का नाम	वर्तमान में बाल अपचारी का विवरण
1	2	3
1.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, कोटा	15
2.	राजकीय बालिका गृह, कोटा	0
3.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, अजमेर	04
4.	राजकीय बालिका गृह, अजमेर	0
5.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, जयपुर	26
6.	राजकीय बालिका गृह, जयपुर	0
7.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, जोधपुर	15
8.	राजकीय बालिका गृह, जोधपुर	0
9.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, बीकानेर	0
10.	राजकीय बालिका गृह, बीकानेर	12
11.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, उदयपुर	14
12.	राजकीय बालिका गृह, उदयपुर	01
13.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, अलवर	16
14.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, भरतपुर	25
15.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, दौसा	0
16.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, धौलपुर	06
17.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, सीकर	04
18.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, झुन्झुनू	02
19.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, श्रीगंगानगर	18

1	2	3
20.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, चुरू	10
21.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, हनुमानगढ़	7
22.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, टोंक	01
23.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, भीलवाड़ा	14
24.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, नागौर	06
25.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, बारां	03
26.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, बूंदी	0
27.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, झालावाड़	10
28.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, सवाई माधोपुर	08
29.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह,करौली	03
30.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, डूंगरपुर	01
31.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, राजसमन्द	01
32.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, बांसवाड़ा	06
33.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, चित्तौड़गढ़	06
34.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, जैसलमेर	0
35.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, बाड़मेर	02
36.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, सिरोही	07
37.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, जालौर	03
38.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, पाली	04
39.	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, प्रतापगढ़	0
40.	राजकीय बालिका गृह, भरतपुर	04

प्रश्न संख्या-164

(स्थगित)

प्रदेश में बेसहारा गरीब मानसिक रूप से कमजोर बच्चों हेतु संचालित योजनाएं

165. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के बेसहारा ''मानसिक रूप से कमजोर'', गरीब, भिखारी बच्चों के उत्थान के लिये सरकार की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो क्या? गत दो वर्षों में उक्त हेतु कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की गई तथा उससे कितने बच्चे लाभान्वित हुये? व्यय राशि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में उक्त बच्चों के उत्थान हेतु सरकारी अथवा सरकार द्वारा अनुदानित संस्थायें संचालित हैं? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कौन-कौन सी? क्या सम्भाग मुख्यालयों पर इनकी उचित देखभाल के लिये कोई संस्था व भवन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे भवन या संस्थान की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश में विकलांगों के कल्याण हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं एवं वर्ष 2008 से मई, 2014 तक विकलांगों को दिये गये लाभ का विवरण क्या है? क्या सरकार सरकारी विभागों में विकलांगों हेतु आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त करने का समय निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो गरीब, बेसहारा लोगों को नि:शुल्क कपड़े, खाना उपलब्ध कराती है? यह संस्थाएं किन व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही हैं? संस्था, संलाचक का पता व फोन नं. सहित जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मानसिक रूप से कमजोर मानसिक विमंदित बच्चों हेतु राज्य सरकार द्वारा मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह एवं मानसिक विमंदित विद्यालयों का संचालन राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। गत दो वर्षों में आबंटित बजट एवं व्यय तथा लाभान्वितों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एस.ओ.पी. जारी की गई है। परिशिष्ट-1

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

उक्त क्रम किसी प्रकार की राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(2) जी हां। प्रदेश में मानसिक विमंदित बालकों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा 250 की आवासीय क्षमता का राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल पुनर्वास गृह का संचालन सेठी कालोनी, जयपुर में किया जा रहा है व जोधपुर में 250 आवासियों की क्षमता तथा अन्य सभी सम्भागों पर 100 की आवासीय क्षमता व जिलों में 50 की आवासीय क्षमता के मानसिक विमंदित गृह स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

जयपुर एवं जोधपुर में 250-250 की क्षमता के मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का भवन निर्माणाधीन है एवं कोटा, उदयपुर, भरतपुर एवं बीकानेर में 100 की क्षमता के मानसिक विमंदित गृह के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित की जा चुकी है। अजमेर सम्भाग में भूमि का आबंटन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

राज्य में गरीब, भिखारी बच्चों के लिये अलग से किसी प्रकार की संस्था/गृहों का संचालन नहीं किया जा रहा है। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले 0 से 18 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं हेतु गृहों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें उक्त श्रेणी के बच्चों को भी रखे जाने का प्रावधान है। संस्थाओं की सूची संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विशेष योग्यजनों हेतु संचालित योजनान्तर्गत दिये जा रहे लाभ का योजनावार विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2013-14 तक योजनान्तर्गत लाभान्वित किये गये विशेष योग्यजनों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है। राज्य सरकार के सभी विभागों में विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों पर विशेष योग्यजनों को उनकी पात्रता अनुसार नियुक्ति दिलवाये जाने हेतु आयुक्तालय (विशेष योग्यजन) राजस्थान द्वारा सम्बन्धित विभागों को समय-समय पर निर्देशित किया जा रहा है।

(4) राज्य में मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों हेतु संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों में आवासरत विशेष योग्यजनों को नि:शुल्क कपड़े, आवास एवं भोजन उपलब्ध करवाये जाते हैं। उक्त गृहों की सूची परिशिष्ट अ-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में किसानों हेतु फसली ऋण सुविधा

166. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा लालसोट, रामगढ़ पंचवारा एवं राहुवास द्वारा तहसील में कार्यरत सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा समान रूप से किसानों को फसली ऋण की सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त क्षेत्र में किसानों के शत प्रतिशत वसूली के बावजूद भी सहकारी समितियों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने का क्या कारण हैं?

(3) उक्त सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 99 दिनांक 18-06-2014 को स्थानीय विधायक द्वारा शिकायत मा. मुख्य सचिव को दी गई व उस पर क्या कार्यवाही की गयी? पत्र की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा लालसोट, रामगढ़ पचवारा एवं राहुवास द्वारा तहसील में कार्यरत सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा समिति की ऋण मांग व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सदस्य काश्तकारों को फसली ऋण की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।

(2) समय पर ऋण का चुकारा करने वाले कृषक ऋणी सदस्यों को उनकी साख सीमा व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समिति द्वारा ऋण वितरण कर दिया गया है।

(3) माननीय विधायक द्वारा मुख्य सचिव को दिया गया पत्र क्रमांक 99 दिनांक 18.06.2014 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। तत्क्रम में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. दौसा द्वारा अवगत कराया गया है कि लालसोट क्षेत्र की तीनों बैंक शाखाओं क्रमश: लालसोट, राहुवास व रामगढ़ पचवारा द्वारा क्षेत्र की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समान रूप से जिन काश्तकारों ने अपना ऋण चुका दिया है, उन सभी काश्तकारों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है)।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा ऋण स्वीकृति में अनियमितता की जांच

167. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड की किसी शाखा ने मृतक के नाम ऋण स्वीकृत करके, भुगतान करने की शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बैंक में ऋण स्वीकृति हेतु गारण्टी व ऋणी के दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त कृत्य में समस्त जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दी पाली सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की स्टेशन शाखा में मृतक के नाम से ऋण स्वीकृत करके भुगतान करने की शिकायत मिली है। शाखा प्रबन्धक श्री प्रवीण कुमार गुप्ता के द्वारा श्री पुखराज सोनी पुत्र श्री चम्पालाल सोनी एवं श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र पुखराज को संयुक्त रूप से मोरगेज ऋण रु. 3.50 लाख दिनांक 22.12.2010 को स्वीकृत किया गया था। ऋण वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर बैंक प्रशासन द्वारा जांच अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार इस कृत्य पर श्री प्रवीण कुमार गुप्ता के विरुद्ध बैंक प्रशासन द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत नोटिस जारी किया गया जिसकी जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शाखा द्वारा किये गये अग्रिम ऋण पेटे सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के शाखा में जमा हो चुकी है।

(2) जी हां। यह सही है कि ऋण स्वीकृति से पूर्व एवं वक्त ऋण अग्रिम के ऋणी एवं गारण्टीदाताओं का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार गुप्ता के द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई जिस पर बैंक प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण

168. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री धीरज गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 के बजट में ब्याजमुक्त फसली सहकारी ऋण वितरण का विशेष प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा द्वारा वितरित किये गये कृषकों की सहकारी समितिवार सूची व उनको दिये गये ऋण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को ब्याजमुक्त फसल ऋण का ब्याज चुकाने हेतु अनुदान भी दिया गया था? यदि हां, तो सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई गई राशि का समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस विशेष योजना से वितरण किये गये ऋण व अनुदान का अंकेक्षण कराया गया था? यदि हां, तो अंकक्षेण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा द्वारा वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 69361.76 लाख का 103261 सदस्यों को ऋण वितरण किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितिवार वितरित अल्पकालीन ऋण की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। केन्द्रीय सहकारी बैंक भीलवाड़ा द्वारा 330 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उपलब्ध करवायी गयी राशि रुपये 352.06 लाख के अनुदान का समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना अन्तर्गत वितरित अल्पकालीन फसली ऋण के पेटे अनुदान के दावों को सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणित करवाये जाने के प्रावधान के तहत उक्त दावों का प्रमाणीकरण सांविधिक लेखा परीक्षक से करवाया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणित दावों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूची, विवरण एवं प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

वल्लभनगर में आबंटित भूमि की खातेदारी

169. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की भटेवर

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

पंचायत ने 1998 में खसरा नं 3135/5 में 3 बिस्वा भूमि के बाड़े आबंटित किये गये थे, परन्तु अब वो भूमि सरकारी रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आबंटित बाड़ों का इन्द्राज खातेदारी में दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नही। विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर की ग्राम पंचायत भटेवर द्वारा 1998 में खसरा नं. 3135/5 में 3 विसवा भूमि के बाड़े आबंटन नही किये हैं। बल्कि तहसीलदार बल्लभनगर द्वारा ग्राम भटेवर में खसरा नं. 3135/5 में 3 विसवा भूमि बाड़ों के लिये आबंटित की गई थी। यह भूमि गैर खातेदारी में दर्ज न होकर उक्त आराजी नम्बर नामान्तरण सख्ंया 2059 दिनांक 17.4.2007 द्वारा बिलानाम सरकार घोषित हो चुकी है। जमाबन्दी की छाया प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त आराजी नम्बर से सम्बन्धित खातेदारी में दर्ज करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती परीक्षा

170. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के लिये परीक्षा आयोजित की गई थी? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने पद विज्ञापित किये गये और इन पदों के लिये कब परीक्षा आयोजित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब कब तक इस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2012 दिनांक 2-6-2012 को एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा-

(पंचायती राज मंत्री)

2013 दिनांक 11-10-2013 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षाओं हेतु विज्ञापित पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) तृतीय श्रेणी (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय) अध्यापक सीधी भर्ती वर्ष 2012 के अन्तर्गत राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक के सम्बन्ध में एसएलपी संख्या 23178-23182/2013 उनवानी विकास कुमार सांखला व अन्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.11.2013 द्वारा यथास्थिति के निर्देशों की पालना में पंजाबी विषय के कुल 221 पदों का परिणाम घोषित नहीं किया गया है एवं 20000 रिक्त पदों को भरने हेतु आयोजित तृतीय श्रेणी (प्राथमिक और उच्च विद्यालय) अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष-2013 का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। उक्त परीक्षा का परिणाम एसएलपी निर्णय के अध्यधीन है। उक्त आदेश दिनांक 12.11.2013 की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण एवं प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही में सरपंच एवं पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध अनियमितताओं के दर्ज प्रकरण

171. श्री ओटाराम (सिरोही) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में वर्तमान, पूर्व सरपंचों एवं पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमिततायें करने के प्रकरण कार्यवाही के अभाव में लम्बित है? यदि हां, तो पंचायतवार नामवार एवं लम्बित प्रकरण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा ऐसे कई भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितताओं के मामले में कार्यवाही के सम्बन्ध में पत्रावली रोक रखी है अथवा अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत कालन्द्री एवं बरलूट के मामले के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितताओं के मामलों में कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा सरपंच मेरमाण्डवाडा के विरुद्ध जिला

(श्री ओटाराम)

कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 21-1-2014 के द्वारा आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है जो अभी लम्बित है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सिरोही जिले के वर्तमान, पूर्व सरपंचों एवं पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमिततायें करने के लम्बित मामलों का पंचायतवार नामवार विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितताओं के प्रकरण प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की कार्यवाही की जाती है तथा दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 व 39 के तहत कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। श्रीमती हेमलता शर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत कालन्द्री को विभागीय आदेश दिनांक 17.04.2008 को निलम्बित किया गया था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी है एवं इसी सरपंच के विरुद्ध प्रकरण में प्राथमिक जांच सम्पन्न होने पर प्रकरण में संस्थित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अति. जिला कलक्टर सिरोही को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्रीमती सुधा देवी अग्रवाल सरपंच बरलूट द्वारा नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी करने से न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण दिनांक 06.08.2012 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के अन्तर्गत निलम्बित किया गया था। जिसके विरुद्ध श्रीमती सुधा देवी अग्रवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8531/2012 दायर कर निलम्बन आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

इसी सरपंच को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा 15000 रुपये की रिश्वत लेने बाबत प्रकरण संख्या 480/2013 अन्तर्गत धारा पी.सी.एक्ट 1988 की धारा 7, 8, 13 (2) भा.द.स. की धारा 120 बी के अन्तर्गत दर्ज होने से

(पंचायती राज मंत्री)
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गिरफ्तार करने से विभागीय आदेश दिनांक 17.01.2014 के द्वारा निलम्बित किया गया है।

श्रीमती सुधा देवी अग्रवाल को पद से हटाने के सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के प्रस्ताव दिनांक 17.04.2013 का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। आदेशों की प्रतियां 'परिशिष्ट-3' पर संलग्न है।

सरपंच ग्राम पंचायत मेरमांडवाडा के विरुद्ध जिला कलक्टर सिरोही से अभियोजन स्वीकृति का प्रकरण विभाग को प्राप्त हुआ था, जिसकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(4) जी हां। भ्रष्टाचार, गबन एवं अनियमितताओं के प्रकरणों की जांच कर कार्यवाही के लिये सम्भागीय आयुक्तगण को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। सम्भागीय आयुक्तगण द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से जांच करवाई जाकर दोषी पाये जाने पर समुचित कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आपदा घटनाओं से निपटने की योजना

172. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आज तक सरकार द्वारा आपदा घटनाओं से निपटने की कोई योजना तैयार नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिये कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने के लिये कोई अत्याधुनिक उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक इसके लिये पुख्ता व्यवस्था कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आपदाओं से निपटने के लिये प्रदेश में पृथक् से कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में आपदा घटनाओं से निपटने के लिये 'राज्य

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

आपदा प्रबन्धन नीति' लागू है। सभी जिलों में 'जिला आपदा प्रबन्धन योजना' तैयार की गई है, जिसका अपडेशन किया जाता है। 'राज्य आपदा प्रबन्धन योजना' तैयार कर ली गई है। राज्य आपदा प्रबन्धन नीति को भी संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसील एवं ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जा चुका है।

(2) विभिन्न नोडल विभागों यथा पुलिस, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, स्काउट एण्ड गाइड, राज्य आर्म्ड बटालियन (राज्य आपदा प्रतिसाद दल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, स्थानीय निकाय, जल संसाधन विभाग को आपदाओं से निपटने हेतु खोज एवं बचाव उपकरण क्रय हेतु राशि उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा भविष्य में भी उनका क्षमता संवर्धन जारी रहेगा।

(3) राज्य में आपदाओं से निपटने के लिये राज्य आपदा प्रतिसाद दल का गठन किया जा चुका है। जिसकी जयपुर, कोटा, भरतपुर में यूनिट कार्यरत है, जो उपकरणों से सुसज्जित है। राज्य में 'राज्य आपदा प्रतिसाद दल' को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु 746 कार्मिकों की नवनियुक्ति की गई है, जिनकी प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी है। प्रशिक्षण उपरान्त इन कार्मिकों की आपदाओं से निपटने हेतु तैनातगी कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की छठी बटालियन की एक कम्पनी नारेली, किशनगढ़ (अजमेर) में तैनात की गई है, जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है।

करौली में वंचित बी.पी.एल. परिवार

173. श्री दर्शन सिंह (करौली) व **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली में अनेकों परिवार बी.पी.एल. की सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अब पुन: अभियान चलाकर वंचित गरीब परिवारों को बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र करौली में बीपीएल सर्वे 2002 में सभी परिवारों को सर्वे में सम्मिलित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

(ग्रामीण विकास मंत्री)

निर्णय एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाने हेतु द्विस्तरीय अपील प्रक्रिया का प्रावधान है जिसमें प्रथम अपील सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया के माध्यम से ही पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाया जा सकता है।

फुलेरा में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण

174. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों के निर्माण की योजना कब से प्रारम्भ की गई और उसके क्या उद्देश्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2013 तक फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की किन-किन पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र बनाये गये और उनमें कितनी-कितनी राशि का व्यय हुआ? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों के निर्माण की योजना वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ की गई।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :-

1. ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर नरेगा आफिस के कार्य सम्पादन हेतु स्थान उपलब्ध कराना।
2. ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर नालेज रिसोर्स सेन्टर की स्थापना करना जिसमें निम्न सुविधा उपलब्ध होगी -
   i. नागरिकों को नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं सम्बन्धी सूचनाओं की आसानी से उपलब्धता
   ii. प्रौद्योगिकियों के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिये स्थान उपलब्ध कराना, कन्वर्जेन्स के माध्यम से नरेगा योजना में

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

पर्याप्त उपयोगी/उत्पादकतायुक्त ग्रामीण परिसम्पतियों के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु नवाचार के लिये स्थान उपलब्ध कराना।

iii. सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का ग्राम पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य नागरिकों द्वारा आसानी से उपयोग एवं विकास कार्यों की सूचना के आदान-प्रदान हेतु स्थान उपलब्ध कराना।

(2) जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2013 तक फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में बनाये गये राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों एवं उन पर व्यय राशि की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति	व्यय राशि (लाखों में)	
			ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
1	2	3	4	5
1.	सांभर लेक	पंचायत समिति सांभर		20.57
2	सांभर लेक	अनन्तपुरा	8.83	
3	सांभर लेक	बधाल	9.52	
4	सांभर लेक	बाघावास	9.34	
5	सांभर लेक	बांसड़ी खुर्द	10.00	
6	सांभर लेक	भादवा	8.07	
7	सांभर लेक	भैसलाना	9.96	
8	सांभर लेक	डूंगरसी का बास	9.49	
9	सांभर लेक	डूंगरी खुर्द	9.04	
10	सांभर लेक	ड्योड़ी	9.90	

1	2	3	4	5
11	सांभर लेक	हरसोली	9.44	
12	सांभर लेक	इटावा	8.27	
13	सांभर लेक	जयसिंहपुरा	8.46	
14	सांभर लेक	काजीपुरा	9.09	
15	सांभर लेक	खण्डेल	9.97	
16	सांभर लेक	खेड़ी मिलक	9.69	
17	सांभर लेक	लालासर	9.66	
18	सांभर लेक	लूनियावास	9.51	
19	सांभर लेक	मलिकपुरा	9.02	
20	सांभर लेक	मंढाभीमसिंह	8.30	
21	सांभर लेक	मूंडियागढ़	9.62	
22	सांभर लेक	मुन्डौली	8.31	
23	सांभर लेक	मूण्डवाडा	9.57	
24	सांभर लेक	नादरी	10.38	
25	सांभर लेक	नोरंगपुरा	9.58	
26	सांभर लेक	पचकोड़िया	9.62	
27	सांभर लेक	रलावता	9.26	
28	सांभर लेक	रामजीपुरा कलां	8.16	
29	सांभर लेक	सिनोदिया	8.31	
30	सांभर लेक	तेज्या का बास	9.46	
31	सांभर लेक	त्योद	9.37	
32	सांभर लेक	मुण्डली रणजीतपुरा	8.63	
33	दूदू	चैनपुरा	5.13	

1	2	3	4	5
34	दूदू	नरेना	10.21	
35	दूदू	श्रीरामपुरा	7.95	
36	दूदू	बरडोटी	8.40	
37	दूदू	हबसपुरा	5.42	
38	दूदू	कोरसीना	9.57	
39	दूदू	मरवा	9.75	
40	दूदू	मंमाणा	9.49	
41	दूदू	काचरोदा	5.52	
42	दूदू	शार्दुलपुरा	8.56	
43	दूदू	आकोदा	5.37	
44	दूदू	रोजडी	8.74	
		योग	**379.94**	**20.57**

प्रदेश में कलक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों पर मनरेगा राशि का व्यय

175. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रदेश के किस-किस जिला कलक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कितनी-कितनी राशि मनरेगा योजना से अपने कार्यालय की साजसज्जा एवं अन्य कार्यों हेतु व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में जिला कलक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यालय की साजसज्जा एवं अन्य कार्यों हेतु मनरेगा योजना से व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	जिला	व्यय राशि	विवरण
1	**2**	**3**	**4**
1.	अजमेर	शून्य	
2.	अलवर	37,050	पंचायत समिति किशनगढ़ बास में सोफा, रिवाल्विंग, कुर्सी, टेबल एवं टेबल ग्लास का क्रय
3.	बांसवाड़ा	शून्य	
4.	बारां	शून्य	
5.	बाड़मेर	शून्य	
6.	भरतपुर	शून्य	
7.	भीलवाडा	शून्य	
8.	बीकानेर	शून्य	
9.	बूंदी	1,87,149	स्टेशनरी, ईपीबीएक्स सिस्टम की मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव आदि
10.	चित्तौड़गढ़	शून्य	
11.	चूरू	शून्य	
12.	दौसा	शून्य	
13.	धौलपुर	शून्य	
14.	डूंगरपुर	शून्य	
15.	श्रीगंगानगर	1,29,678	एल.सी.डी., डी.वी.डी., प्रिन्टर, लैपटाप एवं गद्दे का क्रय
16.	हनुमानगढ़	95,044	रंगीन प्रिन्टर, फर्नीचर, लैपटाप क्रय

1	2	3	4
17.	जयपुर	32,82,421	कार्यालय में कूलर, फर्नीचर, कम्प्यूटर, फैक्स मशीन, डेटा कार्ड, इन्वर्टर, बोर्ड एवं नेमप्लेट, फोन, स्कैनर, सैटकाम, डिजिटल कैमरा, माईक व स्टैण्ड आदि पर व्यय
18.	जैसलमेर	शून्य	
19.	जालौर	1,55,789	फर्नीचर क्रय
20.	झालावाड	शून्य	
21.	झुन्झुनू	शून्य	
22.	जोधपुर	66,050	कलक्टर निवास पर स्थित कार्यालय में फर्नीचर क्रय
23.	करौली	1,00,000	कोषाधिकारी करौली को जिले की स्थापना दिवस पर हरित राजस्थान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु
24.	कोटा	शून्य	
25.	नागोर	शून्य	
26.	पाली	शून्य	
27.	राजसमन्द	22,462	पंचायत समिति खमनौर में कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय की साजसज्जा पर व्यय
28.	सवाईमाधोपुर	38,12,359	कार्यालय हेतु कम्प्यूटर, यूपीएस, इत्यादि, ए.सी. फर्नीचर विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी, सामग्री रजिस्टर आदि पर व्यय
29.	सीकर	शून्य	
30.	सिरोही	शून्य	
31;	टोंक	शून्य	
32.	उदयपुर	शून्य	
33.	प्रतापगढ़	शून्य	

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. प्रदेश में रोजगारोन्मुख शिक्षा को प्रोत्साहन दिलवाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

2. विधान सभा क्षेत्र भीम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम (सिरोही) :

3. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

4. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के तहसील चिखली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

8. प्रदेश के विद्यालयों में चारित्रिक, सांस्कृतिक एवं योग शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

9. राज्य की विविधतापूर्ण गौरवमयी लोक संस्कृति को बचाने के लिये लोक कलाकारों को संरक्षण देने, लोकभाषा की उन्नति के प्रयास करने व लोक

संस्कृति को नई पीढ़ी से परिचित कराने के उद्देश्य से अजमेर में जयपुर जवाहर कला केन्द्र की भांति सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. अजमेर शहर के राजाकोठी उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन की चार दीवारी बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. अजमेर शहर के विधि महाविद्यालय के नये भवन में आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. करोड़ों राजस्थानी भाषा बोलने वाले भाषा प्रेमियों हेतु राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने एवं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. अजमेर के महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

14. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के पिलानी कस्बे में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के एकीकरण के कारण छात्रों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

18. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कलां संस्कृति हेतु युवा केन्द्रों में गतिविधियां बढ़ाने एवं युवाओं को युवा केन्द्रों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में कक्षा कक्षों के निर्माण एवं खेल मैदान का निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में पानी-बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

23. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के उपखण्ड मण्डरायल में उर्दू विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के उपखण्ड मण्डरायल पर राजकीय महाविद्यायल की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला) :

26. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

27. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, शेरगढ़ को शास्त्री महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संस्कृत विद्यालयों में व्याख्याता द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व अन्य वर्ग के रिक्त पदों को भरने एवं नवक्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पद सृजित कर पदस्थापन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

31. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. प्रदेश के स्कूलों के एकीकरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित माडल स्कूल चूली एवं डेतायी में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

35. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के विद्यालयों को सरकार की माडल स्कूल योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

37. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के विद्यालयों में रिक्त पद न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा आठ तक 4-5 शिक्षक रखने से शिक्षा के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में बालिका शिक्षा की गति धीमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से संस्कृत शिक्षा में व्याख्याता, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नहीं होने के कारण पदोन्नतियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. प्रदेश में शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की डी.पी.सी. न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

42. राजस्थान में कक्षा-प्रथम से आठवीं तक के छात्रों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत आने वाले समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, व्याख्याताओं, विषय अध्यापकों, तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों पर रिक्तियां होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्तर्गत आने वाले राजकीय महाविद्यालयों

बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर में प्राचार्यों, व्याख्याताओं, सहायक प्रोफेसरों व अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. राजकीय महाविद्यालय बिलाडा के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार छात्र संख्या 160 से 370 तक नहीं बढ़ाने एवं महाविद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

47. विधान सभा क्षेत्र सांचोर में शिक्षा को बढ़ावा देने, एकीकरण करने एवं सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

48. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के पी.जी. कालेज में कामर्स संकाय एवं भूगोल विषय चालू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. गंगापुर सिटी में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने एवं कला व संस्कृति विभाग का कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

50. घुरासनी, धाकड़ी राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र सोजत के सोजत शहर में खेल स्टेडियम में चल रहे कार्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) :

52. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय विद्यालयों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

53. विधान सभा क्षेत्र निवाई के राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण के लिये विभाग द्वारा पहल करने एवं स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

54. सरकारी विद्यालयों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

55. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के आमल्दा, रासेड, जामोली, हिहोडा जागीर सहित प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थित माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. तहसील जहाजपुर में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

57. विधान सभा क्षेत्र लूणी के प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों का नियमानुसार अंकेक्षण कराने एवं अंकेक्षण के अभाव में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच करवाई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्यों, विषय के व्याख्याताओं एवं अन्य शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. राजस्थान में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने, क्रमोन्नत करने एवं नवीन संकाय प्रारम्भ करने की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र लूणी के कस्बा लूणी में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धवा, दुंदाडा एवं लूणी में ऐच्छिक विज्ञान का विषय खोलने एवं नवीन विद्यालय माडल स्कूल के रूप में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. प्राथमिक स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में बिना प्रश्न पत्र के परीक्षा लेना बंद कर पूर्व की भांति टेस्ट, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

62. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाट बहरोड़ में विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर अलवर में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर (अलवर) के विद्यालयों में शिक्षकों एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता एवं विषय अध्यापकों का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के स्कूलों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

67. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के गोविन्दगढ़ में महाविद्यालय एवं तकनीकी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

68. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के रटलाई कस्बे में संस्कृत कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

70. राज्य में विद्यालयों के एकीकरण एवं शिक्षकों के समानीकरण के कारण शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने व शिक्षकों में बढ रहे असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. राज्य में वर्ष 2013 में निकाली गई रिक्तियों को नहीं भरे जाने के कारण राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. राज्य में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को नहीं भरने के कारण शिक्षा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. विभाग में शिक्षकों की संख्या के अनुसार मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद सृजित नहीं किये जाने के कारण मंत्रालयिक कर्मचारियों पर बढ़ रहे कार्यभार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधन नहीं होने के कारण क्षेत्र में विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

75. उपखण्ड मुख्यालय आहौर पर महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. प्रदेश में प्रबोधकों की भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

77. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पर्यटन स्थल की दृष्टि से आर.टी.डी.सी. होटल खोले जाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम लेकड़ी, बबेड़ी, रामपुर, कराना, हमीरपुर, नारायणपुर एवं मुण्डावरा में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम कीरा की ढाणी पंचायत हाजीपुर में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में महिला आई.टी.आई. कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) :

82. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में माडा योजना के तहत आवासीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में महिला आई.टी.आई. कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व विषय अध्यापक एवं स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में आवासीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

86. प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर उन्नत करने हेतु जन सहभागिता बढ़ाने और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्री-स्कूल के रूप में प्रभावी संचालन करने की कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवाची गेट को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाची गेट में स्थानान्तरित करने के लम्बित प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी,

माध्यमिक-प्रथम, जोधपुर कार्यालय द्वारा गत पांच वर्षों में विद्यालयों की मान्यता, परीक्षा केन्द्र आबंटन एवं बिना सरकारी आदेश के स्थानान्तरण और पदोन्नति प्रकरणों में शहरी पदस्थापन सम्बन्धी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. गौ-शाला क्रीड़ा संगम, जोधपुर का लाभ सरकारी स्कूल के बालकों तक पहुंचाने के लिये उक्त केन्द्र के तीन कि.मी. परिधि के सरकारी विद्यालयों द्वारा जिला खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली खेल टीमों में उक्त केन्द्र पर नियमित प्रशिक्षण हेतु आने वाले खिलाड़ियों के चयन की बाध्यता का नियम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. जोधपुर के लोक कलाकारों एवं रंगमंच कर्मियों के संरक्षण के लिये विभिन्न पर्यटक आकर्षण केन्द्रों पर कला एवं रंगमंच प्रदर्शन स्थल विकसित करने और पेंशन योजना आरम्भ करने की कार्ययोजना बनाकर क्रियान्विति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद) :

91. विधान सभा क्षेत्र आसींद के गुलाबपुरा के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र आसींद में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र आसींद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

94. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में एकीकरण से बंद हो रहे विद्यालयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में प्राथमिक एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) :

96. विधान सभा क्षेत्र मकराना में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

97. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी पंचायत समिति मुख्यालय पर माडल विद्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. सिवाना एवं सिणधरी में सहशिक्षा महाविद्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के विद्यालयों में प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ऐतिहासिक हल्देश्वर की पहाड़ियों में वीर दुर्गादास कर्म स्थली पर स्मारक निर्माण, हल्देश्वर को मिली माउण्ट बनाने, भीमगोडा स्थान एवं सिवाना दुर्ग को कला संस्कृति की श्रेणी में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नवीन बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

102. राजाखेड़ा (धौलपुर) में कालेज की स्थापना न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. राजाखेड़ा जिला धौलपुर में चिन्तामण की गढ़ी सैकण्डरी स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग) :

104. विधान सभा क्षेत्र डग में नवीन महाविद्यालय चौमहला में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. राजकीय बिड़ला महाविद्यालय भवानीमण्डी में शैक्षणिक व अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र डग के महाविद्यालयों में भूगोल व लोक प्रशासन विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. राजकीय बिड़ला महाविद्यालय-भवानीमण्डी स्वपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित हिन्दी विषय को पूर्ण राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. भीमनी बांध पर गार्डन की झालावाड़ संस्कृति स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) :

109. बजट वर्ष 2013 में श्रीकरणपुर के ज्ञान ज्योति कालेज की सरकारीकरण की घोषणा की क्रियान्विति कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. श्रीगंगानगर जिले में स्थापित पंजाबी अकादमी के चेयरमेन सहित रिक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. श्रीकरणपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों धमूडवाली, नृसिंहपुरा, माझूवास, बडिंगा 36 एच, नग्गी, मुकन मानकसर के पुराने व क्षतिग्रस्त भवनों को ध्वस्त कर नये भवन बनाये जाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. श्रीगंगानगर जिले में प्रधानाध्यापकों के 300 रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. जून, 2012 में आयोजित पंजाबी विषय अध्यापक की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

114. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में बालिका महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. तहसील मलसीसर में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में सरकारी कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

117. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में ग्राम पंचायत जालि में संचालित संस्कृत महाविद्यालय को सरकार के अधीन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

120. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम भाटोली में कक्षा कक्षों का निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. राजसमन्द में कन्या महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कनावदा पंचायत भाटोली जिला राजसमन्द को क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम भूण्डल पंचायत धायला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नवीन भवन निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र राजसमनद के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं विज्ञान विषय की कक्षाएं प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) :

125. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम रघुनाथगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम दूल्हेपुरा ओर शोभ में नये स्कूल स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम श्यामगढ़ में राजकीय बालिका विद्यालय और देवनारायण छात्रावास योजना के तहत छात्रावास स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम पीपरानी में बालिका महाविद्यालय स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम चारण का वास व पुरोहित की ढाणी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक वियालय में क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) :

130. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम कुडी, काकराला, कीटनोह, दूदवा, कोरना मण्डली एवं सिंवली, जागीर के विद्यालयों में स्टाफ की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. आठवी कक्षा का बोर्ड अनिवार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. कालेज व विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नियमित रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. उच्च शिक्षा में अध्ययन करने वाले वियार्थियों की कक्षा में उपस्थिति कालांश वाइज लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विद्यार्थी मित्रों की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) :

135. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के खण्डार में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

136. माण्डलगढ़ किले को पुरातत्व के आधार पर विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजोलिया में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

138. आभानेरी संस्कृति को विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. ग्राम पंचायत अनन्तवाड़ा के सोडाला, वासला के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. राजेश पायलट महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. बांदीकुई में स्ववित्त पोषित महिला महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

142. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय में विज्ञान संकाय और स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय, भूगोल संकाय एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापक एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र बहरोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता एवं विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

147. ग्राम मांझीरामपुरा में पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

148. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

149. अलवर शहर के पटरी पार क्षेत्र में सीनियर सैकण्डरी बालिका विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. राजर्षि भर्तृहरि विश्वविद्यालय अलवर को इसी सत्र से अलवर शहर के राजर्षि महाविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

151. प्रदेश में खण्ड स्तर या बड़े ग्राम पंचायत स्तर पर माडल विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय झालामलिया को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिरादेसर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. प्रदेश के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

155. महाविद्यालय जैतारण के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के विद्यालयों में व्याख्याताओं एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

157. प्रदेश के विद्यालयों में पेयजल व शौचालयों की स्थायी व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के सभी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति व संकायवार अध्यापकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

159. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में सभी स्वीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. जहाजपुर तहसील के उच्च माध्यमिक विद्यालय लुहारी में गणित व विज्ञान के नवीन संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

161. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत छोटीसखा में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के राजकीय मामा बालेश्वर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के उपखण्ड सज्जनगढ़ में महाविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेम चन्द्र बैरवा (दूदू) :

164. विधान सभा क्षेत्र दूदू के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र दूदू (जयपुर) पंचायत समिति फागी एवं दूदू में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र दूदू के सभी स्तर के सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र दूदू के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) :

168. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन (बूंदी) के सभी स्तर के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के विभिन्न विद्यालयों में मिड-डे मील की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

172. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के पंचायत मुख्यालय स्थित माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक विद्यालय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, आर.डी. गर्ल्स कालेज एवं एम.एस.जे. कालेज के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. राजकीय इन्जिनियरिंग कालेज भरतपुर में कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

175. भरतपुर स्थित एम.एस.जे. कालेज ग्राउण्ड को स्पोर्ट स्टेडियम बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. भरतपुर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय इन्जिनियरिंग कालेज के आम रास्ते को नवीनीकरण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

177. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विद्यालयों में पंजाबी भाषा के अध्यापक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, II ग्रेड, III ग्रेड अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्रामों में संस्कृत विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा) :

181. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर में महिला कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विद्यालयों में भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

184. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विद्यालय में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

186. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में विषय अध्यापकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के विद्यालयों में शौचालय बनाने एवं सफाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

189. बीकानेर के डूंगर कालेज में लेखाकार, प्रयोगशाला सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में एम.जी.एस.यू. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास कालोनी में जमीन आबंटित होने के उपरान्त भी सीनियर सैकण्डरी विद्यालय प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के बंगलानगर इलाके में बालिका विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. बीकानेर में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की पुन:स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) :

194. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पंजाबी एवं संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्यामगढ़ माध्यमिक विद्यालय भाटीवाला ग्राम पंचायत छाकरी माध्यमिक विद्यालय ठंडी को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

198. प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199. प्रदेश में कला व संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु हाड़ौती में स्थित प्रमुख धार्मिक क्षेत्र मन्दिरगढ़ (गोराजी का मन्दिर) गेपरनाथ, पाले की माताजी, मानपुरा आदि प्राचीन स्थलों को जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खनन क्षेत्र होने की वजह से श्रमिकों की बालिकाओं के लिये अलग से राजकीय आवासीय महाविद्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित राजकीय महाविद्यालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों व व्याख्याताओं के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित राजकीय महाविद्यालय, सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

203. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के कोलायत में सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश देकर महाविद्यालय को शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगापुरा, खारीया पातावतान, नेणिया, गज्जेवाला, मढ़ को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

208. आर. के. पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ में चित्रकला विषय को खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शिबा उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक भार को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के प्रमुख कस्बे अराई में नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014-15 में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ में कला संकाय में भूगोल एवं चित्रकला विषय के व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नवीन राजकीय पोलीटेक्निक कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कुं. जगत सिंह (कामां) :

213. विधान सभा क्षेत्र कामां के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) :

214. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के लोहिया बालिका महाविद्यालय में कला संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाज जीनगर (कपासन) :

215. प्रदेश में शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र कपासन के विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों को पदस्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. राजकीय महाविद्यालय कपासन में वाणिज्य विषय खोलने एवं 60 सीटों से बढ़ाकर 120 सीटें करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

218. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक-द्वितीय जोधपुर को फलौदी मुख्यालय पर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-द्वितीय जोधपुर को फलौदी मुख्यालय पर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220. राजकीय महाविद्यालय, फलौदी में व्याख्याताओं एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

221. राजकीय महाविद्यालय, फलौदी में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की सीटों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

222. राजकीय महिला विद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर के पास स्थित रिक्त भूमि पर राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लादूराम (गुढामालानी) :

223. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप समानीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्यालयों को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक, विषयाध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र गुडामालानी के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

227. विधान सभा क्षेत्र धोद के अन्तर्गत शेखावाटी क्षेत्र का माउण्ट आबू हर्ष पहाड़ी पर स्थित भैरूजी का मन्दिर, प्रसिद्ध जीणमाताजी का मन्दिर जो धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, के समग्र विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र धोद में सरकारी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र धोद के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सखड़ी, सिंगरावर, पालवास एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

230. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विद्यालयों की मरम्मत एवं चारदीवारी निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए नये कमरों का निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में छात्र-छात्राओं की शिक्षा को देखते हुए बड़ी सादड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में तथा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

235. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गांवों में विषयवार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों, प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के महाविद्यालय में छात्रों की सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

237. इंटदरा चारणा पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. रानी एस.डब्ल्यू.एम. मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के डायलना कल्ला पंचायत मुख्यालय के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. मारवाड़ जंक्शन में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. पुनाडीया माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

242. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पड़े रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

244. विधान सभा क्षेत्र नगर की पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी विद्यालय की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई के गिरते स्तर के कारण विद्यालयों में 30 प्रतिशत से भी कम छात्रों के उत्तीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

246. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूरा स्टाफ पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

248. पाली जिले के विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के पद निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र पाली में चारदीवारी विहीन विद्यालयों में चारदीवारी बनवाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

250. प्रदेश के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिये स्थायी रूप से प्रत्येक विद्यालय में कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर अध्यापक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

254. भादरा में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कन्या पाठशाला खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाखाली में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र को पुन: खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रासलाना व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजीतपुरा में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गान्धीबड़ी, डाबड़ी, कलाना एवं रासलाना में शिक्षकों के रिक्त पदों के भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

259. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये राजकीय बालिका विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

261. प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

262. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

263. प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में आ रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम कालू, लूणकरणसर एवं महाजन की उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

265. बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

266. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद के मैदानों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

267. विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम जोधियासी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

268. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विद्यालयों में नये संकाय खोलने तथा रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

271. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नौसाल को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

272. डूंगरपुर जिला मुख्यालय के विद्यालयों में उर्दू ऐच्छिक विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की तहसील बिछीवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

274. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय वीर काली बाई कन्या महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

275. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

276. जयपुर में महिला विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

277. संस्कृत को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु जयपुर जिले में केवल बालिकाओं हेतु वरिष्ठ उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

278. जयपुर शहर में कम से कम तीन अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं पांच उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

279. प्रदेश में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन सफाई के लिये कर्मचारी रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

280. जयपुर शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में वाणिज्य एवं कला संकाय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

281. अजमेर के महर्षि दयानन्द महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने एवं अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

282. प्रदेश में स्कूलों के एकीकरण की नीति में अल्पसंख्यक भाषाई विद्यालयों को एकीकरण के नाम पर सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

283. प्रदेश में उच्च शिक्षा के कालेजों में कार्यरत शिक्षकों के पदानाम सहायक प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर व प्रोफेसर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के अनुदानित शिक्षण संस्था से राज्य सेवा में लिये गये कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके गृह जिले या सम्भाग की शिक्षण संस्थाओं में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. प्रदेश में शिक्षा विभाग में डी.ई.ओ. के नये पद सृजित कर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने के निर्णय को लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

286. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, प्रधानाचार्य, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

287. राजकीय महाविद्यालय बाली के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीजापुर, बेड़ा चामुण्डेरी एवं नारलाई में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र बाली के माटून्द, भन्दर, नाणा, बीसलपुर, लुणावा, मुण्डारा,

सिन्दरली एवं नाडौल के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

290. खींवसर के ग्राम खरलाल, ग्वालू, सेनेणी, गाजु एवं पालड़ी जोधा को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

291. खींवसर में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

292. लोकदेवता वीरतेजाजी की जन्मस्थली खरनाल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

293. खींवसर में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

295. जिला जयपुर के जमवारामगढ़ में ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

296. चौगान स्टेडियम जयपुर में खेलकूद की गतिविधियों हेतु समुचित प्रशिक्षकों का पदस्थापन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

297. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

298. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय माण्डेला, खोरिया एवं बलोद हादी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

300. उपखण्ड फतेहपुर में सरकारी महाविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

301. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में कलात्मक हवेलियों के संरक्षण एवं शेखावाटी स्थापत्य कला को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

302. विधान सभा क्षेत्र महुवा में सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

303. विधान सभा क्षेत्र महुवा में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

304. विधान सभा क्षेत्र महुवा के मण्डावर में बालिका सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

305. विधान सभा क्षेत्र महुवा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

306. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बे में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

307. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रानीखेड़ा, सतखण्डा व राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कनेरा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

308. उपखण्ड मुख्यालय छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

309. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

310. निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में राजकीय पोलीटेक्निक कालेज खोलने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर)

311. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के झालामंड क्षेत्र में एक महाविद्यालय एवं राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

312. जैसलमेर जिले के शिक्षकों की अन्य जिलों में प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

313. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने व विद्यालयों को क्रमोन्न्त कर इनमें रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

314. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय, गुढा में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने और गुढा के राजकीय महाविद्यालय में सम्पूर्ण स्टाफ पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, छात्रों के लिये निजी शिक्षण संस्थाओं की तर्ज पर प्रवेश की आयु सीमा के सम्बन्ध में और एन.टी.टी. प्राप्त अभ्यार्थियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

316. प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के लिये कालबेलिया नृत्य, लोक नृत्य, बीण, फड़ इत्यादि कार्यक्रमों के लिये जिला स्तर पर उचित मंच उपलब्ध करवाकर घुमन्तू जातियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

317. शेखावाटी में कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के लिये भिति चित्रों, पुरानी हवेलियों, भवनों, बावड़ियों आदि को हेरिटेज घोषित कर इनके संरक्षण हेतु अनुदान जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

318. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतू में कृषि विज्ञान विषय का अध्ययन शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

319. उपखण्ड बायतू मुख्यालय पर आई.टी.आई. की स्थापना करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

320. विधान सभा क्षेत्र बायतू के सम्पूर्ण विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों को अतिशीघ्र भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

321. प्रदेश में शिक्षा में सुधार लाने के लिये आठवीं कक्षा में दसवीं की तर्ज पर बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

322. विधान सभा क्षेत्र बायतू में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

323. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा कस्बे में सरकारी महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

324. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

325. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सरकारी विद्यालयों में लगातार कम होते जा रहे छात्र नामांकन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

326. प्रदेश में कृषि विज्ञान विषय की छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

327. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खानपुर मेवान में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

328. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

329. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के श्रीमती कलावती देवी महावर राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटकासिम में आचार्य (एम.ए.) स्ववित्त पोषित को राजकीय महाविद्यालय घोषित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

330. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीबीरानी में गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य आदि विषयों को खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

331. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीबीरानी में गृह विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान एवं संस्कृत साहित्य स्ववित्त पोषित विषयों को राजकीय वित्त पोषित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़) :

332. भदेसर के कन्नौज में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने तथा बोर्ड परीक्षा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

333. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

334. चित्तौड़गढ़ के कन्या महाविद्यालय में सभी संकाय के विषय प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

335. चित्तौड़गढ़ किले (दुर्ग) के सौन्दर्यकरण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

336. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के विशेष पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र (ग्राम माधो का बास, गोनाकासर व पीपलोद) में सैकण्डरी विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

337. बाबा भगवान दास महाविद्यालय चिमनपुरा व बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा के सभी संकायों की सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कु. जगत सिंह (कामां) :

338. विधान सभा क्षेत्र कामां के राजकीय महाविद्यालय पहाड़ी में विद्यार्थियों को प्राचार्य द्वारा प्रवेश नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

339. साक्षरता मिशन में प्रेरकों को स्थाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।